चतुर्दश माला, खंड 24, अंक 15

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2006
21 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 15, मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2006/21 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	282, 283, 285 से 287	1-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	284, 288 से 301	34-54
अतारांकित प्रश्न संख्या	2746 से 2924	54-341
सभा पटल पर रखे गए पत्र		341-351
संसदीय समितियां-कार्य का सारांश		351
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		
पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य		352
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
सातवां प्रतिवेदन		353
लोक लेखा समिति		
34वां, 36वां और 37वां प्रतिवेदन		353
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति		
14वां प्रतिवेदन		354
वित्त संबंधी स्थायी समिति		
44वां प्रतिवेदन		354
श्रम संबंधी स्थायी समिति		
18वां प्रतिवेदन		355
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(i) भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग		
श्री प्रणब मुखर्जी		355

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(ii) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह 359

(iii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समिति के 78वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अश्विनी कुमार 360

लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु बनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संयुक्त समिति की समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव 361

सदस्यों द्वारा निवेदन

संसद भवन पर आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपी द्वारा दायर क्षमा याचिका पर शीघ्र निर्णय के बारे में. 362-382

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिजली उत्पादन के लिए सौर शक्ति प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 382

(दो) अन्य देशों से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 383

(तीन) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 'फैब सिटी' की स्थापना के लिए फैब नीति बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी 384

(चार) बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही असंतोषजनक मोबाइल सेवाओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर. 384

विषय	कॉलम

(पांच) बोकारो स्टील कंपनी के प्रस्तावित विस्तार पर रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा विस्थापित परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दूबे ... 385

(छह) पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला 385

(सात) महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए वन संरक्षण कानूनों में छूट दिए जाने की आवश्यकता

श्री शिशुपाल एन. पटले 386

(आठ) संकटग्रस्त एथोनॉल उद्योग को बचाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक 387

(नौ) सेना के नियंत्रणाधीन जोधपुर रेलवे स्टेशन को जाने वाले पैदल पथ को दोबारा खोले जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई 387

(दस) कर्नाटक में सीरा-हरियुर से हवेरी तक दो लेन वाली सड़क को चार लेन में बदलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर 388

(ग्यारह) 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान को रावी और ब्यास नदियों के जल में हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां ... 388

(बारह) केरल में चेंगनुर और कायमकुलम रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी.एस. सुजाता 389

(तेरह) पश्चिम बंगाल में कोंटई, पूर्व मिदनापुर में सार्वजनिक क्षेत्र के काजू प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त प्रधान 389

(चौदह) उत्तर प्रदेश में इटावा में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 390

विषय | कॉलम

(पंद्रह) उत्तरांचल में 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट' जारी किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार 390

(सोलह) 'कोयल सिंचाई परियोजना' के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी. 390

(सत्रह) तमिलनाडु में समन्वित टेक्सटाइल पार्क स्कीम के अंतर्गत करूर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए की आवश्यकता

श्री के.सी. पल्लानी शामी 391

(अठारह) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और हरदोई जिले के भाखनी ब्लॉक में सम विकास योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की जांच कराए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी. 392

(उन्नीस) तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में शिवकाशी उपनगर में आतिशबाजी विनिर्माण के लिए केंद्रीय वेयर हाऊस का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्दन सिप्पीपाराई 392

(बीस) सिक्किम में गंगटोक से जयगांग तक राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री नकुल दास राई. 393

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव

प्रो. रासा सिंह रावत 394

श्री फ्रांसिस फैन्थम 396

प्रो. बसुदेव बर्मन 399

श्री मोहन सिंह 402

श्री गणेश प्रसाद सिंह . 405

श्री भर्तृहरि महताब . 407

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 409

विषय कॉलम

प्रो. एम. रामदास 411

श्री सुरेश वाघमारे 414

डा. बाबू राव मिडियम 415

डा. सिबैस्टियन पॉल 417

श्री कीरेन रिजीजू 417

श्री शैलेन्द्र कुमार 419

श्री तथागत सत्पथी 420

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 423

श्री ब्रजेश पाठक 425

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 426

खंड 2 से 46 और 1 429

पारित करने के लिए प्रस्ताव 429

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005
और
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2006-2007

श्री पी. चिदम्बरम 430

श्री खारबेल स्वाईं . . . 435

श्री के.एस. राव . . 442

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 450

श्रीमती पी. सतीदेवी 457

श्री शैलेन्द्र कुमार 460

श्री राम कृपाल यादव . 463

श्रीमती वी. राधिका सेलवी 469

श्री भर्तृहरि महताब . 473

श्री सी.के. चन्द्रप्पन . 477

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा . . 481

डा. राजेश मिश्रा 485

श्री मित्रसेन यादव 489

श्री प्रसन्न आचार्य 491

विषय	कॉलम

विषय	कॉलम
श्री एन.एस.वी. चित्तन	493
प्रो. एम. रामदास	496
श्री सुधांशु सील	498
श्रीमती करुणा शुक्ला	501
श्री मनोरंजन भक्त	503
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	505
श्री एम. शिवन्ना	508
श्रीमती नीता पटैरिया	510
डा. टोकचोम मैन्या	513
श्री पी. करुणाकरन	515
श्रीमती किरण माहेश्वरी	516
श्री तापिर गाव	519
श्री गणेश सिंह	521
विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2006	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	531
श्री पी. चिदम्बरम	532
खंड 2, 3 और 1	532
पारित करने के लिए प्रस्ताव	532
विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2006	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	533
श्री पी. चिदम्बरम	534
खंड 2, 3 और 1	534
पारित करने के लिए प्रस्ताव	534
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	535-536
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	536-542
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	543-544
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	543-544

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2006/21 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री मो० ताहिर – प्रश्न संख्या 282

[हिन्दी]

रूग्ण पटसन मिलों का पुनरूद्धार

\+
*282. **श्री मो. ताहिर :**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पटसन उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार कतिपय पटसन मिलों को बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पहले ही बंद हो चुकी पटसन मिलों का पुनरूद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां तो कितनी पटसन मिलों का मामला बी०आई०एफ०आर० के पास भेजा गया और ऐसी मिलों के पुनरूद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कच्चे पटसन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:—

मात्रा : लाख गांठों में

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
लक्ष्य	100.00	105.00	107.00	110.00
वास्तविक उत्पादन	90.00	75.00	85.00	105.00

(ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम (एन०जे०एम०सी०), भारत सरकार का एक उपक्रम, की 6 पटसन मिलों में से चार मिलों को बंद करने का निर्णय लिया था।

(ग) बंद किए जाने के लिए प्रस्तावित 4 मिलों को गैर अर्थक्षम मिलों के रूप में अभिज्ञात किया गया है। कामगारों के कल्याण के लिए सरकार ने एन०जे०एम०सी० के कामगारों को वी०आर०एस० पैकेज देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, वी०आर०एस० के अंतिम रूप से कार्यान्वित होने तक सरकार एन०जे०एम०सी० को बजटीय सहायता के माध्यम से कामगारों को वेतन, दिहाड़ी, भविष्य निधि, ई०एस०आई० एवं सांविधिक बकायों का भुगतान करती आ रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि एन०जे०एम०सी० की कोई भी मिल अभी बंद नहीं की गई है! तथापि, सरकार, एन०जे०एम०सी० की दो पटसन मिलों अर्थात किन्नीसन एवं खरदाह जहां उत्पादन बंद हो चुका है, का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव करती है। भारत सरकार किसी निजी अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व वाली मिलों के पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव नहीं करती है।

(ङ) एन०जे०एम०सी० की 6 मिलों सहित बी०आई०एफ०आर० को भेजे गए पटसन मिलों के मामलों की कुल संख्या 30 है। किन्नीसन और खरदाह पटसन मिलों के पुनरूद्धार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्वासन ब्यूरो (बी०आर०पी०एस०ई०) को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन मिलों के पुनरूद्धार के लिए आगे बी०आर०पी०एस०ई० के निर्णय के बाद कदम उठाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मो० ताहिर : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2006-07 तक जो टार्गेट दिखा रहे हैं, बराबर टार्गेट गिरता जा रहा है। आपने बताया है कि 6 मिलों में से चार मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है क्या यह कदम कायम रहेगा? टार्गेट की जो पोजीशन है उसे कैसे पूरा करेंगे? इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक जूट मिल के बंद होने से हजारों मजदूरों और अन्य कर्मचारियों का रोजगार खत्म हो जाता है और इस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में लाखों की संख्या में जूट श्रमिक अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं और भूखे मर रहे हैं। क्या सरकार के पास जूट श्रमिकों के पुनर्वास की कोई योजना है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, ये टार्गेट फाइबर प्लान के तहत किए जाते हैं और इस हिसाब से एडवांस में फिक्स करना पड़ता है कि अंदाजन प्रोडक्शन कितना होगा और यह वर्षा पर निर्भर करता है। अगर सीजन ठीक होता है तो प्रोडक्शन सही ढंग से होता है और अगर बारिश कम होती है तो प्रोडक्शन में लॉस होता है। माननीय सदस्य ने जिन बंद मिलों या लेबर का जिक्र किया गया है, हम आज भी लेबर को तनख्वाह अपनी ओर से देते हैं। पूरे देश में

लॉस में 78 जूट मिलें हैं, 36 मिलों में से 30 मिलों के लिए हम बी०आई०एफ०आर० में गए हैं इनमें 6 गवर्नमेंट की हैं। इसके अलावा जितने लेबरर्स हैं, उन्हें गवर्मेंट के हिसाब से तनख्वाह देते हैं। इनके पुनर्वास के लिए आने वाले दिनों में बी०आर०पी०एस०ई० और बी०आई०एफ०आर० की सूचना के हिसाब से वे जो भी कहेंगे, उनका रिवाइवल या मॉडर्नाइजेशन करेंगे।

श्री मो० ताहिर : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सरकार स्वयं स्पेशल जूट डेवलपमेंट फंड के तहत कितने राज्यों की सहायता कर रही है? क्या सरकार बंद होती जूट मिलों को देखते हुए इन सहायता राशियों में अतिशीघ्र बढ़ोत्तरी करने का विचार करेगी?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, दो किस्म का मिलें है, एन०जी०एम०सी० में हमारी छः मिलें हैं, जिनमें गवर्नमेंट इन्वाल्व है बाकी सब मिलें प्राइवेट हैं और प्राइवेट में कुछ मिलें ऐसी हैं जो अच्छा प्रॉफिट कर रहो हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट मिलों की चिंता करनी है, हम प्राइवेट मिलों की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन इन मिलों को सरकार की ओर से अलग-अलग स्कीम के माध्यम से जो सुविधा देनी चाहिए, वे सुविधाएं जूट इंडस्ट्री दे रही है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पटसन मिलों की जमीनों को निजी क्षेत्र को बेचने की योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? बंद मिलों के कारण प्रतिवर्ष कितना उत्पादन प्रभावित होगा, क्या इसका मूल्यांकन किया गया है? क्या इसके पुनरुत्थान के लिए अलग से प्रयास किया जा रहा है?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, जूट के मामले के बारे में कहूंगा कि यह दो किस्म का है, गवर्नमेंट की मिलें सब बंद हैं, लॉस मेकिंग हैं, सरकार आज तक तकरीबन 4600 करोड़ रुपए लॉस बियर कर रही है। छः मिलें बंद हैं लेकिन फिर भी हमने कमेटी बनाई थी जिसके सैक्रट्री वजाहत हबीबुल्लाह जी थे, वे खुद गए थे और उन्होंने छः मिलों का दौरा किया था। वहां दौरा करने के बाद रिपोर्ट आई थी कि दो मिलों में थोड़ी जान है और किनिसन और खड़दा को आप रिवाइव कर सकते हैं। अभी प्रपोजल बी०आर०पी०एस०ई० के पास पड़ा है, वहां से आने के बाद उसे भी करेंगे। अभी हमारे पास मिल की जमीन बेचने का प्रपोजल नहीं है और न ही हमने ऐसा कोई प्रपोजल मूव किया है।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, देश में पूरी जूट इंडस्ट्री का विकास करने के लिये और जो सिक मिल्ज़ हैं, उन्हें फिर से रिवाइव करने के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि टैक्नौलीजी मिशन ऑन जूट शुरू किया जाये। सरकार ने उसके लिये पहले आश्वासन भी दिया था कि यह मिशन जल्दी शुरू किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टैक्नौलौजी मिशन ऑन जूट कब तक शुरू होगा और यह कब से इंप्लीमेंट किया जायेगा?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, जूट टैक्नौलौजी मिशन चार प्रकार के हैं। इनमें एक और दो प्रकार के मिशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास हैं और 3 तथा 4 नम्बर के मिशन हमारे मंत्रालय के पास हैं। नम्बर 3 के अंतर्गत मार्केट, गोदाम या तालाब आते हैं। जो भी इंपलीमेंट करना होता है, हम करते हैं। पश्चिम बंगाल या दूसरे राज्यों में इसे शुरू करने का प्रपोज़ल है कि कैसे लोकेट करते हुये उसे इंप्लीमेंट करना है, तालाब में वॉश करने के लिये क्या करना पड़ेगा आदि। चौथे प्रकार के मिशन में सरकार 20 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इसके अंतर्गत ट्रेनिंग कैसे देनी है, मशीनरी का डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सब बातें नम्बर चार के मिशन में आती हैं। हमारे हिसाब से एक्टिविटीज ऑफ टैक्नौलोजी ऑन कॉटन और जूट पौलिसी, इस दिशा में प्रगति हो रही है।

श्री अमिताभ नन्दी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आजकल पटसन उद्योग एक उभरता हुआ उद्योग है। इसमें अनेक विविधताएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में भी अनेक पटसन उद्योगों के प्रबंधनों द्वारा मजदूर विरोधी उपायों का आश्रय लिया जा रहा है। वे श्रमिकों को उपदान, भविष्य निधि और विधिक देयों का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

क्या मैं सरकार से यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने श्रमिकों की भविष्य निधि और उपदान से कितनी राशि ठगी है? उन्होंने बताया है कि तीस मिलों को बी०आई०एफ०आर० को संदर्भित किया गया है। क्या मंत्री जी उन तीस मिलों के नाम बतायेंगे।

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष जी, मेरे पास लिस्ट है जिसे मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। माननीय सदस्य ने पी०एफ० के बारे में पूछा है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने 146 करोड़ रुपया दिया है। इसमें ई०एस०आई० को हमने 58 करोड़ रुपया दिया है। जहां तक सैलरीज़ और वेजेज़ का सवाल है या बाकी चीज़े हैं, उसके लिये बी०आर०एस० का प्रोसैस चल रहा है। चूंकि लेबर हमारे कंट्रोल में है, इसलिये कोई प्राब्लम नहीं होगी, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं। जहां तक माननीय सदस्य ने लिस्ट मांगी है, वह मैं उन्हें भेज दूंगा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : मुझे यह कहते हुए कोई शंका नहीं है कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वादों के अनुरूप सरकार पटसन उद्योग सहित वस्त्र उद्योग के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वर्ण रेशे के दिन एक बार

फिर लौट रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खेद है कि सबसे अधिक रुग्ण पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में हैं। रुग्ण पटसन उद्योगों में से लगभग आधे उद्योग पश्चिम बंगाल में हैं। यह कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के पटसन क्षेत्र पर विभिन्न लाभ कमाकर भाग जाने वालों और अन्य असमाजिक तत्वों का दबदबा है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उद्धत मजदूर संघवाद जो कि पश्चिम बंगाल में व्याप्त हैं, सहित वर्तमान श्रम कानून हतोत्साहित करने की भूमिका निभा रहे हैं? क्या इन बातों का पटसन उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बांग्ला-देश और पश्चिम बंगाल में कुदरती तौर पर पानी, वर्षा के हिसाब से जूट का अच्छा उत्पादन होता है। बांग्लादेश अच्छी कम्पीटीशन दे रहा है और वहां प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। यह ठीक है कि हमारी मिलें एन०जे०एम०सी० के तहत बंद हुई हैं। वहां लेबर प्राब्लम अलग-अलग समय पर होती रहती हैं लेकिन इस कारण से मिलें बंद हुई हों, ऐसा नहीं है। सरकार के हिसाब से जो मैनेजमैंट को एक्टिविटी करनी चाहिए, इनको इंसेन्टिव्स देने चाहिए, उसमें कहीं न कहीं लैप्स हुआ होगा। लेकिन सिर्फ यूनियन के हिसाब से हुआ हो, ऐसा नहीं है। आज छः में से दो मिलें हम रिवाइव करने जा रहे हैं। बी०आर०पी०एस०ई० का प्रपोज़ल क्लियर हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ये मिलें चालू हो जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं विनम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के ह्रास के लिए मजदूर संघों का जिंगोवाद उत्तरदायी नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त आपको श्री अधीर चौधरी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं केवल यह बता रहा हूं कि यह मजदूर संघों के जिंगोवाद के कारण नहीं है। पटसन प्रबंधन की संपूर्ण त्रुटि और पटसन उद्योग को अनुशासित रखने में सरकार की संपूर्ण असफलता के कारण पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्योग, जोकि पटसन उद्योग है, पूरी तरह से गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार वादे तो करती है परन्तु कोई कदम नहीं उठाती है। इसके सामने ही गलती हो रही है। एन०जे०एम०सी० के बंद होने के कारण, संपूर्ण पटसन उद्योग पर उन सटोरियों और व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है जो पटसन उद्योग के विकास में इच्छुक नहीं हैं।

इस पृष्ठभूमि में, मैं सरकार द्वारा दो पटसन मिलों, किनिसन और खरदाह को पुनः चालू करने के निर्णय का स्वागत करता हूं। परन्तु बात यह है कि सरकार अनावश्यक ढंग से इस कार्य को लंबित कर रही है। माननीय मंत्री जी ने हमें कई माह पहले यह आश्वासन दिया था कि सरकार इन दो मिलों को पुनः चालू करने जा रही है। परन्तु यह कई माह से लंबित है, इस विलंब के कारण मशीनें खराब हो रही हैं तथा कुल हानि बढ़ती जा रही है।

इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से स्पष्ट प्रश्न यह है कि इन दो पटसन मिलों को पुनः चालू करने में कितना समय लगेगा। जिसके लिए वह कई महीने पहले से वादे कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : स्पीकर साहब, जहां सरकारी क्षेत्र में मैं एन०टी०सी० और दूसरी जूट मिलों का उदाहरण दूंगा जहां जहां भी सरकार रही, उस समय जो भी नेशनलाइज़ेशन हुआ, गरीबों और मज़दूरों को सुविधा देने के लिए हुआ। लेकिन प्रोडक्शन में लॉस ही लॉस हुआ - एन०टी०सी० भी लॉस में और जूट मिल्स भी लॉस में गईं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी डीटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)* किनिसन और खरदाह के संबंध बी०आई०एफ०आर० में हमने यह प्रपोज़ल भेजा है। यह ज्युडीशियरी सिस्टम वाला मामला है। मई 2006 में बी०आर०पी०एस०ई० को भी कहा है। वह लेबरर्स की यूनियन्स को हियरिंग दे रहे हैं। आपकी मदद से अगर यूनियन्स की हियरिंग जल्दी ही जाएगी तो ...*(व्यवधान)* मई 2006 में बी०आर०पी०एस०ई० को हमने प्रपोज़ल दे दिया है। ...*(व्यवधान)* वह मेरे पास नहीं है। यह बी०आर०पी०एस०ई० के पास है ... *(व्यवधान)* जब भी बी०आर०पी०एस०ई० हमें कहेगी कि अब आप चालू कर दें हम तैयार हैं, हमारे पास फंड्ज भी हैं और पूरा होमवर्क भी हमने कर लिया है ...*(व्यवधान)* मैं कोई समय-सीमा तय नहीं कर सकता क्योंकि यह बी०आर०पी०एस०ई० के पास है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी ओर से जो एक्सपीडाइट करना चाहिए वह करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम लोग तीन से अधिक प्रश्न पूरे नहीं कर सके। जोकि शर्म की बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर उत्तरी बिहार में जूट का उत्पादन वर्षों से होता रहा है मगर पिछले कई वर्षों से बिहार में सारी जूट मिलें बंद पड़ गई हैं और किसानों को अपना जूट बेचने का कोई स्कोप नहीं है। मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर किसान बेरोज़गार भी हो गए हैं जो इन जूट मिलों से अपनी रोज़ी-रोटी कमाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जूट उत्पादन में लगे हुए जो किसान हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए, उनकी रोज़ी रोटी के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या आपकी कोई विशेष योजना है या फिर कोई ऐसी मिल आप बिहार के उस इलाके में लगाने की कृपा करेंगे जहां किसान केवल जूट पर ही निर्भर करते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : हमारी एक मिल बिहार के कटिहार में है। सचिव साहब को मैंने खुद बताया था जब हमारे पुराने एम०पी० युवराज जी हमारे पास आए थे। वहां कटिहार में मशीनरी के जंक के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आने वाले दिनों में कोई प्राइवेट पार्टी हमारे पास आएगी तो जरूर उस जमीन का उपयोग होगा, अगर गवर्नमेंट तैयार है। हमने एन०टी०सी० की दो मिलें पांडिचेरी गवर्नमेंट को दी हैं, ऐसे ही अगर वेस्ट बंगाल सरकार भी आए और बिहार गवर्नमेंट भी कहती है कि हम उस मिल को चलाएंगे, कोई भी पार्टी को लेकर, तो वह जमीन और जो भी मशीनरी आज पड़ी है, वह देंगे। रहा किसानों का सवाल, तो आज एक हजार रुपए एम०एस०पी० हम कर रहे हैं, लेकिन बाजार वेल्यू एक क्विंटल 1400 रुपए है। दो साल से हम कमर्शियल ऑपरेशन कर रहे हैं कि किसानों को अच्छे भाव मिलें, एम०एस०पी० की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर कभी भी ये भाव कम होंगे तो गवर्नमेंट एम०एस०पी० ऑपरेशन करके किसान को बचाएगी और टैक्नोलॉजी मिशन वन, टू, थ्री और फोर अल्टीमेटली किसानों के प्रोडक्शन के लिए फायदा में है।

जाली मुद्रा

+

*283. **श्री हेमलाल मुर्मू :**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में जाली मुद्रा परिचालन में है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में कितनी राशि की जाली मुद्रा जब्त की गयी;

(ग) ऐसे मामलों में कितने मुकदमें दर्ज किए गए और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(घ) क्या सरकार ने देश में जाली मुद्रा की आवक/स्रोत का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में जाली मुद्रा की ऐसी आवक/स्रोत को बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई बरामदगी/जब्ती के संबंध में उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि जाली भारतीय मुद्रा के नोट परिचालन में हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचना के अनुसार बरामद/जब्त जाली भारतीय मुद्रा के राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरे तथा 2003, 2004 और 2005 की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या संलग्न अनुबंध-I में दी गई है। इसी अवधि के दौरान जाली मुद्रा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या संलग्न अनुबंध-II में दी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार देश के भीतर भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी जानकार कोरियर, तस्करों, छोटे-मोटे व्यापारियों, आतंकवादियों और विद्रोहियों के जरिए गुप्त तरीके से की जाती है।

सरकार ने देश में जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में जाली मुद्रा नोटों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए सीमा की रक्षा करने वाले सुरक्षा बलों तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 24 घंटे सतर्कता रखना, आसूचना नेटवर्क का उन्नयन करना, सीमा पर विशेष अभियान चलाना, नाइट विजन डिवाइसेस सहित आधुनिक निगरानी उपकरण उपलब्ध करवाना, सीमा पर बाड़ खड़ी करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण देना तथा जनता की भलाई हेतु प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए सुरक्षा विशेषताओं पर सूचना का प्रसारण करना, शामिल है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बैंक नोटों में शामिल करने हेतु कुछ अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं अनुमोदित की गई हैं जिससे जाली मुद्रा बनाना अत्यन्त कठिन हो गया है। जाली मुद्रा के मामलों की जांच को मानीटर करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

अनुबंध-I

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003 मूल्य रूप में (आर)	2003 मूल्य रूप में (एस)	2003 मूल्य रूप में (आर+एस)	2003 एफआईआर की कुल संख्या	2004 मूल्य रूप में (आर)	2004 मूल्य रूप में (एस)	2004 मूल्य रूप में (आर+एस)	2004 एफआईआर की कुल संख्या	2005 मूल्य रूप में (आर)	2005 मूल्य रूप में (एस)	2005 मूल्य रूप में (आर+एस)	2005 एफआईआर की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1729120	3785685	5514805	244	1540760	4605770	6146530	163	798810	13607590	14406400	231
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	13000	13000	7	0	2700	2700	3	0	39400	39400	4
3.	असम	1265200	1736400	3001600	67	675250	570580	1245830	48	848540	950560	1799100	94
4.	बिहार	3580770	231540	3812310	44	2605610	28300	2633910	10	1302330	723300	2025630	28
5.	छत्तीसगढ़	500	169600	170100	12	0	237520	237520	8	0	348630	348630	56
6.	गोवा	11250	18900	30150	3	0	0	0	0	0	72150	72150	6
7.	गुजरात	2131810	4357410	6489220	247	1457950	1385200	2843150	120	1219950	2061800	3281750	419
8.	हरियाणा	0	383000	383000	29	0	315930	315930	35	0	156320	156320	37
9.	हिमाचल प्रदेश	0	11600	11600	2	0	32370	32370	6	0	12000	12000	5
10.	जम्मू और कश्मीर	278130	611800	889930	24	553640	1326890	1880530	31	221950	1949800	2171750	29
11.	झारखंड	0	33550	33550	14	0	144400	144400	12	0	61650	61650	14
12.	कर्नाटक	991200	1625285	2616485	108	1541060	725490	2266550	48	2950980	2768890	5719870	118
13.	केरल	401300	959225	1360525	59	594340	612700	1207040	58	512640	2061475	2574115	69
14.	मध्य प्रदेश	345060	99210	444270	20	794140	389160	1183300	26	900810	660340	1561150	42
15.	महाराष्ट्र	4191570	2591205	6782775	183	3494360	11603230	15097590	119	1578055	6132606	7710661	225
16.	मणिपुर	0	211500	211500	7	0	414600	414600	4	0	1063050	1063050	11
17.	मेघालय	0	30600	30600	6	0	35700	35700	2	0	14150	14150	3
18.	मिजोरम	1400	268400	269800	12	0	795000	795000	7	0	37400	37400	5
19.	नागालैंड	0	127300	127300	5	0	0	0	0	0	49500	49500	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	उड़ीसा	346720	130310	477030	9	574950	49500	624450	5	627050	19600	646650	17
21.	पंजाब	200	4038650	4038850	38	0	7205070	7205070	63	0	3752040	3752040	73
22.	राजस्थान	1787710	529870	2317580	22	2105060	3827818	5932878	72	1255240	4013540	5268780	85
23.	सिक्किम	0	342000	342000	4	0	1300	1300	1	0	1000	1000	2
24.	तमिलनाडु	1503710	1741560	3245270	47	1694860	8568440	8263300	49	1346670	2054310	3400980	49
25.	त्रिपुरा	0	113100	113100	10	0	95200	95200	12	0	97000	97000	16
26.	उत्तर प्रदेश	3179450	3138480	6317930	158	2369285	4351175	6720460	119	2509315	2875325	5384640	204
27.	उत्तरांचल	0	7200	7200	7	0	57500	57500	16	0	179100	179100	23
28.	पश्चिम बंगाल	3229010	695150	3924160	57	1513670	1226900	2740570	100	1372810	1760100	3132910	92
	कुल (राज्य)	24974110	28001530	52975640	1445	21514935	46608443	68123378	1137	17445150	47522626	64967776	1963
संघ शासित													
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4550	200	4750	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	771450	1600	773050	2	1245080	28350	1273430	4	1212340	0	1212340	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	9900	9900	1	0	0	0	0	0	11150	11150	4
32.	दमण और दीव	0	1800	1800	3	0	0	0	0	0	8800	8800	5
33.	दिल्ली	3526790	299950	3826740	11	4316090	1442100	5758190	31	2081290	989520	3070810	18
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	100	100	1	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	200	200	1	0	2900	2900	2	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	4302790	313650	4616440	19	5561170	1473450	7034620	38	3293630	1009470	4303100	27
	कुल (अखिल भारत)	29276900	28315180	57592080	1464	27076105	48081893	75157998	1175	20738780	48532096	69278876	1990

टिप्पणी - (आर) बैंकों, खजांची आदि द्वारा पता लगाए गए नगों की संख्या)

(एस) पुलिस द्वारा जब्त नगों की संख्या)

2002 के दौरान (बरामद और जब्त) जाली मुद्रा का विवरण।

अनुबंध-II

2003-2005 के दौरान जाली मुद्रा में संलिप्त गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	380	395	417
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	1	1
3.	असम	100	104	140
4.	बिहार	108	145	106
5.	छत्तीसगढ़	11	70	51
6.	गोवा	2	0	6
7.	गुजरात	145	94	99
8.	हरियाणा	64	51	44
9.	हिमाचल प्रदेश	3	4	8
10.	जम्मू और कश्मीर	15	38	34
11.	झारखंड	21	21	51
12.	कर्नाटक	116	127	113
13.	केरल	237	139	128
14.	मध्य प्रदेश	26	65	80
15.	महाराष्ट्र	166	198	234
16.	मणिपुर	12	7	4
17.	मेघालय	4	2	6
18.	मिजोरम	13	4	12
19.	नागालैंड	2	0	6
20.	उड़ीसा	28	21	52
21.	पंजाब	134	155	136
22.	राजस्थान	66	107	100
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	122	80	82
25.	त्रिपुरा	10	18	36
26.	उत्तर प्रदेश	258	308	354
27.	उत्तरांचल	87	20	41
28.	पश्चिम बंगाल	135	176	215
	कुल (राज्य)	2269	2350	2556
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	2	7	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमण और दीव	1	0	0
33.	संघ शासित दिल्ली	53	82	51
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	1	2	0
	कुल (संघ शासित)	57	91	51
	कुल (अखिल भारत)	2326	2441	2607

स्रोत: भारत में अपराध

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उठाया है, उसमें सरकार के जवाब के आधार पर पिछले तीन वर्षों में 40 करोड़ जाली करेंसी का विचलन देश में हो रहा है और यह भारतीय अर्थ तंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार ने जो जवाब दिया है, उसके अनुसार 24.11.06 के अतारांकित प्रश्न संख्या 598 में जवाब दिया है, जब्त जाली मुद्रा के प्रश्न पर. सरकार का उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है, जब कि 18 सितम्बर, 2006 को ही टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार अधिकांश जाली नोट क्वेटा से आ रहे हैं। 6 जनवरी, 06 को मुंबई की एक मैगजीन में सी०बी०आई० के प्रमुख ने देश में जाली मुद्रा प्रचलन एवं जांच में मैनपावर की कमी को उजागर किया है, उसके बाद भी सरकार जाली मुद्रा के संबंध में जानकारी देने में विवश है। इसका कारण यह है कि इस धंधे में देश के बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। मेरा प्रश्न नम्बर एक यह है कि वर्ष 2006 से आज की तारीख तक देश के प्रत्येक राज्य में बैंकों, पुलिस एजेंसी एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों आदि द्वारा जब्त एवं बरामद जाली मुद्रा का ब्यौरा सहित, इसमें संलिप्त व्यक्तियों तथा पड़ौसी राष्ट्रों के नाम तथा पूर्ण ब्यौरा क्या है?

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बात जानना जरूरी है कि जाली नोटों का मामला फाइनेंस मिनिस्टरी के द्वारा देखा जाता है और जब कोई पकड़ा जाता है तो स्टेट की पुलिस को कहा जाता है कि उसके खिलाफ केस करे और सी०बी०आई० की तरफ से कोई पकड़ा गया तो सी०बी०आई० को ये केसेस दाखिल करने

का अधिकार दिया। ये सारे आंकड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलेंगे। मेरे पास जो आंकड़े हैं, आपने इतने डिटेल में प्रश्न पूछे हैं, उनका जवाब मैं मौखिक रूप में यहां पर नहीं दे सकूंगा। मेरे पास जो चार्ट है, वह मैं आपको भी दे दूंगा और टेबल पर भी रखूंगा।

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, विगत तीन वर्षों के दौरान जाली मुद्रा बरामदगी एवं जब्ती अभियान में 4629 एफ०आई०आर० दर्ज हुए और 7374 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। सरकार इन व्यक्तियों के नाम उजागर करके आम आदमियों को जाली मुद्रा के संबंध में जानकारी देगी तथा दर्ज मामले में बैंक, पुलिस एवं अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारियों को दोषी करार करने हेतु एवं प्रभावी कदम उठाए हैं अथवा ऐसे कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है?

श्री शिवराज वि० पाटील : श्रीमान्, जितने लोगों के खिलाफ केसेस आए हैं, वे पब्लिक डोमेन में हैं और कोई भी उसे जान सकता है। जो केस कोर्ट में चले गए हैं, उनकी मालुमात सरकार की तरफ से प्रेषित करने का मामला नहीं है। लोगों को इसके बारे में बताने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उन्होंने न्यूज़ पेपर, मैगजींस में, टीवी पर और दूसरे तरीके से भी मालुमात कराने की उन्होंने कोशिश की है। उसमें सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि जिन लोगों के पास करेंसी नोट होते हैं या जो बनाते हैं या बनाने के बाद यदि किसी सरकारी अधिकारी ने उनकी मदद की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकारी अधिकारियों का हाथ इसमें कम है और दूसरों का ज्यादा है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, अभी कहा गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। क्या उनका ध्यान सी०बी०आई० के चीफ ... *(व्यवधान)** के उस बयान पर गया है जिन्होंने ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नाम मत लीजिए। नाम मत लीजिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा लिए गए नाम को कार्यवाही से आप निकाल दीजिए।

सी०बी०आई० के चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान से लगातार फेक करेंसी भेजी जा रही है। आक्रमण का यह भी एक तरीका है। उन्होंने जो दूसरी बात कही है वह यह है कि मुख्य जांच एजेन्सी के पास इसकी साईबर अपराध शाखा में केवल 8 जांच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास आदमियों की कमी है। इसलिए हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने अधिकारी हमें चाहिए उतने नहीं हैं। कानून भी इस बारे में सशक्त नहीं है। इसलिए कानूनों में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में फेक करेंसी नोट भेजे जा रहे हैं और उसने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड को ट्रांजिट पाइंट बनाया है। इसी तरह के और भी तरीके उसके द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान द्वारा भारत में फेक करेंसी नोट भेजकर आक्रमण किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं?

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि फेक करेंसी सिर्फ बाहर के देशों से आ रही है या बाहर के देशों में बन रही है, यदि ऐसा समझकर कदम उठाएंगे, तो हमारे कदम कमजोर पड़ेंगे। यहां पर भी फेक करेंसी बनाने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। इसलिए दोनों तरफ से कदम उठाने जरूरी हैं। यहां जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी हमें जरूरी कदम उठाने हैं। वे कदम हम स्टेट पुलिस की मदद लेकर और सी०बी०आई० की मदद लेकर उठाते हैं।

महोदय, सी०बी०आई० का काम इतना बढ़ गया है कि हर केस सी०बी०आई० को भेजने की कोशिश की जा रही है। सी०बी०आई० के पास जो अधिकारी हैं, वे बहुत कम हैं, यह बात सही है और पूरा देश उनका जुरिस्डिक्शन है। इसलिए सी०बी०आई० के ऊपर कितना मुनहस्सर होना चाहिए, यह भी देखा जाना चाहिए। इसमें स्टेट पुलिस को काम करना है।

महोदय, जहां तक दूसरे देश की फेक करेंसी का मामला है, उसकी चर्चा जब कभी भी हमारे सचिव एक दूसरे से मिलते हैं, वे करते हैं। उसके बाद यदि यह बात बहुत ज्यादा बढ़कर आती है, तो उसकी चर्चा फॉरेन मिनिस्टर के लैवल पर भी की जाती है और डिप्लोमेटिक चैनल से उसे रोकने की कोशिश की जाती है। यह बात दूसरे देशों के अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारों के ध्यान में लाई जाती है और उसके रोकने के कदम उठाए जाते हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि सी०बी०आई० में अधिकारियों की कमी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस कमी को पूरा करने के लिए वे क्या कर रहे हैं?

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, मेरी मुश्किल यह है कि न मेरे पास सी०बी०आई० है और न फाइनेंस मिनिस्ट्री है और क्वैश्चन मुझसे पूछा गया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। आपका इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं है।

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह प्रश्न फाइनेंस मिनिस्ट्री अथवा पर्सोनैल मिनिस्ट्री के पास जाना चाहिए था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उप-प्रधानमंत्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री अनवर हुसैन।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : इसके बावजूद मैंने इसका जवाब देना नकारा नहीं है और मैंने इसका जवाब दिया है। इसका उत्तर में उनसे पूछकर आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अनुपूरक प्रश्न के अनुपूरक का उत्तर न दें। श्रीमती मिनाती सेन।

श्री अनवर हुसैन : महोदय, आप मेरा नाम पहले ही पुकार चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैंने आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा था। मुझे खेद है। कई बार गड़बड़ हो जाती है। कई बातें कही जाती हैं। श्री अनवर हुसैन कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री अनवर हुसैन : महोदय, विशेष कार्य दल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 24 नवम्बर के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में टिप्पणी की है और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं।

> ''नकली नोटों को नष्ट करने के लिए तिजोरी में भेजने के बजाय निजी बैंक इन्हें वापस बाजार में धकेल रहे हैं''

यह एक गंभीर आरोप है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में यह सच है। यदि ऐसा है तो वे कौन से निजी बैंक हैं, जो ऐसा कर रहे हैं और सरकार ने उन बैंकों के विरूद्ध क्या कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वित्त मंत्री जी इसका उत्तर दे सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वह सही में सीरियस बात है और इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री जरूर कदम उठाएगी और उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, मगर वह कहां हुआ है, किस आधार पर यह कहा जा रहा है और यह बात सही है और कितनी सही है, यह देखना भी पार्लियामेंट के अन्दर जरूरी हो जाता है, वह देखकर उसके अन्दर जितना भी किया जा सकता है, वह सरकार जरूर करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह काफी गंभीर मामला है।

श्रीमती मिनाती सेन : अध्यक्ष महोदय, नकली नोटों या मुद्रा के अतिरिक्त, उत्तरी बंगाल विशेषकर जलपाईगुडी में भूटानी और नेपाली मुद्रा का परिचालन काफी हो रहा है। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यदि मुद्रा किसी अन्य देश से आ रही है और वह मुद्रा, नकली मुद्रा है, तो राज्य पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह इसके लिए उत्तरदायी लोगों का पता लगाए तथा यदि इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जानकारी में लाए तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। इसे इस ढंग से किया जाना चाहिए। परन्तु वित्त मंत्रालय ने एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने इन मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली तैयार की थी और उस कार्य-विधि का अनुसरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यह जो फेक करंसी है, वह हमारे देश में भी बन रही है और विदेश में भी बन रही है, यह जो मंत्री जी का जवाब है, यह तो वास्तव में सही है, लेकिन जो विदेशों से, मेनली जो हमारे यहां फेक करंसी आ रही है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र हमेशा होता है और उससे भी गंभीर बात यह है कि जो कई बार अखबारों में खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रैस में हमारी करंसी छापी जा रही है और ड्रग माफिया के द्वारा हमारे देश में भेजी जी रही है, जिन राज्यों का जिक्र मल्होत्रा जी ने यहां पर किया। तो क्या सरकार इस बात की जानकारी रखती है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गीते, यह काफी गंभीर आरोप है कि सरकारी प्रैस में यह हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अखबारों में ये खबरें लगातार आ रही हैं और वह ड्रग माफिया के द्वारा हमारे देश में भेजी जा रही है, यदि इसकी जानकारी सरकार को है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मुझे कोई जानकारी नहीं है तथापि यह काफी गंभीर आरोप है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जरूर गंभीर होगा। अगर सही होगा तो बहुत गंभीर है।

श्री शिवराज वि० पाटील : श्रीमन्, यहां पर सदन में जो कुछ भी कहा जाता है, उसका असर पडोसी राष्ट्र के सम्बन्धों पर नहीं होना चाहिए? इसकी एहतियात की जाती है और इसीलिए कहीं मीडिया में कोई चीज आ गई तो उसके आधार पर प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ऐसा हमारा रूल कहता है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोलिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सरकार इसके बारे में बता सकती है कि यह गलत है। आप कहिये न, यह गलत है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आपने तो बोला है, प्रश्न पूछा है। अब उनको जवाब देने दीजिए। यह तो ठीक नहीं है कि आपकी पसन्द का जवाब हो।

श्री शिवराज वि० पाटील : इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि यह मेरी मालूमात है, मैं जांच-पड़ताल करके कह रहा हूं तो उसका मैं जवाब भी दूंगा और सदन को कहूंगा कि यह बात अगर सही है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, मगर यह दूसरों के... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ठीक कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, ऐसे कई सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य आये हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, मैंने भी यह महसूस किया कि यह काफी गंभीर आरोप है कि पाकिस्तान की सरकारी प्रैस जानबूझकर नकली मुद्रा बना रही है। वह यह कह रहे हैं कि आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, यदि माननीय सदस्य इस जिम्मेदारी को लेने के लिए इच्छुक हैं, तो हम निश्चित रूप में इसे उस सरकार के साथ राजनयिक रूप से उठायेंगे, जिसके विरूद्ध आरोप लगाए गए हैं। परन्तु, यदि माननीय सदस्य इस जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, कोई सदस्य कैसे रिस्पांसिबिलिटी ले सकता है? इस सदन का कौन सदस्य रिस्पांसिबिलिटी लेगा? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : यह नियम है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। वे एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं, गीते जी आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया। मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप सुनने का धीरज रखें। कृपया उनकी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : यदि यह गलत है, तो हम स्वीकार करेंगे।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं अपेक्षा करता हूं कि माननीय सदस्य पहले मेरी बात सुनेंगे और उसके बाद खड़े होंगे।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : और फिर आपकी अनुमति से कुछ भी पूछें।

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार का किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है और सदन के सदस्य इसकी जिम्मेदारी लेकर कह रहे हैं, तो सरकार उसके अंदर जरूर देखेगी। अगर कोई सदस्य उसने कहा था या इसने कहा था, कहकर कुछ कह रहे हैं और कल यहां आकर कहें कि मुझे तो मालूम नहीं था, उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने यह उठाया था, तो ऐसा दोतरफा बात नहीं हो सकती।... *(व्यवधान)* मगर जो कुछ भी यहां पर कहा गया है, वह बहुत ही सीरियस एलीगेशन है और हमारी सरकार की ऐसी धारणा है कि ऐसी चीजें नहीं हुआ करती हैं। लेकिन अगर कहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में जिम्मेदारी लेने पर हम उसे दूसरी सरकार के साथ होने वाली बातचीत में जरूर उठाएंगे।

श्री रघुनाथ झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांच सौ रुपए की फेक करेंसी नेपाल की सीमा से बिहार में बड़े पैमाने पर आ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न पूछा गया था।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं। रिकवरी भी हुयी है। कोई कारगर कदम उठाने के लिए सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है? वहां सरकार में परिवर्तन हुआ है, वहां की सरकार से आपने बात की है या नहीं? आई०एस०आई० के एजेंट के द्वारा ही बिहार में इसका प्रवेश कराया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या ठोस कदम उठाना चाहते हैं?

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, अगर वह हिंदुस्तानी करेंसी है, तो उसके लिए भी हम कदम उठा सकते हैं। दूसरे देश की भी फेक करेंसी कोई यहां पर ला रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम कदम उठा सकते हैं।

श्री रघुनाथ झा : अपने देश में जो पांच सौ रुपया का नोट है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं ऐसा कहूं, ऐसा मत करिए।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है। आप प्रश्न पूछते हैं, मिनिस्टर को इंट्रप्ट करते हैं। आपको जवाब पसंद होना चाहिए, यह तो नहीं चलता है।

श्री शिवराज वि० पाटील : पांच सौ रुपए के करेंसी नोट में ही ज्यादा फेक नोट्स है। सौ और पांच सौ रुपए में ऐसा ज्यादा है। इसके अंदर क्या कदम उठाने चाहिए, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक खास कमेटी बैठाकर कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसकी इंक बदलनी है। उसके अंदर कुछ फीचर्स इनकारपोरेट करने हैं, जिसकी मदद से आसानी से यह मालूम किया जा सके कि नोट्स सही है या गलत है। बैंक के अंदर अल्ट्रावायलेट मशींस भी उन्होंने लगाने की बात कही है। मशींस लगाकर उन्होंने चेक करने का काम किया है। यह सारा काम या तो बैंक करती है या स्टेट पुलिस करती है या सी०बी०आई० करती है। जहां भी ऐसा नजर आएगा, उसके ऊपर जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तय किया और आदेश दिए हैं, जरूर कदम उठाए जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 284: डा० धीरेंद्र अग्रवाल — उपस्थित नहीं।
श्री ए० जीवाभाई पटेल — उपस्थित नहीं।
प्रश्न सं० 285: श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव — उपस्थित नहीं।
श्री ब्रजेश पाठक

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का आयात

\+

*285 **श्री ब्रजेश पाठक :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात में कृषि उत्पादों की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, नहीं। वाणिज्य विभाग द्वारा रखे गए आयात-निर्यात के आंकड़ों के अनुसार कुल आयातों में कृषि उत्पादों का हिस्सा वर्ष 2003-04 में 5.24% था जो 2004-05 में घटकर 4.11% तथा 2005-06 में 3.16% हो गया है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान कृषि के लिए जाना जाता रहा है। आज भी देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, उसमें बताया गया है कि कृषि का आयात घट रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। कि हिन्दुस्तान जो कृषि प्रधान देश है, कृषि के क्षेत्र में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि देश के कुल आयात में कृषि का अनुपात क्या है। उत्तर काफी स्पष्ट है। कुल आयातों के समानुपात में, कृषि का समानुपात घट रहा है। इस समय, कृषि आयात कुल आयात के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि यह कुल निर्यात का लगभग नौ प्रतिशत है। संपूर्ण व्यापार परिदृश्य में कृषि निर्यात लगभग नौ प्रतिशत और आयात लगभग तीन प्रतिशत है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, सरकारी आंकड़े कहां से लिए गए, उनका आधार क्या है, यह माननीय मंत्री जी और सरकार ही बता सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में पिछले वर्ष

बहुत गेहूं पैदा हुआ। गेहूं के सरकारी रेट इतने कम थे जिसकी वजह से किसानों ने सरकारी एजेंसी को गेहूं न बेचकर आस्ट्रेलिया की एक प्राइवेट कम्पनी को 800 रुपये से 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा। यह दुख का विषय है कि भारत सरकार खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे, क्या योजना बनाई कि उसी गेहूं को उसी कम्पनी से 1100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हिन्दुस्तान में पुन: आयात करना पड़ा! मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण थे कि जिस कम्पनी को 800 रुपये, 900 रुपये में गेहूं खरीदने की अनुमति दी गई, उसी कम्पनी से 1100 रुपये में हिन्दुस्तान में गेहूं आयात किया गया?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : गेहूं को आयात करने का निर्णय मुख्यत: गेहूं की घरेलू खरीद में कमी के कारण लिया गया था। गेहूं की खरीद में कमी पंजाब और हरियाणा में थी; परन्तु मुख्यत:, खरीद में कमी माननीय मंत्री के अपने राज्य उत्तर प्रदेश में थी। यही कारण था कि सरकार को 5½ मिलियन टन गेहूं के आयात का ऑर्डर देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें से 2.7 मिलियन टन की अधिप्राप्ति हो चुकी है। गेहूं आयात करने का निर्णय केवल इसलिए लिया गया था कि खाद्य भण्डारों को भरा जा सके ताकि अधिप्राप्ति कार्यक्रम प्रभावित न हो।

श्री के०एस० राव : इस देश के किसानों की एक बड़ी संख्या न केवल देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन करने में सक्षम है बल्कि वे कृषि उत्पादन का निर्यात भी कर सकते हैं। इनकी मुख्य समस्या इन्हें दिया जाने वाला अलाभकारी मूल्य है। हालांकि हम देश के बाहर से खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए राजसहायता देने के लिए तैयार हैं जोकि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है, यदि हम किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दें तो वे और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मैं, माननीय मंत्री जी जानना चाहूंगा कि क्या वे उन खाद्यान्नों जिनका हमारे किसान प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, आयातों पर सब्सिडी देने के बजाय उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को सुझाव देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह अन्य मंत्रालय हेतु है।

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कृषि उत्पादों का आयात तभी किया जाता है जब घरेलू उत्पादन में कमी होती है। आयात किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद खाद्य तेल है। कृषि उत्पादों के आयात का लगभग 60 प्रतिशत खाद्य तेल है। हम लगभग आठ मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन करते हैं, और हम लगभग चार मिलियन टन खाद्य तेल का आयात करते हैं। देश में तिलहनों के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद, हम बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। खाद्य तेल की बढ़ती मांग के साथ हमारा घरेलू उत्पादन उसके अनुरूप नहीं बढ़ सका है, और हमने चार मिलियन खाद्य तेल का आयात किया है।

पिछले 25 वर्षों से दालों का घरेलू उत्पादन लगभग 13 मिलियन टन पर रूका हुआ है। हम लगभग 2 मिलियन टन दालों का आयात करते हैं। हम काजू का आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में काजू का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। मैं कह सकता हूं कि अनेक मामलों में हम कच्चे माल का आयात करते हैं तथा हम मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्यात करते हैं। भारत कच्चे काजू का सबसे बड़ा आयातक है परन्तु हम संसाधित काजू के सबसे बड़े निर्यातक भी हैं।

अत: हम कृषि उत्पादों का आयात इसलिए नहीं करते कि हमें आयात करना अच्छा लगता है; बल्कि इसलिये करते हैं क्योंकि घरेलू उत्पादन में कमी आ रही है और उपभोग बढ़ रहा है।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का संबंध है, यह इतना साधारण मामला नहीं है कि केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर आप उत्पादन में वद्धि कर सकें। यह प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है; यह उस मृदा पर निर्भर है जहां इनमें से कई फसलें उगाई जाती हैं। यह तथ्य है कि लगभग 85 प्रतिशत तिलहन और दलहन वर्षा पर आधारित सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। अत: यदि लाभदायक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये जाते हैं, फिर भी इसकी संभावना नहीं है कि आपको को पर्याप्त आपूर्ति मिले, जैसा कि माननीय सदस्य समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, कि व्यापक उत्तर दिया गया है; अब शायद ही कोई अनुपूरक प्रश्न हो।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कृषि उत्पादों के आयात में लगातार कमी होने का विवरण दिया है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन सा उत्पाद है जिसे लगातार आयात करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कृषि उत्पाद लगातार आयात किया जा रहा है, उसका उत्पादन अपने देश में बढ़ाने के लिए वे कोई नया कार्यक्रम जारी करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि कृषि संबंधी वस्तुओं के आयात का लगभग 70 प्रतिशत खाद्यान्न तेल और दालों का होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार कृषि उत्पादों के आयात पर नजर रखती है। हम लगभग 240 महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के आयात पर (त्रैमासिक) आधार पर निगरानी रखते हैं। यह जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में है। हम यह

सुनिश्चित करते हैं कि जो आयात किया जा रहा है उस पर हमारे पास अद्यतन जानकारी हो और महोदय, जैसा कि मैं बता चुका हूं, जिन उत्पादों के घरेलू उत्पादन में कमी हुई है, उन्हीं कृषि उत्पादों का आयात किया जा रहा है। जब कभी घरेलू उत्पादन बढ़ता है, आयात में स्वतः ही कमी आती है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका उत्तर दे दिया है। अब, श्री रामदास आठवले।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, फ्रूट हार्टिकल्चर का उत्पादन अपने देश में बहुत अच्छा है। हमारे देश का मेव, अंगूर और अनार बहुत मीठा है। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे देशों से सेब का आयात किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हम सेब का एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाहर से उसे मंगाने की क्या आवश्यकता है? हमारे देश का सेब 50 रुपये किलो मिलता है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामदास आठवले : हम जो मेव बाहर से मंगाते हैं, वह 100 रुपये किलो मिलता है जो खाने में उतना अच्छा भी नहीं होता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाहर से ऐसी चीजों को मंगाने की क्या आवश्यकता है?

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, माननीय सदस्य ने सेब संबंधी एक विशेष प्रश्न पूछा है। मैं यहां उल्लेख कर सकता हूं कि सेबों का कुल आयात हमारे कुल उपयोग का लगभग 4 प्रतिशत है। दूसरे शब्दों में, 100 रु० मूल्य के सेबों में से, जिनका हम भारत में उपयोग करते हैं, केवल 3 रु० मूल्य के सेब मुख्यतः आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आयात किए जाते हैं। महोदय, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से इन आयातों के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश के किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। मैं आयात को उचित नहीं ठहरा रहा हूं। केवल यही कह रहा हूं कि भारत ने अपने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं और सेबों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क हैं, अभी भी सेबों का आयात हो रहा है, और यह स्थानीय किसानों के लिए हानिकारक नहीं है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : महोदय, भारतीय किसान भेदभाव के बारे में जानना चाहते हैं। भारतीय गेहूं की खरीद 6 रु० प्रति किलो की दर पर की जाती है जबकि विदेश से आयातित गेहूं के लिये 10 रु० प्रति किलो अदा किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : महोदय, उन्होंने केवल सैद्धान्तिक बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसमें प्रौद्योगिकी से संबंधित बड़ी समस्या है अथवा इसमें प्रौद्योगिकी की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल ये है कि क्या आप भुगतान के लिए तैयार हैं। यह पिछले वर्ष की घोर असफलता है कि केवल दो मिलियन टन गेहूं ही संग्रहित किए जा सके और पहले 28 मिलियन टन गेहूं थे। इस अवधि के दौरान सभी कह रहे थे कि उचित मूल्य के अभाव में भारतीय किसान गेहूं देने के लिए तैयार नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी पद्धति में सुधार करने और भारतीय किसानों को समान मूल्य और सम्मान देने को तैयार है। जो मूल्य आप विदेशियों को दे रहे हैं, कृपया वही मूल्य भारतीय किसानों को भी दें। वे यही मांग कर रहे हैं।

श्री जयराम रमेश : महोदय, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य संबंधी आयोग द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद किया जाता है। विभिन्न पद्धतियां अपनायी जाती हैं और अन्ततः न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फार्मूला निर्धारित किया जाता है। यह कहना कि भारतीय किसानों के साथ निरन्तर भेदभाव किया गया है सही नहीं है। महोदय, वास्तव में, यदि आप सभी आंकड़ों पर ध्यान दें तो देखेंगे कि पिछले दशक में व्यापार का रूझान भारतीय कृषि के पक्ष में हुआ है।

अब, यह सच है कि गेहूं आयात करने के पिछले निर्णय में एक तर्क दिया गया था कि हम भारतीय किसानों को अधिक भुगतान न करके विदेशियों को अधिक भुगतान क्यों कर रहे हैं। मामले की वास्तविकता यह है कि मैं कहूं, जब हम आयात करते हैं तो डॉलर में भुगतान करते हैं और घरेलू खरीद के लिए रुपयों में भुगतान करते हैं। हमारे पास *(व्यवधान)* महोदय, मुझे अपना उत्तर समाप्त करने दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री जयराम रमेश : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दें *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है? हमें उनका सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : मैं एक सीधी सी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अब हमारे पास विदेशी मुद्रा का अभाव नहीं हैं, लेकिन हमें आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर क्रय मूल्यों का निर्धारण करना होता है। इसके बावजूद, इस समय, गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि पहले ही घोषित कर दिया गया था रिकॉर्ड न्यूनतम समर्थन मूल्य है। अतः यह कहना कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य या खरीद मूल्य के संबंध में भेदभाव किया है, सही नहीं है *(व्यवधान)* मामले की वास्तविकता यह है कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री जयराम रमेश : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दें।

अध्यक्ष महोदय : हां, कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

[हिन्दी]

यह क्या बात है, छोड़िए न, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जयराम रमेश : महोदय, हम निरन्तर खरीद मूल्यों और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन खरीद व्यवस्था की असफलता के कारण खरीद मूल्यों में वृद्धि के बावजूद खरीद में वृद्धि नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अभी कहा।

श्री जयराम रमेश : तब, सरकार के पास गेहूं आयात के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जारी रखना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सबको संक्षेप में अपनी बात रखने का अभ्यास करना चाहिए।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय जासूसी कंपनियों पर निगरानी

*286. **श्री संतोष गंगवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय जासूसी कंपनियों के बारे में कोई विनियामक कानून न होने के कारण उन्होंने देश में अपना नेटवर्क फैला लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसी एजेंसियों की कार्यकरण प्रणाली पर निगरानी रखने हेतु कोई तंत्र है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन बहुराष्ट्रीय निजी एजेंसियों पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने हेतु एक कानून अधिनियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : (क) से (घ) इस समय सरकार, प्राइवेट जासूसी एजेंसियों से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, सरकार का देश में सभी प्राइवेट जासूसी एजेंसियों को विनियमित करने के लिए एक कानून अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।

महोदय, वर्तमान में, सरकार निजी जासूस एजेंसियों संबंधी कोई आंकड़े नहीं रखती तथापि सरकार देश में निजी जासूस एजेंसियों को नियमित करने के लिए एक कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

ठीक है, आपको और क्या पूछना है।

श्री संतोष गंगवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर बहुत संक्षिप्त है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संक्षिप्तता कभी-कभी अच्छी होती है। यह एक गुण है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : महोदय, माननीय मंत्री जी ऐसे जवाब इस सदन में पिछले डेढ़ साल में दो-तीन बार दे चुके हैं। मैं आपका ध्यान माननीय मंत्री जी के एक वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं:

> "आतंकवाद से मिल रही गंभीर चुनौती के दृष्टिगत सरकार ने शनिवार को कहा वह अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए सूचना एकत्रित करने के लिये लगभग 50 हजार निजी सुरक्षा गार्डों की सेवाएँ लेने का विचार कर रही है।"

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

पिछली बार हम बिल आए थे और हमने इस बात के लिए एक सहमति प्रदान की थी। इस वक्तव्य से ऐसा लगता है कि सरकार के पास इन्फार्मेशन एकत्र करने के लिए एक अच्छा नेटवर्क नहीं है, इसीलिए सरकार इन 50 लाख लोगों की सेवाएं लेने जा रही है। आज की इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में जब देश के अन्दर और देश के बाहर लोगों के व्यक्तिगत जीवन-चरित्र की जानकारी एकत्र करने का काम प्राइवेट एजेंसियां करती हैं और हमारे पास उनके बारे में कोई डाटा नहीं है। आज हमारे बारे में कोई भी जानकारी लेकर अखबार में छाप सकता है। इन सबकी रोकथाम के लिए सरकार पिछले डेढ़-दो साल से कह रही है कि हम बिल लाएंगे। मैंने बयान में पढ़ा था कि यह बिल विंटर सेशन में लाया जाएगा। अब विंटर सेशन को खत्म होने में चार दिन का समय शेष है। मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वे आज इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने की स्थिति में हैं या नहीं है?

श्री शिवराज वि० पाटील : श्रीमन्, यह बात पिछले 50 सालों से देश के सामने है और जब पिछले साल सदन में हम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन बिल पर चर्चा कर रहे थे, उस समय सदन में माननीय सदस्यों ने यह पूछा था कि क्या आप प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज रेगुलेशन बिल भी लाएंगे? तब मैंने यह कहा था कि हां, हम ऐसा बिल लाएंगे और उसके लिए हमने कदम उठाए हैं। हमारे मंत्रालय की तरफ से बिल तैयार किया गया है, वह बिल लॉ मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है। लॉ मिनिस्ट्री को ड्राफ्टिंग की दृष्टि से जो देखना है, वह देख रही है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री के पास कई अन्य महत्वपूर्ण बिल हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ समय मांगा है। मुझे उम्मीद है कि हम अगले सेशन में यह बिल सदन में जरूर पेश कर सकेंगे और जो कदम उठाने हैं, उठा सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार : आज देश के अंदर और देश के बाहर की एजेंसीज भी हमारे देश में जासूसी का काम कर रही हैं, यह स्पष्ट है। वर्तमान में देश के अंदर जासूसी का काम काफी हो रहा है और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से स्टिंग आपरेशन जैसा काम भी हो रहा है, जैसा कि आप भी देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम देखना नहीं चाहते।

श्री संतोष गंगवार : महोदय, क्या करें, मजबूरी है। बहुत सारी बातें हमें अखबारों के माध्यम से पता चलती हैं कि देश के अंदर और बाहर क्या हो रहा है। लोग छानबीन करके हम लोगों को प्रस्तुत करते हैं। उनकी जिम्मेदारी और उनके काम करने के तौर-तरीके पर अंकुश लगाने के लिए जब तक इस सम्बन्ध में कोई बिल नहीं आता, ये चीजें जारी रहेंगी। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, मैं नहीं समझता कि आगामी बजट सत्र में वह बिल आ जाएगा। इसकी रोकथाम और भविष्य में ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएं, इस सम्बन्ध में शीघ्र ही बिल आना चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकारी एजेंसीज भी कुछ नहीं कर रही हैं। हिन्दुस्तान, अमेरिका और रूस आदि की एजेंसीज हमारे देश में कार्यरत हैं। क्या इसका संज्ञान मंत्री जी को है और यदि है तो इसकी रोकथाम के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं और क्या तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का आपका इरादा है?

श्री हरिन पाठक : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी और सरकारी डिटेक्टिव एजेंसी में फर्क करना जरूरी है। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा निजी लोगों की मदद करने का काम किया जाता है। अगर शादी-ब्याह में दुल्हा-दुल्हन के बारे में उनके मां-बाप को जानकारी लेनी हो, तो वे इनके जरिए लेते हैं। इसके अलावा अगर दो कम्पनीज आपस में व्यवहार करना चाहती हैं तो वे एक-दूसरे का व्यवहार देखने के लिए इन एजेंसीज की मदद लेती हैं। लेकिन ये निजी गुप्तचर एजेंसीज सरकारी काम में दखलअंदाजी नहीं करती हैं। यह काम करते समय हमने कानून में प्रावधान किया है कि देश के हित में और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मालूमात आए तो वह भी सरकार के पास पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर इस प्रकार के काम की जिम्मेदारी सरकार कम होती है, तो वह प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज के पास ज्यादा होगी, जिससे सरकार को भी मदद मिल सकती है। भारत सरकार की तरफ से प्राइवेट एजेंसीज काम कर रही हैं और राज्य सरकारों की भी अपनी एजेंसीज हैं, उन्हें भी काम करना है। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहता है तो उस आदमी को वह काम देना चाहिए, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। इस दृष्टि से इस सम्बन्ध में कानून बनाया जा रहा है। आपकी भावना दुरुस्त है। उसे ध्यान में रखकर जो चीज बहुत दिनों से नहीं हुई, उसे करने का हमारा प्रस्ताव है। इसलिए संसद के आगामी सत्र में वह बिल जरूर आ पाएगा, लेकिन इसे सदन में कोई आश्वासन नहीं माना जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आगामी सत्र में जरूर आ सकेगा। अगर लॉ मिनिस्ट्री के पास और बड़े बिल न होते, तो हो सकता था इसी सत्र में वह आ जाता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उम्मीद की अभिव्यक्ति है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं यह जानकर हैरान हूं कि सरकार निजी जासूस ऐजेंसियों के कोई आंकड़े नहीं रखती। जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान कानूनों से भी निजी जासूस ऐजेंसियों जो राष्ट्र के हितों के विरूद्ध कार्य कर रही है, के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी निजी ऐजेंसियां हैं जो विदेशों को सूचना दे रही है और इसका फायदा उठा रही हैं। अखबारों में अनेक बार ऐसी खबरें

छपी हैं। लेकिन मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि आपके पास कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं है; यह खेदजनक है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मंत्री महोदय, के पास विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। इसे रोकने के लिए आपको एक कानून बनाना चाहिए। मैं बलपूर्वक यह बात कह रहा हूं कि इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वर्तमान कानून ही काफी सक्षम है। लेकिन अभी भी आप कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और आपके पास आंकड़े नहीं हैं। अब, आप एक अधिनियम जिस पर कानून मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है, ला रहे हैं। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? मुझे जवाब चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न जासूसी एजेंसियों को प्रभावित करेगा।

(व्यवधान)

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : वे एक अच्छे जासूस हैं। किसे पता? *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाएं समझ सकता हूं

अध्यक्ष महोदय : वह वकील भी हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : वह वकील हैं; और वह प्रतिष्ठित सांसद हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मैं हर दिन महसूस कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन : परन्तु प्रश्न यह नहीं है। मैं अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, जोकि आंकड़ों के बारे में है *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, राज्य सरकारों के पास एजेंसियों के बारे में कुछ सूचना है, जो इस तरह के कार्य कर रही हैं।

केन्द्र सरकार के पास भी जानकारी है। कानून के अंतर्गत क्या उपलब्ध नहीं है। कानून के अंतर्गत उनके लिए यह आवश्यक है कि पहले राज्य सरकार से लाइसेंस या स्वीकृति प्राप्त करें और फिर अपने कर्तव्य और कार्य पूरे करें। अब, उनके द्वारा यही किया जाना है। फिर, कौन इसे कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और लाइसेंस कब निरस्त किया जा सकता है – ये सभी ब्यौरे कानून में उपलब्ध हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं सविनय बताना चाहूंगा कि इस कार्य हेतु वर्तमान में कोई कानून नहीं है। इसीलिए हम इस प्रयोजन हेतु नये विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहे हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए।

श्री शिवराज वि० पाटील : जहां तक कार्यवाही करने का संबंध है, यह एक बात है। जहां तक सूची और रजिस्टर बनाने की बात है या लाइसेंस देने का संबंध है, यह एक अलग बात है। यदि कोई मानवाधिकारों या संविधान के अंगर्तत व्यक्तियों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो कार्यवाही की जा सकती है। वह एक अलग बात है। मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि क्या सरकार कानून बनाना चाहती है या नहीं। मेरा उत्तर सकारात्मक है। चूंकि आपने सुझाव दिया है हमने सुझाव स्वीकार कर लिया है। हम कानून का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में हैं और फिर विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। इसे प्रस्तुत किया जा सकता था यदि हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण विधेयक लंबित न होते। इसे इसी सत्र में भी प्रस्तुत किया जा सकता था। परन्तु अगले सत्र में हम विधेयक को प्रस्तुत करने की स्थिति में होंगे। परन्तु मैं फिर से बता रहा हूं कि इसे आश्वासन न माना जाए।

अध्यक्ष महोदय : यहां आशा व्यक्त की गई है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक जोनों में प्रोत्साहन

\+

*287. **श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित विशेष आर्थिक जोन (एस०ई०जेड०) में इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आवेदकों के साथ उनकी इकाइयों के आकार पर ध्यान दिए बिना भेदभाव रहित व्यवहार किया जाए?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) निर्दिष्ट एस०ई०जेडों० में इकाइयों की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु मानदण्ड एस०ई०जेड० नियमावली, 2006 के नियम 18 में निर्धारित किए गए हैं जिसे दिनांक 10 फरवरी, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में का०सा०नि० सं० 54 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था। उपबन्धों में से प्रमुख मानदण्ड यह है कि प्रस्ताव में सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा के अर्जन; विकासकर्ता द्वारा लिखित में पुष्टि किए गए अनुसार स्थान की उपलब्धता एवं अन्य अवस्थापना सहायता की अपेक्षा पूरी होनी चाहिए तथा यह कि आवेदनकर्ता को जहां प्रयोज्य हो, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानकों को पूरा करने का वचन-पत्र देना चाहिए। इन मानदंडों को पूरा करने वाले एस०ई०जेडों० में इकाइयों

की स्थापना करने के लिए आवेदनों पर किसी भेदभाव के बिना अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने यहां पर रूल्स 2006 के कई क्राईटेरियाज का जिक्र किया है। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि ये जो स्पेशल एस०ई०जैड०-2006 के रूल्स हैं, इनका बहुत जगह पर वायलेशन हो रहा है। ''नियमों के अनुसार: डेवलपर भूमि को एक से अधिक इकाई धारक को नहीं बेच सकता या अपने प्लाट को किसी अन्य को नहीं बेच सकता।'' लेकिन कई ऐसे एस०ई०जैड० हैं। मैं एक का उदाहरण देना चाहूंगा। सूरत एस०इं०जैड० में एक ही प्लॉट का एलॉटमेंट कई लोगों को हुआ है, शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। इसके बारे में क्या गवर्नमेंट कोई कदम उठाने जा रही है? एस०ई०जैड नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। इसके बारे में क्या गवर्नमेंट कोई कदम उठाने जा रही है? एस०ई०जैड० के बारे में आज जो आर०बी०आई० और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का नुकसान है तो उसके यूनिट होल्डर्स में एक बहुत बड़ा अप्रीहैंसन है कि लाभ हमसे छिन जाएगा। इसके बारे में सरकार क्या आश्वासन देगी?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष जी, एस०ई०जैड० एक्ट को इस सदन ने पास किया है। जहां तक सूरत का प्रश्न है तो यह एक पुराना एस०ई०जैड० है। यह तब शुरू हुआ था जब यह एक्ट पास नहीं हुआ था। एक्ट पास होने के बाद सूरत एस०ई०जैड० भी उस एक्ट के अंदर आता है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ओर शिकायत करके ध्यान आकर्षित किया है और इस बारे में आवश्यक जांच कराई जाएगी। अगर ऐसी बात है कि एक ही प्लॉट को दो बार बेचा जा रहा है, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उनकी जांच कराएंगे।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : महोदय, इस मामले पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, व्यापक चर्चा होनी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके पहले नोटिस दीजिए।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

निर्यात प्रक्रिया का सरलीकरण

***284. डा० धीरेंद्र अग्रवाल :**
श्री जीवाभाई ए० पटेल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार नीति में यथापरिकल्पित निर्यात से जुड़ी प्रक्रियाओं/औपचारिकताओं का पर्याप्त सरलीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यह एक सतत तथा अनवरत प्रक्रिया है। निर्यात संवर्धन स्कीमों को प्रयोक्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रक्रियाओं का अधिकाधिक सरलीकरण शुरू किया गया है। इस प्रयोजनार्थ सभी निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए ई०डी०आई० समर्थित एकल आवेदन पत्र शुरू किया गया है। राजस्व विभाग में सीमाशुल्क के साथ आंकड़ों का ऑन-लाइन आदान-प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (ई०एफ०टी०) के जरिए आवेदन शुल्कों का प्रेषण कुछेक अन्य कदम हैं जिन्हें निर्यात संवर्धन स्कीमों का लाभ उठाने वाले निर्यातकों के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाने हेतु पहले ही उठाया जा चुका है।

पाकिस्तान को निर्यात

***288. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :**
श्रीमती रूपाताई डी० पाटील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) के अंतर्गत पाकिस्तान को निर्यात की जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ''साफ्टा'' के अंतर्गत सहमत हुए उत्पादों का निर्यात पाकिस्तान को करने में कोई बाधाएं आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सम्बन्धी करार के अंतर्गत टैरिफ में कमी हेतु पाकिस्तान सरकार द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 2006 को एक

संशोधन के साथ अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें भारत से होने वाले आयातों को उनके उस आयात नीति संबंधी आदेश के अधीन रखा गया है जिसमें भारत से आयात योग्य मदों की एक सूची है, जिसे सकारात्मक सूची कहा गया है, निर्धारित की गई है। वाणिज्य मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार द्वारा 3.11.2006 को जारी आदेश के तहत सकारात्मक सूची, जिसमें उस समय 773 मदें शामिल थीं, की मदों को बढ़ाकर 1075 मदें कर दिया गया है। ब्यौरे वेबसाइट www.commerce.nic.in पर'' व्यापार करार/पारगमन व्यवस्था-भारत-पाकिस्तान व्यापार व्यवस्था'' शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(ख) पाकिस्तान की उक्त अधिसूचना साफ्टा की प्रतिगामी है क्योंकि साफ्टा के अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान है कि साफ्टा के टैरिफ उदारीकरण में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा संवेदनशील सूची (नकारात्मक सूची) में रखी गई मदों को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनें शामिल होंगी।

यद्यपि, साफ्टा दिनांक 1 जनवरी, 2006 से लागू हो गया है तथापि, सदस्य देशों की अलग-अलग बजट अवधियों को ध्यान में रखते हुए इस शर्त के साथ कि पहले 2 वर्ष के चरण हेतु टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम 31 सितम्बर, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा, यह निर्णय लिया गया था कि टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम 1 जुलाई, 2006 (नेपाल के लिए 1 अगस्त, 2006) से लागू होगा। सदस्य देशों ने तदनुसार अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। साफ्टा के तहत व्यापार आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं।

पाकिस्तान की अधिसूचना का प्रभाव भारत हेतु साफ्टा के तहत टैरिफ रियायतों को उक्त सकारात्मक सूची में उल्लिखित मदों तक ही समिति करना है। इस अतिरिक्त शर्त पर पाकिस्तान द्वारा न तो साफ्टा वार्ताओं के दौरान विचार-विमर्श किया गया था और न ही सार्क सचिवालय को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुसमर्थन दस्तावेजों में व्यक्त किया गया था। पाकिस्तान सरकार ने किसी आपत्ति के बिना साफ्टा का अनुसमर्थन किया था। इस प्रकार, यदि पाकिस्तान साफ्टा करार का अनुपालन उसकी भावना के अनुरूप नहीं करता है तो साफ्टा का प्रचालनात्मक अर्थ बहुत ही कम रह जाएगा।

(ग) भारत ने जुलाई, 2006 में सार्क सचिवालय, को अपनी चिंताओं के बारे में सूचित कर दिया था और इस मुद्दे के निवारण हेतु साफ्टा मंत्रिस्तरीय परिषद (एम०एन०सी०), जो साफ्टा का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, की एक बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया था।

ढाका में 2 अगस्त, 2006 को सम्पन्न 27वीं सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान भारत ने इस बात का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान द्वारा साफ्टा का कार्यान्वयन न किए जाने संबंधी चिंताओं को बड़े जोरदार ढंग से उठाया था कि ऐसा करना साफ्टा को नकारना है और उसके कार्यान्वयन को जोखिम में डालना है। लम्बी बातचीत के बाद अन्त में इस बात पर सहमति हुई थी कि करार का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से साफ्टा मंत्रिपरिषद (एस०एम०सी०) की अगली नियमित बैठक में मंत्रिपरिषद के अगले सत्र से पूर्व इस मुद्दे का समाधान करना होगा। इस मुद्दे को अब सदस्य देशों की पारस्परिक सुविधानुसार, सार्क सचिवालय द्वारा शीघ्र आयोजित की जाने वाली एस०एम०सी० की अगली बैठक में विचार-विमर्श हेतु निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***289. श्री तरित बरण तोपदार :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में किन क्षेत्रों और देशों की विदेशी निवेश के मामले में संवेदनशील होने के रूप में पहचान की गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) पर एक ऐसी उदार नीति प्रस्तुत की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों और कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के अन्तर्गत 100% तक एफ०डी०आई० की अनुमति है। क्षेत्रवार सीमाओं की समीक्षा/संशोधन करने के लिए समय-समय पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार क्षेत्र-विशेष संवेदनशीलताओं का सूत्रपात किया जाता है। एफ०डी०आई० नीति को विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तान्तरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 में समाहित किया गया है। ये विनियम उन देशों को निर्दिष्ट करते हैं जहां से निवेश की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

ईंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड

***290. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग हेतु पृथक ईंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड (आई०टी०सी०ओ०) बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसका कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारण हथकरघा उद्योग द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(घ) इसके शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय द्वारा हथकरघा उत्पादों के लिए पृथक ईंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड (आई०टी०सी०ओ०) अभी सूचित किए जाने हैं।

(ग) और (घ) हथकरघा उत्पादों के लिए पृथक ईंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड (आई०टी०सी०ओ०) आबंटित करने का मामला केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी०बी०ई०सी०), वित्त मंत्रालय जो ईटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन (आई०टी०सी०) कोडों की अधिसूचना के लिए शीर्षस्थ कार्यालय है, के समक्ष लंबित है। वस्त्र मंत्रालय ने इस मामले को सी०बी०ई०सी० के साथ जोरदार ढंग से उठाया है और अब यह मामला इस उद्देश्य के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी समिति के विचाराधीन है। वस्त्र मंत्रालय ने इस मामले पर वाणिज्य मंत्रालय से भी बात की है तथा आई०टी०सी० कोडों की शीघ्रतिशीघ्र अधिसूचना के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपर्युक्त समिति को सभी संभव सूचना प्रदान करता रहा है। हथकरघा निर्यात संवर्धन, परिषद (एच०ई०पी०सी०) जो हथकरघा सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी निकाय है, ने भी इस मामले को सी०बी०ई०सी० तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग के साथ उठाया है।

यद्यपि पृथक आई०टी०सी० (एच०एस०) कोडों से हथकरघा उत्पादों के निर्यात आंकड़ों के संग्रहण तथा निर्यात के रुख की जानकारी लेने में सहायता मिल सकती है, फिर भी पृथक आई०टी०सी० कोडों के अभाव में भी भारत सरकार देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित नीतिगत पहल करती रही है।

[अनुवाद]

लड़कियों के होस्टलों हेतु धनराशि

***291. श्री मंजुनाथ कुन्नुर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लड़कियों हेतु रहने तथा होस्टल सुविधाओं को सुदृढ़" करने की योजना के अंतर्गत लड़कियों के होस्टल चलाने के लिए सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए अनुदान की राशि जारी की जा चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पहले ही इस प्रकार के होस्टल चला रहे स्वयंसेवी संगठनों के लंबित प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान "माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने संबंधी स्कीम" के तहत जारी किया गया अनुदान इस प्रकार है :—

2003-014	—	5,91,89,000/-रु०
2004-05	—	3,72,36,000/-रु०
2005-06	—	3,89,90,000/-रु०

इस स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को सीधे अनुदान दिए जाते हैं और कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन में सामने आ रही समस्याओं के कारण वर्ष 2005-06 के लिए कोई अनुदान जारी न करने का निर्णय लिया गया था। टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई को इस स्कीम का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा गया है। इस समय इस स्कीम के तहत वर्ष 2005-06 और 2006-07 से संबंधित किसी नए आवेदन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

मसालों की खरीद

***292. श्री के० फ्रांसिस जार्ज** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मसालों के मूल्य में भारी गिरावट के कारण चालू वित्तीय वर्ष में राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से मसालों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मसालों, विशेषकर काली मिर्च, इलाइची, वनीला, हल्दी आदि की खरीद एवं विपणन हेतु अलग से एक कंपनी की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस प्रयोजनार्थ सरकार का किसी अनन्य कंपनी की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि ऐसे प्रयोजन

के लिए मसाला बोर्ड ने अपनी XIवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में इक्विटी भागीदारी की एक स्कीम का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

*293. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री अजीत जोगी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश से देश-वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या लौह अयस्क के निर्यात हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) लोहे की बढ़ती हुई कीमतों के मद्देनजर घरेलू उद्योग को लौह अयस्क की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से निर्यातित लौह-अयस्क तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के देश-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा: मिलियन टन में; मूल्य: करोड़ रु० में)

	2003-04		2004-05		2005-06 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	42.06	5535.63	59.39	11132.69	74.13	15186.31
जापान	13.10	996.10	11.13	1128.00	10.33	1506.18
द० कोरिया	2.15	146.66	2.18	397.60	1.32	158.18
ताईवान	0.88	74.55	0.61	111.25	0.14	15.88
यूरोप	2.47	157.75	2.89	527.09	2.10	350.28
अन्य	1.92	131.39	1.94	353.83	1.25	158.17
कुल	62.58	7042.08	78.14	13650.46	89.27	17375.00

स्रोत : (1) मात्रा: जी०एम०ओ०ई०ए०, के०आई०ओ०सी०एल०, एम०एम०टी०सी० तथा निजी खान मालिक

(2) मूल्य: इन वर्षों के दौरान मात्राओं एवं कीमत प्रवृत्ति तथा जी०एम०ओ०ई०ए०, के०आई०ओ०सी०एल० और एम०एम०टी०सी० द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर अनुमानित।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के लिए लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य 4681 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किया गया है।

(घ) लोहा तथा इस्पात की कीमतें नियंत्रणमुक्त हैं और ये बाजारी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है तथा सरकार की इस इस मामले में कोई भूमिका नहीं होती है। विद्यमान लौह अयस्क निर्यात नीति के तहत घरेलू प्रयोजन के लिए लौह अयस्क के विवेकपूर्ण उपयोग तथा बेशी मात्रा के निर्यात को विनियमित तथा संवर्धित किया जाता है। वर्ष 2005-06 के दौरान भारत में 155 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। 58 मिलियन टन की घरेलू मांग को पूरा करने तथा 89.27 मिलियन टन का निर्यात करने के पश्चात भारत के पास लगभग 8 मिलियन टन की बेशी मात्रा थी।

[अनुवाद]

त्वरित कार्रवाई बल

*294. श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कतिपय पुलिस अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मिशनों में भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक महिला त्वरित कार्रवाई बल (आर०ए०एफ०) को संयुक्त राष्ट्र के मिशन के अंतर्गत लाइबेरिया में भेजने का प्रस्ताव है जैसा कि 12 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा उपायों सहित इस कार्य हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सिविलियन पुलिस अधिकारी और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से लेकर गठित की गई पुलिस यूनिटें तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों (सी०पी०ओ०) की विगत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मिशनों में की गई तैनाती निम्न प्रकार है।

संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सिविलियन पुलिस अधिकारी

वर्ष	कोसोवो	जर्जिया	साइप्रस	सूडान	सिएरा लिओन	कोट डाइवरी	कुल
2004	216	—	—		05		221
2005	091	—	08	21		11	121
2006	037	01	08	27		04	77
कुल	344	01	16	48	05	14	

गठित की गईं पुलिस यूनिटें

क्रम सं०	संख्या	तैनाती की अवधि से	तक	
(1)	त्वरित कार्रवाई बल (आर०ए०एफ०)/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) के 40 कार्मिक	1.9.2003	31.8.2004	कोसोवो
(2)	आर०ए०एफ०/सी०आर०पी०एफ० के 80 कार्मिक	13.3.2004	31.3.2005	कोसोवो
(3)	आर०ए०एफ०/सी०आर०पी०एफ० के 40 कार्मिक	11.9.2004	31.8.2005	कोसोवो
(4)	आर०ए०एफ०/सी०आर०पी०एफ० के 80 कार्मिक	1.4.2005	31.8.2005	कोसोवो
(5)	भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई०टी०बी०पी०) के 125 कार्मिक	9.11.2005	आज की तारीख तक	किंशाशा (कोंगो)
(6)	सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) के 125 कार्मिक	28.11.2005	आज की तारीख तक	लुबुम्बशी (कोंगो)

(ग) से (ङ) लिबेरिया मे शांति बनाए रखने संबंधी ऑपरेशनों के संबंध में सी०आर०पी०एफ० की 125 कार्मिक वाली एक महिलाओं को लेकर गठित पुलिस यूनिट (एफ०एफ०पी०यू०) की तैनाती के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस यूनिट के चुनाव और प्रशिक्षण के लिए कड़े मानदंड अपनाए गए हैं।

आदिवासी भवनों का निर्माण

*295. **श्री किन्जरपु येरननायडु** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों द्वारा जनजातीय लोक कला, संस्कृति तथा जनजातीय कलाकृतियों का प्रदर्शन करने हेतु निर्धारित स्थानों पर आदिवासी भवनों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इन भवनों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस बारे में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) केन्द्रीय सरकार का दिल्ली में आदिवासी भवन की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) आदिवासी भवन के निर्माण के लिए भूमि के लिए अनुरोध किया गया है। निर्माण के लिए निधियां तभी उपलब्ध कराई जाएंगी जब भूमि उपलब्ध हो जाए और उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं संबंधी समिति

*296. **सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड** :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० सी०एन०आर० राव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के देश में प्रवेश के संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रो० सी०एन०आर० राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा प्रो० सी०एन०आर० राव की अध्यक्षता में गठित समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि उपयुक्त विनियामक तंत्र स्थापित करने के पश्चात ही विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है कि उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित किए जाने चाहिएं तथा पर्याप्त प्रतिभूत जमा का प्रावधान होना चाहिए तथा यदि उचित हो तो छात्रों के हित में प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करने का प्रावधान होना चाहिए। विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को लाभ अर्जित करने वाले उद्यमियों के रूप में कार्य करने तथा अधिशेष को अपनी मूल संस्थाओं को भेजने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा भारत को डब्लयू०टी०ओ० में जी०ए०टी०एस० (गेट्स) के तहत कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं करना चाहिए जिससे इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है। समिति ने विदेशी शिक्षा प्रदाताओं द्वारा विदेश में अपने अध्ययन केन्द्र स्थापित करने एवं फ्रेंचाइजिंग को बढ़ावा न देने की भी सिफारिश की है। यह भी सिफारिश की गई है कि विदेशी शिक्षा प्रदाताओं द्वारा भारत में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रम के समान करनी चाहिएं।

(ग) समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वैधानिक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

अनाथ बच्चों की देखभाल

*297. **श्री रनेन बर्मन :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न कारणों से अनाथ हुए बच्चों के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौराक क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बच्चे मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, आश्रय और स्वास्थ्य से वंचित न रहें सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे बच्चे शिक्षा, आश्रय और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

(i) **किशोर अपराध न्याय कार्यक्रम :** किशोर अपराध न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत गृहों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए तथा इसके साथ-साथ उनमें रहने वाले बच्चों के रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकता के 50% की पूर्ति के लिए।

(ii) **देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों को सहायता की स्कीम :** छः वर्ष तक की आयु के परित्यक्त अथवा अनाथ/बेघर बच्चों को संस्थागत देखभाल और संरक्षण प्रदान करने तथा देश के भीतर उनके दत्तक ग्रहण के माध्यम से उनका पुनर्वास करने के लिए।

(iii) **निराश्रित बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम :** बेघर बच्चों तथा पारिवारिक देखभाल से वंचित बच्चों के लिए गैर सरकारी संगठनों को ऐसी परियोजनाएं चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को आश्रय, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल तथा मनोरंजन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

(iv) **देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम :** इस स्कीम के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को परियोजनाएं चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे कामकाजी बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, जिन्होंने या तो किसी शिक्षण प्रणाली में प्रवेश नहीं लिया होता या जिनकी पढ़ाई किन्हीं कारणों से बीच में ही छूट जाती है, ताकि शिक्षा की मुख्यधारा में उन्हें शामिल किया जा सके, जिससे कि उनका शोषण न हो।

[हिन्दी]

सीमेंट का निर्यात

*298. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे :**
श्री अशोक अर्गल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई सीमेंट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सीमेंट निर्यात का घरेलू बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित सीमेंट के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	सीमेंट (खंगरों सहित)
2003-04	9.00
2004-05	10.06
2005-06	9.19

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय का आयात

***299. श्रीमती किरण माहेश्वरी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई चाय का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चाय के अपर्याप्त उत्पादन के कारण चाय की घरेलू मांग की पूर्ति नहीं हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चाय का आयात करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो घरेलू मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित चाय का देश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(मात्रा: मिलियन कि०ग्रा० में/मूल्य: करोड़ रु० में)

देश	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (अप्रैल-अगस्त)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
यूनाइटेड किंग्डम	20.75	177.12	19.88	184.91	20.81	177.14	5.00	57.08
जर्मनी	5.13	107.32	5.06	112.65	4.27	82.50	1.79	39.61
रूसी परिसंघ	42.76	274.10	36.87	272.44	33.10	241.09	13.34	91.80
कजाकिस्तान	13.07	120.96	13.63	143.31	7.34	74.74	1.50	14.67
पोलैंड	5.71	33.01	4.71	34.64	3.92	30.75	1.40	13.36
यूएसए	8.45	110.76	7.93	115.98	8.96	131.30	2.71	45.36
ईरान	1.63	10.23	6.78	81.26	5.27	52.98	1.23	11.58
यूएई	25.70	280.84	24.28	271.42	26.03	263.28	5.61	60.32
इराक	14.27	87.41	38.38	204.45	28.69	148.57	19.74	101.15
पाकिस्तान	6.54	28.95	4.68	22.61	10.57	43.24	7.66	51.76
ऑस्ट्रेलिया	4.49	70.69	4.90	83.31	4.74	81.40	2.11	40.74
अन्य	34.57	335.60	38.71	397.73	27.36	304.61	13.46	151.72
कुल	183.07	1636.99	205.81	1924.71	181.06	1631.60	75.55	679.15

(स्रोत: चाय बोर्ड)

(ख) और (ग) जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है, चाय का उत्पादन घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। अत: घरेलू मांग की पूर्ति हेतु चाय के आयात का प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष	उत्पादन (मिलि० कि०ग्रा०)	खपत (मिलि० कि०ग्रा०)
2003	878.13	714.00
2004	892.96	735.00
2005	927.98	790.00

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा व्यापार केन्द्र

*300. डा० चिन्ता मोहन :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी पूंजी निवेश धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश का बड़ा भाग आवश्यक वस्तुओं पर होने की बजाए विलासिता वस्तुओं में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कौन-कौन से ब्रांड हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दी गई है। तथा देश में जिन्होंने खुदरा व्यापार केन्द्र स्थापित भी कर लिए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) अन्तर्वाह ने वर्ष 2004-05 में 45 प्रतिशत तथा 2005-06 में 72 प्रतिशत विकास दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष में सितम्बर, 2006 तक एफ०डी०आई० इक्विटी अन्तर्वाह में पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त किये गये अन्तर्वाह की तुलना में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) उत्पादन तथा विपणन में निवेश को आकर्षित करने, उपभोक्ताओं के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने, भारत से अधिक मात्रा में वस्तुओं को प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने तथा वैश्विक डिजाइन, प्रौद्योगिकियों तथा प्रबंधन पद्धतियों तक पहुंच के जरिये भारतीय उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 10.2.2006 के प्रेस नोट 3 (2006 श्रृंखला) द्वारा इसमें निहित शर्तों के अध्यधीन 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 51 प्रतिशत तक एफ०डी०आई० की अनुमति दी है। ये सामान्यत: हाई एंड उत्पाद हैं जिनकी सीमित मांग है, जिनमें अधिक निवेश अपेक्षित है और जो ग्राहक वर्ग के एक विशिष्ट वर्ग (सेट) को लक्षित करते हैं।

सरकार ने मार्च-नवम्बर, 2006 के दौरान सिंगल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार में एफ०डी०आई० के लिए 7 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। इन प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

खुदरा व्यापार अनुमोदन

क्र० सं०	कंपनी का नाम	उत्पाद	ब्रांड	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5
1.	मै० एस०एस०आई०पी०एल० रिटेल प्रा०लि० पूर्ववर्ती मै० मोजा शूज प्रा०लि०	सभी किस्म के फुटवियर, स्पोर्टसवियर, बूट्स, स्लीपर्स, सैंडल एथलेटिक शूज तथा एपरल्स	नाइक ब्रांड	31 मई, 2006
2.	मै० एल०वी० ट्रेडिंग इंडिया	डेयरी रिफल्स पेपर सहित एल०वी०एम० उत्पाद, 2. पेन तथा पेन की रिफिलें, 3. जूते, 4. ट्रंक, ट्रेवल बैक/पर्स, 5. अन्य चमड़े की वस्तुएं, 6. सनग्लास, 7. घड़ियां, 8. प्लास्टिक की अन्य वस्तुएं, 9. नकली आभूषण, 10. टाई, 11. वस्त्र (मफलर तथा शॉल), 12. छाता, 13. रेडी टू वियर	लूइस वुइट्टन	29 अगस्त, 2006
3.	मै० लाड्रो कोमर्सियल एस०ए०	"लाड्रो" नामक ब्रांड के तहत पोर्सिलियन फिगराइन्स के विपणन	लाड्रो	19 अक्तूबर, 2006

1	2	3	4	5
		के लिए खुदरा व्यापार की दुकानों (बुटिक) का नेटवर्क स्थापित करना।		
4.	मै० फन फैशन इंडिया प्रा०लि०	शूज, वियरिंग एपरल, ट्रंक/ट्रेवल बैग/पर्स, सनग्लास, घड़ियां, नकली आभूषण, वस्त्र सहित फेन्डी उत्पाद	फेन्डी	6 अक्तूबर, 2006
5.	मै० डामरो फर्नीचर प्रा०लि०	नाक डाउन फर्नीचर	डामरो	19 अक्तूबर, 2005
6.	मै० रिनो ग्रेगियो अर्जेन्टीरी, एस०पी०ए०	सिल्वरवेयर, कटलरी, घर की परम्परागत आवश्यक वस्तुएं, घर की आधुनिक आवश्यक वस्तुएं तथा उपहार की वस्तुएं	अर्जेन्टीरी ग्रेगियो	19 अक्तूबर, 2006
7.	मै० मितसुई आटोमोटिव इन्वेस्टमेंट बी०वी०	टोयटा मेक कारों का खुदरा व्यापार	टोयटा	6 नवम्बर, 2006

[अनुवाद]

काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठन

***301. श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास के कार्यों से संबद्ध कुछ गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान (2003-04 से 2005-06) काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। किसी गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डालने का कार्य ऐसे मामलों में किया जाता है जहां यह पाया जाता है कि गैर-सरकारी संगठन या तो अस्तित्व में नहीं है अथवा प्रदत्त पते से कार्य नहीं कर रहा है, या परीक्षित लेखे/उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं या जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के नाम से जाली जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हों, या जहां योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार परियोजनाओं हेतु अनुदान का उपयोग न किया गया हो और इस प्रकार की अन्य प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितताएं की हों।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का सत्यापन संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। जहां आवश्यक समझा जाता है, गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से राजस्व वसूली अधिनियम/आपराधिक कार्यविधि संहिता के संगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठन भविष्य में सरकार से अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगे। योजनाओं में यदि कोई कमियां हों तो उन्हें दूर करने की दृष्टि से सरकार मौजूदा योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करती है तथा उन्हें परिशोधित करती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2003-04 से 2005-06 के दौरान काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र०सं०	योजना का नाम	गैर-सरकारी संगठन/संगठन का नाम
1	2	3
1.	सर्व शिक्षा अभियान	फ्रैंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी, कोलकाता
2.	+2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना	श्रीमती राजलक्ष्मी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, 337-विवेकानंद कालोनी, शेरपुर, मध्य प्रदेश
3.	-वही-	सोसायटी फॉर टेक्नीकल एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग, 6, मालवीय नगर, भोपाल (एम०पी०)

1	2	3
4.	-2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना	प्रगति महिला मंडल, सी-7, गांधी नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
5.	-वही-	प्रसाद एकता समिति, एस-1309, न्यू दर्पण कालोनी, मध्य प्रदेश
6.	-वही-	ईत्सुतेहुखा कालोनी मल्टीपरपज वेलफेयर सोसायटी लिमिटेड, वोखा टाउन, नागालैंड
7.	-वही-	वूमेन होम प्रोडक्शन सोसायटी, वोखा टाउन, वोखा, नागालैंड
8.	-वही-	मेन्छू क्लब, पी०ओ० वोखा टाउन, नागालैंड
9.	-वही-	वाल्मीकी डेवलपमेंट सोसायटी ऑफ इंडिया, 159/एफ, एस०के०, पुरी, बिहार
10.	-वही-	चंकन वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर (नागालैंड)
11.	-वही-	सुनदेनला वूमेन सोसायटी, मेरांगिमसेन खेल, छुधुयिमिआंग गाँव, जिला मोकोकचुंग, नागालैंड
12.	-वही-	यानचानु वूमेन सोसायटी, दीमापुर (नागालैंड)
13.	-वही-	एवरग्रीन वूमेन वेलफेयर सोसायटी, दीमापुर (नागालैंड)
14.	-वही-	ट्रांगडिक्स टेका सोसायटी, थूनेहरो, साम गांव, जिला त्वेंगसांग, नागालैंड
15.	-वही-	ग्राम भारती संस्थान, एम० 54, दर्पण कालोनी, थाटीपुर (मुनेर), ग्वालियर, मध्य प्रदेश
16.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना	अनुपम, नवादा जिला, बिहार
17.	-वही-	अनुराग सेवा संस्थान, वैशाली, बिहार
18.	-वही-	उत्तरी बिहार विकास परिषद, शीवहर, बिहार
19.	-वही-	सेवाश्रम, बनीयाधी, जिला गिरीडीह, झारखंड
20.	-वही-	हेल्प विहार, झारखंड
21.	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली	संसदीय हिंदी परिषद, नई दिल्ली
22.	-वही-	डा० उषा बाला नई, दिल्ली
23.	-वही-	द जन मण्डल फाउण्डेशन, बारामती, महाराष्ट्र
24	-वही-	जे० एंड के० राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)
25	-वही-	थाम्पासेवा हिंदी विद्यालय, मणिपुर
26	-वही-	राष्ट्रभाषा महाविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर
27.	-वही-	अवांगखुनठ सहकारी राष्ट्रभाषा हिंदी महाविद्यालय, मणिपुर
28.	-वही-	हिंन्दी परिषद अकादमी इंजीनियरिंग, रांची, झारखंड

1	2	3
29.	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली	ट असम साहित्य सभा, जोरहाट, असम
30.	-वही-	असम साहित्य सभा, जोरहाट, असम
31.	-वही-	असम साहित्य सभा, गुवाहाटी, असम
32.	-वही-	उर्वशी राष्ट्रभाषा, गुवाहाटी, असम
33.	-वही-	उर्वशी राष्ट्रभाषा प्रचार विद्यालय, असम
34.	-वही-	हिंदी शिक्षा संघ, बंगलौर
35.	-वही-	हिंदी शिक्षण संघ, बंगलौर
36.	-वही-	भारतीय हिन्दी विद्यालय, मैसूर
37.	-वही-	भारती हिंदी विद्यालय, मैसूर
38.	-वही-	इंडियन फोकलोर सोसायटी, कलकत्ता
39.	-वही-	अमर प्रगति चराउर समजुनय, पश्चिम बंगाल
40.	-वही-	राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण परिषद्, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
41.	-वही-	हिन्दी विकास समिति, मद्रास
42.	-वही-	केरल हिंदी साहित्य मंडल, कोचीन
43.	-वही-	डॉ० टी०पी० मीनाक्षी सुन्दरम प्रेसिडेंट सोसायटी, केरल
44.	-वही-	प्रांतीय समाज कल्याण, किमिन, नागालैंड
45.	-वही-	प्रेसिडेंट रनज्योंग हुतांचर रिंगा, गंगटोक, सिक्किम

[हिन्दी]

हथियार लाइसेंसों की वैधता से संबंधित क्षेत्र का विस्तार

2746. श्री रशीद मसूद :
श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन हथियार लाइसेंसों की संख्या कितनी है जो अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए हैं तथा पूरे देश में वैध है;

(ख) क्या दिल्ली में प्रोपर्टी डीलरों, साहूकारों तथा अन्य लोगों को जारी किए गए हथियार लाइसेंसों का दुरूपयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) उन हथियारा लाइसेंसों की संख्या कितनी है जो जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गए हैं तथा दिल्ली में पंजीकृत हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में जारी किये गये लाइसेंसों का वैधता क्षेत्र विस्तारित करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली से बाहर जारी किये गए हथियार लाइसेंसों की वैधता केवल दिल्ली तक ही सीमित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) उन हथियार लाइसेंसों की संख्या कितनी है जिनकी वैधता लाइसेंस प्रदाता डी०सी०पी० द्वारा अनुशंसित करने के बावजूद भी नहीं बढ़ाई गई है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए 8232 शस्त्रों के लाइसेंस दिल्ली में दर्ज किए गए हैं और ये पूरे भारत में वैध हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रोपर्टी

डीलरों, साहूकारों इत्यादि को जारी किए गए शस्त्र के लाइसेंसों के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है क्योंकि इन्हें आवेदक की जरूरत के अनुसार जारी किया जाता है चाहे उनका व्यवसाय कुछ भी क्यों न हो। दिल्ली पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए दिल्ली में शस्त्रों के लाइसेंसों के दुरूपयोग के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या
2003	17
2004	21
2005	24
2006 (30 नवम्बर तक)	22

शस्त्र लाइसेंसों के दुरूपयोग के मामलों में की गई कार्रवाई में ऐसे लाइसेंस धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनके लाइसेंसों को निलंबित/रद्द करना शामिल हैं।

(घ) जम्मू और कश्मीर के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए 195 शस्त्रों के लाइसेंस दिल्ली में पंजीकृत किए गए हैं

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2003 से 2006 की अवधि (24 नवंबर तक) के दौरान, गैर-निषिद्ध बोर शस्त्र लाइसेंसों के संबंध में क्षेत्र की वैधता को विस्तारित करने के लिए पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) द्वारा संस्तुत 3747 आवेदनों में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 1555 आवेदन अनुमोदित किए गए और 1818 आवेदन रद्द किए गए। पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) द्वारा संस्तुत 374 आवेदनों के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा उनकी अंतिम संवीक्षा पर निर्भर करता है।

(झ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पुलिस उपायुक्त/लाइसेंसिंग से संस्तुतियां प्राप्त होने पर, गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई नीति/दिशानिर्देशों के आधार पर मामलों की संवीक्षा की जाती हैं और उसकी संस्तुति/उन्हें रद्द किया जाता है।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी

2747. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन के शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी वाहन भत्ते तथा अन्य लाभों के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों को इन सुविधाओं से वंचित रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो विकलांग कर्मचारियों को उनके अधिकार कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के दिनांक 3.10.1997 के आदेश के अनुसार ऐसे विकलांग कर्मचारी जो कार्यस्थल के परिसर में अथवा कार्यस्थल से 1 कि०मी० के भीतर नहीं रह रहे हैं वे सामान्य व्यक्तियों हेतु निर्धारित दर से दोगुना परिवहन भत्ता पाने के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अस्पतालों के लिए अनुदान

2748. **श्री हंसराज ग० अहीर :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के लिए दस बिस्तर वाले अस्पतालों तथा सचल अस्पतालों की योजना हेतु अनुदान संवितरण में अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु निर्धारित अनुदान धनराशि का गबन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने हेतु कोई कार्रवाई किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या जनजातीय क्षेत्रों में यह अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के वास्तविक खर्च की निगरानी करने हेतु कोई निगरानी एजेंसी तैनात की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) और (ख) दस बिस्तरों वाले अस्पतालों तथा सचल अस्पतालों से संबंधित परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के अंतर्गत निर्मुक्त राशि के संबंध में इस प्रकार की अनियमितता

तथा गबन का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 से राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन की परियोजनाओं की जांच, पहचान तथा संस्तुतियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया अपनाई है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्यों को विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक बहु-उद्देश्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित करनी होती है तथा गैर-सरकारी संगठन के प्रत्येक प्रस्ताव की संवीक्षा करनी होती है, तत्पश्चात संबंधित जिला समाहर्ताओं/प्राधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के आधार पर तथा सेवा के अभाव वाले जनजातीय क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता के आधार पर भी प्राथमिकता के क्रम से संस्तुति करने की आवश्यकता होती है। गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त निधियों का उपयोगिता प्रमाणपत्र आगे और नई निधियों की स्वीकृति से पहले प्रस्तुत करना होता है।

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्र में जल निकास तथा मल निकास प्रणाली

2749. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संघ राज्य क्षेत्र दमण एंव दीव में जल निकास तथा मल निकास प्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या ऐसी धनराशि को संघ राज्य क्षेत्र दमण एवं दीव द्वारा उपयोग में लाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) ऐसी सरकारी धनराशि के उचित उपयोग की जांच करने हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) यद्यपि 868.47 लाख रुपए की परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति शहरी विकास मंत्रालय से 24.11.2006 को प्राप्त हो गई है, तथापि योजना आयोग द्वारा अपेक्षित धन का आवंटन मंत्रालय से परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर किया जाएगा।

(च) सरकार योजना आयोग द्वारा संघ शासित प्रशासनों को आबंटित योजना राशि के उपयोग पर आवधिक निगरानी रखती है।

जड़ी-बूटी निर्यात प्रसंस्करण जोन

2750. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों विशेषकर तमिलनाडु में जड़ी-बूटी निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे जोन स्थापित करने हेतु किन स्थलों की पहचान की गई है; और

(ग) ये जोन कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, हमें इस मंत्रालय के अधीन चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि उनके पास तूतीकोरिन, तमिलनाडु में सनाय तथा अन्य औषधीय जड़ी-बूटी हेतु पार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का उद्देश्य जड़ी-बूटी तथा औषधीय उत्पादों की कृषि, पूर्व प्रसंस्करण, मध्यवर्ती उत्पाद प्रसंस्करण, विनिर्माण तथा निर्यात के संवर्धन के लिए आधुनिकतम जड़ी-बूटी पार्क उपलब्ध कराना है। तमिलनाडु में इस परियोजना की स्थापना के लिए अभिज्ञात किए गए जिले है:-

- तुतुकुडी
- तिरूनेलवेली
- विरूधुनगर
- मदुरै
- रामनाथपुरम

[हिन्दी]

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान

2751. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यशील भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य कार्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में जहां पर हथकरघा वस्तुओं का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है, एक

नया भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० ईलैंगोवन) : (क) और (ख) इस समय, हथकरघा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक रूप से तकनीकी अर्हता-प्राप्त जनशक्ति मुहैया कराने के उद्देश्य से वाराणसी, सेलम, गुवाहाटी और जोधपुर में 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय क्षेत्र में तथा श्री प्रगदा कोटैया मैमोरियल इंडियन इन्स्टीच्यूट ऑफ हैण्डलूम टेक्नोलोजी, वेंकटागिरी, कर्नाटक हैण्डलूम टेक्नोलोजी इन्स्टीच्यूट, गडग, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जंजगीर, चम्पा नामक 3 संस्थान राज्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। सरकार का केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत बाड़ागढ़ (उड़ीसा) में नया भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जंजगीर, चम्पा, छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई, 2006 से भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

[अनुवाद]

मसालों का उत्पादन

2752. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के प्रत्येक मसाले का उत्पादन हुआ;

(ख) देश में राज्यवार स्थानीय स्तर पर कितनी मात्रा में मसाले का उपयोग हुआ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन मसालों में से प्रत्येक मसाले की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान देश में कुल 40.38 लाख टन मसालों का उत्पादन किया गया जिनका मूल्य 18994.31 करोड़ रु० था। पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमुख मसालों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) देश में खपत की गई प्रमुख मसालों की अनुमानित मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित मसालों की कुल मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा का मसाले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

काली मिर्च का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
कर्नाटक	2320	2049	2360	1749	2360	1630
केरल	67360	59492	69020	51151	74980	51796
तमिलनाडु	870	768	930	689	910	629
अंडमान	110	97	120	89	120	83
कुल	70660	62407	72430	53678	78370	54138
व्यापार अनुमान	65.00		62.00		70.00	

इलायची (छोटी) का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
केरल	8680	48717	8875	32041	8616	25695
कर्नाटक	2310	12965	1740	6282	1879	5604
तमिलनाडु	930	5220	965	3484	920	2744
कुल	11920	66902	11580	41807	11415	34043

मिर्च का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	408810	130737	797000	311946	748510	214897
अंडमान निकोबार	440	141	680	266	970	278
अरूणाचल प्रदेश	2340	748	2430	951	2640	758
असम	9780	3128	9690	3793	9160	2630
बिहार	3700	1183	1960	767	2250	646
छत्तीसगढ़	1540	492	4250	1663	3600	1034
गुजरात	10470	3348	24570	9617	26520	7614
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	220	86	200	57
जम्मू एवं कश्मीर	960	307	1000	391	1060	304
कर्नाटक	153440	49070	94500	36987	94500	27131
केरल	790	253	680	266	780	224
मध्य प्रदेश	31630	10115	38370	15018	42920	12322
महाराष्ट्र	52400	16758	44100	17261	48100	13810
मणिपुर	6080	1944	6160	2411	6160	1769
मेघालय	1200	384	1170	458	1340	385
मिजोरम	1300	416	2310	904	1190	342
नागालैण्ड	7290	2331	7290	2853	7290	2093
उड़ीसा	62910	20119	63180	24729	59380	17048

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	14310	4576	1462C	5722	15410	4424
राजस्थान	13630	4359	29680	11617	31130	8937
तमिलनाडु	40650	13000	40070	15683	44630	12813
त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5560	2176	5560	1596
उत्तर प्रदेश	10790	3451	12850	5029	13630	3913
उत्तरांचल	4060	1298	5270	2063	5230	1502
पश्चिम बंगाल	62170	19882	66250	25930	61440	17639
कुल	900690	288041	1273860	498589	1233600	354167

इलायची (बड़ी) का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
सिक्किम	4650	6573	5401	6209	4980	4576
पश्चिम बंगाल	650	919	753	866	793	729
कुल	5300	7492	6154	7075	5773	5304

अदरक का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	3310	1354	5340	3661	10910	14222
अंडमान निकोबार	1280	524	1630	1118	1830	2386
अरूणाचल प्रदेश	32330	13223	37180	25491	32880	42862
असम	115230	47129	115550	79221	123990	161633
बिहार	730	299	570	391	560	730
छत्तीसगढ़	1100	450	1350	926	1320	1721
गुजरात	19410	7939	22940	15728	26920	35093
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	14660	10051	14570	18993
जम्मू एवं कश्मीर	50	20	40	27	30	39

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	14380	5881	10850	7439	10850	14144
केरल	32410	13256	32970	22604	45010	58675
मध्य प्रदेश	5330	2180	6280	4306	5930	7730
महाराष्ट्र	1250	511	570	391	1240	1616
मणिपुर	2100	859	2100	1440	2100	2738
मेघालय	45650	18671	49220	33745	47140	61452
मिजोरम	31140	12736	29580	20280	38070	49628
नागालैण्ड	13330	5452	13330	9139	12730	16595
उड़ीसा	29490	12061	30020	20582	29790	38834
राजस्थान	640	262	580	398	170	222
सिक्किम	23610	9656	33530	22988	34710	45248
तमिलनाडु	6670	2728	5600	3839	11080	14444
त्रिपुरा	5450	2229	5450	3737	5450	7105
उत्तर प्रदेश	1580	646	2370	1625	2370	3090
उत्तरांचल	16020	6552	17080	11710	17080	22265
पश्चिम बंगाल	20210	8266	18270	12526	22070	28770
कुल	422700	172884	457060	313360	498800	650236

हल्दी का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	283540	118832	320680	154632	417820	220525
अंडमान निकोबार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	670	354
अरूणाचल प्रदेश	1950	817	1530	738	1790	945
असम	8320	3487	8420	4060	8400	4434
बिहार	2870	1203	2880	1389	2790	1473
छत्तीसगढ़	520	218	620	299	640	338
गुजरात	14690	6157	11180	5391	14120	7453

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	130	63	1140	602
जम्मू एवं कश्मीर	20	8	ऋणात्मक	0	ऋणात्मक	0
कर्नाटक	28600	11986	26380	12720	26380	13929
केरल	6940	2909	5650	2724	6240	3293
मध्य प्रदेश	540	226	680	328	640	338
महाराष्ट्र	8220	3445	8530	4113	8540	4507
मणिपुर	230	96	230	111	230	121
मेघालय	8680	3638	8660	4176	9440	4982
मिजोरम	2790	1169	2260	1090	1650	871
नागालैण्ड	3050	1278	3050	1471	650	343
उड़ीसा	55970	23457	56420	27206	55980	29546
राजस्थान	210	88	370	178	200	106
सिक्किम	1300	545	1700	820	1740	918
तमिलनाडु	64540	27049	67250	32428	118450	62518
त्रिपुरा	6600	2766	6600	3183	6600	3483
उत्तर प्रदेश	2030	851	2140	1032	2140	1129
उत्तरांचल	3470	1454	7390	3563	7390	3900
पश्चिम बंगाल	21350	8948	24500	11814	24480	12921
कुल	526430	220627	567250	273528	718120	379024

धनिया का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	13720	3559	16000	4461	9310	1773
असम	16600	4306	16610	4631	18970	3612
बिहार	1570	407	1550	432	1360	259
छत्तीसगढ़	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1160	323	1010	192
कर्नाटक	1110	288	1190	332	1190	227
मध्य प्रदेश	12660	3284	46970	13095	52580	10011

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	130	36	680	129
गुजरात	1820	472	5710	1592	10630	2024
उड़ीसा	8950	2322	9000	2509	8550	1628
राजस्थान	122710	31831	286380	79843	169830	32336
तमिलनाडु	4710	1222	8050	2244	8390	1597
उत्तर प्रदेश	3090	802	3240	903	2730	520
उत्तरांचल	2010	521	1390	388	1390	265
कुल	188950	49014	397380	110790	286620	54572

जीरा का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
राजस्थान	70478	57397	120981	80210	69093	47197
गुजरात	64275	52346	81999	54365	106975	73075
कुल	134753	109743	202980	134576	176068	120272

अजमोद का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
राजस्थान	2053	1052	4589	2295	4224	1933
गुजरात	25099	12861	46799	23409	46450	21256
उत्तर प्रदेश	450	231	364	182	442	202
कुल	27602	14143	51752	25886	51116	23391

मेथी का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	56175	9488	71826	12347	54559	8549

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	7494	1266	6695	1151	7014	1099
उत्तर प्रदेश	156	26	143	25	206	32
उत्तरांचल	396	67	1019	175	1019	160
कुल	64221	10847	79683	13698	62798	9840

लहसुन का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
असम	21970	7716	22000	3703	22180	4392
बिहार	3240	1138	3580	603	3730	739
छत्तीसगढ़	2250	790	2580	434	2310	457
गुजरात	46390	16292	151370	25476	144360	28583
हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2830	476	4750	941
जम्मू एवं कश्मीर	340	119	360	61	410	81
कर्नाटक	3980	1398	2900	488	2900	574
केरल	10470	3677	10850	1826	5200	1030
मध्य प्रदेश	76590	26898	137880	23205	178520	35347
महाराष्ट्र	44100	15488	45600	7674	37500	7425
नागालैण्ड	550	193	550	93	550	109
मिजोरम	80	28	50	8	50	10
उड़ीसा	33830	11881	34320	5776	31010	6140
पंजाब	14980	5261	15220	2562	15810	3130
राजस्थान	75300	26445	122900	20684	89650	17751
तमिलनाडु	3380	1187	3410	574	2630	521
उत्तर प्रदेश	113930	40012	139530	23483	140080	27736
उत्तरांचल	7470	2623	7590	1277	7590	1503
कुल	458850	161148	703520	118402	689230	136468

लौंग का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
केरल	53	220	49	104	53	132
तमिलनाडु	1116	4624	1557	3298	1121	2792
कर्नाटक	194	804	194	411	194	483
अंडमान एवं निकोबार	5.60	23	8.50	18	11.63	29
कुल	1369	5670	1809	3831	1380	3436

जायफल का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
अंडमान एवं निकोबार	2	2	3.37	3	4.55	5
केरल	2086	2285	3427	2450	2427	2588
कर्नाटक	120	132	120	121	120	128
कुल	2208	2419	2550	2575	2552	2720

दालचीनी का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
केरल	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	0	उपलब्ध नहीं	0
अंडमान एवं निकोबार	8	5	11	6	14	7
कर्नाटक	69	42	69	38	69	35
कुल	77	47	80	44	83	42

इमली का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	5	6
केरल	29514	5053	29406	5099	29945	982
तमिलनाडु	68801	11779	65876	11423	67136	22027

1	2	3	4	5	5	6
कर्नाटक	67253	11514	67256	11662	67256	22067
आंध्र प्रदेश	13405	2295	13405	2324	22721	7454.8
कुल	178973	30640	175943	30509	187058	61374

सोआ का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
गुजरात	4489	1226	6807	1892	8567	2180
राजस्थान	1841	503	1841	512	1841	469
कुल	6330	1729	8648	2404	10408	2649

अजवायन का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
राजस्थान	1253	550	9649	4779	5784	2992
गुजरात	376	165	556	275	3744	1937
कुल	1629	715	10205	5055	9528	4929

केसर का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
जम्मू एवं कश्मीर	6.53	3085	5.15	2138	4.83	1539
कुल	6.53	3085	5.15	2138	4.83	1539

सेलरी का राज्य-वार उत्पादन एवं अनुमानित मूल्य

(उत्पादन मी० टन में, मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2002-03		2003-04		2004-05(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
पंजाब	3000	796	3000	801	4577	1287
कुल	3000	796	3000	801	4577	1287

टिप्पणी: मूल्य का अनुमान संबंधित मसालों की औसत घरेलू कीमत पर आधारित है।

स्रोत: इलायची: मसाला बोर्ड का अनुमान

अन्य मसाले: राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी/कृषि/बागवानी विभाग

विवरण-II

भारत में मसालों का उत्पादन एवं खपत

(मात्रा टन में)

राज्य	2002-03				2003-04				2004-05(अ०)			
	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
काली मिर्च(+)	65000	15392	21609	58783	62000	14334	16835	59699	70000	17725	14150	73575
इलायची (छोटी)	11920	323	682	11561	11580	60	757	10883	11415	352	650	11117
इलायची (बड़ी)	5300	4319	1450	8169	6154	4141	924	9371	5773	4100	950	8923
मिर्च	900690	1638	81022	821306	1273860	2138	86575	1189423	1233600	680	138000	1096280
अदरक	422700	17693	8461	431932	457060	34291	4696	486655	498800	14100	13000	499900
हल्दी	526430	1313	32402	495341	567250	3005	37044	533211	718120	1620	43000	676740
लहसुन	458850	40650	1539	497961	703520	18043	3691	717872	689230	20000	2250	706980
धनिया	188950	637	18065	171522	397380	1050	21018	377412	286620	715	33750	253585
जीरा	134753	3503	10422	127834	202980	2599	7957	197622	176068	1135	13750	163453
अजमोद	27602	0	4160	23442	51752	0	5007	46745	51116	0	7100	44016
मेथी	64221	0	13193	51028	79683	0	6932	72751	62798	0	13750	49048
जायफल एवं जावित्री	2208	1256	1381	2083	2550	997	1420	2127	2552	1660	1250	2962
इमली	178973	0	12590	166383	175943	0	12077	163866	187058	0	7500	179558
लौंग	1369	6867	53	8183	1809	15678	115	17372	1380	7900	40	9240
अन्य मसाले	36304	27775	57078	7001	41639	29899	49534	22004	44302	29113	46348	27607
कुल	3025270	121366	264107	2882529	4035160	126235	254382	3907013	4038832	99100	335488	3802444

टिप्पणी: खपत का अनुमान (उत्पादन + आयात-निर्यात) पर आधारित है।

विवरण-III

भारत से मसालों का मद-वार निर्यात

(मात्रा टन में तथा मूल्य लाख रु० में)

राज्य	2003-04		2004-05(अ०)		2005-06(अ०)	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
काली मिर्च	16,635	14276.96	14,150	12140.00	16,700	14050.00
इलायची (छोटी)	757	3691.70	650	2389.50	875	2700.50

1	2	3	4	5	6	7
इलायची (बड़ी)	924	1234.46	950	1134.00	1,025	1060.00
मिर्च	86,575	36687.81	138,000	49900.50	113,250	40350.00
अदरक	4,696	2275.45	13,000	5950.00	7,250	4075.50
हल्दी	37,044	13111.73	43 000	15650.00	46,500	15300.00
धनिया	21,018	7200.95	33,750	8266.00	22,750	6410.00
जीरा	7,957	5883.79	13,750	10190.00	12,000	8800.00
सेलरी	4,816	1520.33	4,100	1300.50	3,400	1265.00
अजमोद	5,007	2211.48	7,100	2529.50	4,100	1960.00
मेथी	6,932	1554.56	13,750	2660.50	12,250	2400.00
अन्य बीज (1)	14,031	3396.85	11,100	2613.50	6,250	1700.00
लहसुन	3,691	1422.64	2,250	560.50	29,250	3450.00
इमली	12,077	1852.11	7,500	2000.00	10,250	2750.00
जायफल व जावित्री	1,420	2638.14	1,250	2235.00	1,630	3255.00
वनीला	27	3872.04	43	2875.90	72	1211.00
अन्य मसाले (2)	7,214	4096.64	8,495	3843.10	6,750	3588.50
करी पाउडर	8,318	6805.28	7,750	6610.00	9,000	7699.50
पुदीना उत्पाद (3)	10,110	39435.51	9,300	40776.50	11,000	57500.00
तेल एवं ऑलियोरेजिन्स	5,133	37991.76	5,600	46375.00	6,225	50000.00
कुल	254,382	191160.19	335,488	220000.00	320,527	229525.00
मिलियन अम० डॉ० में		416.56		490.60		517.90

(1) अजवायन, सोआ, खसखस, सौंफ, सरसों आदि शामिल हैं।

(2) हींग, दालचीनी, तेजपत्ता, कम्बोज, केसर, मसाले (अ०उ०न०) आदि शामिल हैं।

(3) मैंथॉल, मेंथॉल क्रिस्टल्स तथा मिंट शामिल हैं।

स्रोत - डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कोलकाता/शिपिंग बीजक/निर्यातकों की विवरणियाँ

विवरण-IV

मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

मसाला बोर्ड द्वारा मसालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

— उच्च अंत्य मूल्यवर्द्धन हेतु प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा उभरते हुए वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं का विकास करना।

— क्रायो-ग्राइंडिंग स्टीम स्टेरीलाइजेशन, सुपर फ्लूड एक्सट्रेक्शन और पैकेजिंग की उन्नत प्रणाली जैसी उच्च-तकनीक वाली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

— निर्यातकों को अन्य सुविधाओं के साथ-साथ कीटनाशी अवशिष्टों, अफ्लाटोक्सीन, भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्मजैविक संदूषकों तथा मसालों की रासायनिक संरचना की जांच करने के लिए इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना करने/उनका उन्नयन करने के लिए सहायता प्रदान करना।

- आई०एस०ओ०, एच०ए०सी०सी०पी०, एस०क्यू०एफ० 2000, कार्बनिक प्रमाणन आदि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाना।
- मसालों और मसाला उत्पादों हेतु ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों के लिए नए पैकों का विकास करना और बारकोड अपनाना।
- मार्च, 2005 से ब्रांडेड भारतीय मसालों की प्रीमियम श्रेणी अर्थात "फ्लेवरिट" की विश्वभर में सीधी बिक्री का संवर्धन करना।
- कार्बनिक मसालों के निर्यात का संवर्धन करना; और
- गुणवत्ता में सुधार करना।
- भारत सरकार कालीमिर्च के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 20,000 मी० टन की अधिकतम सीमा तक 7 रुपए प्रति किग्रा० की मालभाड़ा सब्सिडी अर्थात समुद्री भाड़े के लिए 5 रुपए और आंतरिक परिवहन के लिए 2 रुपए की सब्सिडी दे रही है।

[हिन्दी]

केंद्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा उपाय

2753. श्री संजय धोत्रे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश के सभी केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश के सभी राज्यों को अग्नि सुरक्षा उपाय संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जी, हां। देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों की सुरक्षा के लिए अध्यापकों को संवेदनशील बनाने, भवन को ज्वलनशील सामग्रियों से मुक्त रखने, पर्याप्त संकट द्वार सुनिश्चित करने, अग्निशमन के उद्देश्य से पर्याप्त जल और रेत उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 27.7.2004 को सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। इसी प्रकार संरचनात्मक रूप से सुरक्षित भवनों में ही स्कूल चलाने के लिए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा दिनांक 2.9.2004 को और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 5.11.2004 को अनुदेश जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

विदेशियों का दौरा

2754. श्री नवीन जिन्दल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नागरिकों को भारत पहुंचने पर अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उनके पंजीकरण करवाने की देश-वार समय-सीमा क्या है;

(ग) इनके पंजीकरण से संबंधित नियम क्या है;

(घ) देश में राज्यवार कितने पंजीकरण कार्यालय है;

(ङ) क्या विदेशियों से पंजीकरण नियमों से संबंधित कोई सुझाव/शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो इन नियमों की समीक्षा करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या भारतीय नागरिकों को भी विदेश जाने पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ज) किसी विदेशी के भारत में प्रवेश करने, ठहरने, इधर-उधर जाने तथा प्रस्थान आदि करने से संबंधित विनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों विषयक पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और उनके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों में निहित हैं।

लम्बी अवधि के वीजा पर अर्थात् 180 दिन से अधिक अवधि के लिए (विद्यार्थी बीजा, रोजगार बीजा, अनुसंधान बीजा, चिकित्सा बीजा आदि) भारत में आने वाले विदेशियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफ०आर०आर०ओ०)/

विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफ०आर०ओ०) के समक्ष अपना पंजीकरण अपने आगमन से 14 दिन के अंदर करा दें।

आप्रवासन ब्यूरो के तहत मुम्बई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता और अमृतसर में स्थित पांच विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफ०आर०आर०ओ०) के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भारत में विदेशियों के पंजीकरण आदि के प्रयोजनार्थ विदेशी पंजीकरण अधिकारियों (एफ०आर०ओ०) के रूप में कार्य करने के लिए कतिपय प्राधिकारियों को पदोन्नत किया है। सामान्यतया, जिला पुलिस अधीक्षक को जिले के एफ०आर०ओ० के रूप में पदनामित किया जाता है।

तथापि, भारत में आने वलो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने ठहरने के विनिर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचने के 24 घंटे के अंदर प्रवेश की जांच चौकी पर अपने आपको पंजीकृत करवायें, अपने आगमन के बारे में निर्धारित प्राधिकारी या निकटतम पुलिस स्टेशन को लिखित रूप में रिपोर्ट करें। उन्हें अपने ठहरने के प्रत्येक स्थान से प्रस्थान करने से 24 घंटे पहले इसी प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

यदि विदेशी, लगातार 180 दिन से अनधिक अवधि तक भारत में ठहरते हैं तो उन्हें अपने आपको पंजीकृत करवाने की जरूरत नहीं है। संबंधित एफ०आर०आर०ओ०/एफ०आर०ओ० में विदेशियों के पंजीकरण की आवश्यकता, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे भारत में विदेशियों की गतिविधियों और आवा-जाही पर नजर रखने में सहायता मिलती है अतः पंजीकरण नियमों में ढील देना वांछनीय नहीं है।

जहां तक भारतीय राष्ट्रिकों का विदेश जाने पर पंजीकरण करने की आवश्यकता का संबंध है, इस सूचना का संबंध मुख्यतः विदेशी सरकारों की नीतियों/प्रक्रियाओं से है इसलिए इस बारे में कोई ब्यौरा देना संभव नहीं है। तथापि, यह समझा जाता है कि कई देशों में विजिटिंग/रेजीडेंट भारतीय राष्ट्रिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों में पंजीकृत होने के अतिरिक्त स्थानीय आप्रवासन प्राधिकरणों में पंजीकृत हों।

वस्त्र मिलें

2755. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में चल रही सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ग) ऐसी प्रत्येक मिल में कितने कामगार पंजीकृत हैं तथा मिलों के बंद होने से कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष कर महाराष्ट्र में कुछ और मिलें स्थापित करने या बंद मिलों का पुनरूद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में देश में और विशेषकर महाराष्ट्र में 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार कार्यरत एवं बंद वस्त्र मिलों की कुल संख्या नीचे दी गई है:—

	कार्यरत		कुल	बंद		कुल
	सार्वजनिक	निजी		सार्वजनिक	निजी	
अखिल भारतीय	58	1186	1244	63	348	411
महाराष्ट्र	11	66	77	12	29	41

(ग) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में देश में और विशेषकर महाराष्ट्र में 31 अक्तूबर, 2006 की स्थिति के अनुसार कार्यरत एवं बंद वस्त्र मिलों में कामगारों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

	कार्यरत		कुल	बंद		कुल
	सार्वजनिक	निजी		सार्वजनिक	निजी	
अखिल भारतीय	33660	438441	472101	65432	212670	278102
महाराष्ट्र	6575	44730	51305	11183	36473	47656

(घ) और (ङ) सरकार देश में कोई वस्त्र मिल स्थापित नहीं करती। सरकार निजी क्षेत्र द्वारा वस्त्र मिलों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए नीतिगत व्यवस्था प्रदान करती है। जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम का संबंध है, सरकार ने देश भर में कार्यरत 40 घाटा उठाने वाली मिलों के पुनरूद्धार की मंजूरी दी है। इसमें महाराष्ट्र राज्य की 15 मिलें शामिल हैं।

सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतें

2756. **श्री के०एस० राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बलों द्वारा दवाब डालने तथा मनमानी करने की राज्य-वार कितनी शिकायतें मिली है;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) वर्ष 2004, 2005 और 2006 (30 नवम्बर, 2006 तक) के दौरान सुरक्षा बल कर्मियों के आचरण के विरुद्ध केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों, असम राइफल्स और सेना द्वारा सताए जाने तथा मनमानी किए जाने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुईं जो निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या
2004	32
2005	20
2006 (30 नवम्बर, 06 तक)	19

(ख) जिन मामलों में उचित जांच करने के पश्चात शक्ति का दुरुपयोग सिद्ध हो जाता है तो संबंधित विशेष बल के कानूनों/नियमों के अनुसार दोषी सुरक्षा बलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ग) जहां तक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों का संबंध है, ऐसी घटनाओं में अनुशासनिक कार्रवाईयां शुरू करने के लिए एक तैयार संस्थागत तंत्र मौजूद है। संबंधित फील्ड अधिकारियों को भी अनुशासन के उच्च स्तर को बनाए रखने तथा अच्छे व्यवहार एवं ऐसे अपराधों की पुनरावृति रोकने के उद्देश्य से कठोर दंडात्मक कार्रवाईयां करने के संबंध में सुग्राही बनाया गया है। पर्यवेक्षी अधिकारी सभी ऑपरेशनों का निकट रूप से प्रबोधन करते हैं तथा यदि कोई उल्लंघन होता है तो उसे उचित संज्ञान में लिया जाता है। सेना के मामले में, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम का पालन करते समय "करने और न करने" के रूप में तथा सिविल प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए सेना को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं जिसमें बयोवृद्धों, महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार पर जोर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सेना प्रमुख ने विद्रोह विरोधी अभियानों में लगी सेना की टुकड़ियों के लिए निदेश जारी किए हैं जिनमें सेना के आचरण से संबंधित दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं।

वार्षिक परीक्षा पद्धति

2757. श्री मिलिन्द देवरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) ने छात्रों पर पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए वर्षों पुरानी वार्षिक परीक्षा पद्धति को समाप्त करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 14 अक्टूबर, 2006 के 'एशियन ऐज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) नई पद्धति की कब तक शुरूआत किए जाने की संभावना है;

(ग) नये परीक्षा पैटर्न को किस प्रकार जाना जाएगा तथा यह वर्तमान पद्धति से किस प्रकार भिन्न होगा;

(घ) क्या प्रस्तावित पैटर्न सभी राज्य सरकारों/शिक्षा बोर्डों के लिए लागू होगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा सभी राज्य सरकारों/शिक्षा बोर्डों को जारी कर दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में यह अनुशंसा की गई है कि स्कूली शिक्षा के अन्य स्तरों अर्थात् कक्षा V, VIII अथवा XI पर किसी भी परिस्थिति में बोर्ड अथवा राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जानी चाहिए। इसमें यह सुझाव भी दिया गया है कि बोर्ड को एक दीर्घकालीन उपाय के रूप में इस बात पर विचार करना चाहिए कि कक्षा-X परीक्षा को वैकल्पिक बनाया जा सके, जिससे उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने वाले छात्र (तथा जिन्हें बोर्ड प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है) बोर्ड परीक्षा के स्थान पर आंतरिक स्कूली परीक्षा में बैठ सके।

(ख) और (च) इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि सभी स्टेकहोल्डरों के द्वारा इसे स्वीकार करने से पहले विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक विचार-विमर्श एवं चर्चा करने की आवश्यकता है।

आर०एम०के० के अंतर्गत लक्ष्य/उपलब्धियां

2758. श्री जी०एम० सिद्देश्वर : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष (आर०एम०के०) द्वारा महिलाओं के उन्नयन तथा सहयोग हेतु राज्य-वार कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण और दान के वितरण हेतु आर०एम०के० के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महिला कोष की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय महिला कोष के पूरे ढांचे पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) महिलाओं की उन्नति एवं उन्हें सहायता देने के लिए, राष्ट्रीय महिला कोष की सभी राज्यों में विभिन्न ऋण स्कीमें हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की ऋण स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय महिला कोष कोई दान नहीं देता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष 2003-04 — 14.46 करोड़ रुपए

वर्ष 2004-05 — 18.87 करोड़ रुपए

वर्ष 2005-06 — 20.68 करोड़ रुपए

(ग) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(घ) से (च) जी, हां। राष्ट्रीय महिला कोष ने अपने वित्तीय एवं प्रचालनात्मक मामलों की जांच के लिए एक उप-समिति गठित की है। इस समिति में दस सदस्य हैं, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नाबार्ड, सिडबी, एस०बी०आई० तथा आर०एम०के० का प्रतिनिधित्व है।

विवरण-I

राष्ट्रीय महिला कोष की ऋण स्कीमें

ऋण संवर्धन स्कीम

राष्ट्रीय महिला कोष अपेक्षाकृत नए एवं छोटे किंतु संभावित रूप से क्षमतागत संगठनों में बचत एवं ऋण कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए के लघु ऋण प्रदान करता है। इन संगठनों को बचत एवं ऋण कार्यकलापों का कम-से-कम 6 माह का अनुभव होना चाहिए।

मुख्य ऋण स्कीम

बचत एवं ऋण कार्यकलापों का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले संगठनों के आवेदकों पर ही इस स्कीम के अंतर्गत विचार किया जाता है।

अधिकतम ऋण : 3 करोड़ रुपए।
(1 करोड़ रुपए प्रति राज्य)

चक्रीयन निधि स्कीम

लघु ऋण के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव तथा संतोषजनक पूर्ववृत्त रखने वाले संगठनों के आवेदनों पर इस स्कीम के अंतर्गत विचार किया जाता है। ये संगठन राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा स्वीकृत मूल धन का चक्रीयन स्व-सहायता दलों के बीच आय अर्जन कार्यकलापों के लिए कर सकते हैं।

अधिकतम ऋण : 5 करोड़ रुपए।

एकमुश्त ऋण स्कीम

संतोषजनक पूर्ववृत्त, अच्छी क्रेडिट रेटिंग और सुदृढ़ वित्तीय आधार रखनेवाले अपेक्षाकृत बड़े संगठन इस स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकतम ऋण : 5 करोड़ रुपए।

पुनर्वित्त स्कीम

महिला शहरी सहकारी बैंकों द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य ऋण स्कीम के मानकों के अंतर्गत गरीब महिलाओं को सीधे या स्व-सहायता दलों के माध्यम से प्रदान किए गए वित्त के संबंध में कोष इन सहकारी बैंकों को शतप्रतिशत पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।

फ्रैंचाइज़ी स्कीम

राज्य विशेष के अपेक्षाकृत छोटे गैर-सरकारी संगठन राष्ट्रीय महिला कोष को अपना प्रस्ताव भेजे बिना कोष द्वारा संबंधित राज्य के लिए नियुक्त किए गए फ्रैंचाइज़ी से ही ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

अधिकतम ऋण : 5 करोड़ रुपए।

(i) एक करोड़ रुपए तक के ऋण का पात्र होने के लिए गैर-सरकारी संगठन हेतु यह आवश्यक है कि उसने राष्ट्रीय महिला कोष/सिडबी/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/व्यावसायिक बैंकों/अन्य वित्तीय अभिकरणों की लघु ऋण स्कीमों के अंतर्गत कम-से-कम एक करोड़ रुपए का ऋण लिया हो।

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक ऋण का पात्र होने के लिए गैर-सरकारी संगठन हेतु यह आवश्यक है कि उसने राष्ट्रीय महिला कोष/सिडबी/राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/व्यावसायिक बैंकों/अन्य वित्तीय अभिकरणों की लघु ऋण स्कीमों के अंतर्गत कम-से-कम दो करोड़ रुपए का ऋण लिया हो।

गोल्ड क्रेडिट पास बुक स्कीम

सुगम वित्त प्रदान करने की यह स्कीम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संस्वीकृत निधि के चक्रीयन हेतु मझोले एवं बड़े गैर-सरकारी संगठनों के लिए तैयार की गई है।

अधिकतम ऋण : 5 करोड़ रुपए।

गैर-सरकारी संगठनों/एम०एफ०आई० को इस स्कीम के अंतर्गत दो प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) राष्ट्रीय महिला कोष के भागीदार रहे तथा भागीदार न रहे गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय महिला कोष/अन्य

निधियन अभिकरणों के साथ उनके पूर्ववृत्त के आधार पर निर्धारित सीमा तक ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं।

(ii) मौजूदा उधारकर्त्ता भी अतिरिक्त ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विशेषताएं:

(1) संगठन स्व-सहायता दलों को स्वीकृत मूलधन पुन: 3 वर्षों के लिए उधार दे सकता है। तथापि, इसे तिमाही ब्याज समयानुसार जमा कराना होगा।

(2) इस स्कीम के अंतर्गत संभावित सीमा तक ऋण कितनी ही बार लिया जा सकेगा तथा चुकाया जा सकेगा। संगठन स्वीकृत समय-सीमा के भीतर किसी भी समय फैक्स भेजकर निधियों की मांग कर सकेगा। इसी प्रकार संगठन किसी भी समय कितनी ही ऋण राशि अदा कर सकेगा।

(3) उधारकर्ता संगठन को गोल्ड क्रेडिट पास बुक प्रदान की जाएगी तथा यह पास बुक वार्षिक समीक्षा के अध्यधीन 3 वर्ष के लिए वैध होगी।

आवासीय ऋण स्कीम

यह स्कीम राष्ट्रीय महिला कोष के भागीदार गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से स्व-सहायता दल के सदस्यों को आश्रय/घर की मरम्मत की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अधिकतम ऋण राशि : अल्प लागत वाले घर के निर्माण/मरम्मत के लिए 50,000/- रुपए प्रति लाभार्थी

परिवार ऋण स्कीम

चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, सामाजिक/धार्मिक समारोहों, खाद्यान्नों जैसे पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकारों के ऋण जाल में फंसने वाली गरीब महिलाओं को इस जाल से बचाने के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय महिला कोष ने इस स्कीम का शुभारंभ किया।

ऋण-राशि :

सभी प्रयोजनों के लिए वित्त की कुल राशि लाभार्थी की बचत की सात गुना राशि अथवा 10,000/- रुपए प्रति वर्ष जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्यसाधक पूंजी एवं आवधिक ऋण

भूमि खरीदने, पट्टे पर लेने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, शिक्षा एवं कौशलोन्नयन सहित महिला स्व-सहायता दलों/महिलाओं तथा उद्यमी समूहों के उत्पादों को पश्चगामी एवं अग्रगामी विपणन संपर्क प्रदान करने के लिए मध्यवर्ती संगठनों को सुगम कार्यसाधक पूंजी एवं आवधिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से यह स्कीम आरंभ की गई है।

विशेष पात्रता मानक

उधारकर्ता संगठन के लिए यह आवश्यक है कि उसने राष्ट्रीय महिला कोष/सिडबी/नाबार्ड/व्यावसायिक बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं की लघु ऋण स्कीमों के अंतर्गत कम-से-कम 25 लाख रुपए अथवा उससे अधिक ऋण प्राप्त किया हो।

(यह शर्त सरकारी संगठनों पर लागू नहीं होगी।)

राष्ट्रीय महिला कोष संसाधन केन्द्र

पूरे देश में राष्ट्रीय महिला कोष के कार्यक्रमों के गुणात्मक विस्तार हेतु स्व-सहायता दलों के सदस्यों/नेताओं और कार्यान्वयन अभिकरणों को कृषि, कृषि-इतर, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, कौशल उन्नयन, जानकारी आदि के क्षेत्रों में उनकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित सरकारी संगठनों/सरकारी उपक्रमों/गैर-सरकारी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पर्याप्त अवसंरचना वाली शैक्षणिक संस्थाओं की नियुक्ति करके क्षेत्रीय असमानताओं को हटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा इस स्कीम को चलाया गया है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों में राज्यवार संवितरित ऋण

(रुपए लाखों में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	436.69	655.25	523.25
असम	—	27.50	—
बिहार	14.08	71.95	20.50
छत्तीसगढ़	—	—	—
दिल्ली	45.00	89.50	95.00
गुजरात	—	—	—
हरियाणा	20.00	37.50	17.80
हिमाचल प्रदेश	150.00	—	150.00
जम्मू व कश्मीर	—	—	—
झारखण्ड	15.00	—	2.50
कर्नाटक	2.50	20.00	—
केरल	5.50	22.50	2.50

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	135.00	217.50	255.50
महाराष्ट्र	27.50	76.95	38.00
मणिपुर	4.50	6.50	—
मिजोरम	—	2.00	—
नागालैण्ड	—	6.00	15.00
उड़ीसा	51.75	156.75	271.50
पाण्डिचेरी	—	—	—
राजस्थान	73.50	96.50	16.50
तमिलनाडु	358.70	286.00	586.00
उत्तर प्रदेश	55.50	33.00	26.50
उत्तरांचल	19.00	16.37	16.37
पश्चिम बंगाल	31.85	65.10	31.50
कुल	1446.07	1886.87	2068.42

असम में निवेश

2759. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया तथा अन्य दक्षिणी एशियाई देशों ने असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों में विशेष रूप से इस क्षेत्र के उद्योगों में निविश करने में बड़ी रुचि दर्शायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने निवेश हेतु उद्योगों तथा व्यापार के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए असम का हाल में दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के गुवाहटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2006 तक की अवधि हेतु दक्षिण एशियाई देशों से 13.40 करोड़ रुपये का एफ०डी०आई० अन्तर्वाह दर्ज किया है।

(ख) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, असम में औद्योगिक निवेश करने के संबंध में बंगलादेश से एक अन्वेषणात्मक प्रतिनिधिमण्डल आया था। तथापि, अब तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सरकार असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और औद्योगिक विकास की विभिन्न सम्भावनाओं का लगातार अध्ययन कर रही है।

तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना

2760. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की मांग तथा आपूर्ति के बीच की दूरी को कम करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए डा० जी० संजीवा रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या है; और

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) एक कामगार तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित संभावनाओं का अध्ययन करने हेतु डा० जी० संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जिससे तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने में मदद मिल सके। समिति द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

महिला विकास की प्रगति का मूल्यांकन

2761. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एन०सी०डब्ल्यू०) ने देश में महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्य-वार क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या एन०सी०डब्ल्यू० ने इस संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो एन०सी०डब्ल्यू०/सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही यदि कोई है, करने का निर्णय लिया गया है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उसने देश में महिलाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य सचिवों, राज्य के विभिन्न विभागों के सचिवों, राज्य

महिला आयोगों, पुलिस महा निदेशकों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ समीक्षा बैठकों/परामर्श बैठकों का आयोजन किया तथा जेन्डर रूपरेखा तैयार की। प्रत्येक राज्य के साथ बैठकों में सामान्य निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि महिलाएं जिन समस्याओं का सामना कर रही हैं, वे शिक्षा का निम्न स्तर, स्वास्थ्य देशभाल तक अपर्याप्त पहुंच, निम्न सामाजिक स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और दहेज की मांग, बलात्कार, मादा भ्रूण हत्या आदि जैसी हिंसा है।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्य विभिन्न राज्यों में अपने दौरों के दौरान मुख्य सचिवों तथा अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर राज्य में महिलाओं के स्तर की समीक्षा करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के स्तर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जन सुनवाइयां तथा शोध कार्य भी प्रायोजित करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिदेश के अनुसार गिरते हुए लिंग अनुपात, बाल विवाह, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता स्तर आदि जेसे महत्वपूर्ण मुद्दों की नियमित रूप से समीक्षा करता है।

एन०डी०एम०सी० की संपत्ति कर की बकाया राशि

2762. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०डी०एम०सी० को दिए जाने वाले संपत्ति कर की बकाया राशि वर्ष दर वर्ष जुड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन०डी०एम०सी० ने संपत्ति कर की बकाया राशि वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक की अवधि के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को देय बकाया संपत्ति का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	बकाया राशि (रुपए करोड़ में)
1	2
2001-02	459.66
2002-03	459.42
2003-04	543.78
2004-05	556.00
2005-06	592.17
कुल	2611.03

(ग) से (ङ) बकाया संपत्ति कर की वसूली करने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा की गई कार्रवाई में एन०डी०एम०सी० अधिनियम, 1994 की धारा 100(1) और किराया कुर्की आदेशों के तहत नोटिस जारी करना शामिल है।

[हिन्दी]

रिस्क फंड फॉर मिनरल्ज

2763. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान खनिजों को बढ़ावा देने के लिए एक 'रिस्क फंड' की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त-प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण लौह अयस्क खानें

2764. श्री रामदास आठवले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 2006 तक देश में रूग्ण लौह अयस्क खानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ये लौह अयस्क खानें कब से रूग्ण हैं;

(ग) इनकी रूग्णता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन रूग्ण खानों को चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) खनन एक समाप्त होता (डिप्लीटिंग) उद्योग है। खानों को अयस्क की समाप्ति, अयस्क का निम्न ग्रेड, मांग की कमी जैसे

विभिन्न कारणों की वजह से बंद करना आवश्यक हो जाता है। खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रूग्ण खानों के संबंध में खान मालिकों द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जाए। अतः राज्य-वार रूग्ण लौह अयस्क खानों के निजी विवरण केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) सरकार के पास रूग्ण खानों के पुनरूद्धार के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, जहां कहीं मांग की कमी के कारण बंद अथवा अस्थायी तौर पर कार्य को रोक दिया जाता है, तो यह महसूस किया जाता है कि आर्थिक रूप से उदारीकरण और औद्योगिक उत्पादन के लिए कदम उठाने से खनिजों की मांग में वृद्धि के परिणाम आएगें और इस प्रकार की खानों को मितव्ययी बनाया जाएगा।

पुलिस बल को प्रशिक्षण

2765. **श्री कुलदीप बिश्नोई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पुलिस बलों को आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले जैविक, रासायनिक तथा रेडियो धर्मी हमलों का मुकाबला करने में सक्षम बनाने हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आतंकवादियों द्वारा अचानक किए जाने वाले हमलों का सामना करने के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हमलों से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सी०पी०एफ० कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण में ये शामिल हैं:

(i) सुपुर्दगी प्रणाली

(ii) विकिरण का प्रकार

(iii) जैविक तत्वों की विशेषतायें और प्रकार

(iv) रासायनिक तत्वों का वर्गीकरण और प्रकार

(v) मानव और उपकरणों पर नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हमलों के प्रभाव

(vi) असर होने के बाद दिए जाने वाले उपाय

(ग) रासायनिक हथियारों और रेडियोएक्टिव सामग्रियों का प्रयोग करके किए जाने वाले आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०), संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों/सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों में परिचालित की गई है ताकि वे स्व अपनी एस०ओ०पी०/कार्य योजना तैयार कर सकें और उक्त एस०ओ०पी० में यथा उल्लिखित आवश्यक तैयार उपाय शुरू कर सकें।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की आठ बटालियनों में से चार बटालियनों को आर०एन०बी०सी० आपदा/आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा

2766. **श्री तुकाराम गंगाधर गदाख** : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (एम०एन०सी०) के आने के कारण लघु उद्योग बंद हो रहे हैं;

(ख) वर्ष 1995 तथा 2005 में चल रहे लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों/व्यवसायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हजारों लघु उद्योगों के बंद होने के कारण लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं तथा यह रूझान वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को चालू करने तथा बेरोज़गार हुए लोगों को रोज़गार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों (एम०एस०सी०) के प्रवेश के कारण या अन्य किसी कारण से बंद लघु उद्योगों तथा इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। वर्ष 1995-96 तथा 2005-06 के दौरान चालू लघु उद्योगों की आंकलित संख्या (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) क्रमशः 82.84 लाख तथा 123.42 लाख थी। इस अवधि के दौरान, लघु उद्योग इकाईयों की आंकलित संख्या में वृद्धि 4.07 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर (कम्पाउन्डिड) से हुई है जबकि इन इकाईयों में रोजगार की वृद्धि 197.93 लाख से 294.91 लाख तक हुई है।

(ङ) लघु उद्योगों के संवर्धन तथा विकास की मुख्यतः जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों की है। लघु उद्योगों को

क्रेडिट की सुगम उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनियादी संरचना तथा विपणन सुविधाएं, इत्यादि में सहायता करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 2002 में बैंकों को व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ताकि वे शुरूआती स्तर पर लघु उद्योग इकाईयों में रूग्णता का पता लगासके, संभाव्य जीवनक्षम रूग्ण लघु उद्योग इकाईयों के उपचारिक तथा पुनर्वास संबंधी उपाय कर सके। सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में "लघु तथा मध्यम उद्यमों (एम०एस०ई०) के लिए क्रेडिट बढ़ाने के संबंध में नीतिगत पैकेज" के बाद आर०बी०आई० ने सितम्बर, 2005 में सभी पात्र एस०एम०ई० को ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करने के लिए लघु तथा मध्यम उद्यमों के ऋण पुनर्गठन के संबंध में मार्ग-दर्शी सिद्धांत भी जारी किए हैं।

यदि कोई व्यक्ति लघु उद्योग इकाईयों के बंद होने के कारण बेरोजगार हो गया है, वह केन्द्र सरकार द्वारा देश भर में क्रियान्वित की जा रही प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) के तहत स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

उड़ीसा में एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

2767. श्री गिरिधर गमांग : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा में एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना हेतु खानों को पट्टे पर देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) पुनर्वास, पर्यावरण तथा पर्यावरण अनापत्ति के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	उद्योग का नाम	आवेदक का नाम	स्थल	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	मै० स्टलाईट इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि० वेदात एल्युमिना लि०)	मै० ओ०एम०सी० लि०	लाजीगढ़, जिला कालाहाड़ी	721.323
2.	मै० अदित्य एल्युमिनियम प्रोजेक्ट (हिंडालको इंडस्ट्रीज लि०)	-वही-	कोडिंगामाली, जिला कोरापुट	715.075 (संशोधित 447.25)
3.	मै० उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लि० (इडालको)	-वही-	बाफालिमाली, जिला रायगढ़	1388.74

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उसने 'उड़ीसा पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास नीति, 2006' तैयार की है। उड़ीसा सरकार द्वारा, विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास, उक्त नीति के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम०ओ०ई०एफ०) ने सूचित किया है कि उसे, मै० उड़ीसा खनन निगम लि० की लाजीगढ़ बॉक्साइट खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव जून, 2005 में प्राप्त हुआ था। विशेषज्ञ समिति (खनन) द्वारा मार्च, 2006 में इस परियोजना का मूल्यांकन किया गया था। एम०ओ०ई०एफ० ने यह फाइल 1.12.06 को बंद कर दी है क्योंकि परियोजना प्रस्तावक ने विशेषज्ञ समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर मांगे गए स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए। जहां तक वन संबंधी मंजूरी का संबंध हैं, एस०ओ०ई०एफ० ने सूचित किया है कि उसे मै० उड़ीसा खनन निगम के पक्ष में 660.749 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट करने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वन संबंधी मंजूरी का समग्र मामला, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

यौन शोषण को रोकने के लिए दिशानिर्देश

2768. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार द्वारा गठित कार्य समूह ने यौन शोषण रोकने के लिए छात्राओं एवं अध्यापकों के लिए स्कूल में 'विशाखा दिशानिर्देश' लागू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशानिर्देशों को लागू करने तथा बालिकाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़ने के निवारण हेतु विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न प्राधिकरणों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

विवरण

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा

– सरकार ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से शिकायत निवारण समितियों का गठन करने तथा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

– राष्ट्रीय महिला आयोग (रा०म०आ०) ने कार्य स्थल हेतु आचार संहिता का निरूपण किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को सरल तरीके से बताया गया है। इस आचार संहिता को राज्य महिला आयोगों, गैर-सरकारी संगठनों, निगमित क्षेत्र के शीर्ष निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जन-प्रचार माध्यमों, मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संस्थाओं को परिचालित किया गया है।

– रा०म०आ० ने इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/होटलों/प्रचार-माध्यमों आदि के साथ विचार-विमर्श बैठकों का आयोजन किया है।

– सार्वजनिक उद्यम विभाग ने मई 1998 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को परिपत्र जारी किया था, जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के कार्यकारी प्रमुखों से कहें कि वे अपने सी०डी०ए० नियमों में संशोधन करके कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के निवारण के बारे में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

– उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जहां तक दुकानों एवं कॉल सेंटरों जैसे छोटे संस्थानों में शिकायत निवारण समितियों के गठन का संबंध है, औद्योगिप) नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 की धारा 1 (3) उन सभी संस्थानों पर लागू होती है, जहां 100 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों। तथापि, सक्षम सरकार अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी औद्योगिकी संस्थान, जिसमें 100 से कम व्यक्ति कार्यरत हों, पर अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर सकती है। चूंकि दुकानों तथा कॉल सेंटरों जैसे व्यावसायिक संस्थानों के मामले में राज्य सरकारें सक्षम सरकारें हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2005 में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत दुकानों तथा कॉल सेंटरों जैसे छोटे संस्थानों पर औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के प्रावधानों को लागू करने हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए सभी श्रम सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

– यौन उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में संशोधन किया गया है। केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण तथा अपील), नियमावली, 1965 में भी जुलाई 2004 में संशोधन किया गया है, ताकि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच हेतु प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में गठित शिकायत निवारण समिति अनुशासन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण मानी जाए तथा शिकायत निवारण समिति जहां तक सम्भव हो इन नियमों में उल्लिखित कार्य विधि (अर्थात्, बड़ी सजा देने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच करने हेतु कार्यविधि) के अनुसार जांच कर सके।

– औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 में संशोधन किए गए हैं, ताकि निजी क्षेत्र में कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना जा सके तथा उत्पीड़न करने वाले कर्मी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

– महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण से संबंधित उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने सहित महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान चलाया है।

यू०जी०सी० द्वारा अनुदान वापस लिया जाना

2769. **श्री परसुराम माझी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) का कुछ विश्वविद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता को वापस लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है।

आपदा पीड़ितों को बीमा सुरक्षा

2770. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी प्रकार की वस्तुओं तथा किसी प्रकार की बीमा सुरक्षा में न आने वाले व्यक्तियों के लिए बीमा नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव से देश में आपदा आने पर सरकार की देयताएं कितनी कम हो जाएंगी;

(घ) इस संबंध में अब तक एन०डी०एम० प्राधिकरण द्वारा जिन सिफारिशों पर विचार किया गया, उनका ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) ऐसे प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

नेशनल सिल्क म्यूजियम

2771. श्री जी० करूणाकर रेड्डी :
श्री एम० शिवन्ना :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से कर्नाटक स्टेट सेरीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के संग्रहालय को उन्नत करने तथा सुसज्जित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक नेशनल सिल्क म्यूजियम स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) के०एस०एस०आर० एंड डी०आई० स्थित वर्तमान संग्रहालय के उन्नयन के लिए "क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण" योजना के अधीन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया था। 45.00 लाख रु० की कुल लागत से एक राष्ट्रीय रेशम संग्रहालय को स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

कर्नाटक राज्य सरकार ने संस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता के लिए के०एस०एस०आर०डी०आई० के प्रस्ताव पर विचार करने तथा अनुमानित लागत के 80% तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है तथा शेष 20% की राशि को के०एस०एस०आर०डी०आई० के अपने संसाधनों में से पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि विशेषज्ञ समिति ने के०एस०एस०आर०डी०आई० को अनुदान देने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि उपर्युक्त योजना के अधीन सीमित निधियां उपलब्ध हैं।

तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी

2772. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में ऐसे कैदी जो अपनी कैद का 75% अथवा अधिक समय बिता चुके हैं और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं वे उच्च न्यायालय में अपनी अपील की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 9 अक्तूबर, 2006 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कितने कैदियों ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपील पर सुनवाई के बिना अपनी कैद की पूरी सजा काट ली है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (घ) दिल्ली की जेलों मे रखे गए 234 दोषसिद्ध कैदी ऐसे हैं जो 5 अगस्त, 2006 को सात वर्ष से ज्यादा की अवधि से जेल में हैं। इनमें से, 42 कैदियों ने अपनी आधी से ज्यादा सजा काट ली है जबकि उनकी अपीलें लंबित हैं। नौ कैदियों को, जिनकी प्रथम अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं, उनकी सजा के पूरा होने पर 2004 से 2006 (22 नवम्बर तक) की अवधि के दौरान रिहा किया

गया। दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन सभी अपीलों को प्राथमिकता प्रदान की गई है और विशेष रूप से गठित खंड न्यायपिठ के समक्ष नियमित सुनवाई तथा निपटान के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसी अपीलों की सुनवाई हेतु दो और एकल बैंचें भी निर्धारित की गई हैं।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश

2773. श्री मोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०) जैसे अतिप्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानां में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं को और पारदर्शी और यथार्थ बनाने हेतु नई प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न वर्गों से शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परीक्षा प्रणाली की उक्त असंगतियों और असमानताओं की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007-08 से उक्त संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो कितनी सीटें बढ़ाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) वर्ष 2007 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल की गई हैं:–

(I) यह वस्तुपरक प्रश्नों के आधार पर ''सिंगल टीयर'' परीक्षा होगी जिसमें 3 घंटे के दो पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर में भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा गणित के अलग-अलग सेक्शन होंगे।

(II) प्रश्नपत्र छात्रों के पास रहेंगे।

(III) माडल उत्तर सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की वेबसाईट पर दिए जायेंगे।

(IV) प्रत्येक छात्र को परिणाम भेजा जाएगा।

ये परिवर्तन, छात्रों पर मानसिक तनाव को कम करने के लिए तथा परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु तंत्र बनाने के लिए किए गए हैं।

(ग) और (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खनन स्कूल तथा प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निदेशकों तथा सभी संयुक्त प्रवेश परीक्षा अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों की विशेषज्ञ समिति पहले से विद्यमान है जो पद्धति में सुधार हेतु समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय संस्थानों ने स्वयं लिया है।

[अनुवाद]

जनजातीय छात्रों के साथ भेदभाव

2774. डा० आर० सेनथिल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जनजाति आयोग अथवा सरकार को एम्स/आई०आई०टी०/आई०आई०एस०सी० बंगलौर और आई०आई०एम० में भेदभाव बरते जाने के आरोप लगाने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार, संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के साथ किए जाने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) जी, नहीं। तथापि, एम्स के छात्रावास में रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेडिकल छात्रों के उत्पीड़न और छात्रावास कमरों के आबंटन में उनके साथ भेदभाव के आरोप के संबंध में दिनांक 29.6.2006 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वयं ही संज्ञान लेते हुए, मामले की छानबीन/जांच करने के लिए तथा आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और निदेशक, एम्स दोनों से अनुरोध किया है। एम्स द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोप सही नहीं पाए गए, क्योंकि छात्रों के अपने अनुरोध के आधार पर ही सभी छात्रावास कमरों का आबंटन/परिवर्तन किया गया था।

आयोग ने एक अन्य मामले में, दिनांक 7.9.2006 को ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित समाचार के पश्चात इस मंत्रालय के अनुरोध पर हस्तक्षेप किया और आई०आई०टी०, खड़गपुर में गलती में प्रवेश से वंचित हुए उड़ीसा के एक जनजाति छात्र श्री बालाराम टुडू को एक अतिरिक्त सीट की व्यवस्था कराकर प्रवेश दिलाने में मदद की।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं हेतु आश्रय गृहों की स्थापना

2775. प्रो० एम० रामदास : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न परिस्थितियों में महिलाओं हेतु आश्रय गृह स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा ऐसे गृहों की पर्याप्तता का पता लगाने और जिन स्थानों पर ऐसे गृह स्थापित किए जाएंगे उनकी पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रत्येक जिले में एक आश्रय गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या समयबद्ध रणनीति अपनाई जाएगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं हेतु 'स्वाधार' नामक स्कीम चला रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 151 स्वाधार आश्रय गृह संस्वीकृत किए गए हैं।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ किसी क्षेत्र देश विशेष में आश्रय गृह की आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारों से स्वाधार गृहों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार के गृहों की आवश्यकता का निर्धारण करें।

(घ) और (ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रयास है कि ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में एक गृह की स्थापना की जाये।

एम०सी०डी० स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं

2776. श्री रघुनाथ झा :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम (एम०सी०डी०) के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों, छात्रों, कक्षाओं, डेस्कों की स्कूल-वार कुल कितनी संख्या है और शौचालयों, पेयजल, पंखों, ट्यूबलाइटों आदि की उपलब्धता संबंधी सूचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम०सी०डी० के आयुक्त ने कुछ स्कूलों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इस दौरे के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) एम०सी०डी० स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उसके विद्यालयों को अध्यापकों, कक्षाओं, डेस्कों, शौचालयों, पीने के पानी, पंखों, ट्यूब-लाइटों आदि जैसी मूलभूत सुविधायें/सुख-सुविधायें प्रदान की जाती है। दिल्ली नगर निगम के तहत 1786 विद्यालय हैं जिनमें लगभग 9,05,136 विद्यार्थी सूचीबद्ध हैं। इनमें लगभग 20,631 अध्यापक, 23,700 कक्ष और 2,52,000 डेस्क हैं। विद्यार्थियों के बीच में विद्यालय छोड़ने/स्थानांतरित होने, अध्यापकों के त्यागपत्र देने/सेवानिवृत्त होने आदि जैसे कई कारकों के आधार पर विद्यार्थियों, अध्यापकों, कक्षाओं और डेस्कों की संख्या में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। इन विद्यालयों में शौचालयों, पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। जिन विद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं उनमें टेंटों में कक्षायें लगाने, टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाने आदि जैसी सुख-सुविधायें प्रदान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। जिन विद्यालयों में डेस्क नहीं हैं वहां सभी विद्यार्थियों को जूट पट्टियां, टाट पट्टियां और दरियां उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, शिक्षा प्रभारी अपर आयुक्त ने कई विद्यालयों का दौरा किया और उनके निष्कर्षों के आधार पर दिल्ली नगर निगम ने इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए हैं जिनमें भवनों की छोटी-मोटी मरम्मत और रख-रखाव करना; जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए आंचलिक लोक शिकायत समितियां गठित करना; पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की आवधिकता बढ़ाना; 1381 विद्यालयों में कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण केन्द्र स्थापित करना; पढ़ने के लिए शिक्षण सामग्री का विकास करने के लिए निगम के अध्यापकों को निधियां मंजूर करना; और विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत और खरीद के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत निधियों को मंजूरी करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

2777. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री जे०एम० आरून रशीद :
डा० राजेश मिश्रा :
श्री सज्जन कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति के विरूद्ध गंभीर आरोपों की जांच करने के लिए गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्रवाई की क्या स्थिति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा की स्थापना से लेकर उसके अब तक के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से एक तथ्य अन्वेषण समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के कार्यकाल की जांच करने के अलावा समिति ने अपनी रिपोर्ट में विश्वविद्यालय में शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने, विश्वविद्यालय परिसर में आवश्यक अवसंरचना विकास, जिसमें छात्रावासों का निर्माण, संकाय एवं स्टॉफ हेतु आवास सुविधा और पुस्तकालय का विस्तार आदि शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए कतिपय सिफारिशें की हैं। समिति ने विश्वविद्यालय के वर्तमान प्राधिकारियों के संबंध में भी कतिपय टिप्पणियां करते हुए विश्वविद्यालय के भावी विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श के लिए 27 और 28 अक्तूबर, 2006 को बैठकें की गई।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार विधेयक

2778. एडवोकेट सुरेश कुरूप : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आलोचना की जानकारी है कि सरकार ने सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने वाला केन्द्रीय कानून पारित करने की बजाय राज्य सरकारों को आदर्श शिक्षा अधिकार विधेयक, 2006 को अपनाने के लिए कहकर अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कारणों सहित ब्यौरा क्या है और 86वें संविधान संशोधन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) क्या आदर्श विधेयक में गरीब परिवारों के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में सीटों के 25 प्रतिशत आरक्षण का उपबंध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में सभी बच्चों के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम का प्रावधान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) आदर्श शिक्षा अधिकार विधेयक, 2006 के संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका के बारे में कुछ क्षेत्रों में आलोचना हुई है।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 10-11 अगस्त, 2004 को आयोजित अपनी बैठक में संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत परिकल्पित विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए तत्कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री श्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट, जिसमें विधान के प्रारूप के ''अनिवार्य प्रावधान'' निहित थे, 2.7.2005 को प्रस्तुत की गई तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिनांक 14-15 जुलाई, 2005 की अपनी बैठक में उस पर विचार किया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों तथा टिप्पणियों के आधार पर पूर्ण विधान के प्रारूप को तैयार किया गया तथा उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया। तत्पश्चात विचार-विमर्श के आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने संबंधी संवैधानिक अधिदेश को प्राप्त करने के लिए विस्तृत मानदंडों तथा विशिष्टताओं वाले आदर्श शिक्षा अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार किया गया तथा उस पर राज्यों तथा संघ राज्य प्रशासनों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए संरचना के रूप में उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया।

(ग) और (घ) निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए निजी गैर सहायता-प्राप्त स्कूलों में उपलब्ध कुल सीटों के 25% आरक्षण के संबंध में आदर्श विधेयक के प्रारूप में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि आदर्श विधेयक के मसौदे की धारा 13 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि इस अधिनियम को लागू करते समय कोई स्कूल निःशुल्क अथवा रियायती दर पर जमीन/भवन/उपकरण/अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार अथवा किसी उपयुक्त सरकार अथवा इनका प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा इनकी ओर से कार्य करने वाले किसी प्राधिकरण/अभिकरण के प्रति पहले से ही बच्चों की निर्दिष्ट संख्या को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है तो वह इस अधिनियम के प्रावधानो के बावजूद इस कार्य को जारी रखेगा।

(ङ) सामान्य स्कूल पद्धति से संबंधित मामले की विस्तृत जांच करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति

2779. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन (के०वी०एस०) में कंप्यूटर शिक्षकों हेतु स्वीकृत/नियमित पद नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या के०वी०एस० ने पेशेवर कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाओं को अनुबंध आधार पर भाड़े पर लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार और विलंब किए बिना कंप्यूटर शिक्षकों को नियुक्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) केंद्रीय विद्यालय संगठन के उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं वाले स्कूलों के लिए कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 755 संस्वीकृत पद हैं। जब तक नियमित भर्ती वाले शिक्षक इन पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते तब तक स्कूलों को अनुबंध आधार पर उपयुक्त लोगों को नियुक्त करना होगा। केंद्रीय विद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों (कंप्यूटर साइंस) के 755 पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन "रोजगार समाचार" के 30 सितम्बर, 2006 के अंक में प्रकाशित हो चुका है।

[हिन्दी]

संस्थान समन्वयक द्वारा बच्चों के प्रति अपराध

2780. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री गणेश प्रसाद सिंह :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में, विशेषकर दिल्ली में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चिल्ड्रन एडोप्शन एक्ट का व्यापक उल्लंघन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत उन गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए हैं जिन्होंने लगभग 800 बच्चों को बाहर भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस अनाचार को रोकने के लिए कोई निदेश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नोटिस में यदि अनियमितता/कदाचार का कोई मामला आता है, तो मंत्रालय उसका संज्ञान लेता है और संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से यथोचित कार्रवाई करता है। भारत सरकार ने दत्तक ग्रहण की कार्य-विधि को सरल बनाने और एक नियामक तंत्र बनाने के लिए देश के भीतर दत्तक ग्रहण संबंधी दिशा-निर्देश, 2004 तथा भारत से दत्तक ग्रहण के लिए दिशा-निर्देश, 2006 जरी किये हैं। राज्य सरकारों से भी इस बारे में कड़ी निगरानी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में नियमित रूप से कहा जाता है, जिससे कि दत्तक ग्रहण में अनियमितताओं/कदाचारों को रोका जा सके।

[अनुवाद]

बच्चे का सम्पूर्ण विकास

2781. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों हेतु सशक्त रक्षात्मक परिवेश उत्पन्न करने, बाल संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक सेवाओं को विविधता देने तथा संस्थागत बनाने और अंतर-क्षेत्रीय प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत विद्यमान कार्यक्रमों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बाल संरक्षण हेतु एक उपयुक्त प्राधिकरण बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) 11वीं पचंवर्षीय योजना हेतु बाल

विकास पर कार्यदल ने सिफारिश की है कि बाल संरक्षण के मुद्दे के समाधान तथा बच्चों हेतु संरक्षणात्मक पर्यावरण का निर्माण करने के लिए एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, समेकित बाल संरक्षण स्कीम शुरू की जाए। प्रस्तावित समेकित बाल संरक्षण स्कीम के उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं :

- उन्नत संस्थागत देखभाल;
- गुणवत्तापूर्ण गैर-संस्थागत तथा वैकल्पिक देखभाल;
- परामर्श एवं पारिवारिक समर्थन;
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

किशोर न्याय कार्यक्रम, निराश्रित बच्चों के लिए समेकित स्कीम तथा देश में दत्तकग्रहण सवंर्धन हेतु शिशुओं तथा छोटे बच्चों के लिए गृहों (शिशु गृहों) को सहायता जैसी मौजूदा स्कीमों और कार्यक्रमों को समेकित बाल संरक्षण स्कीम नामक नई स्कीम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में हाल ही में संशोधन किया गया है। इस अधिनियम में जोड़ी गई नई धारा 62 क के अनुसार, 'प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गृहों की स्थापना एवं अनुरक्षण, ऐसे बच्चों के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों को अधिसूचित करने, इन बच्चों का पुनर्वास करने तथा विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी अभिकरणों से समन्वय करने सहित देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा यथानियुक्त अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को शामिल करके राज्य तथा प्रत्येक जिले हेतु बाल संरक्षण एककों का गठन करेगी।'

ग्यारहवीं योजना के लिए बाल विकास कार्यदल ने ''समेकित बाल संरक्षण स्कीम'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की सिफारिश की है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे बाल संरक्षण एककों के गठन का घटक भी शामिल है।

दूरस्थ शिक्षा

2782. **श्री बची सिंह रावत ''बचदा''** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अंतर्गत विभिन्न राज्य, केन्द्रीय और मानित विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम सहित दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों हेतु पूर्व स्वीकृत और मान्यता अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू०जी०सी० और ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत/मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों और दूरस्थ पाठ्यक्रमों का व्यापक प्रचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो दूरस्थ शिक्षा परिषद किस आधार पर स्वीकृति/मान्यता की ऐसी शक्ति का दुरूपयोग कर रही है और सरकार द्वारा परिषद के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 विश्वविद्यालय को देश में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने और ऐसी प्रणालियों में शिक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानक निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। तद्नुसार दूरस्थत शिक्षा परिषद के सृजन और उसकी भूमिका के उल्लेख के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अंतर्गत तैयार की गई 28 संविधि में अन्य बातों के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रही संस्थाओं में मानकों के अनुरक्षण और संस्थाओं पर ऐसे पाठ्यक्रम पर, जो परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, उपयुक्त समझे जाने वाले उपायों के माध्यम से रोक लगाने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और दूरस्थ शिक्षा परिषद अलग निकाय है जिनके विशिष्ट अधिदेश है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद क्रमशः सामान्य उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के समन्वय और स्तरों के निर्धारण के प्रति जिम्मेदार है जबकि दूरस्थ शिक्षा परिषद दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से शिक्षा में समन्वय और स्तरों के निर्धारण के लिए अधिदेशाधीन है।

(ङ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि दूरस्थ शिक्षा परिषद ने अपने प्राधिकरण में से एक में सामान्य लोगों को सूचना हेतु दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यक्रमों सहित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की एक सूची अपनी वेबसाइट पर दी है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज संसाधनों की अधिक मात्रा

2783. **श्रीमती अर्चना नायक** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुरानी प्रणालियों और प्रत्येक चरण में विलंब के कारण खनिज संसाधनों की अधिक मात्रा का दोहन नहीं कर पाती है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन प्रणालियों और उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार की खनिजों की खोज और उत्खनन हेतु विदेश से उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) देश में क्षेत्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और गवेषण का कार्य करता है। खनिज गवेषण निगत लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०), विस्तृत खनिज गवेषण के कार्य में संलग्न है जबकि भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०), खनिज डाटा का अभिरक्षक है और खनिज संबंधित नीतियों के लिए विनियामक संगठन है। गवेषण के क्षेत्र में इन संगठनों का विस्तृत अनुभव है और ये आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के जरिए अद्यतन प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इन संगठनों के खनिजों के सर्वेक्षण और गवेषण संबंधी प्रयासों को तीव्र किया जा रहा है।

(ग) और (घ) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार राज्य सरकार, किसी भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उप-धारा (1) में यथा-परिभाषित किसी कम्पनी को खनिज रियायत प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा करने तथा खनन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संभव संशोधनों की सिफारिश करने के लिए, श्री अनवरूल होदा, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषयों में से एक विषय, खनिजों के गवेषण और विदोहन में सरकारी और निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के बारे में था। समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2784. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडों और ग्लोबल कस्टमर बेस को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने विदेशों में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित की हैं, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र० सं०	कार्यकलाप का प्रकार	संयुक्त उद्यम (जेवी)	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस)	कुल
1.	ध्वनि रिकॉर्डिंग का पुनरूत्पादन उपकरण	1	2	3
2.	वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरूत्पादन उपकरण	2	0	2
3.	फिल्म्स	3	5	8
4.	प्रसारण एवं टेलीकास्टिंग	4	14	18
5.	विज्ञापन एवं प्रचार कार्य	13	7	20
6.	संचार सेवाएँ	7	14	21
7.	अन्य संचार सेवाएँ	6	2	8
8.	प्रकाशन	5	7	12
9.	''अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चिह्नों'' को लागू करना	0	1	1
10.	टेली सीरियलों का निर्माण एवं प्रसारण	3	9	12
11.	निर्माण फिल्म एवं वितरण	2	10	12
12.	संगीत एवं मनोरंजन से संबंधित कार्यकलापों का निर्माण	1	2	3
13.	दूरसंचार	5	15	20

(ग) विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेशों के लिए सरकार की नीति उदार है जिसमें विदेश स्थित कंपनियों में उनके निवल मूल्य के 200% तक निवेश करने के लिए भारतीय निगमों को अनुमति देना, मौद्रिक उच्चतम सीमाओं की समाप्ति, भारत में वित्तीय क्षेत्र संबंधी कार्यकलापों में संलग्न भारतीय कंपनियों के लिए विदेश में वित्तीय क्षेत्र में निवेश हेतु न्यूनतम निवल मूल्य की शर्त की समाप्ति, स्वत: प्रणाली के तहत गारंटी के क्षेत्र का विस्तार और विनिवेशों की स्वत: प्रणाली का और अधिक उदारीकरण शामिल हैं।

सीमेंट का मूल्य

2785. **चौधरी लाल सिंह :**
श्री रघुनाथ झा :
श्री कुलदीप बिश्नोई :
श्री हंसराज ग० अहीर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारी और मध्यम सीमेंट उत्पादक उद्योगों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं और वे किन स्थानों पर हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) इस समय भारतीय सीमेंट निगम की कितनी इकाइयां बंद हैं;

(ग) चरखी-दादरी इकाइयों सहित बंद इकाइयों के पुनरूद्धार हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमेंट के उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार का सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सीमेंट उत्पादकों की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) देश में बड़े और मध्यम आकार के सीमेंट विनिर्माणकारी संयंत्रों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) भारतीय सीमेंट निगम (सी०सी०आई०) की सात इकाइयों, यथा-मंधर (छत्तीसगढ़), कुरकुन्ता (कर्नाटक), नयागांव (मध्य प्रदेश), अकलतरा (छत्तीसगढ़), आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश), चरखी-दादरी (हरियाणा) मौजूदा समय में काम नहीं कर रही हैं। सी०सी०आई० हेतु वर्ष 2006 में मंजूर की गई पुनर्वास योजना में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने इन सभी 7 काम नहीं कर रही इकाइयों को बंद करने एवं उन्हें बेचने की सिफारिश की थी।

(घ) और (ङ) सीमेंट विनिर्माण से संबंधित निविष्टियों जैसे-कोयला, अन्य ईंधनों और ढुलाई की लागत बढ़ गई है। यद्यपि सीमेंट एक विनियंत्रित वस्तु है और इसका मूल्य आर्थिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तथापि सरकार ने सीमेंट विनिर्माताओं को सीमेंट के मूल्य औचित्यपूर्ण करने की जरूरत के प्रति सचेत किया था। इस चेतावनी की प्रतिक्रिया स्वरूप सीमेंट विनिर्माता संघ ने आश्वासन दिया है कि वह सीमेंट का अधिकतम उत्पादन और प्रेषण करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि खुदरा व्यापारी मुनाफाखोरी में न पड़ें; अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करने के लिए नए निवेश आकर्षित करेगा; और केन्द्र सरकार के विभागों को प्राथमिकता के आधार पर और प्रचलित मूल्यों से 5 प्रतिशत छूट पर सीमेंट की आपूर्ति करेगा।

(च) और (छ) सीमेंट के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में वर्तमान में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कंपनीवार सीमेंट कंपनियों का कार्य निष्पादन 2005-06

(हजार टन)

क्र०सं०	कंपनी/संयंत्र	स्थापना स्थल	राज्य उत्पादन	सीमेंट
1	2	3	4	5
	ए.सी.सी.लि.			
1.	चायबासा	चायबासा	झारखंड	556.96
2.	चन्दा	चन्दा	महाराष्ट्र	1028.11
3.	जामुल	जामुल	छत्तीसगढ़	1007.90
4.	किमोर	किमोर	मध्य प्रदेश	1333.34
	किमोर - मेहगांव	किमोर	मध्य प्रदेश	क्लिंकरीकरन यू
5.	लखेरी	लखेरी	राजस्थान	715.45
6.	मदुक्कराई	मदुक्कराई	तमिलनाडु	858.60

2	3	4	5
7. मंचेरियल	मंचेरियल	आन्ध्र प्रदेश	87.06
8. सिंदरी (जी)	सिन्दरी	झारखंड	859.45
9. वाडी	वाडी	कर्नाटक	1801.00
10. वाडी-न्यू	वाडी	कर्नाटक	2694.60
11. गागल-1	गागल	हिमाचल प्रदेश	1558.63
गागल-2	गागल	हिमाचल प्रदेश	1908.33
12. दामोदर सीमेंट वर्क्स (जी)	पुरूलिया	पश्चिम बंगाल	502.29
13. टिकारिया (जी)	टिकारिया	उत्तर प्रदेश	2150.05
14. बारगढ़ सीमेंट वर्क्स	बारगढ़	उड़ीसा	840.63
योग ए०सी०सी० लि०			17902.40
आन्ध्र सीमेंट			
15. विजयवाडा (जी)	विजयवाडा	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
16. वैजाग (जी)	विशाखापट्टनम	आन्ध्र प्रदेश	92.01
17. नाडीकुडे दुर्गा सीमेंट	नाडीकुडे	आन्ध्र प्रदेश	228.98
योग आन्ध्र सीमेंट			320.99
बिरला कार्पो० लि०			
18. बिरला विकास	सतना	मध्य प्रदेश	853.72
19. सतना सीमेंट	सतना	मध्य प्रदेश	698.95
20. बिरला सीमेंट	चित्तौरगढ़	राजस्थान	782.11
21. चन्देरिया सीमेंट	चित्तौरगढ़	राजस्थान	1526.00
22. दुर्गापुर (जी)	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	633.43
23. दुर्गा हाई-टेक सीमेंट (जी)	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	8.64
24. बिरला सीमेंट-रायबरेली (जी)	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	647.46
योग बिरला कार्पो० लि०			5150.31
सी०सी०आई० लि०			
25. आदिलाबाद	आदिलाबाद	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
26. अकालतारा	अकालतारा	छत्तीसगढ़	शून्य
27. बोकाजन	बोकाजन	असम	128.34
28. चरखी दादरी	चरखी दादरी	हरियाणा	शून्य

1	2	3	4	5
29.	कुरकुण्टा	कुरकुण्टा	कर्नाटक	शून्य
30.	मंधार	मंधार	छत्तीसगढ़	शून्य
31.	नीमच	नीमच	मध्य प्रदेश	शून्य
32.	राजबान	राजबान	हिमाचल प्रदेश	196.65
33.	तन्दुर	तन्दुर	आन्ध्र प्रदेश	617.48
34.	दिल्ली (जी)	तुगलकाबाद	दिल्ली	शून्य
	योग सीसीआई लि०			942.47
	सेन्चुरी टेक्सटाइल्स			
35.	सेन्चुरी सीमेंट	तिल्डा	छत्तीसगढ़	1711.21
36.	मैहार सीमेंट	मैहार	मध्य प्रदेश	3304.22
37.	मनिकगढ़ सीमेंट	मनिकगढ़	महाराष्ट्र	1620.43
	योग सेन्चुरी टेक्सटाइल्स			6635.86
	चेतीनाद सीमेंट			
38.	चेतीनाद-करूर	करूर	तमिलनाडु	1165.31
39.	चेतीनाद-कराइकल	कराइकल	तमिलनाडु	1195.25
	योग चेतीनाद सीमेंट			2360.56
	ग्रासिम इण्डस्ट्रीज			
40.	राजाश्री-मलखेड	मलखेड	कर्नाटक	2940.33
41.	राजाश्री-होतगी (जी)	होतगी	महाराष्ट्र	1527.33
42.	विक्रम सीमेंट	जावड रोड	मध्य प्रदेश	3162.36
43.	आदित्य सीमेंट	शम्भुपूर्ण	राजस्थान	1731.48
44.	ग्रासिम सीमेंट रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़	1992.23
45.	ग्रासिम साउथ	रेड्डीपलयाम	तमिलनाडु	1182.97
46.	सिक्का	सिक्का	गुजरात	897.41
47.	ग्रासिम-भटिंडा (जी)	भटिंडा	पंजाब	1214.77
	योग ग्रासिम इण्डस्ट्रीज			14648.88
	गुजरात अम्बुजा ग्रुप			
48.	अम्बुजा सीमेंट	कोडिनार	गुजरात	1517.90
49.	गजमबुजा सीमेंट	कोडिनार	गुजरात	2960.10
50.	अम्बुजा सीमेंट (एच०पी०)	दरलाघाट	हिमाचल प्रदेश	1147.82

1	2	3	4	5
51.	अम्बुजा सीमेंट रोपड (जी)	रोपड	पंजाब	2672.11
52.	अम्बुजा सीमेंट-भटिंडा (जी)	भटिंडा	पंजाब	570.74
53.	अम्बुजा सीमेंट-राबरियाबास	पाली	राजस्थान	1773.27
54.	अम्बुजा ईस्टर्न-छत्तीसगढ़	भाटपाड़ा	छत्तीसगढ़	695.91
55.	अम्बुजा ईस्टर्न-पश्चिम बंगाल (जी)	संकरायल	पश्चिम बंगाल	1133.81
56.	मराठा सीमेंट	चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	2622.69
	योग गुजरात अम्बुजा ग्रुप			15094.35
	एचएमपी सीमेंट लि०			
57.	पोरबन्दर	पोरबन्दर	गुजरात	शून्य
58.	शाहबाद	शाहबाद	कर्नाटक	शून्य
	योग एच०एम०पी० सीमेंट लि०			शून्य
	इंडिया सीमेंट			
59.	संकरनगर	टालाययूथ	टी०एन०	1569.69
60.	संकरीदुर्ग	संकरीदुर्ग	टी०एन०	540.83
61.	चिलमकुर वर्क्स	चिलमकुर	ए०पी०	1210.53
62.	डालावोय	त्रिची	टी०एन०	1145.00
63.	विसाका सीमेंट	तन्दुर	ए०पी०	1178.19
64.	येरागन्टला	येरागन्टला	ए०पी०	555.22
65.	रासी सीमेंट	वाडापल्ली	ए०पी०	2234.93
	योग इंडिया सीमेंट			8434.39
	जे०के० ग्रुप			
66.	जे०के० निम्बाहेडा	निम्बाहेडा	राजस्थान	2533.03
67.	जे०के० मंगरोल	मंगरोल	राजस्थान	977.99
68.	लक्ष्मी सीमेंट	सिरोही रोड	राजस्थान	2663.46
69.	जे०के० उदयपुर उद्योग	उदयपुर	राजस्थान	शून्य
	योग जे०के० ग्रुप			6174.48
	जेपी ग्रुप			
70.	जेपी रीवा	रीवा	मध्य प्रदेश	2819.77
71.	जेपी बेला	बेला	मध्य प्रदेश	2152.72

1	2	3	4	5
72.	जेपी-सादवा खुर्द (जी)	सादवा खुर्द	उत्तर प्रदेश	587.43
73.	जेपी अयोध्या (जी)	टांडा	उत्तर प्रदेश	756.02
74.	चर्क (#)	चर्क	उत्तर प्रदेश	शून्य
75.	दल्ला (#)	दल्ला	उत्तर प्रदेश	शून्य
76.	चुनार (जी) (#)	चुनार	उत्तर प्रदेश	शून्य
	योग जेपी ग्रुप			6315.94
	केसोराम इण्डस्ट्रीज			
77.	केसोराम सीमेंट	रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश	1046.61
78.	वास्वदत्ता सीमेंट	सेदाम	कर्नाटक	2075.87
	योग केसोराम इण्डस्ट्रीज			3122.48
	लफार्जे इंडिया (प्रा०) लि०			
79.	अरसमेता सीमेंट	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	1348.57
80.	लफार्ज-सोनादिह	सोनादिह	छत्तीसगढ़	476.09
81.	लफार्ज-जोजोबेडा (जी)	सिंगभूम	झारखण्ड	2748.11
	योग लफार्जे इंडिया (प्रा०) लि०			4572.77
	मद्रास सीमेंट			
82.	रामासामीराजा नगर	आर०एस० राजा नगर	तमिलनाडु	1186.72
83.	जयन्तीपुरम	जग्गायापेट	आन्ध्र प्रदेश	1047.30
84.	अलथियूर वर्क्स-1	अलथियूर	तमिलनाडु	758.02
	अलथियूर वर्क्स-2	अलथियूर	तमिलनाडु	1558.24
	योग मद्रास सीमेंट			4550.28

(#) फरवरी, 06 से मार्च, 06 की अवधि से संबंधित क्योंकि जेपी ग्रुप ने यूपी स्टेट सीमेंट पर फरवरी, 06 से अधिग्रहण किया।

	मालाबार सीमेंट			
85.	मालाबार सीमेंट	पालघाट	केरल	502.22
86.	मालाबार सीमेंट (जी)	अल्लापुझा	केरल	180.70
	योग मालाबार सीमेंट			682.92
	मंगलम सीमेंट			
87.	मंगलम सीमेंट	मोराक	राजस्थान	548.08
88.	नीर श्री सीमेंट	मोराक	राजस्थान	1062.32
	योग मंगलम सीमेंट			1610.40

1	2	3	4	5
	मेहता ग्रुप			
89.	सौराष्ट्र सीमेंट	रानावाव	गुजरात	1069.23
90.	गुजरात सिधी सीमेंट	वेरावल	गुजरात	930.64
	योग मेहता ग्रुप			1999.87
	मैसूर सीमेंट			
91.	मैसूर सीमेंट	अम्मासान्द्रा	कर्नाटक	361.85
92.	डायमण्ड सीमेंट-I	दामोह	मध्य प्रदेश	489.65
	डायमण्ड सीमेंट-II	दामोह	मध्य प्रदेश	453.66
93.	डायमण्ड सीमेंट-झांसी (जी)	झांसी	उत्तर प्रदेश	740.35
	योग मैसूर सीमेंट			2045.52
	ओरिएण्ट पेपर इण्डस्ट्रीज			
94.	ओरिएण्ट सीमेंट	देवापुर	आन्ध्र प्रदेश	1336.68
95.	ओरिएण्ट सीमेंट-जलगांव (जी)	जलगांव	महाराष्ट्र	775.45
	योग ओरिएण्ट पेपर इण्डस्ट्रीज			2112.13
	पन्ना सीमेंट			
96.	पन्ना ताडिपत्री I और II	ताडिपत्री	आन्ध्र प्रदेश	1523.74
97.	पन्ना गणेशपहाड़	गणशपहाड़	आन्ध्र प्रदेश	810.43
	योग पन्ना सीमेंट			2334.17
	तमिलनाडु सीमेंट			
98.	अलनगुलाम	अलनगुलाम	तमिलनाडु	258.03
99.	एरियालूर	एरियालूर	तमिलनाडु	526.82
	योग तमिलनाडु सीमेंट			784.85
	यू०पी० स्टेट सीमेंट			
	चर्क (#)	चर्क	उत्तर प्रदेश	शून्य
	दल्ला (#)	दल्ला	उत्तर प्रदेश	शून्य
	के०सी०सी० (#)			किलिंकरीकरण यू०एन०
	चुनार (जी) (#)	चुनार	उत्तर प्रदेश	शून्य
	योग यू०पी० स्टेट सीमेंट			शून्य

(#) अप्रैल, 05-जून, 06 को अवधि से संबंधित जिसके बाद इसे जेपी ग्रुप द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया।

1	2	3	4	5
	अल्ट्राटेक सीमेंट लि०			
100.	अल्ट्राटेक - एसीडब्ल्यू	चन्द्रापुर	महाराष्ट्र	3122.53
101.	अल्ट्राटेक - जेसीडब्ल्यू (जी)	झारसुगुडा	उड़ीसा	881.65
102.	अल्ट्राटेक - एचसीडब्ल्यू	हिरमी	छत्तीसगढ़	1407.16
103.	अल्ट्राटेक - गुजरात	पिपावाव	गुजरात	3591.89
104.	अल्ट्राटेक - एपीसीडब्ल्यू	टाडपत्री	आन्ध्र प्रदेश	1996.46
105.	अल्ट्राटेक - एआरसीडब्ल्यू (जी)	आरकोनाम	तमिलनाडु	785.37
106.	अल्ट्राटेक - डब्ल्यूबीसीडब्ल्यू (जी)	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल	971.70
107.	जाफराबाद	जाफराबाद	गुजरात	182.59
108.	मागदल्ला (जी)	मागदल्ला	गुजरात	577.86
109.	रत्नागिरी (जी)	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	190.27
	योग अल्ट्राटेक सीमेंट लि०			13707.48
110.	जुआरी सीमेंट	कृष्णा नगर	आन्ध्र प्रदेश	1770.31
111.	श्री विष्णु सीमेंट	सीतापुरम	आन्ध्र प्रदेश	1068.21
	योग जुआरी सीमेंट लि०			2838.52
	अन्य			
112.	श्री सीमेंट	बीवाड़	राजस्थान	3219.95
113.	प्रिज्म सीमेंट	सतना	मध्य प्रदेश	2128.48
114.	बिनानी सीमेंट	सिरोही रोड	राजस्थान	2313.02
115.	इण्डो रामा सीमेंट (जी)	रायगढ़	महाराष्ट्र	489.45
116.	लेमोस सीमेंट	खालडी	झारखण्ड	शून्य
117.	किस्तना	किस्तना	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
118.	बागलकोट उद्योग लि०	बागलकोट	कर्नाटक	101.99
119.	डालमिया सीमेंट	डायमियापुरम	तमिलनाडु	1558.27
120.	ओसीएल इंडिया लि०	राजगंगपुर	उड़ीसा	1583.09
121.	जे एंड के लि०	खीरू	जम्मू एण्ड कश्मीर	159.35
122.	कल्याणपुर सीमेंट	बंजारी	बिहार	456.72
123.	के०सी०पी० लि०	मचेरला	आन्ध्र प्रदेश	531.504
124.	मावमलूह चेरा	चेरापुंजी	मेघालय	100.23
125.	पनयाम सीमेंट	गुग्गानीपल्ले	आन्ध्र प्रदेश	9.10

1	2	3	4	5
126.	सोने वेली	जापला	झारखण्ड	शून्य
127.	रेन इण्डस्ट्रीज लि०	रामापुरम	आन्ध्र प्रदेश	963.68
128.	श्रीराम सीमेंट	कोटा	राजस्थान	393.63
129.	संघी इण्डस्ट्रीज लि०	अबदासा ताल्लुका	गुजरात	1828.09
130.	माई होम इण्डस्ट्रीज लि०	मेलाचेरूवू	आन्ध्र प्रदेश	1626.60
	योग - अन्य			17463.15
	कुल			141805.17

चीन की सीमा पर अवसंरचना

2786. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन की सीमा पर अवसंरचना में सुधार करने का है और 900 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय ने कुछ परियोजनाओं के घने जंगलों मे होकर जाने के कारण कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) सरकार ने 912.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा के साथ-साथ कुल 608 कि०मी० के 27 सड़क संपर्कों के निर्माण का अनुमोदन किया है।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान। कार्यपालक एजेंसियां ब्योरेवार परियोजना रिपोर्टों (डी०पी०आर०) को तैयार कर रही हैं।

महिला स्वयं सहायता समूह संबंधी समिति

2787. **श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार :** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और संभावित अधिकारों पर ध्यान देने के लिए स्वयं सहायता समूह की स्थिति के संबंध में एक समिति का गठन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों/महिला समूहों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) क्या स्वयं सहायता समूह में भागीदारी से महिलाओं को संकट और उपभोग संबंधित जरूरतों में ऋण सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत, स्वसहायता दल के सदस्यों को नियमित बचत की आदत उन्हें आवश्यकता पड़ने पर तात्कालिक ऋण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय महिला कोष भी अन्य बातों के साथ-साथ गरीब महिलाओं की समस्याओं के निदान एवं खपत संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य अभिकरणों के माध्यम से स्व-सहायता दलों को ऋण प्रदान करता है।

मार्च, 2006 तक की स्थिति के अनुसार, स्वयंसिद्धा स्कीम के अंतर्गत 55649 स्व-सहायता दल खपत के लिए तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों को ऋण दे रहे हैं। आज तक की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय महिला कोष के ऋण से 55800 स्व-सहायता दल लाभान्वित हुए हैं।

[हिन्दी]

एन०सी०आर० में जनसंख्या दबाव

2788. **डा० राजेश मिश्रा :**
प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री सज्जन कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एन०सी०आर० पर जनसंख्या के दबाव को देखते हुए काउंटर मैग्नेट नगरों के रूप में विकसित किए जा रहे पांच शहरों को विशेष आर्थिक जोन पर दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या विदेशी निवेशकों ने राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) में निवेश करने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या गत वर्ष से इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में विदेशी निवेश में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आर०बी०आई० के नई दिल्ली क्षेत्र (दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा का कुछ भाग) में एफ०डी०आई० की प्राप्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(राशि करोड़ रु० में)

2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-सित०)
2123.46	3717.53	4564.93	4294.86

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरकारी अधिकारियों की असुरक्षा

2789. श्री किरिप चालिहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय राजस्व आसूचना अधिकारियों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों के माफिया से निपटने को लेकर अधिकारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है; और

(ग) ऐसे अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) सरकार को पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में कार्यरत सीमा शुल्क और केन्द्रीय आबकारी अधिकारियों को धमकी दिए जाने/उनके अपहरण से संबंधित कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। क्षेत्र में औषध के अवैध व्यापार को रोकने में शामिल स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों को अपनी ड्यूटी की प्रकृति के हिसाब से किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध औषध व्यापार की गतिविधियां पूरी तरह से असंगठित है।

(ग) इन अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। इन विभागों के अधिकारियों से प्राप्त सूचना/शिकायतों के संबंध में यथा-समय कार्रवाई किया जाना भी सुनिश्चित है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

2790. श्री टेकलाल महतो : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से राज्यवार तथा विशेषकर झारखंड से कौन-कौन से कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यात का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड से कम निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) भारत से निर्यातित मुख्य कृषि उत्पाद हैं-खाद्यान्न (बासमती एवं गैर-बासमती चावल), गेहूं एवं अन्य अनाजों सहित), गिरीदार फल एवं बीज, मांस, कुक्कुट एवं दुग्ध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य, तेल खाद्य, तम्बाकू एवं इसके उत्पाद, मसाले, चीनी, चाय कॉफी आदि। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए कृषि उत्पादों के कुल निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2003-04	6204
2004-05	7033
2005-06	8762

वर्ष 2005-06 के दौरान झारखंड के संबंध में निर्यात किए गए कुल कृषि उत्पाद 313250974 रु० के हैं। सभी वस्तुओं के संबंध में राज्य-वार कुल निर्यात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) निर्यात को प्रोत्साहन देना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार वस्तु बोर्डों आदि की योजना स्कीमों के अंतर्गत उपायों और प्रोत्साहनों के जरिए कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। भारतीय कृषि उत्पादों का संवर्धन करने के लिएं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने संशोधित दिशानिर्देशों के साथ विभिन्न स्कीमें अर्थात् बाजार विकास सहायता (एम०डी०ए०), बाजार पहुंच पहल (एम०ए०आई०), निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (ए०एस०आई०डी०ई०) आदि लागू की हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न बोर्ड/परिषदें, क्रेता-विक्रेता बैठक के आयोजन, व्यापार मेलों में भागीदारी, व्यापारियों एवं निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडलों के विभिन्न देशों के दौरे के आयोजन जैसे कार्यक्रम शुरू करते हैं। इन उल्लिखित स्कीमों के अंतर्गत देश के निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, पैकेजिंग एवं गुणवत्ता सुधार आदि के लिए भी निर्यातकों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। सरकार ने फलों, सब्जियों, फूलों, दुग्ध, कुक्कुट, लघु वनोत्पाद और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के उद्देश्य से एक विशेष कृषि उपज योजना की घोषणा की है।

विवरण

2005-06, 2004-05, 2003-04 तथा 2002-03 के दौरान राज्य-वार निर्यात आंकड़े

राज्य कोड	राज्य का नाम	अप्रैल 05-मार्च 06 कीमत रु०	अप्रैल 04-मार्च 05 कीमत रु०	अप्रैल 03-मार्च 04 कीमत रु०	अप्रैल 02-मार्च 03 कीमत रु०
1	2	3	4	5	6
01	असम	8246456917	7505837374	5165906544	4802633445
02	मेघालय	2422374956	2272970133	2658892114	2776354972
03	मिजोरम	97649660	348313754	118221681	91052193
06	बिहार	3632665396	4952345898	6303938963	3781216194
07	झारखण्ड	18502756146	21795287018	10870081908	6299386493
09	अरूणाचल प्रदेश	283359238	702790438	818541620	1082048786
10	पश्चिम बंगाल	157673872871	168753829140	137371848392	97561311605
14	नागालैण्ड	64227794	248331491	52773536	44662936
15	मणिपुर	5489414	18068726	24201612	392703911
16	उड़ीसा	64391950043	81003536215	24111624057	24064848611
17	सिक्किम	101122234	122265857	176726880	750764896
18	त्रिपुरा	80377477	102576476	174228725	11942576011
19	अंडमान एवं निकोबार	92707069	152501603	142444905	118852762
20	उत्तर प्रदेश	150034354168	133636415281	112902837465	77275023213
21	उत्तरांचल	3743397766	2806909314	1425363348	608230785

1	2	3	4	5	6
29	दिल्ली	232838877228	197565134664	185529226062	158130360907
30	पंजाब	104360808630	91555438043	84915274563	61762197042
34	हरियाणा	144624725657	112908650569	78747927926	47939790098
39	चंडीगढ़	2092259500	2019368114	2120953002	1748610493
44	जम्मू-कश्मीर	3216621451	2550662650	1607035172	1464326395
46	हिमाचल प्रदेश	8610944231	5407354386	5177991278	2579709872
50	राजस्थान	123559688136	80020267434	64333012717	44304383714
54	गुजरात	645388852355	530444844033	319767169431	222087623733
60	महाराष्ट्र	1415734385735	1204514671187	897451484508	549788577374
67	दमन एवं दीव	6726830336	4782998556	2545121391	945420993
68	गोवा	56658276195	48145989304	28964667075	29060656456
69	दादरा एवं नगर हवेली	5512410612	4105969443	1331155797	306039279
70	मध्य प्रदेश	117620073914	76311094894	61307482193	33351590970
71	छत्तीसगढ़	16300405067	14801527901	10601758896	4252156827
80	आन्ध्र प्रदेश	178475201306	126908627489	117651391919	92730489841
84	कर्नाटक	493091961335	322837418195	219852981698	141014831821
89	लक्षद्वीप	10477260	52898023	46081331	97054571
90	तमिलनाडु	448237700611	374725855924	319638130640	280193188224
96	केरल	87429925277	77403031238	56529953500	56827335889
99	पांडिचेरी	6212160458	4229801866	3726126825	3121933064
	अविर्निदिष्ट	58078470151	47681687808	169294987962	588044856610
	महा योग	4564178616594	3753395270439	2933667482636	2551372770986

यह सूचना निर्यात डी०टी०आर० में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए 'उद्गम का राज्य' पर आधारित है।

[अनुवाद]

पटसन प्रौद्योगिकी मिशन

2791. **श्री सर्वे सत्यनारायण :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक पटसन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) यह मिशन देश में पटसन उत्पादकों के लिए किस सीमा तक उपयोगी होगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का अनुमोदन कर दिया है जिसे अभी औपचारिक रूप से शुरू किया जाना है।

(ख) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रचालन चार लघु मिशनों के जरिए किया जाएगा। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

– पटसन फाइबर की उपज एवं गुणवत्ता में सुधार;

– गुणवत्ता बीजों के विकास एवं आपूर्ति के लिए मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना;

– रेटिंग एवं निष्कर्षण प्रौद्योगिकियों की बेहतर पद्धतियों के जरिए फाइबर की गुणवत्ता में सुधार

– पटसन उद्योग को उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री की आपूर्ति को बढ़ाना तथा कच्ची पटसन के लिए प्रभावी बाजार संपर्क का विकास करना;

– पटसन उद्योगा के लिए आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, विविधीकरण तथा मानव संसाधन का विकास करना;

– पटसन एवं संबद्ध फाइबरों के विविधीकृत प्रयोग के लिए अभिनव प्रौद्योगिकी का विकास एवं वाणिज्यीकरण करना;

(ग) इस मिशन की प्रस्तावित लागत 355.55 करोड़ रु० है।

(घ) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के चार लघु मिशनों में से लघु मिशन-I, II एवं III विशेष रूप से पटसन उत्पादकों के विकास के लिए है। लघु मिशन-I का अधिदेष पटसन एवं संबद्ध फसलों के लिए उन्नत किस्मों एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों को सुदृढ़ करना है 1 इससे पटसन उत्पादकों को अच्छी गुणवत्ता वाली बीज एवं अल्पावधि की फसलें उपलब्ध होंगी। लघु मिशन-II का अधिदेष विस्तार के जरिए किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी का अंतरण करना है। इससे किसानों को नवीनतम रेटिंक तकनीक उपलब्ध होगी तथा फसलों के गुणवत्ता सुधार में भी सहायता मिलेगी। लघु मिशन-III का अधिदेष मौजूदा बाजार अवसंरचना एवं किसानों को दी जा रही सुविधाओं के उन्नयन के द्वारा कच्ची पटसन के विकास एवं प्रभावी बाजार संपर्क तथा मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना है। इससे किसान विश्वसनीय एवं सुगम बाजार सूचना दिए जाने से उचित बाजार कीमत प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा

2792. श्री कमला प्रसाद रावत :
श्री एस०के० खारवेनथन :

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रेलवे सहित विभिन्न सरकारी विभागों को की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्रदर्शनियों/व्यापार मेले का आयोजन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जिलेवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रदर्शनियों से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों के बाजार में विस्तार करने में सहायता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 (नवम्बर, 2006) के दौरान भारतीय रेलवे सहित, विभिन्न सरकारी संगठनों को की गई पूर्तियों का ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

क्रम सं०	उत्पाद	सप्लाई का मूल्य (लाख रु०)			
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (नवम्बर, 2006 तक)
1.	सूती खादी (रेट कान्ट्रैक्ट मदें)	1744.52	1714.76	1758.06	1216.85
2.	पोली वस्त्र/बैड शीट	45.87	16.09	308.69	4.68
3.	हैन्डीक्राफ्टस एवं गैर रेट कान्ट्रैक्ट	96.01	0.00	0.00	0.00
4.	अन्य गैर दर कान्ट्रैक्ट मदें	0.00	467.79	220.62	0.00
	जोड़	1886.40	2198.64	2287.37	1221.53

(ख) और (ग) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान देश के विभिन्न भागों में के०वी०आई०सी० द्वारा आयोजित खादी एवं ग्रामीण उद्योग (के०वी०आई०) उत्पादों की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य, जिला स्तर की प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, इत्यादि की संख्या क्रमशः विवरण I, II और III में दी गई है।

(घ) और (ङ) ये प्रदर्शनियां के०वी०आई० उत्पादों की बिक्री का संवर्धन करने के साथ-2 सामान्य लोगों के बीच इन उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा संभावी क्रेता बनाने में सहायता देती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदर्शनियों के कारण उत्पादित अनुमानित अतिरिक्त बिक्री नीचे दी गई है:

वर्ष	अतिरिक्त बिक्री (करोड़ रु०)
2003-04	39.21
2004-05	60.72
2005-06	54.29

विवरण-I

2003-04 के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	एन०एल०	जैड०एल०	एस०एल०	डी०एल०	एम०बी० एल०	संस्थान	अन्य	क्रेता-विक्रेता बैठकें	डीएसओ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश			1	3		1				5
2.	बिहार			2	4					1	7
3.	झारखंड		1		1	1					3
4.	गोवा							1		1	2
5.	गुजरात			1	3						4
6.	हरियाणा			2	1						3
7.	हिमाचल प्रदेश			1							1
8.	जम्मू-कश्मीर				4						4
9.	कर्नाटक	1		3	2	1		1	1	4	13
10.	केरल		1		6	1	1	1		5	15
11.	मध्य प्रदेश			1	1					2	4
12.	छत्तीसगढ़			2							2
13.	महाराष्ट्र			1	7			12	1	3	24
14.	उड़ीसा			2	5						7
15.	पंजाब		1	2	1						4
16.	राजस्थान	1		1	4						6
17.	सिक्किम										–
18.	तमिलनाडु				5			1			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	उत्तर प्रदेश			2	9	2	1				14
20.	उत्तरांचल			1	1						2
21.	पश्चिम बंगाल			1	2			1	1	5	10
22.	अंडमान एवं निकोबार										—
23.	दिल्ली			1	1			3	1	4	10
24.	पांडिचेरी										—
25.	मेघालय									1	1
26.	असम		1		2			1			4
27.	त्रिपुरा			1							1
28.	मिजोरम			1							1
29.	मणिपुर			1							1
30.	अरूणाचल प्रदेश			1	1						2
31.	नागालैंड				1		1				2
32.	दादर एवं नगर हवेली				7					2	9
	जोड़	2	4	28	71	5	4	21	4	28	167

एल०एल०: राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी

जैड०एल०: क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी

एस०एल०: राज्य स्तर की प्रदर्शनी

डी०एल०: जिला स्तर की प्रदर्शनी

डी०एस०ओ: विभागीय बिक्री केन्द्र

एम०बी०एल०: चलती फिरती प्रदर्शनियां

विवरण-II

2004-05 के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2004-05 के दौरान आयोजित								जोड़
		एन०एल०	जैड०एल०	एस०एल०	डी०एल०	विशेष				
						प्रदर्शनी	भागीदारी	पूर्वोत्तर के०जी० मेला	क्रेता-विक्रेता बैठक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	दिल्ली	—	—	1	2	1	3	1	—	8
2.	हरियाणा	—	—	2	4	—	—	—	—	6
3.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	जम्मू-कश्मीर	—	—	1	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	पंजाब	—	1	—	3	—	—	—	—	4
6.	राजस्थान	1	—	2	9	7	—	—	1	20
7.	बिहार	—	—	2	6	—	—	—	—	8
8.	झारखंड	—	—	1	1	—	—	—	—	2
9.	उड़ीसा	—	—	1	7	—	—	—	—	8
10.	पश्चिम बंगाल	—	—	1	3	—	7	1	—	12
11.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	1	3	—	—	—	—	4
13.	असम	—	1	—	8	—	—	—	—	9
14.	मणिपुर	—	—	—	2	—	—	—	—	2
15.	मेघालय	—	—	—	2	—	—	—	—	2
16.	मिजोरम	—	—	—	2	—	—	—	—	2
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	त्रिपुरा	—	—	1	5	—	—	—	—	6
19.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	2	8	4	—	—	—	14
20.	कर्नाटक	1	—	1	6	19	—	1	1	29
21.	केरल	—	1	1	8	2	—	—	—	12
22.	तमिलनाडु	—	—	3	7	—	—	—	—	10
23.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	गुजरात	—	—	1	6	2	—	—	—	9
25.	महाराष्ट्र	—	—	1	9	3	1	1	2	17
26.	छत्तीसगढ़	—	—	2	2	—	—	—	—	4
27.	मध्य प्रदेश	—	1	1	6	—	—	—	—	8
28.	उत्तरांचल	—	—	2	4	1	—	—	—	7
29.	उत्तर प्रदेश	1	—	4	15	—	—	—	1	21
30.	अंडमान एवं निकोबार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	3	1	—	—	—	4
33.	दमन एवं दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल जोड़	3	4	31	131	40	11	4	5	229

एल०एल०: राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी

जैड०एल०: क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी

एस०एल०: राज्य स्तर की प्रदर्शनी

डी०एल०: जिला स्तर की प्रदर्शनी

वर्ष के दौरान कोई चलती-फिरती प्रदर्शनियां आयोजित नहीं की गई, चूंकि ये अधिक व्यय वाला कार्य था।

विवरण-III

2005-06 के दौरान आयोजित प्रदर्शनियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र	2005-06 के दौरान आयोजित					
		एन०एल०	जैड०एल०	एस०एल०	डी०एल०	विशेष	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली	0	0	1	8	0	9
2.	हरियाणा	0	0	1	10	0	11
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	2
4.	जम्मू-कश्मीर	0	0	1	2	0	3
5.	पंजाब	0	1	0	11	0	12
6.	राजस्थान जयपुर	1	0	2	17	0	20
7.	बिहार	0	0	1	6	0	7
8.	झारखंड	0	1	0	2	0	3
9.	उड़ीसा	0	0	0	5	0	5
10.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	2	1	3
11.	सिक्किम	0	0	0	2	0	2
12.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	2
13.	असम	0	1	0	8	0	9
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	1	1	0	2
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
19.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	2	11	0	13
20.	कर्नाटक	1	0	2	0	0	3
21.	केरल	0	0	0	9	0	9
22.	तमिलनाडु	0	1	0	16	0	17
23.	गोवा	0	0	0	2	0	2
24.	गुजरात	0	0	1	6	0	7
25.	महाराष्ट्र	0	1	1	8	1	11
26.	छत्तीसगढ़	0	0	1	5	0	6
27.	मध्य प्रदेश	0	0	1	10	0	11
28.	उत्तरांचल	0	1	0	0	0	1
29.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	27	0	27
	जोड़	2	6	15	172	2	197

एन०एल०: राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी

जैड०एल०: क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी

एस०एल०: राज्य स्तर की प्रदर्शनी

डी०एल०: जिला स्तर की प्रदर्शनी

वर्ष के दौरान कोई चलती-फिरती प्रदर्शनियां आयोजित नहीं की गई, चूंकि ये अधिक व्यय वाला कार्य था।

सिल्क रूट के जरिए आयात

2793. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री महेश कनोडीया :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन का विचार सिल्क रूट के जरिए व्यापार के लिए चुने गए उत्पादों की सूची में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) चीन सरकार ने नाथुला दर्रे के सिल्क मार्ग के जरिए व्यापार हेतु चुने गए उत्पादों की सूची में संशोधन करने के प्रस्ताव के साथ भारत सरकार से सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घरेलू हिंसा अधिनियम

2794. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :
श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री जी०वी० हर्ष कुमार :
श्री मोहन रावले :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) 26 अक्तूबर, 2006 से लागू हो गया है।

(ख) और (ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे अधिनियम के अनुसार तत्काल निम्नलिखित कदम उठाएं:

(i) प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करें और उन्हें आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध करायें;

(ii) सेवा प्रदायकों से आवेदन आमंत्रित करें तथा समुचित सत्यापन के पश्चात उन्हें पंजीकृत करें;

(iii) संरक्षण अधिकारियों तथा सेवा प्रदायकों के नाम, पते व टेलीफोन नम्बर प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें और इस जानकारी को राज्य सरकार के वेबसाइट पर उपलब्ध करायें; तथा

(iv) अधिनियम के उपबन्धों का व्यापक प्रचार करें।

(घ) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, पंजाब में 8 मामले दर्ज किये गए हैं।

बच्चों पर यौन हिंसा के संबंध में यूनिसेफ की रिपोर्ट

2795. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिसेफ द्वारा बच्चों पर हिंसा के संबंध में किसी अध्ययन में यह पाया गया है कि लड़कियों पर यौन हिंसा की आशंका ज्यादा रहती है जबकि लड़कों पर विशेष रूप से हथियारों द्वारा की जाने वाली शारीरिक हिंसा की ही आशंका रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूनिसेफ की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या अध्ययन में यह भी पाया गया है कि बच्चों के कुछेक समूह अथवा वर्ग अन्य वर्गों की तुलना में हिंसा के ज्यादा शिकार होते हैं; और

(च) देश में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) यूनिसेफ ने बच्चों के साथ हिंसा पर कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने विश्व में बच्चों के साथ हिंसा पर श्री पॉलो सर्जिओ पिन्हेरो नामक एक विशेषज्ञ से अध्ययन कराया है। अध्ययन की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, जिसमें इस बारे में विश्व में स्थिति दर्शाई गई है। रिपोर्ट में इस समस्या की प्रकृति और व्याप्ति, बच्चों के साथ होने वाली हिंसा के कारणों, विभिन्न परिस्थितियों में हिंसा की प्रतिक्रिया तथा इसके निवारण संबंधी संस्तुतियों का उल्लेख है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियां हिंसा विशेषकर यौन हिंसा की ज्यादा शिकार है, जबकि लड़कों के हत्या के, विशेषकर हथियारों से हिंसा के शिकार होने से संभावना अधिक होती है।

(ग) और (घ) सरकार ने उपुयक्त कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की ओर अपेक्षित ध्यान दिया है।

(ङ) बताया गया है कि अक्षम बच्चे और शिक्षण में कमजोर बच्चे, शरणार्थी बच्चे, देशी अल्पसंख्यकों तथा खानाबदोश समुदायों के बच्चे, अनाथ बच्चे, एच०आई०वी०/एड्स से प्रभावित बच्चे और लड़कियां हिंसा की ज्यादा शिकार होती हैं।

(च) बच्चों को विभिन्न कानूनों, नीतियों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से संरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे भारतीय दण्ड संहित, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल चार्टर, निराश्रित बच्चों हेतु समेकित स्कीम, किशोर अपराध न्याय हेतु समेकित स्कीम, आदि।

अमरीकी व्यापार

2796. श्री एल० राजगोपाल : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत को दिए गए 32 वर्ष पुराने व्यापार के लाभों की समीक्षा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत की अमरीका से जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या लाभ मिल रहे हैं;

(ग) क्या यह कदम भारत की अपने बाजार को विकसित देशों के लिए और अधिक खोलने में अनिच्छा के प्रति एक बदले के तौर पर है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय कूटनीतिक और राजनीतिक चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम का 31 दिसम्बर, 2006 के बाद भी नवीकरण करने का कोई प्रयास कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) अमरीका ने भारत सहित 13 लाभानुभोगी देशों से इस आशय की लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की हैं कि क्या सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली कार्यक्रम (जी०एस०पी०) स्कीम की वार्षिक समीक्षा के अंतर्गत इन देशों को प्राप्त व्यापार लाभों को सीमित, स्थगित कर दिया जाए अथवा वापस ले लिया जाए।

(ख) भारत से 18.8 बिलियन अमरीकी डॉलर के अमरीकी आयातों में से 4.17 बिलियन अमरीकी डालर के आयात वर्ष 2005 में यू०एस० – जी०एस०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत शुल्क मुक्त थे।

(ग) वर्ष 2005 में जिन देशों ने 100 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का वार्षिक जी०एस०पी० उपयोग किया है और जो विश्व बैंक के अनुसार उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था वाले देश हैं अथवा जिनका वैश्विक वस्तु निर्यातों का 0.25% से अधिक हिस्सा बनता है, उन देशों को वर्तमान समीक्षा के लिए लिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने भारत को जी०एस०पी० लाभ जारी रखने को न्यायोचित ठहराहते हुए एक विस्तृत याचिका प्रस्तुत की है। यह मुद्दा समय-समय पर आयोजित द्विपक्षीय बैठकों में भी उठाया गया है।

सीमा क्षेत्र विकास योजना को तीव्रता से अंतिम रूप देना

2797. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों से सीमा क्षेत्र विकास योजना (बी०ए०डी०पी०) के अंतर्गत अपनी कार्य योजना को तीव्रता से अंतिम रूप देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा त्वरित रूप से की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को तब से अपनी योजनाएं प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। सभी सत्रह सीमावर्ती राज्यों ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०) के तहत वर्ष 2006-2007 के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं जिनमें सामाजिक आधारभूत ढांचे, लिंग रोड, आजीविका, शिक्षा, खेल-कूद, स्वास्थ्य, पीने का पानी, कृषि और संबंधित क्षेत्र तथा पर्यटन आदि क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव किया गया है। वार्षिक कार्य योजनाएं (ए०ए०पी०) का अनुमोदन कर दिया गया है और बी०ए०डी०पी० के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकारों को निधियां जारी कर दी गई हैं।

आसियान की असफलता

2798. **डा० टोकचोम मैन्या :**
डा० के०एस० मनोज :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफ०टी०ए०) का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कतिपय कृषि उत्पादों पर प्रशुल्क में कटौती की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कतिपय प्रशुल्क लाइनों हेतु प्रशुल्क समाप्त किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत विशेष सुरक्षा स्वीकृति का बढ़ते हुए भारत-चीन व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा; और

(ज) यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) आसियान तथा भारत के बीच व्यापार आर्थिक सहयोग करार (सी०ई०सी०ए०) संबंधी कार्यढांचा करार पर दिनांक 8 अक्तूबर, 2003 को बाली, इण्डोनेशिया में हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, अंतिम रूप से सहमति नहीं बनी है।

(ग) से (च) टैरिफों में कमी करने संबंधी रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं।

(छ) और (ज) चूंकि अंतिम रूप से सहमति नहीं बनी है इसलिए भारत-चीन व्यापार पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

अंतर्राष्ट्रीय परिधान दुकानें

2799. श्री डी० विट्टल राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय परिधान दुकानें खोली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थल कौन-कौन से हैं;

(ग) ये वस्त्र उद्योग तथा क्रेताओं के लिए किस सीमा तक उपयोगी होंगे; और

(घ) देश में ऐसी दुकानों के भावी कार्यक्रम क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने गुड़गांव (हरियाणा) में एक अपैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्ट (ए०आई०एम०) परियोजना मंजूर की है। यह परियोजना पूरी होने वाली है। इस परियोजना के तहत बनाए गए एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन केन्द्रीय वस्त्र मंत्री द्वारा 13.06.2006 को किया गया।

(ग) और (घ) इस ए०आई०एम० में अपैरल विनिर्माता और निर्यातकों से क्रेताओं और क्रेता गृहों और संघों तक की निर्यात श्रृंखला के सभी अनिवार्य संपर्कों का नेटवर्क बनाने की परिकल्पना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल आधुनिक सुविधाओं से सज्जित यह ए०आई०एम० एकमात्र स्थायी उद्योग मंच है जो विकास के लिए अत्यधिक संभावनाएं प्रदान करता है। यह मार्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को व्यापार करने के लिए एक स्थायी विपणन स्थल प्रदान करेगा। सरकार की योजना परिधान निर्यातकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के लाभार्थ अपैरल और इसकी इनपुट्स पर अंतर्राष्ट्रीय मेले, उत्पादकता संगोष्ठियां, उत्पाद विकास संगोष्ठियां, सामग्री उपलब्ध कराने और फैशन पूर्वानुमान संगोष्ठियां आयोजित करने की है। ए०आई०एम० फोरेक्स और बैंक जैसी इन-हाउस सुविधाएं भी प्रदान करेगा। देश के अन्य भागों में ए०आई०एम० का आगे विस्तार करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

अवैध खनन

2800. श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री अनन्त नायक :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न खनिजों का अवैध खनन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने मामले सामने आए हैं तथा कितने प्रमुख दोषियों की पहचान की गई है; और

(ग) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों में अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ग) अवैध खनन के कुछ मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं। राज्य सरकारें, खनिजों की मालिक हैं और खनन पट्टे प्रदान करती हैं। चूंकि खनिज अधिकार और राजस्व के संग्रहण का अधिकार राज्य सरकार के पास है तथा पुलिस और कानून एवं व्यवस्था तंत्र संबंधित राज्यों के पास है, इसलिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अनुसार, अवैध खनन को रोकने की पूरी शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई हैं। अवैध खनन के मामलों से संबंधित आंकड़े, केन्द्र के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अवैध खनन, ढुलाई, आदि को रोकने के लिए नियम बनाए, राज्य/जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करें और अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में तिमाही विवरणी, खान मंत्रालय को समीक्षा हेतु भेजें। गत एक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों ने कुल 11057.96 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रमुख/गौण खनिजों के अवैध खनन के 29382 मामलों का पता लगाया है। राज्य सरकारों ने अवैध खनन के 1047 मामलों में एफ०आई०आर० दर्ज करवायी है, 4961 कोर्ट केस दायर किए गए और न्यायालयों ने 3817 मामलों का निर्णय किया।

सर्व-शिक्षा अभियान का समवर्ती मूल्यांकन

2801. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अषलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने द्वारा शुरू किये गए सर्व-शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) का समवर्ती मूल्यांकन करने हेतु कई स्वतंत्र अभिकरणों को अधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्व-शिक्षा अभियान का समवर्ती मूल्यांकन करने वाले अधिकृत अभिकरणों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन अभिकरणों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) इस उद्देश्य हेतु चिन्हित मानीटरिंग संस्थाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इनमें से 17 ने अपनी अर्धवार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत की है।

(घ) यह रिपोर्ट राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति पर स्वतंत्र फीडबैक प्रदान करती है।

विवरण

मानीटरिंग संस्थाओं की सूची

1. जम्मू विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, जम्मू तवी, जम्मू और कश्मीर।
2. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार केंद्र, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
3. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, कुरूक्षेत्र, हरियाणा।
4. सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च, अहमदाबाद, गुजरात।
5. महराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, शिक्षा विभाग, बड़ौदरा, गुजरात।
6. एस०एन०डी०टी० कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, पुणे, महाराष्ट्र।
7. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश।
8. ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना, बिहार।
9. जामिया मिलिया इस्लामिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, नई दिल्ली।
10. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, गुवाहाटी, असम।
11. राजीव गांधी विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश।
12. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।
13. जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, जमशेदपुर, झारखंड।
14. इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगालुरू, कर्नाटक।
15. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर, कर्नाटक।
16. सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, त्रिवेन्द्रम, केरल।
17. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस, मुम्बई, महाराष्ट्र।
18. एम०पी० इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साईंस रिसर्च, उज्जैन, मध्य प्रदेश।
19. भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र।
20. मणिपुर विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, इम्फाल, मणिपुर।
21. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, शिलांग, मेघालय।
22. मिजोरम विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, आइजोल, मिजोरम।
23. नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैंड।
24. नाबाकृष्णा चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, भुवनेश्वर, उड़ीसा।
25. डा० पी०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्सड स्टडी इन एजुकेशन, संबलपुर, उड़ीसा।
26. पंजाब विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, चंडीगढ़।
27. इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर, राजस्थान।
28. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल।
29. अलगप्पा विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, कराइकुडी, तमिलनाडु।
30. भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगालुरू, कर्नाटक।
31. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, एनालेटिकल एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स विभाग, अगरतला, त्रिपुरा।
32. गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
33. गोविन्द वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट, झुन्सी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
34. सेंटर फॉर एडवांस डेवलपमेंट रिसर्च, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
35. लखनऊ विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
36. राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान, मसूरी, उत्तरांचल।
37. भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
38. विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल।
39. सेंटर फॉर स्टडीज एन डेवलपिंग सोसायटी, दिल्ली।
40. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी।

नाथूला के जरिए व्यापार

2802. श्री रेवती रमन सिंह :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाथूला के जरिए भारत-चीन व्यापार उपयुक्त बुनियादी संरचना के अभाव में तथा आयकर विभाग द्वारा आई०ई०सी० जारी न किये जाने के कारण प्रभावित हो रहा है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि का व्यापार हुआ है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत-चीन ने किन-किन क्षेत्रों में व्यापार स्थापित किया है;

(घ) क्या सरकार के पास आने वाले वर्षों में भारत-चीन व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने हेतु किन गए क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(च) व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या सुरक्षा ऐहतियात बरती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। दिनांक 6.7.2006 से 27.7.2006 तक की अवधि के दौरान नाथूला दर्रे के जरिए निर्यात एवं आयात में कुछेक दिक्कतें आई थीं। क्रियाविधि पुस्तक के पैरा 2.8 के साथ पाठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.2 के अनुसार वैध आयात-निर्यात कोड के बिना निर्यात एवं आयात करने की अनुमति नहीं थी। डी०जी०एफ०टी० द्वारा जारी दिनांक 27.7.2006 की सार्वजनिक सूचना सं० 36 (आर०ई०-2006)/2004-2009 के तहत यह अधिसूचित किया गया है कि 25,000 रुपये के सी०आई०एफ० मूल्य तक आयात और निर्यात कोर्ड अपेक्षित नहीं होगा।

(ख) नाथुला रास्ते को खोल दिए जाने के बाद जुलाई से सितम्बर, 2006 तक इस रास्ते से 8.86 लाख रुपये मूल्य का माल निर्यात किया गया है और 10.61 लाख रुपये मूल्य का माल आयात किया गया है।

(ग) भारत से चीन को किए गए प्रमुख निर्यातों में लौह अयस्क, कपास, कार्बनिक रसायन, हीरे, भारी मशीनरी, प्लास्टिक, तांबा एवं पशु आहार शामिल हैं। चीन से भारत को किए जाने वाले निर्यातों की प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में विद्युत मशीनरी, कार्बनिक रसायन, लौह व इस्पात उत्पाद एवं रेशम शामिल हैं।

(घ) से (च) जी हां। संवर्धित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग में दोनों देशों के बीच सम्भावित अनुपूरकताओं की जांच करने एवं भारत-चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विकास हेतु एक कार्यक्रम तैयार करने की दृष्टि से जून, 2003 में प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के उपरांत एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया था। जे०एस०जी० की सिफारिशों के अनुसरण में सम्भावित चीन-भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आर०टी०ए०) की व्यवहार्यता तथा इससे प्राप्तव्य लाभों की जांच करने एवं इसकी विषय-वस्तु के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एक संयुक्त कार्य बल का गठन किया गया है। संयुक्त कार्य बल की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। व्यापारिक समुदाय का हित सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्यबल में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

एन०डी०एम०सी० में कीओस्क और बिक्री केन्द्रों के आबंटन में अनियमितता

2803. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्त व्यक्तियों संबंधी पुनर्वास नीति के क्रियान्वयन और कीओस्क, दुकानों एवं बिक्री केन्द्रों को पट्टे पर देने में नई दिल्ली नगर-पालिका परिषद (एन०डी०एम०सी०) द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार एन०डी०एम०सी० ने कुल कितने निःशक्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और बिक्री केन्द्रों और कीओस्कों का आबंटन किया और कितने निःशक्त व्यक्तियों को बिक्री केन्द्रों और कीओस्कों के आबंटन और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले लोगों की प्रतीक्षा सूची में रखा गया है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार एन०डी०एम०सी० ने कितने निःशक्त व्यक्तियों को पट्टे पर बिक्री केन्द्र और कीओस्क प्रदान किये और उनसे कितनी फीस वसूली गई; और

(घ) निःशक्त व्यक्तियों को बिक्री केन्द्र दुकान और कीओस्क के आबंटन के लिए एन०डी०एम०सी० द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् एन०डी०एम०सी० क्षेत्र में रहने वाले 38 अपंग व्यक्तियों को 3.50 रुपये प्रति महीने की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसने अक्तूबर, 2006 तक अपंग व्यक्तियों को चार दुकाने और एक पुष्प खोखा स्थल भी आबंटित किया है। इस उद्देश्य के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। उक्त चार दुकानों और एक खोखे से ली जाने वाली महीनेवार लाइसेंस फीस निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	दुकान/खोखे की स्थिति	प्रति महीना लाइसेंस फीस की दर
(i)	रफी मार्ग सबवे	4679/-रु०
(ii)	प्रेस क्लब	3300/-रु०
(iii)	शहीद भगत सिंह प्लेस	10418/-रु०
(iv)	यशवंत प्लेस	1044/-रु०
(v)	बहादुरी पुरस्कार विजेता का पालिका बाजार पर पुष्प खोखा	1 रुपया प्रति वर्ग फुट

(घ) दुकान/खोखे इत्यादि मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित टेंडरों के माध्यम से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा आबंटित किए जाते हैं और 3% नई इकाईयां जो उपलब्ध होती हैं, को अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखा जाता है। यदि अपंग व्यक्ति नहीं मिलता है तो ऐसे मामलों में, ये आरक्षित दुकानें/खोखे सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को आबंटित कर दी जाती है।

[अनुवाद]

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2804. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ०डी०आई०) को और अधिक उदार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अधिक उदार बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(छ) क्या इस प्रकार के उदारीकरण से स्वदेशी क्षेत्र और भारतीय लघु खुदरा व्यापारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ज) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) स्वदेशी क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार के अलावा खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) निषेध है। सरकार ने दिनांक 10 फरवरी, 2006 के प्रेस नोट सं० 3 (2006 श्रृंखला) के द्वारा इसमें निहित शर्तों के अध्यधीन 'एकल ब्राण्ड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 51% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) की अनुमति दी है।

(ग) से (च) क्षेत्रीय इक्विटी की उच्चतम सीमा तथा संबद्ध प्रक्रियाओं सहित एफ०डी०आई० नीति को सतत् आधार पर संशोधित किया जाता है।

(छ) से (झ) एफ०डी०आई० आर्थिक विकास का उच्चतर स्तर प्राप्त करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन के अवसर उपलब्ध कराने, वैश्विक प्रबंधकीय दक्षताओं व पद्धतियों तक पहुंचने, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, भारतीय उद्योग को अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने, निर्यात बाजारों को खोलने, अन्तरराष्ट्रीय गुणवत्ता वस्तुओं तथा सेवाओं को पश्चगामी तथा अग्रगामी संपर्क तथा पहुंच प्रदान करने में घरेलू निवेश में सहायता करने और इसे पूरक बनाने का एक साधन है।

यूनीसेफ और एन०एस०एस०ओ० द्वारा महिला एवं बालकों संबंधी अध्ययन

2805. श्रीमती पी० सतीदेवी : क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और यूनीसेफ द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं और बालकों के कल्याण से संबंधित कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) यूनिसेफ के अनुरोध पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने भारत के 14 राज्यों के 43 चुनिन्दा जिलों में बच्चों और महिलाओं के कल्याण पर एक सर्वेक्षण आयोजित किया। इन 43 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। सर्वेक्षण में बच्चों और महिलाओं के कल्याण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जैसा उनका स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा, एच०आई०वी०/एड्स के बारे में उनकी सोच तथा जानकारी/सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इन जिलों के गांवों में सेवाओं की प्रदायगी की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया। एक जिले से दूसरे जिले के बीच और एक ही जिले के भीतर महिलाओं और पुरुषों, आयु-वर्गों, धर्मों सामाजिक वर्गों, माताओं की शिक्षा के स्तर तथा आवास स्तर जैसी विभिन्न श्रेणियों में अनेक संसूचकों के संबंध में भारी विषमताएं पायी गयीं।

विवरण

43 जिलों के नाम, जहां सर्वेक्षण कराया गया

राज्य	जिला
1	2
आंध्र प्रदेश	चित्तूर
	पूर्वी गोदावरी

1	2
	मेडक
	निजामाबाद
असम	डिबरूगढ़
	कामरूप
बिहार	नालन्दा
	गया
	मुजफ्फरपुर
	वैशाली
छत्तीगसढ़	राजनंदगांव
गुजरात	डांग
	वलसाड
	वडोदरा
झारखण्ड	पूर्वी सिंहभूम
	रांची
	पश्चिमी सिंहभूम
कर्नाटक	रायचूर
	मैसूर
	तुम्कुर
मध्य प्रदेश	गूना
	शिवपुरी
	ग्वालियर
महाराष्ट्र	औरंगाबाद
	चन्द्रपुर
	नन्दुरबार
	लातूर
उड़ीसा	बालेश्वर
	कोरापुट
	मयूरभंज
राजस्थान	धौलपुर
	झालावाड़
	अलवर
	टोंक
तमिलनाडु	तिरूवैल्लौर
	वैल्लौर
	कृष्णागिरी
उत्तर प्रदेश	ललितपुर
	वाराणसी
	सीतापुर
पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
	पुरूलिया
	दक्षिण 24 परगना

वीजा

2806. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एस०ई०जेड० में स्थापित इकाईयों में कार्य करने हेतु चीन, ताइवान और श्रीलंका के विदेशी कामगारों को वीजा प्रदान करने में असाधारण विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी कामगारों को वीजा प्रदान करने में यह विलंब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गृह मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक सतर्कता की वजह से है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के विलंब से भारतीय एस०ई०जेड० में विदेशी निदेशकों के बीच गलत संदेश जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो वीजा प्रदान करने में विलंब को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) चीन, ताइवान और श्रीलंका के विदेशी कामगारों सहित विदेशियों को रोजगार देने पर कोई आम प्रतिबंध नहीं है। तथापि, ऐसे विदेशियों को वीजा मंजूर करने के लिए यथा निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ऐसे विदेशियों को वीजा की मंजूरी, कहीं भी अथवा जहां उचित और आवश्यक प्रतीत होता है, सुरक्षा सत्यापन के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सरकार, जहां कहीं अपेक्षित हो, सुरक्षा सत्यापन के अध्यधीन यथा संभव शीघ्रतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करती है।

(घ) वीजा क्षेत्र में परिवर्तन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। हाल में चीनी राष्ट्रिकों के वीजा दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है जबकि जहां कहीं अपेक्षित हो वहां सुरक्षा सत्यापन की आवश्यकता को जारी रखा गया है।

चमड़ा उद्योग हेतु चर्म-शोधशाला प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन कोष

2807. श्री ए०के० मूर्ति : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग हेतु चर्म-शोधशाला प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन कोष की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु के लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) पूरी धनराशि जारी न करने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने चमड़ा उद्योग के सभी खण्डों में आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 'चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास' (आई०डी०एल०एस०) नामक एक व्यापक योजना अधिसूचित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चर्मशोधनशालाएं शामिल हैं। यह योजना 3 नवंबर, 2005 से संचालन में आई। लघु उद्योग एककों को 30 प्रतिशत की दर से तथा गैर लघु उद्योग एककों को 20 प्रतिशत की दर से निवेश अनुदान के रूप में यह सहायता उपलब्ध है जिसकी उच्चतम सीमा लघु उद्योग एककों तथा गैर लघु उद्योग एककों दोनों के लिए 50 लाख रुपये है। इस योजना को दो परियोजना क्रियान्वयन एककों (पी०आई०यू०एस०) अर्थात् चर्मशोधनशालाओं हेतु केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी०एल०आर०आई०) तथा चमड़े की वस्तुओं और परिधानों, जीनसाजी, चमड़ा फुटवियर तथा फुटवियर संघटकों के लिए फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान (एफ०डी०डी०आई०) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक किसी औद्योगिक एकक को पी०आई०यू० को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है। पी०आई०यू० द्वारा तकनीकी मूल्यांकन तथा एककों को ऋण मंजूर करने के लिए संबंधित बैंकों अथवा स्व-वित्तपोषण के मामलों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा वित्तीय मूल्यांकन के बाद आवेदनों को मंजूरी हेतु संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस योजना में निधियों के राज्य-वार आवंटन हेतु कोई व्यवस्था नहीं होती है।

(ग) तमिलनाडु राज्य से संबंधित, संचालन समिति द्वारा अनुमोदित मामलों तथा जारी की गई निधियों के ब्यौरे नीचे तालिका में दिये गये हैं:—

संचालन समिति द्वारा अनुमोदित मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त भारत सरकार की सहायता की राशि	एककों को जारी की गई भारत सरकार की सहायता की राशि	चर्मशोधनशाला हेतु जारी की गई भारत सरकार की सहायता की राशि	चर्मशोधनशाला को छोड़कर एककों को जारी की गई भारत सरकार की सहायता की राशि	स्थापना स्थल पर मशीनों की अधिष्ठापना के पश्चात एककों को जारी की जाने वाली राशि
48 मामलें (39 चर्मशोधनशालाएं तथा 9 अन्य)	9.91 करोड़ रुपये	1.82 करोड़ रुपये	0.93 करोड़ रुपये	0.89 करोड़ रुपये	8.09 करोड़ रुपये

(घ) योजना के लिए भारत सरकार की सहायता स्थल पर मशीनों की स्थापना करने एवं उनकी खरीद के लिए जारी की जाती है। यह योजना केवल नवंबर, 2005 से ही कार्यान्वित की जा रही है और अधिकांश इकाइयां अभी अपनी आधुनिकीकरण परियोजनाओं को ही कार्यान्वित करने में लगी हैं। जहां कुछ परियोजनाएं अभी कार्यान्वयन के अधीन हैं, वहीं आनुपातिक सहायता को जारी करने की अनुमति भी दी गई है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर पर्यटक स्थलों का विकास

2808. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार का विचार भारत बांगलादेश सीमा पर स्थित पर्यटक स्थलों को सैनिक विद्रोह के दौरान ब्रिटिश कमांडरों द्वारा मारे गए सैनिकों की याद में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक विशेष स्थल को यद्यपि वह शून्य रेखा से 150 मीटर दूर होने के बावजूद उसे कांटेदार तारों की बाड़ से बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस स्मारक स्थल के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगा कर भारत के उस स्थल को मुख्यभूमि के साथ जोड़े रखने के लिए कांटेदार बाड़ लगाने की स्थिति में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण के लिए पर्यटकों/आने वाले व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पोल्ट्री उत्पाद

2809. श्री मित्रसेन यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात में बार्ड फ्लू की वजह से गिरावट दर्ज की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ देशों ने बर्ड फ्लू के फैलने के बाद भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ङ) भारत कौन-कौन से देशों को पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात कर रहा है; और

(च) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात से कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल-जुलाई, 2006 के दौरान कुक्कुट उत्पादों का निर्यात 65.35 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 89.92 करोड़ रुपये का हुआ था।

(ग) और (घ) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका (यू०एस०ए०), बांग्लादेश, संयुक्त अबर अमीरात (यू०ए०ई०), सऊदी अरब तथा जापान ने भारत से कुक्कुट मांस पर रोक लगा दी है।

(ङ) जिन प्रमुख देशों को कुक्कुट उत्पादों का निर्यात किया गया है, वे जर्मनी, जापान, ओमान, आस्ट्रेलिया, नेपाल, नीदरलैंड तथा तंजानिया हैं। कुक्कुट उत्पादों के निर्यात के संबंध में देशवार विस्तृत आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी०जी०सी०आई० एंड एस०) के प्रकाशन में उपलब्ध हैं।

(च) पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कुक्कुट उत्पादों के निर्यात से अर्जित कुल राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	अर्जित राशि (करोड़ रुपए)
2005-2006	167.58
अप्रैल, 2006 से जुलाई, 2006	65.35

स्रोत: डी०जी०सी०आई० एण्ड एस०, कोलकाता

खानों का आबंटन

2810. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास खानों के आबंटन संबंधी कितने आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों के निपटान में बहुत समय लगता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित हैं; और

(ङ) ऐसे प्रस्तावों की मंजूरी में विलंब के क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) से (ङ) संघ सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित पड़े खनिज रियायत के प्रस्तावों का ब्यौरा प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति तथा उनके लंबित पड़े होने के कारण खान मंत्रालय की बेवसाइट अर्थात http//www.mines.nic.in पर प्रस्तुत कराए जाते हैं। 8.12.2006 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों से खनन पट्टा मंजूर करने के लिए कुल 232 प्रस्ताव केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु खान मंत्रालय में लंबित पड़े हैं। खान मंत्रालय में प्राप्त खनिज रियायत प्रस्तावों की खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, जांच की जाती है और उन पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, परमाणु ऊर्जा विभाग आदि के साथ परामर्श करने, जहां कहीं अपेक्षित होता है, के बाद निर्णय लिया जाता है। कई मामलों में संबंधित राज्य सरकार से भी अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांग जाता है। इसलिए लंबित पड़े प्रस्तावों को निपटाने के लिए कितना समय अपेक्षित होगा, निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं होता है।

बुनकरों के लिए वस्त्र योजनाएं

2811. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमियों और छोटे बुनकरों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो देश के वस्त्र उद्योग में संलग्न उद्यमियों और निर्धन बुनकरों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : (क) से (ग) पिछले कुछ वर्षों में देश में वस्त्र उद्योग में लगे उद्यमियों एवं बुनकरों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 1995-96 में हथकरघा तथा विद्युतकरघा की एक संयुक्त गणना की गई थी जिसके अनुसार देश के बुनकर परिवारों की औसत मासिक आय की गई प्रथम हथकरघा गणना के दौरान वर्ष 1987-88 में 715 रु० की तुलना में 1458 रु० थी।

(घ) सरकार उद्यमियों/बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जो इस प्रकार है:—

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना;

(ii) विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए समूह कार्यशाला योजना।

(iii) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए समूह बीमा योजना।

(iv) वस्त्र कामगार पुर्नवासन योजना।

(v) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।

(vi) एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।

(vii) विपणन संवर्द्धन कार्यक्रम।

(viii) मिल गेट मूल्य योजना।

(ix) कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(x) बुनकर कल्याण योजना।

(xi) हथकरघा निर्यात योजना।

(xii) एकीकृत हथकरघा समूह विकास।

(xiii) हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना।

(xiv) हथकरघा मार्क।

[अनुवाद]

ग्रामीण उद्योगों का आधुनिकीकरण

2812. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूदा ग्रामीण उद्योग इकाइयों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए वृहत कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार की विदेशी सहायता मांग रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) देश में विद्यमान ग्रामीण औद्योगिकी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) दो योजनाओं अर्थात, उत्पादन विकास, डिजाइन मध्यस्थता एवं पैकजिंग (पी०आर०ओ०डी०आई०पी०) योजना तथा पारम्परिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का कार्यान्वयन कर रही है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के माध्यम से वर्ष 2003-04 से कार्यान्वित की जा रही पी०आर०ओ०डी०आई०पी० योजना का उद्देश्य उत्पादन गुणवत्ता में सुधार करना, बेहत्तर डिज़ाइन विकसित करना तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग (के०वी०आई०) उत्पादनों की पैकेजिंग में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही सहायता, निम्न प्रकार है:

(i) पात्र संस्थानों को प्रति योजना प्रति वर्ष 2 लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 75%, इसमें जो भी कम है; तथा

(ii) पात्र व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रति योजना प्रति वर्ष 1 लाख रु० अथवा परियोजना लागत का 75 प्रतिशत, इसमें जो भी कम है।

पारम्परिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) का उद्देश्य खादी, ग्रामीण एवं कॅयर उद्योगों के क्लस्टरों का व्यापक विकास करना है। योजना में खादी कताई करने वालों एवं बनुकरों की उत्पादकता में सुधार के उपाय करना, व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों/कारीगरों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की (सी०एफ०सी०) की स्थापना करना, जो आवश्यक हैं, परन्तु जिन्हें उन्हें नहीं प्रदान किया जा सकता है, फैबरिक एवं गारमेंटस के लिए नए डिजाइनों का विकास करना, बाजार संवर्धन, अन्य क्लस्टरों एवं संस्थानों के प्रदर्शन दौरे, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, कामगारों का कुशलता विकास, संस्थाओं एवं कामगारों/कारीगरों की क्षमता निर्माण करना, इत्यादि शामिल है। योजना में ग्रामीण उद्योग एवं

कॅयर क्लस्टरों के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। खादी के 29 क्लस्टरों, ग्रामीण उद्योगों के 50 क्लस्टरों तथा कॅयर के 25 क्लस्टरों की स्फूर्ति के अंतर्गत विकास हेतु पहचान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

रेशम मिश्रित यार्न

2813. श्री एम० शिवन्ना : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं (i) रेशम मिश्रित यार्न और फेब्रिक के उत्पादन के विकास और इष्टतम करने की प्रक्रिया और (ii) राज्य में निर्वहनपरक सतत व्यवसाय के रूप में सेरी रेशम कीट पालन को प्रोतसाहन देने संबंधी अध्ययन करना;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) (i) भारत सरकार को रेशम ब्लेंडिड यार्न और फैब्रिक्स के उत्पादन के लिए विकास की प्रक्रिया और आदर्शतम उपयोग के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) राज्य में सतत पेशे के रूप में एरी रेशमकीट पालन के संवर्द्धन के संबंध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कर्नाटक सरकार द्वारा अग्रेषित गैर-सरकारी संगठनों से दो प्रस्ताव, एक ''द ब्रिज फाउंडेशन (टी०बी०एफ०)'' और कर्नाटक ससटेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी (के०एस०ए०आर०डी०एस०)'' से प्राप्त हुए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) द ब्रिज फाउंडेशन (टी०बी०एफ०) ने जून, 2006 के दौरान देवनागरी, शिमोगा और हसन जिलों के लिए ''कर्नाटक में एरी कृषि का संवर्द्धन'' नामक एक और परियोजना प्रस्तुत की है जो केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विचाराधीन है।

(घ) सी०एस०बी० गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की जांच व उन पर विचार करने के लिए जनवरी, 2007 के दौरान शीघ्र ही परियोजना अनुमोदन समिति (पी०ए०सी०) की एक बैठक आयोजित करेगा और ऊपर उल्लिखित परियोजना प्रस्ताव पर उस समय विचार किया जाएगा।

विवरण

उन गैर-सरकारी संगठन परियोजनाओं का ब्यौरा जिन्हें केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है

परियोजना का शीर्षक	एरी रेशम कीटपालन का संवर्द्धन	एरी कृषि प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन
1	2	3
परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/गैर सरकारी संगठन	द ब्रिज फाउंडेशन	केएसएआरडीएस कर्नाटक ससटैनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी
परियोजना की अवधि	वर्ष 2004 के दौरान एकबारगी सहायता दी गई।	1 वर्ष
परियोजना लागत	33,500/- रुपए	21.27 लाख रुपए
केंद्रीय सहायता	–	13.68 लाख रुपए
लाभार्थी अंशदान	–	7.59 लाख रुपए
परियोजना का संक्षिप्त उद्देश्य	लाभार्थियां को प्रशिक्षण और रेशम कीट पालन शुरू करने के लिए सहायता देना।	– एरी खाद्य पादप, कॉस्टर की कृषि पर लक्षित क्षेत्र के ग्रामीण गरीब किसानों में जागरूकता पैदा करना।

1	2	3
सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	बेलगांव में एक एरी प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र और 15 लाभार्थियों को पौधारोपण, पत्तियों और उपकरण की खरीद और शिक्षा वृद्धि के भुगतान के लिए सहायता दी गई।	240
परियोजना कार्यान्वयन	18.11.2004	वर्ष 2006 से
वर्तमान स्थिति	कुल 2700 एरी रोगमुक्त अंडों को पाला गया और 94 किग्रा० प्रति 100 रोगमुक्त अंडों तक कोया उत्पादन दर्ज किया।	इस परियोजना के तहत अब तक 4.2 मी०टन एरी कोया का उत्पादन किया गया। इस समय 4 जिलों से 126 लाभार्थियों ने नवंबर, 2006 के दौरान एरी रेशम कीट पालन शुरू किया है। इन कोयों को एकत्र किया गया है। बहुत अच्छी फसल की उम्मीद है।

डिजायन प्रोसेस आउटसोर्सिंग

2814. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना के अंतर्गत डिजायन प्रोसेस आउटसोर्सिंग पर राजसहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि दर को बनाए रखने और वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर/बाजार के समकक्ष लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : (क) और (ख) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस०आई०टी०पी०) के तहत सरकारी सहायता अवसंरचना विकास के लिए प्रदान की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य अवसंरचना, यथा चार दीवारी, सड़कें, नालियां, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, केप्टिव विद्युत संयंत्र, बहिस्राव आशोधन, दूर संचार लाइनों आदि सहित, सामान्य सुविधाएं यथा परीक्षण प्रयोगशाला, डिजायन केंद्र, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यापार केन्द्र/प्रदर्शन केंद्र, भंडारण सुविधा/कच्ची सामग्री डिपो, शिशु सदन, कैंटीन, कामगार होस्टल, सेवा प्रदाता कार्यालय, श्रमिक विश्राम गृह तथा मनोरंजन सुविधाएं आदि और कारखाना भवन शामिल है। यह परियोजना उद्योग संघों/उद्यमी समूहों द्वारा संवर्द्धित विशेष उद्देश्य वाहन (एस०पी०वी०) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(ग) सरकार वस्त्र उद्योग के समग्र विकास के लिए समय-समय पर कई कदम उठाती रही है, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:—

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) लागू कर दी गई है।

(4) गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी०एम०सी०) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल एककों को स्थापित करने तथा महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में आधाभूत सुविधाओं का उन्नयन करने पर संकेंद्रित बल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए०पी०ई०एस०) और वस्त्र केन्द्र आधारभूत विकास योजना (टी०सी०आई०डी०एस०) शुरू की थी। इन दो योजनाओं के तहत भारत सरकार की 463.37 करोड़ रु० की अनुमानित सहायता से 30 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। तथापि, इन दो योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के बाद इन दो योजनाओं का विलय करके एकीकृत वस्त्र पार्क योजना नामक नई योजना शुरू की गई है ताकि उद्योग के पास अपने वस्त्र एककों की स्थापना के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं हों। एस०आई०टी०पी०

के तहत 2411.20 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत (अवसंरचना संघटक) से 26 परियोजना अनुमोदित की गई हैं जिससे से भारत सरकार की सहायता 862.55 करोड़ रुपए की होगी।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है।

(7) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए०टी०डी०सी०) वस्त्र उद्योग, की कुशल कारगीरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(9) वस्त्र उत्पादों के परीक्षण के लिए पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं।

खनन क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

2815. **श्री सोताश्री चटर्जी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की कुछ खानों को विदेशी कंपनियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी कंपनियों ने खनन प्रचालनों के लिए विशेष रियायतें मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, नहीं। खान और खनिज विकास (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिक अथवा भारत में पंजीकृत कंपनी को खनन पट्टा प्रदान किया जा सकता है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान को निर्यात

2816. **श्री उदय सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से आयातित किए जाने वाले माल की सूची में और अधिक मदों को शामिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए भारत पाकिस्तान को निर्यात करने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) क्या पाकिस्तान को इन वस्तुओं के निर्यात से घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू उपयोग के लिए इन वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय, पाकिस्तान सरकार ने दिनांक 3 नवम्बर, 2006 के अपने आदेश द्वारा भारत से आयात योग्य मदों की अपनी सूची जिसे सकारात्मक सूची कहा गया है, में मदों की संख्या को 773 से बढ़ाकर 1075 कर दिया था। इन मदों के ब्यौरे वेबसाइट www.commerce.nic.in पर "ट्रेड एग्रीमेंट्स/ट्रांजिट अरेंजमेंट्स-इंडिया पाकिस्तान ट्रेडिंग अरेंजमेंट "शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान की सकारात्मक सूची में शामिल मदों का निर्यात भारत की वर्तमान निर्यात नीति जिसमें घरेलू आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, के तहत विनियमित किया जाएगा। पाकिस्तान को निर्यात के कारण घरेलू उपयेाग हेतु वस्तुओं की उपलब्धता पर किसी प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आई०एस०आई० का नेटवर्क

2817. **श्री सज्जन कुमार :**
श्री अवतार सिंह भडाना :
डा० राजेश मिश्रा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई०एस०आई० के नेटवर्क के फैलने के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कोई वार्ता की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) आई०एस०आई० के मंसूबों को नाकाम करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियां सतर्क रहती हैं। अब तक वर्ष के दौरान देश में आई०एस०आई० समर्थित 21 जासूसी माड्यूलों का भांडाफोड़ किया जा चुका है जिनमें से 4 माड्यूलों का भांडाफोड़ उत्तर प्रदेश में किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को आई०एस०आई० की गतिविधियों के बारे में सुग्राही बनाती रहती है। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सूचना का आदान-प्रदान करने और ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने की रणनीतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ आवधिक समन्वय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

यू०के० और भारत के बीच मुक्त व्यापार

2818. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधानमंत्री की यू०के० की यात्रा के दौरान ब्रिटिश इंडस्ट्री ऑफ कनफेडरेशन (सी०बी०आई०) और यूरोपियन यूनियन (ई०यू०) ने भारत के साथ मुक्त व्यापार करने के लिए एक ऐतिहासिक नए मुक्त व्यापार समझौते की आवश्यकता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों द्वारा दोनों के बीच व्यापार में और वृद्धि करने के लिए क्या कार्यनीति तैयार की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) दिनांक 13 अक्तूबर, 2006 को हेलसिंकी में भारत-ईयू शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के प्रधानमंत्री, जो इस समय यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं, द्वारा की गई थी। दोनों पक्षों के नेताओं ने व्यापार तथा निवेश संबंधों के विस्तार तथा गहनता को प्रोत्साहित किया था यह स्वीकार करते हुए कि सुदृढ़ आर्थिक भागीदारी पारस्परिक रूप से लाभदायक है और इससे कार्यनीतिक भागीदारी को संबल मिलेगा, नेताओं ने अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय व्यापार समूह द्वारा किए गए कार्य का स्वागत किया गया और भावी, व्यापक आधार वाले द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश करार हेतु तैयार की गई रूपरेखा का समर्थन किया गया। शिखर सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष इस प्रकार के किसी करार के लिए वार्ताएं करेंगे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

2819. श्री निखिल कुमार :
श्री अधीर चौधरी :
श्री जुएल ओराम :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक विशेषज्ञ ने भारत सरकार को विशेष आर्थिक क्षेत्रों से होने वाले राजस्व की हानि की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में अनेक राज्य सरकारों से उनके विचार मांगने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम (स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट) में संशोधन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) इस विभाग को ऐसा कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेडों०) को प्रदत्त पर प्रोत्साहनों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई०एम०एफ०) के मुख्य आर्थिक विशेषज्ञ द्वारा की गई टिप्पणियों की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) एस०ई०जेड० अधिनियम, 2005 तथा एस०ई०जेड० नियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार एस०ई०जेड० के अनुमोदन हेतु संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशें अपेक्षित होती हैं।

(ङ) और (च) एस०ई०जेड० अधिनियम, 2005 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योग परियोजनाएं

2820. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष में ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इसमें से अभी तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के सामने आ रही कठिनाइयों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) लघु उद्योगों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार ऋण, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों का समर्थन और अनुपूरण करती है। इन्हें देश भर में कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए, लघु उद्योग मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए 466.33 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है और नवंबर, 2006 तक 245.16 करोड़ रुपेय (अनंतिम) व्यय किए गए हैं। निधियों का आबंटन योजना-वार किया जाता है, राज्य-वार नहीं।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का अध्ययन समय-समय पर करवाया जाता है। सरकार स्वयं विभिन्न उद्योग संघों से नियमित संपर्क तथा क्षेत्र संस्थानों से प्राप्त प्रतिक्रिया के माध्यम से समस्याओं से अवगत होती है। सरकार लघु उद्योगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान में सहायता करने का निरंतर प्रयास करती है जो (उपरोक्त उल्लिखित अध्ययनों के अनुसार) मुख्यत: ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधारभूत संरचना, विपणन सुविधाओं, आदि से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

विश्व स्वास्थ्य संगठन की आत्महत्या संबंधी रिपोर्ट

2821. श्री गणेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत का विश्व के ऐसे देशों की सूची में पहला स्थान है जहां पर 15 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के युवा सबसे अधिक आत्महत्याएं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया है कि भारत में अधिकतर दक्षिण भारतीय युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट से सहमत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) से (ग) दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यू०एच०ओ० क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 2001 में प्रकाशित की गई "सूइसाइड प्रीवेंशन: इमर्जिंग फ्रॉम डार्कनेस" नामक शीर्षक से विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, क्षेत्र में आत्महत्याओं से संबंधित सूचना प्रदान करती है। इसमें यह नाहीं बताया गया है कि भारत का विश्व के ऐसे देशों की सूची में पहला स्थान है जहां पर 15 वर्ष से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं या इस आयु-समूह में आत्महत्या करने वालों की सबसे अधिक संख्या दक्षिण भारत से है। रिपोर्ट में बताया गया है कि केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक आत्महत्या की दर है। तथापि, रिर्पोट में आगे कहा गया है कि "पूरे देश में काफी अंतर नोटिस किया गया है जो संभवत: रिपोर्टिंग प्रथाओं से संबंधित है"।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते हैं।

बांग्लादेश के साथ सचिव स्तर की वार्ता

2822. श्री थावरचन्द गेहलोत :
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुई सचिव स्तरीय वार्ता के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत ने बांग्लादेश के साथ वार्ता में मुंबई बम धमाकों से जुड़े आतंकवादियों के बांग्लादेश में छुपे होने और बांग्लादेश की सरजमीं का इस्तेमाल भारत में आने के लिए करने संबंधी मामलों को उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर बांग्लादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) इन मुद्दों पर अगस्त, 2006 में ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई गृह सचिव स्तर की अद्यतन वार्ताओं में चर्चा हुई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि सीमा करार, 1974, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे, सीमा का शांतिपूर्वक प्रबंधन, सीमा-पार की गतिविधि और द्विपक्षीय संधियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष ने इस बात की ओर संकेत दिया है कि भारत में हाल में हुई आतंकवादी घटनाओं

से इस बात का पता चला है कि इनके बांग्लादेशी लोगों/गुटों के साथ स्पष्ट संबंध हैं। तथापि, बांग्लादेशी पक्ष ने इससे इंकार किया है।

इस बात पर सहमति हुई थी कि आतंकवाद ने दोनों देशों के सामने खतरा उत्पन्न कर दिया है, और इस खतरे से निपटने के लिए निकट सहयोग करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

भारत में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर

2823. श्री अमिताभ नन्दी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की कोई सूची दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) आतंकवाद और नशीली पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में पाकिस्तान के साथ मई, 2006 में हुई गृह सचिव स्तर की वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने एक दस्तावेज सौंपा था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में अभी भी चल रहे आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविरों और आधारभूत ढांचे के बारे में विशिष्ट और विस्तृत सूचना थी। पाकिस्तानी जमीन में आतंकवाद के आधारभूत ढांचे को नष्ट करने में अपनी अकर्मण्यता का बहाना बनाते हुए पाकिस्तानी पक्ष ने भी भारत में चल रहे आतंकवाद के प्रशिक्षण शिविरों की सूची दी। वार्ता में ही भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट किया कि भारत, आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। और भारत के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के प्रशिक्षण शिविर नहीं है।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहन

2824. श्री हरिन पाठक : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों विशेषकर भूकंप से प्रभावित गुजरात राज्य के लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई सुविधा अथवा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने भूकम्प से प्रभावित लघु उद्योग (एस०एस०आई०) इकाइयों के बाजार संवर्धन तथा विकास सहायता के लिए एक योजना की घोषणा की है। योजना में अन्य बातों के साथ-साथ कॉमन ब्रांडिंग तथा मार्किटिंग फण्ड, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा विदेश में प्रदर्शनियों में भाग लेने, विदेश में उत्पाद नमूना भेजने के लिए सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने, स्थायी प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्रों की स्थापना तथा भूकम्प से प्रभावित लघु उद्योग इकाइयों के लिए व्यापार केन्द्र की स्थापना करने की व्यवस्था है।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राज्य से होने वाला निर्यात वर्ष 2004-05 के दौरान 51,655 करोड़ रु० से बढ़कर वर्ष 2005-06 के दौरान 64,538 करोड़ रु० हो गया है।

[हिन्दी]

वाहन चोरी

2825. श्री पारस नाथ यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा वाहन-वार और जिले-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा जिले वार-पृथक-पृथक ऐसे कुल कितने मामले सुलझाए गए हैं और कितने मामले अनसुलझे हैं;

(ङ) सरकार द्वारा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे अधिकतर मामलों को दर्ज नहीं किया जाता है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) दिल्ली पुलिस द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। 30 नवम्बर, 2006 तक दिल्ली पुलिस द्वारा

दिल्ली में वाहनों की चोरी के कुल 8314 मामले पंजीकृत किए गए हैं। जबकि 2005 में इसी अवधि के दौरान ऐसे 7793 मामले पंजीकृत किए गए थे।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना संलगन विवरण में दी गई है।

(ङ) ऐसे मामलों को निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आँटो चोरों और गिरोहों पर निगरानी रखना; हाल ही में रिहा अपराधियों की गतिविधियों को निकट से प्रबोधन करना; वाहन चोरी के मामलों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए सभी जिलों में आँटो चोरी निरोधक स्कैवड की स्थापना करना; तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच की प्रगति का प्रबोधन करना।

(च) से (ज) जब भी कभी चोरी के मामलों की रिपोर्ट की जाती है, दिल्ली पुलिस तत्काल कानूनी कार्रवाई करती है। वाहन चोरी के मामलों का उपयुक्त पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:— वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टाफ को नियमित रूप से ब्रीफ करना; वरिष्ठ अधिकारियों/सतर्कता विभाग द्वारा औचक जांच करना; वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं ऐसी शिकायतों को निपटाना; ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई शुरू करना; लोक शिकायतों/समस्याओं/शिकायतों की सुनवाई के लिए थानाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपलब्धता के संबंध में प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर समय सूची प्रदर्शित करना; तथा ऐसी ई-मेल सेवा शुरू करना जाहां कोई भी नागरिक बिना विलम्ब के शिकायत दर्ज कर सके।

विवरण

(i) *वर्ष 2004, 2005 और 30 नवम्बर, 2006 तक के दौरान सूचित और निपटाए गए वाहन चोरी के मामलों का जिला-वार ब्यौरा*

जिला/एकक का नाम	2004		2005		2006 (30 नवम्बर तक)	
	सूचित	निपटाए गए	सूचित	निपटाए गए	सूचित	निपटाए गए
उत्तर	429	83	310	74	233	51
पूर्वोत्तर	1522	285	1546	267	1541	249
केन्द्रीय	513	82	492	104	398	39
नई दिल्ली	366	56	236	36	242	27
पूर्व	1194	253	1146	307	1126	230
उत्तर-पूर्व	595	198	718	189	600	132
दक्षिण	2053	675	2274	784	2109	480
दक्षिण-पश्चिम	749	178	737	128	826	236
पश्चिम	1420	302	1369	358	1190	272
आई०जी०आई० एयरपोर्ट	17	01	19	—	21	—
अपराध	15	08	15	02	28	04
कुल	8873	2121	8862	2249	8314	1720

(ii) *वर्ष 2004, 2005 और 30 नवम्बर, 2006 तक के दौरान चुराए गए और बरामद किए गए वाहनों का ब्यौरा*

वर्ष	2 पहिया		4 पहिया		थ्री सीटर रिक्शा		बस/ट्रक		अन्य वाहन	
	चुराए गए	बरामद	चुराए गए	बरामद	चुराए गए	बरामद	चुराए गए	बरामद	चुराए गए	बरामद
2004	4342	871	3850	647	145	80	129	20	458	55
2005	4574	907	3515	484	155	66	158	19	502	60
2006	4042	721	3656	435	120	39	146	10	371	39

वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम

2826. प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल एन० पटले :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम योजना के अंतर्गत कितनी आवासीय इकाईयां मंजूरी की गई है;

(ख) क्या मंजूर की गई आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलँगोवन) : (क) वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर इकाईयों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	मंजूर की गई नई इकाईयों की संख्या
2003-04	21718
2004-05	12008
2005-06	17971
2006-07 (नवम्बर, 2006 तक)	कोई नई इकाई मंजूर नहीं की गई है पूर्ववर्ती वर्षों में मंजूर की गई 27,568 इकाईयों को पूरा करने के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी गई है।

(ख) और (ग) वर्कशेड-कम-हाउसिंग स्कीम योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्मित इकाईयों की संख्या निम्नानुसार है:—

वर्ष	निर्मित इकाईयों की संख्या
2003-04	15047
2004-05	8355
2005-06	11087
2006-07 (नवम्बर, 2006 तक)	5045

(घ) और (ङ) भारत सरकार राज्यों में इकाईयों के निर्माण की प्रगति पर निगरानी रखती रही है तथा उसने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे मंजूर की गई इकाईयों के निर्माण कार्य को तेज करें और उन्हें जल्दी पूरा करें।

[अनुवाद]

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों से अर्जित राजस्व

2827. श्री रामकृपाल यादव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी तक स्थापित निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों द्वारा अर्जित राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से निर्यात संसाधन जोनों (ई०पी०जेड०) की स्थापना नहीं की गई है। आज की स्थिति के अनुसार देश में कोई ई०पी०जेड० विद्यमान नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कामगारों को बोनस

2828. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्र उत्तर और दक्षिण) लिमिटेड की मिलें लाभ कमाने वाले संगठन हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कामगारों/कर्मचारियों को दिए गए बोनस का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसके सभी कर्मचारियों को बोनस का संदाय अधिनियम, 1965 के आधार पर उनके मासिक वेतन/मजदूरी पर ध्यान न देकर बोनस के रूप में एक माह का वेतन/मजदूरी देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (महाराष्ट्र उत्तर और दक्षिण) लि० लाभ कमाने वाले संगठन नहीं हैं। तथापि, पात्र कर्मचारियों को वर्ष 2005-06 के लिए बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बोनस का भुगतान पूर्णतः बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है तथा इस मामले पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों से बाहर विचार किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

'सती' अधिनियम में संशोधन

2829. श्री ए० साई प्रताप :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कुछ भागों में व्याप्त 'सती' की प्रथा को समाप्त करने के लिए विद्यमान अधिनियम में कुछ संशोधन करने का है जैसाकि 12 नवम्बर, 2006 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सती का प्रयास करने वाली महिला को दोषी न मानते हुए उसे आत्म-हत्या करने पर मजबूर पीड़िता माना जायेगा, पंचायतों के कार्यकर्ताओं को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी माना जायेगा, अपराध की सज़ा को बढ़ावा जायेगा तथा संबंधित समुदायों पर सामूहिक जुर्माना लगाया जायेगा।

विश्व व्यापार संगठन

2830. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने विश्व व्यापार संगठन में रूस के शामिल होने संबंधी किसी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और रूस के बीच भारतीय चाय की पत्ती और तम्बाकू की अधिक मात्रा में खरीद करने हेतु कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते के कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रूस को निर्यात की गई चाय की पत्ती और तम्बाकू का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में कितना निर्यात किए जाने का विचार है; और

(च) चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान निर्यात के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कितना अधिक है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारत और रूस ने विश्व व्यापार संगठन में रूस के शामिल होने के संबंध में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस करार में वस्तुओं एवं सेवाओं में रूसी बाजार पहुंच संबंधी पेशकशें और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपायों को लागू करने से संबंधित एक समझौता शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रूस को निर्यातित चाय व तम्बाकू के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

तम्बाकू

वर्ष	मूल्य (करोड़) रुपए में
2003-2004	95.89
2004-2005	142.08
2005-2006	173.84

चाय

वर्ष	मूल्य (करोड़) रुपए में
2003-2004	260.04
2004-2005	234.04
2005-2006	220.70

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस के आँकड़े)

(च) विश्व व्यापार संगठन में रूस के शामिल होने संबंधी प्रोटोकॉल में चाय तथा तम्बाकू के लिए कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विदेश में सी०बी०एस०ई० और आई०सी०एस०ई० विद्यालय

2831. श्री मणि चारेनामै : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से बाहर सी०बी०एस०ई० और आई०सी०एस०ई० के अंतर्गत देश-वार और स्थान-वार कितने निजी और सरकारी विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) भारतीय मूल के और विदेशी छात्रों का देश-वार कितना अनुपात है;

(ग) क्या इनकी परीक्षाएं एक ही समय पर आयोजित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विदेशी छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश मांगा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसे विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध

137 विद्यालय भारत से बाहर 21 देशों में कार्य कर रहे हैं जबकि भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् से सम्बद्ध 4 विद्यालय भारत के बाहर 3 देशों में कार्य कर रहे हैं। इन विद्यालयों का देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) भारत से बाहर स्थित भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से सम्बद्ध विद्यालयों में भारतीय मूल के विद्यार्थियों तथा विदेशी मूल के विद्यार्थियों के अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इस प्रकार की जानकारी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। ये परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष मार्च-अप्रैल के महीने में आयोजित की जाती हैं।

(ङ) और (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परीषद् द्वारा इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(छ) और (ज) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् द्वारा उनसे सम्बद्ध विद्यालयों को किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

विवरण-I

(क) भारत के बाहर सी०बी०एस०ई० से सम्बद्ध स्कूल

क्र० सं०	देश	स्वतंत्र स्कूलों की संख्या	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	बंगलादेश	1	0	1
2.	बहरीन	6	0	6
3.	बर्मा	1	0	1
4.	इथोपिया	2	0	2
5.	ईरान	0	1	1
6.	सऊदी अरब	18	0	18
7.	कुवैत	15	0	15
8.	लीबिया	2	0	2
9.	ओमान	12	0	12
10.	नेपाल	10	1	11
11.	कतर	7	0	7
12.	तंजानिया	1	0	1
13.	संयुक्त अरब अमीरात	50	0	50
14.	नाइजीरिया	1	0	1
15.	पश्चिम अफ्रीका	1	0	1
16.	यू०एस०एस०आर०	0	1	1
17.	यमन	1	0	1
18.	इंडोनेशिया	1	0	1
19.	सिंगापुर	1	0	1
20.	मलेशिया	2	0	2
21.	जापान	2	0	2
	कुल	134	3	137

(ख) भारत के बाहर सी०आई०एस०सी०ई० से सम्बद्ध स्कूल

क्र० सं०	देश	निजी स्कूलों की संख्या	सरकारी स्कूलों की संख्या	कुल
1.	संयुक्त अरब अमीरात	2	0	2
2.	इंडोनेशिया	1	0	1
3.	सिंगापुर	1	0	1
	कुल	4	0	4

विवरण-II

क्र० सं०	देश	स्कूल का नाम	भारतीय मूल के तथा विदेशी छात्रों का अनुपात
1.	संयुक्त अरब अमीरात	दुबई मॉडर्न स्कूल, दुबई	93:0
2.	संयुक्त अरब अमीरात	प्रोग्रेसिव इंग्लिश स्कूल, शरजाह	39:21
3.	इंडोनेशिया	रामा इंटरनेशनल स्कूल, जावा बरात	9:0
4.	सिंगापुर	डी०पी०एस० इंटरनेशनल स्कूल, सिंगापुर	14:0

अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को खाद्यान्नों की आपूर्ति

2832. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्धसैनिक बलों विशेषकर सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षण केन्द्रों में शाकाहारी जवानों को विशेषकर असम क्षेत्र में दिए जाने वाले खाद्यान्न की गुणवक्ता बेहद खराब और अस्वास्थ्यकर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण अथवा जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शाकाहारी अफसरों और जवानों को दुग्ध उत्पादक जैसे पोषक शाकाहारी भोजन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) सामान्यतया सीमा सशस्त्र बल सहित सभी अर्द्ध-सैनिक बलों के शाकाहारी अधिकारियों और जवानों को पनीर, मक्खन, घी आदि जैसे दुग्ध उत्पादों और मौसमी फलों से युक्त संतुलित आहार प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असम सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त कैलोरी और पोषक आहार प्रदान किया जा सके। बल कार्मिकों को दिए जा रहे शाकाहारी खाद्य पदार्थों के पोषक महत्व और साफ-सफाई की स्थिति की पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

[हिन्दी]

वस्त्र इकाई

2833. चौ० मुनव्वर हसन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में विद्युतकरघा, हथकरघा, सिंथेटिक यार्न, सिले-सिलाए वस्त्रों और होजरी उत्पादों का उत्पादन करने वाली वस्त्र इकाईयों की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उक्त इकाईयों पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इन इकाईयों में निर्मित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र कर्नाटक में विद्युतकरघा, हथकरघा, सिंथेटिक यार्न और सिले-सिलाए परिधान एवं हौजरी उत्पादों के वस्त्र एककों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है:—

	विद्युतकरघा* एकक	हथकरघा एकक	सिंथेटिक यार्न एकक	सिलेसिलाए परिधान एवं हौजरी एकक
कुल देश	437,525	2,542,042 **	55	9,724
उत्तर प्रदेश	25,132	141,985	6	208
दिल्ली (एनसीआर)	124	3,418	0	1,413
महाराष्ट्र	218,406	31,135	9	1,685

*सितम्बर 2006 तक।

**हथकरघा एककों की 1995-96 गणना के अनुसार।

(ख) वस्त्र क्षेत्र में अधिकतर क्रियाकलाप विकेन्द्रीकृत हैं। सरकार राज्य-वार इन एककों पर सीधे ही निधियां खर्च नहीं करती है और विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यान्वियन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं जो राज्य विशिष्ट भी नहीं हैं।

(ग) सरकार ने वस्त्र निर्यात के संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- निवेश आकर्षित करने एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया;
- वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) शुरू की गई;
- वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की गति तेज करने के लिए विशेषीकृत मशीनरी के लिए 20 रुपए की सीमा के अध्यधीन 100 लाख रुपए तक निवेश पर 20% पूंजी सहायता उपलब्ध है;
- वूवन सिलेसिलाए परिधानों को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया गया है;
- दो योजनाओं अर्थात निर्यात के लिए ''अपैरल पार्क योजना'' (ए०पी०ई०एस०) और ''वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना'' (टी०सी०डी०आई०एस०) का विलय कर ''एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'' (एस०आई०टी०पी०) शुरू की गई।

— कपास फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया;

— निर्यात योग्य उत्पादों का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने तथा प्रचार के लिए पात्र एजेंसियों को हथकरघा निर्यात योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

राहत संहिता

2834. **श्री भर्तृहरि महताब :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने राहत संहिता में संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) संशोधित राहत संहिता में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

2835. **श्री विजय कृष्ण :** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन०एस०आई०सी०) द्वारा प्रदर्शनियों के आयोजन तथा उनमें भाग लेने हेतु क्या लक्ष्य तय किया गया है;

(ख) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रहीं तथा इसमें क्या कमियां पाई गई और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में एन०एस०आई०सी० द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु कहां-कहां प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(घ) क्या इन प्रदर्शनियों के प्रभाव के बारे में कोई आंकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसी प्रत्येक प्रदर्शनी के बाद विकसित विदेशी ग्राहकों का डाटाबेस क्या है;

(छ) प्रदर्शनियां दखेने आए विदेशी ग्राहकों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा इनमें निर्यात के कितने आर्डर प्राप्त हुए; और

(ज) लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने में एन०एस०आई०सी० के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सरकार का क्या तरीका अपनाने का विचार है तथा इसके समग्र कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 2005-06 के दौरान, एन०एस०आई०सी० के लिए 22 कार्यक्रम (10 प्रदर्शनियां तथा 12 क्रेता-विक्रेता बैठकें) आयोजित करने और 40 प्रदर्शनियों में भागीदारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) एन०एस०आई०सी० ने 2005-06 के दौरान 23 कार्यक्रम (6 प्रदर्शनियां तथा 17 क्रेता-विक्रेता बैठकें) आयोजित किए और 40 प्रदर्शनियों में भागीदारी की। इस प्रकार लक्ष्य पूरा किया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एन०एस०आई०सी० द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए निम्नलिखित स्थानों पर प्रदर्शनियां आयोजित की गई:

		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (नवंबर 2006 तक)
स्थान	घरेलू	नई दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली	नई दिल्ली
	अंतर्राष्ट्रीय	यू०के०	यू०एस०ए०	मारीशस	रवांडा
		जर्मनी	इटली	यू०के०	श्रीलंका
		मोजांबिक	दक्षिण	जर्मनी	मारीशस
		दक्षिण	अफ्रीका	यू०ए०ई०	दक्षिण अफ्रीका
		अफ्रीका	बेल्जियम		मेक्सिको
			यू०ए०ई०		

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रदर्शनियों के प्रभाव का आकलन मानक मानदंडों जैसे आगंतुकों की संख्या, सृजित व्यावसायिक पूछताछ की संख्या तथा प्रदर्शकों द्वारा भावी प्रदर्शनियों में भागीदारी करने में रूचि के आधार पर किया जाता है।

(च) एन०एस०आई०सी० प्रदर्शनियों में आने वाले वैयक्तिक विदेशी ग्राहकों का डाटाबेस तैयार नहीं करता। ऐसे ब्यौरे प्रदर्शनियों में भागीदारी करने वाले संबंधित निर्यातकों द्वारा रखे जाते हैं।

(छ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की संख्या और सृजित निर्यात संबंधी पूछताछ की मात्रा निम्नलिखित है:

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (नवंबर 2006 तक)
विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की संख्या	20	29	13	29
निर्यात संबंधी पूछताछ का अनुमानित मूल्य (करोड़ रु० में)	600	604	575	585

(ज) एन०एस०आई०सी० लघु उद्योग इकाइयों को प्रदर्शनियों में भागीदारी करने में सहायता करने और क्रेता-विक्रेता बैठकों, आदि के आयोजन द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यातों का संवर्धन करता है। यह सरकार तथा एन०एस०आई०सी० के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में एन०एस०आई०सी० के निष्पादन के वार्षिक मूल्यांकन के. मानकों में से एक है। एन०एस०आई०सी० के कुल निष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) एन०एस०आई०सी० की गतिविधियों का पुनरभिविन्यास किया गया है और नई/अतिरिक्त गतिविधियां आरंभ की गई हैं, जिससे अर्जन में सुधार हुआ है।

(ii) विद्यमान जनशक्ति को कम करने, पुन: प्रशिक्षित करने और पुन: नियोजित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(iii) सरकार ने दसवीं योजना के दौरान एन०एस०आई०सी० की इक्विटी में 65 करोड़ रुपये का योगदान किया है ताकि वह लघु उद्योग उत्पादों के विपणन के संवर्धन और विभिन्न विकास संबंधित गतिविधियां चलाने के लिए सुविधाएं विकसित कर सके।

परिणामस्वरूप, एन०एस०आई०सी० ने कई वर्षों तक भारी हानि उठाने के बाद, 2005-06 के अंत में 1.25 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है।

रैनबसेरा परियोजना

2836. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से महिलाओं और बच्चों के लिए रैनबसेरा परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कॉयर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण

2837. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉयर उद्योग में लगे शिल्पकारों तथा कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आज की तारीख तक वर्षवार कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया;

(घ) क्या कॉयर उद्योग ग्रामीण महिला शिल्पकारों को स्वरोजगार प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) कॅयर उद्योग में प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित एक सांविधिक संगठन, कॅयर बोर्ड कॅयर उद्योग में काम करने वाले कारीगरों तथा मजदूरों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण में, महिला कारीगरों को स्पिनिंग रैट प्राप्त करने में सहायता हेतु पात्र बनाने के लिए उन्हें विशिष्ट प्रशिक्षण देना शामिल है। दसवीं योजना (31 अक्टूबर 2006 तक) के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या निम्नलिखित है:

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	3063	6829	13318	35792	5229

(घ) और (ङ) सरकार कॅयर बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण महिला कारीगरों के स्व-रोजगार के लिए ''महिला कॅयर योजना'' कार्यान्वित करती रही है। लगभग 6 लाख कर्मियों के आकलित रोजगार का अस्सी प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना के तहत, महिला कारीगरों को कॅयर यार्न कातने नें प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें मोटरीकृत रैट वितरित किए जाते हैं। मोटरीकृत रैट के लिए अधिकतम 7500 रुपये तक तथा मोटरीकृत पारंपरिक रैट के लिए अधिकतम 2925 रुपये तक रैट की लागत के 75 प्रतिशत की दर पर सब्सिडी भी दी जाती है। यह योजना ऐसे क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है जहां कॅयर का उत्पादन होता है या जहां वह नजदीकी क्षेत्रों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। दसवीं योजना के दौरान (31.10.2006 तक), प्रशिक्षित महिला कारीगरों को कुल 11,677 मोटरीकृत रैट/मोटरीकृत पारंपरिक रैट वितरित किए गए।

विकास केन्द्र योजनाएं

2838. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार चल रहे तथा निर्माणाधीन और स्थापित किए जाने वाले विकास केन्द्रों का राज्यवार विशेषकर पश्चिम बंगाल के केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में विकास केन्द्रों को खोलने हेतु मानदंडों में संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के संपूर्ण औद्योगिक परिदृश्य को सुधारने में विकास केन्द्रों के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे औद्योगिक विकास में कितनी सहायता मिली है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) स्वीकृत विकास केन्द्रों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। किसी भी नए विकास केन्द्र को स्वीकृत करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने वर्ष 2005-06 में 62 विकास केन्द्रों का प्रभाव मूल्यांकन और समीक्षा की और पाया कि 10 विकास केन्द्र अत्यधिक सफल रहे हैं; 14 मध्यम रूप से सफल हैं; 18 कुछ-कुछ सफल और 20 सफल नहीं है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की रिपोर्ट के अनुसार, 2005-06 तक इन विकास केन्द्रों में 2,687 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा चुकी थी।

विवरण

स्वीकृत विकास केन्द्रों का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	विकास केन्द्र का नाम (जिला)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	हिन्दुपुर (अनंतपुर)
2.		जेडक्रेला (महबूबनगर)
3.		बोबिली (विजयनगरम)
4.		अंगोले (प्रकासम)
5.	अरूणाचल प्रदेश	निकलॉग गोरलंग (ईस्ट सियांग)
6.	असम	मटिया (गोलपाड़ा)
7.		चारिद्वार (सोनितपुर)
8.		छयागांव-पटगांव (कामरूप)
9.	बिहार	बेगुसराय (बेगुसराय)
10.		भागलपुर (भागलपुर)
11.		छपरा (छपरा)
12.		दरभंगा (दरभंगा)
13.		मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)
14.	छत्तीसगढ़	बोराई (दुर्ग)
15.		सिलतारा (रायपुर)
16.	गोवा	इलेक्ट्रॉनिक सिटी (वर्ना-प्लेट्यू)
17.	गुजरात	गांधीधाम (कच्छ)
18.		पालमपुर (बनासकांठा)
19.		वागरा (भरूच)
20.	हरियाणा	बावल (रेवाड़ी)
21.		साहा (अम्बाला)
22.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (कांगड़ा)
23.	जम्मू-कश्मीर	लस्सीपोड़ा (पुलवामा)
24.		साम्बा (जम्मू)
25.	झारखंड	हजारीबाग (हजारीबाग)
26.	कर्नाटक	धारवाड़ (धारवाड़)
27.		रायचूर (रायचूर)
28.		हसन (हसन)
29.	केरल	कन्नूर – कोजिकोड़ (कन्नूर – कोजिकोड़)
30.		अलपुज्झा – मालापुरम (अलपुज्झा – मालापुरम)

1	2	3
31.	मध्य प्रदेश	चैनपुरा (गुना)
32.		घिरोंगी (भिंड)
33.		खेड़ा (धाड़)
34.		सतलापुर (रायसेन)
35.	महाराष्ट्र	अकोला (अकोला)
36.		चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)
37.		धूले (धूले)
38.		नानदेड़ (नानदेड़)
39.		रत्नागिरि (रत्नागिरि)
40.	मणिपुर	लामलेई-नापेट (इम्फाल)
41.	मेघालय	मेहंदीपत्थर (ईस्ट गारो हिल्स)
42.	मिजोरम	लोंगमाल (एजल)
43.	नागालैण्ड	गणेशनगर (कोहिमा)
44.	उड़ीसा	छत्तरपुर (गंजम)
45.		कलिंगनगर – डुबुरी (कटक)
46.		झारसुगुड़ा (झारसुगुड़ा)
47.		केसिंगा (कालाहांडी)
48.	पांडिचेरी	पोलागाम-करायकल (करायकल)
49.	पंजाब	भठिण्डा (भठिण्डा)
50.		पठानकोट (गुरदासपुर)
51.	राजस्थान	आबू-रोड़ (सिरोही)
52.		भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)
53		खाड़ा (बीकानेर)
54.		धौलपुर (धौलपुर)
55.		झालावाड़ (झालावाड़)
56.	सिक्किम	सलगाढ़ी-सामलिक मार्चक
57.	तमिलनाडु	इरोड (पेरियार)
58.		ओरागादम (कांचिपुरम)
59.		तिरूनेलवेली-गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)
60.	त्रिपुरा	बोधजंग नगर (त्रिपुरा-पश्चिमी)
61.	उत्तरांचल	सिग्गड़ी (पौड़ी-गढ़वाल)
62.	उत्तर प्रदेश	बिजौली (झांसी)
63.		जमौर (शाहजहानपुर)
64.		पाकवाड़ा (मुरादाबाद)
65.		डिबियापुर (औरैया)
66.		जैनपुर (कानपुर-देहात)
67.		सथारिया (जौनपुर)
68.		सहजनवा (जौनपुर)
69.	पश्चिम बंगाल	बोलपुर
70.		जलपाईगुडी (जलपाईगुडी)
71.		मालदा (मालदा)

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग

2839. **श्री के०एस० राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु बिजनेस ट्रांसफोरमेशन आउटसोर्सिंग (बी०टी०ओ०) बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी०पी०ओ०) के कार्यनिष्पादन और सामान्य वातावरण पर निजी क्षेत्र की अध्ययन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष तथा सुझाव क्या-क्या हैं;

(ख) बेहतर अवसंरचना, शांतिपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण तथा त्वरित आर्थिक विकास प्रदान कर विदेशी निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने तथा कमजोरियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक विदेशी निवेश हेतु अवसंरचना के निर्माण, स्वस्थ धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वातावरण के निर्माण में तेजी लाने के लिए नई नीति पहल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) ए०टी० कर्नी की वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2005 में अन्य बातों के साथ-साथ, भारत को सर्वाधिक पसंदीदा अपतटीय गन्तव्य के रूप में दर्जा दिया गया है।

(ख) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) के लिए एक उदार नीति लागू की हुई है, जिसके तहत स्वत: मार्ग के तहत अधिकांश क्षेत्रों व क्रियाकलापों में 100% तक एफ०डी०आई० की अनुमति है। वर्तमान नीति में भी ढांचागत सुविधा क्षेत्रों जैसे कि, सड़क और हाई-वे; पत्तन और हार्बर; जहाजरानी; विद्युत उत्पादन/पारेषण/वितरण (आणविक विद्युत को छोड़कर) और हवाई अड्डा विकास में 100% तक एफ०डी०आई० की अनुमति है। ए०टी० कर्नी के एफ०डी०आई० कॉन्फिडेन्स इन्डेक्स, 2005 में भारत को दूसरे सर्वाधिक आकर्षक निवेश गन्तव्य का दर्जा दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्माण विकास परियोजनाओं और दूसरे ढांचागत सुविधा क्षेत्रों में स्वत: मार्ग के तहत 100% तक एफ०डी०आई० की अनुमति दे दी है। भौतिक ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु कई गई प्रमुख पहलों में ये शामिल हैं — अधिक सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना तथा सरकारी-निजी साझेदारी में सहायता करना।

किशोरी शक्ति योजना

2840. श्री रनेन बर्मन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में किशोरी शक्ति योजना शुरू की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग करने में विफल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किशोरी शक्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत आबंटित और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) स्कीम को और अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार का प्रयास निरन्तर जारी है। हाल ही में इस दिशा में उठाए गए कदमों में और अधिक कारगर ढंग से निधियों के उपयोग के प्रबोधन के लिए किशोर शक्ति योजना हेतु एक पृथक लेखा शीर्ष का सृजन करना शामिल है। समय-समय पर स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त निष्पादन वाले राज्यों से कहा गया है कि किशोरी शक्ति योजना हेतु आबंटित निधियों का पूर्ण तथा उचित ढंग से उपयोग किया जाए, ताकि लाभार्थियों को स्कीम के अभीष्ट लाभ प्राप्त हो सकें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त/प्रयुक्त निधियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06	
		निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां	निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	69.3	0	69.3	42.65	386.1	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	23.1	0	23.1	0	23.1	11.55
3.	असम	68.2	68	68.2	68	68.2	34
4.	बिहार	174.9	0	174.9	0	215.75	21.6
5.	छत्तीसगढ़	105.6	103.29	105.6	104.3	167.2	0
6.	गोवा	1.1	0	1.1	0	1.1	0
7.	गुजरात	4.4	39.23	4.4	34.66	249.7	25.8
8.	हरियाणा	93.5	28.95	93.5	29.83	127.6	40.99
9.	हिमाचल प्रदेश	16.5	11.43	16.5	17.48	79.2	16.75

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू-कश्मीर	2.2	0	2.2	0	2.2	1.1
11.	झारखण्ड	72.6	77.28	72.6	45.95	110	42.81
12.	कर्नाटक	41.8	2.57	41.8	31.54	203.5	101.75
13.	केरल	14.3	0	14.3	0	179.3	0
14.	मध्य प्रदेश	257.4	211.8	257.4	226.71	257.4	229.42
15.	महाराष्ट्र	107.8	0	107.8	18.98	409.2	96.8
16.	मणिपुर	15.4	0	15.4	14.3	15.4	0
17.	मेघालय	25.3	12.66	25.3	12.66	35.2	21.25
18.	मिजोरम	24.2	0	24.2	0	23.1	23.1
19.	नागालैण्ड	45.1	0	45.1	0	45.1	22.55
20.	उड़ीसा	123.2	0	123.2	73.37	123.2	0
21.	पंजाब	51.7	9.99	51.7	7	156.2	12.17
22.	राजस्थान	181.5	57.36	181.5	87.47	282.7	56.54
23.	सिक्किम	1.1	1.09	1.1	0.5	5.5	2.75
24.	तमिलनाडु	40.7	40.15	40.7	40.15	477.4	39.97
25.	त्रिपुरा	17.6	17.6	17.6	16.94	17.6	8.8
26.	उत्तर प्रदेश	465.3	307.7	465.3	462.87	900.9	923.14
27.	उत्तरांचल	44	1.93	44	22.32	108.9	44
28.	पश्चिम बंगाल	62.7	62.7	62.7	62.7	222.6	31.35
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5	5.5
30.	चण्डीगढ़	1.1	0.33	3.3	0.17	1.71	1.71
31.	दिल्ली	3.3	0	1.1	0	3.3	0.83
32.	दादर व नगर हवेली	1.1	0.43	1.1	1.06	1.1	0.53
33.	दमन व दीव	1.1	1.1	1.1	1.68	1.1	1.82
34.	लक्षद्वीप	1.1	0	1.1	0	1.1	0.55
35.	पाण्डिचेरी	1.1	0	1.1	0	5.5	0.55
	कुल	2200	1056.69	2200	1424.39	4916.66	1819.68

बोर्ड की परीक्षा

2841. श्री मिलिन्द देवरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०एस०ई० दसवीं कक्षा के उन छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने पर विचार कर रही है जोकि उन दो विषयों को 11वीं कक्षा में नहीं चुनते, जिसमें वे दसवीं कक्षा में फेल हो चुके हैं, जैसाकि दिनांक 14 अक्तूबर, 2006 के 'एशियन ऐज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या बारहवीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम तैयार करने वाली एन०सी०ई०आर०टी० भी दसवीं कक्षा के छात्रों की बोर्ड की परीक्षा को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यदि केवल 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों में इस प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जाए तो किस विशिष्ट उद्देश्य के प्राप्त होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दो विषयों में अनुत्तीर्ण हुए कक्षा X के छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अपना विकल्प चुनने की पहले से ही अनुमति दे रहा है। तथापि, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऐसी किसी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा रहा है, जैसाकि 14-10-2006 के समाचार पत्र 'एशियन एज' में बताया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई देशों से आयात

2842. श्री जी०एम० सिद्धेश्वर : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर कुछ एशियाई देशों से वस्तुओं के अत्यधिक आयात के कारण लघु उद्योगों को कठिनाई हो रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष्ष के दौरान वर्षवार कितने मूल्य के साथ कितनी मात्रा में लघु उद्योग उत्पादों का आयात किया गया; और

(ग) यदि हां, तो आयात के मुकाबले निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है कि विशेष तौर पर कुछ एशियाई देशों से वस्तुओं के अत्याधिक आयात के कारण लघु उद्योगों (एस०एस०आई०) को कठिनाई हो रही है। व्यापार उदारीकरण के परिणामस्वरूप सरकार ने, वास्तव में लघु उद्योगों को वैश्वीक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें शामिल हैं— प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए सहायता की एक योजना, आवश्यकता आधारित क्लस्टर विकास योजना की विभिन्न किस्मे, ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहायता, विपणन सहायता, निर्यात अवसरों पर सचूना का विस्तीर्ण, इत्यादि। इसके अतिरिक्त, बाउण्ड लेवलों तक सीमा शुल्कों को बढ़ाने, पाटन-रोधी शुल्क लगाना, आयातों में उछाल के मामले में सुरक्षा उपाय करना, इत्यादि के रूप में सुरक्षा उपलब्ध है।

(ख) देश में आयातित लघु उद्योग उत्पादनों के मूल्य एवं मात्रा के संबंध में आंकड़े सरकार द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं।

(ग) लघु उद्योगों के निर्यातों के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है;

(i) सरकार ने 10 अगस्त, 2005 को लघु एवं मध्यम उद्यमों (एस०एम०ई०) को ऋण प्रवाह में बढ़ौतरी के लिए एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की, ताकि अगले पांच वर्षों में उनका ऋण प्रवाह दुगुना हो जाए।

(ii) योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सितम्बर, 2005 में प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 40 लाख रु० से बढ़ाकर 100 लाख रु० तथा सब्सिडी को 12% से बढ़ाकर 15% किया गया।

(iii) प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों से निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने में लघु उद्योग इकाइयों को सहायता देने की योजना अप्रैल, 2005 में लागू की गई।

(iv) लघु उद्योगों के लिए बाजार विकास सहायता (एम०डी०ए०) योजना के अंतर्गत लघु उद्योग इकाइयों को उनके निर्यातों के संवर्धन के लिए विभिन्न किस्तों की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें शामिल हैं-अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वायु यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति, प्रचार की लागत पर सब्सिडी, उत्पादनों की वारकोडिंग प्राप्त करने के लिए शुल्कों पर सब्सिडी तथा बाजार अध्ययनों के निर्यात, पाटन-रोधी मामलों के लिए लघु उद्योग संघों को सहायता, इत्यादि।

लघु उद्योगों का बंद होना

2843. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आन्ध्रप्रदेश में आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने लघु उद्योग बंद किए गए हैं;

(ख) क्या उपरोक्त इकाइयों के बंद होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अध्ययन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) देश में रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरूद्धार तथा उनका पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) सरकार का विचार किस तरीके से लघु उद्योग इकाइयों को रूग्णता से बाहर आने में उनकी सहायता करने का है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) बंद इकाईयों के संबंध में सूचना का अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। तथापि, संदर्भ वर्ष 2001-02 के साथ लघु उद्योगों की तीसरी अखिल भारतीय गणना के दौरान 22,62,401 पंजीकृत इकाईयों में से 8,87,427 इकाईयां बंद पाई गई थी। आंध्रप्रदेश राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मार्च, 1998 तक पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों का नमूना सर्वेक्षण वर्ष 2000-01 में किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार, बंद होने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ विपणन और वित्त समस्या, कच्चे माल की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी, विद्युत आपूर्ति की कमी, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा तथा आपूर्तियों पर विलम्बित अदायगी सम्मिलित हैं। सरकार क्रेडिट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मार्किटिंग, बुनियादी संरचना विकास, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है ताकि लघु उद्योगों को विश्वव्यापी तौर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता प्राप्त हो सकें। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम तथा आई०एस०ओ०-9000/14001 प्रमाणन फीस की प्रतिपूर्ति स्कीम शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम०एम०एम०ई०डी०) विधेयक, 2006 का अधिनियम किया है ताकि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन ओर विकास में सुविधा तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सके। अधिनियम 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी हो गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने लघु उद्योगों में रूग्णता का शुरूआती स्तर पर पता लगाने, उपचारात्मक उपाय करने और संभाव्य जीवनक्षम रूग्ण लघु उद्योग इकाईयों के पुनर्वास के संबंध में बैंकों को जनवरी, 2002 में व्यापक मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। सरकार द्वारा अगस्त, 2005 में घोषित "लघु तथा मध्यम उद्यमों (एस०एम०ई०) के लिए ऋण बढ़ाने के संबंध में नीतिगत पैकेज" के परिणामस्वरूप आर०बी०आई० ने सभी पात्र एस०एम०ई० के ऋण के पुनर्गठन की सुविधा के लिए लघु तथा मध्यम उद्यमों (एस०एम०ई०) के ऋण पुनर्गठन के संबंध में सितम्बर, 2005 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। आर०बी०आई० द्वारा बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे एस०एम०ई० लेखों के पुनर्वास तथा पुनर्गठन की प्रगति की समीक्षा तिमाही आधार पर करें। प्रत्येक राज्य में आर०बी०आई० प्रतिनिधि के संयोजन के तहत स्थापित राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समितियां (एस०एल०आई०आई०सी०) अन्य बातों के साथ-साथ इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी।

विवरण

तीसरी गणना, 2001-02 के आधार पर बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्यवार वितरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंद इकाइयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर	22709
2.	हिमाचल प्रदेश	6509
3.	पंजाब	82731
4.	चंडीगढ़	1405
5.	उत्तरांचल	12100
6.	हरियाणा	27546
7.	दिल्ली	8357
8.	राजस्थान	36847
9.	उत्तर प्रदेश	122282
10.	बिहार	20525
11.	सिक्किम	155
12.	अरूणाचल प्रदेश	248
13.	नागालैंड	129
14.	मणिपुर	1226
15.	मिजोरम	1313
16.	त्रिपुरा	1077
17.	मेघालय	1908
18.	असम	10338
19.	पश्चिम बंगाल	26080

1	2	3
20.	झारखण्ड	13822
21.	उड़ीसा	9708
22.	छत्तीसगढ़	27830
23.	मध्य प्रदेश	65649
24.	गुजरात	39159
25.	दमन एवं दीव	454
26.	दादर और नगर हवेली	423
27.	महाराष्ट्र	54243
28.	आंध्र प्रदेश	38582
29.	कर्नाटक	46611
30.	गोवा	2327
31.	लक्षद्वीप	16
32.	केरल	74832
33.	तमिलनाडु	127185
34.	पांडिचेरी	2586
35.	अंडमान और निकोबार	515
	अखिल भारतीय	887427

काजू

2844. **श्री एस०के० खारवेनथन :**
श्री पी० राजेन्दन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा तथा मूल्य के काजू का उत्पादन तथा निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या पिछले वर्षों में काजू के निर्यात में भारी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या काजू के निर्यात मूल्यों में कमी आई;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) काजू के निर्यात को बढ़ावा देने तथा मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजू के उत्पादन और निर्यात की मात्रा तथा मूल्य और इससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही थी:—

वर्ष	उत्पादन (अपरिष्कृत काजू)		निर्यात (काजू गिरी)	
	मात्रा (मी०टन)	मूल्य* (करोड़ रुपए)	मात्रा (मी०टन)	मूल्य (करोड़ रुपए)
2003-2004	5,35,000	2247.00	1,00,828	1804.43
2004-2005	5,44,000	2284.80	1,26,667	2709.24
2005-2006	5,73,000	2406.60	1,14,143	2514.86
2006-2007 अप्रैल-अक्तू, 06)	—	—	68.642	1436.81

(स्रोत: भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद और काजू एवं कोको विकास निदेशालय)

*अपरिष्कृत काजू की कीमत 42/- रुपए प्रति किग्रा० ली गई है।

(ख) और (ग) देश से काजू गिरी के निर्यात में 2004-2005 की तुलना में 2005-2006 के दौरान मामूली गिरावट आई है। वियतनाम, जिसके पास नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनरी के अलावा पर्याप्त सरकारी सहायता भी उपलब्ध है, से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से हमारे काजू के निर्यात प्रभावित हुए है। इसके अलावा अन्य गिरीदार फलों जैसे बादाम, पिस्ता, पहाड़ी बादाम से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा और इन गिरीदार फल उत्पादक समूहों द्वारा किए जा रहे जबरदस्त संवर्धनात्मक कार्यकलापों से विश्वभर में काजू गिरी के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) जी, नहीं। काजू की इकाई निर्यात कीमत में पिछले तीन वर्षों में उनके पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वृद्धि प्रदर्शित हुई है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:—

वर्ष	औसत इकाई निर्यात कीमत (रु०/किग्रा०)
2003-2004	178.96
2004-2005	213.89
2005-2006	220.33

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मेलों में भागीदारी, संवर्धनात्मक प्रचार सामग्री के प्रकाशन आदि जैसे परम्परागत निर्यात संवर्धन कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इसके

अलावा सितम्बर, 2006 में परिषद ने काजू इंडिया 2006 आयोजित की जो कोवलम, त्रिवेंद्रम में आयोजित पहली क्रेता-विक्रेता बैठक थी। इस बैठक में 45 विदेशी प्रतिनिधियों समेत 245 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की थी। परिषद का मार्च, 2007 के दौरान फूड एक्स, टोक्यो, जापान में भी भागीदारी करने का प्रस्ताव है। इनसे भारतीय काजू निर्यातकों को उनके उत्पाद के लिए और अधिक पूछ-ताछ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार भारत से हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी।

नवोदय विद्यालयों में शिक्षण पद्धति में परिवर्तन

2845. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नवोदय विद्यालयों में शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वाई०एन० चतुर्वेदी पैनल की सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को वर्तमान परिदृश्य में अद्यतन बनाने हेतु प्रबोधन कार्यक्रम चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षण पद्धतियों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षकों के लिए सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालयों में व्याख्यान पद्धति को कार्यकलाप आधारित शिक्षण में अंतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसका उद्देश्य अध्यापन संबंधी ज्ञान एवं कौशलों का सतत स्तरोन्नयन, विषयवस्तु क्षेत्रों में अद्यतन उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराना और अध्यापन पद्धतियों में नवीन उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना है।

(ग) नवोदय विद्यालय समिति की प्रबंधन संरचना तथा संचालन तंत्र की समीक्षा के लिए श्री वाई०एन० चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित समिति ने सिफारिश की है कि अध्यापन पद्धतियों में तत्काल सुधार की आवश्यकता है और व्याख्यान से बातचीत पद्धति में अंतरण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण तथा स्कूल पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों को प्रभावित किया जाना चाहिए।

(घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नवोदय विद्यालय पद्धति के अंदर तथा उसके बाहर से विशेषज्ञों को लेकर नियमित प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उनका व्यावसायिक विकास किया जा सके, विषयवस्तु संबंधी ज्ञान को समृद्ध बनाया जा सके तथा ज्ञान कौशलों एवं अभिवृत्तियों का विकास किया जा सके।

गुजरात के दंगा पीड़ितों को एकमुश्त मुआवजा

2846. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002 के गुजरात के दंगा पीड़ितों के लिए एकमुश्त मुआवजे की घोषणा करने का है जैसाकि दिनांक 26 नवम्बर, 2006 में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राहत और मुआवजा प्राप्त करने वाले संभावित लोगों की संख्या का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी घोषणा कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) से (ङ) यह अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

व्यापार मेले के दौरान आई०टी०पी०ओ० द्वारा खर्च की गई तथा अर्जित धनराशि

2847. श्री रामदास आठवले :
श्री एस०के० खारवेनथन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कितने देशों तथा कम्पनियों ने भाग लिया;

(ख) वर्ष 2006 में मेले के लिए विभिन्न देशों के कितने खरीदारों ने पंजीकरण कराया;

(ग) 26वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के भागीदार तथा प्रमुख देश और राज्य के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संगठन (आई०टी०पी०ओ०) द्वारा दिल्ली में प्रत्येक व्यापार मेले में अनुरक्षण आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) प्रत्येक व्यापार मेले से आई०टी०पी०ओ० द्वारा अर्जित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/देशों के स्टॉलों से आई०टी०पी०ओ० द्वारा अर्जित तथा खर्च की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या देश के अन्य भागों में ऐसे मेले आयोजित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) 34 देशों और 290 विदेशी कम्पनियों ने आई०आई०एफ०टी० 2006 में भाग लिया था।

(ख) 100 देशों से 714 क्रेताओं ने मेले के लिए विदेशी शिष्टमंडल स्वागत-कक्ष में अपना पंजीयन कराया था।

(ग) आई०आई०एफ०टी०, 2006 में चीन भागीदार देश तथा थाईलैंड फोकस देश तथा आंध्र प्रदेश भागीदार राज्य और मध्य प्रदेश फोकस राज्य था।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०टी०पी०ओ० द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित मेलों के संबंध में आय और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। संबंधित आयोजन की आय में राज्य पविलियनों/देशों द्वारा अर्जित की गई आय भी शामिल है।

(च) आई०टी०पी०ओ०, राज्य परिलियनों/देशों द्वारा स्टॉलों की स्थापना हेतु कोई खर्च वहन नहीं करता है। राज्य पविलियनों/देशों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए आई०टी०पी०ओ० द्वारा अर्जित की गई आय के वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। आई०टी०पी०ओ० का सी०ओ०डी०आई०एस०एस०आई०ए० (कोयम्बटूर जिला लघु उद्योग एसोसिएशन) के सहयोग से अगले वित्त वर्ष में कोयम्बटूर व्यापार मेला आयोजित करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, जो आई०टी०पी०ओ० की एक सहायक कम्पनी है, ने भी अक्तूबर, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई व्यापार मेले का आयोजन किया था।

विवरण-I

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	आयोजन का नाम	आय	व्यय
1	2	3	4
	2003-04		
1.	कुल होम मेला 5/2003	9.67	12.17
2.	दिल्ली किताब मेला 8/2003	105.80	45.33
3.	स्टेशनरी मेला 8/2003	27.42	13.89
4.	सजावट 8/2003	27.92	12.37
5.	आरोग्य 9/2003	55.08	23.55
6.	दिल्ली अंतरराष्ट्रीय चर्म मेला 10/2003	104.42	34.32
7.	राष्ट्रीय फर्नीचर मेला 10/2003	34.83	13.83
8.	अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा प्रदर्शनी 12/2003	82.69	30.13
9.	टेक्स स्टाइल्स इंडिया 2/2004	339.29	150.29
10.	आहार 3/2004	187.21	36.98
11.	आई०आई०टी०एफ० 2003	2,579.08	576.16
	कुल	3,553.41	949.02
	2004-05		
1.	दिल्ली किताब मेला 8/04	115.87	48.31
2.	दिल्ली अंतरराष्ट्रीय चर्म मेला 5/04	104.15	55.83
3.	स्टेशनरी मेला 8/04	32.05	16.11
4.	टेक्स स्टाइल्स इंडिया 2/05	348.71	181.49
5.	आरोग्य 9/04	79.79	28.18
6.	आहार 3/05	186.90	48.58
7.	प्रिंट पैक इंडिया 1/05	604.96	58.76
8.	खेल सामग्री तथा फिजिकल्स फिटनैस प्रदर्शनी 3/05	19.66	19.86
9.	कॉस्मेटिका 10/04	13.70	10.97
10.	सजावट 8/04	23.93	9.96
11.	आई०टी० भारत मेला 12/04	29.67	22.06
12.	सार्क व्यापार मेला 1/05	54.59	24.60
13.	रोजगार मेला तथा शिक्षा मेला 8/04	31.52	22.09
14.	राष्ट्रीय फर्नीचर मेला 10/04	19.83	14.81

1	2	3	4
15.	पूर्वोत्तर व्यापार एक्सपो 3/05	78.73	–
16.	कृषि एक्सपो 3/05	24.19	8.41
17.	कूल होम इंटीरियर एवं उपभोक्ता सामान 3/05	16.26	12.86
18.	आई०आई०टी०एफ०-2004	2,640.07	508.19
	कुल	4,424.58	1,091.07
	2005-06		
1.	टेक्स स्टाईल्स इंडिया 2/06	394.32	155.83
2.	आहार 03/06	283.25	58.93
3.	दिल्ली अंतरराष्ट्रीय चर्म मेला 5/05	124.40	21.39
4.	अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा एवं अग्निशमन प्रदर्शनी 12/05	108.05	44.68
5.	दिल्ली किताब मेला 8/05	126.07	71.34
6.	आरोग्य 9/05	78.14	35.50
7.	कृषि एक्सपो 3/06	38.47	25.87
8.	स्टेशनरी मेला 8/05	27.50	19.35
9.	राष्ट्रीय फर्नीचर मेला 09/05	21.85	16.62
10.	रोजगार एवं शिक्षा मेला 7/05	6.45	1.87
11.	नक्षत्र 1/06	13.49	9.44
12.	आई०टी० भारत मेला 12/05	26.73	23.30
13.	सजावट एवं इंटीरियर मेला 09/05	13.72	10.58
14.	पूर्वोत्तर व्यापार एक्सपो 3/06	111.69	49.69
15.	खेल सामग्री एवं फिजिकल्स फिटनेस प्रदर्शनी 2/06	20.97	22.07
16.	भारत निर्माण एवं हार्डवेयर शो 10/05	15.00	19.25
17.	आभूषण घड़ियां, दीवार घड़ियां तथा कास्मेटिका शो 3/06	15.51	16.08
18.	आई०आई०टी०एफ० 2005	2,903.02	581.70
	कुल	4,328.33	1,183.49

विवरण-II

व्यापार मेले के दौरान आई०टी०पी०ओ० द्वारा खर्च की गई धनराशि

राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों से वर्ष-वार आय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	पवेलियन का नाम	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4	5
1.	अंडमान तथा निकोबार	7.79	7.97	9.18
2.	आंध्र प्रदेश	35.80	36.01	40.51
3.	अरूणाचल प्रदेश	15.64	–	–
4.	असम	22.14	21.60	23.38
5.	बिहार	15.72	16.01	18.70
6.	चंडीगढ़	11.44	11.87	12.64
7.	छत्तीसगढ़	23.26	30.74	34.47
8.	दमन एवं दीव	–	–	–
9.	दिल्ली	18.29	19.32	20.85
10.	गोवा	5.64	–	6.48
11.	गुजरात	18.00	18.99	35.35
12.	हरियाणा	16.10	16.40	18.84
13.	हिमाचल प्रदेश	16.93	16.31	17.94
14.	जम्मू एवं कश्मीर	14.78	14.78	16.54
15.	झारखंड	51.43	51.07	13.62
16.	कर्नाटक	20.80	20.44	22.98
17.	केरल	23.69	26.07	25.60
18.	लक्षद्वीप	1.94	3.34	2.25
19.	मध्य प्रदेश	13.30	13.47	15.23
20.	महाराष्ट्र	20.19	21.68	24.14
21.	मणिपुर	7.05	7.48	8.37
22.	मेघालय	5.33	5.37	6.15

1	2	3	4	5
23.	मिजोरम	5.65	5.66	6.27
24.	नागालैंड	12.75	12.57	14.38
25.	उड़ीसा	18.46	18.28	20.09
26.	पांडिचेरी	15.38	23.53	17.28
27.	पंजाब	28.96	27.60	32.58
28.	राजस्थान	32.86	33.08	35.41
29.	तमिलनाडु	27.73	28.24	32.52
30.	त्रिपुरा	5.14	5.23	6.01
31.	उत्तर प्रदेश	27.99	27.93	30.10
32.	उत्तरांचल	26.04	26.13	54.84
33.	पश्चिम बंगाल	25.25	26.61	43.37
	कुल	591.45	593.78	666.10

विवरण-III

व्यापार मेले के दौरान आई०टी०पी०ओ० द्वारा खर्च की गई धनराशि

विदेश के संबंध में प्रगति मैदान में आयोजित आयोजनों के लिए वर्ष-वार एवं देश-वार दर्ज की गई आय

2003-04

क्र० सं०	देश का नाम	लाख रुपए में
1	2	3
1.	ताईवान	15.66
2.	कोरिया	1.87
3.	थाइलैण्ड	26.00
4.	इटली	37.31
5.	श्रीलंका	6.33
6.	पोलैंड	1.50
7.	हांगकांग	5.86
8.	चीन	78.51
9.	फ्रांस	0.62
10.	जर्मनी	1.50
11.	पाकिस्तान	41.89
12.	जापान	0.95
13.	यू०के०	4.44
14.	इंडोनेशिया	8.55
15.	ब्राजील	8.22
16.	अमरीका	11.94
17.	तुर्की	22.35
18.	नीदरलैंड	0.78
19.	सऊदी अरब	3.34
20.	यूएई	3.67
21.	आस्ट्रेलिया	0.52
22.	ईरान	8.94
23.	नेपाल	1.52
24.	म्यांमार	9.43
25.	कीनिया	2.30
26.	मलेशिया	0.52
27.	ट्यूनिशिया	8.52
28.	सिंगापुर	1.46
29.	कनाडा	1.32
30.	चैक गणराज्य	1.25
31.	यूरोपीय संघ	0.25
32.	दक्षिण कोरिया	50.41
33.	रूस	4.24
34.	नाईजीरिया	0.53
	कुल	372.48

2004-05

क्र० सं०	देश का नाम	लाख रुपए में
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	0.92

1	2	3
2.	आस्ट्रेलिया	0.86
3.	आस्ट्रिया	1.70
4.	बंग्लादेश	16.43
5.	बेल्जियम	1.36
6.	भूटान	4.31
7.	ब्राजील	97.88
8.	कनाडा	1.36
9.	चीन	56.13
10.	फ्रांस	68.31
11.	जर्मनी	4.25
12.	हांगकांग	0.82
13.	इंडोनेशिया	4.03
14.	ईरान	10.93
15.	इटली	187.64
16.	जापान	1.36
17.	कीनिया	2.07
18.	कोरिया	10.74
19.	मलेशिया	1.55
20.	म्यांमार	7.09
21.	नेपाल	2.31
22.	नीदरलैंड	2.00
23.	पाकिस्तान	96.88
24.	पोलैंड	0.92
25.	सऊदी अरब	1.52
26.	सिंगापुर	4.79
27.	दक्षिण अफ्रीका	4.65
28.	स्पेन	2.72
29.	श्रीलंका	3.46
30.	सीरिया	8.55
31.	ताईवान	10.25
32.	थाइलैंड	31.10
33.	ट्यूनीशिया	8.61
34.	तुर्की	6.50
35.	यू०के०	70.09
36.	यू०ए०ई०	3.72
37.	युगांडा	0.66
38.	अमरीका	19.67
39.	वियतनाम	2.07
	कुल	760.22

2005-06

क्र० सं०	देश का नाम	लाख रुपए में
1	2	3
1.	आस्ट्रेलिया	1.19
2.	बंग्लादेश	5.30
3.	ब्राजील	22.76
4.	कनाडा	0.59
5.	चीन	59.74
6.	मिस्त्र	0.92
7.	फ्रांस	4.28
8.	जर्मनी	9.11
9.	हांगकांग	3.01
10.	इंडोनेशिया	3.58
11.	ईरान	13.56
12.	इटली	62.22
13.	जापान	2.64
14.	कोरिया	3.48
15.	मलेशिया	1.46
16.	म्यांमार	8.43
17.	नेपाल	2.42

1	2	3
18.	नीदरलैंड	2.11
19.	न्यूजीलैंड	0.88
20.	पाकिस्तान	104.85
21.	पौलैंड	1.90
22.	रूस	23.66
23.	सऊदी अरब	3.64
24.	सिंगापुर	2.47
25.	दक्षिण कोरिया	6.16
26.	स्पेन	1.67
27.	सूडान	3.65
28.	स्विटजरलैंड	1.85
29.	सीरिया	11.09
30.	ताईवान	5.92
31.	थाइलैंड	89.23
32.	तुर्की	11.71
33.	यू०के०	131.44
34.	यू०ए०ई०	62.41
35.	यूक्रेन	0.88
36.	अमरीका	4.10
37.	वियतनाम	4.93
	कुल	679.23

आंकड़ों में 10.2 प्रतिशत सेवा कर शामिल हैं।

जनजातीय क्षेत्रों की छात्राओं के लिए आर्थिक पैकेज

2848. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी० पटेल :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों की छात्राओं के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने का है जैसाकि दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 2006-07 के नवम्बर, 2006 तक प्रत्येक वर्ष कितनी जनजातीय छात्राओं ने स्कूल छोड़ा; और

(घ) देश में जनजातीय विरासत/संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय इस समय "जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक परिसर" नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना की प्रभावात्मकता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निवेश के जरिए इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जा रहा है।

(ग) विद्यालय छोड़ने वाली अनुसूचित जनजातीय छात्राओं की दर संबंधी आंकड़े केवल वर्ष 2003-04 तक उपलब्ध है। राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देश में जनजातीय विरासत/संस्कृति का संवर्धन करने के लिए विभिन्न राज्यों में जनजातीय अनुसंधान संस्थान विभिन्न कार्यकलाप करते हैं, जैसे जनजातीय जीवनशैली और कलाकृतियों को दर्शाने वाले जनजातीय संग्रहालय का रखरखाव, जनजातियों से संबंधित मामलों पर सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आदि। यह मंत्रालय सेमिनारों/कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है और जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन कराता है।

विवरण

2003-04 में कक्षा 1-5, 1-8 तथा 1-10 में अनुसूचित जनजातीय छात्राओं की विद्यालय छोड़ने की दर

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कक्षा 1-5	कक्षा 1-8	कक्षा 1-10
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	68.47	82.49	87.57
2.	अरूणाचल प्रदेश	48.37	68.12	77.70
3.	असम	53.20	75.26	75.63
4.	बिहार	59.51	84.39	90.41
5.	छत्तीसगढ़*	—	—	—
6.	गोवा	—	—	—
7.	गुजरात	43.10	68.66	82.93
8.	हरियाणा	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	10.79	26.69	48.31

1	2	3	4	5
10.	जम्मू एवं कश्मीर	39.16	50.35	77.65
11.	झारखंड*	—	—	—
12.	कर्नाटक	4.96	56.80	63.92
13.	केरल	9.46	37.54	49.71
14.	मध्य प्रदेश	38.91	61.61	79.28
15.	महाराष्ट्र	42.82	65.14	82.44
16.	मणिपुर	54.99	60.91	78.98
17.	मेघालय	54.43	76.21	86.12
18.	मिजोरम	54.82	62.59	66.98
19.	नागालैंड	34.49	57.58	67.90
20	उड़ीसा	63.19	76.56	84.01
21.	पंजाब	—	—	—
22.	राजस्थान	38.31	79.63	87.04
23.	सिक्किम	1.13	40.44	71.79
24.	तमिलनाडु	12.00	3.54	55.08
25.	त्रिपुरा	61.25	82.04	87.38
26.	उत्तर प्रदेश	19.40	31.75	60.69
27.	उत्तरांचल*	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	51.55	78.68	71.60
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.47	28.02	41.60
30.	चंडीगढ़	—	—	—
31.	दादरा व नगर हवेली	45.01	65.37	82.78
32.	दमन व दीव	3.48	38.65	77.06
33.	दिल्ली	82.72	81.42	79.81
34.	लक्षद्वीप	1.10	8.12	37.55
35.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	भारत	48.67	71.43	81.16

*संबंधित राज्यों के साथ संयुक्त रूप से विद्यालय छोड़ने की दर दर्शाई गई है।

कॉलेजों की रेटिंग

2849. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कालेजों की रेटिंग करवाने और इसके परिणामों को वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आकलन को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और वेबसाइट पर डाले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद सात मापदण्डों, यथा-पाठ्यचर्या पहलू, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन, अनुसंधान परामर्श और विस्तार, अवसंरचना एवं अधिगम संसाधन, विद्यार्थी सहायता एवं प्रगति, संगठन एवं प्रबंधन और स्वास्थ्य परंपराओं के आधार पर कालेजों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन और प्रत्यायन इस समय एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और अब तक जिन 3085 संस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है, उनके मूल्यांकन परिणाम वेबसाईट www.naacindia.org पर उपलब्ध है।

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं

2850. श्री तरित बरण तोपदार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से देश में निर्यात प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन/रियायतें दी जाती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त योजनाओं के माध्यम से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के दुरूपयोग के कितनी मामलों की रिपोर्ट मिली है और उनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) ऐसी योजनाओं के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निर्यात सवंर्धन हेतु जिन विभिन्न स्कीमों (एस०ई०जेड० को छोड़कर) के जरिए प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान की जाती हैं, उनमें शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमें यथा अग्रिम प्राधिकार, शुल्क

मुक्त आयात प्राधिकार ई०ओ०यू०/ई०एच०टी०पी०/एस०टी०पी० स्कीम, डी०ई०पी०बी० तथा शुल्क वापसी स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा, ई०पी०सी०जी० स्कीम के जरिए शुल्क रियायत की अनुमति है। हमारी अनेक पुरस्कार स्कीमें भी चल रही हैं जिनमें शामिल हैं – सर्व्ड फ्राम इंडिया, विशेष कृष एवं ग्राम उद्योग योजना, फोकस बाजार स्कीम, फोकस उत्पाद स्कीम और टार्गेट प्लस स्कीम (अब समाप्त हो गई है)। इन स्कीमों के ब्यौरे एक सांविधिक प्रकाशन "विदेश व्यापार नीति, 2004-09" नामक पुस्तक में दिए गए हैं, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) इन स्कीमों में अनुमत शुल्क रियायत/निष्प्रभावीकरण/शुल्क स्क्रिप के रूप में राजस्व का अधित्याग किया जाता है और इसलिए इनसे राजस्व आय का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वर्ष 2003-2004 के दौरान, दुरूपयोग के 496 मामलों की सूचना मिली थी, जिनमें 81,882.05 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रत थी और इनमें कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान 606 और 209 मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें क्रमश: 1,81,352.65 लाख रुपए और 94,720.77 लाख रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है।

(घ) इन स्कीमों में अंतर्निहित रक्षोपाय हैं जिनमें शामिल है – अग्रिम प्राधिकार एवं ई०पी०सी०जी० स्कीम के मामले में वास्तविक प्रयोक्ता संबंधी शर्त और डी०ई०पी०बी० तथा शुल्क वापसी स्कीम के संबंध में मूल्य संबंधी अधिकतम सीमा। इसके अलावा, नियमित निगरानी की जाती है और चूककर्ता निर्यातकों को डिनाइड एन्टिटी सूची में रख दिया जाता है तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनयमन) अधिनियम 1992 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उत्पादन क्षेत्रों के बीच व्यापार

2851. डा० धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के बीच व्यापार करने के लिए विद्यमान व्यवस्था क्या है;

(ख) इस व्यवस्था से कृषि क्षेत्र को प्राप्त हो रहे लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस व्यवस्था से सभी उत्पादन क्षेत्र समान लाभ प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) देश में विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार किसी क्षेत्र विशेष के प्रति किसी भेदभाव के बिना मुक्त रूप से किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पॉम ऑयल का आयात

2852. श्री संतोष गंगवार : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों विशेषकर नेपाल से खाद्य तेलों विशेषकर पाम ऑयल, वनस्पति तेल का आयात घरेलू उद्योग को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बंद और बंद होने के कगार पर तेल मिलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू उद्योग के हित में क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) भारत-नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत नेपाल से भारत में वनस्पति तेल के शुल्क-मुक्त आयात की सुविधा प्रति वर्ष एक लाख मीट्रिक टन तक सीमित है और यह आयात भारतीय राज्य व्यापार निगम (एस०टी०सी०) के जरिए किया जाता है तथा किसी क्षेत्र विशेष पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए इसे पूरे भारत में वितरित किया जाता है। नेपाल से पाम-तेल का कोई शुल्क मुक्त आयात नहीं किया जाता है।

यह सूचित किया गया है कि देश में स्थित वनस्पति तेल (वनस्पति) की 264 इकाइयों में से इस समय 148 इकाइयाँ या तो बंद पड़ी है या प्रचालन में नहीं है। वनस्पति तेल की इकाइयों के बंद होने के मूल कारणों में कच्ची सामग्री की उपलब्धता के अनुसार उत्पादन क्षमता का सृजन न करना, पुरानी प्रौद्योगिकी, किफायत न बरतना, नेपाल और श्रीलंका से वनस्पति तेल के शुल्क मुक्त आयात से प्रतिस्पर्धा शामिल हैं। अत: यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि इकाइयों के बंद होने का एकमात्र कारण नेपाल से वनस्पति तेल का शुल्क मुक्त आयात है।

घरेलू उद्योग की चिंताओं का समाधान करने के लिए कुछेक कदम उठाए गए हैं। घरेलू उद्योग के हितों की सुरक्षा और वनस्पति

तेल उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:—

(i) खुले समान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के तहत कोपरा को छोड़कर तिलहन के आयात की अनुमति प्रदान की गई है।

(ii) परिष्कृत तेल/वनस्पति के विनिर्माण के लिए नियत खाद्य ग्रेड के कतिपय वनस्पति तेल पर रियायती दर पर आयात शुल्क लगाया गया है।

(iii) कच्ची सामग्री की उपलब्धता को सुकर बनाने के लिए खाद्य ग्रेड के कतिपय अपरिष्कृत वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को परिष्कृत तेलों की तुलना में कम रखा गया है। दिनांक 11.08.2006 से अपरिष्कृत पाम तेल पर सीमाशुल्क को 80% से घटाकर 70% कर दिया गया है जबकि परिष्कृत पाम तेल/रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड (आर०बी०डी०) पामोलीन पर सीमाशुल्क को 90% से घटाकर 80% कर दिया गया है।

(iv) देश में सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टेड तेलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और एक्सट्रेक्सेंस के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से खाद्य ग्रेड के हेक्सेन पर उत्पाद शुल्क को 32% से घटाकर 16% कर दिया गया है।

(v) परिष्कृत खाद्य तेलों/वनस्पति/जमी हुई वसा आदि पर उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है।

(vi) वनस्पति, बेकरी शार्टेनिंग, जमी हुई वसा, मार्जरीन पर आयात शुल्क को 30% से बढ़ाकर 80% किया गया है।

(vii) भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आई०एस०एफ०टी०ए०) के अंतर्गत श्रीलंका से बेकरी शार्टेनिंग एवं मार्जरीन समेत वनस्पति के शुल्क मुक्त आयात को भी 2.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक सीमित किया गया है।

(viii) किसानों, प्रसंस्कर्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों के समसंरक्षण के लिए खाद्य तेल पर आयात शुल्क संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ix) पाम तेल एवं इसके उत्पादों तथा सोयाबीन तेल के लिए टैरिफ मूल्य को समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

(x) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार जो 1.7.2006 से प्रवृत्त हुआ है, के अंतर्गत वनस्पति तेलों समेत खाद्य तेलों को भारत की नकारात्मक सूची में रखा गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि भावी मुक्त व्यापार करारों या इसी प्रकार के करारों में भी इन मदों को नकारात्मक सूची में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

आर०डी०एक्स० जब्त किया जाना

2853. श्री काशीराम राणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005 और 2006 के दौरान देश के विभिन्न भागों से हथियारों के जखीरों एवं आर०डी०एक्स० जब्त किए जाने की घटनाओं की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) इस संबंध में अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में कोई विदेशी व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में अवैध हथियारों के उत्पादन को समाप्त करने के लिए सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2005 और 2006 (अक्तूबर, 2006 तक) के दौरान जब्त किए गए/बरामद किए गए शस्त्रों की कुल संख्या क्रमश: 15458 और 14477 है। इसी प्रकार, वर्ष 2005 और 2006 (अक्तूबर, 2006 के दौरान जब्त किए गए/बरामद किए गए आर०डी०एक्स० की मात्रा क्रमश: लगभग 1021 किलोग्राम और 724 किलोग्राम है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2005 और 2006 (अक्तूबर, 2006 तक) के दौरान इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमश: 13335 और 10812 है।

(ग) और (घ) कुछेक ऐसे मामले हुए हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली राष्ट्रिक संलिप्त हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार ने देश में अवैध शस्त्रों के प्रचुर मात्रा के अंतर्वाह/वृद्धि को रोकने हेतु कोई उपाय/कदम शुरू किए हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से शस्त्रों के अवैध विनिर्माण की पहचान करने, उन्हें नष्ट करने तथा उन्हें जब्त करने तथा अवैध शस्त्रों/विस्फोटकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है। सीमा रक्षक बल भी सीमा पार से अवैध शस्त्रों/विस्फोटकों की तस्करी के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए चौकस और सतर्क रहता है।

[हिन्दी]

निर्यातकों को सुविधाएं

2854. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात में लगी औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयात के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बाहर स्थित निर्यातक औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जा रही सुविधाएं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आयात करने वाली इकाइयों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) निर्यातक को उपलब्ध सुविधाएं इस मूल सिद्धांत पर आधारित हैं कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। नियातोन्मुखी इकाई (ई०ओ०यू०) स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम, अग्रिम लाइसेंस स्कीम, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, शुल्क वापसी स्कीम जैसी विभिन्न निर्यात सवंर्धन स्कीमों और इसी प्रकार की अन्य स्कीमों में पूंजीगत वस्तुओं पर रियायती शुल्क अथवा शुल्क की छूट और/अथवा कच्ची सामग्रियों एवं खपत योग्य वस्तुओं पर शुल्कों की छूट या उनकी वापसी या रिबेट के लिए तद्नुसार प्रावधान किया गया है।

(ख) से (घ) किसी विशेष आर्थिक जोन (एस०ई०जेड०) की इकाई के अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सभी आयातों को शुल्कों से छूट प्राप्त है। एस०ई०जेड० से बाहर निर्यातक औद्योगिक इकाइयां भी यदि वे०ई०ओ०य० स्कीम के अंतर्गत प्रचालन करती हैं तो कच्ची सामग्रियों एवं पूंजीगत वस्तुओं पर और यदि वे अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत प्रचालन करती हैं तो कच्ची सामग्रियों पर इसी प्रकार की छूट की हकदार हैं। एस०ई०जेड० इकाई के लिए आयातों के संबंध में एकमात्र अतिरिक्त सुविधा इकाई परिसर के निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री के लिए छूट प्राप्त होना है।

[अनुवाद]

समेकित डिग्री कोर्स की शुरूआत

2855. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पांच वर्षीय समेकित डिग्री कोर्स आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) अपने स्वायत्त दर्जे को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो समेकित डिग्री कार्यक्रम भी नामतः बी०ए०, एल०एल०बी० और एम०एस०सी० बी०एड० विनिर्दिष्ट किए हैं।

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

2856. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में विशेषकर कर्नाटक में औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत स्थापित क्लस्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई०आई०यू०एस० आरम्भ किए जाने के पश्चात् घरेलू उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आई०आई०यू०एस० के अंतर्गत विद्यमान औद्योगिक क्लस्टरों/स्थानों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के सृजन के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसकी शीघ्र स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई०आई०यू०एस०) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) आई०आई०यू०एस० का उद्देश्य चुनिन्दा कार्यशील क्लस्टरों में निजी-सार्वजनिक सहभागिता से गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराकर घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। चूंकि स्वीकृत परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, इसलिए उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) आई०आई०यू०एस० के अंतर्गत लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। आई०आई०यू०एस० के लिए 675 करोड़ रुपये का संपूर्ण योजनागत आबंटन अभी तक स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पहले ही समर्पित

कर दिया गया है। योजना आयोग से अतिरिक्त निधियां स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया गया है। नई परियोजनाओं की स्वीकृत, अन्य बातों के साथ-साथ 11वीं योजना में इस योजना के जारी रहने और योजना के लिए योजनागत परिव्यय पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

आई०आई०यू०एस० के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	राज्य	अभिज्ञात क्लस्टर	अवस्थिति	परियोजना लागत
1.	2003-04	गुजरात	कैमिकल क्लस्टर	वापी	54.31
2.		तमिलनाडु	टैक्सटाईल क्लस्टर	तिरूपुर	150.00
3.	2004-05	आन्ध्र प्रदेश	ऑटोमोबाईल	विजयवाड़ा	31.08
4.			फार्मा क्लस्टर	हैदराबाद	66.16
5.		छत्तीसगढ़	इस्पात भूमि क्लस्टर	रायपुर	65.55
6.		गुजरात	कैमिकल क्लस्टर	अंकलेश्वर	152.83
7.			जेम एंड ज्वैलरी	सूरत	86.55
8.			कैमिकल क्लस्टर	अहमदाबाद	69.86
9.		हरियाणा	टैक्सटाईल क्लस्टर	पानीपत	54.53
10.		कर्नाटक	फाउंड्री	बेलगांव	24.78
11.			मशीन टूल्स	बंगलौर	135.50
12.		केरल	कयर क्लस्टर	अल्लापुजा	56.80
13.		मध्य प्रदेश	ऑटो क्लस्टर	पीतमपुर	72.39
14.		महाराष्ट्र	ऑटो उपकरण	पुणे	59.99
15.			टैक्सटाईल क्लस्टर	इछलकरनजी	66.55
16.		उड़ीसा	धातुकर्मी	जयपुर	80.60
17.		पंजाब	टैक्सटाईल क्लस्टर	लुधियाना	17.19
18.		राजस्थान	मार्बल क्लस्टर	किशनगढ़	36.80
19.		तमिलनाडु	ऑटो एन्सिलरी आई०एन०डी०	चैन्नाई	47.49
20.			खाद्यान्न	मदुरैई	39.96
21.			लैदर क्लस्टर	अम्बुर	67.34
22.			पम्पस/मोटर्स/फाउंड्री	कोयम्बतूर	56.39
23.		उत्तर प्रदेश	लैदर सैक्टर	कानपुर-उन्नाव	16.45
24.		पश्चिम बंगाल	फाउंड्री पार्क	हावड़ा	129.74
25.			बहु उद्योग	हल्दिया	67.25
26.			रबड़ क्लस्टर	हावड़ा	29.74

विवरण-II

आई०आई०यू०एस० के तहत लंबित प्रस्ताव

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	राज्य	क्लस्टर	अवस्थिति	परियोजना लागत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	परशीसन इंजीनियरिंग औजार एवं उपकरण	बालानगर, हैदराबाद	72.22
2.		रेडिमेड गारमेन्ट्स क्लस्टर	रायदुर्ग, जिला अनन्तपुर	7.05
3.		चमड़ा शोधन उद्योग	वारांगल और पड़ौसी जिले	21.42
4.		चमड़ा शोधन उद्योग	जिला विजयनगरम और पड़ौसी क्षेत्र	15.00
5.		कयर क्लस्टर	वेस्ट एंड ईस्ट गोदावरी, हैदाबाद	67.42
6.		सरसिला पावरलूम्स	जिला-करीमनगर	32.62
7.	दिल्ली	ओखला इन्ड० एरिया	ओखला, नई दिल्ली	49.67
8.		वजीरपुर इन्ड० एरिया	वजीरपुर, दिल्ली	60.00
9.	गुजरात	फोर्जिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक्स, ग्लास, आदि	लोदीका जीआईडीसी इण्डस्ट्रीयल पार्क, राजकोट	65.20
10.		फार्मा, टैक्सटाईल, इन्जीनियरिंग, रसायन, आदि	सचिन	47.50
11.		कैमिकल क्लस्टर	नंदेसरी	18.58
12.		इन्जीनियरिंग क्लस्टर	मकरपुरा, वडोदरा	36.04
13.		सी फूड प्रसंस्करण	वेरावल, जूनागढ़	20.00
14.		लैदर क्लस्टर	गुजरात	16.21
15.		सेरामिक	अमरापुर	1.96
16.	हरियाणा	लाईट इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रियल क्लस्टर	फरीदाबाद	60.44
17.		ऑटोमोटिव उपकरण	गुडगांव	66.67
18.	झारखंड	ऑटो क्लस्टर	आदित्यपुर, जमशेदपुर	64.99
19.	कर्नाटक	वाल्वस क्लस्टर	हुबली	70.00
20.		ऑटो एवं संबद्ध उद्योग क्लस्टर	शिमोगा	58.36
21.	केरल	किनफरा हर्बल ड्रग्स क्लस्टर	त्रिसूर	10.19
22.		कैमिकल क्लस्टर	कोच्ची	53.50
23.	मध्य प्रदेश	इन्जीनियरिंग एवं संबद्ध क्लस्टर	भोपाल	68.77
24.		रेडिमेड गारमेन्ट्स	जबलपुर	41.71
25.		खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग उद्योग	छिंदवाड़ा	32.31
26.		हैण्डलूम फैब्रिक	चंदेरी	2.25

1	2	3	4	5
27.		हर्बल एवं फार्मा पार्क	इन्दौर	61.45
28.		प्लास्टिक/एफआईबीसी क्लस्टर	इन्दौर	8.40
29.	महाराष्ट्र	पोमग्रेनेट क्लस्टर	शोलापुर, सांगली, पुणे	21.43
30.		दाल मिलिंग	कापसी, तालकामपटी, जिला नागपुर	35.42
31.		कैमिकल क्लस्टर	माहाद, जिला रायगढ़	15.00
32.		फाउंड्री एवं इन्जीनियरिंग क्लस्टर	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	42.44
33.	मिजोरम	जुआंगतुई इन्डस्ट्रीलय इस्टेट	आइजोल	33.21
34.	पंजाब	रिरौलिंग स्टील मिल्स	मंडी गोबिन्दगढ़	59.26
35.		साईकिल एवं उसके पुर्जे	लुधियाना	50.00
36.		मशीन टूल्स	बटाला	50.00
37.		स्टील फोर्जिंग क्लस्टर	लुधियाना	12.12
38.	राजस्थान	मार्बल क्लस्टर	राज सामन्द	29.08
39.	तमिलनाडु	मुद्रण एवं प्रकाशन क्लस्टर	सिवाकाशी	60.00
40.		कयर क्लस्टर	सालेम, नामक्कल, धर्मपुरी और बेल्लौर	49.70
41.		लैदर क्लस्टर	रानीपेट विश्राम एंड पेरनाम्बुट	54.55
42.	त्रिपुरा	बांस हस्तशिल्प	त्रिपुरा	29.30
43.	उत्तर प्रदेश	वुडवेयर इन्डसट्रीज क्लस्टर	सहारनपुर	44.97
44.		सिल्क एवं कारपेट क्लस्टर	वाराणसी	48.13
45.		जगदीशपुर औद्योगिक क्लस्टर	अमेठी	77.47
46.	पश्चिम बंगाल	लोहा एवं स्टील औद्योगिक क्लस्टर	दुर्गापुर	73.05

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम

2857. **श्री ब्रजेश पाठक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्षेत्र व्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को कितनी निधियां प्रदान की गई;

(ख) आज तक इसके अंतर्गत राज्य-वार एवं वर्ष-वार क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां संतोषजनक रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वित्तीय बाजार के संबंध में विषय

2858. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2007 से ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय बाजार पर एक विषय शुरू करने की एक योजना तैयार की है जैसाकि दिनांक 12 नवंबर, 2006 के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विषय को विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) अकादमिक विषयों में से एक भाषा तथा एक वैकल्पिक विषय के अतिरिक्त निम्नलिखित तीन विषयों को इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है:—

(i) एकाउंटेंसी फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन

(ii) फाइनेंशियल मार्केट्स

(iii) कम्प्यूअर एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट

इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शुरू करने का मूलभूत उद्देश्य कक्षा XII उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वित्तीय फर्मों, शेयर बाजारों तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्मों में कार्य करने योग्य बनाना है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनको अपना पाठ्यक्रम तैयार करने तथा शुरू करने की स्वतंत्रता है।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खामी

2859. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री पंकज चौधरी :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज)
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर खामियाँ पाई गईं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में हुई ऐसी खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खामियों के लिए कोई जांच की गई और दोषियों को दण्डित किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां, 31 अक्तूबर, 2006 को प्रधान मंत्री की हाल की केरल यात्रा के दौरान काफिले का एक भाग पूर्व-निर्धारित मार्ग से अलग चला गया था।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। केरल सरकार ने सुरक्षा की इस चूक को बहुत गंभीरता से लिया है और पायलट अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आई०जी०पी० (सुरक्षा) और पुलिस आयुक्त, तिरूवनंतपुरम को भी उनके अपने-अपने पदों से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, केरल सरकार भी राज्य में अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी०वी०आई०पी०) की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास कर रही है।

(ङ) केन्द्र सरकार, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को सलाह देती रही है कि वे इस मंत्रालय द्वारा पहले से परिचालित सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों को कड़ाई से कार्यान्वित करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

[हिन्दी]

समुद्री खाद्य पदार्थों का आयात

2860. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आयात किए गए समुद्री खाद्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वदेशी समुद्री खाद्य उद्योग पर आयात के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार समुद्री खाद्यों के आयात एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा आयातित कुल समुद्री खाद्य उत्पादों का ब्यौरा निम्नानुसार था:—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए)
2003-04	229.87
2004-05	220.20
2005-06 (फरवरी, 2006 तक)	94.13

आकलन से यह पता चलता है कि आयातित अधिकांश मत्स्य उत्पाद पुन: निर्यात के लिए थे।

(घ) और (ङ) इस समय समुद्री खाद्य के आयात और प्रसंस्करण हेतु विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष निर्यात क्षेत्रों में बदलना

2861. **डा० चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ई०पी०जेड०) को विशेष निर्यात क्षेत्रों (एस०ई०जेड०) में बदलने के संबंध में एस०ई०जेड० नीति में क्या उपबंध है और बदलने के लिए अनुज्ञेय आधार क्या है;

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदले गए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनके रूपान्तरण के पश्चात् उनके द्वारा कितना निर्यात किया गया है;

(ग) क्या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदले गए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनके लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बदला गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) 31 मार्च, 2000 को निर्यात एवं आयात नीति के एक भाग के रूप में विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेड०) नीति की घोषणा करते समय, यह भी घोषणा की गई थी कि कुछेक मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई०पी०जेडों०) को एस०ई०जेडों० में परिवर्तित किया जाएगा। तदनुसार, सरकार ने 1 नवम्बर, 2000 से कांडला मुक्त व्यापार जोन ई०पी०जेड०, सूरत० ई०पी०जेड०, सांताक्रुज इलेक्ट्रॉनिक्स ई०पी०जेड०, मुंबई तथा कोचीन ई०पी०जेड० को एस०ई०जेडों० में परिवर्तित करने तथा 1 जनवरी, 2003 से नोएडा ई०पी०जेड०, विशाखापत्तनम ई०पी०जेड०, फाल्टा ई०पी०जेड० तथा मद्रास ई०पी०जेड० को एस०ई०जेडों० में परिवर्तित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की थीं। ई०पी०जेड० इकाइयों को एस०ई०जेडों० में परिवर्तित करने के प्रावधान निर्यात आयात नीति में निहित थे। परिवर्तन की तारीख से 30 नवम्बर, 2006 तक इन जोनों में स्थित इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात 90,214 करोड़ रुपए का है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एफ०टी०ए०

2862. **श्री एल० राजगोपाल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुक्त व्यापार समझौते पर मतभेदों को दूर करने के लिए भारत और बिमस्टेक (बी०आई०एम०एस०टी०ई०सी०) के बीच हाल ही में कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जुलाई 01, 2006 से एफ०टी०ए० का क्रियान्वयन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां।

(ख) बिमस्टेक एफ०टी०ए० (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र हेतु बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल) संबंधी कार्यढांचा करार पर दिनांक 8 फरवरी, 2004 को हस्ताक्षर किए गए थे। कार्यढांचा करार में वार्ताएं करने हेतु एक व्यापार वार्ताकारी समिति (टी०एन०सी०) के गठन का प्रावधान था। बिमस्टेक टी०एन०सी० की पिछली बैठक 6 से 10 नवम्बर, 2006 तक म्यांमार में आयोजित की गई थी। टी०एन०सी० ने एफ०टी०ए० के अंतर्गत उनके बकाया मुद्दों जिनमें अन्य बातों के साथ टैरिफ उदारीकरण अनुसूची, उद्गम के नियम, रक्षोपाय आदि शामिल थे, पर विचार-विमर्श किया। वार्ताओं में वस्तु संबंधी एफ०टी०ए० के अधिकांश पाठ तथा टैरिफ उदारीकरण के लिए रूपरेखाओं पर सातों सदस्यों के बीच आम सहमति बन गई है। हालांकि उद्गम के नियमों के संबंध में सामान्य नियम तथा उत्पाद विशिष्ट नियमों के अल्पीकरण पर कोई सहमति नहीं बन पाई है।

(ग) एफ०टी०ए० को दिनांक 1 जुलाई, 2006 से लागू नहीं किया जा सका क्योंकि टैरिफ उदारीकरण के लिए सूची तथा उद्गम के नियमों पर सभी सदस्यां देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी।

[हिन्दी]

बाड़ लगाना

2863. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री अमिताभ नन्दी :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य क्षेत्र-वार किन-किन अभिकरणों को सौंपा गया है;

(ख) क्या कई क्षेत्रों में लगाए गए बाड़ खराब भुगतान/घटिया सामग्रियों के उपयोग के कारण नष्ट हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) घटिया सामग्री के उपयोग के लिए उत्तरदायी अभिकरण अथवा विभाग कौन से हैं;

(ङ) क्या इससे घुसपैठ में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो घुसपैठ की रोक-थाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लागने का कार्य पश्चिम बंगाल में, सी०पी०डब्ल्यू०डी० को, असम में असम पी०डब्ल्यू०डी० और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन०बी०सी०सी०) को, मेघालय में सीमा सड़क संगठन (बी०आर०ओ०) तथा एन०बी०सी०सी० को, मिजोरम में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन०पी०सी०सी०), इंजीनियर्स परियोजना इंडिया लिमिटेड (ई०पी०आई०एल०) को तथा त्रिपुरा क्षेत्र में बी०आर०ओ०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, एन०बी०सी०सी०, त्रिपुरा पी०डब्ल्यू०डी०, एन०पी०सी०सी० और ई०पी०आई०एल० को सौंपा गया है। भारत-पाक-सीमा पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात राज्य में एन०बी०सी०सी० और सी०पी०डब्ल्यू०डी० तथा जम्मू क्षेत्र में बी०एस०एफ० को बाड़ लगाने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, घुसपैठ की रोकथाम के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) गश्त लगाकर सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी;

(ii) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन तथा अन्य आसूचना एजेंसियों के साथ समन्वय;

(iii) सीमा पर बाड़ खड़ी करना;

(iv) नदी तट पर गश्त;

(v) नाइट विजन डिवाइस सहित आधुनिक निगरानी उपकरण उपलब्ध करवाना;

(vi) राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय।

[अनुवाद]

दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार

2864. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के पश्चात् दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें इसके पश्चात कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अक्तूबर, 2004 में भारत की यात्रा की थी। पिछले तीन वर्षों में हुए द्विपक्षीय व्यापार के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-जून)
कोरिया गणराज्य को निर्यात	764.86	1041.68	1818.96	393.23
कोरिया गणराज्य से आयात	2829.19	3508.77	4343.38	1079.38
कुल व्यापार	3594.05	4550.45	6162.34	1472.61

(स्रोत: डी०जी०सी०आई० एंड एस०)

(ग) एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी०ई०पी०ए०) को अंतिम रूप दिए जाने के लिए वार्ताएं चल रही हैं जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश का व्यापक संवर्धन होगा।

राष्ट्रीय बाल आयोग

2865. श्री नवीन जिन्दल :
श्री क्षितेन बर्मन :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाल आयोग गठित करने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में सभी राज्यों से विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्होंने किन प्रमुख मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अधीन स्वतंत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सृजन के साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) में संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस संशोधन से ''मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री'' के स्थान पर ''महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अथवा विभाग के प्रभारी मंत्री'' चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। संसद द्वारा संशोधन विधेयक के पास हो जाने तथा राष्ट्रपति द्वारा अपनी स्वीकृति देने के पश्चात आयोग की स्थापना की जाएगी।

(घ) जी, हां।

(ङ) अधिकांश राज्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

एन०एस०सी०एन० (आई-एम) के साथ वार्ता

2866. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में एमस्टरडम में एन०एस०सी०एन० (आई-एम) के नेताओं और भारतीय मध्यस्थों के बीच आयोजित बातचीत कर दौर स्वतंत्र नागा संविधान के मुद्दे पर कोई नया आधार प्रदान करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन०एस०सी०एन० (आई-एम) के नेता अपने कड़े रूख पर अड़े रहे और यह आरोप लगाया कि मध्यस्थ जुलाई 2006 में आयोजित बैंकाक बैठक के दौरान किए गए अपने आश्वासनों से मुकर गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अब नीदरलैंड के गैर-सरकारी संगठन द्वारा आरंभ की गई शांति पहल के नए प्रस्ताव पर गौर कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में तृतीय पक्ष के प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (ङ) नागा समस्या के संबंध में एन०एस०सी०एन० (आई/एम) के साथ वार्ता आयोजित करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। श्री आस्कर फर्नांडिस, श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में भारत सरकार की एक टीम और एन०एस०सी०एन० (आई/एम) नेताओं के बीच वार्ता का अद्यतन दौर 4-6 दिसम्बर, 2006 के बीच एमस्टर्डम में आयोजित किया गया था। वार्ता चालू है। इस बारे में और ब्यौरे बताना अभीष्ट नहीं होगा।

कॉफी जोन

2867. श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कॉफी के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेषकर केरल में विशेष कॉफी जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोइ प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कच्चे जूट का मूल्य

2868. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल के नए मौसम की शुरूआत में कच्चे जूट के मूल्य में भारी गिरावट आई है जिससे जूट उत्पादकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जूट उत्पादकों के हितों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) जी नहीं। यद्यपि कच्ची पटसन की कीमत वर्तमान पटसन मौसम (जुलाई-जून) के प्रारंभ में जुलाई माह, 2006 में गिरनी शुरू हुई, तथापि यह आपूर्ति में वृद्धि के कारण एक सामान्य बाजार घटना है। तथापि,

ये कीमतें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) से नीचे नहीं गिरी है। भारतीय पटसन निगम (जे०सी०आई०) के हस्तक्षेप से, कच्ची पटसन की कीमतें स्थिर हो गईं और कच्ची पटसन की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति रोकी गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें कच्ची पटसन की विभिन्न श्रेणियों के लिए बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य, अन्य राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी समितियों और ग्राम स्तरीय समितियों के अलावा भारतीय पटसन निगम के 171 नियमित क्रय केंद्रों द्वारा उत्पादकों से कच्ची पटसन की खरीद, भारतीय पटसन निगम द्वारा चलाए गए वाणिज्यिक अभियान, भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन उत्पादकों को प्रमाणीकृत बीजों के वितरण में सहयोग, खाद्यान्न और चीनी दोनों के लिए पटसन के थैलों में 100% अनिवार्य पैकेजिंग की घोषणा और कृषि-विज्ञान प्रथाओं में वृद्धि लाने के लिए विभिन्न अन्य अनुसंधान व विकास क्रियाकलाप शामिल हैं।

[अनुवाद]

झारखंड में कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल

2869. श्री टेक लाल महतो : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने के मद्देनजर इनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु झारखंड राज्य की सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने झारखंड में महिलाओं हेतु आवासीय होस्टलों के निर्माण को अपनी मंजूरी प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिला आवासीय होस्टलों का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) सरकार झारखण्ड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को होस्टल एवं कार्यस्थल पर शिशुगृह जैसी समर्थन सेवाएं प्रदान करने के लिए स्कीमें चला रही है।

(ख) सरकार ने झारखण्ड में दो कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण हेतु वर्ष 1978-79 तथा 1989-90 में सहायता प्रदान की। सरकार के पास झारखण्ड में कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण का कोई भी प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में आई०एस०आई० की गतिविधियां

2870. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई आसूचना अभिकरणों के अनुसार सुंदरवन बांध अभियारण्य आई०एस०आई० द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के नए प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है जैसाकि दिनांक 24 अगस्त, 2006 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सुंदरवन क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ अत्यधिक है और राज्य सरकार उक्त गतिविधियों की रोकथाम करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैय्बा के तीन आतंकवादियों ने सुन्दरबन क्षेत्र से देश में घुसपैठ की थी।

(ङ) राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है और जमीनी आसूचना चुस्त-दुरुस्त बना दी है तथा अन्य सहायक एजेंसियों के साथ निकट संपर्क बनाया हुआ है। राज्य सरकार ने आसूचना शाखा की उत्तर बंगाल और दक्षिणी बंगाल यूनिटों में आतंकवाद-विरोधी प्रकोष्ठ भी स्थापित किए हैं। सीमा चौकसी बल, चौबीसों घंटे पैदल, नावों/वाहनों और निगरानी चौकियों से गश्त लगा कर चौकसी करते हैं। नदी तट के क्षेत्रों में जहाज/नाव तैनात करके वहां की चौकसी की जाती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय तट रक्षकों के जहाज और हवाई जहाज किसी भी विधिविरूद्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए भारत-बांग्लादेश समुद्री सीमा के साथ नियमित और लगातार गश्त लगाते हैं।

सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रैंजर्स की बैठक

2871. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच आयोजित अर्द्धवार्षिक बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम करने और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट स्थायी रक्षा ढांचा बनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त वार्ता के दौरान किन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) और पाक रेंजरों के बीच अभी तक द्विवार्षिक बैठक आयोजित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

संघ राज्य क्षेत्र में रिक्त पद

2872. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विभागों में कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पड़े पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दमण और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से इन पदों को भरने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा कया कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) और (ख) दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली केन्द्र शासित प्रशासनों के विभिन्न विभागों में कुल 545 पद (समूह "क" 51, समूह "ख" 46, समूह "ग" 365 और समूह "घ" 83) रिक्त पड़े हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र शासित प्रशासनों को केवल उन्हीं रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है जो कि समाप्त हुए माने गए वर्ग के अंतर्गत आ गए हैं अथवा जो भारत सरकार द्वारा जारी कुछ अन्य निर्देशों के तहत समाप्त कर दिए गए हैं। उक्त वर्गों के अन्तर्गत न आने वाले पदों को ऐसे पदों हेतु उपलब्ध प्रक्रिया और भर्ती नियमों के अनुसार प्रशासनों द्वारा भरा जाता है।

वस्त्र योजनाओं हेतु प्रस्ताव

2873. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जारी की गई सहायता राशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कई राज्य सरकारों से हस्तशिल्प/हथकरघा अथवा वस्त्र मंत्री संबंधी अन्य योजना के संबंध में सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) बाबा साहेब हस्तशिल्प विकास योजना (ए०एच०वी०वाई०) समुदाय उद्यमी के माध्यम से चुनिंदा शिल्प समूहों के समेकित सतत् विकास के लिए वर्ष 2001-02 में प्रारम्भ की गई थी। विभिन्न कार्यान्वयनकारी एजेंसियों अर्थात् राज्य हस्तशिल्प विकास निगम, गैर-सरकारी संगठनों तथा शीर्ष समितियों आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम में राज्य सरकारों को सीधे सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को ए०एच०वी०वाई० के अंतर्गत विमुक्त राशि के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ख) और (ग) सरकार की वस्त्र मदों सहित हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास की स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकार को सीधे कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती हैं। अत: राज्य सरकारें हस्तशिल्प के संबंध में कोई प्रस्ताव सीधे राज्य सरकार को अग्रेषित नहीं करती हैं।

हथकरघा के संवर्धन एवं विकास की स्कीम में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, हथकरघा निर्यात स्कीम, वर्कशेड-सह-हाऊसिंग स्कीम, मिल गेट प्राइस स्कीम, थ्रिफ्ट फंड स्कीम एवं न्यू इंशोरेंस स्कीम को शामिल करते हुए बुनकर कल्याण स्कीम, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा स्कीम, समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, समेकित हथकरघा कलस्टर विकास स्कीम, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि, हथकरघों का कार्यान्वयन (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 शामिल हैं। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक सतत् प्रक्रिया है। इन स्कीमों के अंतर्गत किए गए व्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आरम्भ होने से लेकर अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना की वित्तीय निष्पत्ति

धनराशि रुपये में

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04 रिलीज की गई धनराशि/उपगत व्यय	2004-05 रिलीज की गई धनराशि/उपगत व्यय	2005-06 रिलीज की गई धनराशि/उपगत व्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,47,19,882	1,77,42,483	2,67,74,169
2.	अरूणाचल प्रदेश	27,15,572	27,70,751	27,56,467
3.	असम	1,51,53,420	3,26,39,754	3,42,24,013
4.	बिहार	5,45,000	15,63,000	13,76,500
5.	छत्तीसगढ़	17,91,867	19,33,600	11,24,000
6.	दिल्ली	32,56,192	33,60,318	16,31,376
7.	गोवा	2,50,000	—	1,00,000
8.	गुजरात	69,40,979	1,08,03,579	3,29,61,000
9.	हरियाणा	25,14,058	31,71,519	36,56,551
10.	हिमाचल प्रदेश	53,91,622	1,25,02,753	96,79,853
11.	जम्मू एवं कश्मीर	40,61,168	54,18,259	1,15,14,111
12.	झारखंड	6,46,000	10,91,040	17,99,500
13.	कर्नाटक	38,70,696	40,95,909	65,36,785
14.	केरल	74,63,947	44,31,514	94,17,669
15.	मध्य प्रदेश	66,23,241	69,73,483	70,72,925
16.	महाराष्ट्र	23,64,716	33,04,386	18,78,430
17.	मणिपुर	20,01,220	17,73,514	76,37,276
18.	मेघालय	4,57,870	000	1,50,000
19.	मिजोरम	15,82,250	16,58,500	37,500
20.	नागालैण्ड	30,11,325	12,03,500	40,06,000
21.	उड़ीसा	79,13,837	76,78,523	2,07,47,866
22.	पांण्डिचेरी	—	16,905	—
23.	पंजाब	41,61,579	15,12,250	56,96,700
24.	राजस्थान	64,69,404	88,01,206	58,59,061
25.	सिक्किम	000	—	—
26.	तमिलनाडु	33,44,689	31,14,809	93,75,986
27.	त्रिपुरा	34,97,284	49,08,529	36,76,317
28.	उत्तर प्रदेश	1,64,25,535	2,61,06,197	3,63,47,707
29.	उत्तरांचल	59,78,205	21,13,500	40,12,521
30.	पश्चिम बंगाल	78,14,680	1,66,41,449	120,16,684
	कुल	14,09,66,238	18,73,31,230	26,20,66,967

विवरण-II

भिन्न हथकरघा प्लान योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 के दौरान रिलीज की गई धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य का नाम	हथकरघा निर्यात योजना			दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डी०डी०एच०पी०वाई०)			विपणन संवर्धन कार्यक्रम			बुनकर बीमा योजना		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0.00		1648.45	406.09	656.12	42.88	75.17	115.99	0.00	13.26	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.26	1.75	2.00	0.00	0.00	
3.	असम	33.75	15.00		445.71	0.00	11.12	101.41	107.29	176.35	0.00	0.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	0.00	0.00		12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00		43.88	11.20	4.61	1.00	2.41	0.00	0.00	0.00	
6.	दिल्ली	0.00	0.00		100.00	100.00	0.00	12.00	15.00	13.00	0.00	0.17	
7.	गोवा	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	गुजरात	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19.25	22.00	42.73	0.00	0.55	
9.	हरियाणा	9.85	13.50	17.10	0.00	4.58	0.00	17.73	51.63	15.00	0.00	0.00	
10.	हिमाचल प्रदेश	41.55	6.75	20.34	99.18	96.82	27.50	8.09	7.00	12.87	0.00	0.02	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	5.75	21.56	20.42	25.38	18.29	42.99	0.00	0.00	0.00	
12.	झारखण्ड	0.00	0.00		0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
13.	कर्नाटक	0.00	0.00		126.66	104.76	1050.00	24.10	46.33	77.51	0.00	8.22	
14.	केरल	11.25	6.73	33.25	679.35	594.10	285.41	11.67	17.27	9.00	0.00	0.36	
15.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00		9.06	40.19	30.33	29.70	17.25	40.25	0.00	0.00	
16.	महाराष्ट्र	0.00	0.00		3.59	38.00	0.00	6.79	22.71	43.85	0.00	0.02	
17.	मणिपुर	0.00	0.00	5.00	112.79	426.35	248.06	5.00	4.26	3.00	0.00	0.00	
18.	मेघालय	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.91	3.97	4.91	0.00	0.00	
19.	मिजोरम	0.00	0.00		3.47	7.73	0.00	28.72	19.98	11.99	0.00	0.00	
20.	नागालैण्ड	5.50	0.00		516.33	489.21	870.81	34.00	42.17	42.39	0.00	0.00	
21.	उड़ीसा	6.44	20.25		20.66	123.36	190.81	43.81	80.52	31.85	0.00	2.15	
22.	पांडिचेरी	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.	पंजाब	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	
24.	राजस्थान	0.00	0.00	5.75	4.70	43.37	0.00	51.92	26.92	53.02	0.00	0.05	
25.	सिक्किम	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26.	तमिलनाडु	0.00	5.63	17.25	1581.41	3375.20	4226.95	44.11	28.34	66.65	0.00	19.02	
27.	त्रिपुरा	0.00	0.00		5.49	34.16	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
28.	उत्तर प्रदेश	76.72	34.18	59.87	908.84	1283.83	1043.54	84.52	48.56	80.39	0.00	0.33	0.76
29.	उत्तरांचल	0.00	0.00		2.13	53.49	0.00	8.00	8.82	13.69	0.00	0.00	
30.	पश्चिम बंगाल	21.30	14.52	11.30	77.91	881.37	382.14	29.26	58.28	46.95	0.00	0.00	
	कुल	206.36	116.56	175.61	6423.79	8134.26	9061.00	643.91	755.95	938.39	0.00	45.00	0.76
	अन्य संगठन	235.32	298.44	279.00	310.00	260.00	253.96	146.70	153.02	208.44	150.00	150.00	0
	कुल योग	441.68	415.00	454.61	6733.79	8394.26	9314.96	790.61	908.97	1146.83	150.00	195.00	0.76

विवरण-II

भिन्न हथकरघा प्लान योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 के दौरान रिलीज की गई धनराशि का विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	वर्कशेड-सह-आवास योजना			बुनकर कल्याण योजना											
				स्वास्थ्य पैकेज योजना			थ्रिफ्ट निधि योजना			समूह बीमा		नया बीमा			कुल योग
	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आन्ध्र प्रदेश	92.81	253.69	57.33	0.00	0.00		0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.48
अरुणाचल प्रदेश	13.50	120.50	218.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		41.34
असम	181.99	137.67	172.45	0.00	208.52	49.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		158.08
बिहार	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
छत्तीसगढ़	0.00	5.09	7.92	1.75	0.00	3.15	0.00	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
दिल्ली	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.26	0.41	0.00
गोवा	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
गुजरात	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	7.69	2.22	0.00	3.46	0.00		0.00
हरियाणा	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
हिमाचल प्रदेश	24.50	0.00	21.42	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.91	0.00		2.00
झारखण्ड	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40.89
कर्नाटक	288.28	236.45		0.00	36.42	13.08	0.00	40.00		12.36	0.00	0.00	0.00		54.27
केरल	96.85	52.93	42.14	19.64	17.16	2.62	3.08	17.98		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
मध्य प्रदेश	0.00	3.78	10.38	0.00	0.00		0.00	0.00	2.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.56	4.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
महाराष्ट्र	0.00	0.00		1.28	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		137.50
मणिपुर	0.00	50.09	158.07	0.00	0.00	72.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		259.57
मेघालय	0.00	0.00	19.53	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
मिजोरम	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11.87
नागालैण्ड	484.51	371.75	247.60	73.88	0.00	79.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		247.60
उड़ीसा	0.00	24.05	29.44	0.00	0.00		0.00	0.00	24.87	0.00	0.00	7.12	0.00		70.84
पांडिचेरी	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
पंजाब	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
राजस्थान	51.71	51.71	26.61	0.35	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	3.34	2.61	2.81	2.92
सिक्किम	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
तमिलनाडु	514.44	172.29	162.95	122.64	100.07	65.90	318.79	278.41	370.55	0.00	0.00	0.00	0.00		388.30
त्रिपुरा	20.00	20.00	31.60		0.00		0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.76
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	218.20	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		14.95
उत्तरांचल	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		22.28
पश्चिम बंगाल	28.51	0.00		1.71	7.09		0.00	0.00		2.87	0.00	0.00	0.00		0.00
कुल	1797.10	1500.00	1444.24	221.25	369.26	464.22	321.87	436.39	412.00	17.93	0.00	14.83	2.87	3.78	2071.43
अन्य संगठन	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
कुल योग	1797.10	1500.00	1444.24	221.25	369.26	464.22	321.87	436.39	412.00	17.93	0.00	14.83	2.87	3.78	2081.43

सीमा पर गोलीबारी

2874. चौधरी लाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई गोलीबारी की घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए हैं/हताहत हुए हैं और पशुधन की कितनी हानि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त घटनाओं के पीड़ितों को दिए गए मुआवजे/रोजगार इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हमारी कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा जीरो लाइन और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर नए बाड़ के बीच स्थित है तथा भू-स्वामियों को उनकी सुविधा के अनुसार खेती करने की अनुमति दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले ग्रामीणों के अधिकारों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार गोलीबारी की कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं से वर्ष 2006 (आदिनांक) के दौरान चार व्यक्ति मारे गए और नौ घायल हुए। इस सीमा पर वर्ष 2004 और 2005 के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(ख) गोलीबारी की ऐसी घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति की राशि आदि के बारे में संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ग) से (ङ) जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शून्य रेखा और बाड़ के बीच का कुछ क्षेत्र कृषि भूमि है। इन क्षेत्रों में शून्य रेखा और बाड़ के बीच किसानों के खेतों में खेती करने को सुविधाजनक बनाने हेतु उपयुक्त दूरी पर गेट लगाए गए हैं। ग्राम पंचायतों के साथ परामर्श करके उनकी सुविधा के अनुसार गेटों को खोलने के समय के बारे में स्थानीय रूप से निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों की आवश्यकता के अनुरूप भी गेटों को खोला जाता है।

[हिन्दी]

बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय

2875. डा० राजेश मिश्रा : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक विकास के बावजूद बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्रतिशतता गत दशक के समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संघ सरकार का राजस्व व्यय 1996-97 में 1053.84 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2005-06 में 5661.7 करोड़ रुपये हो गया है। शिक्षा पर राजस्व व्यय 1996-97 में 2509.63 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2005-06 में 13138.21 करोड़ रुपये हो गया है। घरेलू सकल उत्पाद 1996-97 में 1368209 करोड़ रुपये से बढ़कर 2005-06 में 3524276 करोड़ रुपये हो गया है। इससे पता चलता है कि पिछले दशक में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय में काफी वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय पर प्रतिशत 1996-97 में 0.081 और 2005-06 में 0.162 था। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से सामान्य शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत 1996-97 में 0.183 तथा 2005-06 में 0.373 था।

ये सूचना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, जो कि मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

खनन उद्योग में खतरे

2876. श्री अभिलाष मन्दी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने खनन उद्योग में कंपन की पहचान पेशागत खतरे के रूप में की है; और

(ख) यदि हां, तो खनन कामगारों को उक्त खतरों से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए विधिवत अनुमोदित खनन प्लान अनिवार्य है। खनन प्लान में सुरक्षित, क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक खनन कार्य किए जाने की वचनबद्धता होती है। खनिज सरक्षण तथा विकास नियमावली, 1988 के अनुसार, सभी खनन कार्य खनन प्लानों

के अनुसार किए जाने होते हैं और इस संबंध में किसी प्रकार की विफलता होने पर नियम में उल्लेख है कि एक प्राधिकृत अधिकारी सभी अथवा किसी खनन कार्य का निलम्बन आदेश दे सकता है और केवल ऐसे प्रचालनों की अनुमति दे सकता है जो खानों में परिस्थितियों की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक हों।

नामीबिया के साथ खनन क्षेत्र में सहयोग

2877. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामीबिया के विदेश मंत्री ने हाल ही में केन्द्रीय खान मंत्री के साथ बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो क्या नामीबिया के खनन क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में अपनी अभिरूचि दर्शाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नामीबिया पक्ष ने सूचित किया है कि नामीबिया हीरा, तांबा, स्वर्ण, यूरेनियम और जस्ता जैसे खनिज संसाधानों में धनी है जिनका अभी गवेषण और विदोहन किया जाना है। यह भी सूचित किया गया कि नामीबिया में एक फलता-फूलता लघु खनन क्षेत्र है। नामीबिया पक्ष ने अपने खनिज भण्डारों का गवेषण और विदोहन करने के लिए भारत की सहायता मांगी है, जिससे उस देश का सामाजिक उत्थान करने में योगदान मिलेगा।

(घ) भारतीय पक्ष ने, विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्र का पता लगाने के बाद उनके खनिज संसाधनों के गवेषण और विदोहन के लिए नामीबिया को, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड आदि की मार्फत सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

हथियारों की तस्करी के विरुद्ध सी०बी०आई० जांच

2878. श्री रशीद मसूद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० ने देश में हथियारों की तस्करी के मामलों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी तस्करी के मामलों में सी०बी०आई० द्वारा कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध सी०बी०आई० द्वारा जांच की गई और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) क्या सी०बी०आई० को उक्त तस्करी में पड़ोसी देशों की संलिप्तता के कोई साक्ष्य मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) "हथियारों की तस्करी" के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान सी०बी०आई० में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(च) सीमा पार से हथियारों के अन्तर्वाह को रोकने के लिए भारत सरकार ने ग्राउंड सेंसर और तेज रोशनी करने के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर तथा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने, सीमा पर सुरक्षा बलों को तैनाती आदि करने जैसे कई उपाय/कदम उठाए हैं। सीमा की चौकसी करने वाले अर्द्ध-सैनिक बलों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की राज्य पुलिस को इस संबंध में नियमित रूप से सुग्राही बनाया जाता है। समुद्री मार्ग से हथियारों की किसी भी प्रकार की तस्करी रोकने के लिए तटवर्ती सुरक्षा योजना शुरू की गई है ताकि उच्च स्तर की सतर्कता रखी जा सके।

बुनकरों को प्रशिक्षण

2879. प्रो महादेवराव शिवनकर :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पकारों/बुनकरों को दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एस०एच०टी०पी०) और समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई०एच०टी०पी०) के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के शुरू होने के समय से अब तक इनके अंतर्गत वर्षवार कितने शिल्पकार/बुनकर प्रशिक्षित किए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एच०एच०टी०पी०) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में मौजूदा तथा नए शिल्पियों/कालीन बुनकरों का कौशल उन्नयन शिल्पियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, सिद्धहस्तशिल्पियों के कौशल को नए प्रशिक्षणार्थियों में हस्तांतरित करना तथा उच्च बाजार मांग वाले शिल्पों का उत्पादन आधार बढ़ाना शामिल है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनकरों के लिए समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई०एच०टी०पी०) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। इस परियोजना में बुनाई प्रौद्योगिकी के हथकरघा बुनकरों/कामगारों का कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास, रंजक तकनीकों तथा बुनकरों को विविध श्रेणी के गुणवत्ता उत्पादों का उत्पादन तथा उनके विपणन में सक्षम बनाने हेतु प्रबंधकीय प्रशिक्षण देना शामिल है।

(ग) एच०एस०टी०पी०/आई०एच०टी०पी० के आरम्भ होने के समय से अब तक इसके अंतर्गत प्रशिक्षित शिल्पियों/बुनकरों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	वर्ष	एसएचटीपी के अन्तर्गत प्रशिक्षित शिल्पियों की संख्या	आईएचटीपी के अंतर्गत प्रशिक्षित बुनकरों की संख्या
1.	2003-04	180	शून्य
2.	2004-05	5185	11760
3.	2005-06	9810	18700
4.	2006-07	2545	5700

(घ) पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान एसएचटीपी एवं आईएचटीपी के अंतर्गत विमुक्त कुल धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एस०एच०टी०पी० के अंतर्गत राज्यवार विमुक्त कुल धनराशि के ब्यौरे

(राशि लाख रुपयों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 30.11.2006 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.25	4.88	16.35	23.56
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह		1.67	8.59	
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.96	1.98	0.80	4.66
4.	असम	28.11	70.98	21.52	27.94
5.	बिहार	1.57	3.40	5.84	
6.	छत्तीसगढ़	0.54	2.61		
7.	चण्डीगढ़				
8.	दिल्ली	0.48	0.71	4.41	5.75
9.	गोवा	0.27	1.01	0.80	
10.	गुजरात	1.08	4.67	3.76	1.32
11.	हरियाणा	1.44	2.88	2.52	3.50
12.	हिमाचल प्रदेश	1.18	7.90	11.75	1.85
13.	जम्मू एवं कश्मीर	2.88	24.44	112.02	43.09
14.	झारखंड	0.54	3.58	1.68	1.32
15.	कर्नाटक	1.98	6.75	3.10	5.07
16.	केरल	2.52	5.42	0.20	1.32
17.	मध्य प्रदेश	1.62	2.29	4.88	2.02
18.	महाराष्ट्र	0.54	1.35	12.10	4.92
19.	मणिपुर		6.48	12.28	10.03
20.	मेघालय	2.10		1.20	
21.	मिजोरम		1.62		1.02
22.	नागालैंड	1.56	14.64	18.13	4.64
23.	उड़ीसा	1.08	6.27	10.19	3.97
24.	पंजाब	1.44	3.83	1.19	
25.	पाण्डिचेरी	0.48	0.92	7.21	1.35
26.	राजस्थान	0.96	2.46		
27.	सिक्किम			0.40	
28.	तमिलनाडु	1.71	7.73	28.96	12.05
29.	त्रिपुरा	1.44	2.38	3.98	
30.	उत्तर प्रदेश	33.75	94.27	136.43	53.62
31.	उत्तरांचल	2.28	9.44	12.20	2.30
32.	पश्चिमी बंगाल	5.24	10.88	2.05	3.97
	कुल	100.00	307.44	444.54	219.27

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष (नवम्बर, 2006 तक) के दौरान समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई०एच०टी०पी०) के अंतर्गत बुनकर सेवा केंद्रों की विमुक्त केन्द्रीय निधि के ब्यौरे

क्रमांक	राज्य का नाम	विमुक्त निधियां (आंकड़े रुपयों में)			2006-07
		2003-04	2004-05	2005-06	30.11.2006 तक
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	4890784	23944000	15572500	13950500
2.	आन्ध्र प्रदेश	3818989	20365000	20908000	–
3.	केरल	1493000	9498750	7244250	–
4.	कर्नाटक	1882024	11763000	8478875	–
5.	असम	1709750	4219250	6000000	–
6.	अरूणाचल प्रदेश	4715000	1509000	917500	1118000
7.	मेघालय	–	–	1907400	2079000
8.	पश्चिमी बंगाल	1932750	5723450	3478238	1327387
9.	सिक्किम	–	–	1208750	–
10.	उड़ीसा	839250	9677500	3509750	–
11.	बिहार	255882	–	2730375	–
12.	झारखंड	533050	–	1423000	–
13.	त्रिपुरा	683250	4049000	1664700	–
14.	मिजोरम	–	–	2959700	–
15.	मणिपुर	484000	–	–	–
16.	नागालैंड	227750	–	2883000	–
17.	महाराष्ट्र	1179404	6819500	7010250	5941750
18.	गोवा	–	–	–	–
19.	गुजरात	1818953	5904000	4056875	5163500
20.	मध्य प्रदेश	2548110	6889500	3328500	7817500
21.	छत्तीसगढ़	447238	9956250	6457280	4177250
22.	दिल्ली	1001814	3303039	946000	–
23.	हिमाचल प्रदेश	1424750	6210000	–	5407500
24.	राजस्थान	1840320	5063050	7287550	–
25.	हरियाणा	1451775	5100000	–	–

1	2	3	4	5	6
26.	पंजाब	–	–	–	2456250
27.	उत्तर प्रदेश	1704448	9334442	9700794	8618000
28.	उत्तरांचल	1023712	1709934	2464000	3034000
29.	जम्मू एवं कश्मीर	1053771	5627750	–	2256250
30.	पाण्डिचेरी	373250	–	–	–
	कुल	39333024	156666415	122137287	63346887

[अनुवाद]

जनजातियों के प्रति अत्याचार

2880. श्री रघुनाथ झा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय लोगों के प्रति हो रहे अत्याचारों के मामलों को रोकने में विफल रही है और ये मामले वर्ष-दर-वर्ष बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जनजातीय लोगों के प्रति किए गए अत्याचारों के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है तथा इसके लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है/दोषसिद्ध ठहराया गया है; और

(ग) जनजातीय लोगों के कल्याण और उत्थान हेतु क्या उपाय किए गए हैं तथा इसमें कितनी सफलता मिली है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं होगा कि जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामले वर्षानुवर्ष बढ़ रहे हैं। आंकड़े उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाते वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न सेक्टोरल मंत्रालयों के जनजातियों एवं अन्य लोगों के लिए अपने-अपने कार्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय एकमात्र जनजातियों के लाभ के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करता है :

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

1. **कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान :** विभिन्न पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतु निधियों को निर्मुक्त की जाती है।

2. **जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण :** इस योजना का उद्देश्य लाभप्रद रोजगार/स्वरोजगार हेतु जनजातीय युवकों के कौशल का विकास करना है।

3. **कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर :** 10% से कम महिला साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता में सुधार हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं।

4. **लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान :** लघु वन उत्पाद की मदों से संबंधित जनजातीय विकास सहकारी निगमों, लघु वन उत्पाद व्यापार एंव विकास संघों अथवा वन विकास निगमों को समर्थन दिया जाता है।

5. **आदिम जनजातीय समूहों का विकास :** आदिम जनजातीय समूहों के लाभार्थ चलाई जाने वाली किसी भी गतिविधि हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं।

6. **अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति :** एम०फिल तथा पी०एच०डी० उपाधियों की प्राप्तियों हेतु उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजातीय छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

7. **अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर, पुस्तक बैंक एवं प्रतिभा उन्नयन योजना :** अनुसूचित जनजाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजातीय छात्रों को पुस्तकें दी जाती हैं तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा उन्नयन का कार्य किया जाता है।

8. **अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों एवं लड़कियों के छात्रावास :** नए छात्रावास भवनों के निर्माण और/अथवा छात्रावास वर्तमान छात्रावास के विस्तार हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निधियां दी जाती हैं।

9. **जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय :** अनुसूचित जनजातीय लड़कों तथा लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु निधियां प्रदान की जाती है।

10. **अनुसंधान सूचना एवं जन-शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य :** अनुसंधान अध्येतावृत्ति के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातीय अनुसंधान संस्थापन स्थापित करने, अनुसंधान एवं मूल्यांकन परियोजनाएं, संगोष्ठियां एवं प्रकाशन जैसे कार्य के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

11. **जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता :** रोजगार-एवं-आयसृजनात्मक गतिविधियों एवं उसकी आनुषंगिक आधारभूत अवसंरचना में महत्वपूर्ण अंतर को भरने हेतु जनजातीय उपयोजना वाले राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

12. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान :** जनजातीय कल्याण शिक्षा संस्थानों को आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2003 से 2005 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० (पी०ओ०ए०) अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003			2004			2005		
		आरजी	एआर	सीवी	आरजी	एआर	सीवी	आरजी	एआर	सीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	150	189	22	147	197	19	196	291	22
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	19	25	1	25	43	0	59	26	2
5.	छत्तीसगढ़	221	305	101	201	199	250	93	159	47
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7.	गुजरात	69	156	12	59	125	9	73	152	0
8.	हरियाणा	0	0	7	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	2	1	0	2	1	0
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	5	69	4	40	69	4	152	80	7
12.	कर्नाटक	108	301	2	118	353	3	85	310	15
13.	केरल	10	30	4	11	17	3	8	3	14
14	मध्य प्रदेश	252	413	94	212	361	119	252	440	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	महाराष्ट्र	50	82	0	40	69	10	52	81	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	168	203	15	159	192	27	204	246	32
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	279	315	197	147	151	154	91	81	135
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	6	12	9	7	7	2	10	16	1
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	54	0	0	18	0	0	16
27.	उत्तरांचल	1	2	4	3	7	2	0	0	8
28.	पश्चिम बंगाल	1	1	3	4	5	1	3	3	0
	कुल (राज्य)	1340	2104	529	1175	1796	621	1282	1889	452
29.	अंडमान व निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	1	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	कुल (अखिल भारत)	1340	2104	529	1175	1796	621	1283	1890	452

स्रोत : नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

2002-03 के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजनाओं के नाम	2003-04 निर्मुक्त निधियां	2004-05 निर्मुक्त निधियां	2005-06 निर्मुक्त निधियां
1	2	3	4
कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	26.9030	29.3008	26.0793
	0.00	0.1377	0.2100
	26.9030	29.4385	26.2893
	0.00	0.43	0.60
	0.00	0.02	0.00
	26.90	29.8885	26.8893
जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1.1801	0.5654	0.7341
	4.00	4.50	4.85
	5.1802	5.0654	5.5841
जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	5.7482	7.6793	6.00
ट्राइफेड को निवेश/मूल्य समर्थन	6.00	6.00	4.00
	0.00	0.00	0.00
	6.00	6.00	4.00
लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम	4.50	8.00	12.84
ग्राम अन्न बैंक	1.0724	0.00	0.00
आदिम जनजातीय समूहों का विकास	4.75	5.8014	3.75
	11.38	15.50	19.0241
	16.13	21.3014	22.7741
राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को समर्थन	13.50	20.00	0.00
	3.79	4.75	0.00
	17.29	24.75	0.00

1	2	3	4
अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप	0.00	0.00	7.95
अनुसूचित जनजातीयों छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	0.00		
	0.00		0.03
	0.00	0.00	0.03
	66.42	101.3497	210.15
	0.7688	0.3903	1.00
	67.1888	101.74	211.15
	67.1888	101.74	211.18
अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	2.3063	1.00	1.65
		2.00	
	2.3063	3.00	1.65
	15.8392	10.00	14.00
	15.8392	10.00	14.00
	18.1455	13.00	15.65
आश्रम स्कूलों की स्थापना	0.00	0.00	0.00
	6.47	5.50	6.00
	6.47	5.50	6.00
अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय त्यौहार एवं अन्य	0.00	0.00	0.00
			0.40
	2.6954	1.0839	—
			0.3728
			0.2268
			0.2866
	2.6954	1.0839	1.2862
	2.5340	2.00	2.20
	5.2294	3.08	3.4862
निगरानी एवं मूल्यांकन	0.00	0.00	0.30
जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	0.00		0.00
	461.30	497.00	688.82
	461.30	497.00	688.82
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अंतर्गत योजना	252.70	330.00	380.00

प्रौढ़ शिक्षा हेतु धनराशि

2881. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है;

(ख) क्या ऐसे आवंटन वर्ष-दर-वर्ष घट रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में प्रौढ़ शिक्षा की शुरूआत से इसमें क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए आबंटन राशि और किए गए व्यय नीचे दिए गए हैं:—

(रु० करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2003-04	233.00	232.50
2004-05	250.00	236.47
2005-06	290.00	249.30

पूरे आवंटन का उपयोग न कर पाने का मुख्य कारण यह था कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनिवार्य आबंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका था चूंकि इस क्षेत्र में अधिकांश जिले अब भी बुनियादी साक्षरता और उत्तर साक्षरता के चरणों में हैं। इसके परिणामस्वरूप सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनिवार्य आबंटन अप्रयुक्त रह गया।

(घ) वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत होने के पश्चात अब तक निरक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के लिए समग्र साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत 597 जिलों नव-साक्षरों को साक्षरता कौशल के सुदृढ़ीकारण के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम हेतु 492 जिलों और लाभार्थियों को जीवन-पर्यन्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत 319 जिलों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में कम महिला साक्षरता पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के 8 जिलों, बिहार के 13 जिलों, उडीसा के 9 जिलों और झारखंड के 5 जिलों में त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु विशेष साक्षरता अभियान चलाने के लिए देश के न्यूनतम साक्षरता दर वाले 150 जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 134 जिलों को कवर किया जा चुका है, जो अधिकांशत: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा राज्यों में हैं, जहां निरक्षरों की बहुतायत है।

अब तक, 120.35 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है जिनमें से लगभग 60% लाभार्थी महिलाएं हैं और उनमें से लगभग 22% तथा 12% क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध हैं। साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्य संसाधन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में आवश्यकता आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए 194 जन शिक्षण संस्थानों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

टैक्सटाइल मदों का निर्यात

2882. श्री ई०जी० सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य टैक्सटाइल मदों जैसे, धोतियों, साड़ियों और लुंगियों का निर्यात तेजी से घटा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्पाद/मद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने तथा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने वस्त्र निर्यात के संवर्द्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- निवेश आकर्षित करने एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया;
- वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) शुरू की गई;
- वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र में आधुनिकीकरण की गति तेज करने के लिए विशेषीकृत मशीनरी के लिए 20 लाख रुपए की सीमा के अध्यधीन 100 लाख रुपए तक निवेश पर 20% पूंजी सहायता उपलब्ध है;
- वूवन सिलेसिलाए परिधानों को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया गया है;

– दो योजनाओं अर्थात निर्यात के लिए "अपैरल पार्क योजना" (ए०पी०ई०एस०) और "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" (टी०सी०डी०आई०एस०) का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एस०आई०टी०पी०) शुरू की गई।

– कपास फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया;

– निर्यात योग्य उत्पादों का विकास करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने तथा प्रचार के लिए पात्र एजेंसियों को हथकरघा निर्यात योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ओ०जी०एल० नीति

2883. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वैश्वीकरण और सरकार की ओ०जी०एल० नीति की वजह से देश के विभिन्न भागों में लघु उद्योग सहित अनेक भारतीय उद्योग बंद हो गए हैं अथवा बंद होने के कगार पर हैं जिससे सैंकड़ों श्रमिक व्यापारी और किसान बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक ऐसे कितने मामले सामने आए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने लोग बेरोजगार हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन लघु किसानों, श्रमिकों और व्यापारियों की क्षतिपूर्ति हेतु/उनके पुनर्वास हेतु कोई प्रभावी कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) सरकार वर्ष 1991 से व्यापारी उदारीकरण की नीति का अनुसरण कर रही है। वैश्वीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है और देश के विकास हेतु व्यापार एवं आर्थिक नीतियों का योगदान अधिकतम बनाने के लिए ऐसी नीतियों में सामंजस्य एवं सुसंगतता बनाए रखने में इसका अनिवार्य योगदान मिलता है।

पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्योग क्षेत्र की विकास दर में निरन्तर वृद्धि देखी गयी है।

आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात की निगरानी के लिए एक समुचित तंत्र स्थापित किया है। किसानों सहित घरेलू उत्पादकों को डब्ल्यू०टी०ओ० सुसंगत विभिन्न उपायों के जरिए संरक्षण प्रदान किया जाता है। जिनमें वचनबद्ध स्तरों के भीतर लागू टैरिफ में अंशशोधन तथा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रक्षोपाय कार्रवाई शामिल हैं। इसके अलावा, किसानों और श्रमिकों सहित भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक विकास कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए हैं इनमें से कुछेक कार्यक्रमों में शामिल हैं – जल, ऋण तथा उर्वरकों सहित निविष्टियों की संवर्धित उपलब्धता, न्यूनतम समर्थन कीमत स्कीम के जरिए कीमत समर्थन, बाजार हस्तक्षेप स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि।

[हिन्दी]

विमानों/समुद्री मार्गों के माध्यम से आतंकवादियों की घुसपैठ

2884. **श्री हंसराज ग० अहीर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमानों और समुद्री मार्गों के माध्यम से आतंकवादी गुटों की घुसपैठ के संबंध में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो विमानों और समुद्री मार्गों से आतंकवादी गुटों की हो रही घुसपैठ को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार घुसपैठ की गतिविधियों को रोकने हेतु एक विशेष सशस्त्र बल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) हालांकि ज्यादातर घुसपैठ भूमि के रास्तों में होती हैं लेकिन व्यक्तियों एवं सामग्री को लाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से आतंकवादियों द्वारा समुद्री/हवाई रास्तों के उपयोग की कुछ घटनाएं भी ध्यान में आई हैं।

(ख) सीमा रक्षक बलों को सतर्क एवं चौकस करने के अलावा हवाई अड्डों पर शारीरिक सुरक्षा और आप्रवासन नियंत्रण को कड़ा कर दिया गया है। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार ने दो विशेष स्कीमें प्रारंभ की हैं अर्थात तटीय सुरक्षा योजना और आपरेशन स्वान। उग्रवादी गुटों द्वारा पैदा की जाने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आसूचना सतर्क रहते हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

परीक्षा में मूल्यांकन प्रणाली

2885. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षकों को वास्तविक रूप से सक्षम बनाकर स्कूल बोर्ड और अन्य उच्च स्तर परीक्षाओं में त्रुटिहीन मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है जैसा कि 22 नवम्बर, 2006 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने हेतु राज्यों को अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले जैसा कि 22 नवम्बर, 2006 के समाचार पत्र 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है, से अवगत है। यह मामला उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है और भारत सरकार इस मामले में पक्षकार के रूप में शामिल नहीं थी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग

2886. चौ० मुनव्वर हसन : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों (ए०आर०आई०) की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य-वार एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ग) आवंटित धनराशि में से उपयोग की गयी धनराशि का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त सहायता से राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) देश में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) के अंतर्गत स्थापित ग्रामीण उद्योग इकाईयों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत स्थापित लगभग 50% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) और (ग) आर०ई०जी०पी० एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और अनुमोदित अनुदान के०वी०आई०सी० को जारी किए जाते हैं, जो तत्पश्चात प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए बैंकों को मार्जिन मनी सहायता के लिए निधियां जारी करते हैं। वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत के०वी०आई०सी० द्वारा प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत सब्सिडी का आबंटन तथा निधियां जारी किया जाना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों पर आधारित है। सब्सिडी राशि भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) को सीधे जारी की जाती है, जो तत्पश्चात अपेक्षित राशियां कार्यान्वयन बैंकों को जारी करता है। 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई सब्सिडी की राशियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत जारी सब्सिडी (करोड़ रु०)
2003-04	147.63
2004-05	190.48
2005-06	251.36

2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई अनुदान की राशियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(घ) 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आर०ई०जी०पी० तथा पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार की शर्तों के अनुसार लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-IV और V में दी गई है।

विवरण-I

आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत इसके आरंभ 1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 2006 तक और पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत इसके आरंभ 2 अक्तूबर, 1993 से और 30 सितम्बर, 2006 तक स्थापित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	इकाईयों की संख्या आरईजीपी (31 मार्च, 2006 तक)	पीएमआरवाई (30 सितम्बर, 2006 तक)
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	159	1332

1	2	3	4
2.	दिल्ली	243	11007
3.	हरियाणा	7307	80509
4.	हिमाचल प्रदेश	3024	28831
5.	जम्मू एवं कश्मीर	8958	12331
6.	पंजाब	10907	98786
7.	राजस्थान	29567	128826
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1020	1335
9.	बिहार	1792	129848
10.	झारखंड	1275	22837
11.	उड़ीसा	4807	84160
12.	पश्चिम बंगाल	21885	50468
13.	अरूणाचल प्रदेश	498	3866
14.	असम	6094	74470
15.	मणिपुर	905	8439
16.	मेघालय	3499	4793
17.	मिजोरम	1435	2729
18.	नागालैंड	5257	4080
19.	सिक्किम	392	694
20.	त्रिपुरा	972	11524
21.	आन्ध्र प्रदेश	17136	214238
22.	कर्नाटक	15407	156984
23.	केरल	10558	159911
24.	लक्षद्वीप	36	245
25.	पांडिचेरी	1012	3516
26.	तमिलनाडु	7777	159428
27.	दादर एवं नगर हवेली	15	619
28.	दमन एवं दीव	0	190
29.	गोवा	2575	3014
30.	गुजरात	1990	95428
31.	महाराष्ट्र	24804	303469
32.	छत्तीसगढ़	2338	15920
33.	मध्य प्रदेश	20620	248401
34.	उत्तरांचल	2834	29150
35.	उत्तर प्रदेश	19257	422371
36.	विनिर्दिष्ट नहीं	—	5259
	जोड़	236355	2579008

विवरण-II

2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	4
I	उत्तरी क्षेत्र				
1.	चंडीगढ़	10.24	21.45	3.63	11.34
2.	दिल्ली	12.31	8.09	16.66	3.86
3.	हरियाणा	1938.96	2142.25	1782.18	534.55
4.	हिमाचल प्रदेश	757.11	657.72	889.90	407.41
5.	जम्मू एवं कश्मीर	363.45	584.55	833.56	148.66
6.	पंजाब	819.03	1834.63	837.21	399.98
7.	राजस्थान	2890.28	2064.33	2679.91	675.63
II	पूर्वी क्षेत्र				
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28.44	4.16	218.87	22.15
2.	बिहार	186.03	281.69	570.54	176.83
3.	झारखंड	198.08	320.60	351.12	140.42
4.	उड़ीसा	784.11	863.05	837.22	186.97
5.	पश्चिम बंगाल	1593.51	1999.62	2100.06	509.28

1	2	3	4	5	4
III	पूर्वोत्तर क्षेत्र				
1.	अरूणाचल प्रदेश	52.77	66.03	126.54	64.13
2.	असम	806.83	1277.42	2719.99	767.62
3.	मणिपुर	41.19	73.66	43.85	5.16
4.	मेघालय	121.79	196.03	234.14	35.12
5.	मिजोरम	61.10	257.48	995.54	675.07
6.	नागालैंड	117.20	204.46	286.22	122.87
7.	त्रिपुरा	224.02	214.14	289.95	0.90
8.	सिक्किम	127.67	165.78	139.54	36.90
IV	दक्षिणी क्षेत्र				
1.	आन्ध्र प्रदेश	1675.40	3394.19	3627.58	891.03
2.	कर्नाटक	1692.17	1063.83	1697.66	608.15
3.	केरल	2753.15	1027.95	1603.41	561.18
4.	लक्षद्वीप	7.42	0.00	16.39	0.00
5.	पांडिचेरी	11.38	9.05	12.66	4.20
6.	तमिलनाडु	1362.17	1147.28	1217.13	447.93
V	पश्चिम क्षेत्र				
1.	दादर एवं नगर हवेली	4.13	0.00	0.00	0.00
2.	गोवा	82.98	88.90	103.68	135.00
3.	गुजरात	130.34	530.55	883.08	265.14
4.	महाराष्ट्र	873.25	1439.17	1596.48	298.69
VI	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	छत्तीसगढ़	1098.00	1000.91	1152.87	374.10
2.	मध्य प्रदेश	1355.07	2125.71	1114.33	394.99
3.	उत्तरांचल	979.70	578.63	617.86	267.81
4.	उत्तर प्रदेश	3415.18	3596.64	2495.99	919.54
	कुल जोड़	26574.46	29239.95	32095.75	10092.61

*अक्तूबर, 2006 तक

विवरण-III

2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान पी०एम०आर०वाई० के अंतर्गत उद्यमिता विकास एवं आकस्मिकताओं के लिए जारी किए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	191.44	293.34	176.72	144.47
2.	असम	58.97	100.71	77.80	0.00
3.	अरूणाचल प्रदेश	3.47	5.39	4.54	0.00
4.	बिहार	101.54	19.87	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	36.08	50.84	41.02	22.63
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	20.27	53.07	13.38	0.00
9.	हरियाणा	68.99	74.20	45.64	36.40
10.	हिमाचल प्रदेश	19.48	5.12	15.03	21.06
11.	जम्मू एवं कश्मीर	13.16	0.00	11.71	10.30
12.	झारखंड	0.00	34.56	0.06	0.0
13.	कर्नाटक	148.93	173.19	124.08	80.36
14.	केरल	112.21	175.75	176.63	144.14
15.	मध्य प्रदेश	149.32	265.38	226.32	103.53
16.	महाराष्ट्र	191.31	173.92	128.04	17.99
17.	मणिपुर	5.57	4.55	1.23	4.02
18.	मेघालय	7.10	8.29	8.22	0.35
19.	मिजोरम	3.61	3.24	8.22	0.00
20.	नागालैंड	1.00	17.12	22.03	0.20
21.	उड़ीसा	91.34	147.50	135.46	83.29
22.	पंजाब	78.18	81.45	55.67	0.00
23.	राजस्थान	106.01	104.30	109.97	83.45

1	2	3	4	5	4
24.	तमिलनाडु	147.94	136.75	155.28	91.77
25.	त्रिपुरा	18.23	21.24	22.70	10.40
26.	उत्तर प्रदेश	402.53	644.91	422.85	205.25
27.	उत्तरांचल	25.83	92.76	64.16	47.60
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	19.12	29.10	2.45
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.06	2.51	0.55	0.60
30.	चंडीगढ़	0.47	1.02	3.98	0.57
31.	दमन एवं दीव	0.04	0.03	0.03	0.03
32.	दादर एवं नगर हवेली	0.15	0.20	0.19	0.03
33.	लक्षद्वीप	0.12	0.14	0.05	0.03
34.	पांडिचेरी	5.37	4.74	0.57	1.78
35.	सिक्किम	0.48	0.25	0.89	0.37
	जोड़	2010.20	2715.43	2082.12	1113.07

*08 दिसम्बर, 2006 की स्थिति अनुसार

**स्थापित इकाइयों को लगभग 50% अनुमानित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में है।

विवरण-IV

2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत राज्य-वार सृजित रोजगार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	4
1.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	504	93	4495	223
2.	बिहार	3818	5049	11445	2591
3.	झारखंड	3968	6855	3756	3095
4.	उड़ीसा	13431	15241	9670	2773
5.	सिक्किम	2140	3227	1750	666
6.	पश्चिम बंगाल	27350	36581	36853	8818
7.	दादर एवं नगर हवेली	61	0	0	0
8.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
9.	गोवा	1715	1670	801	2054
10.	गुजरात	2236	8581	17947	6969
11.	महाराष्ट्र	15498	25040	30928	13109
12.	चंडीगढ़	162	188	36	• 172
13.	दिल्ली	231	144	112	26
14.	हरियाणा	33201	35691	26541	8936
15.	हिमाचल प्रदेश	13485	12256	12276	5701
16.	जम्मू एवं कश्मीर	6845	9406	18284	3153
17.	पंजाब	13600	30665	16654	5670
18.	राजस्थान	51337	38287	59596	13895
19.	आंध्र प्रदेश	31996	66463	66050	15064
20.	कर्नाटक	29958	19478	27129	4797
21.	केरल	50291	16434	30586	12512
22.	लक्षद्वीप	127	0	292	0
23.	पांडिचेरी	219	146	187	72
24.	तमिलनाडु	24028	19159	20055	25031
25.	छत्तीसगढ़	19815	18347	17348	3586
26.	मध्य प्रदेश	23683	40539	15365	3488
27.	उत्तरांचल	16825	10471	10948	4537
28.	उत्तर प्रदेश	57847	64900	45322	15559
29.	अरूणाचल प्रदेश	864	1219	1857	298
30.	असम	15548	25768	49595	12392
31.	मणिपुर	682	1313	416	41
32.	मेघालय	2171	3789	1962	237
33.	मिजोरम	1174	5180	18255	11376
34.	नागालैंड	2332	3851	5549	2155
35.	त्रिपुरा	4316	3994	5616	6
	जोड़	471458	530025	567676	189002

*अक्तूबर, 2006 तक।

विवरण-IV

2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आर०ई०जी०पी० के अंतर्गत राज्यवार सृजित रोजगार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) 2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	4
1.	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	273	213	231	22
2.	बिहार	14790	15431	17964	1467
3.	झारखंड	7161	7329	7098	679
4.	उड़ीसा	13169	17301	20321	861
5.	सिक्किम	45	48	47	6
6.	पश्चिम बंगाल	4233	5685	6984	1679
7.	दादर एवं नगर हवेली	0	6	36	4
8.	दमन एवं दीव	5	33	21	0
9.	गोवा	174	66	59	6
10.	गुजरात	10133	9662	9482	1905
11.	महाराष्ट्र	25845	33230	35780	3906
12.	चंडीगढ़	102	290	117	7
13.	दिल्ली	1356	1073	962	174
14.	हरियाणा	10916	11588	14141	2115
15.	हिमाचल प्रदेश	4293	4466	4508	1152
16.	जम्मू एवं कश्मीर	984	951	431	101
17.	पंजाब	11337	12639	11796	1180
18.	राजस्थान	19154	20196	21173	1464
19.	आंध्र प्रदेश	26594	23940	24317	4643
20.	कर्नाटक	17894	22020	25761	701
21.	केरल	21036	26676	33299	4819
22.	लक्षद्वीप	26	6	8	0
23.	पांडिचेरी	441	527	525	45
24.	तमिलनाडु	19107	25137	28400	2465
25.	छत्तीसगढ़	4913	5756	6027	592
26.	मध्य प्रदेश	29622	32439	31163	2108
27.	उत्तरांचल	8042	8892	9674	2162
28.	उत्तर प्रदेश	60722	62558	56789	9963
29.	अरूणाचल प्रदेश	1002	674	635	9
30.	असम	8766	12395	8535	1895
31.	मणिपुर	780	651	536	82
32.	मेघालय	605	852	839	141
33.	मिजोरम	1163	216	708	0
34.	नागालैंड	80	158	3338	70
35.	त्रिपुरा	3065	2679	3048	738
36.	विनिर्दिष्ट नहीं	1346	1550	1283	245
	जोड़	329174	367333	386036	47406

*सितम्बर, 2006 तक।

[अनुवाद]

नाल्को में अ०जा०/अ०ज०जा० भर्ती अभियान

2887. श्री परसुराम माझी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालको में अ०जा०/अ०ज०जा० के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई भर्ती अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग भर्ती किए गए;

(ग) क्या अभी भी कुछ रिक्तियां हैं;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार अ०जा०/अ०ज०जा० के कितने पद रिक्त हैं; और

(ङ) इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) जी, हां। नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) ने

एस०सी०/एस०टी० की रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए वर्ष 2004 के दौरान 1.7.2004 को विशेष भर्ती अभियान चलाया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भर्ती किए गए एस०सी०/एस०टी० उम्मीदवारों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	भर्ती किए गए							
	क		ख		ग		घ	
	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
2004	–	01	–	–	–	17	06	–
2005	–	–	–	–	01	06	02	–
2006	–	–	–	–	–	–	02	–
कुल	–	01	–	–	01	23	10	–

(ग) और (घ) जी, हां। एस०सी० श्रेणी में समूह-घ में केवल एक रिक्ति का बैकलाग है।

(ङ) नालको ने सूचित किया है कि उड़ीसा सरकार के साथ हुए समझौते तथा प्रचलित प्रैक्टिस के अनुसार, नालको स्थानीय विस्थापित लोगों को पुनर्वास उपाय के तौर पर समूह 'घ' के पदों पर नियोजित करता रहा है। वर्तमान में, रिक्ति को भरने के लिए पात्र भू-विस्थापित लोगों में से कोई एस०सी० उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है।

चावल का निर्यात

2888. श्री भर्तृहरि महताब : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को देश-वार कुल कितनी मात्रा में चावल का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चावल का निर्यात बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) विभिन्न स्कीमों के जरिए चावल के निर्यात का संवर्धन करता है जिनके तहत बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास एवं परिवहन हेतु निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है। नए बाजार को खोलने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

चालव का निर्यात-देशवार ब्यौरा

(मात्रा: मी० टन में)

वस्तु	2003-04	2004-05	2005-06
बासमती चावल	771475.42	1162989	1166563.83
गैर-बासमती चावल	2640568.96	3615110	2921602.00
कुल	3412044.38	4778099	4088165.83

बासमती चावल के निर्यात का देश-वार ब्यौरा

मात्रा मी० टन में

बासमती चावल	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
सऊदी अरब	436415.52	689652.23	643651.51
कुवैत	48862.93	94740.7	91335.38
यू०के०	85848.31	94657.84	84715.37
यू०ए०ई०	40256.89	60029.52	62100.45
यमन अरब रिपब्लिक	15451.15	38061.66	50388.4
यू०एस०ए०	26757.38	25446.28	33285.4
बेल्जियम	11573.16	15158.55	31021
इटली	19143.3	18496.76	22808.11
कनाडा	8797.74	11267.84	13497.96
नीदरलैंड	7509.5	11565.16	18405.97

1	2	3	4
जर्मनी	9161.01	14290.35	12295.86
फ्रांस	12027.65	15642	10229.2
मारीशस	3685.96	9574.29	8022.47
स्पेन	1281.7	2572.46	7829.82
टोगो	216	0	9022.06
ऑस्ट्रेलिया	1904.67	3574.45	5299.2
कतर	2634.02	4010.75	5102.5
इरान	120.21	1186	6335
सीरिया अरब रिपब्लिक	1252	2161.2	4398.05
दक्षिण अफ्रीका	2453.67	4167.24	4251.5
ओमान	2550.33	2880.5	3800.35
सेसल्स	1762.82	3396.5	4494.4
इजराइल	939.52	2104.81	2783.75
मिस्र	759	1193.41	2905.42
जॉर्डन	619	1683.09	2842.1
रियूनियन	1024.2	1568.09	2699.54
बहरीन	1974.05	3023.1	2315.16
सिंगापुर	1169.41	1170.71	1734.08
आइवरी कोस्ट	0	20	1541.55
बंगलादेश	2575.62	1024	2425.9
स्वीडन	6466	4189.02	1885.75
स्विटजरलैंड	2504.3	2621.64	1581.38
फिलिपीन्स	0	0	643.2
न्यूजीलैंड	239.42	692.21	1032
डेनमार्क	327.96	806.96	640
पुर्तगाल	184.5	410	877.25
साइप्रस	414	478	618.7
नॉर्वे	538.68	476.2	545.67
लेबनान	197.1	231	446.5

1	2	3	4
मलेशिया	1885.99	799.6	665.95
नेपाल	670.85	803.3	524.54
ग्रीस	182	288	422.5
श्रीलंका	13	44	570
इराक	0	14	321.5
टयूनिशिया	0	64	300
केन्या	641.6	155.3	399.89
आस्ट्रिया	263.11	243.1	220.5
मोजाम्बिक	20.7	40	272.5
रूस	206.73	94.42	179.2
अंगोला	0	21	160
त्रिनिदाद एंड टू	32	42	135
तंजानिया	78	153.12	173.72
सूडान	0	0	216.23
हांगकांग	189.51	49	124.76
उक्रेन	14	24	143.74
जमैका	57.46	54	90.4
मार्टिनिक्यू	0	0	115
थाइलैंड	80	152.8	112
चिली	10	49	107
चीन	5	17	83
कांगो	0.25	20	69.52
लीबिया	0	0	61.4
अन्य देश	451.1	113	88.52
इथियोपिया	21	61.35	93.21
कैमरून	0.24	90	82
बेनिन	0	4	64.84
ब्रुनेई	0	16	64.18
घाना	782.85	175.78	65.17

1	2	3	4
अफगानिस्तान	1.4	0	62.93
जापान	44.86	22.75	38.57
रोमानिया	0	74	45
तुर्की	33	47	47.5
ग्वाडेलाऊपे	149	86	64
जिबौती	42	103	50
ब्राजील	0	4	31
बोतसवाना	0.3	22	31.5
इरिट्रिया	22	94	48
बेलारूस	0	0	41
जाम्बिया	1.8	2	40
अल्जीरिया	9.74	0	15
स्वाजीलैंड	0	92	13.04
फिनलैंड	117	1	21
मोरक्को	0	0	20
क्रोएशिया	0	0	24
गुएना	0	4	22.48
आयरलैंड	0	0	21.6
फिजी	33.63	0	21
जाम्बिया	2524.61	1.61	24.4
उगांडा	75.24	80	33.23
चीनी ताइपेई	0	0	18
अर्जेण्टीना	1.61	4	13.8
अजर-बैजान	0	0	15
जिम्बाम्बे	1.3	0	16.1
बेलिजे	0	0	10
सिएरा लियोन	0	21	12.34
जिब्राल्टर	3	3	5
लाइबेरिया	2.2	7.3	6.2

1	2	3	4
नीदरलैंड एंटी	0	0	5
नाइजीरिया	15	13	3.25
कोरिया रिपब्लिक	0.9	0	2
वियतनाम	0.5	1	2
मालावी	19	0.1	2.1
चेक गणराज्य	10	0	1
मालदीव	392.19	9.61	1.08
मेक्सिको	0	0	0.35
मार्शल आइलैंड	0	0	0.18
कोमोरॉस	67.2	22.1	0
सोमालिया	200	25	0
भूटान	416.54	938.34	0
एस्टोनिया	0	400	0
गुएनाबिसाऊ	0	1.67	0
ग्वाटेमाला	2	0	0
गौम	20	0	0
गुएना	0	7.56	0
हॉडुरास	0	5	0
सेंट किट्स नेवीस	0	4	0
इंडोनेशिया	46.52	0.55	0
आइसलैंड	1	20	0
परागवे	3.5	0	0
पोलैंड	24.5	0	0
मकाओ	5	0	0
नॉरफौक आइलैंड	0	20.72	0
मारीतानिया	0	15	0
मालागासे रिपब्लिक	0.17	0	0
पाकिस्तान	1984.61	0	0
कुल, बासमती चावल	771475.42	1162989	1166562.83

गैर बासमती चावल के निर्यात का देश-वार ब्यौरा

मात्रा मी० टन में

गैर बासमती चावल	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
नाइजीरिया	168705	537481	464327.03
बंगलादेश	1239260.87	949638.28	593820.29
दक्षिण अफ्रीका	273142.44	461608	267601.51
यू०ए०ई०	110175.51	159172.6	167998.79
आइवरी कोस्ट	28153.8	273567	217285.5
सऊदी अरब	142063.98	237690.02	147241.75
नेपाल	66106.78	20824.44	223604.29
सोमालिया	54538.75	134945.2	131788
सेनेगल	0	139635	109145.04
बेनिन	4723	27	90504.71
टोगो	0	20764	61821.5
सिंगापुर	27146.65	21608.61	41413.18
मोजाम्बिक	85614.99	29660.37	53049
गुएना	11500	56345.5	33737
डिजिबौती	18392.1	28715.2	27188
यमन अरब रिपब्लिक	30984.4	51877.66	22089.7
रूस	74952.4	3769	24776.34
कुवैत	11721.86	19800.17	18098.59
यू०एस०ए०	8761.71	8299.16	13587.61
लीबिया	0	0	18360
भूटान	26634.65	16985.48	24739.48
लाइबेरिया	0	18002.8	17115.13
मालदीव	11720.29	12011.97	13995.9
मलेशिया	56331	13351.76	8245.74
मालागासे रिपब्लिक	7572.5	307.5	14782.8
अन्य देश	1215.99	17550	12452.99

1	2	3	4
कैमरून	15030	34342	11542
कतर	2941.72	4562.98	6893.05
उक्रेन	1775	4835	6425.25
बहरीन	4633.79	5642.38	5647.21
इटली	3656.28	852	8477.5
ओमान	5652.53	4912.61	6384.68
केन्या	14671.79	13963.9	6847.75
यू०के०	2431.96	17470.07	3797.34
सिएरा लियोन	0	0	4550.46
तंजानिया	2199.3	5561.7	5104.01
घाना	19510.4	118.67	5234.01
सूडान	552.97	588.5	3075.24
कनाडा	4124.22	2480.6	2440.08
जाम्बिया	1	0	4000
मारीशस	7197.85	1641.27	2229.05
ऑस्ट्रेलिया	3586.85	1395.53	1845.54
श्रीलंका	2693.97	221717.05	1916.83
फ्रांस	1745.85	565.82	1123.49
स्वीडन	298	87.2	840
सेसल्स	1972.85	1616.81	1009
लिथुआनिया	1778	250	1150
इरान	15958	514	669
कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य	0	0	1000
फिलीपिन्स	1.33	30.35	397.47
जॉर्जिया	105	0.5	722
जर्मनी	888	789.7	671.84
स्पेन	108	117.27	751
मिस्र	134	1000	613.04
न्यूजीलैंड	577.06	296.01	542.42

1	2	3	4
इंडोनेशिया	2113.1	122.49	532.56
पाकिस्तान	1287.23	9339.4	739
ब्रुनेई	132.75	290.24	605.45
बेल्जियम	997.25	864.78	458.1
सीरिया अरब रिपब्लिक	0	439	372
जॉर्डन	248.1	137	347
अंगोला	0.1	0	300
अल्जीरिया	0	0	419
इरीट्रिया	10	1	398.6
नीदरलैंड	461.5	603	240.92
बुल्गारिया	0	0	273
इथियोपिया	548	397	254
ट्यूनिशिया	0	1049	215
स्विटजरलैंड	961	135.53	189.31
युगांडा	223.83	121.4	232.23
इजराइल	34	74	121
हांगकांग	2551.2	139.37	155.15
क्रोएशिया	197	72	148
चीनी ताइपेई	125.6	22.1	200
साइप्रस	0	9	121
रियूनियन	22	51.15	72.3
रोमानिया	150	143	94
फिजी	22.9	37.2	64.5
पुर्तगाल	1261	0.8	53
ग्रीस	8	68	20
बेलारूस	0	0	23
आइसलैंड	0	0	84
वैनुआचु	0	46	22
नॉर्वे	51.51	9	27.53
थाईलैंड	41.72	0.3	18.53
अजर-बैजान	0	0	13.5
मेक्सिको	0	0	23
वियतनाम	0.05	0	15.18
जापान	0	36.32	14.2
अर्जेण्टीना	10	8	12
अफगानिस्तान	0	0	13
मालावी	2.15	9.4	11.4
बारबोडोस	0	0	11.43
तुर्की	6	0	5.2
सेंट कीट्स नेवीस	0	0.18	3.3
बोत्सवाना	2.96	23	3.8
मकाओ	0	0	3.25
जाम्बिया	927	1	2.4
जिम्बाम्बे	8000	17308	0.2
पेरू	0	0	0.3
हंगरी	0	0	0.1
नीदरलैंड एंटी	0	0	0.1
आयरलैंड	0	0	0.07
त्रिनिदाद एंड टू	10	14000	0.1
एस्तोनिया	192	0	0
गैबॉन	30700.2	0	0
डोमिनिकन रिपब्लिक	0	52	0
पोलैंड	1262.9	0	0
डेनमार्क	2.46	5	0
चेक रिपब्लिक	1929.85	0	0
तजाकिस्तान	43	0	0
कोमोरोस	42	0	0
मॉरीतानिया	0	69.4	0

1	2	3	4
कांगो	0	12000.44	0
आस्टिया	0	1.6	0
नाइजर	1994	0.3	0
मोरक्को	1152	0	0
माल्टा	20	0	0
पापुआ न्यू गिनी	0	24000	0
कोलम्बिया	1.01	0	0
चीन	7040	0	0
बर्किना फासो	0	23.26	0
होंडुरास	0	150	0
लेबनान	600.22	194	0
लातविया	341	0	0
जमैका	1.8	0	0
कोरिया रिपब्लिक	0.28	386	0
नामीबिया	1196	2.03	0
लेसेथो	0	5070	0
कुल, गैर-बासमती चावल	2640568.96	3615110	2921602

एन०डी०एम०सी० के अंतर्गत विद्यालय

2889. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०डी०एम०सी० द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ग्रेडवार कुल कितने विद्यालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या क्षेत्र के विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विद्यालयों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो क्या एन०डी०एम०सी० के पास और अधिक विद्यालयों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन नए विद्यालयों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की ग्रेड-वार संख्या निम्न प्रकार है:—

(i)	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	5
(ii)	माध्यमिक विद्यालय	7
(iii)	मिडल स्कूल	11
(iv)	प्राथमिक विद्यालय	26
(v)	नर्सरी स्कूल	18
(vi)	सहायताप्राप्त स्कूल	3
(vii)	नवयुग स्कूल	11

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि स्कूलों की संख्या क्षेत्र के विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

जनजातीय महिलाओं का उत्थान

2890. श्री जी०एम० सिद्देश्वर : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र (राज्यों और केन्द्र दोनों में) राज्य-वार कितनी जनजातीय महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ;

(ख) क्या जनजातीय महिलाओं को और बेहतर शिक्षा और रोजगार हेतु उनके उत्थान के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय महिलाओं के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) सरकारी क्षेत्र में सेवारत जनजातीय महिलाओं की संख्या की सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की शिक्षा तथा रोजगार से सम्बद्ध अन्य सेक्टोरल मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अतिरिक्त शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में जनजाति महिला तथा पुरुष दोनों के उत्थान से संबंधित जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नांकित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है:—

(1) आश्रम विद्यालय योजना के अंतर्गत शिक्षण के अनुकूल वातावरण में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालयों के निर्माण हेतु निधियां दी जाती हैं।

(2) अनुसूचित जनजातीय लड़के तथा लड़कियों हेतु छात्रावास योजना के अंतर्गत नए छात्रावास भवनों के निर्माण और/अथवा विद्यमान छात्रावासों के विस्तार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(3) जनजातीय बच्चों हेतु आवासीय तथा गैर-आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त किए जाते हैं।

(4) कक्षा 5 से 12 तक के प्रतिभाशाली जनजाति छात्रों के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के नाम से ज्ञात आदर्श आवासीय विद्यालय, विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं तथा अनुदानों के माध्यम से उन्हें समर्थन दिया जा रहा है।

(5) अनुसूचित जनजातीय महिलाओं की साक्षरता में सुधार हेतु कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक परिसरों की स्थापना।

(6) विभिन्न पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व में सुधार हेतु अनुसूचित जनजातीय लड़के तथा लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए प्रतिभा उन्नयन।

(7) एम०फिल तथा पीएच०डी० की उपाधि हेतु उच्च शिक्षा को जारी रखने के लिए समर्थ बनाने हेतु अनुसूचित जनजातीय छात्रों को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (आर०जी०एन०एफ०) दी जाती है।

(8) लाभप्रद रोजगार/स्वरोजगार हेतु जनजातीय युवकों के कौशल विकास के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।

(9) रोजगार एवं आय-सृजनात्मक गतिविधियों एवं उसकी अवसंरचना के बीच के अंतर को भरने के लिए जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(10) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०टी०एफ०डी०सी०) चिह्नित व्यवसायों/व्यापार/पेशा के लिए तथा जनजातियों के कौशल उन्नयन एवं अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों, हेतु ब्याज की रियायती दरों पर ऋण देता है।

(11) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) जनजातियों द्वारा संग्रहित/उत्पादित किए गए प्राकृतिक उत्पादों की अधिप्राप्ति में संलग्न राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम (एसटी०डी०सी०सी०) तथा राज्य वन विकास निगम (एस०एफ०डी०सी०) तथा अन्य राज्य स्तरीय एजेंसियों को विपणन समर्थन देता है।

क्रम संख्या (5) पर उल्लिखित योजना मात्र अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के लिए है। अन्य सभी योजनाएं अनुसूचित जनजातीय पुरुष तथा महिला दोनों के लिए हैं।

कर्नाटक टेक्सटाइल मिल्स में रोजगार

2891. श्री मिलिन्द देवरा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नब्बे के दशक में जहां कर्नाटक में वस्त्र उद्योग के पास 62 मिलें थी जिनमें 25,000 कामगारों को सीधा रोजगार प्राप्त था, जबकि इस वर्ष घटकर मात्र 35 मिलें रह गयी हैं जैसाकि 12 सितंबर, 2006 के 'एशियन एज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मिलों की संख्या घटकर मात्र 35 रहने पर इन मिलों के कामगारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु मजबूर किया गया है अथवा उनकी सेवा समाप्त की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने हेतु एक योजना शुरू की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन

2892. श्री रामदास आठवले :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जनजातियों संबंधी अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रदत्त अनुदान और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से हासिल परिणाम वांछित परिणामों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जा रही निधियों के माध्यम से समाज के कमजोर तबके के कल्याण हेतु ग्राम समितियों, स्व-सहायता समूहों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि कल्याणकारी गतिविधियों हेतु गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली निधियों का अपेक्षित परिणाम सहित तर्कसंगत व्यय हो?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी०आर० किन्डिया) : (क) जी, नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय मात्र निम्नांकित चार योजनाओं को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है।

1. कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना एवं अनुकरणीय सेवाओं हेतु पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।

2. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।

3. जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर।

4. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

(ख) और (ज) परियोजना के समुचित कार्यान्वयन तथा निधियों की उपयोगिता के विषय में सरकार की संतुष्टि के बाद ही गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की राशि निर्मुक्त की जाती है। संबंधित राज्यों की बहुउद्देशीय राज्य स्तरीय समिति की संस्तुतियों, संबंधित जिला समाहर्ता/प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पूर्व वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के उपरांत ही निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। ये उपाय यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त हैं कि गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली अनुदान राशि न्यायोचित ढंग से व्यय की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 से गैर-सरकारी संगठनों के वित्तपोषण को तथा उनके कार्यों को सुप्रवाही बनाने के लिए मंत्रालय ने सेवा अभाव वाले जनजातीय क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों के मामलों की पहचान, संवीक्षा तथा उस पर संस्तुति देने हेतु प्राथमिकता के क्रम से एक विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया अपनाई है। मंत्रालय द्वारा इस प्रक्रिया की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय जनजाति नीति-2006 के प्रारूप में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता की परिकल्पना की गई है ताकि उन्हें इसके द्वारा जानकारी प्रदान करने तथा उनके सशक्तिकरण में उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह किया जा सके।

फर्जी मामले दर्ज करना

2893. **डा० धीरेन्द्र अग्रवाल :**
श्री गिरिधारी यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस द्वारा फर्जी मामले दर्ज करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा जिले-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में जिले-वार कुल कितने पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (ग) जी हां। वर्ष 2004, 2005 और 2006 (30 नवम्बर तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज फर्जी मामलों के जिला-वार ब्यौरे तथा ऐसे मामलों में संलिप्त दिल्ली पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों के संदर्भ में कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(घ) ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से पुलिस कार्मिकों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं — दिल्ली पुलिस कार्मिकों द्वारा फर्जी मामलों को गलत रूप से दर्ज करने सहित भ्रष्टाचार अथवा अन्य कदाचारों के मामलों की रोकथाम करने और उनका पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता शाखा की स्थापना करना, पुलिस कार्मिकों पर गहन निगरानी रखने के लिए जिला/एककों में लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना; पुलिस कार्मिकों की अवैध गतिविधियों और कदाचार को समाप्त करने के लिए समय-समय पर लोक शिकायत प्रकोष्ठों द्वारा छापे मारना; गंभीर प्रकृति की शिकायतों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं निपटाना; निलम्बन, गैर संवेदनशील एककों में स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरूआत जैसी कठोर कार्रवाई करना; जनता को उड़न दस्ते के दूरभाष संख्या 23213355

और 23220130 एक्सटेंशन 5077 की सुविधा उपलब्ध करवाना; भ्रष्ट पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध जनता द्वारा शिकायतें भेजने हेतु ई-मेल की सुविधा उपलब्ध करवाना; प्रतिष्ठित नागरिकों और गैर-सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की सहायता से पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाना; पुलिस स्टेशनों में प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और सतर्कता शाखा के टेलीफोन नं० को प्रदर्शित करना।

विवरण

वर्ष	जिला	झूठे/फर्जी मामलों की संख्या	दोषी पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और उनकी वर्तमान स्थिति
2004	दक्षिण	1	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त को असंतोष से लिखित रूप में अवगत करवा दिया गया है।
	उत्तर-पश्चिम	2	संबंधित निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया था तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। तथापि, अभियुक्त अधिकारी के देहान्त के पश्चात विभागीय कार्रवाई बंद कर दी गई है।
			एक निरीक्षक, एक उप-निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल तथा एक कांस्टेबल के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
2005	दक्षिण	1	संबंधित थानाध्यक्ष को लिखित चेतावनी दी गई है।
			संबंधित सहायक उप-निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
	उत्तर-पश्चिम	3	संबंधित निरीक्षक और हैड कांस्टेबल का स्थानांतरण कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
			संबंधित उप-निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
			एक उप-निरिक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच का आदेश दिया गया है तथा एक निरीक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है।
2006 (30 नवम्बर तक)	उत्तर-पश्चिम	1	संबंधित उप-निरीक्षक को निलम्बित कर दिया गया था तथा उसके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात

2894. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने मूल्य के लघु उद्योग विनिर्मित माल का निर्यात किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से किए गए कुल निर्यात में लघु उद्योगों का निर्यात प्रतिशत कितना रहा;

(ग) लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु दी गई सुविधाओं/सहायता और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सृजित रोज़गार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रोत्साहनात्मक सहायता का दुरूपयोग न हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों तथा अन्य संबंधितों से एकत्रित की गई सूचना के आधार पर विगत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग (एस०एस०आई०) इकाइयों द्वारा किए गए निर्यातों का आंकलित मूल्य तथा इस अवधि के दौरान कुल निर्यातों में लघु उद्योगों का शेयर प्रतिशत निम्नोक्त है:

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
1.	लघु उद्योग इकाईयों द्वारा निर्यात	86013	97644	124417
2.	देश का कुल निर्यात	252790	291582	361879
3.	कुल निर्यातों में लघु उद्योग इकाईयों का निर्यातों में शेयर प्रतिशत	34.03	33.49	34.38

(ग) राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन मुख्यत: लघु उद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, निर्यातक लघु उद्योग इकाइयों सहित लघु उद्योगों (एस०एस०आई०) के विकास और संवर्धन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक नीतिगत निर्णय लिए गए हैं तथा अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वियन किया जा रहा है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से क्रेडिट की उपलब्धता को सरल बनाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आई०एस०ओ० 9000/14001 प्रमाणन की अधिप्राप्ति, विपणन, एकीकृत बुनियादी संरचना विकास तथा उद्यमिता विकास के लिए सहायता सम्मिलित हैं। ये योजनाएं/कार्यक्रम चालू वर्ष के दौरान भी जारी रहेंगे। विगत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र (पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दोनों में) में आंकलित रोजगार के अवसर निम्नोक्त हैं:—

क्रम संख्या	वर्ष	रोजगार (लाखों में)
1.	2003-04	271.42
2.	2004-05	282.57
3.	2005-06	294.91

(घ) संवर्धनात्मक सहायता विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग) के माध्यम से प्रदान की जाती है तथा इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है। योजना को इस प्रकार से बनाया तथा कार्यान्वित किया जाता है कि इसके दुरूपयोग की संभावना बहुत ही कम है। दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

2895. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000-01 और 2003-04 के दौरान स्थापित किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के उत्पादन/निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान देश में काफी संख्या में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में निवेश की गई पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निर्यात क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 से 2004-05 तक के दौरान लगीाग 424 करोड़ रुपए के निवेश से केवल 5 विशेष आर्थिक जोनों (एस०ई०जेडों०) की स्थापना की गई थी। इन एस०ई०जेडों० से वर्ष 2005-06 के दौरान किया गया निर्यात लगभग 673 करोड़ रुपए का था।

(घ) और (ङ) एस०ई०जेड० अधिनियम, 2005 तथा एस०ई०जेड० नियम, 2006 के उपबंधों को दिनांक 10 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है, जिनमें स्थायी वित्तीय प्रणाली तथा प्रक्रियात्मक सरलीकरण का प्रावधान है, जिससे इन एस०ई०जेडों० से निर्यात में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

महिलाओं का उत्थान

2896. श्री रनेन बर्मन : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के उत्थान हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और महिलाओं का इससे क्या लाभ होने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति, 2001 के कार्यान्वयन/परिचालन हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर रही है।

कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 2010 तक प्राप्त किये जाने वाले अनुमेय लक्ष्य तथा कार्रवाई बिन्दु निर्धारित किये गए हैं:

— कानूनी सशक्तिकरण

— राजनैतिक सशक्तिकरण

- आर्थिक सशक्तिकरण
  - भूमि अधिकार
  - लघु ऋण
  - कृषि तथा इससे जुड़े कार्यकलाप
  - उद्योग
  - समर्थन सेवाएं
  - कानून
- सामाजिक सशक्तिकरण
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य
  - पोषण और खाद्य सुरक्षा
  - पेयजल और स्वच्छता
  - आवास और आश्रय
  - पर्यावरण
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी
  - कठिन परिस्थितियों में महिलाएं
  - बालिका के अधिकार
  - महिलाएं और प्रचार माध्यम
- नागरिक समाज की भागीदारी

(ग) इस समय इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

औद्योगिक उत्पादन

2897. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई 2006 में हुई औद्योगिकी वृद्धि ने गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-जुलाई के औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के सूचकांक को उठाने में मदद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि हेतु क्षेत्र-वार निर्धारित किए गए/प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई०आई०पी०) की दृष्टि से मापने पर, औद्योगिक वृद्धि जुलाई, 2005 में 4.7% की तुलना में जुलाई, 2006 में 12.7% थी। जुलाई, 2006 की ऊंची वृद्धि के कारण अप्रैल-जुलाई, 2006-07 के दौरान औद्योगिक वृद्धि दर बढ़कर 11.0% हो गई।

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई क्षेत्र-वार वृद्धि दरें निम्न प्रकार हैं:

क्षेत्रीय वृद्धि दरें (% में0)

क्षेत्र	जुलाई, 2006	अप्रैल-जुलाई, 2006-2007
खनन और उत्खनन	4.8	4.0
विनिर्माण	13.8	12.2
विद्युत	8.9	6.1
समग्र	12.7	11.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

भारत-रूस व्यापार

2898. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक दशक से अधिक समय से भारत-रूस व्यापार के 2 बिलियन यू०एस० डालर पर रूके रहने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने हेतु दोनों देशों के किसी व्यापार कार्य दल का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के महिला व्यापारी शिष्टमंडल ने हाल ही में रूस का दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सोवियत संघ के समय में "गंगा" नाम से चल रहे भारतीय माल के "चेन स्टोर" को पुन: खोलने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार में 39.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2004-05 में 1.95 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 2.72 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। तथापि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार कारोबार को आगे और बढ़ाकर वर्ष 2010 तक 10 बिलियन अमरीकी डालर करने की दृष्टि से अनेक क्षेत्रों, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों का विविधीकरण करने और उन्हें सुदृढ़ करने और भारत गणराज्य की सरकार

तथा रूसी परिसंघ की सरकार के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार निष्पादित करने की व्यवहार्यता के समग्र उद्देश्य के साथ भारत और रूस के बीच पारस्परिक व्यापार कारोबार में अत्यधिक बढ़ोतरी करने के संबंध में एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारत और रूस के बीच एक संयुक्त अध्ययन दल (जे०एस०जी०) स्थापित करने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री के बीच दिनांक 6 फरवरी, 2006 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। फिक्की महिला संगठन (एफ०एल०ओ०) के एक 22 सदस्यीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल ने संगठन की अध्यक्ष सुश्री मुक्ता नंदनी जैन के नेतृत्व में दिनांक 11 से 18 अगस्त, 2006 तक रूस का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न व्यावसायिक संगठनों और एसोसिएशनों के साथ बैठकें की थीं और विचार-विमर्श किया था।

(च) और (छ) भारत सरकार की रूस में खुदरा श्रृंखला खोलने जैसी कोई योजना नहीं है। रूस में भारतीय वस्तुओं के निजी स्टोरों की एक श्रृंखला खोलना रूसी खुदरा व्यापार का मामला है जिसे निजी उद्यम और पहल द्वारा संचालित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद

2899. श्रीमती मनोरमा माधवराव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद भारत के केवल 20 प्रतिशत कॉलेजों का गुणवत्ता हेतु मूल्यांकन प्रत्यायन करता है;

(ख) गैर-प्रत्यायित कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अंतर्गत लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा में भारी अंतर-राज्यीय भिन्नता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग 37 प्रतिशत कालेजों का मूल्यांकन किया।

(ख) यद्यपि महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायन को अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने 24 राज्यों में राज्य स्तर के क्वालिटी एश्योरेंस सेल प्रायोजित किए हैं जो कालेजों को मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया करने के दिशा-निर्देश देंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एकल नामांकन अनुपात में उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18-25 वर्ष, पोलीटेक्निक सहित)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9.46
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.21
3.	असम	7.81
4.	बिहार	6.71
5.	छत्तीसगढ़	7.35
6.	गोवा	14.98
7.	गुजरात	10.57
8.	हरियाणा	10.62
9.	हिमाचल प्रदेश	13.25
10.	जम्मू एवं कश्मीर	5.81
11.	झारखंड	7.53
12.	कर्नाटक	11.62
13.	केरल	9.03
14.	मध्य प्रदेश	8.53
15.	महाराष्ट्र	12.78
16.	मणिपुर	13.42
17.	मेघालय	11.59
18.	मिजोरम	10.38
19.	नागालैंड	4.64
20.	उड़ीसा	8.90
21.	पंजाब	9.34
22.	राजस्थान	6.10
23.	सिक्किम	9.81

1	2	3
24.	तमिलनाडु	11.73
25.	त्रिपुरा	6.12
26.	उत्तर प्रदेश	7.57
27.	उत्तरांचल	12.67
28.	पश्चिम बंगाल	8.15
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6.07
30.	चंडीगढ़	32.16
31.	दादर एवं नगर हवेली	2.43
32.	दमन और दीव	3.12
33.	दिल्ली	11.11
34.	लक्षद्वीप	3.24
35.	पांडिचेरी	17.96
	भारत	9.21

एजुसेट कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता

2900. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एजुसेट कार्यक्रम' पर अभी तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान उक्त कार्यक्रम कितने व्यक्तियों/क्षेत्रों मक पहुंचा; और

(ग) सरकार द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) अंतरिक्ष विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उन्होंने अभी तक एजुसेट कार्यक्रमों पर लगभग क्रमश 89.00 करोड़ रु० और 2.58 करोड़ रु० खर्च किए हैं।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग ने सूचित किया है कि अभी तक लगभग 7 लाख छात्रों को पहुंच प्रदान करने हेतु 22 राज्यों में 10000 टर्मिनल चालू किए गए है।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग के अनुसार एजुसेट नेटवर्कों के कार्यान्वयन एवं उपयोग का निरीक्षण करने हेतु भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्था का समीक्षा तंत्र है। एजुसेट नेटवर्क के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के भी अपने स्वयं के तंत्र हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एजुसेट उपयोगिता कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समग्र दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु एक शीर्षस्थ निकाय (कार्यक्रम समीक्षा बोर्ड) गठित किया गया था।

व्यापारिक केन्द्र

2901. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास विभिन्न व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसा प्रत्येक केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमानित कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन केन्द्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 136 भू-सीमाशुल्क स्टेशनों को अधिसूचित किया जा चुका है। इनमें से 13 स्टेशनों को चरणबद्ध ढंग से 850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से समेकित जांच चौकियों के रूप में विकसित करने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(ङ) पूर्ण रूप से विकसित किए जाने के बाद इन भू-सीमाशुल्क स्टेशनों में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, भंडारण, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सुविधाओं सहित आप्रवास, सीमाशुल्क, सीमा सुरक्षा जैसे विनियामक अभिकरण मौजूद होंगे।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

2902. श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ते अत्याचार के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने हेतु राज्यों को निदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) और (ङ) स्थिति का निकट रूप से प्रबोधन किया जा रहा है और इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह जारी की जाती हैं। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सदस्यों से प्राप्त शिकायतें तुरंत और उचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजी जा रही है।

कालीन उद्योग

2903. प्रो० महादेवराव शिवनकर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के मद्देनजर कालीन निर्माताओं को चालू वर्ष में आधुनिक मशीनें लगाने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में कालीन उद्योग की प्रतिशतता के हिसाब से उत्पादन हिस्से के बारे में कोई आंकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारें कालीन उद्योग के विकास हेतु अपना योगदान दे रही हैं; और

(च) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलँगोवन) : (क) सरकार ने विभिन्न राज्यों में कालीन निर्माताओं को चालू वर्ष में आधुनिक मशीने लगाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कालीन उद्योग की प्रतिशतता के हिसाब से उत्पादन के राज्यवार हिस्से संबंधी आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कालीन उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकारों के हिस्से संबंधी कोई जानकारी नहीं रखी जाती। तथापि, संघ सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों में प्रशिक्षण के माध्यम से बुनकरों का कौशल उन्नयन, कार्यशालाओं/सेमिनारों के जरिए स्टेक होल्डरों में नीति एवं कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, कालीन उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०सी०टी०) की स्थापना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

संघ राज्यक्षेत्र में विकास नियंत्रण नियम

2904. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उक्त बोर्ड द्वारा बनाए गए डी०सी०आर० (विकास नियंत्रण नियम) का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ये नियम कब तक बनाए जाने की संभावना है और इस दिशा में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड की बैठकें करने हेतु क्या समय-सारणी निर्धारित की गयी है;

(ङ) क्या निर्धारित समय-सारणी के अनुसार उक्त बैठकें बुलाई जा रही हैं;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अंतिम बैठक कब हुई थी; और

(छ) सरकार द्वारा इन बैठकों को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड 1989 से कार्य कर रहा है और गोवा, दमन और दीव टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1974 के प्रावधानों के अनुसार इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत विकास नियंत्रण नियम दमन की क्षेत्रीय योजना के साथ तैयार किए गए थे। इनका अनुसरण 1989 में बनी क्षेत्रीय योजना की अधिसूचना के समय से ही किया जा रहा है। ये नियम आवासीय और वाणिज्यिक विकास जोनों में भूमि के सब डिविजन, संगठित विकास के लिए आयोजना मानदंड, अपेक्षित खुली जगह हेतु विनियमन, मार्ग के अधिकार, सड़कों और भूमि के सब डिविजनों के नक्शे हेतु विनियमन के संबंध में लागू होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (छ) गोवा दमन और दीव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की धारा 7 के अनुसार बोर्ड की बैठक उचित समझे जाने वाले समय में होती है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का वित्तीय पुनर्गठन

2905. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ सहायक कंपनियों वाली धारित कंपनी राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) अब एकल कंपनी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एन०टी०सी० का वित्तीय पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) जी, हां। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) ने अपनी 28.03.2006 को हुई अपनी सुनवाई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए एक संशोधित पुनरूद्धार योजना (एन०आर०एस०) मंजूर की है जिसमें 01.04.2005 से सभी 9 सहायक कंपनियों का धारक कंपनी में विलय शामिल है।

(ख) एकल कंपनी के निर्माण से कंपनी के कार्यों का बेहतर नियंत्रण, तालमेल और मितव्ययता होगी। इससे एन०टी०सी० उपयुक्त दरों पर वित्तीय संस्थाओं से निधियां लेने के उद्देश्य से सशक्त वित्तीय स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होगा। एन०टी०सी० के कर्मचारियों की संख्या सहायक कंपनियों के विलय और एम०वी०आर०एस० के कारण मौजूदा 21,000 की संख्या से घटकर 10,050 हो जाने का अनुमान है। संक्षेप में एन०टी०सी० एक कुशल एवं लाभदायक संगठन बन जाएगा जो लाभांश के रूप में सरकारी आय में महत्वपूर्ण योगदान करेगा तथा संगठन में नियुक्त भारी कार्यबल का कल्याण बढ़ाना शुरू करेगा। इसके अतिरिक्त, एन०टी०सी० भारत में उत्थान कार्य वस्त्र क्षेत्र में अन्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र संबंधी संगठनों के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। एन०टी०सी० का वित्तीय पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण को बट्टे खाते में डालना और उस पर ब्याज को माफ करना तथा आवश्यक होने पर 2007-08 के दौरान वेतन सहायता प्रदान करना शामिल है। साथ ही, 9 अंतरितक कंपनियां अंतरिती कंपनी अर्थात एन०टी०सी० (धारक कंपनी) अपना पूरा उपक्रम अंतरित करेंगी। इस अंतरण के फलस्वरूप एन०टी०सी० संबंधि राज्य सरकारों द्वारा धारित सहायक कंपनियों में शेयरों के बदले शेयर जारी करेगा।

सेंट्रल सिल्क वॉर्म सीड कमेटी

2906. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेंट्रल सिल्क वार्म सीड कमेटी गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कमेटी की संरचना और इसके मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : (क) जी हां।

(ख) केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अनुसार केंद्रीय रेशम कीट बीज समिति की संरचना निम्नालिखितानुसार है:—

(i) बोर्ड का उपाध्यक्ष जो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ii) राज्यों से रेशम उत्पादन का कार्य देखने वाले सात अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे के रैंक के नहीं होंगे — सदस्य;

(iii) रेशम कीट बीज विकास के क्षेत्र से दो विशेषज्ञ — सदस्य;

(iv) रेशम उत्पादन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 व्यक्ति जिनमें 3 व्यक्ति किसान होंगे और 2 रीलर होंगे — सदस्य;

(v) केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले राष्ट्रीय रेशम कीट बीज संगठन के निदेशक — सदस्य;

(vi) बोर्ड के सचिव जो समिति के पदेन सचिव होंगे; और

(vii) समिति ऐसे उद्देश्यों के लिए अथवा उस रूप में जिसे यह उपयुक्त समझता हो, किसी व्यक्ति को अपने साथ रख सकता है जिसकी सहायता अथवा सलाह इस नियम के प्रावधानों के अनुपालन में यह आवश्यक समझता हो और इस प्रकार से रखे गए व्यक्ति के पास उन उद्देश्यों से जुड़े समिति की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा जिसके लिए उसे रखा गया है परंतु उसे मत डालने का अधिकार नहीं होगा और उसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे भत्तों अथवा शुल्कों को पाने का हक होगा।

समिति के कार्य

(i) रेशम कीट बीज के प्रकार अथवा किस्म के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण;

(ii) वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेशम कीट प्रजातियों और संकरों का अधिकरण;

(iii) रेशम कीट बीजों के उत्पादन के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण;

(iv) उन शर्तों और आवश्यकताओं का निर्धारण जिन्हें-रेशम कीट बीजों का उत्पादन अथवा भंडारण के लिए सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है;

(v) पंजीकृत उत्पादकों द्वारा बेचे गए बीजों के लिए प्रमाणन और रेशम कीट बीज परीक्षण प्रक्रियाओं का निर्धारण;

(vi) विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानदंडों और बीज प्रमाणन आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रेशम कीट बीज उत्पादकों और वितरकों का पंजीकरण करना तथा निरीक्षण प्रक्रिया का नियंत्रण, पर्यवेक्षण करना;

(vii) रेशम कीट बीज का आयात और निर्यात के लिए शर्तों और मानकों का निर्धारण तथा उनका अनुपालन;

(viii) रेशम कीट बीज उत्पादन का कार्यक्रम और योजना बनाना;

(ix) उपर्युक्त मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना; और

(x) रेशम कीट बीज का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े ऐसे अन्य मामले।

(ग) सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन के लिए प्रारूप नियम बनाने की प्रक्रिया में है और समिति का औपचारिक रूप से गठन तदनुसार किया जाएगा।

पांडिचेरी का नाम बदलना

2907. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पांडिचेरी के लोगों से पांडिचेरी का नाम पुनः पुडुचेरी करने संबंधी कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो लोग इसका पुनर्नामकरण करने की मांग कब से कर रहे हैं;

(ग) क्या संघ राज्यक्षेत्र के लोगों की इस मांग हेतु कोई विशेष कारण बताए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या लोगों की यह मांग न्यायोचित है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र ने भी अपना नाम बदलने का निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। पांडिचेरी के लोग समय-समय पर पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी करने की मांग करते रहे हैं क्योंकि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को इसी नाम से जाना था। बाद में विदेशी शासकों द्वारा ही इसे पांडिचेरी नाम से पुकारा जाता लगा। पांडिचेरी विधान सभा ने 15 अक्टूबर, 1980 को एक सरकारी संकल्प पारित किया था जिसमें उन्होंने पांडिचेरी का नाम बदलने के लिए आवश्यक विधान पारित करने का भारत सरकार से अनुरोध किया था।

(घ) और (ङ) केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 नामक आवश्यक विधान अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम 1 अक्टूबर, 2006 से लागू है, जिसमें केन्द्र शासित प्रदेश ''पांडिचेरी'' का नाम बदल कर ''पुडुचेरी'' कर दिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बांग्लादेशी यौन कर्मियों को स्वदेश भेजा जाना

2908. श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय को महिला और बाल विकास मंत्रालय से महिला आश्रय स्थलों में रह रही लगभग 7000 बांग्लादेशी यौन कर्मियों को स्वदेश वापस भेजे जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन यौन कर्मियों को स्वदेश भेजे जाने हेतु बांग्लादेश के साथ कोई वार्ता की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र

2909. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस राष्ट्र एक दक्षेस आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में ऐसे केन्द्रों का आपदा से निपटने में कितना सहायक होने की संभावना है; और

(घ) ऐसे केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है तथा ये कहां-कहां स्थित होंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। साऊथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनॅल कॉपरेशन (एस०ए०ए०आर०सी०) के निर्णय के अनुरूप नई दिल्ली में अक्टूबर 2006 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के परिसर में एक सार्क (एस०ए०ए०आर०सी०) आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र को आपदा जोखिम को कम करने के संबंध में अनुसंधान, प्रलेखन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा क्षेत्र में प्रबंधन एवं आपदाओं के समग्र प्रबंधन हेतु देशों के बीच बेहतर सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया के देशों में विभिन्न संगठनों और संस्थानों के नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है।

[हिन्दी]

राज्य हथकरघा वित्त निगम

2910. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने करघा लगाने से पूर्व और पश्चात् आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने के लिए हथकरघा वित्त निगमों और हथकरघा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी सहायता देने में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसी सहायता के रूप में कितनी राशि दी गयी है;

(ङ) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्र सरकार ने हथकरघों को अवस्थापित करने से पूर्व तथा बाद में आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों, राज्य शीर्ष एवं प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की। तथापि, योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा वित्त निगमों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता हथकरघा बुनकरों के श्रेणीकरण की दक्षता बढ़ाने, कच्ची सामग्री की आपूर्ति करने, हथकरघा प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने, हथकरघों को लगाने, हथकरघों के लिए अनुषंगी पूर्जों को खरीदने, सार्वजनिक सुविधा केन्द्र स्थापित करने, रंजक उपस्करों को खरीदने, सीएडी/सीएएम खरीदने, नमूना परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने, राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हथकरघा संगठनों को सुदृढ़ करने, देश तथा विदेश में हथकरघा उत्पादों का विपणन तथा प्रचार करने और कार्यशाला तथा कार्यशाला-सह-आवास के निर्माण, थ्रिफ्ट फंड, बीमा आदि जैसे कल्याणकारी उपायों के लिए दी जाती है।

(ग) और (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों सहित विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई राज्यवार तथा संघ शासित प्रदेश-वार वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई सहायता से लाभान्वित बुनकरों की संख्याा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भिन्न-भिन्न हथकरघा योजना स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जारी की गई राशि का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (15.11.06)
1	2	3	4	5	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	20.76	122.25	397.00	115.66
2.	आंध्र प्रदेश	1784.14	848.21	829.44	651.98
3.	असम	762.86	469.33	409.12	224.09
4.	बिहार	12.62	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	46.63	18.70	19.72	10.10
6.	गोवा	—	—	—	—
7.	गुजरात	64.18	22.55	50.42	475.49
8.	हरियाणा	35.26	69.71	32.10	7.82
9.	हिमाचल प्रदेश	173.32	110.59	82.13	85.72
10.	झारखण्ड	—	—	38.22	43.39
11.	जम्मू और कश्मीर	40.76	63.41	31.13	2.00
12.	कर्नाटक	451.40	472.18	1140.59	62.15
13.	केरल	821.84	706.53	372.42	159.76
14.	मध्य प्रदेश	45.23	61.22	83.52	—

1	2	3	4	5	4
15.	महाराष्ट्र	11.66	60.73	43.85	137.50
16.	मणिपुर	115.79	480.70	486.17	259.57
17.	मिजोरम	32.19	27.74	24.74	11.87
18.	मेघालय	3.91	3.97	26.56	—
19.	नागालैण्ड	1114.22	903.13	1239.91	474.20
20.	उड़ीसा	78.03	250.33	276.97	713.21
21.	पाण्डिचेरी	—	—	—	—
22.	पंजाब	—	5.33	—	5.00
23.	राजस्थान	122.14	124.66	88.19	2.92
24.	सिक्किम	—	—	—	2.00
25.	तमिलनाडु	2619.46	3978.96	4910.25	1142.67
26.	त्रिपुरा	35.98	54.16	32.13	4.35
27.	उत्तर प्रदेश	1070.08	1366.90	1407.76	647.30
28.	उत्तरांचल	10.13	62.31	21.54	23.27
29.	पश्चिम बंगाल	180.45	961.26	440.39	221.43
30.	दिल्ली	112.00	115.43	15.73	2.60
	जोड़	9765.04	11360.29	12500.00	5486.05

भिन्न-भिन्न हथकरघा स्कीमों (गैर-योजना) के अंतर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान जारी की गई राशियों का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (15.11.06)
1	2	3	4	5	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	949.46	253.89	582.55	11.09
3.	असम	114.90	625.40	368.41	—
4.	बिहार	97.80	—	—	—
5.	छत्तीसगढ़	—	—	15.29	—
6.	गोवा	—	—	—	—
7.	गुजरात	14.16	108.30	48.58	—
8.	हरियाणा	—	179.19	77.80	—
9.	हिमाचल प्रदेश	—	71.21	35.06	—
10.	झारखण्ड	—	—	—	—
11.	जम्मू और कश्मीर	—	112.07	147.43	—
12.	कर्नाटक	266.03	245.60	55.80	—
13.	केरल	294.19	731.58	215.97	—
14.	मध्य प्रदेश	42.80	7.20	6.23	—
15.	महाराष्ट्र	—	—	—	—
16.	मणिपुर	33.00	—	—	—
17.	मिजोरम	11.13	3.05	150.62	—
18.	मेघालय	0.10	—	—	—
19.	नागालैण्ड	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	158.89	416.15	623.49	—
21.	पाण्डिचेरी	—	13.49	27.87	—
22.	पंजाब	—	10.23	—	—
23.	राजस्थान	11.72	61.53	76.04	—
24.	सिक्किम	—	—	—	—
25.	तमिलनाडु	560.85	695.42	572.84	—
26.	त्रिपुरा	12.05	19.13	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	193.62	656.43	705.20	—
28.	उत्तरांचल	6.98	—	—	—
29.	पश्चिम बंगाल	356.16	338.06	253.31	—
30.	दिल्ली	—	25.00	—	—
	जोड़	3123.84	4572.93	3962.49	11.09

विवरण-II

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान बुनकारों को लाभान्वित करने वाली स्कीमों का नाम

क्रम सं०	स्कीम का नाम	वर्ष		
		2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
1.	दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना	515349	411816	525000

1	2	3	4	5
2.	कार्यशाला-सह-आवास स्कीम	21718	12008	17971
3.	थ्रिफ्ट फण्ड स्कीम	77815	168782	104075
4.	स्वास्थ्य पैकेज स्कीम	26814	72198	61387
5.	नई बीमा स्कीम		441	6306
6.	बुनकर बीमा योजना	33982	201152	94712
7.	हथकरघा निर्यात स्कीम	952	1025	
8.	स्वास्थ्य बीमा स्कीम			240868
9.	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना			196337
		676630	867422	1246656

**इस स्कीम को 2 अक्तूबर, 2005 से महात्मागांधी बुनकर बीमा योजना प्रख्यापित होने से समाप्त कर दिया गया है।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

2911. प्रो० महादेवराव शिवनकर :
श्री शिशुपाल एन० पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि को रोक देने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 25 नवम्बर, 2006 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने किन राज्यों में ऐसी धनराशि को रोकने का निर्णय लिया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र और गुजरात की तटीय सुरक्षा हेतु 'आपरेशन स्वान' शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे ऑपरेशन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) से (च) संयुक्त तटीय गश्त अर्थात् ऑपरेशन स्वान अप्रैल, 1993 में शुरू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत, महाराष्ट्र और गुजरात के तटों की गश्त संयुक्त रूप से नौसेना, तटरक्षक, राज्य पुलिस और सीमा शुल्क द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बलों का आधुनिकीकरण

2912. श्री के०सी० पल्लानी शामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्द्ध सैनिक बलों को अधिक प्रभावी तथा हल्के स्वदेश-निर्मित राइफलों और अन्य उपकरणों से सुसज्जित करके उनका आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु बल-वार कुल कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) ऐसी धनराशि के उचित उपयोग की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रणाली अपनायी गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) सरकार ने 3740.71 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2002 में एक पंच वर्षीय योजना (2002-07) अनुमोदित की है, जिसमें हथियारों, मशीनरी और उपकरण, परिवहन, संचार/निगरानी प्रणाली और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। सभी बलों के लिए हथियारों के आधुनिकीकरण हेतु स्कीम में पंच वर्षीय परिव्यय 1572.26 करोड़ रुपए है। विगत 3 वर्षों के दौरान इसके लिए विभिन्न बलों को, विनिर्दिष्ट राशि नीचे दी गई है:

(रु० करोड़ में)

बल	वर्ष 03-04	वर्ष 04-05	वर्ष 05-06	वर्ष
असम राइफल्स	46.15	52.22	47.84	146.21
बी०एस०एफ०	135.24	166.04	187.92	489.20
सी०आई०एस०एफ०	18.13	18.14	16.98	53.25
सी०आर०पी०एफ०	71.62	64.72	64.08	200.42
आई०टी०बी०पी०	23.47	22.83	25.66	71.96
एन०एस०जी०	3.40	4.75	0.64	8.79
कुल	298.01	328.70	343.12	969.83

(ग) आवंटित बजट का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा आधुनिकीकरण योजना के कार्यान्वयन किए जाने का गहन प्रबोधन और समीक्षा इस मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों को क्षतिपूर्ति

2913. श्री मिलिन्द देवरा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अर्द्ध सैनिक बलों के बल-वार कितने जवान और अधिकारी लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) राष्ट्रीय राजकोष पर कुल कितना वार्षिक व्यय आ रहा है;

(घ) मृत्यु की स्थिति में जवानों के परिजनों को बल-वार कुल कितनी बीमा राशि दी जा रही है;

(ङ) क्या नक्सली/आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान मृत्यु होने पर अर्द्ध सैनिक बल कर्मियों के परियोजनों को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति/बीमा राशि देने का सरकार का कोई नया प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) केन्द्रीय पुलिस बल (सी०पी०एफ०) कार्मिकों को अंशदायी ग्रुप बीमा योजनाओं में निम्नलिखित रूप में शामिल किया जाता है:

असम राइफल्स	3 लाख से 5 लाख
सीमा सुरक्षा बल	9 लाख से 15 लाख
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	5 लाख से 10 लाख
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1 लाख
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	2 लाख से 5 लाख

वर्तमान में सरकार द्वारा वित्त पोषित इन कार्मिकों का कोई बीमा कवर नहीं है। केन्द्रीय पुलिस कार्मिकों हेतु, उनके कार्य करने के वातावरण, विशेष रूप से नक्सल/आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र, के आकलन के आधार पर कल्याणकारी उपायों में सुधार करना एक एतत प्रक्रिया है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पूंजीगत राजसहायता

2914. श्री बी० करूणाकर रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी०यू०एफ०एस०) के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाइयों को एकमुश्त 10 प्रतिशत की पूंजीगत राजसहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र को भी शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) और (ख) वस्त्र प्रसंस्करण एककों के लिए, अप्रैल 2005 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजी सहायता शुरू की गई है।

(ग) और (घ) इस योजना के तहत, हथकरघा उत्पादन एककों के लिए करघा पूर्व एवं करघा पश्चात क्रियाकलापों के लिए नई मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन एवं परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों की खरीद पर 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों का आत्मसमर्पण

2915. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब तक जम्मू और कश्मीर में कितने आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया है;

(ख) आत्मसमर्पण कर चुके उन आतंकवादियों द्वारा समर्पित हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आत्मसमर्पण कर चुके कुछ आतंकवादियों ने राज्य में पुनर्वास शिविरों को छोड़ दिया है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार ऐसे आतंकवादियों की संख्या कितनी है;

(ङ) इसके क्या कारण हैं;

(च) उन्हें राष्ट्रकी मुख्यधारा में वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) उक्त अवधि के दौरान इन पुनर्वास शिविरों पर अब तक सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ज) इसके परिणामत: कितने आतंकवादी राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़े हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों की संख्या नीचे दी गई है:—

2004	—	137
2005	—	64
2006	—	175 (30.11.2006 तक)
कुल		376

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों द्वारा आत्मसमर्पित किए गए हथियारों का ब्यौरे नीचे दिया गया है:—

हथियारों का प्रकार	2004	2005	2006 (30.11.2006 तक
1	2	3	4
ए०के० राइफल	60	35	78
पिस्तौल	15	16	61
एम०एल०आर०	—	2	6
यू०बी०जी०एल०/ आर०पी०जी०	4	1	2/1
हथगोले	86	34	133
वायरलैस सेट	30	13	23
फोन	—	5	3
पाउच	12	9	—
दूरबीन	1	3	2
दिशासूचक	—	1	—
यू०बी०जी०एल० हथगोला	26	18	23
खोल	23	3	18
मैगजीन	218	95	228
राउन्ड	5045	2071	6148
स्पिनर राइफल	1	—	2
राकेट	—	—	5
पिका गन	1	—	2
राकेट बूस्टर	—	—	13
एल०एम०जी०	—	—	1
डेटोनेटर	1	—	11
माइनस	—	—	2

(ग) से (ज) वर्ष 2004 से लागू नई पुनर्वास नीति के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में कोई पुनर्वास शिविर मौजूद नहीं है। पुनर्वास नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के निवासियों में से आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों के निम्नलिखित वर्ग का पुनर्वास किया जाएगा:

— कुख्यात आतंकवादी जो हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं

— बिना हथियारों के खूंखार आतंकवादी

(ii) इस नीति के तहत प्रोत्साहन:

— 3 वर्षों के लिए निश्चित जमा में 1.50 लाख रुपए का तत्काल अनुदान;

— आत्मसमर्पण के पश्चात 3 वर्षों के लिए 2000/- रुपए मासिक वृत्ति के रूप में;

— विभिन्न प्रकार के हथियारों के लिए प्रोत्साहन

पुनर्वास नीति के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले 376 आतंकवादियों में से केवल दो ही दुबारा आतंकवाद की तरफ लौटे हैं।

वस्त्र उत्पादन मिलों को बन्द किया जाना

2916. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री एम० अंजनकुमार यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वस्त्र उत्पादन मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कई वस्त्र उत्पादन इकाइयां बन्द हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) 31.10.2006 की स्थिति के अनुसार देश में बुनाई एककों सहित वस्त्र विनिर्माण मिलों की संख्या 3174 है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बंद वस्त्र विनिर्माण एककों के ब्यौरे निम्नलिखितानुसार हैं—

(संख्या में)

2003-04	2004-05	2005-06
52	13	10

इन एककों के बंद होने के करण वित्तीय कठिनाईयां, तालाबंदी, श्रमिक समस्याएं, आधुनिकीकरण में कमी के कारण निम्न उत्पादकता, मांग में स्थिरता तथा कुछ एककों की निर्यात बाजार में विस्तार की असमर्थता, इनपुट लागत में वृद्धि, समय पर तथा पर्याप्त रूप से कार्यशील पूंजी को प्राप्त करने में कठिनाइयां आदि हैं।

(घ) किसी विशेष भाग अथवा पूरे वस्त्र एककों के स्थायी रूप से बंद होने के फलस्वरूप बेरोजगार हुए वस्त्र श्रमिकों को अंतरिम राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने 15 सितम्बर 1986 से वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना शुरू की है। इस योजना के शुरूआत से 30.11.2006 तक गुजरात में 32 एकक, तमिलनाडु में 4 एकक, महाराष्ट्र में 3 एकक, मध्य प्रदेश में 4 एकक, कर्नाटक में 1 एकक, पश्चिम बंगाल में 1 एकक, तथा दिलली के 1 एकक अर्थात कुल 46 मिलों को इस योजना के तहत पात्र पाया गया था। इन 46 मिलों के कुल 80205 कामगारों को 186.24 करोड़ रु० की राहत राशि संवितरित कर दी गई है।

दुर्घटनाओं में डी०टी०सी० बसों की संलिप्तता

2917. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री गिरिधारी यादव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा मारे गए/घायल व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस तरह बसों को चलाए जाने के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बसों की गति सीमा को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० रघुपति) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 (30 नवम्बर तक) के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों से दुर्घटनाओं में मारे गए/जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	मारे गए व्यक्ति	घायल हुए व्यक्ति
2003	40	94
2004	57	160
2005	64	154
2006	60	135

(ख) दुर्घटनाओं में संलिप्त वाहनों के चालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में कानून की उचित धारा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करना; उचित जुर्माना लगाने हेतु विभागीय कार्रवाई करना; और उनके ड्राइविंग लाइसेंसों को निलंबित/रद्द करना शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी परिवहन वाहन, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 56 के उपबंध के अनुसार फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु नियमित जांच के अध्यधीन होते हैं। तीन पहियों वाले वाहनों को छोड़कर अन्य परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने/नवीकरण के समय मोटर-कैब और अंतर-राज्यीय परमिटों पर चलने वाले वाहनों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनमें ए०आई०एस०: 018 मानदंड के अनुरूप गति नियंत्रक डिवाईस लगे हों। बगैर गति नियंत्रक डिवाईसिज के या छेड़छाड़ किए गए गति नियंत्रक डिवाईसिज युक्त चल रहे वाहनों के विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग द्वारा कार्रवाई की जाती है जिसमे ऐसे वाहनों को जब्त करना और उनके परमिटों को निलंबित करना/उन्हें रद्द करना शामिल है।

बारहवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा

2918. श्री गिरिधारी यादव :
श्री जीवाभाई ए० पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बारहवीं कक्षा तक शिक्षा को अनिवार्य और लागत मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से देने का प्रावधान है जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है। मॉडल शिक्षा का अधिकार विधेयक जिसमें 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी

बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए व्यापक प्राचलों का उल्लेख है, का मसौदा तैयार कर लिया गया है और राज्यों/संघशासित प्रदशों को परिचालित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

स्कूलों में वंदे मारम

2919. **श्री रेवती रमन सिंह :**
श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री प्रहलाद जोशी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को समान दर्जा प्रदान करने तथा स्कूलों में इन गीतों का प्रतिदिन माया जाना अनिवार्य बनाने का है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) संविधान सभा के अध्यक्ष ने दिनांक 24.01.50 की इसकी बैठक में कहा था कि "'जन गण मन' के रूप में विदित शब्दों एवं संगीत से युक्त रचना भारत का राष्ट्र गान है और 'वंदे मातरम' गीत, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, का 'जन गण मन' के समान सम्मान किया जाएगा और इसका उसी के समान दर्जा होगा।" अध्यक्ष की ओर से यह प्रस्ताव था जिस पर न तो चर्चा की गई और न ही मत डाला गया। केन्द्र सरकार का स्कूलों में प्रतिदिन राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान गाना अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा

2920. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन०सी०टी०ई०) द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त किए गए डिप्लोमाओं को शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए अमान्य करार दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त सभी डिप्लोमाओं को मान्य बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो कोलकाता उच्च न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के इस निर्णय से स्कूलों में शैक्षिक स्तर पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो क्या गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा मुक्त बाजारों में डिप्लोमा देने पर सरकार द्वारा कोई शर्त अथवा रोक प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में स्कूलों में शिक्षा का स्तर कम न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में दो मामलों में अध्यापक शिक्षा की स्थिति जनहित याचिका का विषय बनी है। ये मामले हैं तुलसी बख्शी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य तथा अंजन भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2005 की रिट याचिका संख्या एस 21101 तथा 2006 की रिट याचिका सं० 2047) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ था, जिनमें क्रमश: दिनांक 19 अप्रैल, 2006 तथा 27 जून, 2006 के अपने निर्णय के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया।

(ख) राष्ट्रीय अध्ययापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश (वर्ष 2006 की संख्या 2) को 11.9.2006 को 11.9.2006 को प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश में कुछ विशेष संस्थाओं से प्राप्त अध्यापक शिक्षा में अर्हताओं को वैध करने तथा गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं चलाने के लिए दण्डके निर्धारण का प्रावधान है।

(ग) इसी निर्णय के कारण पश्चिम बंगाल के कई छात्र जिन्होंने अपनी पढ़ाई गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पूरी की थी, विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ नहीं सकते थे। इसके अलावा ऐसे छात्र जिन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम पूरे किए थे तथा जो इन संस्थाओं से उत्तीर्ण हुए थे की अर्हताएं तथा रोजगार संभावनाएं खतरे में थीं।

(घ) से (छ) इस अध्यादेश के प्रख्यापन की तारीख से पहले अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली वे संस्थाएं जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को मान्यता हेतु आवेदन न कर सकी थी, परन्तु परीक्षा निकाय ने उक्त संस्था को सम्बद्धता प्रदान कर दी हो तथा परीक्षा निकाय ने अध्यादेश के जारी होने की तारीख से पहले उक्त संस्था द्वारा आयोजित अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण हेतु परीक्षा आयोजित की हो अथवा जहां ऐसी परीक्षा पूर्व निर्धारित थी, केवल वे संस्थाएं ही अध्यादेश की धारा 18 बी(1) में शामिल की गई संस्थाएं हैं, जो मान्यता हेतु आवेदन के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

मदरसों का आधुनिकीकरण

2921. श्री गणेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण तथा अवसरंचनात्मक विकास के लिए वित्तीय अनुदान देने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ गठित समिति में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में आज की स्थिति के अनुसार पंजीकृत मदरसों की संख्या कितनी है;

(ङ) उक्त मदरसों में कितने लोगों को शिक्षा दी जा रही है; और

(च) उक्त समिति द्वारा मदरसों को अब तक प्रदान किए गए तथा सिफारिश किए गए वित्तीय अनुदान का राज्य-वार तथा संस्था-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की सिफारिश पर इस समिति की स्थाईसमिति की उप समिति गठित की है जो केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की समीक्षा करके निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में सिफारिशें करेगी:—

(i) इस स्कीम की शुरूआत से इसके कार्यान्वयन का प्रभाव;

(ii) वे विभिन्न घटक जिनके आधार पर मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता को बढ़ाया जाएगा;

(iii) कार्यान्वयन का तरीका और राज्य सरकारों की भूमिका;

(iv) इस स्कीम को लोकप्रिय बनाने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति ताकि और अधिक मदरसों को इस स्कीम में शामिल किया जा सके।

(v) शिक्षकों की भर्ती करने तथा यह सुनिश्चित करने की पद्धति कि उन्हें विभिन्न मदरसों द्वारा स्कीम में यथानिर्धारित सहायता प्रदान की गई है।

(घ) से (च) मदरसों से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती। वर्ष 2005-06 के दौरान गणित, विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों की शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर प्रदान करने वाले कुल 1631 मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। "भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर से संबंधित उच्च स्तरीय समिति" (न्यायाधीश सच्चर समिति) के अनुसार लगभग 4 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे मदरसों में जाते हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान इस स्कीम के तहत मदरसों में आधुनिक विषय शुरू करने के लिए प्रदान किए गए अनुदान की राज्यवार मात्रा से संबंधित सूचना इस प्रकार है:—

राशि (रुपए लाख में)

आन्ध्र प्रदेश	35.20
बिहार	79.92
केरल	59.04
उड़ीसा	168.96
मध्य प्रदेश	384.00
महाराष्ट्र	3.16
उत्तर प्रदेश	235.25
त्रिपुरा	45.72
कुल	1011.25

[अनुवाद]

नमक का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2922. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नमक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली व्यापार एवं कर विभाग के अधिकारियों की बर्खास्तगी

2923. श्री रघुनाथ झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली व्यापार एवं कर विभाग के 31 अधिकारियों को बिना किसी जांच कराए अथवा उनको कोई आरोप-पत्र जारी किए बिना बर्खास्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के प्रति भेद-भाव बरतने के क्या कारण हैं;

(ग) भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या इन 31 अधिकारियों के मामले में ऐसे मानदंड अपनाए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) दिल्ली व्यापार और कर विभाग के 29 अधिकारियों को, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 19 (ii) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के द्वितीय परंतुक के खण्ड (ख) में निहित उपबंधों के संदर्भ में कोई भी जांच करने की आवश्यकता या उन्हें कोई भी आरोप-पत्र जारी किए बिना बर्खास्त किया गया है।

(ख) से (च) भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त लोक सेवकों को सामान्य तौर पर मामले की जांच-पड़ताल के लंबित रहने तक निलंबित रखा जाता है तथा जांच-पड़ताल कर रही एजेंसी द्वार जांच-पड़ताल पूरी किए जाने के पश्चात आरोप पत्र विचारण हेतु उचित न्यायालयों में दाखिल किए जाते हैं। इन अधिकारियों के विरुद्ध भी सामान्य तौर पर सी०सी०एस० (सी०सी० एंड ए०) नियम, 1965 में निहित उपबंधों या उनकी सेवा शर्तों को शासित करने वाले संगत नियमों के अनुसार विभागीय कारवाई की जाती है। उस ममाले में, यदि यह पाया जाता है कि सी०एम०एस० (सी०सी०ए०), 1965 में निहित उपबंधों या उनकी सेवा शर्तों को शासित करने वाले इसी प्रकार के नियमों के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई सी०सी०एस० (सी०सी० एंड ए०) नियम, 1965 के नियम 19 (ii) के साथ पठित भारत के संविधान की धारा 311 (2) के द्वितीय परंतुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों या उनकी सेवा शर्तों को शासित करने वाले इसी प्रकार के नियमों का प्रयोग करके की जाती है। चूंकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली व्यापार और कर विभाग के उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच आयोजित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं पाया गया अत: उनके विरुद्ध सी०सी०एस० (सी०सी० एंड ए०) नियम, 1965 के नियम 19 (ii) के साथ पठित भारत के संविधान की धारा 311 (2) के द्वितीय परंतुक के खण्ड (ख) के संदर्भ में कार्रवाई की गई।

एन०टी०सी० एवं एन०जे०एम०सी० मिलों को बंद करना

2924. श्री संतोष गंगवार :
श्री प्रबोध पाण्डा :
प्रो० एम० रामदास :
श्री जी० करूणाकर रेड्डी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल टेक्सटाईल कॉरपोरेशन एवं नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कॉरपोरेशन की कुछ मिलों को बंद करने और उनका निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो निजीकरण किए जाने वाली प्रस्तावित मिलों और सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली मिलों की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों का पुनरूद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितना धन उपलब्ध कराया गया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान जूट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु जे०एम०डी०सी० प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली मिलों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलेंगोवन) : (क) से (ग) वर्ष 2002 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) द्वारा अनुमोदित योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन०टी०सी०) की मिलों के पुनरूद्धार के लिए 65 गैर-अर्थक्षम वस्त्र मिलों पहले ही बंद कर दी गई हैं। उसके बाद एन०टी०सी० की 12 और वस्त्र मिलों के कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) लेने के बाद मिलें छोड़ दी है और इन मिलों में कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं। सरकार ने 12 मिलों को बंद करने का निर्णय लिया है।

बी०आई०एफ०आर० द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनर्वासन योजना (एम०आर०एस०), 2006 के भाग के रूप में एन०टी०सी० को 18 मिलों के पुनरूद्धार के लिए निजी भागीदारों को फसाने की संभावना का पता लगाना है। इन 18 मिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। एन०टी०सी० ने खुद 22 मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। इन 22 मिलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

जहां तक राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम (एन०जे०एम०सी०) की मिलों का संबंध है, सरकार ने किसी भी मिल को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। दूसरी ओर वस्त्र मंत्रालय में दो मिलों अर्थात

खारदाह और किन्निसन मिलों के पुनरूद्धार के लिए सार्वजनिक उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आर०पी०एस०ई०) से संपर्क किया है।

(घ) एन०टी०सी० के आधुनिकीकरण में 529.96 करोड़ रु० का खर्च होने का अनुमान है। आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रम ज्यादातर स्व: वित्तपोषी है। एन०टी०सी० को इस प्रयोजन के लिए वेशी मिल भूमि की बिक्री से संसाधन जुटाने हैं।

(ङ) मिलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तावित 18 मिलों की सूची

क्र० सं०	मिल का नाम	अवस्थिति
1	2	3
एनटीसी (एपीकेकेएंडएम) लि० आंध्र प्रदेश		
1.	तिरूपति कॉटन मिल्स	रेनिगुंटा
केरल		क्विलन
2.	पार्वती मिल्स	
एनटीसी (एमएन) लि० महाराष्ट्र		
3.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1	मुंबई
4.	आरबीबीए मिल्स	हिंगनघाट
5.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	अकोला
एनटीसी (एसएम) लि० महाराष्ट्र		
6.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	मुंबई
7.	चालिसगांव टेक्सटाइल मिल्स	चालिस गांव
8.	धूले टेक्सटाइल मिलस	धूले
9.	गोल्ड मोहर मिल्स	मुंबई
10.	नांदेड टेक्सटाइल मिल्स	नांदेड
11.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्यू० मिल्स	मुंबई
12.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	औरंगाबाद
एनटीसी (उ०प्र०) लि० उत्तर प्रदेश		
13.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	मऊनाथभंजन
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि० पश्चिम बंगाल		
14.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	रिसरा
15.	सोदेपुर कॉटन मिल्स	सोदेपुर
उड़ीसा		
16.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	भगतपुर
एनटीसी (टीएन एंड पी) लि० तमिलनाडु		
17.	श्री शारदा मिल्स	कोयम्बटूर
18.	कोयम्बटूर स्पि० एवं विविंग मिल्स	कोयम्बटूर

विवरण-II

एनटीसी द्वारा पुनरूद्धार के लिए प्रस्तावित 22 मिलों की सूची

क्र० सं०	मिल का नाम	अवस्थिति
1	2	3
एनटीसी (एपीकेकेएंडएम) लि० कर्नाटक		
1.	मिनर्वा मिल्स	बंगलौर
केरल		
2.	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
3.	कन्नानूर स्पि० व विविंग मिल्स	कन्नानूर
4.	केरल लक्ष्मी मिल्स	तिरूपुर
5.	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेंद्रम
माहे		
6.	कन्नानूर स्पि० व विविंग मिल्स	माहे
एनटीसी (एमएन) लि० महाराष्ट्र		
7.	पोद्दार मिल्स	मुंबई
8.	टाटा मिल्स	मुंबई
9.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं० 5	मुंबई
एनटीसी (एसएम) लि० महाराष्ट्र		
10.	बारशी टेक्सटाइल मिल्स	बारसी
11.	फिनले मिल्स	मुंबई
एनटीसी (टीएन एंड पी) तमिलनाडु		
12.	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
13.	कोयम्बटूर मरूगल मिल्स	कोयम्बटूर
14.	पंकज मिल्स	कोयम्बटूर
15.	पायनियर स्पिनर मिल्स	कामुदकुडी

1	2	3
16.	श्री रंगविलास स्पि०व०वि० मिल्स	कोयम्बटूर
17.	कालीश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	कल्यारकोइल
	एनटीसी (डीपीआर) लि० राजस्थान	
18.	उदयपुर कॉटन मिल्स	उदयपुर
	एनटीसी (गुजरात) लि० गुजरात	
19.	राजनगर टेक्सटाइल मिल सं० 1	अहमदाबाद
	एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि० पश्चिम बंगाल	
20.	आरती काटन मिल	दास नगर
	एनटीसी (एमपी) लि० मध्य प्रदेश	
21.	बुरहानपुर ताप्ति मिल्स	बुरहानपुर
22.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल

विवरण-III

2003-04

पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण/उन्नयन के लिए जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन के रूप में रिलीज किए गए भुगतान की सूची

बैंक फाईनेंस

क्र० सं०	संबंधित का नाम	निवेश राशि (लाख रुपए में)	प्रोत्साहन राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	श्री सीताराम जूट ट्विन मिल्स (प्रा०) लि०	25.00	3.75
2.	श्री सीताराम जूट ट्विन मिल्स (प्रा०) लि०	12.91	1.94
		37.91	5.69
3.	वेंकट बालाजी जूट मिल्स	12.27	1.84
	कुल	50.18	7.53
	अपने स्रोत से		
1.	नीलम जूट (प्रा०) लि०	26.71	4.01
2.	द महावीर जूट मिल्स लि०	36.84	5.53
3.	केवियट कं० लि०	104.31	15.64
4.	एलायंस मिल्स (लिसीस) लि०	7.57	1.14
5.	हिस्टिंग्स जूट मूल्स (प्रथम चरण)	129.10	19.37
6.	मेघदूत प्रोजेक्ट लि०	12.69	1.90
	कुल	317.22	47.58
9.	कुल योग (ओ०एस०+बी०एफ०)	367.40	55.11

2004-05

बैंक फाईनेंस

1	2	3	4
1.	ज्योति जूट मिल्स प्रा० लि०	62.41	9.36
2.	राजम पोली पैक्स लि०	13.47	2.02
3.	श्रीनिवास जूट मिल्स प्रा० लि०	6.50	0.98
4.	नेलीमरल्ला जूट मिल्स कं० लि०	46.80	7.03
	कुल	129.18	19.39
	अपने स्रोत से		
1.	जगद्दल जूट व इंडस्ट्रीज लि०	12.62	1.89
2.	आदित्य ट्रांसलिंक प्रा० लि० (शामनगर जूट फैक्ट्री नॉर्थ मिल)	21.24	3.19
3.	डेल्टा लि०	19.24	2.89
4.	कंकनराह कं० लि०	95.24	14.29
5.	श्री किनिडी सुरूपु नायडु जूट ट्वाइन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	43.44	6.52
6.	ट्रेड व्यापार लि० (इकाई : केलविन जूट मिल्स)	84.24	12.64
7.	पवन पुत्र ट्वाइन इंडस्ट्रीज प्रा० लि०	19.50	2.93
8.	ग्लोस्टर जूट मिल लि०	121.11	18.17
9.	महादेव जूट वइंडस्ट्रीज लि०	12.88	1.93
10.	बिरला कोरपोरेशन लि० (इकाई : बिरला जूट मिल्स) — प्रथम चरण	16.33	2.45
11.	बिरला कोरपोरेशन लि० (इकाई : बिरला जूट मिल्स) — दूसरा चरण	6.44	0.97
12.	प्रभातक जूट मिल्स लि०	17.31	2.60
13.	चेवत कं० लि० (बज बज परियोजना) — दूसरा चरण	44.40	6.66

1	2	3	4
14.	कलिंगा जूट प्रोडक्स प्रा० लि०	100.70	15.11
15.	जयकिशनदास माल जूट प्रोडक्ट (प्रा०) लि०	46.85	7.03
16.	टेपकॉन इंटरनेशनल (इंडिया) लि०	101.87	15.28
17.	कालियागंज एग्रो ट्रेडिंग (प्रा०) लि०	103.92	15.59
	कुल	867.33	130.14
21.	कुल योग (ओ०एस०+बी०एफ०)	996.51	149.53
	2005-06		
	बैंक फाईनेंस		
1.	ग्लोस्टर जूट मिल लि०	141.54	21.23
2.	बारानगर जूट फैक्ट्री पीएलसी	9.33	1.40
3.	श्री कामिदी सुरुपु नायडु जूट ट्विन इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, ए०पी०	131.94	19.79
4.	श्रीनिवास जूट मिल्स प्रा०लि०, ए०पी०	32.93	4.94
5.	श्री सीताराम जूट ट्विन मिल्स (प्रा०) लि० (दूसरा चरण)	35.30	5.29
6.	द नेहती जूट मिल्स कं० लि०	118.77	17.81
7.	एक्ट्रा विव, केरल	316.72	47.51
8.	ग्लोस्टर जूट मिल लि०	160.97	24.14
9.	ईस्टर्न ज्यूवुल टेक्स (प्रा०) लि०	16.16	2.42
9.	कुल	963.66	144.53
	अपने स्रोत से		
1.	एक्ट्रा विव, (केरल)	585.53	87.83
2.	बज बज कं० लि०	31.75	4.76
3.	कमराहट्टी कंपनी लि०	279.42	41.91
4.	कंकराह कं० लि०	38.11	5.72
5.	ट्रेड व्यापार लि० (इकाई : केलविन जूट मिल्स)	13.04	1.96
6.	नफर चंद्रा जूट मिल्स	16.14	2.42
7.	केलेडोमियम जूट व इंडस्ट्रीज लि०	52.68	7.90
8.	नीलम जूट मिल्स, ए०पी०	25.40	3.81
9.	श्री कामिदी सुरुपु नायडु जूट ट्विन इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, ए०पी०	27.26	4.09
10.	राजम पोली पैक लि० ए०पी०	12.32	1.85
11.	एल चेम्पडेनी इंडस्ट्रीज लि०	27.76	4.16
12.	जगतल जुट व इंडस्ट्रीज लि०	66.21	9.93
13.	महादेव जूट व इंडस्ट्रीज लि०	44.53	6.68
14.	ग्लोरतर जूट मिट लि०	34.94	5.24
15.	ईस्ट इंडिया कर्मिशियल कं० लि० (इकाई कृष्णा हेसियन) ए०पी०	76.68	11.50
16.	ईस्ट इंडिया कर्मिशियल कं० लि० (इकाई कृष्णा जूट मिल) ए०पी०	52.53	7.88
17.	आंध्र प्रदेश फाइबर्स, ए०पी०	115.80	17.37
18.	कलोडियम जूट व इंडस्ट्रीज लि० (दूसरा चरण)	47.24	7.09
19.	कलोडियम जूट व इंडस्ट्रीज लि० (तीसरा (चरण)	23.79	3.57
20.	छत्तीसगढ़ जूट उद्योग लि०	116.69	17.50
21.	कलिंगा जूट व प्रोडक्ट प्रा०लि०	44.67	6.70
22.	डलाहाऊस जूट कं०	93.32	14.00
23.	हिस्टंग जूट मिल्स (दूसरा चरण)	183.64	27.55
24.	हावड़ा मिल्स कं० लि०	149.76	22.46
25.	वसुंधरा टेक्सकॉम (प्रा०) लि०	52.29	7.84
26.	बिरला कोरपोरेशन लि० (इकाई : बिरला जूट मिल्स)	6.44	0.97
	कुल	2217.94	332.69
35.	कुल योग (ओ०एस०+बी०एफ०)	3181.60	477.22
	2006-07 (आज की तारीख तक)		
	बैंक फाईनेंस		
1.	गंगेश जूट प्रा० लि०	1086.59	162.99
2.	राजम पोली पैकेट्स लि० ए०पी० दूसरा चरण	13.26	1.99
3.	राजम पोली पैकेट्स लि० ए०पी० तीसरा चरण	15.86	2.38

1	2	3	4
4.	श्री वेंकट बालाजी जुट मिल्स (प्रा०) ए०पी० दूसरा चरण	15.86	2.38
5.	श्री कामिदी सुरुपु नायडु जूट ट्विन इंडस्ट्रीज प्रा०लि०, ए०पी० दूसरा चरण	93.95	14.09
6.	ग्लोस्टर जूट मिल लि० तीसरा चरण	93.55	14.03
	कुल	1319.07	197.86
	अपने स्रोत से		
1.	असम जूट प्रोडक्ट	44.62	6.69
2.	प्रोबोर्तक जूट मिल्स लि०	43.16	6.47
3.	कमारथी कंपनी लि०	10.35	1.55
4.	लुडलो जूट मिल्स दूसरा चरण	23.92	3.59
5.	लुडलो जूट मिल्स तीसरा चरण	16.43	2.46
6.	केवियट कं० लि० इकाई — बज बज प्रोजेक्ट तीसरा चरण	18.56	2.78
7.	केवियट कं० लि० इकाई — बज बज प्रोजेक्ट चौथा चरण	32.79	4.92
8.	केवियट कं० लि० इकाई — बज बज प्रोजेक्ट पाँचवां चरण	68.34	10.25
9.	केवियट कं० लि० इकाई — फलटा तीसरा चरण	6.60	0.99
10.	केवियट कं० लि० इकाई — फलटा पाँचवां चरण	8.78	1.32
11.	एलायन्स मिल्स (लिसीस) दूसरा चरण	34.87	5.23
12.	एलायन्स (लिसीस) तीसरा चरण	11.60	1.74
12	कुल	320.02	47.99
18	कुल योग (ओ०एस० + बी०एफ०)	1639.09	245.85

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत अपतटीय क्षेत्र खनिज रियायत नियम, 2006 जो 4 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 691 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5334/06]

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 438 (अ) जो 21 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के माध्यम से उत्खनन कार्य शुरू करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्र के आरक्षण के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 8 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 542 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5335/06]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

1. (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

   (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वार्षिक 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5336/06]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : मैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, लखनऊ का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5337/06]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उपधारा (2) के अंतर्गत विदेशियों विषयक (संशोधन) आदेश 2006 जो 1 नवंबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1881 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5338/06]

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय पुलिस बल संयुक्त चिकित्सा अधिकारी संवर्ग नियम, 2006 जो 28 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 448(अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं० 492 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5339/06]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5340/06]

(3) (एक) स्टेट मिशन अथारिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथारिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2004-05 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5341/06]

(5) (एक) उजाला सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान), श्रीनगर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी (सर्व शिक्षा अभियान), श्रीनगर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5342/06]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई०वी०के०एस० इलैंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) हैन्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैन्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैन्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5343/06]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5344/06]

(3) (एक) दि कॉटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टैक्सप्रोसिल), मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि कॉटन टेक्सटाईल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (टैक्सप्रोसिल), मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5345/06]

(4) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 5346/06]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अखिलेश दास) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मैंगनीज़ अयस्क (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंगनीज़ अयस्क (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल०टी० 5347/06]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल०टी० 5348/06]

(ग) (एक) स्पंज आयरन इंडया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल०टी० 5349/06]

(घ) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल०टी० 5350/06]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5351/06]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[श्री जयराम रमेश]

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5352/06]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 5353/06]

(3) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर इ०ओ०यू० एण्ड एस०ई०जेड० यूनिट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर इ०ओ०यू० एण्ड एस०ई०जेड० यूनिट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 5354/06]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5355/06]

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5356/06]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं अपनी सहयोगी श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, जमशेदपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नॉलाजी, जमशेदपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5357/06]

(3) (एक) नेशनल काउंसिल आफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल आफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5358/06]

(4) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5359/06]

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, सिल्चर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, सिल्चर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5360/06]

(8) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मुंबई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5361/06]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, श्रीनगर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5362/06]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, वारंगल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5363/06]

(12) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मद्रास चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मद्रास चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, मद्रास चेन्नई के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 5364/06]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी]

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5365/06]

(16) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5366/06]

(18) (एक) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 5367/06]

(19) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल०टी० 5368/06]

अपराह्न 12.02 बजे

संसदीय समितियां — कार्य का सारांश

महासचिव : महोदय, मैं 1 जून, 2005 से 31 मई, 2006 तक की अवधि से संबंधित 'संसदीय समितियां (वित्तीय और विभाग से संबद्ध स्थायी समितियों से इतर) — कार्य का सारांश' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किया गया कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपकी जानकारी के लिए मैं गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्यों की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहूंगा।

स्वीकृत किए गए 100 तारांकित प्रश्नों में से केवल 18 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों सहित 936 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रख दिए गए थे।

सभा ने श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा "कोयला और खनिजों पर रॉयल्टी में संशोधन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति", श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा "राज्य के तीन अंगों अर्थात् विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सामंजस्यपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता" और श्री बाडिगा रामकृष्णा द्वारा "आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा, गुन्टूर और प्रकाशम जिलों में चक्रवात और मूसलाधार वर्षा के कारण हाल ही में आई बाढ़ जिसके फलस्वरूप हुई जान और माल की हानि से उत्पन्न स्थिति" के संबंध में उठाए गए तीन ध्यानाकर्षण मामलों को विचारार्थ लिया।

नियम 193 के तहत डा० चिन्ता मोहन द्वारा "आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि" के संबंध में उठाई गई अल्पकालिक चर्चा 4.12.2006 को समाप्त हुई। सभा ने नियम 193 के तहत श्री बसुदेव आचार्य द्वारा "पंचायतों की स्थिति — मध्यावधि समीक्षा एवं आकलन, 2006" संबंधी अल्पकालिक चर्चा पर लगभग पांच घंटे और 15 मिनट का समय लगाया। तथापि, चर्चा समाप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त सभा ने नियम 193 के तहत श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा "देश में असंगठित श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं" के बारे में अल्पकालिक चर्चा पर तीन घंटे और 53 मिनट तक चर्चा की। तथापि, यह चर्चा समाप्त नहीं हुई।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के पश्चात् और सभा के स्थगन से पूर्व अतिलोक महत्व के 72 मामलें उठाए गए। इसी अवधि के दौरान नियम 377 के अधीन 72 मामले उठाए गए।

विधायी कार्य के संबंध में सभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक, 2006 को पारित करने से पहले इस पर लगभग ग्यारह मिनट तक चर्चा की। सभा ने उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 को पारित करने से पूर्व इस पर लगभग एक घंटा 18 मिनट चर्चा की। सभा ने राज्य सभा द्वारा यथापारित भारतीय राईफल्स (निरसन) विधेयक, 2006 पर संक्षिप्त चर्चा करने के पश्चात् इसे पारित किया। सभा ने भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 2006 पर लगभग एक घंटा 43 मिनट चर्चा करने के पश्चात् इसे पारित किया।

वित्तीय कार्य के संबंध में सभा ने अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 2004-2005 और अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल) 2006-2007 को संबंधित विनियोग विधेयकों के साथ पारित करने से पहले उन पर 5 घंटे 19 मिनट तक चर्चा की।

गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के संबंध में 14 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। सभा ने श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा कृषि मजदूरों हेतु कतिपय कल्याण कारी उपाय करने के लिए पुर:स्थापित कृषि कर्मकार कल्याण विधेयक, 2005 पर 2 घंटे 18 मिनट चर्चा की। तथापि यह चर्चा पूरी नहीं हुई।

इस अवधि के दौरान दो की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन और विधेयक संबंधी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

गत सप्ताह के दौरान व्यवधान और स्थगन के कारण 6 घंटे ओर 32 मिनट का समय व्यर्थ गया।

आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए सभा देर तक बैठी और इस प्रकार 5 घंटे 3 मिनट तक अतिरिक्त कार्य किया।

पांच घंटे तीन मिनट देर तक बैठे समय में से सभा ने अपना सामान्य कार्य पूरा करने के पश्चात् 54 मिनट का समय अति लोक महत्व के मामले उठाने में लगाया।

सभा कार्यवाही संचालन में सहयोग करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

सांतवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री किशन लाल दिलेर (हाथरस) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06¼ बजे

लोक लेखा समिति

34वां, 36वां तथा 37वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिप्राप्त उपस्करों की निलम्बित खरीद और उनका नगण्य उपयोग" के बारे में 34वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

(2) "गैर सरकारी स्कूलों, कालेजों और कोचिंग सेंटरों का कर निर्धारण" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 36वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोकसभा)।

(3) "निधियों के पुनर्विनियोजन संबंधी मानदंडों की समीक्षा के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोकसभा) के 23वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 37वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.06½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

14वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाही के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2006-07) का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06¾ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

44वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल) : महोदय, मैं प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का चौवालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

18वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय की "वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति का अठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(I) भारत-अमरीका असैनिक नाभिकीय सहयोग

[अनुवाद]

***विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सम्मान्य सभा को भारत-अमरीका के बीच असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग की बहाली से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में हाल ही घटनाओं के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। इस प्रयोजनार्थ एक समन्वित विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट द्वारा 8/9 दिसम्बर, 2006 को पारित किया गया।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ यह नाभिकीय समझौता हमारी ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऊर्जा हमारी आर्थिक समृद्धि और विकास को विस्तार देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। हमें ऊर्जा के प्रत्येक रूपों में अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा, हमारी समग्र ऊर्जा के तीन प्रतिशत से भी कम ऊर्जा उपबंध कराती है। हमारे वर्तमान प्राक्कलन में 2022 तक 30,000 मेगावाट और 2032 तक 63,000 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की गई है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अभाव में इन नाभिकीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारे लिए गंभीर समस्या होगी। भारत आज अनेक ऊर्जा विकल्पों को गंभीरतापूर्वक देख रहा है, जिनमें स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी, कोयला संस्तर मीथेन और गैस हाइड्रेट, पवन तथा सौर विद्युत का दोहन शामिल है। भारत, आज बाजार तंत्र पर भरोसा करते हुए ऊर्जा के अन्य रूपों की दिशा में बढ़ सकता है। हमारी नाभिकीय ऊर्जा की पहुंच, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं से बाधित होती है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा ऊर्जा जरूरतों के अनुरूप इसका राजनैतिक समाधान आवश्यक है।

*ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5369/06

अमरीकी प्रशासन ने 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में अपने उन कानूनों में फेर-बदल करने का वचन दिया था, जो भारत के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग का निषेध करते हैं। यद्यपि, किसी प्रकार का विधान पारित करना उस देश का एक आतंरिक मामला है, जिस पर हम अन्यथा टिप्पणी नहीं करेंगे, तथापि यह विधान, असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग के लिए आवश्यक एक सशक्त उपाय है: जिसका हल भारत और अमरीका को निकालना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमरीकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम के कतिपय उपबंधों से ऐसी छूट का कानून बनाया जाना महत्वपूर्ण है, जो भारत द्वारा पूर्ण विस्तृत सुरक्षा उपायों को स्वीकार न किए जाने के बावजूद तथा एक रणनीतिक कार्यक्रम बनाए रखने बावजूद अमरीका को भारत के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा में सहयोग की अनुमति देता हो। राष्ट्रपति बुश ने भारत के लिए इन अपवादों को संभव बनाने के लिए जो पहल की है उसे हम स्वीकार करते हैं। अमरीकी कांग्रेस में इस पहल को जो द्विदलीय समर्थन मिला है हम उसे भी मानते हैं।

पारित किया गया विधान एक ऐसा समर्थकारी उपाय है जो अब अमरीकी वार्ताकारों को भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग करार, जो सामान्यत: 123 करार के रूप में जाना जाता है, पर चर्चा करने और उसे संपन्न करने की अनुमति देता है। ऐसा करार अमरीका के साथ नाभिकीय सहयोग और व्यापार की एक पूर्वापेक्षा है। इसके समरूप हम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इस आशय से विनियोजित कर रहे हैं कि एक भारत-केंद्रित सुरक्षोपाय करार तथा एक अतिरिक्त प्रोतोकोल को बातचीत करके संपन्न किया जाए। व्यापक स्तर पर हम नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह (एन०एस०जी०) के सदस्य राज्यों के साथ इस आवश्यकता पर पहले से ही विचार-विमर्श कर रहे हैं कि वे भारत को नाभिकीय ऊर्जा हस्तांतरित किए जाने के लिए अपने दिशानिर्देशों में सामंजस्य करें। हमने पारस्परिक हित के अनेक मुद्दों पर सामूहिक रूप से उन्हें जानकारी दी है और उचित समय पर एन०एस०जी० दिशानिर्देशों के सामंजस्य पर उनके निर्णय की आशा करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि इस प्रक्रिया का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है, इस प्रक्रिया की परीक्षा इस बात से होगी कि अपने सामरिक कार्यक्रमों को संरक्षित रखते हुए और अपने त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास कार्यों को जारी रखते हुए हम किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय का पूर्ण असैनिक नाभिकीय सहयोग प्राप्त करें।

मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि अमरीकी प्रशासन ने हमें स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है कि यह विधान अमरीका को उन सभी वचनबद्धताओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है, जो उसने 18 जुलाई और 2 मार्च के संयुक्त वक्तव्यों में की थी और यह विधान दोनों वक्तव्यों के अनुरूप भारत के साथ असैनिक नाभिकीय सहयोग किए जाने के लिए स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता है। हम पूरी आशा करते हैं कि 123 करार के पाठ में 18 जुलाई का वक्तव्य और 2 मार्च की पृथक्करण योजना परिलक्षित होगी।

उन सिद्धांतों और चिंताओं के बारे में, जिससे नाभिकीय समझ के प्रति हमारे दृष्टिकोण निर्देशित होते हैं, प्रधान मंत्री ने 17 अगस्त, 2006 को संसद में बोलते समय सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। ये सिद्धांत और चिंताएं आगे के कार्यों के लिए अमरीका और अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ हमारे क्रियाकलापों का आधार बनी रहेंगी। मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार ने विधान में कतिपय असंगत और आदेशात्मक उपबंधों पर ध्यान दिया है। हमने हमेशा यह ध्यान रखा है कि हमारी विदेश नीति पूर्णत: हमारे राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्धारित होती है और हमारा संप्रभु अधिकार ही उसका संचालक है। यह भी सुनिश्चित है कि हमारे सामरिक कार्यक्रम इन विचार-विमर्शों के दायरे से बाहर रहेंगे। हम अपने सामरिक कार्यक्रम की विदेशी जांच और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देंगे।

अंतत: हमारा लक्ष्य है कि भारत, प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं कराने की जिस व्यवस्था का कई दशकों से शिकार रहा है उसे खत्म किया जाए ताकि हमारा राष्ट्रीय विकास निर्बाध रूप से हो। हम एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए भी वचनबद्ध हैं जहां हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय पहलों में भागीदारी कर सकें और उनमें योगदान कर सकें। हमने इस लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम उठाया है और हमें आशा है कि यह सदन इस प्रयास में हमें समर्थन देता रहेगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम इस मुद्दे पर पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस पर डिसकशन कब होगा?

अध्यक्ष महोदय : आप लोग नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

हम इस पर आज की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपके समक्ष यह मुद्दा उठा सकता हूं? कृपया, मुझे एक मिनट बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी इस मुद्दे के महत्व से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि सदन के प्रत्येक कोने से इसे उठाया गया है। माननीय मंत्री जी ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है। अत: इस मुद्दे पर एक सुव्यवस्थित वाद-विवाद या चर्चा होनी चाहिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी इस पर हाउस की सैन्स लेंगे और यदि हाउस इसके खिलाफ है तो ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार को चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी तरह का नोटिस आएगा, हम उसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति में भी निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : डिसकशन तो हो जाएगा, लेकिन नियम 184 के तहत इस हाउस की सैन्स भी ली जाए और अगर मजारिटी इसके खिलाफ हो तो ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग पहले नोटिस तो दीजिए।

[अनुवाद]

मैं निश्चित हूं कि यदि सरकार सहमत नहीं हुई तो भी मैं तुम्हारी चर्चा के लिए अनुमति दे सकता हूं। लेकिन क्योंकि सरकार इसके लिए सहमत हो गई है, हमें इस मुद्दे में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : हम चर्चा करेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : (गांधीनगर) महोदय, स्वाभाविक रूप से चर्चा माननीय विदेश मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अत: मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, कि र्चा के दौरान प्रधानमंत्री भी यहां होने चाहिए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सरकार को तय करना है कि चर्चा का उत्तर कौन देगा, लेकिन आपके विचार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिए गए हैं और उनसे सभी अवगत हो गए हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया था और उन्होंने सदन को आश्वासन दिया था ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है लेकिन हमें बहुत अधिक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, पिछली बार विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी प्रधानमंत्री जी के पास था। *(व्यवधान)* अब विदेश मंत्रालय के अलग मंत्री हैं, और वे विषय को देख रहे हैं। *(व्यवधान)* विदेश मंत्री इस मामले से निपटने में सक्षम हैं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री में से कौन सरकार की तरफ से उत्तर देगा, यह सरकार को तय करना है। हमारे विदेश मंत्री बहुत वरिष्ठ और अनुभवी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 12.17 बजे

(i) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अखिलेश प्रसाद सिंह) :** मैं श्री शरद पवार की ओर से यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, मैं यह वक्तव्य लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा के बुलेटिन के भाग 2 के अंतर्गत जारी लोक सभा में कार्य पद्धति और संहिता की नियमावली के नियम, 389 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की बारहवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की उपर्युक्त रिपोर्ट के संबंध में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/उनकी स्थिति बताने वाले विवरण अलग से संलग्न हैं। कृपया यह नोट करें कि बारहवीं रिपोर्ट में 26 सिफारिशें हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा समिति की इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। उन सिफारिशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जो स्वीकार कर ली गई हैं/आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं/स्वीकार नहीं की गई हैं।

सिफारिशों की कुल सख्या	स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	स्वीकार न की गई	विशिष्ट सिफारिशों की संख्या
26	20	3	2	1

जो सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकी हैं उनके स्वीकार न करने के कारण भी कालम संख्या 3 में दिए गए हैं। रिपोर्ट संबंधी विवरण संलग्न है और इसे पृष्ठ 1 से 57 पर देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को 8.9.2006 को भेज दिए गए हैं।

अपराह्न 12.17½ बजे

(iii) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 78वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) :** महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, मैं दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग II के द्वारा जारी की गई लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य व्यवहार नियमावली के नियम 389 (नया निदेश 73-क) के उपबंधों के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष लोकसभा के निर्देश पर, वाणिज्य पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अठहत्तरवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

वाणिज्य पर स्थायी समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वर्ष 2006-07 की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी अठहत्तरवीं रिपोर्ट 23 मई, 2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत की, तथा यह रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 23 मई, 2006 को ही रखी गई थी। इस रिपोर्ट में तैंतीस सिफारिशें हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5370/06।

*सभापटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5370/06।

समिति की सभी तैंतीस सिफारिशों पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में विचार किया गया है। समिति द्वारा जिन कार्यवाहियों की सिफारिश की गई हैं वे या तो पहले ही की जा चुकी हैं या आरंभ कर दी गई हैं। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

अपराह्न 12.18 बजे

लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच हेतु बनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की संयुक्त समिति का समय सीमा बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु बनी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बजट सत्र, 2007 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने हेतु बनी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा बजट सत्र, 2007 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से एक आग्रह करना चाहता हूं, हमने प्रश्नकाल सहजता से पूरा कर लिया है और मैं सदन के सभी पक्षों का बहुत आभारी हूं। मैं थोड़ा और ज्यादा करना चाहता था, हमने आज पांच प्रश्न लिए हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन मैं अधिक से अधिक प्रश्न लेने की पूरी कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा धैर्य रखें, और अध्यक्ष के कार्यवाही संचालन में व्यवध्यान न डालें। मुझे 48 मामले पहले ही मिल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच०आर०डी०) में राज्य मंत्री श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, उड़ीसा में भद्रक में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने के संबंध में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर मुझे आपका नोटिस (दिनांक 12 दिसम्बर) मिल गया है। मैंने इस मामले पर टिप्पणी के लिए माननीय राज्य मंत्री को बुलाया है। मैं उनकी टिप्पणी के बाद ही कोई निर्णय लूंगा।

अव, मैं अधिकतम सदस्यों का नाम पुकारने का प्रयास करूंगा क्योंकि हमें 48 सदस्यों के नोटिस पहले ही मिल चुके हैं। मुझे देखना है कि इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूं। अतः कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

अब विपक्ष के नेता माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

संसद भवन पर आतंकवादी हमले से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध आरोपी द्वारा दायर क्षमा याचिका पर शीघ्र निर्णय के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं पहले ही विपक्ष के माननीय नेता का नाम पुकार चुका हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, कल 13 दिसम्बर है और इसी दिन पांच साल पहले संसद पर एक आतंकवादी हमला हुआ था। उन आतंकवादियों के इस मंसूबे कि वे सदन में घुस आएं और यहां आकर कत्लेआम कर सकें। उसे अगर कोई रोक पाया तो वे हमारे सुरक्षाकर्मी थे। जिनमें से नौ ने इस कार्य को करते हुए अपना बलिदान दिया, अपनी जान गवाई। उनमें एक महिला भी थी। मैं आज के अखबारों में देख रहा था कि कल शाम को उनका कहीं पर सम्मान किया गया, उन परिवारों का, जिन्होंने अपना बलिदान देकर संसद की रक्षा की। उसमें उन्होंने कहा कि उस आतंकवादी हमले के लिए, जिन्हें अदालतों ने दोषी पाया, उनमें एक को नीचे की अदालत ने और उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु दंड दिया, उसका मामला आज तक लटक रहा है। उन्होंने यह भी घोषित किया कि अगर कल 13 दिसम्बर तक, उनके बारे में फैसला करके, उच्चतम न्यायालय के

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

निर्णय का सम्मान नहीं किया गया तो हमें जो भी सम्मान दिया गया है, कीर्ति चक्र आदि वह हम वापिस कर देंगे। मैं समझता हूं कि इस विषय कर देंगे। मैं समझता हूं कि इस विषय का नोटिस सरकार को लेना चाहिए और सरकार को इस मामले में, जो भी उसकी राय है, राष्ट्रपति को बताना चाहिये। क्योंकि आखिर तो राष्ट्रपति जी इस मामले में वहीं करते हैं, जो शासन उन्हें सलाह देती है –

[अनुवाद]

उन्हें इस संबंध में मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्यवाही करनी होती है। अतः, उन्होंने सभी क्षमा याचिकाओं को भारत सरकार को भेज दिया है। सरकार को इन शहीदों और उनके परिवारों के प्रति यह दायित्व है कि वह कल तक इस संबंध में कोई निर्णय ले। मैं आपके माध्यम से उनसे यह अनुरोध करता हूं कि इस मामले को लंबे सयम तक न लटकाया जाए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दायर को गई क्षमा याचिकाएं अब सरकार के समक्ष हैं। अब सरकार उनपर कोई निर्णय ले।

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० राजगोपाल

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने यह प्रश्न उठाया और गृह मंत्री इसका उत्तर देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री उत्तर देना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें। आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, हमारा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सभी मामले महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि वे इसपर ध्यान दें। मैं सभी दलों के नेताओं से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है और वे बिना किसी रोक टोक के अपनी-बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। माननीय विपक्ष के नेता ने इस मामले को उठाया है तथा गृह मंत्री इसका उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। यह बहुत अनुचित बात है। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : यह पहली बार लोक सभा में चुन कर आए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो दस बार चुन कर आए हैं, उनकी बात थोड़ी सुनिए।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : श्रीमन्, इस विषय पर सदन में पहले भी चर्चा हुई है और दोनों तरफ से भी इसमें क्या

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया जा सकता है, उसका उल्लेख यहां पर हुआ है। आज यह प्रश्न फिर उठाया गया है और यह प्रश्न उठा कर ऐसा कहा गया है कि एक तारीख के पहले यह करना जरूरी है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से पहले कभी भी नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो आंकड़े हैं, उन्हें देखने से हमें पता चलता है जो केस हमारी सरकार के पास आया था उसे भी पांच साल लगे और इतने साल भी ऐसे केस में लगे, जिस केस में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या हुई।... *(व्यवधान)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उस केस का इससे क्या संबंध है?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में केवल माननीय गृह मंत्री का वक्तव्य सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों से धैर्य बरतने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अनुचित बात है। कार्यवाही वृत्तान्त में किसी का भी वक्तव्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, माननीय विपक्ष के नेता ने जब वक्तव्य दिया उस समय कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। अब, माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। कृपया सुनिए, वह क्या कहने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री आडवाणी जी को यह मुद्दा उठाने से पहले इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए थी क्योंकि उस समय वह उप प्रधान मंत्री होते हुए भी संसद की रक्षा नहीं कर सके ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : शहीदों के परिवारों के लोग कह रहे हैं कि हमारे सम्मान वापस ले लो।... *(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। इसका कोई समाधान नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मामला है जिसपर संसद को कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम तो कोशिश कर रहे हैं।

श्री हरिन पाठक : इंदिरा जी की हत्या हुई, आप रोक नहीं पाए। राजीव गांधी जी की हत्या हुई, आप रोक नहीं पाए। उस समय आपकी सरकार थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : 1962 के फेल्योर के लिए कोन जिम्मेदार हैं?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं सभा के सभी दलों से अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया है जिसके संबंध में माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। हम यह

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आशा कैसे कर सकते हैं कि – कोई व्यक्ति जो कुछ भी कहेगा – हम सभी को उससे कैसे सहमत होना चाहिए।

[हिन्दी]

आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। मैं रिक्वैस्ट करता हूं कि आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। मंत्री जी, क्या आपने अपना वक्तव्य पूरा कर लिया है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक दूसरे पर अपनी बात को थोप रहे हैं। हमे ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री हरिन पाठक, इतने उत्तेजित न होइए। मैं कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही को स्थगित हो जाने दीजिए। मुझे खेद है कि उसके पश्चात् मैं कार्यवाही वृत्तान्त से सब कुछ हटा दूंगा। श्री हरिन पाठक जी, यदि आप उन्हें बोलने नहीं देंगे तो मैं उनके वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी व्यक्ति के वक्तव्य के दौरान इस प्रकार व्यवधान पैदा किया जाएगा तो मैं जो कुछ भी कहा गया है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से हटा दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : इस केस में क्षमायाचना करने की जो अर्जी है, वह कुछ ही दिन पहले दी गई है। वहां से गृह मंत्रालय के पास आई है और यह गृह मंत्रालय का कर्तव्य बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कहना चाहती है, वह पूछ लेते है, लॉ मिनिस्टर के साथ भी हम बात करते हैं और उसके बाद वह हमारे अध्यक्ष जी को पहुंचाई जाती है। और यह सारी प्रक्रिया करने में जो समय लगता है, वह समय ही लिया जा रहा है, ज्यादा नहीं है। इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है। इस सदन को तो उस चीज को ध्यान में लेना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की जब एप्लीकेशंस, क्लेमेंशी पिटीशंस आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि अगर आप उसको क्षमा करेंगे तो भी सही ढंग से नहीं करेंगे तो भी वे देखेंगे और क्षमा नहीं करेंगे और सही ढंग से नहीं करेंगे तो भी देखेंगे। इस हालत में पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके जो कदम उठाना जरूरी है, वही उठाने का हमने यहां पर सदन में एक दफा नहीं अनेक दफा बताया गया है। इसके बाद भी अगर यह विषय उठाया जा रहा है और किन्हीं बहनों को, हमारे भाईयों को, जिनके घरवालों ने, परिवार के लोगों ने इस सदन की रक्षा की है, हमारी सब की रक्षा की है, उनको कुछ बहकाकर अगर कोई कुछ कर रहा है तो *(व्यवधान)* मुझे आशा है कि *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये। रामकृपाल यादव जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, आपका जो नोटिस था,

[अनुवाद]

आपकी सूचना घटना के केवल एक संदर्भ के बारे में थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस मामले पर आपत्ति उठाता हूं कि शहीदों के परिवारों को *(व्यवधान)* वे तो यहां तक गयें हैं कि वे कहते हैं कि हम अपना सम्मान वापस ले लेंगे और ये कहते हैं कि उनको बहका रहे हैं। क्षमाप्रार्थी हूं, इस वक्तव्य को सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। हम सदन से वाक आउट करते हैं।

अपराह्न 12.33 बजे

(तत्पश्चात्, श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा कुछ अन्य सदस्यगण सभा से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना केवल घटना से संबंधित थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? आप बैठिये। उनके बारे में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बयान दे रहे हैं और आप लोग उनको इण्टरप्ट करते हो। आप बोलिये।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटिल : मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, महोदय *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमन्, हमने किसी का नाम नहीं लिया था कि कौन भड़का रहे हैं, इनका नाम नहीं लिया था, मगर ऐसा लग रहा है कि टोपी बराबर सिर पर बैठ गई है। मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा और हमारी सदन के सारे सदस्यों से और दूसरे हमारे बाहर के भी कुछ साथियों को यह इस्तुदुआ रहेगी और जो अलग प्रकार से बात करते हैं, उनको भी कि इस प्रकार के विषय को उठाकर हमारे समाज को तोड़ने की बात कृपा करके आप मत करिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सूचना केवल घटना का हवाला देने के लिए थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : वह अच्छी बात नहीं होगी और इसीलिए हम कहते हैं कि जो कानूनन करने योग्य है, वह करने के लिए सरकार बाध्य होती है और न करने पर कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम देख सकते हैं, इसलिए इस बात को बिलावजह उठाना और इस प्रकार से उठाना कि उसमें कोई ऐसी अलग *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : यह मुद्दा उठाना और सदन से भाग जाना, फेस नहीं करना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उसे छोड़िये।

श्री शिवराज वि० पाटील : अलग प्रकार के विचार निर्माण हों और डिवाइड हो, वह ठीक बात नहीं है। हमारी यह रिक्वेस्ट रहेगी कि इस प्रकार का काम नहीं किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एल० राजगोपाल (विजयवाड़ा) : मैं सरकार का ध्यान हाल ही में आए चक्रवाती तूफान द्वारा की गई बर्बादी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को पहले भी उठा चुके हैं। दुबारा भी वही उत्तर होगा।

[हिन्दी]

आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए।

[अनुवाद]

श्री एल० राजगोपाल : महोदय, तूफान के कारण धान, चावल और दालें नष्ट हो गई हैं। मैं भारत सरकार से धान, चावल और दालों की खरीद के मानदण्डों में छूट देने पर विचार करने का निवेदन करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि मानदण्डों में नमी 17 से 20 प्रतिशत बढ़ायी जाए; डिस्कलर्ड गेहूं के लिए 3 से 15 प्रतिशत और छोटे और कच्चे गेहूंओं के लिए उसे 6 प्रतिशत तक बढ़ायी जाए। इसी तरह, चावल के लिए नमी की मात्रा 16 प्रतिशत और डिस्कलर्ड चावल के लिए 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह दालों के सम्बन्ध में, नष्ट हुई दालों के लिए मौजूदा 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत और नमी 12 से 15 प्रतिशत तक बढ़ायी जाए। जब तक इन मानदण्डों में छूट नहीं दी जाती, धान, चावल और दालों को बाजार में बेचना बहुत मुश्किल है। इनकी खरीद भी बहुत मुश्किल है।

श्री डी० नरबुला (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमने अभी तक नियम 377 के अधीन मामले नहीं लिए हैं।

[हिन्दी]

स्पेशल मेंशन करना हो तो कीजिए।

(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपको मौका नहीं देंगे। यह इसमें नहीं आता है। इसके लिए मोशन देना होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम आपको बोलने का मौका नहीं देंगे। पहले आप नियम का पालन कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत गलत है। श्री मल्होत्रा, आप अपने सांसदों को नियंत्रित करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम एडजर्न कर देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नोटिस देने पर हम डिसाइड करेंगे कि किसे बुलायें?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में एक शब्द भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने समय मांगा है। महोदय, मुझे बताया जाए कि हम कहां पर यह बात कह सकते हैं? अध्यक्ष महोदय यह लोगों का सवाल है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वह मुझे बाध्य कर रहे हैं। यदि वे राज्यपाल के आचरण पर चर्चा करना चाहते हैं, उन्हें प्रस्ताव लाना चाहिए। पहले उन्हें नियमों को जानना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे, हम हाउस एडजर्न कर देंगे। माननीय सदस्यों को तय करना चाहिए कि सदन में कैसा आचरण किया जाए। श्री नकुल दास राई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जान-बूझकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। या तो आप नियमों से अवगत नहीं है या जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं। यदि इसे नियंत्रित किया नहीं किया गया तो हम हाउस एडजर्न कर देंगे। देश देख रहा है। श्री नकुल दास राई बोलें।

श्री नकुल दास राई (सिक्किम) : महोदय, सिक्किम सरकार का मेरे राज्य में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव नागर विमानन मंत्री के पास लम्बित पड़ा हुआ है। सिक्किम सदाबहार पर्यटन केन्द्र के रूप में उभर रहा है, विदेशों से और देश के विभिन्न भागों से पर्यटक राज्य में आ रहे हैं। अतः पर्यटकों के आवागमन को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए एयरपोर्ट का निर्माण आवश्यक हो गया है। एयरपोर्ट से राज्य का तीव्र विकास भी होगा। एयरपोर्ट से भारतीय सेना और सुरक्षाकर्मियों को भी राज्य में आने-जाने में सुविधा होगी।

अतः मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से और अधिक विलम्ब किए बिना प्रस्ताव पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : आज जब हम सूचना का अधिकार दे चुके हैं तो जो भी हो, हर नागरिक का जानने का अधिकार है। इस संबंध में पत्रकार बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।

महोदय, हाल ही में, केरल में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़े मुकाबले वाले उप-चुनाव, जिसके नतीजे की लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, की रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे पत्रकारों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) द्वारा निर्दयतापूर्वक पीटा गया। हालांकि पत्रकारों के पास सम्बन्धित प्राधिकारी और चुनाव आयोग के पास थे, फिर भी उन्हें गलत ढंग से रोका गया। यह न केवल नागरिकों के समाचार जानने के अधिकार का उल्लंघन है बल्कि पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण हमला भी है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से भी जो अभी सदन में बैठे हुए हैं, आग्रह करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें कि सी०आर०पी०एफ० अधिकार बाह्य कार्य कर रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अपनी बात कह चुके हैं, कृपया दोहराएं नहीं। दोहराने से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।

श्री पी०सी० थामस : वे पत्रकारों के विरूद्ध बर्बरता-पूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री के०एस० मनोज, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। कृपया लम्बा वक्तव्य न पढ़ें।

डा० के०एस० मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं देश में तेजी से पनप रहे गैरसहायता प्राप्त सी०बी०एस०ई० विद्यालयों के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बिना उचित सुविधाओं और पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर्मचारियों के सी०बी०एस०ई० से संबद्ध बहुत ज्यादा विद्यालय राज्य में आ गए हैं। वे विद्यालय कैसे सी०बी०एस०ई० से जुड़ रहे हैं और मान्यताप्राप्त कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों में योग्य अध्यापक नहीं हैं। यहां तक कि कुछ मान्यताप्राप्त विद्यालयों में भी योग्य अध्यापक नहीं हैं और यदि वे योग्य भी हैं तो उन्हें सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में केन्द्र सरकार क्या कर सकती है?

डा० के०एस० मनोज : यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। मैं केन्द्र सरकार से इन विद्यालयों की तीव्र वृद्धि को नियमित करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त विधान लाने का आग्रह करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री डी० नरबुला (दार्जिलिंग) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए पर भू-स्खलन सामान्य बात थी, लेकिन हाल ही के समय में इनकी संख्या यह बढ़ गयी है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31ए (एन०एच०-31ए) पर 27 मील पर एन०एच०पी०सी० की इमारत तीस्ता-रियांग नदियों के संगम पर तीस्ता लोअर डैम प्रोजेक्ट-III (टी०एल०डी०पी०-III) आया पिछला बड़ा भूस्खलन शामिल है। इसके बारे में यात्रियों, जन साधारण और लगभग 7,00,000 से अधिक आदिवासियों और सिक्किम-दार्जिलिंग-कलिमपोंग-हिमालय क्षेत्र के निवासियों द्वारा व्यापक चर्चा की जा रही है। इस भूस्खलन का निर्माणाधीन तीस्ता लोअर डेम प्रोजेक्ट-III पर प्रत्यक्ष रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ा है जिससे क्षेत्र की जनसंख्या को भयंकर समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं सरकार से तीस्ता-रियांग नदी के संगम पर राष्ट्रीय राजमार्ग 31ए पर 27 मील की दूरी पर, जहां एन०एच०पी०सी० की इमारत, तीस्ता लोअर डैम प्रोजेक्ट (टी०एल०डी०पी०-III) भी है और यह अनेक छोटे-बड़े अनेक भूस्खलनों का कारण भी रहा है। नए और बड़े भूस्खलन की त्वरित जांच का आग्रह करता हूं। मैं टी०एल०डी०पी०-III (निर्माणाधीन) और टी०एल०डी०पी०-IV (हाल में शुरू हुई) परियोजनाओं की समीक्षा किए जाने और इनके पर्यावरणीय प्रभाव के पारदर्शी आकलन की मांग करता हूं।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री के विचार हेतु एक मुद्दा रखना चाहती हूं। भारतीय किसान मुसीबत में हैं। उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता क्योंकि उनके पास अपने जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के समुचित भण्डारण की सुविधा नहीं है। उनके अधिकांश कृषि उत्पादन वर्षा में खराब हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आलू जैसी सब्जियां और अन्य सब्जियां उचित प्रशीतन भण्डारण सुविधाओं के अभाव में खराब हो जाती हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, धनाभाव के कारण उन्हें अपने उत्पाद नजदीकी बाजार में सस्ते में बेचने पड़ते हैं। क्योंकि वर्तमान में बिजली की लागत बहुत ज्यादा है, जो लोग प्रशीतन भण्डारण उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए यह वहन करने योग्य नहीं है।

केन्द्र सरकार को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अधिक शीत भण्डारगृहों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु अधिक सब्सिडी देने की दिशा में ठोस उपाय करने चाहिए। यह किसानों की समस्याओं के समाधान में बहुत सहायक होगा और इस प्रकार उन्हें कठिन मेहनत से अर्जित कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल पाएगा। साथ ही ऐसे उपायों से देश की आर्थिक संवृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से देश में अधिक शीत भण्डारण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र उपाय करने का आग्रह करती हूं।

श्री पी०सी० गद्दीगौडर (बागलकोट) : महोदय, कर्नाटक में गन्ना उत्पादक कीमतों के निर्धारण के बारे में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हर वर्ष, उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी भी, निजी कारखाना मालिकों ने कीमतों का निर्धारण नहीं किया है। पिछले वर्ष, उन्हें 1200 रु० प्रति टन मूल्य के हिसाब से दिया गया। इस बार, निजी कारखाना मालिक इतनी राशि देने को तैयार नहीं थे और इससे कर्नाटक में काफी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इस संबंध में, मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी और मामला सुलझाने का प्रयास किया था। लेकिन मामला अभी भी नहीं सुलझा है। पहली बार सरकार ने चीनी खरीद कर में 50 प्रतिशत की कमी की है। इससे सरकार पर 100 करोड़ से भी अधिक का बोझ पड़ने वाला है।

तब भी किसानों को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह एक नकदी फसल है। वास्तव में, उन्हें दो महीने पहले कारखाना चालू कर देना चाहिए था। लेकिन अब फसल सूखने वाली है। मैं केन्द्र सरकार से मामले को सुलझाने के उपाय करने का आग्रह करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर कार्यवाही करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री एम० शिवन्ना – उपस्थित नहीं। श्री प्रबोध पाण्डा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 60 खड़गपुर में बालासोर तक स्वर्णिमचतुर्भुज का भाग है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कस्बों ओर अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में मुख्य सड़कों से बचने के लिए विभिन्न स्थानों पर बाइपास बनाए हैं। शहरों और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में सड़कों के मुख्य भाग जिन पर बाइपास बनाए गए हैं दयनीय स्थिति में हैं। अभी भी वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन हैं। अतः यह वांछनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सभी बाइपास सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी ले और उन्हें अच्छी स्थिति में लाने के बाद, राज्य के पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को हस्तांतरित किए जाएं।

मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ताकि सरकार सभी बाईपास सड़कों की मरम्मत के लिए शीघ्र कदम उठा सके।

अध्यक्ष महोदय : ये राज्य द्वारा प्रबंधन की जाने वाली सड़के हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा : परन्तु बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत हैं। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सर बोलने से कुछ नहीं होगा। हम लिस्ट देख रहे हैं, जब लिस्ट में नम्बर आयेगा, तब बुलाएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे अपने तरीके से करूंगा। मुझे पर दबाव न बनायें। मैं आपको हर रोज अनुमति नहीं दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी० अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा रोड्स के विकास कार्य किये जाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के कुछ रोड्स के विकास कार्य केन्द्रीय सीमा सड़क संगठन द्वारा किये जा रहे हैं, जो एक पैरामिलिट्री संगठन है। लेकिन हाल ही में उनके द्वारा हमें एक पत्र मिला है कि नक्सली मूवमैंट बढ़ने के कारण रोड्स के विकास कार्यों में दिक्कतें आ रही है। सीमा सड़क संगठन द्वारा केन्द्र सरकार से विनती करके सुरक्षा बलों की मांग भी की गयी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के सिरोंचा-भामरागढ़ क्षेत्र में नैशनल हाईवे 16 का जो कार्य चल रहा है, उस कार्य को गति देने के लिए आपके द्वारा सीमा सड़क संगठन को सुरक्षा बल की आपूर्ति की जाये।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अंतवर्प, बेल्जियम में हीरा व्यापारी की मौत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जहां गुजरात के उस हीरा व्यापारी की दुकानों पर हमला किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया अन्यत्र हुई घटनाओं का उल्लेख न करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, वहां उस क्षेत्र में पूरे समुदाय ने एक दिवसीय बंद का आयोजन किया था। महोदय, अधिकारियों ने उन्हें चिकित्सीय उपचार की भी स्वीकृति नहीं प्रदान किया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बंद उस स्थिति तक पहुंच गया होगा।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मामले की जांच करवाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि उन्हें चिकित्सीय उपचार और अन्य चीजें दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आपके मतदाता में नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरयिंकिल) : मैं, जन साधारण से सबंधित एक महत्वपूर्ण मामले को केन्द्र सरकार की जानकारी में लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम एक ऐसे विधेयक पर विचार करने जा रहे हैं जो हैदराबाद में कार्यरत एक शैक्षिक समिति को पूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करेगा।

हम सब जानते हैं कि केरल भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। आप न केवल भारत बल्कि विश्व के किसी भी भाग में मलयाली को पा सकते हैं। लाखों मलयाली विदेशों में कार्य कर रहे हैं। इसलिए इन परिस्थितियों के अंतर्गत, यह उचित होगा कि केरल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। केन्द्र सरकार ऐसा करे इसके लिए यह उपयुक्त समय है — कि विदेशी भाषाओं में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करें तथा सुनिश्चित करें कि केरल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, सत्र की समाप्ति तक अब किसी अन्य अवसर की आशा न करें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन और सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने देश में पब्लिक सेक्टर का जो पहला उपक्रम स्थापित किया था, वह इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज था, जिसकी शुरूआत बंगलौर में की गयी। धीरे-धीरे उसकी छः शाखाएं पूरे देश में खोली गयीं — एक शाखा रायबरेली में, एक इलाहाबाद में, एक मनकापुर में, एक पालघाट में और एक शाखा श्रीनगर में खोली गयी। लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, जो काम एन०डी०ए० सरकार कर रही थी, वही काम अब यू०पी०ए० सरकार भी कर रही है। इन छः फैक्टरीज में लगभग 14,000 मजदूर काम करते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में संचार के क्षेत्र में क्रान्ति लाने वाली इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों को कई महीनों से न तो काम मिल रहा है और न ही उनको तनख्वाह मिल रही है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनको तत्काल काम दिया जाए और उनकी तनख्वाह भी दी जाए। माननीय सोनिया गांधी जी यहां बैठी हैं, जो यू०पी०ए० की चेयरमैन हैं। रायबरेली में भी आई०टी०आई० फैक्ट्री है, इसी तरह नैनी में भी आई०टी०आई० फैक्ट्री है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सोनिया जी इस मामले में हस्तक्षेप करें और इन फैक्ट्रियों को चलाने का और काम दिलाने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय : सोनिया जी के हस्तक्षेप के लिए इस मामले को यहां उठाने की क्या जरूरत है, इसके लिए आपको कहीं और जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं श्री रेवती रमन सिंह के साथ एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो एसोसिएट करना चाहते हैं, कृपया पर्चियां भेज दें।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, मैं इस सभा और सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। यह काफी गंभीर मामला है। मैं सोचती हूं कि सभा निश्चित तौर पर इसकी महत्ता को समझेगी। महिला और एक संसद सदस्य होने के कारण मुझे बच्चों विशेषकर बालिकाओं के संरक्षण के इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अवसर मिला है। यह हमारे आधुनिक समाज के लिए शर्म की बात है। हम साक्षरता की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अगर आप इसे देखें, जैसे कहा जाता है कि हम हिन्दुस्तानी हैं। हम भारत में पैदा होने के बाद अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम भारत को भारत माता कहते हैं और धरती को धरती माता कहते हैं। जब हम माता को या स्त्री को इतना महत्व देते हैं, उसके बावजूद भी आज लड़कियों का जो रेशो है, उससे लगता है कि लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है, जहां वे अपने आपको बचा सकें। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आज के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित खबर के अनुसार गुजरात में भी लड़कियों का रेशो लड़कों के मुकाबले 20 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक कम हो रहा है। आज के समय में देश में लड़कों का प्रतिशत बढ़ रहा है और लड़कियों का घट रहा है। यह बड़े दुःख की बात है।

[अनुवाद]

यदि आप इसे प्रति हजार देखें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' उल्लेख करने के लिए है नाकि विचार विमर्श हेतु।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : यह वाद-विवाद नहीं है, परन्तु मुझे अपने विचार रखने के लिए कुछ और समय चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। इस पर समुचित विचार-विमर्श किया जाएगा। मैं इस महत्वपूर्ण मामले पर एक ध्यानाकर्षण देने के लिए तैयार हूं। मैंने पहले भी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, अनेक गैर-कानूनी बातें हो रही हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हां, आप सही हैं। आपने इसका उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, यदि वे जान जाते हैं कि गर्भ में लड़की है तो बड़ी संख्या में गर्भपात हो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। यह एक घिनौना अपराध है।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : यह एक गंभीर मामला है। इसे रोका जाना चाहिए और लड़कियों का संरक्षण किया जाना चाहिए। मूल बात यह है कि उनकी शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, और लड़कियों को शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं समाप्त करने जा रही हूं। इसके लिए मूल शिक्षा और सभी राज्यों से सहयोग अति महत्वपूर्ण है। उन्हें इस संबंध में एक उपबंध बनाना चाहिए।

यहां तक कि, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मुस्लिम समुदाय को संसाधन दिए गए हैं। तो, फिर वे बालिकाओं के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? बालिकाओं के संरक्षण के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तुलना सही नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती जयाप्रदा : उत्तर प्रदेश में, इन्होंने बालिकाओं के लिए अनेक योजनाएं घोषित की हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम यहां राज्यों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए तैयार हूं। आप इस संबंध में नोटिस दें।

[अनुवाद]

मैं पहले ही चर्चाओं को स्वीकृत कर चुका हूं। मैं ऐसा करने के लिए फिर तैयार हूं। परन्तु कृपया सही कार्यविधि का अनुसरण करें।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, धन्यवाद।

श्री पी०ए० संगमा (तुरा) : महोदय, सबसे पहले मैं, यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। यह मेरी सीट नहीं है, क्योंकि मुझे अभी सीट आवंटित की जानी है। इसलिए मुझे यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं बशर्ते आप मुझे वादा करें कि आप प्रतिदिन सभा की कार्यवाही में भाग लेंगे।

श्री पी०ए० सांगमा : महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान सुश्री ईरोम चानू शर्मिला की बिगड़ती हालत की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो पिछले छह वर्षों से आमरण अनशन पर है। वह सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के निरसन हेतु मांग कर रही है।

अब, जब मैं यह कह रहा हूं कि वह पिछले छह वर्षों से उपवास पर है तो सभा सोच रही होगी कि फिर वह जीवित कैसे हैं। वह अभी जीवित हैं — क्योंकि उसे बंदी बनाया गया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। उसे जबरदस्ती नाक से खाना खिलाया जाता है। अब उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे और वहां प्रधानमंत्रीजी ने कानून में संशोधन करने के बारे में कहा था। लोग चाहते हैं कि कानून का निरसन हो और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कानून का संशोधन हो, जोकि स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, उसने अपनी जीवन रक्षक सहायता को हटा दिया है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह मामला अति महत्वपूर्ण प्रवृति का है।

महोदय, मैं यहां उसके मत का समर्थन करने के लिए हूं। मणिपुर के लोगों का मत और मैं यह भी मांग करता हूं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को निरसित किया जाए। मैं यह मांग न केवल सुश्री शर्मिला के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए कर रहा हूं बल्कि इसकी वरीयता के आधार पर भी कर रहा हूं। मैंने इस अधिनियम को देखा है।

अपराह्न 1.00 बजे

मैंने इस अधिनियम को देखा है। यदि आप इसे देखेंगे तो पायेंगे कि इसका होना न्यायसंगत नहीं है *(व्यवधान)* महोदय मुझे केवल दो मिनट और चाहिए।

यह कानून 1958 में पारित किया गया था। इसे अब लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। जब यह कानून पारित किया गया था, तब केवल एक विद्रोही समूह था। 1980 में जब यह लागू किया गया तो केवल चार विद्रोही समूह थे। आज, अकेले मणिपुर में 25 से अधिक विद्रोही समूह हैं। इसलिए महोदय यह कानून, जो विद्रोह को समाप्त करने के लिए लाया गया था, वह पूर्णतः असफल रहा है। अतः इसे निरसित किया जाना चाहिए। यह अधिनियम प्रभुत्व और दमन का प्रतीक बन गया है। भारत सरकार द्वारा गठित जीवन रेड्डी समिति ने इसकी जांच की थी और इस रिपोर्ट के अनुसार:

> "यह अधिनियम, चाहे कारण कुछ भी हों, नफरत और दमन का प्रतीक तथा भेदभाव और उद्दण्डता का एक यंत्र बन गया है,"

इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसे अमानवीय अधिनियम बताया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि यह एक अमानवीय अधिनियम है, तो इस कानून की क्या आवश्यकता है? इसलिए, निष्कर्ष यह है कि जिस समिति ने इसकी जांच की थी, उसने विशिष्टतः कहा है:

> "समिति का यह निश्चित मत, है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का निरसन किया जाना चाहिए।"

इसलिए, पूर्वोत्तर के लोगों की ओर से, मणिपुर के लोगों की ओर से और सुश्री शर्मिला के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए, मैं मांग करता हूं कि इस अधिनियम को निरसित किया जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप अपनी पर्चियां भेजें। क्या मैं, आपके माध्यम से सुश्री शर्मिला को अपना उपवास वापस लेने, समाप्त करने का अनुरोध कर सकता हूं? कृपया उन्हें बतायें। मुझे पूरा विश्वास है कि उनका उपवास खत्म करवाने के इस निवेदन में आप सभी मेरे साथ होंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० अरूण कुमार शर्मा, श्री मोहन सिंह, श्री उमर अब्दुल्ला, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री तथागत सत्पथी, श्री ब्रह्मानन्द पंडा, श्री प्रसन्न आचार्य, श्रीमती अर्चना नायक, श्री फ्रांसिस फैन्थम और श्री धमेन्द्र प्रधान को भी इस मामले में सम्बध करना स्वीकृत किया जाता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं एक छोटा सुझाव देना चाहता हूं। नियम 377 के अंतर्गत मामले सभापटल पर रखने दिए जाएं और दोपहर का भोजन छोड़ दिया जाए। हमें अपने विधिक कार्य को जारी रखना होगा, जिसे हम पिछले तीन दिनों में नहीं कर सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं दो मामलों को विचारार्थ लूंगा और फिर हम दुबारा अन्य कार्यों पर चर्चा करेंगें।

श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक और मामला है फिर मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, हमें भारत पर 'ग्लोबल वार्मिंग' से पड़ने वाले अनर्थकारी प्रभावों के बारे में चेतावनियां मिल रही हैं। नासा ने बताया है कि वर्ष 2005 अब तक का सबसे गरम वर्ष रहा। 'यूनीवर्सटी ऑफ रीडिंग' के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे नदियों में जलस्तर बढ़ जाएगा और हमारी कृषि भूमि तबाह हो जाएगी।

श्री निकोलस स्टर्न, विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख ने भी अपनी गंभीर आशकाएं व्यक्त की हैं और यह सुझाव दिया है कि क्षेत्रीय भूतल तापमान में लगभग 2.5 डिग्री से 5 डिग्री सेलशियस की वृद्धि होगी और उत्तर भारत के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे अत्यधिक तापमान और वृष्टिपात होगा तथा जल चक्र में भी परिवर्तन होगा। अत: तापमान में इस वृद्धि से जी०डी०पी० में 0.67 प्रतिशत की हानि होगी। इसके अतिरिक्त, समुद्र का स्तर 100 से०मी० बढ़ जाएगा जिससे 1.3 बिलियन डालर की हानि होगी। इससे कई राज्यों में मलेरिया फैल जाएगा। विश्व बैंक अध्ययन से यह भी पता चला है कि किसानों की आत्महत्या और जलवायु परिवर्तन में सहसम्बद्ध है। गरीब किसान जो ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु में हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल बदलने में असमर्थ हैं, वह ऋणजाल में फंस जाता है तथा बाद में मृत्यु को गले लगा लेता है। अत:, महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मुद्दे को तथा निकट भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग से पड़ने वाले प्रभावों विशेषकर भारत में हमारे किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा दी गई सलाह, प्रस्तावों और चेतावनियों का उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मामले पर उचित ढंग से चर्चा की जानी चाहिए। यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत की संसद को ऐसे मामलों पर चर्चा करनी चाहिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी। अन्य मुद्दों पर चर्चा सभा की कार्यवाही के अंत में चर्चा की जाएगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैं उचित समय में सूचना दूंगा

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : अध्यक्ष जी, आम आदमी से वायदा करके आये लोगों का ध्यान आज मैं आपके माध्यम से आम-आदमी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। आम-आदमी का हाल आज बेहाल है। ए०पी०एल० के गेहूं का मिलना तो दूर की बात है आज तो बी०पी०एल० का गेहूं भी आम-आदमी को पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है। बी०पी०एल० के गेहूं की स्थिति यह है कि अगर उसे आप हाथ में उठाकर देखें तो आदमी की बात तो दूर, उसे पशु भी न खाए। आज के एक अखबार में माननीय केन्द्रीय मंत्री ने कहा है कि राशन की दुकानों पर अच्छा गेहूं मिल रहा है। मैं इस सरकार से कहना चाहूंगी कि आप जमीन से जुड़ कर देखें, राशन की दुकानों पर जा कर देखें कि किस तरह का गेहूं मिल रहा है और वह कैसा गेहूं जनता को खिला रही है। उस गेहूं को पशु भी नहीं खा सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि वह अच्छी क्वालिटी का गेहूं जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि आम आदमी, गरीब आदमी उस गेहूं को खा सके। यह सरकार निर्धन लोगो का, गरीब लोगों का साथ देने की बात कहती है और इसी तरह के भाषण दिए जाते हैं, लेकिन यह सरकार आम आदमी के साथ नहीं है। उनका हाल बेहाल कर रखा है और इसी कारण मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि वह गेहूं की क्वालिटी अच्छी करे।

अपराह्न 1.06 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन, उस दिन के लिए सूचीबद्ध मामलों को सभा-पटल पर रखा गया माना जाएगा।

(एक) बिजली उत्पादन के लिए सौर शक्ति प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की आवश्यकता

श्री एन०एस०वी० चित्तन (डिंडीगुल) : अन्तरराष्ट्रीय उर्जा एर्जेसी के अनुसार भारत में विश्व की 35 प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो बिना बिजली के रह रही हैं।

इस बात को स्वीकार करते हुए कि तीव्र आर्थिक विकास ओर गरीबी उपशमन में विद्युत काफी प्रक्रिया भूमिका निभाती है, आगामी पांच वर्षों में सभी परिवारों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं है। अत: सब लोगों तक बिजली पहुंचाना एक मुश्किल लक्ष्य है जिसके लिए उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि करनी होगी तथा पारेषण और वितरक नेटवर्क का विस्तार करना होगा। इसके अतिरिक्त, इस स्थिति से निपटने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का भी पता लगाया जा रहा है।

आयातित तेल काफी महंगा पड़ता है। ये उत्पाद आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। सरकार को भी प्रत्येक वर्ष पैट्रोल, डीजल, कैरोसीन और एल०पी०जी० गैस पर दी जाने वाली हजारों करोड़ रु० की राजसहायता का भार वहन करना पड़ता है। अत: आयात पर निर्भरता को कम करके ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता अनिवार्य हो गई है।

---

*सभापटल पर रखे माने गए।

[श्री एन०एस०वी० चित्तन]

सूर्य की असीम उदारता भारत की ऊर्जा समस्या का हल कर सकती है। भारत खुशकिस्मत है कि यहां एक वर्ष में कम से कम 300 दिन सूरज की धूप पड़ती है। स्वभाविक है कि सौर ऊर्जा मुक्त, स्वच्छ, पुन:प्रयोज्य, विश्वसनीय प्रचुर मात्रा में बिना किसी लागत के मिलेगी तथा सबसे बड़ी बात इससे कोई वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। यह अकेले ही विद्युत की प्रचुर मात्रा को बचाने में मदद कर सकती है।

एक औसतन परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग करके एक महीने में लगभग 500 से 700 रु० बचा सकता है।

यद्यपि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। तथा सौर उर्जा यन्त्रों और प्रणालियों के संवर्धन हेतु राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों का विस्तार कर रहा है। परन्तु फिर भी सौर ऊर्जा मध्यम वर्गीय लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। अत: इस ऊर्जा को बिजली से कम दामों पर उपलब्ध कराने के लिए अधिक अनुसंधान और विकास कार्य करने होंगे।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु इस उर्जा को राष्ट्र में आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अधिक संगठित प्रयास करे।

(दो) अन्य देशों से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के साथ उचित व्यवहार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए० पटेल (मेहसाना) : महोदय, भारत के कई लोग जीविका की तलाश में कई तरह से चले जाते हैं और वहां पर पन्द्रह साल रहते हैं और वहां से नौकरी पर रह कर भारत में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए एवं परिवार की जीविका के लिए पैसे भेजते हैं। भारत में बेरोजगारी की स्थिति के कारण लोगों में बाहर जाने की ख्वाहिश रहती है और प्रत्येक आदमी अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है जिसके लिए वह कई अवैध तरीके से विदेशों में चला जाता है वहां पर कोई अपराध नहीं करता है। मेहनत करता है और पैसा कमाता है और उसी देश में भारत के विदेश विभाग से अपना पहचान पत्र लेकर आता है परन्तु भारत के एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन के अधिकारी उनसे अनुचित व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था जिसके जवाब में गृह राज्य मंत्री ने बताया भविष्य में डिपोरटीस को परेशान नहीं किया जायेगा। परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है इसलिए मैं इस बात को पुन: सदन में उठा रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है जो भी डिपोरटीस भारतीयों को विदेशों से भारत आना चाहता हूं उसको सम्मान के साथ एवं आदर के साथ भारत में प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए जैसे कि वह अपने मातृभूमि को लौट रहा हो।

(तीन) हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में 'फैब सिटी' की स्थापना के लिए फैब नीति बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी (ओंगोले) : यह नोट करके प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने 'सेमी कनडक्टरों' के बढ़ते हुए व्यापार का लाभ उठाने के लिए भारत में एक मेगा फैब सिटी की स्थापना का निर्णय लिया है। यह व्यापार पूर्ण रूप से भारत के योग्य है क्योंकि इसके लिए भारी मात्रा में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है। जो हमारे देश में अपेक्षाकृत कम लागत पर मिल जाती हैं।

आन्ध्र प्रदेश सरकार राजीव गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास एक फैब सिटी की स्थापना कर रही है जो 5000 एकड़ हार्ड वेयर पार्क का हिस्सा होगी। राज्य सरकार ने शामशाबाद में बन रहे अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास हार्ड वेयर पार्क में फैबसिटी के लिए 1500 एकड़ भूमि पहले से ही अलग रख दी है। फैबसिटी में बिजली की सुनिश्चित गुणवत्ता, जल आपूर्ति सम्बद्धता आदि प्रदान की जाती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह हैदराबाद में फैबसिटी को प्रोत्साहन देने के लिए उसका समर्थन करे।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हैदराबाद में फैब सिटी की स्थापना के लिए शीघ्रातिशीघ्र फैब नीति की घोषणा करे।

(चार) बी०एस०एन०एल० द्वारा प्रदान की जा रही असंतोषजनक मोबाइल सेवाओं की जांच कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी०के० ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, दुनिया में मोबाइल टेलीफोन सेवा में उल्लेखनीय प्रगति की है परन्तु देश में बी०एस०एन०एल० द्वारा जो मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जा रही है उसमें देश के लोग बहुत असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। यह सब प्राईवेट मोबाईल कंपनियों के दवाब में हो रहा है जिसके कारण लोग बी०एस०एन०एल० की मोबाईल सेवा की जगह पर प्राईवेट मोबाइल सेवा की ओर आकर्षित हो सके। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले साल तो मोबाईल सेवा बिल्कुल ठप्प थी इस साल उसमें कुछ सुधार हुआ है परन्तु अभी भी कमरे के अंदर से बी०एस०एन०एल० के मोबाईल सेवा से बात नहीं कर सकते हैं जबकि प्राइवेट मोबाईल टेलीफोन पर आसानी से बात हो जाती है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बी०एस०एन०एल० के पास पर्याप्त उपकरण होने के बावजूद बी०एस०एन०एल० की सुविधा ठीक ढंग से नहीं दिये जाने की जांच हो और बी०एस०एन०एल०

की सुविधा को ठीक ढंग से नहीं दिये जाने के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

(पांच) बोकारो स्टील कंपनी के प्रस्तावित विस्तार पर रिपोर्ट तैयार किए जाने तथा विस्थापित परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दुबे (धनबाद) : महोदय, झारखण्ड विधान सभा चुनाव 2005 के समय बोकारो दौरा के क्रम में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार 10 मिलियन टन तक तथा संयंत्र द्वारा विस्थापितो की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। बोकारो में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहीत की गई है, जिसके कारण 64 गांव विस्थापित हुए हैं। उक्त गावों में से बहुत से ऐसे गांव हैं जो केवल कागजी रूप से अधिग्रहीत हैं। आज भी ग्रामीण पूर्ववत उसी गांव में रहते हैं। उन्हें विस्थापन एवं पुर्नवास की मूलभूत सुविधा जैसे भूखंड आबंटन आदि से वंचित रखा गया है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि यदि बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार की योजना हो, तो शीघ्र विस्तार-योजना-प्रतिवेदन (डी०पी०आर०) तैयार कराया जाये, यदि नहीं है तो संयंत्र के लिए अनुपयोगी एवं अवांछनीय भूमि को पूर्व की तरह संबंधित लोगों को लौटा दिया जाये जिससे जीवनयापन कर रहे ग्रामीणों के अवरूद्ध विकास का मार्ग प्रशस्त हो और राज्य सरकार की ग्रामोण विकास योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को भी मिल सके।

(छ:) दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी० नरबुला (दार्जिलिंग) : दार्जिलिंग में इस समय पूर्व बंगाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज उसके द्वारा तैयार पाठ्यक्रम अपना रहे हैं जो पर्वत-विशेष अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यकताओं से सम्बद्ध नहीं है। यह परम्परागत शिक्षा अधिकांशत: अप्रुयोग्य और अनुत्पादक है। आधुनिक शिक्षा और अपने स्वयं के अनुसंधान - प्रगाढ़ विश्वविद्यालय के प्रभाव में दार्जिलिंग को पहाड़ों से सम्बद्ध विशेष क्षेत्र में कुशल योग्य और प्रशिक्षित श्रमशक्ति बनाने में समस्या हो रही है। दार्जिलिंग में जैव विविधता और जैव संसाधनों की बहुतायत है। ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रभाव के कारण दार्जिलिंग में विकास संबंधी कार्यक्रमों हेतु जैव संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता और जैव प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययनों, विविधजातीय समुदायों, गौण और वे भाषाएं जो संकट में हैं उनको सांस्कृतिक परम्परा संबंधी अध्ययन पीछे छूटता जा रहा है। इस पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की यह ठोस और सर्वसम्मत मांग है कि वर्तमान यू०पी०ए० सरकार यहां एक पृथक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यदि पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में एक या उससे अधिक विश्वविद्यालय हो सकते हैं तो दार्जिलिंग में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं की जा सकती? यह एक राजनीतिक माइलेज हैं और पहाड़ के लोगों की एक आम मांग है। पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है और यह जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से मिली थी जिसमें बताया गया था कि जब जलपाईगुरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। अत: मैं 'यू०पी०ए० सरकार से आग्रह करूंगा कि वह दार्जिलिंग में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे जो पहाड़ी क्षेत्रों की लोगों की अभिलाषाओं और मांगों को पूरा करेगा।

(सात) महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए वन संरक्षण कानूनों में छूट दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शिशुपाल एन० पटले (भन्डारा) : महोदय, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र मे बहुत अधिक क्षेत्रफल में जंगल व्याप्त है, जो कि वन विभाग के अधीन है। मुख्य रूप से भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपुर एवं नागपुर इन जिलों में ज्यादा जंगल है। अंतर्राष्ट्रीय मापदंड एवं राष्ट्रीय धोरण के अनुसार 33 प्रतिशत जंगल अपेक्षित है। जबकि इन जिलों में 38 प्रतिशत से ज्यादा जंगल व्याप्त है। इतना ही नहीं जो भारतीय संविधान के नियम 5 के अनुसार जो जिले बैकवर्ड जिलों में आते हैं, उन जिलों के लिए वन संरक्षण कानून शिथिल करने का प्रावधान है।

महाराष्ट्र के विदर्भ में बहुत अधिक मात्रा में उच्चकोटि का खनिज उपलब्ध है, जिसमें मैगनिज, ग्रेनाईट की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग है। वैसे ही कांच बनाने का कच्चा माल, सोना इत्यादि इसके उपरांत विदर्भ में अभी तक वन संरक्षण कानून के रूकावट के कारण किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा कुल 11 प्रतिशत है। अगर विदर्भ के उपरोक्त जिलों को वन संरक्षण कानून में छूट दी जाती है, तो 59 प्रतिशत खेती में सिंचाई की सुविधा हो सकेगी जिसके कारण विदर्भ के किसान आर्थिक स्थिति से ऊपर उठेंगे, उच्च कोटि के खनिजों की भारी मात्रा में खानें शुरू होंगी, जिससे विदर्भ की जनता को, बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

मैं सरकार को सूचित करता हूं और विनती भी करता हूं कि इन जिलों में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार 33 प्रतिशत से ऊपर वन हैं एवं भारतीय संविधान के नियम 5 के अनुसार उपरोक्त जिले बैकवर्ड हैं जो राष्ट्रीय समविकास योजना में सम्मिलित हैं, इन जिलों को वन संरक्षण कानून से छूट दी जाये।

(आठ) संकटग्रस्त एथेनॉल उद्योग को बचाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी) : महोदय, लगभग 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन राजग सरकार द्वारा बनायी गयी नीति के अनुसार पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथनॉल मिलाने का निर्णय लिया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जहां पेट्रोल के आयात की कमी करके विदेशी मुद्रा बचाना, तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना था, वहीं देश में इथेनाल का उद्योग भी स्थापित करना तथा यह भी निर्णय किया गया था कि धीरे-धीरे इसकी समीक्षा करके इसकी मात्रा को 5 प्रतिशत से और अधिक बढ़ाया जायेगा। सरकार के इस निर्णय को देखते हुए देश में इथेनाल बनाने के लिए क्षेत्र में आज कई हजार करोड़ रुपया इस उद्योग में लगा हुआ है? अकेले महाराष्ट्र राज्य में लगभग 600 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में लगा हुआ है।

किन्तु, आज इथेनाल उद्योग संकट में आ गया है। सरकार द्वारा इथेनाल खरीदने के अधिकार तेल कंपनियों को दिये गये हैं। तेल कंपनियों द्वारा इथेनाल 14 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से खरीदा जा रहा है जबकि फैक्ट्रियों में इसकी उत्पादन लागत लगभग 24 रुपये प्रति लीटर आ रही है। जिससे आज यह पूरा उद्योग ही संकट में आ गया है। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और कई बंद होने के कगार पर हैं। इस उद्योग से जुडे लोगों का हजारों करोड़ रुपया डूबने के कगार पर है।

अत: मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त उद्योग को संकट से बचाने के लिए कोई कार्ययोजना बनाए तथा तेल कंपनियों द्वारा इथेनाल का खरीद मूल्य कम से कम 30 रुपये लीटर किया जाये।

(नौ) सेना के नियंत्रणाधीन जोधपुर रेलवे स्टेशन को जाने वाले पैदल पथ को दोबारा खोले जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर में रक्षा विभाग की काफी जमीन आयी हुई है। रक्षा विभाग ने यह जमीन किसानों से अधिग्रहीत की थी। जमीन के साथ गांव का रास्ता भी आवाप्त हो गया है। रास्ता आवाप्त होने से रक्षा मंत्रालय ने गांवों के रास्ते बंद करवा दिये। रास्ते बंद होने से जोधपुर के एकदम पास के गांव के लोगों को 50 कि०मी० से 100 कि०मी० तक घूम कर जोधपुर शहर आना पड़ता है। गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के आसपास करीब 50 गांव इससे प्रभावित हुए। ये गांव जोधपुर रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड से 15-20 कि०मी० दूर हैं लेकिन रास्ता बंद होने से 50 गांव के लोगों को 50 से 100 कि०मी० तक घूम कर आना पड़ रहा है। जो जमीन रक्षा मंत्रालय ने आवाप्त की है उस जमीन पर आवास कालोनियां बनायी है। जहां से रास्ता देने से कोई परेशानी नहीं है। अत: मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन गांवों का रास्ता खोलने का आदेश प्रदान करावें।

(दस) कर्नाटक में सीरा-हरियुर से हवेरी तक दो लेन वाली सड़क को चार लेन में बदलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी०एम० सिद्देश्वर (दावणगेरे) : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कर्नाटक में सीरा-हरियुर-निजदुर्गा-दावणगेरे-हरिहर-हवेरी परियोजना में दो लेन को चार लेन में बदलने के कार्य को धीमा कर दिया है। माननीय मंत्री को पहले भी इस मामले की सूचना दी गई थी। मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि यह परियोजना 31 मार्च, 2006 तक पूरी हो जाएगी। परन्तु 'लक्षिततिथि के आठ महीने पश्चात् भी अभी तक वहां कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। यदि सरकार यह कार्य अब शुरू करती है तो इस परियोजना को पूरा करने में कम से कम दो या तीन वर्ष लगेंगे।

महोदय, इन सड़कों पर भारी यातायात होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह एक गंभीर मामला है तथा इस पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

अत: मैं संघ-सरकार से आग्रह करूंगा कि वे इस कार्य को तुरंत प्रारंभ करने और एक समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाएं ताकि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके।

(ग्यारह) 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान को रावी और ब्यास नदियों के जल में हिस्सा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, सन् 1981 में पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी-व्यास नदियों के जल बंटवारे के बारे में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.6 एम०ए०एफ० निर्धारित किया गया कि ''जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से का पानी उपयोग में लेने की स्थिति में नहीं होता है। तब तक पंजाब राजस्थान के हिस्से के पानी को उपयोग में ले सकेगा।'' सन् 1981 में इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान अपने संपूर्ण हिस्से के पानी का उपयोग करने की स्थिति में है, वर्तमान में राजस्थान को 8 एम०ए०एफ० पानी ही रहा है, पूरा पानी नहीं मिलने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू को हो रहा है। शेष पानी नहीं मिलने के कारण चुरू जिले

की सरदारशहर, तारानगर व राजगढ़ तहसील में नहर के निर्माण का कार्य रोक दिया गया है व जहां नहर बनकर तैयार हो गई है, नाले-मौगे आदि बनकर तैयार हो गए हैं, सिंचाई के लिए क्षेत्र को खोल दिया गया है, वहां भी पानी के अभाव में किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा है। बार-बार अकाल पड़ने के कारण इस क्षेत्र के किसानों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूरा पानी नहीं मिलने के कारण उनकी आशाएं टूटती जा रही हैं। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि शो 6 एम०ए०एफ० पानी देने के लिए पंजाब सरकार व भाखड़ा व्यास प्रबन्धन मंडल को निर्देश जारी करें।

(बारह) केरल में चेंगनुर और कायमकुलम रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सी०एस० सुजाता (मवेलीकारा) : सबरीमाता जाने वाले भक्तों के लिए चेंगनुर सबसे नजदीक और सुविधाजनक स्टेशन है। प्रत्येक वर्ष पूरे देश से विशेषकर दक्षिणी राज्यों से करोड़ों भक्त इस प्रसिद्ध मंदिर में आते हैं। इस वर्ष लगभग 5 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की आशा है। परंतु यात्रियों की बड़ी संख्या की आवश्यकता को देखते हुए इस रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। कुछ वर्ष पहले कायमकुलम रेलवे स्टेशन को जंक्शन घोषित किया गया था परन्तु इस स्टेशन पर सुविधाओं में वृद्धि के लिए अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। यह जानना भी यहां महत्वपूर्ण है कि रेलवे को इन दोनों स्टेशनों से भारी राजस्व प्राप्त होता है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन दोनों स्टेशनों के आधुनिकीकरण और सुविधाएं में वृद्धि हेतु कदम उठाए।

(तेरह) कोंटई, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के काजू प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त प्रधान (कोंटई) : भारत में किसानों विशेषकर समुद्र तट रहने वाले किसानों के लिए काजू की पैदावार अधिक होती है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोंटई, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में किसानों ने भारी मात्रा में काजू का उत्पादन किया। परंतु वहां केवल तीन या चार छोटे उद्योग है। काजू उद्योग में अपर्याप्त संसाधन के कारण किसान को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ता है तथा कभी कभी उन्हें अपने उत्पाद के लिए बहुत कम मेहनताना मिलता है। अतः किसानों के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्योग अत्यंत आवश्यकता है।

अतः मैं लघु उद्योग संबंधी विभाग और मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा ताकि एक उचित काजू फैक्टरी की स्थापना की जा सके।

(चौदह) इटावा, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : महोदय, सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा की आबादी लगभग 20 लाख है, केन्द्र सरकार के कई प्रतिष्ठान भी हैं। जबकि केन्द्रीय विद्यालय इटावा में नहीं है। आम नागरिक को बेहतर शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार के विद्यालय की चिर-परिचित मांग है। 200 किमी० की परिधि में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। राज्य सरकार केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराने को तैयार है।

अस्तु, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जनता की मांग एवं बेहतर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उच्च प्राथमिकता के साथ जनहित के लिए एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना शीघ्र करवाने की कृपा करें जिससे रेलवे, सरकारी, सार्वजनिक लोक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित आम जनता के बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय की लोकप्रिय शिक्षण व्यवस्था से लाभ मिल सके।

(पंद्रह) उत्तरांचल में 'डोमिसाइल सर्टिफिकेट' जारी किए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार) : महोदय, उत्तरांचल प्रदेश में राज्य सरकार ने शिक्षा, रोजगार तथा सरकारी सेवाओं के लिए मूल निवास प्रमाणप पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य कर दिया है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को 18 साल पुराना रजिस्टर्ड भूमि का रिकार्ड मांग कर अत्यंत जटिल बना दिया है। उत्तरांचल में बहुत ऐसे परिवार भी हैं, जिनके पूर्वज कभी 20/30 वर्ष पहले सरकारी/प्राइवेट नौकरी, छोटे-मोटे उद्योग और दुकान आदि लगाकर किराये के मकान में निवास कर रहे हैं। इनके पास कोई भी भूमि संबंधित कागजात नहीं है। जिससे इनके बच्चों व इनका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार ग्राम प्रधान, सभासद या किसी अन्य जन प्रतिनिधि के संस्तुति पर मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसी प्रकार उत्तरांचल में भी यह व्यवस्था कायम की जाये जिससे 20/30 वर्ष पहले से रह रहे परिवारों का भी मूल निवास प्रमाण पत्र बन सके।

(सोलह) 'कोयल सिंचाई परियोजना' के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया) : महोदय, बिहार के मगध प्रमण्डल में उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना की आधारशिला 1976 में 75.76 लाख रुपये के साथ रखी गयी है। 550 करोड़ रुपये खर्च किये जाने के बावजूद भी यह परियोजना अधर में है। इस परियोजना के शुरू

[श्री राजेश कुमार मांझी]

होने से बिहार राज्य के मगध प्रमण्डल एवं झारखंड राज्य के पलामू जिले के किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना पर व्यय होने वाली राशि का 90 प्रतिशत वहन बिहार सरकार और 10 प्रतिशत वहन झारखण्ड सरकार द्वारा किया जाना है। झारखण्ड सरकार बैराज व डैम पर गेट लगाना तथा बिहार सरकार द्वारा नहर का काम पूरा करना है। वर्ष 2005 में योजना राशि बढ़ाकर 12 अरब 89 करोड़ 59 लाख रुपये कर दी गयी है। लेकिन अफसोस की बात है कि परियोजना शुरू नहीं हो पायी है।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि वो इस परियोजना को यथाशीघ्र शुरू करवाकर बिहार और झारखण्ड के लाखों किसानों को लाभ पहुंचायें।

(सत्रह) तमिलनाडु में समन्वित टेक्सटाइल पार्क स्कीम के अंतर्गत करूर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के०सी० पल्लानी शामी (करूर) : करूर तमिलनाडु के बीचो-बीच अवस्थित एक जिला है। यह घर में बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। करूर जिले में तथा उसके आसपास विभिन्न प्रकार की वस्त्र इकाइयां स्थित हैं। कपास ओटने और कताई मिल, रंगाई, बुनाई कारखानों आदि जैसे संबद्ध उद्योग जिनमें लगभग 2,00,000 व्यक्ति कार्य करते हैं, भी यहां स्थित हैं।

महोदय, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्कीम (एस०आई०टी०पी०) के अंतर्गत करूर टेक्सटाइल पार्क के अनुमोदन हेतु मांग लंबे समय से लंबित है तथा उपरोक्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात के माध्यम से पूरे करूर में एक वर्ष में लगभग 2000 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा सृजन होता है। वर्ष 2010 तक निर्यात को 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का मुख्य प्रयास है।

करूर की पहचान "एक्जिम नीति" के अंतर्गत वस्त्र निर्यात हेतु "उत्कृष्टता युक्त नगर" के रूप में होती है। इसके अतिरिक्त, यदि एस०आई०टी०पी० के अंतर्गत करूर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाती है तो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिक रोजगार का सृजन होगा तथा करूर के निर्यातकों को विश्व व्यापार संगठन की मौजूदा व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी वातावरण में नवीनतम तकनीक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है तथा परियोजना रिपोर्ट भी तैयारी हो चुकी है।

वर्तमान परिस्थितियों में एस०आई०टी०पी० के अंतर्गत करूर टेक्सटाइल पार्क परियोजना की स्थापना किया जाना एक व्यवहारिक कदम है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और हरदोई जिले के भाखनी ब्लॉक में सम विकास योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की जांच कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इलियास आज़मी (शाहबाद) : महोदय, मेरे आग्रह पर भारत सरकार ने हरदोई जिले में 25 साल से बन्द पड़ी नहर को चालू करने के लिए हरदोई जिले में काम के बदले अनाज योजना के फण्ड से नहर पूरी तरह साफ कराने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था।

उसी नहर को जिला शाहजहांपुर में साफ कराने के लिए सम विकास योजना से भारत सरकार ने मोटी रकम दी।

काम के बदले अनाज योजना से उपरोक्त नहर के बरवन शाखा पर कुछ अधूरा कार्य हुआ, शवाएज़पुर शाखा पर एक रुपय का कार्य नहीं हुआ।

जिला शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग ने सारा पैसा खर्च किया, परन्तु नहर में पानी नहीं आया, अब तक सारा पैसा बेकार गया।

मेरी सरकार से मांग है कि सम विकास योजना द्वारा शाहजहांपुर में हुए कार्य की तथा काम के बदले अनाज योजना से हरदोई जिले के भरखनी ब्लॉक द्वारा हुए कार्यों की जांच भारत सरकार कराए।

(उन्नीस) तमिलनाडु के विरूधुनगर जिले में शिवकाशी उपनगर में आतिशबाजी विनिर्माण के लिए केंद्रीय वेयर हाऊस का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी) : तमिलनाडु के विरूधुनगर जिले के शिवकाशी उप नगर का 600 से अधिक आतिशबाजी कारखानों तथा लगभग 700 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार और निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन सहित महत्वपूर्ण करों की वसूली में महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए इससे राज्य और राष्ट्र के राजकोष में वृद्धि हुई है।

वर्तमान में आतिशबाजी विनिर्माता आतिशबाजियों की पैकिंग करके देश के भीतरी भागों के डीलरों को आगे प्रेषित किए जाने हेतु उन्हें परिवहन आपरेटरों को सौंप देते हैं। बहुत से आपरेटरों के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं और वे किराए की गाड़ियों पर निर्भर होते हैं ऐसे अवसरों पर वे पैक की हुई अतिशबाजियों को शहर के अंदर स्थित भवनों में रखते हैं जो कि बहुत खतरनाक है।

उपरोक्त को देखते हुए मैं सरकार से प्रस्तावित उत्तर दक्षिणी गालियारे, चार दिशाओं वाले मार्ग तक आसानी से पहुंचने वाले शिवकाशी उपनगर में स्थित किसी उचित स्थान पर केन्द्रीय वेयर हाउस (भंडार गृह) के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं ताकि वे इस वेयर हाउस में अपने माल को सुरक्षित रख सके।

(बीस) सिक्किम में गंगटोक से जयगांग तक राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री नकुल दास राई (सिक्किम) : केन्द्र सरकार वर्तमान में एकल लेन परियोजना (चौड़ाई-12 मीटर, और 3.75 मीटर का ब्लैक टाप) के अंतर्गत सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग (गंगटोक-मंगन-चुंगशन-लेचैंग-कलेप-जयगांग) का निर्माण कर रही है। तथापि इस राजमार्ग जो कि सिक्किम के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगा के संभावित महत्व को देखते हुए को दो लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में, यहां के प्राकृतिक सौन्दर्य और शांतिपूर्ण वातावरण का आनन्द लेने हेतु पूरे विश्व से पर्यटकों के आने के साथ सिक्किम सभी मौसमों में पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। इन परिस्थितियों में यहां पर विश्वस्तरीय अवसंरचना की आवश्यकता है। उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन वाला बनाये जाने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तथा सिक्किम के सभी भागों में भ्रमण करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, इससे राज्य सरकार द्वारा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित होगा।

केन्द्र को विभिन्न विकास परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सिक्किम में चुंग थँग-लेचैंग राजमार्ग को दो लेन वाला बनाने पर भी विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र को सेवक-गंगटोक राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन वाला बनाने के लिए विचार करना चाहिए क्योंकि सिक्किम को शेष भारत से जोड़ने वाला यह एक मात्र राजमार्ग है। पर्यटकों और दैनिक जीवन यापन के लिए आवश्यक भारी वाहनों के सुगम आवागमन तथा सिक्किम के लोगों के विकास के लिए राजमार्गों को सभी मौसमों में प्रयोग की जानी वाली सड़क के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

अपराह्न 01.07 बजे

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 23 पर विचार करेगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि और विकास के लिए एक अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि और विकास के लिए एक अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 01.08 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

जैसा मंत्री जी ने बताया कि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि और विकास के लिए एक अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। आज जैसे-जैसे सारी दुनिया एक हो रही है, सारे विश्व के अंदर और भारत के अंदर भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को खोलने की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी क्वालिटी आफ एजुकेशन और उच्च शिक्षा की जो स्थिति है, वह विश्वस्तरीय बने, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे राज्य स्तर पर अनेक राज्य स्तरीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, उसी तरह केंद्र के स्तर पर भी उत्तर पूर्वी राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और अन्य स्थानों पर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं, लेकिन उनका जो शिक्षा का स्तर है, वहां जो अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और उच्च शिक्षा विश्व स्तरीय होनी चाहिए, इन सबका आज अभाव दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे। कम्प्यूटर और इंफोर्मेशन टेक्नॉलोजी आने के बाद, क्योंकि हमारे यहां अंग्रेजी रक्षा का वर्चस्व रहा है, हमारे यहां चीन से भी अधिक रोजगार लोगों को प्राप्त हुए हैं और संसार के विकसित देशों में भी हमारे एक्सपर्ट्स

[प्रो० रासा सिंह रावत]

की मांग अंग्रेजी भाषा के कारण बढ़ी है। हैदराबाद में भाषा के लिए एक संस्थान था, जो वहां एक सोसायटी के रूप में, हैदराबाद रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड था। इस संस्थान में अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही रूसी, चीनी और हमारे पड़ोसी देशों की जो अन्य भाषाएं हैं, उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत हो, तो यह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। यह संस्था हैदराबाद के अंदर काम कर रही है और इसका कैम्पस लखनऊ में भी होगा, शिलांग में भी होगा। इसमें दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी मुक्त विद्यालय खुला हुआ है और वहां डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं, वे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। डिस्टैंट एजुकेशन इसके माध्यम से दी जाएगी, लेकिन डुप्लीकेसी न हो, इसका ध्यान रखा जाए।

सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अभी कहा गया था कि केरल में होना चाहिए। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। वहां राज्य सरकार ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए क्रांतिकारी काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप यूनेस्को ने सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत राजस्थान सरकार और वहां के शिक्षा विभाग को पुरूस्कृत किया है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय स्तर के विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, इसे सैंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया जाए क्योंकि यह सबसे पुराने और सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। राज्य सरकार ने इस बारे में केन्द सरकार को कई बार लिखा है। माननीय राज्य शिक्षा मंत्री जी यहां विराजमान हैं और अन्य सदस्य भी यहां विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के मामले में राजस्थान के साथ होने वाले भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए और राजस्थान विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी घोषित किया जाना चाहिए।

इस बिल के उद्देश्यों में बताया गया है यहां अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान काम करेगा। इसकी शक्तियां हैं, अधिकार हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी इसके विजिटर होंगे, कुलपति, रैक्टर आदि हैं। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि आजादी के 59 वर्षों के बाद भारतीय भाषा की तरफ और संविधान के अनुसार हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित की गई है, उसकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थान दिया जाए।

आपने वर्धा में महात्मा गांधी केंद्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, लेकिन आज तक गांधी जी के नाम पर स्थापित होने वाली सैंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसे आप सारा पैसा यहां से दे रहे हैं, लेकिन वहां समस्या बनी हुई है। उसका विकास तीन चार वर्षों में होना चाहिए, वह हो नहीं रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार राष्ट्रभाषा हिन्दी और गांधी जी के सपनों के प्रति उदासीनता बरत रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वर्धा में जो महात्मा गांधी केंद्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। मैं इसका समर्थन करता हूं। अंग्रेजी संस्थान में जो लोग सेवारत थे, उसकी सेवाएं अप्रभावित रहेंगी, उनको इसमें समाहित किया जाएगा। उनके राइट्स, ड्यूटीज़ और पावर्स भी इसमें समाहित होंगी और निश्चित रूप से अंग्रेजी भाषा और विदेशी भाषाओं की दृष्टि से यह विश्वविद्यालय सक्षम केंद्र बनेगा।

जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि हमारे यहां उच्च शिक्षक गुणवत्ता की दृष्टि से अन्य विकसित देशों से अपेक्षाकृत पीछे हैं। पहले हमारे यहां नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे और हजारों की संख्या में विदेशी विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे लेकिन केंद्रीय सरकार अब विदेशी भाषाओं का संस्थान खोल रही है ताकि विदेशों से विद्यार्थी यहां पढ़ने के लिए आएं और अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का साहित्य व ज्ञान प्राप्त करके दक्षता प्राप्त करें और भारत फिर से विश्व का गुरू बने, ऐसी व्यवस्था विश्वविद्यालयों में होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : रासा सिंह रावत जी ने मांग की है कि जयपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है। मैं आशा करता हूं कि जब आप उत्तर देंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे।

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। मेरा नाम भी सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह विधेयक अपनी संरचना के रूप में अद्वितीय है क्योंकि पूरे देश में यह अकेला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसका क्षेत्राधिकार अपने संसाधनों के उपयोग के साथ-साथ समूचे देश के संस्थानों की सुविधाओं का उपयोग करने का भी होगा। यह अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का स्तर सुधारने की दिशा में भी कार्य करेगा।

केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सी०आई०ई०एफ०एल०) की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1958 में हैदराबाद में हुई थी। तब इस

संगठन का क्षेत्र विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा थी। 1972 में इसके केन्द्रों का विस्तार किया गया और अन्य भाषाएं भी संस्थान के दायरे में लाई गईं और इसका नाम बदलकर केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान कर दिया गया। 1973 में सी०आई०ई०एफ०एल० को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अंग्रेजी भाषा का स्तर बेहतर करने और अनुसंधान और शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा अरबी फ्रांसीसी, जर्मन, जापानी, रूसी तथा स्पैनिश भाषाओं में शिक्षण के अलावा सी०आई०ई०एफ०एल० का मुख्य अकादमी बल मुद्रित और इलेक्ट्रानिक माध्यमों में नूतन शिक्षण सामग्री तैयार करना, भाषाई क्षमता की जांच करने के स्वदेशी तरीके विकसित करना, व्यवसायिकों को भाषा और अध्यापक शिक्षण में विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययनों में अन्तर-विषयी अनुसंधान को बढ़ाव देना और सभ्यताओं के बीच अन्तर सांस्कृतिक समक्ष विकसित करना है।

सी०आई०ई०एफ०एल० के अकादमी कार्यक्रम निम्न पांच स्कूलों द्वारा चलाए जाते हैं – अंग्रेजी भाषा शिक्षण विद्यालय, भाषा विज्ञान विद्यालय, महत्वपूर्ण मानविकी विद्यालय, दूरवर्ती शिक्षा विद्यालय और विदेशी भाषा विद्यालय। इनमें से प्रत्येक के तहत कई केन्द्र चलते हैं। सी०आई०ई०एफ०एल० का मुख्य परिसर हैदराबाद में हैं। देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों के छात्रों और शिक्षकों के लाभ के लिए लखनऊ और शिलांग में भी संस्थान के परिसर हैं।

वर्तमान में सी०आई०ई०एफ०एल० लगभग 300 विद्यार्थी एम० 8, एम-फिल और पी०एच०डी० डिग्रियों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सी०आई०ई०एफ०एल० दूर शिक्षा के माध्यम से पंजीकृत लगभग 700 विद्यार्थियों को विभिन्न स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों सहित एम०फिल और पी०एच०डी० के लिए अनुसंधान कार्य, के लिए शिक्षा उपलब्ध कराता है।

इन वर्षों में सी०आई०ई०एफ०एल० की महत्ता बढ़ी है और इसने अंग्रेजी और मुख्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विदेशों में भी पहचान प्राप्त की है। यह उन कुछ संस्थानों में से जहां इसकी अर्हताओं के मानकों को संपूर्ण-विश्व में मान्यता दी जाती है और यह अपने गुणवत्ता कार्यों तथा इस संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाले सुविधाओं के लिए सम्मान प्राप्त करता है।

सार्वभौमिकरण के आने और विश्व अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही पिछले कुछ वर्षों के दौरान सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके कारण संपूर्ण विश्व में विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रम देने वाले संस्थानों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है। इस क्षेत्र में सी०आई०एफ०एल० के उत्तरदायित्व भी कई गुना बढ़ गए हैं और इसका विस्तार करना होगा और निकट भविष्य में अपनी गतिविधियों को बहुविध करना होगा। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय एक ऐसे संगठन के रूप में करने का निर्णय लिया है जो सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था की भावी चुनौतियों का सामना करेगा।

अपने इन दायित्वों के निर्वाह हेतु सी०आई०एफ०एल० को अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही इसे अपने कार्य में अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी होने की आवश्यकता है। इन दोनों आवश्यकताओं को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसे संसद के अधिनियम द्वारा एक संपूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदत्त किया जाएगा। इसलिए केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (अब अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक 2006) को राज्य सभा में लाया गया था ताकि सी०आई०एफ०एल० का केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना और संस्थापन हो सके।

पूर्वोक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(एक) इस विधेयक का आशय हैदराबाद सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सोसाइटी "केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद" को भंग करना और आंध्र प्रदेश में शिक्षण विश्वविद्यालय, स्थापित और सम्मिलित करने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।

(दो) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हैदराबाद में तथा परिसर लखनऊ और शिलौंग में होंगे, और यह अपने परिसर ऐसे अन्य स्थानों पर स्थापित कर सकता है, यहां पर उचित समझे।

(तीन) केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद की सारी संपित्त, अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, ऋण, देयताएं और बाध्यताएं विश्वविद्यालय को अंतरित कर दी जाएंगी।

(चार) सी०आई०ई०एफ०एल० के कर्मचारी उसी कार्यकाल से और उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर तथा पेंशन और उपदान जैसे अपने उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ अपनी सेवा करेंगे और सेवा की अन्य शर्तें बनी रहेंगी।

(पांच) विश्वविद्यालय के विजिटर, प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कार्य विद्यमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के स्वरूप की हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों की विषय-वस्तु और पद्धति मोटे तौर पर अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में विद्यमान प्रावधानों के अनुसार हैं। इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि संविधि, अध्यादेश और विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होंगे और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

(छः) विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और इसे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(सात) संक्रमण काल के दौरान विश्वविद्यालय के पहले अधिकारियों की नियुक्ति और प्रथम प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट शर्तों पर किया जाएगा।

वर्तमान में विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकता अनावर्ती व्यय के रूप में 4.75 करोड़ रुपये और आवर्ती व्यय के रूप में 11 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सी०आई०ई०एफ०एल० का वित्त पोषण भी पूर्णतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है, इसलिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय के वित्त पोषण के लिए किसी अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता नहीं है।

राज्यसभा के सभापति ने इस विधेयक को मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया है। अब रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और अब हमने इस विधेयक को पारित करने के लिए लोक सभा को भेज दिया है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 42 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड 42 विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को उनके किसी कार्य जो वह समझते हैं कि उन्होंने सद्भावना से किया है, के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही से संबंधित किसी मामले से प्रतिबंधित करता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें उस विश्वविद्यालय के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जिसे हमने स्थापित किया है और संगठन के लिए उत्तरदायी लोगों को उन लोगों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जिनके लिए वे हैं।

अतः, इसमें थोड़ी उदारता होनी चाहिए कि उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और कानूनी पद्धति के प्रति जवाबदेह होने पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

महोदय, इन चंद शब्दों के साथ कि मुझे केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करते हुए खुशी हो रही है मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० बसुदेव बर्मन (मथुरापुर) : महोदय, मैं केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

मैं कोशिश करूंगा कि मैं वह सब न दोहराऊं जो मुझसे पूर्व वक्ता ने विस्तार से कहा है। लेकिन मैं इस सभा का ध्यान भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात गठित विभिन्न समितियों, बोर्डों और आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों द्वारा मार्गनिर्दिष्ट है।

मुझे याद आता है, कि उस समय वुडस डिस्पैच (1854), उण्टर आयोग (1882), भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902), केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (1923), अन्तः विश्वविद्यालय बोर्ड, जिसे अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नाम से जाना जाता है (1969), विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधी समिति (1969), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी समीक्षा समिति (1977) और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली संबंधी समिति (1982) थी।

महोदय, मुझे आशा है, जब मैं कुछ मिनट के लिए बोलूंगा तो व्यवधान नहीं होगा। डॉ० एस० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) में निम्नलिखित शब्दों में उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैः

"प्रजातंत्र का समूचा अस्तित्व सामान्य, व्यावसायिक और वृत्तिक शिक्षा के उच्च मानक पर निर्भर करता है। ज्ञान का प्रसार, नई खोज हेतु अनवरत अनुसंधान, जीवन की सार्थकता की थाह लेने का अविराम प्रयास, अपने समाज की व्यावसायिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए वृत्तिक शिक्षा हेतु प्रावधान उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य हैं।"

डा० डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है, और मैं उनमें से केवल दो का जिक्र करूंगा कि, " शिक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बाह्य परीक्षा के स्थान पर आंतरिक और सतत् शिक्षा को आरंभ करना।"

शिक्षा आयोग (1964) की रिपोर्ट के आधार पर 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिपादन किया गया। देश में शिक्षा के स्तर का ताजा मूल्यांकन करते हुए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया जिसने पुनः यह पुष्टि की कि वर्तमान में और भविष्य के लिए शिक्षा एक अनूठा निवेश है। नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि ज्ञान और डाटा-बेस के अप्रत्याशित प्रसार के संदर्भ में उच्चतर शिक्षा को गतिशील होना चाहिए और अज्ञात तथा नए क्षेत्रों को निरंतर सम्मिलित करते रहना चाहिए। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि देश में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में सभी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है और यह कि निकट भविष्य में मुख्य बल उनके समेकन और विस्तार पर दिया जाना चाहिए।

इसके विपरीत, हम केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर विचार कर रहे हैं।

वर्तमान में, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में अंग्रेजी, अरबी, फ्रांसीजी, जर्मन, जापानी, रूसी और स्पेनिश में शैक्षणिक कार्यक्रम हैं। इस संस्थान में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य, अनुसंधान का संगठन, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री का निर्माण और भारत में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के मानकों में सुधार के लिए विस्तार सेवाएं मौजूद हैं भारत में यह इकलौता विश्वविद्यालय है जो अनन्य रूप से शिक्षण और विदेशी भाषाओं की शिक्षा प्रदान करता है।

अब चीनी, वियतनामी, कोरियाई, बर्मी और थाई जैसी कुछ और विदेशी भाषाओं की शुरूआत सहित निकट भविष्य में अपनी गति-विधियों का विस्तार और विविधीकरण संस्थान द्वारा प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम है।

इनमें यूरोपीय अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, जापानी अध्ययन इत्यादि हेतु मौजूदा केन्द्र का सुदृढ़ीकरण और अमरीकी अध्ययन हेतु नए केन्द्र की स्थापना, अंग्रेजी 'आन लाइन' कार्यक्रमों का आरंभ, और संस्थान द्वारा निर्मित अनुदेशात्मक सामग्री को डिजिटल रूप में परिवर्तित करना भी शामिल है।

यह संस्थान वर्तमान में एक पंजीकृत सोसाइटी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित है और, इसलिए इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता सोसाइटियों के रजिस्ट्रार, विधि अनुदान आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से प्रभावित होने की गुंजाइश है। मुझे आशा है और सभी लोग सहमत होंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको शामिल करने से बाह्य हस्तक्षेप न होने से स्थापित मानकों और प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए सांविधिक उपबंधों के संदर्भ में इसका प्रशासन सुनिश्चित होगा; और विहित प्रक्रिया के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर की अपनी हैसियत से इसके उप-कुलपति की नियुक्ति करेंगे। इसके अतिरिक्त, इसके पास शिक्षा की संगत शाखाओं में अनुदेशों के लिए और अपने उद्देश्यों के प्रोत्साहनार्थ ज्ञान के विकास और प्रसार के लिए बाह्य अभिकरणों के अनुचित हस्तक्षेप के बिना उपबंध बनाने के लिए सांविधिक शक्तियां होंगी।

इसप्रकार, यह स्पष्ट है कि संस्थान के केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाने पर कार्यात्मक स्वायत्तता के संदर्भ में लाभ की स्थिति में होगा और सरकारी नियंत्रण से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विश्वविद्यालय का रूतबा प्राप्त करने से आगामी वर्षों में सतत चहुमुंखी विकास के लिए केन्द्र से अधिक धनराशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जिससे अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक लक्ष्य प्राप्त करने में देश को मदद मिलेगी, और, मुझे विश्वास है कि हम सभी सहमत होंगे कि यह आज किसी भी राष्ट्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य भारत में अंग्रेजी और प्रमुख विदेशी भाषाओं और साहित्यों के शिक्षण मे अनुदेशात्मक, अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं प्रदान कर ज्ञान का प्रसार और विकास; भाषा शिक्षकों को भारतीय संदर्भ के अनुकूल शिक्षण पद्धतियों और दृष्टिकोणों में प्रशिक्षण, विदेशी पेशेवरों को भाषा और शिक्षक शिक्षा में प्रवीणता प्रदान करना; भाषा में निपुणता में परीक्षा की पद्धतियां, विकसित करना; पिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों में नई शिक्षण/शिक्षा सामग्री हेतु प्रावधान करना; साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययनों में अंतःविषयक अध्ययनों हेतु समुचित कदम उठाना; और अंततः, विश्व की सभ्यताओं के बारे में अंतः सांस्कृतिक समझ विकसित करना होंगे।

मुझे विश्वास है और आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इस संस्थान का सम्मिलन हमारे आकस्मिक विकास को बढ़ावा देना।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से इस विधेयक को आज पारित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका टाइटल "फारेन लैंग्वेजेज इनक्लूडिंग इंगलिश" होता, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन टाइटल ऐसा बनाया गया है जैसे अंग्रेजी भारत की भाषा है, बाकी भाषाएं विदेशी भाषाएं हैं और उनके पठन-पाठन के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। फिर भी इसकी जो मंशा है उसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि इसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश में भी स्थापित की जा रही है। दुनिया में भारत को छोड़कर अपनी भाषा के प्रति जितना स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के चलते, दुनिया की भाषाओं को सीखना इस भूमंडलीकरण के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता है। दुनिया का एक बहुत ही संगठित राष्ट्र है जिसे हम कनाडा के नाम से जानते हैं। उसके संविधान के अनुसार उसकी राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन की महारानी हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रान्त क्यूबेक है, जो पिछले 30 वर्षों से संग्राम कर रहा है कि हमारे ऊपर फ्रांसीसी भाषा के अलावा अंग्रेजी भाषा जबरन लादी जा रही है। तीन बार वहां जनमत संग्रह हो चुका और अब कनाडा सरकार ने घुटने टेककर फ्रांसीसी भाषा और क्यूबैक को कनाडा के भीतर ही स्वायत्तता देना स्वीकार कर लिया है। हमारे यूरोपियन कॉमनवैल्थ मार्केट कंट्रीज की जब बेल्जियम में कांफ्रेंस हुई, वहां फ्रांस के उप-राष्ट्रपति अंग्रेजी में बोलने लगे, तो खुद उनके ही देश के राष्ट्रपति यह कहकर कि अंग्रेजी में बोलना विशाल और शानदार फ्रांस राष्ट्र का सबसे बड़ा अपमान है, र अपने उप-राष्ट्रपति के भाषण के दौरान सदन से बहिर्गमन कर गये, वाक आउट कर दिया। मैं इस घटना को इसलिए कह रहा हूं। कि दुनिया में हर राष्ट्र अपने भाषाई स्वाभिमान के प्रति कितना सावधान है, इस

[श्री मोहन सिंह]

दिशा में भारत के बुद्धिजीवियों को सोचने की आवश्यकता है। अभी भारत का एक संसदीय शिष्टमंडल, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी के नेतृत्व में पुर्तगाल ओर स्पेन गया। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जिसने कई सौ वर्षों तक हिन्दुस्तान के एक राज्य पर अपने अधिकार रखा था, वह एक करोड़ की आबादी वाला दक्षिणी यूरोप का प्रमुख देश है, लेकिन वहां कोई अंग्रेजी बोलने वाला, एक भी इन्सान पढ़ा से लेकर बेपढ़ा तक नहीं है। हर आदमी को इस बात का अभिमान था कि वह पुर्तगीज़ भाषा बोलता है और यह उसकी अपनी राष्ट्रभाषा है। यही नहीं, जनभाषा है। एक देश है स्पेन, जिसकी आबादी कुल चार करोड़ है और जो दुनिया का प्रमुख व्यापारिक और व्यावसायिक देश है। स्पेनिश लैंग्वेज के अलावा उस देश में किसी भाषा को यूरोप का हिस्सा होने के बावजूद नहीं बोला जाता। यह केवल भारत हैं, जहां यह भ्रान्त धारणा चलती है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है और इस भाषा को यदि हम नहीं सीखेंगे तो विश्व मे अलग-थलग पड़ जाएंगे, बिल्कुल किनारे हो जाएंगे। अभी एक व्यापारिक पानी का जहाज, जो चीन से आया था, हमने उसमें प्रवेश किया और वहां के कैप्टन ने मुझे कोकाकोला सर्व किया और कहा कि यहां आने का यह सम्मान है, कोकाकोला आपको पीना ही पड़ेगा। कोकाकोला की बोतल पर पूरा चीनी भाषा में लिखा हुआ था, केवल एक छोटा सा जुमला अंग्रेजी में कोका कोला लिखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, जब इस समुद्री भंवर में होते हैं, तो उसने कहा कि चीनी भाषा के अलावा हमको कुछ नहीं आता और इस भाषा के अलावा हम जानते भी नहीं। चीन के लोग यह समझते भी नहीं कि चीनी भाषा के अलावा दुनिया में और कोई भी भाषा बोली और सीखी जाती है।

यह बात ठीक है कि हम दुनिया की भाषाओं को सीखें, लेकिन दुनिया के देशों से सम्पर्क करने के लिए अब अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यदि दुनिया की बहुत सारी भाषाओं को हम नहीं जानेंगे तो हम दुनिया में अलग-थलग हो जाएंगे, यह विश्वास भारत के बुद्धिजीवियों में पैदा होना चाहिए और इस दृष्टिकोण से यदि कोई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तो इसमें कुछ और भाषाएं भी जोड़ी जानी चाहिए। बहुत दिन भारत में राज-काज की भाषा फारसी भाषा थी। अरब के देशों से हमारे इतने गहरे रिश्ते हैं, बड़े व्यापक पैमाने पर हमारे देश के व्यापारिक और व्यावसायिक सम्बंध अरब देशों से हैं। यदि अरबी भाषा और फारसी भाषा भी इन विश्वविद्यालयों के जरिए हमारे देश के बुद्धिजीवियों को समझाई जायें, नये लड़कों को पढ़ाई जायें तो मैं ऐसा समझता हूं कि अनुवादक की हैसियत से उन सभी बच्चों को रोजगार मिल सकता है, इस देश से बाहर उनको काम मिल सकता है। हमको पुर्तगाल में एक लड़का मिला, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि किस खुशी में तुम यहां आये हो, तो उसने कहा कि मुझको भारत के दूतावास के जरिये रोजगार मिला है, चूंकि मैंने पुर्तगीज़ भाषा सीखी थी। स्पने में भी ऐसे बच्चे मिले, जिन्होंने कहा कि मैंने जवाहर लाल यूनिवर्सिटी से स्पनिश लैंग्वेश सीखी थी, इसलिए अनुवादक के रूप में उन्हें इन दोनों देशों में हमारे ही दूतावास के जरिये काम मिल गया।

भारत में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े-लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, उन सभी नौजवानों को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रोजगार मुहैया कराने के लिए विदेशी भाषाओं में कुछ विशेषज्ञ और संस्थान खोलने आवश्यक हैं, जिससे विद्यार्थी उन भाषाओं को सीख सकें।

दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि इस बहाने जो भारत की भाषाओं का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा है, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। भारत सरकार ने अपने अधिनियम के तहत एक विश्वविद्यालय हिन्दी की पढ़ाई-लिखाई के लिए खोला है। जो महात्मा गांधी जी के नाम पर उनके अपने सेवा क्षेत्र वर्धा में स्थापित किया है। उसका हेडक्वार्टर वर्धा में बनाया गया, लेकिन वहां रोजाना लठ्ठ चल रहा है, आपस में मारपीट हो रही है। भारत सरकार ने वहां की परिस्थितियों की जांच के लिए एक कमीशन बनाया। उस कमीशन ने वहां की परिस्थितियों की जानकारी करने के बाद भारत सरकार को उसकी एक रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट छः महीने से पड़ी है, चूंकि अर्जुन सिंह जी बीमार अवस्था में हैं इसलिए उस रिपोर्ट पर विचार करने का उनके पास समय नहीं हैं, अस्पताल में ही बैठकर वे थोड़ी-बहुत पत्रावली निस्तारित कर देते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी यदि उनका कुछ काम *(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, यह बात गलत है, दुरस्त नहीं है। वह आफिस आते हैं। *(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : महोदय, हम चाहते हैं कि यह बात गलत हो, और उनका कुछ काम हमारे भाई फातमी जी को भी मिल जाए, कुछ पत्रावलियां भी उनके सुपुर्द हो जाएं। मैं उनकी पैरवी में यह बात कह रहा था। लेकिन यदि वे पत्रावली नहीं देखना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : महोदय, जब तक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनके साये में हम चलें, हम ऐसी दुआ करेंगे।

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : महोदय, हिंदी विश्वविद्यालय के बारे में आपने जो कहा, यह बात सही है। आपने जो कहा, इसका मुझे पूरा अनुभव है, क्योंकि मैं वर्धा से आता हूं। वहां की जो स्थिति है, मैं उसको जनता हूं और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत भी हैं।

श्री मोहन सिंह : आप समझतें हैं, लेकिन फातमी भाई सहमत नहीं हैं। ये समझते हैं कि अर्जुन सिंह की इज्जत केवल यही करते

हैं, मोहन सिंह नहीं करते हैं। हम आपसे अधिक और पहले से उनकी इज्जत करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब इस तरह की कोई बात आये, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उस पर विचार करना चाहिए। यदि वहां की हालत को दुरूस्त करने के लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं ऐसा समझता हूं कि एक भारतीय भाषा का श्रेष्ठतम संस्थान, जिसको करोड़ों रुपये भारत सरकार अपने संसाधनों से देती है, वह बरबाद हो जाएगा। इस अपील के साथ कि एक संस्थान अंबेडकर साहब की स्मृति में लखनऊ में भी इन लोगों ने खोल रखा है, मैं नहीं जानता कि उसकी भी हालत ठीक रही है। किसलिए भारत सरकार विश्वविद्यालय खोल रही है? एक के बाद एक जितने शैक्षिक जगत के सेवानिवृत्त लोग हैं, उनको कुलपति बनाने में आसानी हो रही है, यह तो ठीक है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा? यदि एक-एक अपने शैक्षिक पैरोकार को रोजगार देने के लिए विश्वविद्यालय खोलने हैं, तो मैं समझता हूं कि अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए भारत सरकार विश्वविद्यालय खोलने के साथ-साथ उन पर कड़ी निगरानी का भी इंतजाम करें, जिससे उनकी गुणवत्ता दुरूस्त हो सके। सही मायने में जब इस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में जाएं, तो उनके बारे में लोगों की अच्छी राय हो। अमेरिका जैसा देश कह रहा है, वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यदि अमेरिकी नौजवान हिंदी नहीं सीखेंगे तो दुनिया में पिछड़ जाएंगे। हिन्दी के ऊपर अमेरिका की सरकार पन्द्रह मिलियन डालर इस साल के बजट में खर्च करेगी। अमेरिका हिन्दी को प्रोत्साहित कर रहा है, आस्ट्रेलिया में हिन्दी वालों की पूछ बढ़ रही है। इंग्लैंड की सरकार कह रही है कि हमारे देश के लड़के अंग्रेजी कम जान रहे हैं, जो भारत के लड़के आ रहे हैं, उनका अंग्रेजी का ज्ञान हमारे यहां के लड़कों से ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम अपने देश में रहकर जो हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है, जो गांधीजी द्वारा प्रदत्त सर्वव्यापी भाषा है, उनके नाम से चलने वाले विश्वविद्यालय को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। हम समझते हैं कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, जो माननीय संसाधन विकास मंत्री द्वारा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक 2006 प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूरे देश में इस नाम से एक विद्यालय चल रहा था, जो हैदराबाद में है। महोदय, इतना बड़ा देश और एक विश्वविद्यायल, एक कालेज, इसके बारे में भी मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। वह विश्वविद्यालय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा था। उसमें अंग्रेजी और विदेशी भाषा सीखने वाले छात्रों की संख्या संतोषजनक न रहकर 100,150 और 200 के अंदर ही रही। मैं कहना चाहता हूं कि आज वैश्वीकरण और व्यावसायीकरण का युग है। इसमें अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक है क्योंकि इससे रोजगार मिलने में आसानी होगी। साथ ही हमारी सीमा के आर-पार जो लोग हैं, वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज जितने व्यापार बढ़े हैं, अन्य रोजगार बढ़े हैं, हमारे बहुत से छात्र दूसरी भाषाओं के ज्ञान के अभाव में पिछड़ जाते हैं। अभी मानव संसाधन विकास मंत्री एक विधेयक लाये हैं। पुरानी सोसायटी के अंतर्गत जो विवविद्यालय चल रहा था, उसको विघटित करते हुए, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 को यहां स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि हम अपने देश में दूसरी भाषाओं की शिक्षा देने के लिए अधिक से अधिक व्यवस्था करें।

मैं कहना चाहता हूं कि देश के जो लोग दूसरे देशों में जाकर व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए वे चाहे जर्मनी, चीनी, जापानी या अरेबियन भाषा सीखना चाहते हों, उनके लिए एक विश्वविद्यालय और एक कालेज पर्याप्त नहीं है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि हमारे भिन्न-भिन्न प्रदेशों में जो यूनीवर्सिटीज बनी हुई हैं, उनके अंतर्गत ही सरकार को विदेशी भाषा डिपार्टमैंट इंतजाम करना चाहिए। उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना चाहिए, टीचर्स की नियुक्ति करनी चाहिए तभी इसका प्रचार-प्रसार होगा।

अभी मेरे पूर्ववक्ता माननीय श्री मोहन सिंह जी बता रहे थे जो ठीक है कि दूसरी भाषाओं का ज्ञान जरूरी है, उन्हें सीखना जरूरी है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है, आखिर उसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? उसे सम्मानित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए हमें व्यवस्था करने की जरूरत है। जो लोग विदेशों से हमारे देश में आते हैं, उन्हें भी हिन्दी की शिक्षा देने की आवश्यकता है। उसके लिए मानव संसधन विकास विभाग को चाहिए कि भिन्न-भिन्न कालेजों में इसकी व्यवस्था करें जिससे दूसरे देश से आकर रोजगार पाने वाले लोग हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इससे हिन्दी का प्रचार-प्रसार पूरे देश और दूनिया में होगा।

इसे 46 खंडों में रखा गया है। इसमें भिन्न-भिन्न खंडों के माध्यम से, विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर उसके कुलपति, उपकुलपति और विश्वविद्यालय के अनुशासन के संबंध में बताया गया है। यह विधेयक बहुत अच्छा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अभी अनेक वक्ताओं ने इस विचार-विमर्श में भाग लेना है। इसलिए, मैं आपसे निजी तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने वक्तव्यों को अधिकतम चार मिनटों में समाप्त करें। अन्यथा, हम अन्य महत्वपूर्ण मदों को चर्चा के लिए नहीं ले सकेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) महोदय, हमें अधिक समय दिया जाना चाहिए क्योंकि इस मामले पर चर्चा के लिए दो घंटे आवंटित किए गए थे। हमने इस मामले पर अभी एक घण्टा भी, चर्चा नहीं की है। इसलिए हम इस विधान हेतु अधिक समय ले सकते हैं।

सभापति महोदय : निसंदेह, हम आप सभी को अवसर देने का प्रयास करेंगे, परन्तु मैं केवल यही तथ्य प्रकट कर रहा था कि अभी इस मामले पर बोलने के लिए अनेक वक्ता शेष हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं यहां अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक 2006 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

आवश्यकता है शिक्षित, 25 और 40 आयु वर्ष समूह में दक्ष व्यावसायिक, मूल देश की कोई सीमा नहीं, संभवत: अंग्रेजी बोलने वाला – यह किसी वर्गीकृत विज्ञापन जैसे प्रतीत होता है। आप हमारे देश में इस प्रकार का विज्ञापन कहीं भी नहीं देखेंगे। परन्तु पिछले पांच वर्षों में विकसित देशों जैसे अमरीका, यूनाईटेड किंगडम, कनाड़ा और जापान ऐसे विज्ञापन दे रहे हैं, और भारत अपनी अधिक जनसंख्या के कारण बड़ी संख्या में इसका उत्तर दे रहा है। हाल ही में, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड और आयरलैण्ड भी इसमें शामिल हो गए हैं।

वर्ष 2010 तक भारतीयों की मांग अपने शीर्ष पर पहुंच जायेगी। दक्ष अंग्रेजी जानने वाले युवाओं की यह मांग क्यों? स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जीवनकाल में वृद्धि हुई है। परन्तु जब लोग अधिक वर्षों तक जी रहे हैं तो इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि वे अधिक वर्षों तक कार्य कर रहे हैं। सबसे खराब बात यह है कार्यक्षेत्र में उनका स्थान लेने के लिए पर्याप्त युवा नहीं हैं, विशेषकर विकसित देशों में, 60 और इससे अधिक आयु के लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। यह जापान में हुआ है।

युनाईटेड किंगडम को आज कार्यक्षेत्र में युवाओं की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता है, अगले पांच वर्षों में लगभग 500,000। इस जनांकिकीय स्थिति के अनुसार हमारा देश 40 वर्ष से कम आयु की अपनी उच्च जनसंख्या प्रतिशतता के साथ श्रेष्ठ स्रोत बन जाता है। हालांकि पात्र आयु समूह में से केवल 10 प्रतिशत ही कॉलेज शिक्षा प्राप्त करते हैं, अंकों में यह संख्या 72,30,000 हैं। यह भारत की जनसंख्या का वह हिस्सा है जो कॉलेज शिक्षा प्राप्त करता है। अन्य 1,30,000 भारतीय विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज चुनौती उन्हें रोजगार देने की है। यह एक ऐसा अवसर है कि हम संपूर्ण विकसित विश्व में अपने हाथ फैला सकते हैं।

यह मुझे लॉर्ड मैकाले द्वारा 2 जनवरी, 1815 को प्रस्तुत किए गए विचार का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा था "ऐसे व्यक्तियों को श्रेणी तैयार करने के लिए जो रक्त और रंग में भारतीय परन्तु स्वाद, विचारों, नैतिकताओं और बुद्धि में अंग्रेज हों।" अपने अगले कथन में लार्ड मैकाले ने कहा था और यह काफी महत्वपूर्ण है "हमें उस वर्ग पर इस देश की देशी बोलियों को परिष्कृत करने, पश्चिमी नामकरण से लिए गए विज्ञान के अनुरूप उन बोलियों को समृद्ध करने और जन समूह को ज्ञान देन हेतु साधनों हेतु डिग्रियों द्वारा प्रदान करने का दायित्व सौंप देना चाहिए।"

आजादी प्राप्ति के बाद से इन वर्षों में हमने अपने मान-सम्मान को वापस प्राप्त किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमने हमें दी गई भाषा को ही उनके साथ प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयोग किया जिन्होंने इसे हमारे ऊपर थोपा था। यह पराजितों के लिए अन्तिम जीत है। आज यूनाईटेड किंगडम के लोगों की तुलना में ऐसे भारतीय अधिक हैं, लगभग 350 मिलियन जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है, इस हेतु यह अमरीका के निवासियों से भी अधिक हैं।

हम उन ऊंचाईयों पर पहुंच सकते हैं, जिनकी इतिहास में कल्पना भी नहीं की गई होगी। भाषा आज वाणिज्य है; यह विचारों और भावों का मुक्त व्यापार समझौता है। इसीलिए, थोमस, एल फ्रेडमैन ने अपनी किताब 'द वर्ल्ड इज़ फ्लैट' में अपनी भारत की यात्रा की तुलना कोलंबस से की है और बताया है कि कोलंबस ने अपनी योजनारहित यात्रा भारत के लिए प्रारंभ की थी परंतु वह अमरीका पहुंच गया था। फ्रैडमैन ने पूर्वनियोजित यात्रा भारत के लिए प्रारंभ की परन्तु अरमीका पहुंच गए। यह उन पर बंगलौर द्वारा निर्मित असर था।

अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक इसे पूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना चाहता है। केन्द्रीय संस्थान के उत्तरदायित्व कई गुना बढ़ गए हैं और अपने उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। यह अधिक उत्तरदायी बनेगा और मुझे आशा है कि अपनी कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शी भी बनेगा। इस केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के दो क्षेत्रीय केन्द – एक शिलांग और अन्य लखनऊ में भी हैं। अंग्रेजी पढ़ाने के अतिरिक्त, इसने अग्रेंजी पढ़ाने के मानकों में वास्तविक सुधार भी किया है। अरबी/जर्मन/फ्रेंच/रशियन/स्पेनिश में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी दिए जाते हैं। यहां तक कि जापानी भी पढ़ाई जाती है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आने वाले कुछ समय में चीनी भाषा में भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता है, पर्याप्त संकाय सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत का केवल ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो विशिष्टत: विदेशी भाषाओं में शिक्षण और ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भाषा सीखने के अलावा, इनके समाजविज्ञान, इतिहास, मानव विज्ञान और साहित्य इत्यादि की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

अंग्रेजी एक सार्वभौमिक भाषा है परन्तु भाषा के आर्थिक और जनसंख्या नियंत्रक मंडेरियन, स्पेशिन और अरबी जैसी अन्य भाषाओं

का प्रयोग और प्रसार भी कर रहे हैं। इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विधेयक के खण्ड 6, उप खण्ड 11 में एक उपबंध ऐसा भी है। जिसके अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारत या इसके बाहर अनुसंधान और निर्देश के लिए ऐसे कैम्पस, केन्द्रों और विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना की जा सकती है जो विश्वविद्यालय के मत में इसके उद्देश्यों के प्रसार के लिए आवश्यक हों। यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय को देश के विभिन्न भागों में केन्द्र स्थापित करने के अवसर प्रदान करता है। मैं सुझाव दूंगा कि उड़ीसा में अभी तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। पिछले 15 वर्षों के दौरान इस संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी बड़ी संख्या में विदेशों में गए हैं। वे विभिन्न भागों में रंजगाररत हैं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जब भी आप केन्द्रों के विस्तार के बारे में सोचें तो उड़ीसा में एक केन्द्र की स्थापना पर विचार करें क्योंकि वहां सुविधाएँ हैं तथा अन्य अनेक राज्य भी इसका लाभ उठा सकते हैं। उड़ीसा को वरीयता मिनी चाहिए और तदनुसार उड़ीसा में एक केन्द्र भी खोला जा सकता है। इसे भी ध्यान में रखा जाए। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, चूंकि केन्द्र के रूप में पहले स्थापित इस संस्थान को सम विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया था, और अब इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा रहा है।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मैं सरकार को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। इसे समिति विधान अधिनियम के अंतर्गत संस्थान के रूप में प्रारंभ किया गया था। परन्तु इस विश्वविद्यालय ने दायित्वों के निर्वाह द्वारा हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संभवतः इसी के कारण इसे 1973 में सम विश्वविद्यालय बना दिया गया था।

अपराह्न 2.00 बजे

अब इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि चूंकि हम अपने ज्ञान को विभिन्न नए क्षेत्रों में फैला रहे हैं, जोकि हमारी आवश्यकता भी है, हमें अनेक कारणों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में सोचना होगा। यह अच्छी बात है कि भाषा और शिक्षा के विभिन्न अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

भारत विश्व का एक सबसे बड़ा व्यवहारात्मक लोकतंत्र है। हमने इसका दावा किया है और विश्व इसे स्वीकार भी करता है। हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवहारों के लिए कैडरों को प्रशिक्षित करने हेतु कोई संस्थान नहीं है। हम पंचायती राज संस्थानों और उनके अनुभवों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम जानते हैं कि देश में छह लाख पंचायतें हैं और संभवतः यदि आप 12 सदस्यों को लें, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कई मिलियन, पंचायत सदस्य चुने जाते हैं; इनमें से एक-तिहाई महिलाएं होती हैं, हरिजन और जनजातीय पर्याप्त संख्या में होते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें कुछ प्रयोगिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वे उस कार्य हेतु अहम योगदान कर सकें जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर रखा है।

चूंकि अब सरकार कुछ अलग संदर्भों में सोच रही है — भाषा के संवर्धन के लिए आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं — मेरा निवेदन यह है कि लोकतंत्र हेतु प्रशिक्षण कैडर के लिए क्यों न एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना पत्र विचार किया जाए, जोकि आज इस देश के सबसे मुख्य कार्यों में से एक है।

सभापति, महोदय आपने चर्चा के प्रारंभ में सुझाव दिया था कि केरल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। एक काफी प्रतिष्ठि संस्थान है — यदि आप पंचायती राज प्रतिवेदन का अवलोकन करेंगे — त्रिचूर, केरल में लोकतंत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए विशिष्ट संस्थान, किला केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान। संभवतः यही एक कारण है कि केरल में पंचायती राज प्रशासन अधिक लोकतंत्रिक बन गया है, यह लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी, और सफल रहा है जोकि इसी संस्थान के योगदान के कारण है। यह काफी सार्थक है क्योंकि यह, वहां विभिन्न पंचायती राज संस्थानों के लिए चयनित लगभग प्रत्येक को प्रशिक्षित करता है।

इस संदर्भ में, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान जिसे 'किला' के नाम से जाना जाता है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा चूंकि सरकार अब सामान्य प्रचारित प्रयोजनों के अलावा विभिन्न प्रयोजनों हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में सोच रही है।

इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, मैं इसके खुलने और इसके द्वारा किए गए सहयोग की सराहना करता हूं। यह संभवतः आज की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है विशेषकर सार्वभौमिकरण के संदर्भ में, कि हम विश्व को जानते हैं और विश्व को हमारे बारे में अधिक जानने के लिए मिलता है; कि हमारे पास अनुवाद करने के लिए अधिक नियोजित सवंर्ग होना चाहिए, न केवल साहित्य का अनुवाद करने के लिए बल्कि वैज्ञानिक सामग्रियों के अनुवाद हेतु भी।

इसलिए, हैदराबाद स्थित केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान को संकाय की स्थापना के संदर्भ में विचार करना चाहिए, विशेषकर, व्यवसायिक अनुवादकों हेतु बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों के साथ ताकि वे विश्व से ज्ञान को ला सकें ओर हमारे देश तथा विश्वविद्यालय को साथ में जोड़ सकें।

[श्री सी०के० चन्द्रप्पन]

मैं यह दो विशिष्ट सुझाव ही देना चाहता हूं। इसलिए, मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय माननीय मंत्री हमारे द्वारा किए गए प्रस्तावों पर अपने विचार प्रकट करेंगे ताकि इस चर्चा का कुछ अर्थ हो। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो० एम० रामदास (पांडिचेरी) : महोदय, मैं अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मानता हूं कि यू०पी०ए० सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को परित कर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा रही है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को आज इस सम्मानित सदन में यह विधान लाने के लिए बधाई देता हूं।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह विधेयक भारत की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। जैसा कि अनेक वक्ताओं ने का है कि आज भारत विश्व का अभिन्न अंग बन गया है और भारत के लोगों के लिए कहीं अन्यत्र रोजगार खोजने होंगे। अंग्रेजी के ज्ञान के बिना, लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन हो जाता है।

आज, अंग्रेजी वैश्विक भाषा बन गयी है। वस्तुत:, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा हमारी अंग्रेजी की समझ और अंग्रेजी के शिक्षण में प्रतिस्पर्धा से संबंधित होगा। इसलिए, अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान हेतु आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। हैदराबाद स्थित केंद्रीय विदेशी भाषा संस्थान अंग्रेजी की बढ़ती महत्ता के कारण इस पर डाले गए अतिरिक्त उत्तरदायित्व का सामना करने में असमर्थ है। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि इस संस्थान को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पर्विर्तित कर दिया जाए। यह विधेयक बिल्कुल वही करता है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। यह दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह संपूर्ण देश में अंग्रेजी के अध्ययन और शिक्षण में समान मानकों को लाने का प्रयास करेगा। वस्तुत:, यह विशिष्ठ है क्योंकि हम पहली बार विदेशी भाषाओं सहित अंग्रेजी के विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के उद्देश्य परिभाषित किए गए हैं। ये अंग्रेजी के आधुनिक शिक्षण और अंग्रेजी की ज्ञान प्राप्ति सहित शिक्षा की आधुनिक नीति के अनुरूप हैं। इस विधेयक को स्वीकृत करते हुए, मैं इस विधेयक में एक या दो कमियों के बारे में बताना चाहूंगा। इसके खण्ड 5 अनुसार विश्वविद्यालय का उद्देश्य अनुदेशात्मक अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रसार और ज्ञान में वृद्धि करना है। इसमें प्रशिक्षण संदर्भ को छोड़ दिया गया है। प्रशिक्षण अब प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक मुख्य संदर्भ बन गया है। इसलिए, प्रशिक्षण भी विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर आते हैं, इसमें अधिनियम में वर्णित सभी को शामिल किया गया है, इसमें विश्वविद्यालय के मुख्य अधिशिक्षक को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण त्रुटि यह है कि विधेयक के अनुसार न्यायालय और शैक्षिक परिषद का गठन विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार होगा। परन्तु जब हम विश्वविद्यालय के अधिनियम की ओर देखते हैं तो इसमें केवल वित्त समिति का ही गठन दिया गया है। परन्तु ना तो न्यायालय और न ही कार्यकारिणी परिषद और न ही शैक्षिक परिषद् का वर्णन किया गया है। इसे संबंधित उप कुलपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है और यह गठन में अधिक सछन्दता के अवसर उपलब्ध कराएगा।

अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की तरह, उदाहरण के लिए पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम में, स्वयं अधिनियम में ही संविधानिक प्रावधान है कि इन निकायों के सदस्य कौन होंगे। परन्तु इस विधेयक में विश्वविद्यालय के इन तीन महत्वपूर्ण प्राधिकरणों के गठन के बारे में स्पष्ट भूल है। इस संदर्भ का ध्यान रखा जाना चाहिए।

कुलपति की नियुक्ति के बारे में, मैं यह बताना चाहूंगा कि अन्य सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उपराष्ट्रपति ही कुलपति होते हैं। कुलपति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। परन्तु इस मामले में सरकार कहती है कि कुलपति की नियुक्ति इन्हीं नामों के पैनल से की जाएगी।

सभापति महोदय : इस विधेयक में राष्ट्रपति विजिटर हैं।

प्रो० एम० रामदास : मैं भी यही कह रहा हूं। राष्ट्रपति विजिटर हैं। परन्तु कुलपति सामान्यत: उपराष्ट्रपति होते हैं, परन्तु इस विधेयक में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उपराष्ट्रपति कुलपति हैं।

प्रो० एम० रामदास : अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसा है। मैं यही कह रहा हूं। यह विधेयक उपराष्ट्रपति की कुलपति के रूप में नियुक्ति हेतु व्यवस्था नहीं करता है। यह बेहतर होगा यदि उन्हें बताया जाये और उस स्थिति में विश्वविद्यालय का स्तर बड़ा होगा।

सभापति महोदय : इस विधेयक में कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

प्रो० एम० रामदास : यह विजिटर द्वारा न्यूनतम तीन व्यक्तियों के पैनल से किया जाना प्रस्तावित है। मैं यह कह रहा हूं कि कुलपति भारत के उपराष्ट्रपति को होना चाहिए। एक कथन पर्याप्त होगा।

सभापति महोदय : आप संशोधनों का सुझाव दे रहे हैं। यह अब संभव नहीं है क्योंकि इसे राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अब हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते, फिर इसे पुन: वापस राज्य सभा में भेजना होगा।

प्रो० एम० रामदास : महोदय मैं केवल नियुक्ति इत्यादि में निष्पक्षता ईमानदारी और वस्तुपरकता रखने के लिए सुझाव दे रहा हूं।

महोदय डीन ऑफ स्कूल के संबंध में अनुसूची में प्रावधान है जिसके अनुसार रीडर को भी डीन नियुक्त किया जा सकता है। यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में कहीं भी नहीं है। बेहतर होगा कि प्रोफेसर होना चाहिए, वरिष्ठतम प्रोफेसर को डीन होना चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में विभाग का कोई प्रोफेसर या तीन विभागों में से कोई प्रोफेसर होना चाहिए।

विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के लिए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा को वरीयता देनी चाहिए ताकि विश्वविद्यालय के लेखाओं का सही ढंग से रख-रखाव किया जा सके उसे चयन समिति के माध्यम से चयनित नहीं किया जाता जैसा कि विश्वविद्यालय अधिनियम में अपेक्षित है।

अपराह्न 2.13 बजे

[**श्री गिरिधर गमांग** *पीठासीन हुए*]

महोदय, वित्त समिति के बारे में अन्य सुझाव यह है कि न्यायालय को प्रत्येक वर्ष वार्षिक खाते दिए जाने होते हैं, परन्तु इस विधेयक में सरकार कहती है कि वित्त अधिकारी द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वित्तीय अनुमानें को विचारार्थ और टिप्पणी हेतु वित्त समिति के समक्ष रख जाएगा और इसके उपरांत स्वीकृति हेतु कार्यकारिणी को प्रस्तुत किया जाएगा। यह न्यायालय को लेखाओं की प्रस्तुति को छोड़ देता है, जोकि इस विधेयक में अति महत्वपूर्ण चूक है। यह इसलिए है क्योंकि सिनेट या न्यायालय की शक्तियों में से एक यह भी है कि विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं को देखे और इनका अवलोकन करे। परन्तु इस अधिनियम में सरकार न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं का अवलोकन करने की संभावनाओं का निषेध कर रही है। इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस विधेयक में ये कुछ बड़ी खामियां है, जबकि इन्हें भरा जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में किन विदेशी भाषाओं को महत्ता दी जायेगी। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं महसुस करता हूं कि विश्वविद्यालय को व्यवहारात्मक अंग्रेजी, संप्रेषणात्मक अंग्रेजी की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह ही इसे अपनी शिक्षा की सार्थकता शिक्षा में गुणवता पर बल देना चाहिए और अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति। जनजाति के विद्यार्थियों के लिए इसकी पहुंच होनी चाहिए। यह भाषा उन लोगों की पहुंच के अंदर होनी चाहिए जो गरीब हैं, इसे समाज की उच्च्व श्रेणी का प्रभुत्व नहीं बनाना चाहिए। यह प्रत्येक की पहुंच में होनी चाहिए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक अंग्रेजी का संबंध है, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम अंग्रेजी के एक केन्द्रीय संस्थान को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर रहे हैं। परन्तु महोदय, आप जानतें हैं कि एक केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान है, यह 18 भारतीय भाषाओं के लिए एक संस्थान है जिसमें तमिल भाषा को एक प्राचीन भाषा बनाया गया है। इसे प्राचीन भाषा घोषित करने के बाद तमिल के विकास के लिए सरकार ने प्राचीन तमिल के लिए मैसूर में उत्कृष्ठता केन्द्र का निर्माण किया है, तमिल भाषा संवर्धन बोर्ड की स्थापना की है, यह भी कहा गया है कि तमिल विद्वानों और भाषाविदों हेतु अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों सहित उनका सम्मान और उन्हें पुरस्कार दिए जायेंगे तथा प्राचीन तमिल के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले अनुसंधान विद्वानों हेतु शोधवृति दी जाएगी। इसलिए, जब तमिल प्राचीन भाषा बन गई है और इसे केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान में शामिल कर लिया गया है, तो मेरी माननीय मंत्री जी से यही अपील है कि जब आप एक केन्द्रीय विदेशी भाषा संस्थान को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर रहे है, इस केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए, जो क्षेत्रीय भाषाओं की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा और क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास करना आवश्यक है। जन तक क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं होता लोगों का विकास विशेषकार निचले स्तर पर लोगों का विकास संभव नहीं होगा।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं विधेयक की सराहना करता हूं और सभा इसका अनुमोदन करेगी।

[हिन्दी]

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : सभापति महोदय, मैं इस सीट से बोलने की अनुमति चाहता हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में इससे पहले अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, उनकी आवश्यकता और महत्व भी है। किन्तु मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों के निर्माण से पहले जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसकी ओर सरकार द्वारा गौर करना आवश्यक है। जैसा पहले कहा गया हमारे यहां हिन्दी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है लेकिन इसकी स्थापना के बाद वहां की स्थिति बहुत बुरी है। दो साल तक इस विश्वविद्यालय का काम दिल्ली से हुआ और हमें एक और विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय, जिनकी पहले स्थापना की गई है, उनकी स्थिति में सुधार करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। यहां अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का विश्वविद्यालय बहुत आवश्यक है इसकी वजह से बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा और देश की तरक्की भी होगी। लेकिन इसके साथ हमारी राष्ट्रभाषा का जो महत्व है, वह कम नहीं होना चाहिए। इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी हैं विश्व के अन्य देश अपनी भाषाओं

[श्री सुरेश वाघमारे]

पर गर्व महसूस करते हैं जबकि वे दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हमने भी अपने देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया है, सरकार ने कई स्थानों पर जैसे बैंकों, प्रशासकीय व्यवस्था आदि में भी हिन्दी को अपनाना जरूरी समझा है लेकिन आज भी इतने सालों बाद हम सही मायने में हिन्दी को नहीं अपना पाए हैं। हम एक तरफ विश्वविद्यालय का सपना देखते हैं और दूसरी तरफ हिन्दी को इस तरह से देखते हैं, यह सही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इससे पहले के जो भाषा विश्वविद्यालय हैं, उन्हें जरा ठीक ढंग से देखें और अमल करें तब ही हम आगे कदम बढ़ाएं। सरकार अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के विश्वविद्यालय की तरफ अग्रसर होती जा रही है लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी विश्वविद्यालय, जो वर्धा में बना है, उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि सभी भाषाओं के अध्ययन के साथ हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व कम न हो, हमें इस ढंग से कारगर कदम उठाना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा० बाबू राव मिडियम (भद्राचलम) : सभापति महोदय, केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, यह विश्वविद्यालय एक मानद विश्वविद्यालय है और यह अंग्रेजी के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के विकास के लिए अति उत्तम सेवा प्रदान कर रहा है। मानद विश्वविद्यालय की हैसियत में यह न केवल शिक्षण और भाषागत कौशल में सेवाओं का प्रसार कर रहा है, बल्कि आल इण्डिया रेडियो और अन्य दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से बोलचाल की भाषा और शब्दावली का प्रसार भी कर रहा है। यह अपनी शिक्षा का प्रसार कर रहा है और वह शिक्षा बहुत सरल ढंग से अंग्रेजी संस्कृति के विचारों का गैर अंग्रेजी संस्कृति वाले अन्य भागों में संप्रेषण कर रहा है।

जैसाकि हम सभी जानते है, भाषा दो रूपों में विद्यमान है। प्रत्येक भाषा का एक बोलचाल स्वरूप और दूसरा लिखित स्वरूप होता है। अंग्रेजी में 26 वर्ण होने के कारण, इस भाषा को सीखना बहुत आसान होता है और सभी लोगों की जरूरत के लिए इसका निरंतर प्रसार हो रहा है। यद्यपि हम हिन्दी को राष्ट्र भाषा कहते हैं, किन्तु इसका प्रसार बहुत सीमित हैं क्योंकि असकी लिपि देवनागरी है और बोलचाल का स्वरूप अन्य भाषा है। लेकिन जहाँ तक अंगेजी भाषा का संबंध है, यह बहुत सरल है।

यदि आप स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखें, तो तब हमारे नेताओं ने इसकी तानाशाही संस्कृति के कारण इतना अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था जो हम पर लादी गई थी। लेकिन अब एक भाषा के रूप में अंग्रेजी एक बहुत अच्छी भाषा है, जो व्यापार और वाणिज्य तथा राजनीति में और विश्व भर में सभी प्रकार की जीवन पद्धतियों की जानकारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इसीलिए, यद्यपि देर से ही सही लेकिन मानद विश्वविद्यालय को पूर्ण केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विधेयक में शामिल करना एक अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूं। अब, समय तेजी से बदल रहा है। इस वैश्विक परिदृश्य में, हमे इस भाषा को बहुत जल्दी सीखना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ यह विधेयक एक अच्छा आधार प्रदान करेगा। स्वतंत्रोत्तर भारत में, अंग्रेजी के साथ-साथ अब चीनी, जापानी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनी अरबी इत्यादि भी मानद विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है और अब यहि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है, तो हमारे पूरे देश में यह अधिक उपयोगी हो जाएगा। इस विधेयक में ऐसे उपबंध है कि लखनऊ और शिलौंग के साथ-साथ, प्रत्येक संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबंद्ध एक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। इसलिए, मैं प्रत्येक राज्य में इस की सी०आई०ई०एफ०एल० विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध, मान्यता प्राप्त करने के लिए एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय मैं दो या तीन सुझाव देना चाहता हूं। पृष्ठ संख्या 11 पर कृपया खण्ड 25 और 36 देखें। कर्मचारियों की सेवा की शर्तो में कर्मचारियों के बीच विवाद और छात्रों के विरूद्ध निरंकुशता और अनुशासनहीनता के मामले में, ये दो पैरा समान अनुशासनिक कार्यवाही बता रहे हैं। यहां, मैं कर्मचारियों के बीच विवाद से निपटने और छात्र समुदाय के बीच विवादों से निपटने के लिए अलग माध्यस्थम तंत्र का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ।

पृष्ठ 27 पर विश्वविद्यालय के छात्रो में अनुशासन बनाए रखने के लिए 28वें यह प्रस्ताव है कि उप-कुलपति दबाव डाल सकता है, विश्वविद्यालय से निकाल सकता है, अस्थायी निष्कासन कर सकता है और एक विशिष्ट राशि का जुर्माना लगा सकता है और बहिष्कृत भी कर सकता है। इन दण्डों के साथ-साथ यह प्रस्ताव किया जाता है कि ली गई परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। यहाँ, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अंतिम पैरा में प्रयुक्त शब्द "परीक्षा रद्द की जा सकती है। को इस विधेयक से हटा दिया जाए"।

विधेयक के खण्ड 31 में बैठकों में कार्यकारी अध्यक्ष का उल्लेख है। कई समितियां और निकाय हैं। इन सबमें से, निर्वाचित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी भी सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। अतः मैं यह सुझाव देता हूँ कि इस वाक्य की पुनः संरचना इस प्रकार की जाए "इसके गठन की प्रथम बैठक को छोड़कर"। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ इससे अध्यक्ष के चुनाव

से बचा जाएगा। इसलिए, मैं यह सुझाव देता हूँ कि हमे इसकी इस प्रकार पुनः संरचना करनी चाहिए इसके गठन की प्रथम बैठक को छोड़कर''।

पृष्ठ 28 पर, खण्ड 37 छात्र परिषद से संबंधित है। अध्ययन, खेल-कूद गतिविधियों में योग्यता प्राप्त और व्यक्तित्व के सर्वांगिण विकास के आधार पर अकादमिक परिषद द्वारा 20 छात्र मनोनीत किए जाने होते हैं। यहां, मैं यह कहना चाहता हूँ कि परिषद में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताओं में सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यकलापों को भी लिया जा सकता है। अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

डा० सिबैस्टियन पाल (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, जब संसार 'विश्व ग्राम' की अनन्य अवस्था में सिमट रहा है, विदेशी भाषाएं सीखने की अहमियत और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। भाषा के माध्यम के रूप में और शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी को शुरूआत के बिना भारत का प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में विकसित होना संभव नहीं होता। वास्तव में, हमें इसके लिए लार्ड मैकाले को धन्यवाद देना चाहिए। आज, हमें अंग्रेजी और विदेशी भाषाएं अधिक कार्यशील और सार्थक ढंग से सीखनी चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में, अंग्रेजी विश्व भर की भाषा हो गई है और साइबर दुनिया में यह जन-जन की भाषा है। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, अंग्रेजों के देश में यानी इंगलैण्ड में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या से अधिक है। भारत में हम सुएज के पूर्व में अच्छी अंग्रेजी सुन सकते हैं। इंग्लिस, जो हमारी इंग्लिस है, महारानी की इंग्लिस को पीछे छोड़ रही है। हैदराबाद संस्थान जिसने अच्छे अंग्रेजी शिक्षण में प्रशंसनीय सेवा की है, केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मैं इस विश्वविद्यालय का भविष्य देख सकता हूं, यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का महत्वपूर्ण केन्द्र बन सकता है। मैं भी सुझाव देता हूँ कि उन विदेशी भाषाओं में अरबी को भी अधिक स्थान और महत्व दिया जा सकता है क्योंकि अरब देशों से हमारे अच्छे संबंध और अच्छे संपर्क हैं और हमारे बहुत से युवा अपनी आजीविका और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अरब देशों में जा रहे हैं।

इन शब्दों और सिफरिश के साथ, मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम): महोदय, मैं केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं।

मैं इस विधेयक में किए जा रहे सभी प्रस्तावों से सहमत हूँ और मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो मुझे लगता है, महत्वपूर्ण हैं। इस विधेयक को पारित करते समय सरकार को इन मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए।

भारत में विदेशी भाषाओं का इतिहास बहुत पुराना है और इस पक्ष पर ज्यादा रूकना नहीं चाहता। लेकिन, साथ-साथ, लेकिन जहां तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के संबंध है, यह संतोषजनक नहीं रहा है। हमें एक बेहतरीन भाषा की आवश्यकता है। एक भाषा को बोल लेना एक अलग बात है लेकिन किसी भाषा विशेष का पूर्ण ज्ञान अलग बात है।

भारत में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। जब भारत सरकार 'पूर्व की ओर देखो' नीति के बारे में बात कर रही है, मुझे लगता है कि भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। आज, भूमण्डलीकरण के दौर में, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को निर्धारित करने में मण्डारिन भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

महोदय, भारत के पास एक विशाल कार्य बल है, लेकिन वह अंग्रेजी भाषा में ही सीमित है। बेशक, भाषा को बोलने वालों की संख्या और इसके महत्व के संदर्भ में अंग्रेजी एक प्राथमिकता है। मैं पूर्वोत्तर भारत से हूं। जब हम 'पूर्व की ओर देखिए' नीति की बात करते हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर जा रहे हैं तो हमें पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं के विकास और उन भाषाओं की वाक गुणवत्ता की ओर भी देखना चाहिए। उदाहरणार्थ, हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री पी चिंदम्बरम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और मैं चाहता हूं कि सब लोग उनकी तरह बोलें।

इसके बाद हमें फ्रांसीसी जर्मन और जापानी जैसी अन्य विदेशी भाषाओं को भी अपने देश में महत्व देना चाहिए। मैं मण्डारिन के विकास पर बल देना चाहता हूं, जो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी भाषा है। अमरीका और यूरोप में चीनी भाषा भण्डारिन सीखने वाले छात्रों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग पिछड़ रहे हैं और अपनी इस कमी के लिए हमें भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार देश में भण्डारिन के विकास की दिशा में सुदृढ़ता से कदम उठाए।

जहां तक पूर्वोत्तर में संस्थानों की स्थापना का संबंध है हमारे यहाँ जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों जैसे संस्थान भारत के कुछ अन्य शहरों में नहीं है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसे संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी स्थापित किए जाए जो हमारे देख में बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र है। जब हम हैदराबाद में यह संस्थान स्थापित कर रहे हैं, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि पूर्व भारत और पूर्वोत्तर को उचित महत्व दिया जाए। उदाहरण के लिए, हमारा राज्य अरूणाचल प्रदेश और चीन के लिए प्रवेश-द्वार है और इसलिए हमारा राज्य बहुत महत्वपूर्ण है।

[श्री कीरेन रिजीजू]

आखिर में, मेरे एक साथी ने कहा था कि इस संस्थान की स्थापना के साथ हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्थान नीचा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि विदेशी भाषाओं को महत्व देने से हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्व कम हो जाएगा।

इन चन्द शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक के हर शब्द का समर्थन करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदय, मैं अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे अभी पूर्व सम्मानित सदस्य ने कहा कि यह बात सत्य है कि पूर्व में आदिकाल में, चाहे वह नालंदा या तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे यहां रहा हो, जहां तमाम विश्व से, अन्य देशों से लोग पढ़ने आते थे, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या पिछले वाले में देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी का अपना एक अलग महत्व है। जहां पर 17000 विभिन्न देखों के छात्र आज भी पढ़ते हैं और वहां की प्रतिभा कितनी जबरदस्त है। वहां का एजुकेशन इतना अच्छा है कि आज पूरे विश्व को कम से कम 25 प्राइम मिनिस्टर उस ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ने दिए हैं। इस प्रकार से जिस मंशा को लेकर माननीय मंत्री जी इस विधेयक को यहां लेकर आए हैं, उसमें हमारी मंशा भी पूरी होनी चाहिए।

हमारी मंशा भी इसमें पूरी होनी चाहिए कि अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 की स्थापना हैदराबाद में कर के उसकी एक शाखा शिलांग एवं एक शाखा उत्तर प्रदेश में खोली जा रही है। इसका मैं स्वागत और समर्थन करता हूं। जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है, अभी एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, यह बहुत अच्छी बात हैं मुझे याद है कि पहले से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम भाषाओं का पठन-पाठन होता है और हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो वहां से आई.एफ.एस., आ.ए.एस. या आई. पी.एस. कर के निकले हैं और देश तथा विदेशो में नौकरियां कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ सम्माननीय सदस्यों के विचार आए, इस विश्वविद्यालय के खुलने से देश के बहुत से छात्रों को विदेशी भाषाएं सीखने को मिलेंगी। हमारे छात्र क्षेत्रीय भाषाएं एवं अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के माध्यम से अन्य भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे और उसे प्राप्त करने के बाद विदेशों में अपने दूतावासों में अथवा अन्य दूतावासों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए सरकार के इस कदम का हमें स्वागत करना चाहिए।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस कदम को रोजगार-परक बनाना चाहिए। इस शिक्षा को रोजगार से जुड़ी हुई शिक्षा के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र पढ़कर निकलें और उन्हें विदेशों में अथवा अपने देश में तुरन्त रोजगार मिल जाए। अभी यहां अपने देश और विदेश की बात कही गई। यह बात सत्य है कि हिन्दुस्तान के लोग आज भी विदेशों में बड़ी तादाद में हैं। हमारे सम्माननीय सदस्य श्री कैलाश जोशी जी यहां उपस्थित हैं, उन्हें मालूम होगा कि जब हम विदेश यात्रा के दौरान बहरीन बेस पर थे, तब वहां पूर्वांचल के बहुत लोग थे और वे भोजपुरी बोल रहे थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग थे। विदेशों में बहुत अप्रवासी भारतीय हैं। हम ग्रीस गए थे। वहां भी करीब 32 हजार की संख्या में भारतीय हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे वहां की लोकल भाषा नहीं जानते हैं और उनमें ज्यादातर पंजाब के लोग हैं। वहां की लोकल भाषा नहीं जानना उनके लिए एक बड़ी समस्या है। यहां इस प्रकार की भाषाएं सीखने की सुविधा मिलेगी जिससे उन भाषाओं को लोग सीख सकेंगे तथा जिन देशों के साथ हमारे आपसी संबंध अच्छे हैं और उन देशों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। मैंने देखा है कि हमारे यहां के लोग जब विदेशों में जाते हैं, तो हिन्दी बोलने में शर्माते हैं।

महोदय, जब 1985 में मैं उ.प्र. विधान सभा का सदस्य था, तब मैंने देखा कि एक रशियन डेलीगेशन भारत आया था। उसमें वहां के कल्चरल एवं सांस्कृतिक मंत्री भी थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने एक भी शब्द अंग्रेजी में नहीं बोला। वैसे उनके साथ कई दुभाषिए थे और उनकी बातों का अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में इंटरप्रिटेशन हो रहा था, लेकिन उन्होने सभी भाषण एवं बातें रूसी भाषा में कहीं, अंग्रेजी में एक शब्द भी वे नहीं बोले। अब सवाल यह है कि अगर हमारे यहां के लोग विदेशों में जाते हैं, तो वे अपनी भाषा हिन्दी बिलकुल नहीं बोलते। संपूर्ण बातचीत अंग्रेजी में ही करते हैं। हिन्दी बोलने में शर्माते हैं। जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, वे अंग्रेजी में बोलकर अपने को सुपीरियर समझते हैं और अंग्रेजी बोलना अब एक फैशन जैसा हो गया है। अब जब हम अन्य भाषाओं को प्राथमिकता देने जा रहे है, तो जरूरत इस बात की है कि अपने देश में हिन्दी को प्राथमिकता देकर इसे देश की प्रथम भाषा घोषित करें और कड़ाई से लागू कराएं। हिन्दी बोलने वालों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

महोदय, मैं अन्त में ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना कहकर ही अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर विचार करे और उन्हें लागू कराए। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : महोदय, मैं आज अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

जैसा कि इस विधेयक से स्पष्ट है, यह पहले ही संपन्न हो चुका है, क्योंकि यह राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। हम संशोधन भी नहीं ला सकते। यह अधिकांशतः इस संस्थान के प्रशासनिक भाग में आता है कि इस संस्थान का 1973 में मानद विश्वविद्यालय और अब 2006 में एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव के पीछे जो सोच है उसकी रूपरेखा नहीं दी गई है। यह सर्वविदित है कि हमारी शिक्षा का स्तर बहुत भिन्न है। ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यालयों में अंग्रेजी नहीं पढ़ायी जाती। यह हमारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ायी जाती है। अधिकांश महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। आज भी हम देखते हैं कि देश में हमारे युवा स्वयं को किसी भी भाषा में व्यक्त करने में असमर्थ है। अंग्रेजी को छोड़ो, यदि वे अपनी मातृभाषा में भी कुछ लिखते हैं तो वे स्वयं अपनी लिखावट नही पढ़ पाते। जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो इतने खराब ढंग से और अव्यवस्थापूर्वक पढ़ाई जाती है कि बोली जाने वाली भाषा और उसके अर्थ में कोई साम्य नहीं होता है। यह बात इस विधेयक में प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि इस विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी धनराशि खर्च की जाएगी।

तथापि यह विधेयक हमें नहीं बताता कि विश्वविद्यालय के विभाग के अध्यापकों, प्राध्यापकों के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता है। क्या वे दूसरे स्कूलों और कॉलेजों के अध्यापकों की तरह ही होंगे या वे विशेष योग्यता वाले अध्यापक होंगे? पढ़ाने के लिए आवश्यक है कि पहले अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए कि भाषा कैसे पढ़ायी जाए। संसद की अपनी भाषा समिति भी है जो देश भर के सभी कार्यालयों समेत ऐसे संस्थानों का दौरा भी करती है जो इस देश में अनुसंधान करते हैं। यह उन्हें सभी कार्य हिन्दी में करने के लिए बाध्य करती है और वे इसका मजाक बनाते हैं। इन सभी कार्यालयों में एक छोटा ब्लैकबोर्ड होता है और इसमें केवल एक शब्द हिन्दी में लिखा होगा, और यह होगा ''हिन्दी में आज का शब्द '' और अंग्रेजी में लिखा होगा जैसे ''थैंक्यू'' और इसके लिए लिखा जाएगा ''धन्यवाद''। हम क्या कहना चाह रहे है? हम कहना चाह रहे हैं कि हर कोई अंग्रेजी जानता है और एक अंग्रेजी के माध्यम से ही हिन्दी सीखते हैं। ये प्रस्ताव मुझे बहुत अप्रासंगिक और बचकाना लगते हैं क्योंकि उनमें कुछ अधिक दम नहीं रह गया है।

यह विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और इसकी शाखाएं शिलांग और लखनऊ में होंगी, जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं धारा 6, उपधारा 10 और 11 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह कहा गया है कि इसका विस्तार किया जा सकता है। इसके विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है ताकि देश के सभी भागों के व्यक्ति ऐसे संस्थानों से लाभान्वित हो सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके गृह राज्य के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुझे आपका गृह राज्य बहुत अधिक लुभाता है। उड़ीसा ने देश के विकास में सदैव योगदान किया है। इसने ऐसा अतीत में भी किया है। किराए भाड़े को तर्कसंगत बनाकर यह ऐसा अभी भी कर रहा है कि भले ही यह उड़ीसा में हमारी खानों और खनिज संपदा के दोहन के लिए बड़े और शक्तिशाली लोगों द्वारा उद्योगों की स्थापना का ही मामला हो लेकिन वस्तुतः यदि हम राज्य को देखें तो राज्य के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने उड़ीसा का दौरा किया था तो कहा था कि उड़ीसा में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के जगह आई०आई०एस०ई०आर० स्थापित किया जाएगा जो एक उच्च शिक्षा संस्थान होगा जो उस राज्य के लोगों की क्षमता बढ़ाएगा, केवल उस राज्य की ही नहीं यह केवल भौगोलिक सीमाओं से ही बंधा हुआ नहीं होगा — बल्कि यह देश के सभी भागों को लाभान्वित करेगा। लेकिन, अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप मेरा मानना है कि उड़ीसा को भी उपयुक्त महत्व मिलना चाहिए। जब आप ऐसा संस्थान हैदराबाद में स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक आई०आई०एस०ई०आर० या भाषा संस्थान उड़ीसा में भी स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए जो राज्य के लोगों की क्षमता बढ़ाएगा।

अब, इस सरकार को क्या करना चाहिए? हमारी विशाल जनसंख्या के संबंध में हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा श्रमशक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति मानता है हमारी श्रमशक्ति अयोग्य है। अब ऐसा नहीं माना जाता है कि भारत में उद्योग की स्थापना से यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध हो सकेगा। इसका कारण है; अकुशलता के और समय पर सही ढंग से काम करने के हमारी अयोग्यता।

अतः, हमें अपनी श्रमशक्ति को प्रशिक्षित करना है और हमें उन्हें योग्य बनाना है। भाषा एक सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम हमारी श्रमशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सशक्त, योग्य और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकता है।

हमें मानना पड़ेगा कि यद्यपि अनेक भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, किंतु फिर भी अधिकांश अध्यापकों और इसी तरह विद्यार्थियों का भी उस भाषा पर नियंत्रण नही है और इस तरह इस लाभ से वंचित होने पर भारत में गरीब विद्यार्थी कार्पोरेट क्षेत्र में आतिथ्य सत्कार से जुड़े व्यवसाय में गैर-प्रतिस्पर्धात्मक रहते हैं।

महोदय, यह कहा गया है कि हिन्दी महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में, हम हिन्दी का सम्मान करते हैं लेकिन केवल हिन्दी हमारे देश की सारी समस्याओं को हल नहीं कर सकती। यह केवल एक भाषा है। सभी भाषाएं समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हें बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। महोदय, मेरी और आपकी भाषा उड़िया, संस्कृत से व्युत्पन्न नहीं है जैसा कि अनेक लोग सोचते हैं। यह पाली से व्युत्पन्न है। एक प्राचीन भाषा होने के कारण आपको इस भाषा को संचार के माध्यम के रूप में विकसित करना चाहिए।

[श्री तथागत सत्पथी]

महोदय, मैं आखिरी बात पर आता हूं। अन्त में, मैं कह सकता हूं कि यद्यपि इस संस्थान में अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तथापि इस विधेयक में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि इस संस्थान में दूसरी कौन-सी भाषाएँ पढ़ाई जाएंगी। अत:, भारत की भावी पीढ़ी को योग्य बनाने हेतु, युवा लड़के लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति-स्पर्धात्मक बनाने हेतु, हमें उन्हें स्पेनिश, फ्रेंच, मंडारिन, जापानी और अरबी भी सिखानी होगी क्योंकि हमारे माननीय सदस्य जो केरल से हैं जानते है कि उनके मतदाता दुबई, बहरीन और कतर जाते हैं। अत: हमें अरबी भी सिखानी चाहिए। लेकिन इन बातों का विशेष उल्लेख होना चाहिए। यह केवल प्रशासनिक कदम है जिसमें तय किया गया है कि कौन क्या करेगा। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं यहाँ अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं और उनके साहित्य के प्रोत्साहन और विकास के लिए और उनसे संबंधित अथवा आनुषंगिक सामग्री प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है।

महोदय, मैं यह कहते हुए शुरू करता हूं कि यदि भारत में मतभेद था तो केवल भाषा के ऊपर। उत्तर-दक्षिण विभाजन निश्चित रूप से था। वास्तव में अब ऐसा समय आ गया है जिससे मतभेद कम हो गए है और कारण यह है कि दक्षिणी राज्य बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेजी भाषा के कारण दक्षिण का विकास हुआ है और यह समझ उत्तरी भारत में थोड़ी देर से आयी है।

अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक स्कूल देश में हमेशा से रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं कि उत्तरी भारत में गांवों में भी अंग्रेजी माध्यम है जहां मुख्यत: हिन्दी में शिक्षा दी जाती थी। यहां तक कि मेरे छोटे से गांव में भी अंग्रेजी माध्यम के दो स्कूल हैं और उन्हें सरकारी स्कूलों पर वरीयता दी जाती है। इसी कारण भारत आज इस स्थिति में है। भारत को चीन से बेहतर लाभदायक स्थिति इसी कारण से है। लोग हमेशा हाथी और ड्रैगन की दौड़ के बारे में बात करते हैं। यदि हाथी ड्रैगन से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो यह अंग्रेजी भाषा के कारण ही है। मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि विश्व में कोई कंप्यूटर भाषा है तो यह अंग्रेजी ही है। यह बात हमारे लिए निश्चित रूप से लाभदायक है।

जब मैं जापान में था, सौभाग्य से मैं उनके पूर्व प्रधानमंत्री से मिला। जब वे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारत के लिए यह लाभदायक स्थिति है। मैं आई०टी० को 'इन्फार्मेशन टैक्नोलॉजी' नहीं बल्कि 'इंडिया टैक्नोलॉजी' कहता हूँ।

मैं यह भी कहूंगा कि यद्यपि यह विधेयक देर से लाया गया है लेकिन मेरा मानना है कि यह सही दिशा में है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विधेयक हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की कीमत पर नहीं लाया गया है। इसी तरीके से हम भारत को सुपर इकोनामिक पावर बना सकते है। जैसा कि गोल्डमैन सच ने बहुत सही कहा है कि भारत 2025 में आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है; और 2050 तक भारत चीन और अमेरिका आर्थिक महाशक्ति होंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में यह विधेयक मद्द करेगा। यह हमें बड़ी ऊंचाई प्रदान करेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : आप बीच में इतनी बार बोलेंगे तो मैं हिन्दी में बोलने लगूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लंबा भाषण मत कीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। अभी हमारी पार्टी के पांच मिनट बाकी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आज प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो गई है कि हमें इस भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस विधेयक में, हमने अंग्रेजी भाषा के बारे में बात की है तथा अन्य विदेशी भाषाओं को महत्व नहीं दिया है, जो कि हमें एक या दूसरे से करना चाहिए।

हर यूरोपीय देश में, विद्यार्थियों के लिए दो विदेशी भाषा सीखना अनिवार्य है। अत: महोदय, यदि यह सभी यूरोपीय देशों में अनिवार्य है तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी के साथ ही सभी अन्य भाषाओं, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 में यह अवश्य ही होना चाहिए। यह केवल अंग्रेजी के लिए ही नहीं होना चाहिए; क्योंकि हम अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। हम अच्छी अंग्रेजी बोलते रहे हैं; हम अधिकांश यूरोपीय देशों से बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। किंतु साथ ही हमें चीनी और जापानी भाषाएं भी सीखनी चाहिएं। वे देश और उनकी भाषाएं भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि अंग्रेजी और विदेशी भाषा के लिए जो अलग से विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ऐसे बिल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन इसके साथ-साथ अपने विचार भी रखना चाहता हूं। वैसे तो सामान्यत: जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश के नौजवानों ने आजादी के लिए प्राणों की बाजी लगाकर हिन्दुस्तान को आजाद कराने का काम किया। भारतीय संविधान की रचना हुई, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े विद्वानों ने सर्वसम्मति से तय किया कि हिन्दी भाषा हिन्दुस्तानभर की राष्ट्र भाषा होगी। इसे राजभाषा का सम्मान दिया गया और हिन्दुस्तान के कोने-कोने में हिन्दी की आवाज बुलंद की गयी। लेकिन आज हमारे देश को आजाद हुए 50 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। हिन्दी राजभाषा तो जरूर है, लेकिन वह कागज तक सीमित है। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों में हिन्दी सप्ताह मनाया जाता है। हिन्दी को प्रमोट करने की बातें चलती हैं, लेकिन जब कानून बनाकर किसी चीज को लागू करने की बात आती है, तो यहां अंग्रेजी हमें पछाड़ने का काम करती है। हमारे देश में हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मालवीय जी ने वाराणसी में की, जो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हिन्दी को बढ़ावा देने वाले लोग, हिन्दुस्तान में हिन्दी को मजबूत देखने वाले कहां चले गये, कहां चली गयी उनकी विचारधारा? हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद विदेशी लोगों का कर्जा खाते-खाते हमारी बुद्धि विदेशी लोगों की तरफ बढ़ती जा रही है।... (व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, यह हंसने का कतई बात नही है। आज वैश्वीकरण का युग है। संचार माध्यमों ने देश की सीमाएं बढ़ा दी हैं। पूरा विश्व एक पैमाने पर आ गया है। यह बात सही है कि अंग्रेजी भाषा पूरे विश्व के पैमाने पर बोली और समझी जाती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी जाने बिना कोई देश प्रगति नहीं कर सकता? क्या जापान, कनाडा, चाइना ने प्रगति नहीं की? अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि कई ऐसे देश हैं जो औद्योगिकरण के युग में लगातार कम्पीटिशन में आगे जाने का काम कर रहे हैं। चाइना ने पूरे विश्व में अपनी ताकत और लेबर की बदौलत अपनी धाक जमायी। हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े उद्योगपति भी चाइनीज प्रोडक्ट्स से थरथर्रा रहे हैं। इस संबंध में, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं कि कानपुर और उन्नाव के बाजारों में जब चाइना की चप्पल आयी, तो उन्नाव में चमड़े के कारीगर जो हैं, प्लास्टिक की चप्पल बनाने वाले कारीगर हैं, उनकी दुकानों के शटर गिरने का समय आ गया। चाइना में अंग्रेजी नहीं है। वहां केवल चाइनीज और लोकल लैंग्वेज बोली जाती है।

हम माननीय मंत्री जी का ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। वे हमारे साथी हैं। सदन का सम्मान करते हुए, अपने दिल की भावना को व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा बढ़े, लेकिन हिन्दी की कीमत पर अंग्रेजी का बढ़ना कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें विदेशों में अपनी बात को रखना है। विदेशों मंच पर अपनी संस्कृति को, अपने उद्योगों की प्रगति को मजबूती के साथ रखना है, इसलिए हमें अंग्रेजी भी सीखनी है। लेकिन अंग्रेजी ऐसी हो, जो गुणवत्ता के साथ हो। हमारे कई साथी अंग्रेजी बोलते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, लेकिन हम कहते हैं कि अगर अंग्रेजी बोलनी है, तो उसमें व्याकारण का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। टूटी-फूटी अंग्रेजी से बोलने से अपनी मातृभाषा बोलना ज्यादा अच्छा है। मातृभाषा में कोई बात कहने में बुराई नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बड़े गौर से मेरी बातें सुनीं। हिन्दी को सम्मान देते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी : आज बड़ी खुशी का दिन है। मैं कोई चार मर्त्तबा से एमपी हूं। मैंने बहुत सारे बिल को सदन में पास होते हुए देखा है, लेकिन जितना समर्थन सभी तरफ से इस बिल को मिला है, वैसा बहुत कम देखने को मिला है। मैं समझता हूं कि तालीम के मामले में, शिक्षा के मामले में शायद पूरा हिन्दुस्तान एक है। जितनी शिक्षा हम ले सकें, वही दुनिया में तरक्की का रास्ता है। अगर तालीम की चाभी, शिक्षा की चाभी हमारे पास रहेगी, तो दुनिया की हर तरक्की का दरवाजा हम उससे खोल सकते हैं। आज की इस खास डिबेट में 16 सांसदों ने भाग लिया है। मै। उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। सभी ने इस बिल का समर्थन किया, इसके लिए भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।

जिस समय हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उस समय सिर्फ 20 यूनीवर्सिटीज हुआ करती थी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान में तकरीबन 357 यूनीवर्सिटीज हैं। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, उस समय पूरे हिन्दुस्तान में स्टेट और सैंट्रल यूनीवर्सिटी मिलाकर 20 यूनीवर्सिटीज हुआ करती थीं। लेकिन आज इस बिल से पहले 20 सैंट्रल यूनीवर्सिटी, उस जमाने में यानी 1947 में 500 कालेज थे, आज खुशी की बात है कि हिन्दुस्तान में 18000 कालेजेज हैं और तकरीबन 105 लाख स्टूडैंट्स उसके अंदर तालीम हासिल करते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

तकरीबन 4.72 लाख हमारे टीचर्स वहां पढ़ाते हैं, लेकिन यह सब होने के बाजजूद भी आज अगर आप हायर एजुकेशन में इन्वाल्वमेंट

[श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी]

देखें तो यह मात्र 8.14 प्रतिशत है। इसलिए अब हमें जो भी कदम हमें उठाना है, आगे की तरफ बढ़ना है ताकि हम जो दुनिया की जरूरतें हैं, उनको पूरा कर सकें। यही वजह है कि अगर आप इतिहास में जाएं तो जब वर्ष 1958 में यह इंस्टीट्युट खुला था, तो उसका नाम सेन्ट्रल इस्टीट्युट ऑफ इंगलिश रखा गया था। हमारे साथी मोहन सिंह जी इस समय सदन में नहीं है, उन्होंने कहा कि इसमें इंगलिश शब्द क्यों रखा गया है। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो यह एक इंगलिश इंस्टीटयुट के रूप में शुरू हुआ था। वर्ष 1972 में इसे सेन्ट्रल इंस्टीटयुट ऑफ इंगलिश एण्ड फॉरने लैंग्वेजेज नाम दिया गया, लेकिन तब भी यह इंस्टीटयुट की ही शक्ल में बना रहा। यूजीसी एक्ट. 1956 के सेक्शन 3 के तहत वर्ष 1973 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह जानकारी चाही है कि आखिर इस संस्थान में केवल अंग्रेजी ही क्यों पढ़ाई जाती है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। वहां अभी भी अरेबिक, फ्रेंच, जर्मन, जैपेनीज, रशियन और स्पेनिश लैंग्वेजेज पढ़ाई जा रही हैं। जहां तक माननीय सदस्यों का यह प्रश्न है कि क्या इसमें लैंग्वेजेज की संख्या बढ़ाई जा सकती है या नहीं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस बिल में प्रावधान है कि यूनिवर्सिटी इस बात के लिए आजाद है कि वह किस तरह के कोर्सेज चलाना चाहती है, कौन-कौन सी लैंग्वेजेज पढ़ाना चाहती है। वह डिमाण्ड के हिसाब से इन लैंग्वेजेज की संख्या को बढ़ा सकती है। यहां पर कहा गया है कि क्या वहां ट्रेनिंग के लिए भी इंतजाम होगा, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। दरअसल इस इंस्टीटयुट को यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत इसलिए हुई कि इसका दायरा बढ़ाया जा सके। आज हमारे पास इस इंस्टीट्युट के केवल दो कैम्पसेज, एक लखनऊ में और दूसरा शिलौंग में हैं। जैसा कि उड़ीसा से मांग आई और कई अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसका एक्सैंशन होना चाहिए, तो अब यूनिवर्सिटी को यह अख्तियार होगा कि वह डिमाण्ड के हिसाब से हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने कैम्पसेज खोल सके। इसीलिए आज इसे ज्यादा ताकत देने की जरूरत महसूस की गयी। यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद इस संस्था में पार्लियामेंट का दखल होगा। जब यह यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो प्रेजिडेण्ट ऑफ इंडिया इसके विजिटर होंगे और आप में से कोई भी माननीय संसद सदस्य यहां खड़े होकर इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मांग सकेंगे। यह बात सही है कि आज वहां विद्यार्थियों की जो संख्या है, उनमें सिर्फ 300 छात्र मास्टर डिग्री और पीएचडी प्रोग्राम्स में हैं, सिर्फ 700 स्टुडेंट्स मोड में है और 650 स्टुडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जब यह यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो इसका एक्सपैंशन बड़े पैमाने पर हो सकता है। आज जो रिक्वायरमेंट है, आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, आज दुनिया में मुख्तलिफ जगहों से हमारा कारोबार होना है, खास तौर से आईटी के क्षेत्र में, तो हमें मुख्तलिफ जुबान जाननी चाहिए, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। यह यूनिविर्सिटी बन जाएगी तो उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकेंगे।

मैं यह बताना चाहूंगा कि इसमें स्टार्टिंग में 4.7 करोड़ रुपए नॉन-रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा और 11 करोड़ रुपए पर-एनम रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा। आप जानते हैं कि इस बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है और यहां मैं समझता हूं कि एक तरह से यूनानिमिटी है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए चन्द बिन्दुओं के बारे में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि रामदास साहब ने कहा कि कोर्ट एवं एक्जीक्युटिव काउंसिल का इसमें जिक्र नहीं है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को इसके लिए शक्ति दी गयी है कि वह फर्स्ट स्टैट्युट को अमेंड करके यह फैसला करे कि उसकी एक्जीक्युटिव काउंसिल किस तरह की होगी।

इस वक्त यहां पर मोहन सिंह जी नहीं हैं, उन्होंने और रासा सिंह रावत जी ने वर्धा में हिन्दी की यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी मांगी थी। मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रो० बिपिन चन्द्र जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स मंत्रालय को दे दी हैं। हम यू०जी०सी० से बात करके जो भी कदम उस सम्बन्ध में उठाने हैं, वे शीघ्र उठाने का काम करेंगे।

यहां पर चांसलर के बारे में भी कहा गया। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इंतजाम हैं। इस युनिवर्सिटी के लिए जो दरकार होगी, उसे देखकर किया जाएगा। विजिटर तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे।

जहां तक राजस्थान और केरल में सेंट्रल युनिवर्सिटी खोलने की मांग की गई है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। हम लोग चाहते हैं कि हर राज्य में सेंट्रल युनिवर्सिटी का दर्जा मिले, लेकिन अभी वह हमारे विचार में है। जितना पैसा मिलेगा, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। यहां पर वित्त मंत्री जी मौजूद हैं, आप इनसे पैसा दिला दें, फिर कोई कमी नहीं रहेगी।

डिस्टेंस मोड में भी तालीम की व्यवस्था है। उसका आगे चलकर और एक्सपेंशन किया जाएगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के दिलों में जो भी आशंकाएं इस बिल के बारे में हैं, वे बेफिक्र रहें। जब कभी आप महसूस करेंगे कि यह युनिवर्सिटी या अन्य कोई युनिवर्सिटी सही तौर पर काम नहीं कर रही है, तो आपको पूरी आजादी है कि आप संसद में उसे उठा सकते हैं। उनका जवाब देने के लिए सरकार बाध्य होगी और जो भी मुमकिन होगी, वह हम काम करेंगे।

इन चंद शब्दों के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिल का सदन में सभी पक्षों द्वारा समर्थन किया गया है इसलिए इसे अब पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि और विकास के लिए एक अध्यापन विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 46 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मै प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.09 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2004-2005 और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 2006-2007

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2004-05 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2006-07 से संबंधित मद संख्या 24 और 25 पर चर्चा करेंगें।

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैंने वर्ष 2006-07 हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों का दूसरा बैच सभापटल पर रखा है।

21,823.92 करोड़ रुपए की कुल मंजूरी में से नकद निर्गम मात्र 11,444.76 करोड़ रुपए का है। शेष तकनीकी अनुपूरक मांगें हैं। मैं नकद निर्गम के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कुछ मिनट का समय लूंगा।

11,444 करोड़ रुपए के कुल नकद निर्गम में से लगभग 94 प्रतिशत अर्थात 10,738 करोड़ रुपए का नकद निर्गम चार मदो के लिए हैं। सर्वप्रथम 4,131.91 करोड़ रुपए, राज्यों को हस्तानतरण के लिए हैं। इसमें राज्य योजनाओं के लिए 2,100 करोड़ रुपए की सामान्य केन्द्रीय सहायता, राज्य योजनाओं मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर तथा विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए 436 करोड़ रुपए की विशेष केन्द्रीय अनुदान सहायता, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 900 करोड़ रुपए क्योंकि जैसा कि सभा को ज्ञात है हमने पेंशन को बढ़ाकर 75 रुपए से 200 रुपए प्रति माह कर दिया है और राज्यों को अनुदान तथा सेवाओं के उन्नयन और विशेष समस्याओं तथा वित्तीय सुधार सुविधा के संबंध में राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए भुगतान हेतु 195 करोड़ रुपए शामिल है।

विभिन्न राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता गाडगिल – मुखर्जी सूत्र के आधार पर जरी की जाती हैं और इसमें राज्यों की वित्तीय योजनाओं हेतु-केन्द्रीय सहायता के मुख्य घटक का प्रावधान है। अनुपूरक अनुदानों के दूसरे बैच में इस मद हेतु 2,100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है। सामान्य केन्द्रीय सहायता हेतु आबंटन, राज्यों की व्ययवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए निधियों की आवश्यकता के निर्धारण पर आधारित होता है। अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हैं क्योंकि गत वर्ष जारी की जाने वाली 885 करोड़ रुपए की राशि, को चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में जारी किया गया था और चालू वर्ष में व्यय की प्रवृति पर आधारित अतिरिक्त राशि के निध ारिण के अनुसार इसकी आवश्यकता थी।

राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर में विद्युत क्षेत्र के लिए अपनी आवश्यकता का अनुमान लगाया है। अनुपूरक अनुदानों की प्रथम वैच में 500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है और अब मैं अतिरिक्त 436 करोड़ रुपए प्रदान कर रहा हूँ। चूंकि हमने पेंशन में 75 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है। अत: हम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 1430 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं। अब 900 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।

[श्री पी० चिदम्बरम]

ग्यारहवें वित्त आयोग के संबंध में उन्नयन और प्रोत्साहन अनुदानों के लिए कतिपय राज्यों के दावे विचाराधीन हैं। हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए हैं। इसलिए यह धन प्रदान किया जा रहा है। अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण एन०सी०सी० एक से 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त हस्तान्तरण आवश्यक हो गया है, और यह धन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

दूसरा मुख्य शीर्ष उर्वरक राज्य सहायता है। मैंने उर्वरक राज्य सहायता के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में 3,700 करोड़ रुपए की मांग की है। उर्वरकों की कुल खपत में वृद्धि हुई है। गत वर्ष यूरिया के 20 लाख मिट्रिक टन के आयात की तुलना में हम 50 लाख मिट्रिक टन का आयात करेंगे। आयातित उर्वरकों के मूल्य भी अस्थिर रहे हैं। अनुपूरक को प्रथम खेप में हमने 2,100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की मांग की और अब हमारी जरूरत 4,400 करोड़ रुपए है जिसमें से 700 करोड़ रुपए वसूलियों से पूरे किए जाएंगे, इसलिए नकद निर्गम 3,700 करोड़ रुपए होगा।

तीसरा मुख्य शीर्ष किसानों को ब्याज से राहत है। 1,359 करोड़ रुपए की मांग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि महाराष्ट्र के उन 31 जिलों के किसानों में ब्याज में राहत प्रदान करने के लिए की गई है, जहां किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं सर्वाधिक है। 1000 करोड़ रुपए की मांग वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अबहकारी समितियों में ब्याज पर 2 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है। अतः कुल राशि 2,359 करोड़ रुपए हैं।

अंत में, हम केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के लिए 547 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। प्रथम खेप हेतु संसद की अनुमति लेते, समय मैंने सभा को यह आश्वासन दिया था कि अतिरिक्त राशि का वित्तीय वर्ष के दौरान हुई बचतों से पूरा किया जाएगा। संम्योधित प्राक्कलन अभी तैयार किए जा रहे हैं।

सम्योधित प्राक्कलन अभी तैयार किए जा रहे हैं। तथापि, राजस्व प्राप्ति काफी अच्छी होने के कारण मुझे विश्वास है कि अतिरिक्त नकद निर्गम के बावजूद चालू वर्ष में आर्थिक घाटा और राजस्व घाटा संबंधी लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि वह अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करे और उसे स्वीकार करे।

जहां तक 2004-2005 का सवाल है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त अनुदानों की बात है। अतः मैं अतिरिक्त अनुदानों की मांगें रख रहा हूँ, ये अल्प मांगें हैं – डाक विभाग के लिए 5 लाख रुपए, रक्षा मंत्रालय के लिए 71 लाख रुपए, शहरी विकास विभाग के लिए 25 लाख रुपए।

रक्षा आयुध फैक्टरी के लिए 40 करोड़ रुपए और डी आर डी ओ के लिए 1.99 करोड़ रुपए के संबंध में स्वीकृत खण्ड के तहत अधिक्य का नियमन किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि सभा अनुदानों की मांगों पर चर्चा करे और उन्हें पारित करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव वस्तुत हुआ:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखायी गयी मांग सं० 26 और 27 के संबंध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा प्रस्तुत की गई वर्ष 2004-2005 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) की सूची

संख्या तथा मांग का नाम	लोक सभा में प्रस्तुत की गई अनुदान की राशि	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
26 रक्षा आयुध कारखाने	40,00,08,594	–
27 रक्षा सेवाएं - अनुसंधान तथा विकास	1,99,23,373	–
जोड़	41,99,31,967	.....

सभापित महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग सं० 1 से 3, 5, 6, 8, 10 से 12, 14, 19, 20, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 46 से 48, 50, 52, 53, 55 से 58, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 78, 81, 84 से 86, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 103 से 104 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें"।

लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 2006-2007 के अनुदानों की पूरक मांगों (सामान्य) की सूची

संख्या और मांग का शीर्षक		लोक सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	2,00,000	—
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,00,000	—
3.	पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	1,00,000	—
5.	परमाणु ऊर्जा	192,68,00,000	—
6.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	116,51,00,000	1,00,000
8.	उर्वरक विभाग	4400,00,00,000	—
10.	कोयला मंत्रालय	131,71,00,000	—
11.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	—
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	3,00,000	—
14.	दूरसंचार विभाग	—	25,00,00,000
19.	संस्कृति मंत्रालय	1,00,000	—
20.	रक्षा मंत्रालय	64,00,00,000	4,96,00,000
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	—	2,00,00,000
30.	विदेश मंत्रालय	141,16,00,000	—
31.	आर्थिक कार्य विभाग	1,00,000	—
33.	वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	2359,16,00,000	1,00,000
35.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	7793,03,00,000	.....
38.	व्यय विभाग	3,72,00,000	.....
41.	राजस्व विभाग	100,00,000	.....
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	2,00,000	1,00,000
47.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	2,00,000	—
48.	भारी उद्योग विभाग	—	2,00,000
50.	गृह मंत्रालय	1,00,000	—
52.	पुलिस	547,52,00,000	—
53.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2,00,000	—

1	2	3	4
55.	स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (पूर्वनाम-बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग)	2,00,000	–
56.	उच्च शिक्षा विभाग (पूर्वनाम-माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा)	3,00,000	–
57.	महिला और बाल विकास मंत्रालय (पूर्वनाम-महिला तथा बाल विकास विभाग)	45,51,00,000	–
58.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	2,00,000	–
61.	विधि और न्याय	2,00,000	–
63.	खान मंत्रालय	58,85,00,000	1,00,000
64.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (पूर्वनाम-गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय)	1,00,000	–
67.	पंचायती राज मंत्रालय	1,00,000	–
70.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	5000,00,00,000	–
72.	विद्युत मंत्रालय	1,00,000	–
78.	ग्रामीण विकास विभाग	250,02,00,000	–
81.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	96,00,000
84.	नौवहन विभाग	213,84,00,000	1,00,000
85.	सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग	1,00,000	–
86.	लघु उद्योग मंत्रालय	1,00,000	–
89.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	67,00,000	–
90.	इस्पात मंत्रालय	70,22,00,000	51,90,00,000
93.	जनजाति कार्य मंत्रालय	98,00,000	–
94.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,00,000	–
99.	शहरी विकास विभाग	1,00,000	–
100.	लोक निर्माण कार्य	–	1,00,000
103.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	–
104.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1,00,000	–
	जोड़	21489,94,00,000	84,90,00,000

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक अनुदानों की मांगे पेश करते हुए कहा है कि नकद निर्गम केवल 11,444.76 करोड़ रुपए का है। जो मुख्य रूप से चार मदों अर्थात राज्यों को हस्तान्तरण, उर्वरक राज्य सहायता, किसानों को ब्याज राहत तथा अर्द्ध सैनिक बलों को संदाय के लिए है। मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने फरवरी में बजट प्रस्तुत करते समय इन व्ययों के बारे में क्यों नहीं पूर्वानुमान लगाया? क्योंकि सरकार विशेषकर माननीय वित्त मंत्री प्रतिदिन कहते रहते हैं कि वह आम आदमी – किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं के बारे में काफी चिंतित हैं। वह इसमें काफी रूचि ले रहे हैं। यदि वे इसके लिए इतने चिंतित हैं तो उन्हें किसानों को ब्याज से राहत देने के लिए पहले ही अनुमान लगाना चाहिए था। उन्होंने किसानों को दी गई राहत 1000 करोड़ रुपए की दो प्रतिशत आर्थिक सहायता के बारे में बात की। वे अनुमान लगाने में विफल रहे या शायद वे आम आदमी और आत्महत्या कर रहे किसानों के प्रति इतने ईमानदार नहीं हैं।

अपराह्न 3.18 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*]

उन्होंने कहा है कि राजस्व प्राप्ति काफी अच्छी हुई है और इस कारण से वह आर्थिक घाटे को पूरा करने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि वह लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह सही है कि विगत अक्तूबर के आरम्भ में ही बजट में पूर्वानुमानित गैर-योजना व्यय का 80 प्रतिशत से अधिक खर्च हो चुका था? यदि यह सही है तो माननीय मंत्री जी एफ०आर०बी०एम० अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य किस प्रकार पूरा कर पाएंगे? कि यू०पी०ए० सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण मुझे इस पर संदेह है। क्योंकि यदि वित्तीय घाटा सरकार के अनुमान से अधिक होगा तो परिस्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और माननीय मंत्री एक आर वीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नही कर पाएंगें।

मैं दूसरे मुद्दे अर्थात सरकार की भूमिका पर बात करूंगा। यह एक गतिहीन सरकार है। इस सरकार के सहयोगी दलों ने इसे गतिहीन बना रखा है।

यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आर्थिक सुधारों के संबंध में इस सरकार द्वारा लिए गए अधिकांश निर्णयों का इसके अपने ही सहयोगी दलों द्वारा विरोध हो रहा है। आप पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण विधेयक अथवा बैंक कारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम के मामले को ले सकते हैं। इस अधिनियम में एक शेयर धारक द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत के मतदान अधिकार सीमा को हटा दिया गया है। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने एक वर्ष से अधिक समय पहले ही इन दोनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी। फिर भी सरकार इतनी असहाय है कि वह अपने सहयोगी दलों को मनाने और इसे सभा के पटल पर रखने में असमर्थ है। यह यू. पी. ए. सरकार के वास्तविक चरित्र और मजबूती को दर्शाता है।

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस सरकार के सहयोगी दल वामपंथी कैसे है जो प्रतिदिन इस सरकार को ब्लैकमेल करते है। वे पश्चिम बंगाल में कुछ और कहते है और यहां बिल्कुल उससे उल्टा कहते हैं। अब वे कहते है कि विशेष आर्थिक जोन *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतान्त में केवल वही सम्मिलित किया जाएगा जो श्री स्वाईं कहेंगे।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री स्वाईं के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं : वामपंथी हमेशा मांग करते रहे है कि विशेष आर्थिक जोन के लिए किसानों से कोई भी उपजाऊ भूमि नहीं ली जानी चाहिए। इसके विपरित वे पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में सिंगूर में तीन चार फसल पैदा करने वाली उपजाऊ भूमि टाटा को दी जा रही है *(व्यवधान)* ये ऐसे लोग है जो एक साथ दो अलग – अलग बातें बोलते हैं और दोहरे मानदण्ड अपनाते हैं। हाल ही में, दो सत्र पहले सी०पी०एम० नेता एक ध्यानाकार्ष प्रस्ताव लाए थे जिसमें उड़ीसा में कलिंग नगर में विस्थापन का विरोध किया गया था। वे स्वयं ही एक ध्यानाकार्ष प्रस्ताव लाए थे जिसमें उन्होंने पूछा था कि उड़ीसा में कलिंग नगर में गोलीबारी क्यों हुई तथा आदिवासियों को इस स्थान से बाहर क्यों रखा गया? वे पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे थे? वही मजदूर-वर्ग *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने पहले बताया है श्री स्वाई जो कह रहे हैं, उसके सिवाए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब आप उनके आरोपों का खण्डन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री स्वाईं, कृपया मांग पर ही बोलें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा

*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं : वह मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वह अच्छी तरह जानते हैं कि वो मुझे नहीं बिठा सकते।

सभापति महोदय : कृपया मांग पर ही बोलें।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, मैं केवल अनुपूरक मांग पर ही बोल रहा हूं और अन्य कुछ नहीं।

वाम दल इसी प्रकार यहां कुछ कहते हैं। वहां कुछ। दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती। वे इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं, माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि वे सचमुच भारत को 2020 तक सुपर-पावर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री खारबेल स्वाईं]

बनाना चाहते हैं तो उन्हें सुधारों को लाना होगा। उन्हें वाम दलों के अनुसार नहीं चलना चाहिए क्योंकि वे लोग भ्रमित हैं। वे लोग उन्हें कभी कुछ नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने उनसे अभी अपील की है कि सामान्यत: सरकार को काफी मजबूत होना चाहिए और इसे वामदलों के दबाव में नहीं आना चाहिए।

अब मैं किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मामले पर आता हूं, जोकि एक अति महत्वपूर्ण मामला है। जब यह सरकार बनी थी तो मुझे याद है कि माननीय मंत्री जी ने इस सभा में अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि किसान ग्रामीण ऋण उपलब्ध न होने के कारण ही साहूकारों के पास जा रहे हैं, जो उन्हें काफी उच्च ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं और यही मुख्य कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने वादा किया था कि वह तीन वर्षों में ग्रामीण ऋण को दोगुना कर देंगे और वे इसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। परन्तु एक अन्य अनुबंध है जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। अनुबंध यह है कि सकल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में जाएगा। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि दो तिहाई बैंकों ने इसे पूरा नहीं किया है। क्या यही अनुबंध और अनिवार्य प्रावधान है, वाणिज्यिक बैंक इस लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं कर सके? यहां तक कि भारतीय स्टेट बैंक जैसे सबसे बड़े बैंक का भी ग्रामीण ऋण 18 प्रतिशत नहीं है। यह लगभग 15 प्रतिशत ही बैठता है। यह वस्तुत: सरकारी बैंक है और सरकारी बैंक वर्ष दर वर्ष इस लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह ऐसे कदम उठाएं जिससे सभी वाणिज्यिक बैंक इस सीमा तक पहुंचे। यदि एक-तिहाई बैंकों ने इस लक्ष्य को हासिल किया है और दो-तिहाई भी इसे प्राप्त कर सकते हैं।

आइए अब मुद्रास्फीति की बात करें। इस समय यह 4.51 प्रतिशत है और मात्र दो सप्ताह पूर्व मुद्रास्फीति पिछले 18 माह में अधिकतम थी। आम आदमी के लिए विशेषकर, खाद्यान्नों के मूल्य में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के बारे, में काफी चिंतित है इसीलिए उन्होंने नकदी आरक्षित अनुपात (सी०आर०आर०) को बढ़ाकर 5 से 5.5 प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह बाजार से 13,500 करोड़ प्राप्त करेगा परन्तु रिजर्व बैंक को यह भी उम्मीद है कि इससे ब्याज दर भी बढ़ेगी। यदि ब्याज दर ऊपर जाती है तो इससे नुकसान होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह बताएं कि वे क्या कदम उठायेंगे ताकि भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि न हो। सेंसेक्स का भी उदाहरण लें। केवल एक सप्ताह पूर्व यह 14000 के रिकॉर्ड बिन्दु तक पहुंच गया था और उसी दिन 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में खबर प्रकाशित हुई थी कि "विशेषज्ञों के अनुसार 'सुधार होने वाला है'" उसी दिन आर्थिक विशेषज्ञों ने कहा था कि यह रिकॉर्ड गिर जाएगा। पिछले दिन ही यह 400 अंक गिरा है। केवल एक दिन में ही निवेशकों को 1.08 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसीलिए, वस्तुत: जो सुधार एक सप्ताह पूर्व अपेक्षित था, वह अब हो गया है।

अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं। क्या शेयर अधिमूल्य पर बेचे जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि वास्तव में शेयर अधिमूल्य पर बेचे जा रहे हैं।

क्या भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रण से बाहर हो गई है? सभी अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं कि सूचकांक का 14000 तक पहुंचना असामान्य उछाल है। यह तेजी जानबूझकर लाई गई है और यह वास्तविक नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी बात सही है या नहीं।

महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं और इसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा अगला प्रश्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लागत और समय ज्यादा लगने के बारे में है। लागत में लगभग 31,500 करोड़ रु० की वृद्धि हुई है समय बढ़ने और लागत में वृद्धि के कारण नई परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और लागत और समय में अनावश्यक वृद्धि न करें।

मेरा अगला प्रश्न आई०पी०ओ० घोटाले के बारे में है। माननीय मंत्री जी, दो दिन पहले सेबी की डिस्गार्जमेंट व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि ये वापिस लिए हुए शेयर उन लोगों में जिनमें इन्हें वितरित किया जाना है, कैसे वितरित किए जाएंगे। क्या सेबी ने ऐसा आदेश दिया है कि किन लोगों के बीच इन्हें वितरित किया जाए? यह निर्णय कौन लेगा? मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने उर्वरकों पर सब्सिडी के बारे में भी बात की थी। क्या उर्वरकों पर यह सब्सिडी सुधार प्रक्रिया के भाग के रूप में दी जा रही है? मैं सुधार प्रक्रिया का समर्थक हूं। लेकिन, यहां तक कि जब राजग सत्ता में था, मैंने उर्वरकों पर सब्सिडी देने पर कड़ी आपत्ति जताई थी क्योंकि इससे किसानों को नहीं बल्कि उर्वरक उद्योग को लाभ हो रहा है। वे कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और तब वे सब्सिडी का फायदा उठाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वे इस पहलू पर ध्यान दें और देखें कि उर्वरकों पर इस सब्सिडी से किसानों को फायदा हो रहा है या उर्वरक उत्पादक कंपनियों को।

महोदय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सर्व स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने अनुपूरक बजट के माध्यम से इस योजना को कुछ धनराशि प्रदान की है। जनश्री

बीमा योजना के नाम से भी एक योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 100 रु०/- वार्षिक जमा कराने होते हैं और 100/- रु० जीवन बीमा निगम द्वारा गठित विकास कोष द्वारा दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में निर्धनतम लाभार्थियों को 100 रु० दिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्धनों में निर्धनतम लोगों को, जो इस योजना का लाभ लेने के लिए 100 रु० वार्षिक भी जमा कराने में असमर्थ है, इसी तरह 100 रु० प्रदान कर सकती है। वे इसे आम आदमी की सरकार कहते हैं और क्योंकि राजस्व संग्रह बहुत अच्छा है और अर्थव्यवस्था में भी तेजी है तो यह सरकार हमारे देश के निर्धनों में भी निर्धनतम लोगों के लिए ऐसा करने में सक्षम है।

महोदय, मेरा अगला प्रश्न एम्स जैसे छ: संस्थानों की स्थापना के संबंध में है। पिछले दो वर्षों में इस मुद्दे पर अनेक ध्यानाकर्षण सूचनाओं और अन्य तरह से चर्चा होती रही है और हर बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहते रहे कि तीन से छ: महीनों में निर्माण शुरू होने वाला है। कहां निर्माण शुरू हुआ है? राजग शासन के दौरान, तत्कालीन प्रधानमंत्री भुवनेश्वर गए और लगभग ढाई वर्ष पहले नींव रखी लेकिन तबसे भवन निर्माण का कोई काम नहीं हुआ है। एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने केवल यह कहा कि उन्होंने चारदीवारी का निर्माण किया और वे उड़ीसा के लोगों को चारदीवारी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण शुरू हो गया है। यदि माननीय मंत्री कहते हैं कि यह सरकार आम आदमी के लिए है, तो उन्हें यह देखना चाहिए कि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा निधि से बड़ी धनराशि दी गई है। उड़ीसा राज्य ने बाढ़ सहायता के रूप में 2000 करोड़ रु० से अधिक की मांग की है। उड़ीसा को कितनी राशि दी गई है? अग्रिम राशि के रूप में 175 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए हैं परन्तु वास्तव में उन्होंने उड़ीसा को 25 करोड़ रु० दिए हैं। उड़ीसा के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है चूंकि वहां एन०डी०ए० की सरकार है अत: यू०पी०ए० सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अत: मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही दल की सरकार हो। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकार है अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उड़ीसा के लोगों के हितों का भी ध्यान रखें। मैं जानता हूं कि 2000 करोड़ रु० नहीं दिए जाएंगे। तथापि एक यथोचित राशि दी जानी चाहिए। कम से कम 500 करोड़ रु० दिए जाने चाहिएं। केन्द्रीय समिति ने उड़ीसा का दौरा किया था और उड़ीसा में हुई तबाही को देखा था। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मामले की स्वयं जांच करें।

मैं दो और मुद्दों को उठाना चाहता हूं। मैंने इस मामले को कई बार उठाया है। माननीय वित्त मंत्री एक जानकार वकील हैं तथा वे अनेक नियमों, विनियमों और परिकलनों के बारे में बता सकते हैं। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, विशेषकर स्वर्णीम चतुर्भज परियोजना का उल्लेख करना चाहता हूं। वे कहेंगे कि एन०डी०ए० सरकार के समय इसे 42 प्रतिशत तक किया गया था और अब इसे 44 प्रतिशत पूरा किया गया है। अत: दोनों मिलाकर 86 प्रतिशत हो जाता है। अत: केवल 15 प्रतिशत कार्य पूरा होना बाकी है। परंतु उन्हें समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित जानकारी को पढ़ना चाहिए। उनके अनुसार स्वर्णिम चतुर्भज परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर बड़ी धीमी गति से कार्य चल रहा है। 'इंडिया टुडे' ने यह प्रकाशित किया है। हमें इस भावना अथवा परिकलन से पथभ्रष्ट नहीं होना चाहिए कि यह सरकार श्रेष्ठ और अति उत्तम कार्य कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। यह सही है कि यह कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए तथा उन्हें स्वयं वहां जाकर यह देखना चाहिए कि यह कार्य धीमी गति से चल रहा है या तेज गति से।

मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि सरकार अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश की बात बात कर रही है। क्या यह सही है? यह मामला मंत्रिमंडल के समक्ष बार-बार क्यों आ रहा है? जैसा ही यह मामला उनके पास आता है वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि हवा का रूख कैसा है। परंतु जैसे ही विपक्ष इसका विरोध करता है वह शांत हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से वह जानना चाहूंगा कि क्या वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश द्वारा आर्थिक सुधार करना मात्र चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री के०एस० राव, क्या आप अपनी आबंटित सीट से बोल रहे हैं?

श्री के०एस० राव (एलूरू) : महोदय, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री के०एस० राव : महोदय, मैंने पूरा ध्यान लगाकर श्री स्वाई का भाषण सुना यह स्वाभाविक है कि विपक्ष में होने के नाते वे सत्ता पक्ष की निन्दा करेंगे परन्तु वास्तव में श्री स्वाईं एक अच्छे आलोचक हैं। मैंने उनका भाषण कई बार सुना है वे एक अच्छे आलोचक हैं परंतु कई बार वे अपने दल के बारे में सोचने लगते हैं।

वे आम आदमी की बात कर रहे थे। बी०जे०पी० जब सत्ता में थी उन्होंने कभी भी आम आदमी के बारे में बात नहीं की।

मुझे उत्तर देने दीजिए। मुझे बताने दीजिए कि इस सरकार ने आम आदमी के बारे में क्या किया है। मैं एक मुद्दे पर उनसे सहमत हूं। मेरा भी यही मानना है कि 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे

[श्री के०एस० राव]

है और जब तक उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं किया जाता तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। जब तक उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती उद्योग समृद्ध नहीं हो सकते क्योंकि प्रचुर मात्रा में विनिर्मित औद्योगिक माल को खरीदने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा। अत:, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यमान यू०पी०ए० सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर कृषक समुदाय और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के प्रति अपने पूरे रवैये को बदल दिया है। उन्होंनें स्वयं यह स्वीकार किया है कि कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को विगत दो वर्षों तथा तीन माह से दुगना कर दिया है। केवल ऋण को ही दुगना नहीं किया गया है बल्कि ब्याज दर को भी घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले बहुत अधिक थी *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई : सहकारी समितियों के बारे में क्या किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सहकारी समितियों के लिए भी वह 7 प्रतिशत कर दिया गया है। आप अपने मुख्य मंत्री को पूछ सकते हैं *(व्यवधान)*

श्री के०एस० राव : इसी प्रकार यदि हम सभी गांव जाए तो हम देखेंगे कि वहां 12 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष की उम्र तक के गरीब लोग हैं जो ऐसी झोपड़ियों, छप्परों के नीचे रह रहे हैं जहां वर्षा सीधे उनके घरों के ऊपर आती है। ऐसी जीर्णशीर्ण अवस्था में वे रह रहे हैं तथा जब उनके बच्चे उनके लिए भोजन जुटाने, उनकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं हैं तथा उनमें से अधिकतर अनाथों जैसे रह रहे हैं हम लोग संसद सदस्यों के रूप में एक ऐसा संकल्प लाए हैं जिसमें यह प्रावधान है कि यदि हम पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करते तो भी हमें पूरे जीवनकाल के लिए पेंशन दी जानी चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि यदि संसद का गठन एक दिन के लिए भी हो तो संसद सदस्य पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं। जैसे दावे का क्या आधार है? जबकि गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन व्यक्ति जो कि 65 वर्षों तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद अपना भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं हैं तथा अनाथ की तरह जीवन जी रहे हैं, क्या वे लोग पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं? अत:, इस सरकार ने इस पहलू के बारे में सोचा है और पेंशन लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आम आदमी का ध्यान किसने रखा है? इस सरकार ने आम आदमी का ध्यान रखा है।

इसके अतिरिक्त, तीसरा पहलू है स्वयं सेवी संगठनों का निष्पादन। आजकल, विशेषकर महिलाएं इनकी सदस्य हैं। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानता। अपने राज्य के बारे में मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि राज्यों में स्वयं सेवी संगठनों को 3500 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। पिछली सरकारों के कार्यकाल में यह राशि 200-300 करोड़ रुपये भी नहीं थी। स्वयं मेरे क्षेत्र में, एक जिले में 44,000 स्वयं सेवी संगठनों को 350 करोड़ रुपये दिए गए। हमें सहायता प्राप्त करते समय महिलाओं के चेहरों की खुशी को देखना चाहिए। भारत सरकार द्वारा ब्याज दरों में कमी किए जाने के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ब्याज दरों पर राजसहायता दी है। हम एस०एच०एस० को तीन प्रतिशत ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रहे हैं। हम महिलाओं को अधिकारिता प्रदान कर रहे हैं। वे साहस, आत्मविश्वास और गर्व के साथ ऋण प्राप्त करती हैं तथा अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं। इस पर विश्वास करने के लिए उनकी स्थिति को देखना आवश्यक है। केवल इस प्रकार की बातें करने से हम उनकी स्थिति को नहीं समझ सकते।

मैं अब कुछ और मुद्दों का उल्लेख करूंगा। देश में सर्व शिक्षा अभियान भी चल रहा है। महोदय, शिक्षा क्षेत्र विशेषकर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिए 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। हम देख सकते हैं कि मिड डे मील योजना से आस पास के विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है। इस संबंध में भी मुझे कुछ कहना है। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि आज किस बात की आवश्यकता है? निर्धन व्यक्ति के जीवन में सुधार करने अथवा उसके जीवन स्तर में परिवर्तन करने का सबसे अच्छा साधन केवल शिक्षा है। हमने अपने अनुभव से यह देखा है कि चौबीस घंटे काम करके, अपने पूरे जीवन में परिश्रम करके भी वे अपने लिए एक छोटा सा भूखंड खरीदने की स्थिति में नहीं होते हैं। वे एक छोटा सा घर बनाने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। वर्तमान समय में भी वे राशन कार्ड की मांग कर रहे हैं। आज वे पेंशन की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। अत:, इस सरकार ने इस बात को महसूस किया है और मुझे खुशी है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। यह बात प्रेस में प्रकाशित हुई है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई है कि यह सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए अधिक से अधिक निधियां आवंटित करने पर विचार कर रही है। इसका यह अर्थ यह है कि इस सोच और समझ में बुनियादी तौर पर ऐसा बदलाव आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के निर्धनतम वर्गों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अत:, मेरे मित्र का यह वक्तव्य कि वर्तमान यू०पी०ए० सरकार आम आदमी का ध्यान नहीं रख रही है केवल इसलिए है क्योंकि वे विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं।

जहां तक 18 प्रतिशत ब्याज दरों का प्रश्न है — दोनों ही पक्षों को यह जानकारी बैंकों से प्राप्त हुई है। मैं इस पहलू पर उनका समर्थन करता हूं परन्तु इसके लिए बैंक जो कारण देते हैं वह यह है कि वे प्रतिशत आधार पर इसका पालन कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान वर्ष

में जमा राशि में क्रमश: वृद्धि हुई है; हर समय वे ऐसे वर्गों को रातोंरात निधियों का वितरण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसमें मामूली या अंतर है परन्तु मैं निश्चित रूप से उनका समर्थन करता हूं तथा मैं माननीय मंत्री जी से भी इस बात का अनुरोध करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो वे कृषि क्षेत्र तथा समाज के निर्धनतम वर्गों के लिए कुछ और निधियां आवंटित करे तथा यह सुनिश्चित करें उतना प्रतिशत उनको दिया जाए।

इस अवसर पर मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से भी यही अनुरोध करता हूं, यद्यपि मैं सत्ता पक्ष से संबंध रखता हूं। जब कभी भी हम गांव का दौरा करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं चाहे वे बाढ़, चक्रवात या सूखे अथवा किसी अन्य कारण से आएं और जिसके परिणामस्वरूप, फसलें बर्बाद होती हैं तथा किसान धन की मांग करते हैं। जब कभी किसी उद्योगपति को नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा के द्वारा हो जाती है – उदाहरण के लिए रिलायंस रिफाइनरी का अग्नि कांड हमारे समक्ष है। उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। परन्तु न केवल एक निर्धन किसान अपितु उसकी पत्नी तथा बच्चे भी चौबीसों घंटे काम करते हैं। जब फसल पकती है तो वह यह आशा करता है कि इस बार इसे प्रति एकड़ कम से कम 40 बोरी अनाज की प्राप्ति होगी। फसल बर्बाद होने के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। एक ओर जहां किसी उद्योगपति अथवा व्यापारी की क्षतिपूर्ति बीमे की किसी योजना के माध्यम से हो जाती है दूसरी ओर किसान ऐसी क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होता है। हम इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का गर्व है कि श्री राजीवगांधी द्वारा पहली बार यह योजना संसद में पेश की गई। लेकिन मुझे नहीं पता कि मार्ग में क्या बाधायें आ रही हैं। मंडल की इकाई किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है। कृषि मंत्री ने संभवत: हमारे अनुरोध या फिर अपनी समझ और अनुभव के आधार पर वादा किया है कि वे किसानों को मुआवजे के भुगतान के बारे में फैसला करते समय गांव को इकाई के रूप में लेंगे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है – मैंने भी अपनी गणना की है – कि यह किसान पर आधारित किया जा सकता है। मैने देखा है कि कुछ मंडलों में वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार हैदराबाद में कुछ लोगों ने फैसला किया है कि यादृच्छिक आधार पर फसल कटाई अनुभव वाली भूमि की सर्वेक्षण संख्या का ध्यान रखा जाना चाहिए। मान लीजिए मंडल में 20 गांवों में से सर्वेक्षण उस भूमि का किया जाता है जहां फसल अच्छी है तो समूचे मंडल को लाभ नहीं दिया जायेगा। जहां ऐसी चीज नहीं है; 20 गांवों में से मान लीजिए 4 गांव प्रभावित हैं और 16 गांवों की फसल ठीक है। यदि फसल कटाई अनुभव उस भूमि का लेना है जहां फसल ठीक है। तो सभी 16 गांवों जहां फसल ठीक है लाभान्वित होंगे। अत: मेरा यही कहना है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से इसका सर्वेक्षण कराने, इसका विश्लेषण कराने का अनुरोध करता है कि यदि वैयक्तिक किसान के आधार फसल बीमा योजना लागू की जाये तो प्रभावित किसान को लाभ मिलेगा। इसका आशय यह नहीं है कि समूचे मंडल या समूचे गांव को भुगतान किया जाये। मेरा कहना यह है कि प्रभावित किसान को भुगतान किया जाये; उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह राशि अधिक नहीं होगी। आशंका यह है कि एम०आर०ओ० या स्थानीय नेता घाटा न सहने वाले किसानों की झूठी सूची तैयार करेंगे। इसमें एक शर्त जोड़ दी जानी चाहिये कि यदि दावा झूठा या त्रुटिपूर्ण पाया गया तो जुर्माने की राशि अधिक होगी। हम प्रभावित किसानों को मुआवजे से वंचित नहीं कर सकते।

अत: हमें रास्ता निकालना चाहिये और एक प्रभावी योजना लानी चाहिये ताकि जिन किसानों को घाटा हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जा सके। महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर तुरन्त गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हम इस मुद्दे पर किसानों को जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं।

जैसा कि हम सब जानते हैं खाद्यान्न और राशन की अन्य वस्तुओं जैसी मूलभूत वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल किया गया है। हमारे राज्य में यह प्रणाली काफी अच्छा काम कर रही है। इसके बाद आवास आता है। उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। अब आवासों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत हमने राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 33,000 रुपये कर दिया। हम स्व सहायता समूहों के द्वारा अतिरिक्त ऋण भी दे रहे हैं, भले ही इसकी लागत 33,000 रुपये से अधिक हो। इस तरीके से इस पहलू का ध्यान रखा जा रहा है।

तीसरा बात यह है कि हमने शिक्षा पर ध्यान दिया है। इसके बाद स्वास्थ्य देख-रेख आता है और यदि कोई गरीब व्यक्ति अचानक बीमार हो जाता है और उसे सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है तो उसे सही उपचार नहीं मिलेगा क्योंकि वह गरीब है यदि वह निजी अस्पताल या कारपोरेट अस्पताल जाना चाहे तो वह बिल का भुगतान नहीं कर सकता। अत: माननीय मंत्री महोदय से मेरा यही अनुरोध है। स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों को प्रति परिवार स्वास्थ्य देखरेख हेतु 25,000 रुपया दिया जाना है। कुछ लोग कह सकते हैं कि दावे झूठे होंगे। झूठे दावे करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिये। उन्हें दंडित करने के लिये सख्त उपाय किये जाने चाहिये। इस डर से कि कुछ झुठे दावे किये जायेंगे और भारी धनराशि की आवश्यकता होगी, क्या इस योजना को जारी नहीं रखा जायेगा। स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति देने के बाद वे इस सब फर्जी दावों की समस्या का समाधान कर लेंगे। वे सतर्क रहेंगे। जब तक कि सही दावा न हो तब तक वे आसानी से भुगतान नहीं करेंगे।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसमें निर्धन लोगों को शामिल किया जाये और उनसे कम से कम 10 या 20 या 30 रुपये

[श्री के०एस० राव]

का योगदान लिया जाये और उनको शामिल किये बिना यह योजना सफल नहीं होगी। मैं उसे आंशिक रूप से सहमत हूं।

आजकल भारत सरकार की एक योजना है और उस योजना के अंतर्गत यदि वे 100 रुपये देते हैं तो उनको उनके सभी दावों की प्रतिपूर्ति की जायेगी। महोदय ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग 100 रुपये देने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। मेरा यही अनुरोध है। मान लीजिए यदि हम भारत सरकार की ओर से इस धनराशि के पूर्ण भुगतान के साथ ही इस योजना को आरम्भ करे या राज्य सरकार इसमें भागीदारी करें। और यदि इसे प्रारम्भ में एक या दो वर्षों के लिये लागू किये जाये तो लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिल रहे लाभों की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा, यदि आवश्यक होगा तो उन्हें 100 रु० के भुगतान पर उन लाभों को लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाएं तथा यदि संभव हो तो बाद में इसे किसानों के लिए भी लागू करें।

महोदय, मैंने अनुपूरक अनुदानों की मांगों को देखा है। इनमें से अधिकतर-शिक्षा अथवा चक्रवात से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने अथवा उन किसानों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जिन्होंने आत्महत्याएं की हैं अथवा ब्याज पर राहत देने अथवा उर्वरक राजसहायता प्रदान करने के लिए हैं।

महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में काफी समय से घूम रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आर्थिक मंत्रालयों को बजटीय समर्थन क्यों दिया जाना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय को बजटीय समर्थन क्यों दिया जाना चाहिए। रेल मंत्रालय को बजटीय समर्थन क्यों दिया जाना चाहिए? खान मंत्रालय को बजटीय समर्थन क्यों दिया जाना चाहिए। इन मंत्रालयों को स्वयं धन अर्जित करना चाहिए क्योंकि हमने उन्हें पर्याप्त पूंजी आस्तियां दी हैं। उदाहरणार्थ, रेलवे को करोड़ों रु० की आस्तियां दी गई हैं। यदि मैं एक मोटरगाड़ी अथवा अपना स्वयं का घर खरीदने के लिए 10,00,000 रु० का ऋण लूं तो मुझे उस ऋण का ब्याज देना होगा, गाड़ी पर कर देना होगा, ऋण वापिस करना होगा? आयकर देना होगा और तत्पश्चात् मुझे धन अर्जित करना होगा। अत: रेल मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी हैं? मंत्रालयों की क्या जिम्मेदारी है? उन्हें करोड़ों रु० की परिसम्पत्तियां दी गई हैं तथा उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह धन अर्जित करें और फिर उसी से बजट बनाएं। हम यह जो धन एकत्र कर रहे हैं वह ग्रामीण लोगों के पास जाना चाहिए।

इसे जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए, गांवों को आपस में जोड़ने के लिए खर्च किया जाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए।

राजमार्गों और यजनों को सरकार से कोई बजटीय समर्थन नहीं चाहिए। वे बी०ओ०टी० अथवा एन०ओ०टी० के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं। निगमित क्षेत्र में भी लोग हैं। यह जरूरी नहीं कि वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से हों। यहां तक कि भारतीय निगमित क्षेत्र भी एक रुपये के बजटीय समर्थन के बिना कार्य कर सकते हैं।

अत:, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री और सरकार इन बातों पर विचार करें और इन आर्थिक मंत्रालयों को धन आबंटित न करें। उन्हें यह धनपूर्णतया उन क्षेत्रों के लिए आबंटित किया जाना चाहिए जिनका मैंने उल्लेख किया है।

मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र श्री सुरेश प्रभु नदियों को जोड़ने संबंधी मामले का उल्लेख करेंगे। हमारे देश में नदियों को जोड़ना एक बड़ा मुद्दा है। आज, हम आपदा राहत विधि से आपदा प्रबंधन पर तथा क्षतिपूर्ति आदि के रूप में हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं। यह ऐसा करके भी हम लोगों को हुई हानि की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार, हजारों टी०एम०सी० जल ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और अन्य नदियों में बरबाद हो रहा है। यदि हम अधिक से अधिक बांध बनाएं; सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करें और यदि आवश्यक हो तो इन नदियों को आपस में जोड़े तो हमें आपदा के लिए लोगों की मदद करने की आवश्यकता नहीं होगी; हमें उन्हें कोई मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं होगी और हमें सड़कों की मरम्मत, भवनों, विद्युत आदि के लिए धन का भुगतान नहीं करना होगा। इसके विपरीत हम हरित क्षेत्र का निर्माण करेंगे, प्रत्येक गांव में पेयजल देंगे, करोड़ों हैक्टेयर भूमि पर खेती करेंगे। तथा ऐसे में फसल बीमा योजना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में, जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा तथा कृषक समुदाय सुनिश्चित हो सकेगा।

परन्तु सरकार भयभीत है। हमारे यह कहते ही कि इस सबके लिए 5,70,000 करोड़ रु० चाहिए वे कागज कूड़ेदान में फेंक देंगे। मेरा यह कहना है कि नदियों को जोड़ने के लिए सरकार को 6 लाख करोड़ रु० देने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि किसान भी उसमें हिस्सा लें और फिर बहुराष्ट्रीय कपनियां और निगमित क्षेत्र भी उसमें शामिल हो जाएं तथा इसमें अपने धन का उपयोग करके परियोजनाओं को पूरा कर सकें। अत:, सबसे पहले सरकार को कुछ कार्य शुरू करने के लिए कुछ करोड़ रु० देने होंगे और तत्पश्चात् इसे पूरा करने के लिए निवेशकों को प्रेरित करना होगा।

इस तरह, हम अनेक समस्याओं को हल कर सकते हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करने में कितना समय लेंगे?

श्री के०एस० राव : महोदय, तीन से चार मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

अगला प्रश्न लाभकारी मूल्य के बारे में है। अब, आश्चर्यजनक रूप से, जब तक गेहूं किसानों के हाथों में है, मूल्य बहुत कम रहते हैं। लेकिन, जब ये उत्पाद व्यापारियों के पास पहुंचते हैं तो मूल्य आसमान छू रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मिर्ची, इस वर्ष, जब तक मिर्ची कृषकों के पास थी, इसकी कीमत लगभग 3000 रु० प्रति क्विंटल ही थी। लेकिन दो-तीन महीने की अवधि में ही जब सारे उत्पाद व्यापारियों के पास पहुंच गए, इनकी कीमत 7500 रु० तक पहुंच गई। कौन मुनाफा कमा रहा है? हम सब जानते हैं।

यही स्थिति आवश्यक वस्तुओं के बारे में है। बहुत से व्यापारी, बड़ा भण्डार खरीदते हैं और इसे अपने पास रखते हैं तथा कृत्रिम कमी पैदा कर देते हैं। इसी दौरान, वे कहते हैं कि खाद्यान्नों की कमी हो गई है। तब, सरकार आयात करेगी। वे आयात के लिए अधिक मूल्य देंगे; और वे वही कीमत स्थानीय उत्पादकों को प्रदान नहीं करेंगे।

अत: इस संबंध में दूरदृष्टि होनी चाहिए। जब तक अनिवार्य नहीं होता, सरकार द्वारा खाद्यान्न का आयात नहीं किया जाना चाहिए।

जब आयात किया जाता है, तो कीमतें गिर जाती हैं। तो वह फसल अतिरिक्त हो जाती है और किसान उस फसल को कतई नहीं उगाएंगे। तब कीमतें पुन: बढ़ जाएंगी। यह दुश्चक्र है। अत: सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष क्यों नहीं बनाती? जब कभी कमी हो, मूल्य स्थिरीकरण कोष किसानों की मदद कर सकता है? इस तरह, किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

इसी तरह मान लीजिए कि सरकार को इस बात की जानकारी मिले कि गेहूं या दालों की कमी होने वाली है जैसा कि सुबह, वाणिज्य मंत्री बता रहे थे। यहां बहुत से किसान हैं। सुबह भी कहा गया था, सही नहीं है। अब, हमारे किसान प्रचुर मात्रा में तिलहन पैदा करने के लिए तैयार हैं। प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, अन्यथा, हम प्रौद्योगिकी ले सकते हैं दलहनों के बारे में, यह आवश्यक नहीं है कि केवल वर्षा आधारित सिंचाई वाले क्षेत्रों में ही किसान दलहन वाली फसलें उगाएंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

यह कहीं भी उगाई जा सकती है। अत: नीतियों और स्थिरीकरण कोष के माध्यम से सरकार का समर्थन होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो किसानों को मदद मिलेगी। अत: बेहतर योजना के माध्यम से इन सभी बातों पर ध्यान रखा जा सकता है। यह अफसोस की बात है, कि हम आज भी विदेशों से खाद्यान्न का आयात करते हैं जबकि यहां किसानों के पास उत्पादन की अत्याधिक क्षमता है।

मेरी अन्तिम बात यह है कि यह देश तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि लोगों की कुशलता नहीं बढ़ाई जाती। यदि लोग कुशल नहीं हैं तो कैसे धन पैदा किया जा सकता है? हम लाखों एम०ए०, बी०ए०, बी०एस०सी० स्नातक और इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। लेकिन, वास्तव में उन्हें कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। जब वे बाहर आते हैं, तो वे सीख सकते हैं।

अब, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में हम दोहराते हैं कि हम विश्व में नम्बर वन हैं और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में हम पदप्रदर्शक हैं। आज फिर अफसोस की बात है कि सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में हमारे पास सक्षम लोगों की कमी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में सॉफ्टवेयर कम्पनियां कुशल लोगों की भर्ती चीन से कर रही हैं। यह शोचनीय है।

अत: मैं चाहता हूं कि सरकार ध्यान दे और अधिक धनराशि आवंटित करे तथा शिक्षा-व्यवस्था में बदलाव करे। आप इसके व्यावसायीकरण और कौशल विकास के लिए परिवर्तन करें। यदि हमने बड़ी संख्या में कुशल लोग पैदा किए होते तो स्वत: ही धन पैदा होता और उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। वित्त मंत्री को अपना ध्यान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8.9 प्रतिशत या 9.10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यह स्वत: ही, 14 प्रतिशत होगी। अत:, मैं माननीय मंत्री जी से इन क्षेत्रों में अधिक धन आवंटित करने का निवेदन करता हूं, बजाय उन क्षेत्रों के जिनमें हम पहले धन आवंटित कर रहे थे।

सभापति महोदय : मुझे माननीय सदस्य, श्री सुरेश प्रभु से निवेदन प्राप्त हुआ है, कि उन्हें जाना है। इसलिए मैं उन्हें बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री प्रभु आपको केवल 10 मिनट तक बोलने की अनुमति है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) **:** मैं यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे 15 मिनट दे दीजिए।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के पास केवल 15 मिनट हैं। मैं आपको और पांच मिनट देता हूं। इसलिए आप 10 मिनट का समय लीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मैं, आपका और सभा के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कि आपने मुझे बिना बारी के बोलने का अवसर दिया।

यहां अनुदान (सामान्य) हेतु अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है। इसे सरकार द्वारा लाया गया है, जिसने कार्यालय में 2½ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसलिए यह वस्तुत: सरकार की निष्पादनता का मध्यावधि

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

मूल्यांकन है और बजट का भी मध्यावधि मूल्यांकन है जिसे पिछले वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया था। मैं चाहता हूं वित्त मंत्री यहां होते। वह वक्तव्य देकर कहीं चले गए। मैं नहीं जानता वे कहां गए। मैं चाहता हूं कि वह यहां होते।

बजट के मूल्यांकन सहित सरकार का रिपोर्ट कार्ड स्वयमेव एक विषय वस्तु है, वस्तुत: जब हम अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों? यह इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था जोकि लगभग 8 प्रशित से अधिक की दर से वृद्धि कर रही है। यह वृद्धि और भी अधिक होती यदि सरकार द्वारा उन कुछ अवसंरचनात्मक मामलों को संबोधित किया जाता जो अर्थव्यवस्था को घेरे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं यदि सरकार को इन मामलों की जानकारी न हो। इन मामलों की पहचान की गई है और इन पर चर्चा की गई है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं समझ सकता हूं यदि डाक्टर रोगी के रोग की पहचान कर ले परन्तु रोग की पहचान करने के बाद दवाई न देना काफी घातक है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं सोचता हूं सरकार के साथ यही हुआ है।

वित्त मंत्री बैंकिंग सुधारों के बारे में बात कर रहे थे। मुझे याद है उन्होंने एक दिन कहा था — वह दिन शनिवार था — कि अगले सप्ताह के प्रारंभ में, मैं बैंकिंग क्षेत्र विकास और सुधार हेतु एक ब्ल्यू-प्रिंट लाने जा रहा हूं। उन्होंने बैंकों के समेकन के बारे में बिल्कुल सही कहा था क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ही संभवत: विश्व के प्रथम 50 श्रेष्ठ बैंकों में नहीं है। इसलिए उन्होंने बैंकों के समेकन के बारे में बिल्कुल सही कहा है। प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक सुधारों के बारे में सही कहा है और मैं उनसे सहमत हूं। मुझसे अधिक उनके साथ कोई सहमत नहीं होगा। कि प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है और यह लंबे समय से अपेक्षित थी। दुर्भाग्यवश पिछले 2½ वर्षों में इस पर काफी बात की गई है परन्तु हमने इन दो मामलों के बारे में कुछ नहीं सुना।

फिर यांजना अयोग के उपाध्यक्ष इस ओर देखने वाले थे कि अवसंरचनात्मक निवेश के सुधार हेतु विनियामक ढांचे को किस प्रकार निर्मित किया जाए।

उनसे कौन सहमत नहीं होगा। कि देश अवसंरचना में निवेश हेतु मांग कर रहा है? निजी क्षेत्र भागीदारी अपरिहार्य है क्योंकि जन ६ नराशि पर्याप्त नहीं है और वे तब तक आगे नहीं आएंगे जब तक कि इस क्षेत्र के प्रभुत्व वाले निजी क्षेत्र संगठन भी इनके लिए विनियामक ढांचे में स्थान छोड़ें और उस संगठन को कार्य करने दे। मैंने इस पर कुछ भी नहीं सुना।

अन्य मामला विदेशी विनियम के प्रबंधन का है। हम सभी यह कह रहे हैं कि देश में 150 बिलियन यू०एस० डॉलर विदेशी विनिमय भण्डार हैं। हमने संसद में विदेशी विनिमय भण्डार के प्रबंधन पर कभी चर्चा नहीं की है। इसके प्रबंधन का दायित्व आर०बी०आई० को सौंपा गया है। हमें जानना चाहिए कि वे इसका प्रबंधन किस प्रकार कर रहे हैं और क्या हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जब भी आर०बी०आई० बाजार में प्रवेश करता है तो यह डॉलरों की खरीद करता है ताकि डॉलर भण्डार को बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके और रुपये को गिरने न दिया जाए। इसे निर्यातकों के लाभ के लिए गिरने नहीं दिया जाता। मैं इस सब की सराहना करता हूं। परन्तु हमें यह पता होना चाहिए कि क्या इसके परिणामस्वरूप हमें धन की हानि हो रही है और क्या यह कुछ ऐसा है जो हमारे संसाधनों को कम कर रहा है। चूंकि आर०बी०आई० यह कर रहा है, हमें यह पता होना चाहिए कि वे ऐसा किस प्रकार कर रहे हैं।

वे मुद्रास्फीति को बांधने के लिए न केवल मौद्रिक नीतियों, राजकोषीय नीतियों और प्रशासनिक नीतियों को परिवर्तित कर रहे हैं बल्कि संपूर्ण आर्थिक विकास लाने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि कुछ सरकार ने कहा है। मैंने इसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं सुना है।

अब मैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर आता हूं। पिछले वर्ष चीन ने 60 बिलियन यू०एस० डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया। जब आप अपने देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करते हैं, तो वस्तुत: आप दूसरे देश की बचत को अपने देश में लाते हैं और यह विकास को गति प्रदान करता है। यू०पी०ए० सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में 40 बिलियन यू०एस० डॉलर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात कही थी। ढाई वर्ष बीत चुके हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि एफ०डी०आई० को आकर्षित करने के लिए क्या कार्य किया गया है। उन सब मुद्दों का क्या हुआ जिनके बारे में उन्होंने पहले बात की थी?

मुझे आशा थी कि हम संसद में विशेष आर्थिक जोन 'सैज' मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह एक अच्छा विचार है। चीन ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। सरकार ने जिस प्रकार से इसका संचालन किया उससे इस प्रकार का अच्छा उत्पाद नष्ट हो गया तथा एक अच्छी अवधारणा व्यर्थ हो गई है। इसके परिणामस्वरूप जो निवेश होने चाहिए थे वह नहीं किए गए हैं। परंतु, इसके अलावा हम भारत में कम लागत वाले श्रम गहन विनिर्माण का उपयोग करने का अवसर गंवा रहे हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जैसे पिछड़े राज्यों को निवेश के द्वारा लाभ हो सकता था, ये निवेश अब मुम्बई, कोलकाता, और चेन्नई जैसे शहरों में किए जा रहे हैं जहां पहले ही जनसंख्या बहुत अधिक है तथा अत्यधिक आर्थिक कार्यकलाप माजूद हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सत्ता में आने के ढाई वर्ष बाद अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत कर रही है। यह समय उनके कार्यकरण

की समीक्षा तथा उनके परिणामों में देखने का है। इसलिए मैं चाहता था कि वित्त मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए था।

मैं अनूपूरक मांगों की बात करूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी अब यह चाहते हैं कि संसद अतिरिक्त व्यय के रूप में 21,823.932 करोड़ रु० स्वीकृत करे। निःसंदेह यह सत्य है कि निवल नकद निर्गम केवल 11,444.76 करोड़ रु० होगा परंतु उन्होंने कहा कि यह केवल 11,444 करोड़ रु० होगा। मैं यह समझ सकता हूं कि जब अर्थव्यवस्था के तेज गति से विकास के कारण वित्त मंत्री जी यह मानते हैं कि 11,444 करोड़ रु० की राशि बहुत छोटी राशि है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अतिरिक्त व्यय का वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

जब वित्त मंत्री जी ने यू०पी०ए० सरकार का प्रथम अन्तिरम बजट प्रस्तुत किया था तब उन्होंने अधिसूचना द्वारा यह बताया था कि वे एक आर०बी०एन० का कार्यान्वयन एक वर्ष तक बढ़ा रहे हैं क्योंकि सरकार ने अभी कार्य शुरू किया है। वित्तीय और राजस्व घाटे में पूरा करने के लिए उन्होंने पहले ही अपने लक्ष्यों को बदल दिया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनका कहना है कि वह बचत और राजस्व में वृद्धि से इसे पूरा करेंगे।

यहां दो बातें महत्वपूर्ण है। आप जो भी बचत प्राप्त करना चाहते हैं क्या आप उन्हें पूंजीगत व्यय में कमी करके प्राप्त करेंगे जैसाकि वास्तव में वित्तीय घाटे संबंधी लक्ष्यों में पूरा करने के लिए 1991 से अब तक लगातार किया जा रहा है? यदि आप पूंजीगत व्यय में कमी करके 10,000 करोड़ रु० की बचत कर रहे हैं तो यह अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। यदि आप राजस्व व्यय में कमी कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में अत्यंत अलाभकारी है? और यदि यह अलाभकारी है तो इसे बजट में क्यों दिया गया? वे कह रहे हैं कि वे बचत करेंगे। जब वे जानते थे कि इसका कोई लाभ नहीं होगा तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये दो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हमें इन दोनों मुद्दों के बारे में जानना होगा ताकि यह पता चल सके कि वे इन तथ्यों को कैसे प्राप्त कर सकेंगें।

राजस्व लक्ष्यों को बढ़ाया गया है तथा और धन आ रहा है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अधिक राशि खर्च की जाए। भारत पर भारी ऋण है और हमारा घरेलू ऋण भी काफी अधिक है। हम लगभग ऋण जाल में फंसे हुए हैं क्योंकि ब्याज देयता लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान राजस्व में यह 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः हमें गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना होगा। क्या इस पर पुनर्विचार करने को यह अच्छा कारण है कि राजस्व बढ़ रहा है? आय के लिए व्यय क्यों किया जाए? इसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हमें इस मुद्दे पर भी विचार करना चाहिए।

अब मैं किसानों के बारे में बात करना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने ऋण राहत के रूप में 1,359 करोड़ रु० और आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रु० दिए हैं। अभी मेरे मित्र श्री के०एस० राव बोल रहे थे तथा वित्त मंत्री ने उन्हें बताया कि गत दो वर्षों में उन्होंने ऋण को दोगुने से भी थोड़ा कर दिया है। मैं इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहा हूं। कृपया इनका विरोधाभाष देखिए। एक तरफ सरकार यह कह कर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने ऋण में वृद्धि में है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं आपको ऋण राहत दे रहा हूं यह क्या है? भारत सरकार की यह कृषि नीति दिशाहीन है। कृषि संबंधी समस्याओं के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और वित्त मंत्री जी का कहना है कि वे आत्महत्या प्रभावित जिले हैं। एक नई शब्दावली सामने आ रही है। अभी तक हमने कवेल सूखा प्रभावित जिलों के बारे में सुना था परन्तु अब वे आत्महत्या प्रभावित जिलों की बात कर रहे हैं। मैं वास्तव में आश्चर्य चकित हूं। क्या वे वास्तव में स्वीकार करते हैं कि यह वास्तविकता है कि क्योंकि यह आत्महत्या प्रभावित क्षेत्र है इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी ही पड़ेगी। बाकी सभी क्षेत्र जहां भी आत्महत्याएं होती हैं वे अपवाद हैं परन्तु इन क्षेत्रों में तो ऐसा होना लाजिमी है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि देश के कृषि क्षेत्र पर व्यापक और उचित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसकी कमी मुझे वास्तव में चिंतित कर देती है विशेषकर तब जब सरकार इसे तदर्थ आधार पर लेती है। मैं ऐसा कई बार कह चूका हूं और मैं ऐसा फिर कहूंगा।

उर्वरक के संबंध में यह और स्पष्ट हो जाता है उर्वरक राजसहायता 2,359 करोड़ रु० है। कृपया इसे इस दृष्टि से देखिए। भारत में हमने घरेलू उर्वरक करवत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1977 में प्रतिधारण कीमत योजना शुरू की थी ताकि हमें उर्वरक का आयात न करना पड़े। इस वर्ष हम अधिकतम मात्रा में यूरिया उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। मेरे विचार से हमने इस वर्ष जिन वाइट्रोजनी उर्वरकों का आयात किया है उसे पिछले दस वर्षों में कभी आयात नहीं किया है। मैं भी रसायन और उर्वरक मंत्री रह चुका हूं। मुझे यही चिन्ता हो रही है कि इसके कारण कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आयातित उर्वरकों को देश में उत्पादित उर्वरकों के मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदा गया है। इसलिए किसान दोनों स्रोतों अर्थात् देश में उत्पादित उर्वरकों तथा आयातित उर्वरकों का प्रयोग करेंगे। आज अलग अलग मूल्य पर अलग अलग स्रोतों से खरीदे गए उर्वरक का प्रयोग करने वाले किसानों में भेद करके उन्हें मुआवजा कैसे देंगे?

इसके अतिरिक्त, पत्तन पर भी माल नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम उर्वरकों के साथ भारी मात्रा में खाद्यान्नों का भी आयात कर रहे हैं। इसके कारण पत्तन में ठहरने का समय भी काफी बढ़ गया है। आप इन उर्वरकों को पत्तन से दूसरे गोदमों में कैसे ले जाएंगे। यह भी एक चुनौती होगी। वास्तव में, मैं काफी चिंतित हूं क्योंकि किसानों को उर्वरक समय पर नहीं मिलेंगे और मूल्य संबंधी मुद्दे पर

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

भी विचार किया जाना चाहिए। शायद, इससे उत्पादकता भी प्रभावित होगी क्योंकि किसान अभी भी इन उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के समक्ष यह एक बड़ी समस्या है और मुझे आशा है कि सरकार इस मुद्दे पर समग्र रूप से विचार करेगी।

वित्त मंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में राजसहायता संबंधी एक स्थिति पत्र प्रस्तुत किया था परंतु ऐसा लगता है कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजसहायता वहां जा रही है। मुझे आशा है कि उन्होंने अपना विचार बदल दिया है। परन्तु मुझे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। राजसहायता और वित्तीय मुद्दों से उसका संबंध किसानों से संबंधित है। उन्हें उचित मूल्य पर इसकी आवश्यकता है। ये वास्तविक मुद्दे हैं और हमें व्यापक ढंग से इस मुद्दे को सुलझाना होगा।

अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में बात करूंगा। वित्त मंत्री जो चाहते हैं कि हम भारी उद्योग और लोक उद्यमों के लिए अधिक धन दें क्योंकि वे ऐसे कुछ उद्योगों के लिए अतिरिक्त पूंजी देना चाहते हैं जिनको वे पुर्नजीवित करना चाहते हैं।

मैं यह समझ सकता हूं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत यह प्रतिबद्धता की थी। परंतु सरकार को इस सभा को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि इस क्षेत्र में इतना धन लगाकर कितनी नई नौकरियों का सृजन किया गया है, कितना उत्पादन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। हमें यह जानने का अधिकार है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री हमें इसकी जानकारी देंगे। मुझे आशा है कि सरकार व्यर्थ कार्यों में धन नहीं लगाएगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचना देने हेतु अनुपूरक अनुदानों के तहत 20.58 करोड़ रु० के अनुदान की मांग की थी। मुझे आशा है कि यह धन सरकार की धूमिल हो रही छवि को सुधारने के लिए व्यय नहीं किया जाएगा ताकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य क्षेत्रों में होने वाले चुनावों में सरकार की छवि में सुधार हो सके। मुझे आशा है कि वे इस धन को इस प्रयोजनार्थ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान के तहत 20.58 करोड़ रु० का यह व्यय किस विशिष्ट मद के लिए दिया गया है।

नवीन और अक्षम ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को एक नया मंत्रालय घोषित किया गया है। वास्तव में यह नए नाम से एक पुराना मंत्रालय है। इसका मात्र पुनः नामकरण किया गया है। कुछ राशि प्रदान की गई है। यह धन किस उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है? यह राशि विगत वर्ष की लंबित राशि है। आप कल्पना कीजिए। आप इस मंत्रालय को नवीन और अक्षम ऊर्जा स्रोत मंत्रालय क्यों कह रहे हैं? हम मंत्रालय का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु आप पुरानी शराब को नई बोतल में डाल रहे हैं। हमें आशा है कि इसके परिणामस्वरूप मंत्रालय ऊर्जा के नए स्रोतों का सृजन कर पाएगा और सौर, भूतापीय अथवा पवन ऊजा के नवीकरणीय स्रोतों का लगभग 10 प्रतिशत और सृजन होगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए यह धन कुछ उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है।

मेरा आखिरी मुद्दा सम्पूर्ण ग्राम रोजगार योजना से संबंधित है। सरकार की यह अच्छी योजना है जिसका सम्पूर्ण सभा ने समर्थन किया है। आप 7,800 करोड़ रु० की मांग कर रहे हैं। परन्तु सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह हमें बताए कि उस धन का कया हुआ जो पहले ही खर्च किया जा चुका है। कितने घंटे का सृजन किया गया है तथा यह कितने में कितने घंटे का क्या कितने जिलों में सृजित किया गया है? उत्तम गुणवत्ता की कितनी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया है? यदि उन्होंने ऐसी परिसम्पत्तियों का सृजन किया है तो इससे लोगों को वास्तव में कितना लाभ हुआ है, यदि हम सब जानकारी प्राप्त किए बिना और धन उपलब्ध करा देंगे तो वह व्यर्थ हो जाएगा। जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तब ग्रामीण विकास मंत्री ने संसद में यह वादा किया था और एक संशोधन पेश किया था कि संसद को इसकी जानकारी दी जाएगी। अब चूंकि आप अतिरिक्त राशि की मांग कर रहे हैं तो सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इनकी जानकारी दे।

बुलेट प्रूफ कारें खरीदी जा रही हैं क्योंकि दिल्ली में सार्क सम्मेलन होने वाला है। सार्क नेता इसमें हिस्सा लेंगे और निःसंदेह हमें उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी होगी। परन्तु मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि ये निधियां विदेश मंत्रालय को क्यों प्रदान की जा रही हैं। सरकार के कार्य करने के ढंग को देखते हुए कि जब एक मंत्रालय किसी वस्तु की अधिप्राप्ति करता है तो वह दूसरे को उस पर हाथ भी नहीं लगाने देता। अतः यह धन गृह मंत्रालय को क्यों नहीं सौंपा जाए ताकि जब भी आवश्यक हो, अन्य विभाग भी इन वाहनों का प्रयोग कर सके? यदि इन वाहनों को विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में रखा गया तो सार्क नेताओं के देश से जाने के बाद इन्हें गैरजों में बंद कर दिया जायेगा और कुछ ही समय में इन्हें जंग लग जाएगा। पांच वर्ष बाद जब फिर अन्य सम्मेलन होगा तो विदेश मंत्रालय इसी प्रयोजन हेतु फिर अनुदान की मांग करेगा। मैं किसी विशेष सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं भी सरकार में रहा हूं और इस प्रक्रिया के लिए स्वयं को भी दोषी बता रहा हूं।

मेरा अगला बिन्दु पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। सभापति महोदय, आप स्वयं जल संसाधन मंत्री रहे हैं और आप अंतरदेशीय जलमार्गों की महत्ता को जानते होंगे। इन अनुदानों के अंतर्गत 213 करोड़ रुपये के ऋण को समाप्त कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऋण को समाप्त करने के लिए क्या आधार है। अंतरदेशीय जलमार्गों की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नदियों को

परस्पर जोड़ने का मामला भी है। भूमि से घिरे भारत के एक बड़े भाग को इन अंतरदेशीय जलमार्गों की काफी आवश्यकता है। इस विभाग की स्थापना कुछ महत्वपूर्ण कारणों के लिए की गई है। अब हम ऋण को समाप्त कर रहे हैं। क्या हम इससंगठन की सभी गति-विधियों को समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं? मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इसका उत्तर दें।

श्रीमती पी० सतीदेवी (बडागरा) : सभापति महोदय मैं, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2007 का समर्थन करती हूं परन्तु काफी असंतोष के साथ।

हर कोई कृषि संकट के बारे में बात कर रहा है। मैं यह नोट करके प्रसन्न हूं कि श्री स्वाईं ने भी स्वीकार किया है कि देश कृषि संकट का सामना कर रहा है। ढाई वर्ष पूर्व उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया था। वस्तुत एन०डी०ए० सरकार के शासन के दौरान समग्र देश के समक्ष यह संकट उत्पन्न हुआ एन०डी०ए० सरकार ने गलत नीतियों को अंगीकृत किया था जिसकी वजह से संपूर्ण देश और कृषि क्षेत्र में संकट उत्पन्न हुआ। यह नब्बे के दशक में प्रारंभ हुआ था। इसीलिए वाम दलों ने नब्बे के दशक में ही इन मामलों के समाधान हेतु सुविचारित प्रस्ताव बनाकर सुझाव दिए थे, जब गलत नीतियों को अंगीकृत किया गया था वस्तुतः पश्चिम बंगाल में वाम दल सरकार और केरल में गठित नई सरकार में हमने इस समस्या के समाधान हेतु ठोस उपाय का तैयार किये हैं। हम वाम दलों द्वारा शासित राज्यों में इनका अनुसरण कर रहे हैं। यह देखा जा सकता है कि सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में वांछित प्रकति नहीं की है। ऐसे समय में जब कृषि इन गलत नीतियों से घिरी हुई है, इस क्षेत्र की मांगों में पूरी तरह से अनदेखी की गई है। ग्रामीण जनता, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को इससे सबसे अधिक हानि होगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके कृषि उत्पादों के घटते मूल्यों की समस्या के निवारण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जहां तक कम ब्याज दर ऋणों के प्रावधानों और सहकारिता क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का संबंध है, इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

रोपण फसलों — रबर, मिर्च, चाय, इलायची और अन्य रोपण फसलों में केरल राज्य का एकाधिकार है परन्तु हमारा राज्य कृषि विकास में पिछड़ रहा है। इन फसलों को कोई कर सुरक्षा नहीं दी गई है। भारत के विश्व व्यापार समझौते का सदस्य बनने से यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। पाम आयल, रबर और अन्य उत्पाद जिनमें केरल का एकाधिकार था के आयात में किसी प्रकार की कर रोक नहीं है। आयात नीति केरल राज्य के विकास के लिए काफी अहितकारी है।

बाजार उतार-चढ़ाव भी काफी अहम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हर वर्ष घोषित किया जाता है परन्तु इसे कभी भी ऐसे समय पर घोषित नहीं किया जाता जो किसानों के लिए उपयोगी हो क्योंकि इसे विलंब से और बेमौसम घोषित किया जाता है। केरल के लिये एक पैकेज होना चाहिये जिसमें कासरगोड से त्रिवेंद्रम तक सभी जिलों को समाहित किया जाना चाहिए।

धान उत्पादन के मामले में केरल में हमेशा कमी रही है। आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इसे अन्य राज्यों पर आश्रित रहना पड़ता है। प्रभावी सार्वजनिक, वितरण प्रणाली के अनुरक्षण द्वारा राज्य ने यह कार्य सही ढंग से किया गया है। खाद्य साम्रगियों की आपूर्ति की केन्द्र सरकार की नीति स्वतंत्रता उपरांत से हमारे राज्य में प्रयुक्त हो रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये हानिकारक है। संघ सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रखने के लिए निर्धारित मानदण्ड हमारे राज्य के लिए अनुकूल नहीं हैं। वस्तुतः गरीबी रेखा से नीचे के लोगों जो पात्र हैं, को सामान्य मूल्य पर खाद्य साम्रगियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नीति की समीक्षा करें ताकि केरल राज्य में प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुरक्षण किया जा सके, वस्तुतः यह कुछ वर्षों के लिए था परन्तु सरकार द्वारा अंगीकृत जन-विरोधी नीति के कारण, हम साधारण जनता को खाद्य राजसहायता नहीं दे सके।

महोदय, औद्योगिक ऋण तक पहुंच सुगम नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक दशकों से कोई मुख्य उद्योग प्रारंभ नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बहुत कम हैं। इसलिए, औद्योगिक क्षेत्र में केरल काफी पिछड़ गया है; इसी कारण शिक्षित युवाओं के मध्य बेरोजगारी बढ़ रही है।

मेरे राज्य में शिक्षित लोगों का एक बड़ा वर्ग खाड़ी देशों में रोजगार प्राप्त कर रहा है। वस्तुतः, हमारे शिक्षित युवाओं की प्रतिभा का लाभ खाड़ी देशों को प्राप्त हो रहा है। हम अपने देश के विकास में अपने शिक्षित युवाओं की प्रतिभा का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जबकि इन शिक्षित युवाओं के एक बड़े वर्ग को रोजगार देने के लिए वित्त मंत्रालय के पास कोई योजना नहीं है?

सभी कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाएं कम होते जा रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य और शिक्षा पर किया जा रहा व्यय काफी कम है। इसके लिए कारण यह बताया गया कि केरल राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर स्थिति है। इसलिए, केन्द्रीय सहायता को कम कर दिया गया है।

केरल के लोगों में लंबे समय से यह धारणा है कि उन्हें अनेक प्रकार से अपेक्षित किया जाता है। यह सही है कि केरल ने शिक्षा में प्रगति की है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता न दी जाये यह जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यही भेदभाव किया जा रहा है।

[श्रीमती पी० सतीदेवी]

राज्यों की ऋण लेने की शक्तियों को काफी कम किया जा रहा है। राजकोषीय सुधार के लिए वर्ष 2006-07 में ऋण सीमा को घटाकर 4672 करोड़ रुपये करने का प्रभाव राज्य सरकार के लिए विपत्तिकारक होता। इसके कारण योजना परिव्यय और सामाजिक क्षेत्र व कल्याण व्यय में अत्यधिक कटौती की जाती। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्व-शासन के लिए राज्य सरकारों से निधियों के अन्तरण का संपूर्ण मार्ग अवरूद्ध हो जायेगा। इसलिए सामाजिक सुरक्षा को बनाये रखने के लिए केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप अत्यावश्यक है।

महोदय, वृद्ध लोगों के लिए पेंशन लाभ बढ़ाए जाने चाहिए। इन्होंने अपने जीवन की एक लम्बी अवधि राष्ट्र के लिए समर्पित की है, सेना, नौसेना और वायु सेना में काम करने वालों की पेंशन भी बढ़ाई जानी चाहिए। एक-पद-एक-पेंशन को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। राज्य और केन्द्रीय वित्त को एक-दूसरे के बराबर रहना चाहिए। विकसित या अल्प-विकसित राज्यों के मध्य कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

देश में पिछले कई वर्षों से भविष्य निधि की ब्याज दर की वृद्धि की मांग के लिए आन्दोलन हुए हैं। इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

केरल राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की है परन्तु इस उपलब्धि के कारण जन स्वास्थ्य हेतु केन्द्रीय सहायता को रोका नहीं जाना चाहिये। अब, राज्य नई चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे जीवन शैली से संबंधित रोगों रोगाणु वाहक बिमारियां जैसे चिकनगुनिया, डैंगू बुखार इत्यादि के मामलों की बढ़ती संख्या। इसलिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार को मेरे राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता देने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

पोषण पर एक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या विश्व में अधिकतम है। कुपोषित बच्चों की एक-तिहाई संख्या भारत में है। विश्व के 146 मिलियन कुपोषित बच्चों में से 57 मिलियन भारत में हैं। इसमें 47 प्रतिशत देश में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। यहां तक कि उप-सहारा अफ्रीका हमसे बेहतर है जहां केवल 33 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। चीन के लिए यही आंकड़े केवल 8 प्रतिशत है। आई०सी०डी०एस० केन्द्र बढ़ाने पर मध्याह्न भोजन इत्यादि उपलब्ध करवाने पर बल दिया जाना चाहिये, जो कुपोषण के विरुद्ध अभियान का मुख्य संघटक है। यह कैवल आई०सी०डी०एस० को सुदृढ़ीकरण, आंगनवाड़ी कर्मियों को नियमित करने, कर्मियों और सहायकों को दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाकर किया जा सकता है।

हाल ही में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्रामीण कृषि क्षेत्र से शहरों के ओर पुरुषों और महिलाओं के पलायन में वृद्धि हाल ही में हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसका सबसे अधिक दुष्परिणाम ऐसे प्रवासी व्यक्तियों के बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है, जो नीति निर्धारकों को दिखाई नहीं दे रहे हैं।

महोदय, बच्चों सहित प्रवासी परिवारों के लिए जन सेवाओं और सार्वजनिक प्रणाली का प्रावधान करने तथा प्रवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मुद्दे को वरियता दी जानी/देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : सभापति जी, मैं वर्ष 2004-05 की अतिरिक्त मांगों और वर्ष 2006-07 संबंधी अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिनका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति जी, जहां तक वर्ष 2004-05 की 100 अनुदानों और 5 विनियोग की मांगों के लिये 33826.57 करोड़ रुपये व्यय हुआ है, वहां 2006-07 वर्ष के लिय 53 अनुदान मांगे शामिल हैं, जिनके 21823.92 करोड़ रुपये की मांग की गई है अगर आज मूल्यांकन किया जाये तो हम देखते हैं कि विश्व के खुशहाल देशों के क्रम में भारत का स्थान 125वां है। विश्व का सब से खुशहाल देश डेनामर्क है। उसके बाद स्विट ज़रलैंड, आस्ट्रिया, आइसलैंड हैं, जिनका स्थान यूरोपियन देशों में टॉप के 10 स्थानों में हैं। रूस और जिम्बाबवे की हालत बहुत खराब है। उसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां दसवीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर 8 प्रतिशत आंकी गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह 10 प्रतिशत हो जाये। जहां तक आर्थिक प्रदर्शन का प्रश्न है, यह तारीफ की बात है कि देश के कुछ हिस्सों में हमने विकास किया है।

सभापति जी, जहां तक देश में नौजवानों को रोजगार देने की बात है, हमारे पास ऐसी कई योजनायें हैं जिन पर हम समय-समय पर चर्चायें करते रहे हैं। मुझे याद है जब डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था – ''बेकारों को रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो'' इस नारे को मूर्त रूप देने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगार भत्ता देने का काम किया है। जिन कन्याओं ने 12वीं कक्षा पास की है, उनके लिये 20 हजार रुपये कन्या धन के रूप में देने की योजना शुरू की है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र की सरकार से कुछ राशि की मांग भी की और कहा है कि बेरोज़गारों को भत्ता और कन्याओं को कन्याधन दिया जाये ताकि वे भी देश की मुख्यधारा में आगे बढ़ सकें। समय-समय पर इस सदन में चर्चायें की गई हैं। आज महिलाओं की उपेक्षा होती है लेकिन इस सरकार ने उनके लिये कुछ नहीं किया है। आज पूरे देश में 58 प्रतिशत बेरोजगार हैं। देश में ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में 36.2 प्रतिशत बाजार बढ़ा है, एअर ट्रैफिक में 32.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और मोबाईल इंडस्ट्री कम्यूनिकेशन क्षेत्र में 48.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। यह ठीक

है कि हमने विकास किया है लेकिन आने वाले समय में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई है, उसमें साढ़े 14 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। यह भी सत्य है कि कवाड्रिलेट्रल हाईवेज़ को हमने 4-लेन का बनाया है लेकिन उसे 6-लेन करने की योजना है। इस कार्य के लिये 40 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वर्ष 2012 तक के लिये नेशनल हाईवेज़ का विकास करने के लिये जो बजट रखा गया है, उसके लिये 220 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। हमें इसी बजट से आगे कुछ करना है। 35-गैर महानगरीय केन्द्रों पर आपकी हवाई अड्डे बनाने की योजना है। हमने इस सदन में पहले भी मांग की थी कि इलाहाबाद में जो एयरफोर्स का हवाई अड्डा है, वहां सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को उतरने में काफी अड़चन होती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी वह गंभीर है। इसलिए इलाहाबाद एयरपोर्ट बनाने की बात भी आप इसमें शामिल करें। मंत्री जी का नारा है — सरकारी खजाने को बचाओं, खर्चे को घटाओ। वहीं पर मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो विदेशी यात्राओं पर जाते हैं, वर्कशॉप्स लगती हैं, सैमिनार होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि नई गाड़ियों की खरीद न हो और किराये की गाड़ियों पर चलें — उचित होगा अगर मंत्री जी उसकी शुरूआत खुद करते। जब ऊपर से शुरूआत होती है, तभी उसका असर नीचे तक जाता है।

हम तमाम इस तरह के सुझाव देते हैं, विचार रखते हैं, लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। आज जरूरत इस बात की है कि अगर व्यवस्था में परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन की दिशा ऊपर से लेकर नीचे की ओर होनी चाहिए, न कि नीचे से ऊपर की ओर। इसके लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा।

2006-2007 की पहली तिमाही में भारत का राजकोषीय घाटा 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है, जो गहरी चिन्ता का विषय है। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। विनिवेश के जरिये हमने 8000 करोड़ रुपये जुटाने की व्यवस्था की थी, लेकिन इस सरकार की मजबूरी है कि हमारे जो लैफ्ट के भाई हैं, उनके दबाव के चलते हम कोई भी निवेश की रूपरेखा तैयार नहीं करते। यह भी चिन्ता का विषय है। जहां तक किसानों द्वारा खुदकुशी करने की घटनाओं की बात है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। समय समय पर हमने सदन में इस पर चर्चा भी की है। आवासीय ऋण की जो ब्याज दरें बढ़ी हैं, उससे भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भार बढ़ा है।

अभी कुछ दिन पहले हमे इसी सदन में चर्चा की थी कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है और मंहगाई बढ़ी है। पिछले वर्ष, अगर देखा जाए, तो 19 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ी है। यदि आय में वृद्धि का प्रतिशत देखा जाए तो वह प्रतिशत बढ़ा है और दालों के दाम करीब 33 प्रतिशत तक बढ़े हैं। किसानों को गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 750 रुपये देना निश्चित हुआ था, जबकि यह समर्थन मूल्य भी अच्छा नहीं था। यही कारण था कि भारत ने आस्ट्रेलिया के किसानों को 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करके वहां से गेहूं मंगाने का काम किया। इस समय सरकार के पास प्राइवेट स्टाक नहीं होने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उसका कुप्रभाव पड़ा है और महंगाई भी बढ़ी है। हमारी हमेशा इस सदन में मांग रही है कि छोटे और सीमान्त किसानों ने जो कर्ज़ लिया है, उनका ब्याज माफ करने की जरूरत है। इस ओर भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे देश के जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वह रुक सकती हैं।

जहां तक भारत निर्माण योजना की बात है, 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। प्रत्येक जिले में 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा धन गया है, लेकिन देखा जाए तो ज़मीन पर वह स्थिति दिखाई नहीं पड़ती।

अपराह्न 4.38 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*]

बेरोजगारी की समस्या भी अभी दूर नहीं की जा सकी है। 11वीं योजना में ग्रामीण विकास पर सवा दो लाख करोड़ रुपये व्यय करने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर हम बेरोजगारी से लड़ सकते हैं। जहां तक करदाताओं को करों में छूट देने का प्रावधान था, उसे भी आप खत्म करने की बात सोच रहे हैं। यह भी सत्य है कि छूट का प्रावधान व्यय का ही दूसरा रूप है। इसलिए कर चोरों का पता, आप सर्च इंजन स्थापित करके करने जा रहे हैं। यह सच है कि बहुत से मामलों में जिस तरह कर-चोरी होती है, उसमें बहुत से लोग लिप्त हैं। अगर उसी धन को खजाने में लाया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो सकती है। आज हम पिछड़े क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि जो अंतिम व्यक्ति पंक्ति में खड़ा है, हम उसका कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, लेकिन गरीब तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ... *(व्यवधान)* मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है।

सभापति महोदय : मैं अभी यहां बैठा हूं। आप तो काफी देर से बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : देश के विकास के लिए आज जरूरी यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करें, तभी जाकर हम अपने देश को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि एक अरब की आबादी वाले इस देश में केवल तीन करोड़ लोग आयकर के दायरे में हैं। बाकी अगर देखे जाए, मान लें कि एक लाख रुपए से अधिक आमदनी के लोगों को छोड़ कर बाकी जितने लोग हैं, उनकी केवल एक लाख आमदनी है। आज भी 70 प्रतिशत आयकर दाता वेतन भोगी कर्मचारी हैं। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन पर गौर किया जाए तो 21 से 40 प्रतिशत आज शहरों की आबादी बढ़ी है और वहां भी दिक्कत है। आज हम 90 प्रतिशत बुजुर्गों को

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 30 प्रतिशत ऐसे बुजुर्ग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, 33 प्रतिशत बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। उनके लिए कुछ करने की जरूरत है। अगर अगले तीन वर्षों के आंकड़े इस देश के देखे जाएं तो करोड़पतियों की संख्या 12.8 प्रतिशत और आगे आने वाले समय में लगभग 11 लाख तक पहुंच जाएगी। भारत के पास इस समय कम से कम 203 अबर डालर की नकद राशि है, आने वाले समय में, सन् 2009 में यह लक्ष्य है कि यह 322 अरब डालर तक पहुंच जाएगी। कृषि से भी हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। जहां 19 प्रतिशत पिछले वर्ष महंगाई बढ़ी है, उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्टाक को रख कर हम बचा सकते हैं। आज भी भारत में 40 करोड़ श्रमिक मजदूर हैं, 92 प्रतिशत असंगठित मजदूर हैं, जिसकी चर्चा अभी सदन में हमने की है। पूरी दुनिया की फीगर्स ले ली जाएं तो 33 प्रतिशत आज भी निरक्षर भारत में हैं। अगर देखा जाए तो आज भी भारतवर्ष में 70 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है आज हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। इस देश में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, इसका मूल्यांकन करने की जरूरत है। हम लोग डिमांडस के लिए सर्वसम्मति से आपको धनराशि देने पर यहां स्वीकृति दे देंगे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि इस विकास की गाड़ी को गांव तक ले जाएं, तभी हमारा देश विकास करेगा।

महोदय, मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कई वर्षों से बराबर स्पेशल पैकेज की मांग की है। 17230 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग हमने बराबर की है। आपने अन्य प्रदेशों को दिया है, मैं उसका विरोध नहीं करता, आप उन्हें दें, लेकिन इस बजट में जो पावर प्रोजेक्ट की परियोजनाएं लम्बित हैं, जो केन्द्र सरकार के पास हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इसके मूल्यांकन की जरूरत है। अगर इस पैकेज को देंगे तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री बजट 2006-07 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश की आजादी के लगभग 60 वर्ष हो रहे हैं और पिछले 60 वर्षों से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि देश का जो अंतिम पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति है, उस तक विकास की किरण जाए और उसकी दशा सुधरे। मगर ऐसा अहसास हो रहा है कि लाख प्रयास के बावजूद भी देश का जो अंतिम व्यक्ति है, यह खुशहाल नहीं है। गांव में जो रहता है, जो गंदी बस्तियों में रहता है, मेहनत एवं मजदूरी करता है, ठेला एवं रिक्शा चलाता है, जो छोटे-छोटे व्यवसायों में लगा है, वह आज दुखी हालत में है। आज यह हालत है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, वह अपने परिवार को दो वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा है, जब कि वह दिन भर मेहनत, मजदूरी करता है। मगर जब रात को वह घर आता है, और उसके बच्चे और परिवार के लोग रोटी मांगते हैं, लेकिन वह रोटी नहीं देता, बल्कि रोटी की जगह बच्चों को थप्पड़ मारता है। बच्चे बेचारे रोटी की जगह थप्पड़ खाकर और खून के आंसू पीकर सो जाते हैं। आज देश की हालत आबादी बढ़ने के कारण बहुत खराब है। हम बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब तक बढ़ती आबादी को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक देश इसी गरीबी और फटेहाली की हालत में रहेगा। इसलिए सरकार का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह देश की आबादी को नियंत्रित करने हेतु समुचित पग उठाए।

महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने पर गहराई से विचार करना चाहिए। सम्माननीय सदस्य इस समस्या पर विचार करें और सरकार इस बारे में कुछ ठोस कदम उठाए, ठोस निर्णय ले। हमारी सरकार आजादी के बाद से देश के विकास हेतु समुचित आर्थिक नीति बनाकर उस पर चलती रही है, लेकिन आज भी अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति खुशहाल नहीं है। जब तक वह खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं, उनके कारण देश में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, यह खाई दिनोंदिन चौड़ी होती जा रही है। आज हालत यह है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। हमने अमीर और गरीब की खाई को जितना भरने की कोशिश की, वह उतनी ही और चौड़ी होती गई। इसलिए सरकार को कोई ऐसी ठोस नीति बनानी चाहिए, जिससे अमीर और गरीब की खाई कम हो और हम इस पर नियंत्रण कर सकें।

महोदय, आज स्थिति यह है कि गरीब आदमी दर-पुश्त-दर गरीब होता जा रहा है और अमीर दर-पुश्त-दर अमीर होता जा रहा है। जो किसान पहले खेत और खलिहान में काम करता था, आज उसका बेटा भी वही कर रहा है। जो गरीब पहले ठेला चलाता था, आज उसके बच्चे भी ठेला ही चला रहे हैं। जो पहले बिना छत के थे, आज उनके बच्चे भी बिना छत के नीचे खुले आसमान में जी रहे हैं। आज हम देश के आर्थिक संकट को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देश की गरीबी पर चोट करने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह कोई ऐसे ठोस कानून बनाए, जिससे देश में अमीरी और गरीबी का गैप कम हो सके, उस पर नियंत्रण लग सके। देश में आज अमीरी 50-100 घरों में सिमट कर

रह गई है। सिर्फ कुछ घराने ही धन पर नियंत्रण कर रहे हैं और देश के शेष लोग अभाव और गरीबी में जीने को विवश हैं।

महोदय, हमारी यू०पी०ए० की सरकार ने इस दिशा में कुछ कठोर कदम उठाए हैं। इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी सदन में बराबर बयान देते रहे हैं और यहां गरीबी को दूर करने पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन वह चर्चा केवल चर्चा मात्र बनकर रह गई है, उसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह इस समस्या पर गौर फरमाए और जो अर्थव्यवस्था 50-100 घरों में सिमट कर रह गई, उसे उनकी कैद से आजाद कराएं ताकि आम आदमी का जीवन ऊपर उठ सके और उसे दो समय की पेट भर रोटी मिल सके। देश में आज कहीं नक्सली मूवमेंट चल रहा है और कहीं आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। इन सब की वजह पेट की भूख है। यदि हर पेट को भरपेट रोटी मिल जाए, उसे उसकी नीड की आवश्यक चीजें मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होगा।

सब लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाये, सब लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाये, हर गांव में खुशहाली आ जाये तो मैं समझता हूं कि हम नियंत्रण कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर जो हमारे नोजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं, खास तौर पर उन पर हम नियंत्रण करने का काम कर सकते हैं। यह बात सही है कि आज गांव से लोग शहर में आ रहे हैं। शताब्दी की शुरूआत से शहरी आबादी 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है, यह चिन्ता का विषय है। गांव अगर खाली होकर शहर में आ जायेगा तो समस्या हो जायेगी। आज इतनी बड़ी समस्या क्यों है, अभी नियम 193 के तहत बहस चल रही है, असंगठित मजदूरों की बात है, दिल्ली जैसे शहर में रिक्शा वाला, ठेले वाला कानून बन गया कि बन्द करो, मत चलाओ, आज यह स्थिति है। आज झुग्गी-झोंपड़ियों का आन्दोलन हो रहा है। कल ही एक प्रदर्शन हुआ, माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर लाखों लोग अपनी मांगों के समर्थन में यहां जुटे थे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं दिल्ली में 16-17 सौ ऐसी झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, जो अवैध हैं, और उससे कई तरह की समस्याएं शहरों में बढ़ रही हैं। यह सिर्फ महानगरों में ही नहीं, मेरे पटना क्षेत्र में भी है। मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। वहीं करीब-करीब 50-60 बड़े-बड़े स्लम हैं, जिनमें गरीब तबके के लोग रहते हैं। यह अलग बात है कि वहां की सरकार उनको उजाड़ रही है, मार रही है, पीट रही है तो वे बेचारे कहां जायें। अब आदमी पैदा हुआ है तो वह कहीं तो रहेगा। कम से कम उसे रहने के लिए झोंपड़ी तो जरूर चाहिए। हम उन लोगों को पक्का मकान नहीं दे सकते हैं।

वैसे सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, शहरी गरीबों के विकास के लिए नेहरू जी के नाम पर जवाहर लाल नेहरू मिशन योजना को लागू किया है। उसमें 63-64 शहरों का चयन किया है। हमारे यहां पटना, बोधगया और गया शहर का भी चयन हुआ है, मगर दुर्भाग्य है कि वहां की सरकार और शासन ने अभी तक वहां से डी०पी०आर० बनाकर भी नहीं भेजा, वह इतनी भी सक्षम नहीं है, ताकि सरकार उसमें राशि आबंटित करे। अगर एक शहर में कम से कम 500-600 करोड़ रुपया जाता तो वहां के जो गरीब तबके के लोग हैं तो गरीबों के विकास के लिए मिशन लागू कर देते। यू०पी०ए० सरकार ने कदम उठाया है, आज तक यह व्यवस्था नहीं थी, मगर उसका अनुकरण नहीं हो पा रहा है। यह वहां की सरकार का फाल्ट है, यहां की सरकार का फाल्ट नहीं है, वह अलग बात है। सारे लोगों की पिटाई हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं। हमारे पटना शहर में उसी तरह से पूरे देश के पैमाने पर यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी बता रहे थे कि लगभग 34 करोड़ की आबादी है, जो असंगठित मजदूर हैं, जिनकी लड़ाई है, जिस चर्चा में आप भी चर्चा कर रहे थे। माननीय सदस्यों ने चर्चा करने का काम किया है तो क्या उनको जीने का हक नहीं है? जब वह पैदा हुआ है तो संवैधानिक अधिकार तो वहां से ही शुरू हो जाता है। सरकार को चाहिए कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था, उनके मकान की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। मैं समझता हूं कि इस बजट में असंगठित मजदूरों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ...*(व्यवधान)* अभी से घंटी बज रही है?

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का समय बहुत पहले समाप्त हो गया और एक और वक्ता बाकी हैं।

श्री राम कृपाल यादव : पार्टी का समय तो खत्म हो गया, वह मैं जानता हूं, मगर आपकी विशेष कृपा हो जायेगी तो मैं कुछ और बोल दूंगा। लेकिन अगर आपका निर्देश होगा तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : आप जल्दी समाप्त करें

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपनी दर्द भरी बात कह रहा हूं। अगर मौका मिल है तो कहने दीजिए।

सभापति महोदय : आपका दर्द जल्दी बाहर हो जाये तो एक और सदस्य, जो बचे हुए हैं, वे बोल लेंगे।

श्री राम कृपाल यादव : हम अपनी बात खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं बता रहा था कि इस बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, जिस कमेरे वर्ग की चर्चा की थी। आप व्यवस्था कीजिए, आप कानून बनाइये, इनके हाल पर मत छोड़िये, लाठी खाने और मार खाने के लिए मत छोड़िये। आप कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रिक्शा, ठेले वालों को आपने बन्द कर दिया। आप उनके लिए कानून बनाइये। जब तक कानून नहीं बनाइयेगा, तब तक उनको

[श्री राम कृपाल यादव]

रोजगार कैसे मिलेगा। आप उनको बाध्य कर रहे हैं कि वे हाथ में हथियार उठायें और वे गलत काम में संलिप्त हो जायें। उनके लिए आप व्यवस्था कीजिए, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा।

गरीबी उन्मूलन, इस बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। गरीबी उन्मूलन आपका उद्देश्य है, मगर आप देखिए कि गरीबी का कहां उन्मूलन हो रहा है? आप राशि आवंटित कर रहे हैं। आपके पास स्कीम है। उसमें कितनी राशि आप आवंटित कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने इसकी मानिटरिंग की है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं में आप जो राशि आवंटित कर रहे हैं, क्या आपने गौर से देखा है कि उससे कितना गरीबी उन्मूलन हो रहा है? गरीबी उन्मूलन योजना चल रही है लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है – यह कौन सा नियम है, कौन सा कानून है? आप गरीबी उन्मूलन कर रहे हैं लेकिन उन्मूलन हो रहा है या नहीं, इसकी मंत्री जी आप मानिटरिंग तो करिए। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है और विचार किया है। केवल नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। आप नीयत ठीक रखिए। आप नियम बना रहे हैं, लेकिन आप नीयत साफ रखिए और उसे सरजमीं पर उतारने का काम करिए, तभी मैं समझता हूं कि आप गरीबों की रक्षा और सुरक्षा की बात आप कह सकते हैं।

यह नार्थ-ईस्ट की बात कही जाती है। इस क्षेत्र के लिए हम पैसा देते हैं हम वहां बजट का दस प्रतिशत अधिक देते हैं। हम नार्थ-ईस्ट की गरीबी और फटेहाली को दूर करने के लिए और उसके विकास के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन क्या उस पर आपकी नजर गयी है कि कितना पैसा खर्च हुआ और जिस उद्देश्य से आप पैसा दे रहे हैं, उसकी कितनी प्रोग्रेस हुयी? नार्थ-ईस्ट के जो कई छोटे-छोटे राज्य हैं, वहां की अपनी एक विशेष हालात है, वहां भी बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे हैं। बोडोलैंड और भी न जाने क्या-क्या, वहां रोज आंदोलन होते हैं। जो पैसा आप दे रहे हैं, क्या उस पर आपका कोई नियंत्रण है? क्या आप उसकी मानिटरिंग करते हैं? क्या आप देखते हैं कि जिस योजना के लिए आपने पैसा दिया, उस योजना की कितनी प्रगति हुयी है? नार्थ-ईस्ट के उस इलाके में कितना पिछड़ापन दूर हुआ? शिक्षा स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी में कितना पैसा लगा, या बच गया? इसे अगर देखने का काम आप नहीं करेंगे, तो आप पैसा देते रहिए, अगर वह खर्च नहीं होगा, तो सब बेकार है। आप चाहे जितना पैसा देते रहिए, इसलिए आप इसे भी नियंत्रित करने का काम करिए – यही मेरा आपसे निवेदन है।

जन स्वास्थ्य आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दिनों पूरे देश के पैमाने पर छः एम्स हास्पिटल्स के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने तय किया था, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं दिया था। उस समय चुनाव थे और अपना प्रचार करने के लिए, जिससे चुनाव में हमें वोट मिल जाएगा, जहां हास्पिटल बनाओ, वहां हास्पिटल बनाओ, लेकिन पैसा ही नहीं दिया, केवल शिलालेख का बोर्ड लग गया। माननीय उपराष्ट्रपति जी को हमारे इलाके में ले आया गया? मगर पैसा नहीं मिला। आपने पैसा दिया है, तो कितना पैसा दिया है, उसकी कितनी डिमांड है, कितना खर्च करना है, आप पैसा थोड़ा-थोड़ा देंगे, तो अगले पचास सालों में भी वे नहीं बन पाएंगे। आपने जो पैसा हमारे पटना संसदीय क्षेत्र के लिए दिया है, उड़ीसा को दिया है, करीब चार-पांच राज्यों को और मिला है, मेरा निवेदन है कि आप सभी जगह पर्याप्त पैसा दीजिए। वहां बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। वहां हास्पिटल नहीं होने की वजह से दिल्ली में भीड़ लगी रहती है। जब भी लोगों को परेशानी रहती है, वे यहां आ जाते हैं। यहीं आम गरीब नहीं आ पाता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एम्स हास्पिटल्स के लिए कारगर ढंग से पैसा दीजिए, जो पटना सहित जो दूसरे पांच राज्यों में खुलने हैं, ताकि वहां एम्स हास्पिटल्स खुल सकें।

सभापति महोदय : आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं आपनी बात जल्द ही समाप्त करता हूं। आप एक वार्षिक प्लान बनाइए, कितना पैसा दिया है, इसकी जानकारी लीजिए और पैसा देकर एम्स जल्दी बन जाए, उसकी व्यवस्था करने का काम करिए। जो राज्य है, वहां पैसा मिलता है, आपके पास कितने आंतरिक संसाधन है, उस आधार पर पैसा मिलता है। आंतरिक आधार जिस राज्य का नहीं है, जो पिछड़ा राज्य है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि कई ऐसे प्रदेश हैं, जिनकी हालात और आंतरिक रिसोर्सेज बढ़िया नहीं हैं। इस तरह से आप क्राइटेरिया बनायेंगे, तो आंतरिक संसाधन बढ़ेंगे, उसके लिए कोई प्रयास करिए – नहीं तो उन पिछड़े राज्यों पर विशेष कृपा करने का काम करिए। क्या जो भाई पिछड़ा है, वह पिछड़ा रहेगा, जो बीमार है, वह बीमार रहेगा? बीमारू राज्यों को भी, जैसे बिहार, उड़ीसा उत्तर प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों के उत्थान के लिए, हमारे बिहार की हालत सबसे खराब है, उड़ीसा की हालत खराब है, उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, इन राज्यों को उपर उठाने के लिए और इन राज्यों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप कोई योजना बनाइए।

अपराह्न 5.00 बजे

आप योजना आयोग पर दबाव डालें। सरकार की नीति होनी चाहिए कि पिछड़े राज्यों के उत्थान के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाए। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। झारखंड बनने के बाद वहां आमदनी के साधन बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आपने विशेष कृपा की है, इसके लिए मैं यू०पी०ए० सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वह खर्च नहीं हो रहा है, यह अलग बात है। आप हजारों करोड़ रुपये दे चुके हैं, लेकिन वहां पैसा खर्च नहीं

हो रहा ह। ऐसे राज्यों के लिए आप क्या करेंगे ...*(व्यवधान)* यह बात सही है कि जहां आन्तरिक संसाधन कमजोर हैं, वहां कुछ किया जाना चाहिए। वहां फैक्ट्री नहीं हैं, आप फैक्ट्री लगवाइए, कोई विशेष कृपा कीजिए, योजनाएं बनवाइए। ...*(व्यवधान)* पिछड़े राज्यों के लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई विशेष योजनाएं देने का काम कीजिए, उन्हें आर्थिक रूप से मदद देने का काम कीजिए, ताकि उन राज्यों का विकास हो सके वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। जब तक देश के गरीब लोग रोते रहेंगे, देश रोता रहेगा, जब तक इस देश के गरीब लोग मरते रहेंगे, देश मरता रहेगा, जब तक किसान मरते रहेंगे, देश मरता रहेगा। ...*(व्यवधान)* वैसे जो योजनाएं बन रही हैं, वे कागजों में ही रह जाएंगी, इसलिए कोई ठोस उपाय करवाइए और देश के अवाम के लिए कोई अच्छी व्यवस्था कीजिए ताकि अमीरी और गरीबी में जो खाई बढ़ती जा रही है, उसे कम किया जा सके, मिटाया जा सके।

[अनुवाद]

***श्रीमती वी० राधिका सेलवी** (तिरूचेन्दूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2006-07 के बजट (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं। मैं हमारे नेता और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ० के० करूणानिधि को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे इस गरिमामय सदन में पहुंचने के काबिल बनाया। मैं तमिलनाडु की राजनीति के क्षितिज पर उभरते सितारे, दूसरी पीढ़ी के अग्रणी नेता और तमिलनाडु के स्थानीय प्रशासन मंत्री माननीय एम०क० स्टालिन का भी आभार व्यक्त करती हूं। मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन सहायता कोष शीर्ष के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने में लगे मजदूरों की सहायता और कल्याणकारी उपायों के लिए 8.70 करोड़ रु० आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि वास्तविक स्थिति से निपटने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं होगी इसलिए इस राशि को और बढ़ाया जाए। केन्द्र सरकार की ओर से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को शामिल करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 10 करोड़ रु० आवंटित करना एक स्वागत योग्य कदम है। 1.82 करोड़ रु० तमिल भाषा के विकास के लिए दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तमिलनाडु को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। मेरे सम्माननीय सहयोगी श्री के०एस० राव और श्रीमती सतीदेवी ने पूरे देश में किसानों की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया है। किसानों की स्थिति निरंतर दयनीय बनी हुई है। कृषक हमारी अर्थव्यवस्था और इस देश की रीढ़ हैं। क्योंकि जब वे खेतों में काम करते हैं तभी हम खाना खा पाते हैं। लेकिन किसान जो दु:ख और कष्ट झेल रहे हैं इनसे उनकी हालत खस्ता है। यही कारण है कि हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किसानों के आंसू पोंछने के लिए साहसी कदम उठाए हैं विशेषकर ऋण भार के संबंध में जिससे उनकी स्थिति दयनीय हुई थी। उन्होंने फसल ऋण माफ कर दिए और ब्याज के भार को भी हटा दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के० करूणानिधि ने सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दिए गए लगभग 7000 करोड़ रु० का ऋण माफ कर दिया है। मैं केन्द्र सरकार से देश के विभिन्न भागों में रह रहे किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए भी इस प्रकार की कार्रवाही करने का आग्रह करती हूं। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कृषि ऋणों की भी केन्द्र सरकार द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए ताकि किसानों को कर्ज के बोझ, जो कृषि के विकास में बाधक है, से मुक्ति दिलाई जा सके। जहां तक शैक्षणिक ऋण का सम्बन्ध है, यह बाधारहित है, और सामान्यत: सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋण कुशलता से वितरित किया जा रहा है लेकिन वास्तविकता यह है कि जरूरतमंद गरीब जरूरत के समय शैक्षणिक ऋण नहीं ले पाते हैं। गरीब लोग जब कभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें दर-दर भटकना पड़ता है। राष्ट्रीयकृत बैंक अपना तैयार जवाब देते हैं कि उन्होंने शैक्षणिक वर्ष हेतु शैक्षणिक ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अत· मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इस शैक्षणिक ऋण सुविधा को और अधिक सरल बनाया जाए ताकि जरूरतमंद गरीब लोग भी ऐसे ऋण प्राप्त कर सकें। शैक्षणिक ऋण के रूप में दी जानी वाली धनराशि को भी और बढ़ाया जाए। मैं वित्त मंत्री जी से यह स्पष्ट करने का आग्रह भी करती हूं कि क्या वास्तव में ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यदि ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो उनमें और वृद्धि की जा सकती है।

कन्याकुमारी देश के दक्षिणी किनारे पर भारत का सुदूरतम स्थल मेरे संसदीय क्षेत्र तिरूचेन्दूर के निकट अवस्थित है। कन्याकुमारी महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है जो विश्व के अनेक भागों से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। मैं केन्द्र सरकार से कन्याकुमारी को अधिक आकर्षित बनाने का प्रयत्न करने का आग्रह करती हूं ताकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यह महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र बन सके। केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वह कन्याकुमारी को विकसित आधारभूत सुविधाओं और अतिरिक्त सुविधाओं से संपन्न आदर्श पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करे। इसके लिए अधिक धन आवंटित करने की जरूरत है, जब इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए तो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण निकटवर्ती स्थानों और उन क्षेत्रों को, जो निर्यात में योगदान करते हैं जैसे मेरे संसदीय क्षेत्र में थोवालाई जहां से फूलों का निर्यात किया जाता है को भी निधियां प्रदान की जाएं। यहां पुष्पकृषि एक परंपरागत व्यवसाय है और इस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर फूलों का निर्यात किया जाता है।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्रीमती वी० राधिका सेलवी]

निर्यातकों, जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान कर रहे हैं, की यह मांग है कि निर्यात योग्य फूलों को बचाने के लिए प्रशीतन भण्डार सुविधाएं प्रदान की जाएं। अत: मैं केन्द्र से आग्रह करती हूं कि थोवालाई में परंपरागत फूल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां प्रशीतन भण्डारण सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

तमिलनाडु की एथलीट कुमारी एस० शान्ति, जिसने दोहा में चल रहे एशियाई खेलों में पदक तालिका में हमारा खाता खोला, को प्रोत्साहित किया गया है। और 15 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा हमारे नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा० के० करूणानिधि द्वारा की गई है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करती हूं कि दोहा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारत के अन्यसमी पदक विजेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसी प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए। यह आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे युवा खिलाड़ी आगामी राष्ट्रमण्डल खेलों और ओलम्पिक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ऐसे प्रोत्साहन युवा पीढ़ी जो हमारे देश की जनसख्या का बड़ा भाग है, में एथलेटिक्स और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। खेलों और एथलेटिक्स के लिए आधारभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए। खेल के उपयुक्त मैदान और सामान उपलब्ध करवाने चाहिए और खेलों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए। खिलाड़ियों को पोषक भोजन बेहतर प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए। इस विशेष उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार को अधिक धन आवंटन के साथ ही विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

राजस्व संग्रहण हेतु वर्तमान में प्रवर्तित बिक्री कर के स्थान पर तमिलनाडु अब मूल्य वर्धित कर (वैट) शुरू करने वाला है। राजस्व घाटे, जो कर प्रणाली में इस परिवर्तन के कारण हो सकता है, को पूरा करने के लिए तमिलनाडु के हमारे मुख्यमंत्री जी ने — हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस बात पर जोर दिया कि इसमें आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कम-से-कम शुरू में सौ फीसदी मुआवजा दिया जाना चाहिए। पिछले 4.5 वर्षों से सुश्री जयललिता के पिछले शासनकाल में, सरकारी सेवाओं में रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया। सरकारी नौकरियों पर एक तरह से अघोषित प्रतिबंध था। तब रोजगार के अवसर और रोजगार सृजन बिल्कुल भी नहीं था। अब हमारे मुख्यमंत्री ने रोजगार अवसर और रोजगार प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। इन सकारात्मक उपायों के साथ आगे बढ़ने में, तमिलनाडु सरकार को धनाभाव का सामना करना पड़ रहा है। अब, तमिलनाडु में हजारों नवयुवकों सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। तमिलनाडु समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में, आरंभिक समस्याओं से निपटने के लिए, हमें तमिलनाडु के लिए ज्यादा धन या मुआवजे के माध्यम से केन्द्र सरकार से सहायता की आवश्यकता है। अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि तमिलनाडु द्वारा वैट शुरू करने से हुए नुकसान की पूर्णत: क्षतिपूर्ति की जाए।

हमारे नेता और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री डा० के० करूणानिधि ने नदियों को आपस में जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस पर जोर दिया था। तमिलनाडु में सिंचाई जल आपूर्ति में कमी हुई है। यहां पेयजल आपूर्ति की भी कमी है। सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जल की प्राप्ति के लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रायद्वीपीय नदियों के व्यर्थ प्रवाह को रोककर नदियों को जोड़ने की योजना के द्वारा उन्हें संरचनात्मक तरीके से जोड़ा जाना चाहिए। दूर-दराज के क्षेत्रों में अनेक गांव ऐसे हैं जहां मूलभूत पेयजल संसाधन भी नहीं है। अनेक गांव हैं जहां पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था नहीं है और वर्षा ऋतु के दौरान वे बाढ़ से प्रभावित होते हैं लेकिन वर्ष की शेष अवधि में सुखाग्रस्त रहते हैं। अत: उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा अधिक धन देने और भारत में नदी जोड़ो परियोजना को अगली पंचवर्षीय योजना में शुरू करने तथा अगले बजट में इसकी घोषणा किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं बीड़ी मजदूरों और उनके परिवारों की दयनीय स्थिति को आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं। उनमें से हजारों मैरे संसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं। उन्हें वर्तमान ई०एस०आई० डिस्पेंसरियों में भी पर्याप्त मेडीकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं डॉक्टरों सहित पर्याप्त संख्या में मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है। बड़ी असाधारण स्थिति है कि एक डॉक्टर पांच अस्पतालों को संभालता है। इन बीड़ी मजदूरों, जिन्हें अपने व्यवसाय के कारण स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाता है, के स्वास्थ्य की बेहतर देखरेख के लिए, पर्याप्त संख्या में नर्सें उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए आधारभूत सुविधाओं में और वृद्धि की जानी चाहिए। चेरानमलदेवी क्षेत्र में रह रहे बीड़ी मजदूरों के लिए शीघ्र ही बेहतर आधारभूत सुविधाओं वाले अस्पताल की आवश्यकता है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हैं कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए और शीघ्र ही पर्याप्त धन आवंटित किया जाए। बीड़ी मजदूरों के बच्चे केन्द्र सरकार द्वारा गठित कोष से शैक्षणिक छात्रवृत्ति के पात्र हैं, लेकिन जरूरतमंद छात्रों तक छात्रवृत्ति सुविधाएं जरूरत के समय नहीं पहुंच रही है। यह छात्रवृत्ति सुविधा सरल होनी चाहिए और जरूरतमंदों को समय पर मिलनी चाहिए। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हैं। अत: व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है और इसे सरल और कारगर बनाने की जरूरत है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीड़ी मजदूरों के स्कूल जा रहे सभी बच्चों को यह छात्रवृत्ति अवश्य मिले क्योंकि केवल इसी से उन्हें पिछड़ेपन और गरीबी के चंगुल से छुटकारा मिल सकता है। इसी के साथ,

बजट (सामान्य) की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को अपना समर्थन देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि 20वीं सदी के अंतिम दशक के आरंभ में बर्लिन की दीवार को ढहाए जाने पर काफी विस्तार से हुई चर्चा याद होगी। यह एक युंग का अंत और आशाओं और आकांक्षाओं का उदय था। दीवार ढहा दी गई और उन लोगों के निजी कम्प्यूटरों, जो इसे प्राप्त कर सके, पर सम्पूर्ण विश्व के लिए झरोखे खोल दिए गए। बीसवीं सदी के मध्य में, मानवीय आशाओं और आकांक्षाओं की उमंग थी। हर नये स्वतंत्र राष्ट्र का एक स्वप्न था। हर इंसान को समान अवसर, मानव गरिमा और अपने कार्यकलाप का विकास करने और उत्पादकता में योगदान देने का अवसर मिलने की संभावना थी।

ये स्वप्न आंशिक रूप से ही सच हो सकते थे। असमानताएं समाप्त नहीं हुई। लाखों लोग आज भी भोजन, जल, आवास और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं यह फासला तेजी से बढ़ रहा है। इन हालात में हम अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं और भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नवीनतम आंकड़े जुलाई-सितंबर 2006 में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहे हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि काफी व्यापक आर्थिक विकास हो रहा है। पिछली चार तिमाहियों में यह सर्वाधिक विकास दर है। पिछली तीन तिमाहियों में यह विकास क्रमश: 8.5 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत रही थी। सकल घरेलू उत्पाद विकास दर में विनिर्माण और निर्माण, और होटलों, परिवहन और वित्तीय सेवाओं जैसे सेवा क्षेत्रों का योगदान रहा है। मुझे आशा है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक 10 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद की उच्च विकास दर प्राप्त करेंगे और भारत विश्व में एक मुख्य आर्थिक शक्ति बन जएगा।

वे सभी जिन्हें इस उच्च विकास दर से लाभ हो रहा है, प्रसन्न हैं और मुक्त बाजार की अर्थव्यवस्था का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन निचले स्तर की 30 प्रतिशत जनसंख्या, जो लगभग 300 मिलियन है, के लिये कुछ नहीं बदला है। वे किवास को वैसे ही अप्रत्यक्ष ढंग से महसूस कर रहे हैं, जैसे हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जा रहे धुम्रपान के प्रभाव को निष्क्रियता से अनुभव करते हैं। वे सहिष्णुता से इस विकास को प्रदूषण की बढ़ती मात्रा, अपेक्षाकृत महंगे मूलभूत सामान, रहने के स्थान और अच्छी नौकरियों की कम संख्या के रूप में महसूस कर रहे हैं। आठ से नौ प्रतिशत विकास के साथ अधिक नौकरियां उपलब्ध होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश निर्धन गांवों में हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कोई विकास नहीं हुआ है। लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या भारत के छ: मिलियन गांवों में है और 68 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 50 प्रतिशत है। विनिर्माण विकास दर केवल 11.3 प्रतिशत तक ही बढ़ रही है, और केवल उच्च कृषि विकास ही रोजगार मुहैया करा सकता है और कराएगा और इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है।

संगठित विनिर्माण क्षेत्र नौकरी ढूंढ़ने वालो की बढ़ती संख्या को रोजगार उपलब्ध करवा सकता था लेकिन इस क्षेत्र में रोजगार तेजी से नहीं बढ़ रहा है। विनिर्माण उद्योग में श्रमिकों की कम खपत के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आर्थिक सुधारों के बाद हुए औद्योगिक पुनर्निर्माण के कारण उत्पादकता बढ़ाने के लिए श्रमिकों का स्थान मशीनों ने ले लिया।

मूल रूप से कम कृषि उतपादकता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुई है, और यह हमारे देश के कई भागों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे के न होने के कारण हुआ है। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, में सरकारी निवेश में निरंतर गिरावट ने भी ग्रामीण भारत को अकिंचन बना दिया है। आज ग्रामीण युवक आमतौर पर सेवा क्षेत्र में नौकरियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

शिक्षा बीच में छोड़ देने के मामले अधिकांश जिनकी संख्या लाखों, में हैं गांवों के विद्यालयों में होते हैं। काम की तलाश आमतौर पर निरर्थक होती है ओर उनकी यह कुंठा आक्रोश में बदल जाती है। कठोर सत्य का सामना कर चुके असंतुष्ट युवा जो बाजार में उपयुक्त नौकरियां पाने में असमर्थ हैं, आसानी से हिंसा की ओर उन्मुख हो जाते हैं। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ कृषि में भी अधिक निवेश करने की आवश्यकता है।

असमानताएं बढ़ रही हैं और आय में असमानताएं भी बढ़ गई हैं। वर्ष 2004 में 20 प्रतिशत ऊंचा तबके के लोगों अर्थात लगभग 200 मिलियन लोगों की, आय लगभग 20,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह थी, जबकि 20 प्रतिशत सबसे निचले तबके की आय 4,000 रुपये प्रति माह से कुछ ही अधिक थी और अंतिम 10 प्रतिशत की आय 3,500 रुपये प्रति माह से थोड़ा अधिक थी, जो पांच सदस्यीय एक परिवार के लिए अति अल्प है। अब जबकि आर्थिक सुधार शुरू हो चुके हैं, 20 प्रतिशत को कर सुधारों से भी लाभ हुआ है। उच्चवर्गीय 20 प्रतिशत धनिकों को कर सुधारों से लाभ हुआ है।

धनी मध्यम वर्ग के पास काफी प्रयोज्य आय है और वह काफी आरामदेह वस्तुएं और सामान खरीद सकता है। भारत का कारपोरेट क्षेत्र विकसित हो रहा है और लंदन की 'द इकोनोमिस्ट' पत्रिका के अनुसार, हमारे कारपोरेट एक्जिक्यूटिवों को दुनिया में सर्वाधिक वेतन मिलता है, लेकिन उनकी संख्या चंद हजार है। मध्यम वर्ग के कारण भारत पाश्चात्य विलासोपकरणों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कंपनियां विशाल धनराशियों

[श्री भर्तृहरि महताब]

देकर ब्राण्ड एम्बसेडर नियुक्त कर रही हैं। लेकिन दु:खी निचले तबके पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा, आधुनिक घरों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा होगा। आखिरकार, किसी भी शहर में, चाहे वह दिल्ली, मुम्बई या इस देश का कोई अन्य शहर हो, झुग्गी-झोपड़ियों और गगनचुम्बी इमारतों का समानांतर विकास कैसे हो सकता है? जब तक आप बुनियादी ढांचे के लिए व्यय को बढ़ाते नहीं हैं या प्राथमिकताबद्ध नहीं करते, अधिक सड़कें या सिंचाई प्रणाली नहीं बनाते ग्रामीण भारत इस उच्च विकास प्रक्रिया में भागीदारी नहीं कर पाएगा।

वर्ष 2006 समाप्त होने वाला है, सरकार उत्साहित और उल्लसित है क्योंकि अर्थव्यवस्था दोहरे आंकड़ें विकास की तरफ बढ़ रही है, लेकिन विकास की अपनी कीमत होती है और वह है स्फीति। अपनी ही समृद्धि से भ्रमित भारतीय मध्यम वर्ग इन आंकड़ों को नजरअंदाज कर सकता है लेकिन इस सच को मानना चाहिए। कि अपने देश में मुद्रा-स्फीति 5 प्रतिशत बढ़ी है। विश्व भर में कच्चे तेल का मूल्य 55 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो रहा है। ये उस स्तर से 20 अमरीकी डालर कम हैं, जिस पर सरकार ने घरेलू पेट्रोल मूल्य बढ़ाए हैं। अब, कुछ कटौती हुई है, जो आपने की है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों की गिरावट के समानुपातिक नहीं है। ईंधन के मूल्यों से अधिक यह घरेलू मूल्य में वृद्धि है जिसका स्फीति दर की निरंतर वृद्धि में योगदान है। ऐसे देश जिसने दशकों पहले खाद्यान्न के क्षेत्र में स्वयं को आत्म-निर्भर घोषित कर दिया था, के लिए खाद्यान्नों और अनिवार्य मदों की कमी से अधिक लज्जाजनक कुछ नहीं है जिसके कारण उनके मूल्यों में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 7.7 प्रतिशत बढ़ा था। निर्यातों में कटौती अथवा आयातों को बढ़ावा देने से मूल्य की बढ़ोत्तरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है।

तीव्र आर्थिक विकास मदों की पर्याप्त आपूर्ति और सेवाओं के समतुल्य होना चाहिए अथवा मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी। यह हमने कक्षा में पढ़ा है। अनिवार्य मदों और सब्जियों के बढ़ते मूल्य से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पहले ही 8 प्रतिशत तक पहुंच गया है। आज, स्फीति आर्थिक उछाल के साथ जुड़ी हुई बुराई है, जिस पर निर्धन वर्ग की सुरक्षा के लिए नियंत्रण लगाया जाना जरूरी है। हम उन कदमों के बारे में जानना चाहते हैं जो आप गरीबों को स्फीति से और मध्यम वर्ग को मूल्य वृद्धि से संरक्षण प्रदान करने के लिए उठा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था चालू वित्त की अंतिम तिमाही में है, और यही समय है जब वर्ष 2007-2008 के बजट की तैयारियां अभी-अभी शुरू हुई हैं। यू०पी०ए० के चौथे बजट के निर्माता वित्त मंत्री विकास के मूल संसाधनों पर नियंत्रण हेतु वित्तीय दूरदर्शिता का संदेश देने के कुछ अवसरों में चूक गए हैं।

मैं अब अपने भाषण के अंतिम भाग पर आता हूं। आज राज्यों के समक्ष आ रही मुख्य चुनौती उनके ऊपर ऋण का भारी बोझ है। उड़ीसा सरकार का बकाया ऋण लगभग 38,000 करोड़ रुपये हैं। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 58 प्रतिशत है। यह उच्च लागत ऋण घटक है, और ब्याज भुगतान देयता को कम करने के लिए ऋण-स्टाक के पुन:निर्माण हेतु ऋण-वापसी अथवा किसी अन्य ऋण में परिवर्तित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय लघु बचत सुरक्षा कोष (एन०एस०एस०एस०एफ०) के अंतर्गत बकाया ऋण संबंधी ब्याज घटक को पुन: निर्धारित करने की आवश्यकता है। ब्याज दर 13.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वसूल की जाती है, जबकि 12वें वित्त आयोग ने इसे 7.5 प्रतिशत तक लाने की सिफारिश की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एन०एस०एस०एस०एफ० इसमें शामिल नहीं है।

मैं सरकार से उस रियायती कृषि ऋण के संबंध में आग्रह करना चाहता हूं। जो सहकारी बैंकों द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। डा० एम०एस० स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की है कि किसानों का कृषि ऋण 4 प्रतिशत पर मुहैया कराया जाए। इस ऋण के तहत बहुत भारी राशि नहीं दी जाती है। यह एक लाख रुपये से तीन लाख रुपये के बीच ही होता है जो कुछ किसान लेते हैं। यह लघुकालिक ऋण हैं, और मुझे नहीं लगता है कि यदि आप इसे 4 प्रतिशत तक ले आएं तो कोई समस्या होगी। इसी प्रकार, कोयले की रायल्टी में वृद्धि भी एक ऐसा मुद्दा था, जिसकी जांच होनी चाहिए।

एक अन्य पहलू एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के बारे में है। इसे कृपया आप बराबरी पर *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका भाषण अब लिखा नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। मुझे इस विषय पर एक मिनट बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। अंतिम वाक्य कह दीजिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब : मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि नवोदय

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विद्यालय के समकक्ष एकलव्य विद्यालय को लाया जाए क्योंकि यह विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, हाल ही में दो रिपोर्ट प्रकाशित हुईं जिन्हें देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पहली नेशनल सैम्पल सर्वे की प्रजतन रिपोर्ट तथा दूसरी सच्चर समिति की रिपोर्ट है जो भारत के मुस्लमानों की स्थिति के बारे में हैं। मैं इन रिपोर्टों का उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे में कई बाते बताई गईं हैं परन्तु मेरे पास उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। परंतु अब हमारे समक्ष नए तथ्य हैं। हम सभी को पता हे कि 70, 80 और 90 के दशक में टाटा, बिरला जैसे बड़े भारतीय पूंजीपति घरानों के एकाधिकार के बारे में पता है। 21वीं शताब्दी में हमने इन सभी पुराने भारतीय एकाधिपत्य रखने वाले घरानों को अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में परिवर्तित होते देखा। यह एक ऐसा तथ्य है जो अत्यंत चिन्ताजनक है। अब टाटा जैसी एक कम्पनी इंगलैंड जा सकती है और 23,000 करोड़ रु० खर्च करके एक बड़ी इस्पात कंपनी तुरंत खरीद सकती है। हम कह सकते हैं कि यह भारत की उपलब्धि है। हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय पूंजी भारत से बाहर खर्च की गई।

इसी प्रकार, आप देख सकते हैं कि आज 70, 80 और 90 के दशक के वे बड़े घराने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी नए लाभ खोज रहे हैं। सरकार मानती है कि यह जो हो रहा है वह एक अति उत्तम बात है। दूसरी और नेशनल सैम्पल सर्वे में यह बताया गया है कि सरकार के जो कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं जो उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद से 8 वर्षों से चले आ रहे हैं इनका आम आदमी के जीवन पर काफी कम प्रभाव पड़ा है। अत: गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में काफी कम सुधार हुआ है। उनके जीवन में केवल दो या तीन प्रतिशत सुधार हुआ है। परंतु धनवान लोगों और काफी धनी लोगों के जीवन और भी बेहतर हुए हैं। नेशनल सैम्पल सर्वे में यह दर्शाया गया है। अत: हम चाहे लालकिले के परकौटे से जो भी घोषणा करें कि भविष्य में भाग्योद होगा। परंतु वास्तविकता नहीं है।

सच्चर समिति की यह व्यापक रिपोर्ट एक ऐसे समुदाय के बारे में है जो पिछड़ा और गरीब है। इनकी संख्या काफी कम है। वे जनसंख्या का लगभग 14 प्रतिशत हैं और यदि बिल्कुल ठीक कहें तो उनका प्रतिशत केवल 13.41 है। वे ऐसा जीवन करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तत्पश्चात् नेशनल सैम्पल सर्वे में बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण जीवन में काफी अंतर है तथा ग्रामीण गरीब और गरीब होते जो रहे हैं और उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं। शहर में रहने वाले अमीरों का स्वर्णिम युग चल रहा है।

अत: मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में विगत वर्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करे। दो वर्ष पहले ही बीत गए हैं। अब वे यह नहीं कह सकते कि अभी उनके पास समय है तथा वे आराम से और सावधानीपूर्वक कार्य करेंगें। मेरे विचार में सावधानीपूर्वक कार्य करने का समय नहीं रह गया है। आपने ये जो ढाई वर्ष गंवाए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण थे।

अब चार या पांच चुनाव होने वाले हैं। लोग अपने अनुभव के आधार पर सरकार के द्वारा की गई बड़ी योजनाओं के बारे में निर्णय लेंगे। अनुभव यह है। नेशनल सैम्पल सर्वे में बताया गया है कि समग्र रूप से हमने अपने देश में जो आर्थिक विकास किया है वह रोजगार के सृजन के बिना किया गया है। यह आर्थिक विकास का सबसे नाजुक हिस्सा है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास का नारा दिया गया था। यहां काफी बड़ी संख्या में लोगों, गरीबी लोगों को सामाजिक न्याय से प्रतिदिन वंचित किया जा रहा है।

सभी सुविधाएं अमीर लोगों को प्रदान की जा रही हैं जिससे वे और अमीर होते जो रहे हैं। अत:, हमें आम स्थिति यह है।

कुछ विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा प्रारंभ करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मुद्रास्फीति के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया था कि हम इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु मुद्रास्फीति का खतरा बना हुआ है। यह निरन्तर बढ़ रही है। वित्त मंत्री यहां है। विगत सप्ताह इसमें कुछ अंक/दशमलव गिरावट आई। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। विगत वर्ष हम सबने सभा में यह मांग की थी कि सरकार को पेट्रोलियम के मूल्य को उस सीमा तक नहीं बढ़ाना चाहिए जो तर्कसंगत नहीं हैं। उसका क्या हुआ; उसका भारी अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया। सब्जियों से लेकर लेखन सामग्री तक सब वस्तुओं के दाम बढ़ गए। आवश्यक वस्तुओं और सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। मुद्रास्फीति धीरे-धीरे एक चिंताजनक स्तर तक बढ़ती जा रही है।

अभी यह उल्लेख किया गया था कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य घटे हैं। वामपंथी दलों ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि मूल्य में आए इस अंतर का लाभ आम आमदी को दिया जाना चाहिए। सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य उस स्तर तक नहीं बढ़ाना चाहिए था जिसका स्तर तक उसने विगत वर्ष इसे बढ़ाया था। अब, जब सकारात्मक स्थिति में सरकार को इसे कम करना चाहिए परंतु सरकार उस कंजूस के समान है जो अपना बैग खोलने से घबराती है। सरकार 25 पैसे घटाना चाहती थी अत: इसका विरोध हुआ और हम सभा से बाहर चले गए। शायद सरकार ने कहा है कि डीजल के मूल्यों में 1 रु० की और पैट्रोल के मूल्यों में 2 रु० की कमी की जाएगी। पर इससे काम नहीं चलेगा सरकार ने पिछले वर्ष इसमें जितनी वृद्धि की थी इसे उतना ही कम करना होगा।

[श्री सी०के० चन्द्रप्पन]

अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों का कहना है कि थोड़ी सी कमी करने से मुद्रास्फीति का स्तर नीचे आ गया है। यदि सरकार तेल के मूल्य के संबंध में कोई यथोचित कदम उठाती है तो मुद्रास्फीति दर नीचे आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

मैं कुछ विशेष बातें उठाना चाहता हूं कि उदाहरणार्थ — कृषि क्षेत्र, जिसके संबंध में बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है।

अपराह्न 5.33 बजे

[डा० सत्यनारायण जटिया *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : आप अभी आए हैं और चाहते हैं कि मैं भाषण समाप्त कर दूं।

सभापति महोदय : मैं केवल यह बता रहा हूं कि मैं पीठासीन हो गया हूं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मैंने अभी शुरू किया है। सामान्यत: मैं बहुत अधिक समय नहीं लेता।

सभापति महोदय : आपके दल को चार मिनट का समय दिया गया है।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : आप इसको इस तरह से मत देखिए कि चार या साढ़े चार मिनट हो गए हैं। कृपया आप यह देखिए कि अन्य वक्ताओं ने कितना समय लिया है। मैं आपको निदेश नहीं दे रहा हूं। आप इसको इस तरह से मत लीजिए।

कृषि क्षेत्र में सबसे गंभीर पूर्ण समस्या जिसके संबंध में प्रत्येक कृषि अधिकारी ने बताया है वह यह है कि इस क्षेत्र में धीरे-धीरे निवेश में कमी आ रही है। 'इकानौमिक सर्वे'' में भी यह बताया गया है। सरकार जी०डी०पी० में कृषि की भागीदारी को बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने यह बताया है कि नौ या दस प्रतिशत के प्रत्यासित आर्थिक विकास के साथ और यदि उसे बनाए रखना है, तो कम से कम चार प्रतिशत विकास दर होनी चाहिए। सरकार ने जब कार्यभर संभाला था तब विकास दर 1.2 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गई है किन्तु यह चार प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए क्या सरकार की किवास दर इसके आस-पास है। यदि हम अर्थव्यवस्था की औसतन स्थिति को लें सरकार कृषि क्षेत्र की चिंताजनक स्थिति से निपटनें के लिए इसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रही है।

अत: मेरा अनुरोध यह है कि आप अनुपूरक मांग में ऐसा नहीं कर सकते परन्तु आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा।

अनुपूरक मांग में किसानों द्वारा राष्ट्र भर में की जाने वाली आत्महत्याओं को देखते हुए ऋण ग्रास्तता को हटाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने कुछ पैकेज घोषित किए हैं जिसके लिए वे धन की मांग कर रहे हैं। ये पैकेज अच्छे हैं इसका स्वागत है परन्तु वे आग बुझने वाले संचालनों की तरह है। कल जब आग लगती है उसको बुझाना होता है। सरकार को अधिक निवेश द्वारा इस समस्या का समाधान करना होगा। सरकार को नीति के तहत निवेश करना होगा। सरकार को एक नीति के तहत निवेश करना होगा कि कृषि एक हानिकारक क्षेत्र नहीं रहे। उन्हें बीमा सुरक्षा देनी होगी क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई बीमा सुरक्षा नहीं है और जो विद्यमान है वह किसानों के हित में नहीं है। मेरे विचार में श्री राव विद्यमान कृषि बीमा नीतियों का उल्लेख कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान नीति किसानों के विरुद्ध है अत: किसानों को लाभ पहुंचाना है तो मूलत: इसमें सुधार करना होगा। उन्हें अपने उत्पादों को सस्ते दामों पर बाजार में बेचना पड़ता है। एक विपणन प्रणाली होनी चाहिए जिससे यह सुनिचित किया जा सके कि किसानों को उनके उत्पाद के लिए यथोचित, लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए परन्तु सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप पहले भी दस मिनट ले चुके हैं। अभी 17 और सदस्यों को बोलना है।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : कुछ मांगे स्वास्थ्य क्षेत्र से हैं। सरकार चिकनगुनिया बिमारी को दूर करने के लिए अनुसंधान और विकास की बात कर रहे हैं इस बीमारी ने केरल में कई जगहों पर विशेष कर अलेप्पी जिले में और चिन्याला में जहां का मैं हूं, तबाही मचा दी है। अन्य राज्य की इससे प्रभावित है। हमने आन्ध्र प्रदेश में चर्चा की थी। मुझे यह कहना पड़ेगा कि कोई भी उपचार समझ में नहीं आया है। वैक्टर केट्रोल ऑरगेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पांडेचेरी में है केरल में कुछ नहीं कर रहा है। चेन्पीथाल जहां चिकन गुनिया महामारी शुरू हुई थी वहां भी एक केन्द्र था परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। वहां एक संक्रामक रोग प्रयोगशाला है। उन्होंने एक भवन की मांग की और कहा कि वे कुछ ठोस कार्य करेंगे। हमने जगह प्रदान की परन्तु वहां प्रयोगशाला नहीं बनाई जा रही है। यह कहा जा सकता है कि वहां लोग मक्खियों की तरह मर रहे है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों की जीवन की रक्षा की जा सके।

राष्ट्रीय अन्तर्देशी जलमार्गो और राष्ट्रीय राजमार्गो के संबंध में एक मांग हैं। केरल ऐसा राज्य हैं जहां अधिकतम जलमार्ग है परन्तु यह ऐसा राज्य हैं जिसे न्यूनतम धन दिया गया है और वहां इस संबंध में सबसे कम उपलब्धि है। अत: यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए ··*(व्यवधान)* मैं अपना अंतिम वाक्य बोल रहा हूं।

मैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अनेक निर्णय लिए गए हैं परन्तु कार्य कुछ नहीं किया जा रहा। कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। यदि इन सब मामलों के संबंध में कुछ किया जाता है तो हम इस मांगों का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : सभापति महोदय, 2006-07 की वित्त मंत्रालय की पूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। पूरक मांगें सदन में बार-बार लाई जाती हैं और वे आवश्यक भी हैं। जो अधूरे कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए पूरक मांगें लाई जाती है। इससे पहले जब बजट पेश किया गया था, तब माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से बहुत सी बातें कही गई थीं, बहुत सारे आश्वासन दिये गये थे, जिनकी शुरूआत में बहुत सराहना भी हुई, लेकिन जैस-जैस दिन बीतते गए, वैसे-वैसे वास्तविक स्थिति क्या है, वह लोगों के सामने आने लगी। पूरे देश के लोग गरीब से लेकर अमीर तक, सभी एनडीए की सरकार को याद करने लगे। महत्व की बात यह है कि जब वास्तविकता सामने आई, तब देखा गया कि आज देश की अर्थव्यवस्था तरह तरह के विरोधाभासों से रूबरू हो रही है। एक ओर सूचकांक 13000 के जाली आंकड़े को पार कर गया तो दूसरी ओर किसानों द्वारा खुदकुशी करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। जब बजट पर मंत्री जी बोल रह थे, तब भी ऐसी घटनाएं होती थीं। तब आश्वासन दिया गया था कि इसमें कमी होगी लेकिन इसमें कमी नहीं हुई। खुदकुशी करने वालों की संख्या बढ़ने लगी, परिणामस्वरूप महाराष्ट्र से लेकर साउथ तक लोग परेशानी झेल रहे हैं।

एक ओर अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत और उससे ज्यादा का विकास हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आवासीय ऋणों की ब्याज दरें बढ़ाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी अपना मन बना रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के लिए कहा गया था, उनको स्थिर रखने की बात कही गई थी, लेकिन वे मूल्य भी स्थिर नहीं रहे। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए कि गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया। उसे दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। वह परेशन है और अपने आपको कोस रहा है। इसके साथ साथ अल्पकालिक ब्याज दरों में भी वृद्धि हो रही है। इससे न तो आम आदमी को फायदा हो रहा है और न ही अन्य लोगों को फायदा हो रहा है। आवासीय ऋण का ब्याज इतना बढ़ता जा रहा है कि अब कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं है एनडीए की सरकार के समय में यह रेट इतना कम था कि लोग बैंकों के सामने दौड़ते थे और आज लाखों करोड़ों लोग अपने खुद के मकानों में रह रहे हैं और एनडीए सरकार को याद करके उसे आशीर्वाद दे रहे हैं।

सभापति महोदय, एन०डी०ए० के समय में आवासीय ऋणों पर ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत तक की गई थी। आज इसे बढ़ाने की बात आप सोच रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि आवासीय उद्योग ठंडा पड़ जाएगा। उसमें मज़दूरी करने वाले लाखों गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि जाहं एक ओर विकास हो रहा है, यदि विकास के चलते लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो वह विकास किसी काम का नहीं है। देश के लिए यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आश्चर्य यह है कि एनडीए सरकार ने उच्च ब्याज दर वाली शासन व्यवस्था को शुरूआत में घटाया, लेकिन अब वित्त मंत्री घड़ी की सुई का कांटा उल्टा फिरा रहे हैं। उल्टा फिराकर लोगों को और मुसीबत में डाल रहे हैं। सरकार के पास जो मौका था, वह गँवा दिया है। अब वह इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एनडीए ने किसानों को कृषि संकट से बचाने के लिए पूरे रास्ते खोल दिये थे। गेहूँ, चावल, कॉटन के उचित दाम उनको समय पर मिलते थे, लेकिन वे आज नहीं मिल रहे हैं। इस कारण भी किसान बहुत परेशान हैं। आपने जो दाम निश्चित किये, प्रति क्विंटल 700 रूपये दिये जाने से भी देश के किसान नाराज हैं। यहां आपने लोग परेशान हैं। एनडीए सरकार आस्ट्रेलिया के किसानों को 900 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करती है, लेकिन भारतीय किसानों को वह दाम देने के लिए तैयार नहीं है। आज ही प्रश्नकाल में एक माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था कि गेहूं यहां से बाहर गया और बाहर से फिर हमने आयात किया। हमारे देश के किसान जो इस भूमि से जुड़े हुए हैं, उनको यह सरकार कुछ नहीं देना चाहती। अगर सरकार अपने गोदामों को अपने ही गेहूं से भरना चाहती है तो किसानों को उचित दाम देने पड़ेंगे, नहीं तो भारी भरकम बनाए हुए गोदाम खाली पड़े रहेंगे। उस गोदाम से जो गेहूं और चावल इस देश के गरीबों को बांटा जाता था, वह जब उनको नहीं मिलेगा तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ढांचा टूट जाएगा।

इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि हमारे देश के गोदाम अनाज से ही भरे जाएं ताकि लोग भूखे न मरें। प्रधान मंत्री जी ने भी आत्महत्या रोकने के लिए आश्वासन दिया, वे भी दुखी हुए और सभी सांसद दुखी हुए, लेकिन इससे फायदा क्या? छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज को माफ करने तथा उचित न्याय दिलाने के लिए आपने आश्वासन दिया है। अगर यह आश्वासन पूरा नहीं होगा तो इस देश का किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा, यूपीए सरकार को माफ नहीं करेंगे। एक कहावत है — कबीर हाय गरीब की कभी न खाली जाए, मुए छोल के चर्म से लोहा भस्म हो जाए। देश के गरीब किसान, आत्महत्या करने वाले किसानों की अगर हाय लगेगी तो यूपीए सरकार तो क्या, आपका रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि कृषि को बीमार उद्योग मानते हुए सरकार को किसानों के लिए उसी तरह का पैकेज बनाना चाहिए, जिस तरह बीमार उद्योगों के कर्जों का सामधान किया जाता है, उसी तरह इनका

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

भी समाधान किया जाए। कृषि संकट की मूल वजह अलाभकारी मूल्यों का भुगतान है, जिससे कर्जों का बोझ बढ़ जाता है और आत्महत्याएं होती है। जब तक इस दिशा में सुधार नहीं होता तब तक गरीब और मजदूर किसानों को, जो आत्महत्या करते हैं, उन्हें आप रोक नहीं पाएंगे।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कर चोरों के बारे में बहुत कहा। मंत्री जी कहते हैं कि अब कोई कर चोरी करने वाला छिपा नहीं रहेगा। मंत्री जी ने उनके लिए सर्च ईंजन स्थापित किया है, यह अच्छी बात है। यहां जो कर चोरी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ना चाहिए, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन आज तक जिन्होंने करोड़ों रुपए की कर चोरी की, देश को लूटा, खोखला बना दिया, उनके लिए आप क्या करेंगे? आपने दावा किया है कि आपके पास जितनी जानकारी नहीं है, उससे ज्यादा जानकारी हमने उपलब्ध कराई है। मैं आशा करता हूं कि वह जानकारी आपको अच्छा लाभ पहुंचाए। इसके लिए आपने चैन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकत्ता जैसे बड़े शहरों को पसंद किया है। मैं गुजरात से आता हूं और वहां का 17 सालों से प्रतिनिधित्व करता हूं। गुजरात की जनता व्यापार ज्यादा करती है। वहां के लोग एक्साइज, कस्टम, सेल्स टैक्स हो या किसी भी तरह का टैक्स हो, उसे पूरा भरते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई रेलवे में बैठता है तो बिना टिकट के यात्रा नहीं करता, फिर भी गुजरात के साथ इतना अन्याय, आपकी तरफ से हर तरह से गुजरात के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहां बैंकों में सबसे ज्यादा डिपोजिट है लेकिन लोन अन्य जगह दिया जाता है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, बॉम्बे हाई के बाद गुजरात का नम्बर आता है, मगर उसे रायल्टी नहीं दी जाती। अभी हाल ही में गुजरात ने कितनी मुसीबतें झेलीं, वहां तूफान आया, उसके अंदर गुजरात खड़ा हुआ। वहां भूकम्प आया, पूरा कच्छ उससे प्रभावित हुआ। वहां लाखों-करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और अनेक लोग मारे गए, फिर भी गुजरात खड़ा हुआ। सूरत में भी बाढ़ आई और यह देश का ऐसा शहर है, जिसे नम्बर वन करार दिया गया था – वहां जब बाढ़ आई तो लोग परेशान हो गए। माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे लीडर्स वहां गए और जाकर उन्होंने आश्वासन दिया, मदद करने के लिए उन्हें पैकेज दिया, लेकिन कितने रुपए दिए, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं। वहां ये बड़ी-बड़ी बातें करके आए, बड़े आश्वासन दिए, वहां उन्होंने पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखी, मांग रखी, लेकिन वह मांग आपने स्वीकृत नहीं की। जिस तरह उड़ीसा के मेरे मित्र ने कहा कि आप एडवांस में दें। आप उनके कर्जे माफ करें, उन्होंने बहुत झेला है। मैं आपसे मांग करता हूं कि गुजरात ने जो पूरी रिपोर्ट रखी है, उसे आप शीघ्र ही पूरा करेंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात के अंदर हर कोई, मैंने जो डिपार्टमेंट गिनाए, उसके अधिकारी वहीं पर स्थापित होना चाहते हैं। वे रिटायर होने के बाद वहीं स्थाई हो जाते हैं, इसकी मुझे खुशी है। अगर गुजरात में ईमानदार करदाता है तो उन्हें परेशान न किया जाए। हम पेपर में पढ़ते हैं कि वहां छापा मारा गया और छापा मारने के बाद दूसरे दिन पढ़ते हैं कि वहां कुछ नहीं मिला। इससे आशंका होती है कि कहीं गड़बड़ होती है। पूरा पैसा देश की तिजोरी में आना चाहिए, यह मैं चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप कृपया अपने सुझाव देकर बात पूरी करें।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : महोदय, मैंने गुजरात के बारे में कहा। गुजरात के लोग आपके यहां आते रहते हैं। आप सभी राज्यों को पैसा देते हैं, लेकिन गुजारात को नहीं देते हैं। जो पैसे गुजारात को सहायता के लिए देते हैं, वह एडवांस के रूप में देते हैं, जिसे आप उसके बजट में समायोजित कर देते हैं।

महोदय, नदियों को जोड़नें की बात यह सरकार करती रहती है, लेकिन उन्हें जोड़ने का काम नहीं करती। साउथ की नदियों को अभी तक नहीं जोड़ा गया है। हमारे यहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौ नदियों को जोड़ा है। जिस नर्मदा का पानी पहले बहकर समुद्र में चला जाता था, अब उसका पानी गुजरात के खेतों को लहलहाने का काम कर रहा है। वहां के लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। वह पानी राजस्थान के बहुत से भागों को सरसब्ज कर रहा है। कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंच गया है। गुजरात में जब महामहिम गए, उन्होंने भी वहां की सरकार की तारीफ की। यहां गांवों की तो छोड़िए, शहरों में भी बिजली नहीं मिलती है। गुजरात के गांवों और शहरों में बराबर बिजली मिलती है। यह सरकार कृषि में ई-गवर्नेंस की बात कर रही है, हमारे यहां गुजरात में सरकार ने कृषि को ई-गवर्नेंस से जोड़ दिया है। हमारे किसानों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। इफको किसानों की संस्था है। उसने एवार्ड भी प्राप्त किया है, लेकिन उसे सब्सिडी नहीं मिलती है। चूंकि आप मेरे बोलने पर रोक लगा रहे हैं, इसलिए मैं अन्त दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : मैं रोक नहीं लगा रहा हूं। सबको बोलना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप संक्षेप में अपनी बात कहकर समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : आप गुजरात के प्रतिनिधि हैं और आप गुजरात के हित में नहीं बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रतिलाल कालीदास वर्मा जी के भाषण के अतिरिक्त अन्य किसी का भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : महोदय, हमारे गुजरात राज्य के प्रतिनिध ऊधर से कह रहे हैं कि गुजरात को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि आप आने वाले चुनाव में भी यही कहेंगे।

महोदय, अन्त में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गुजरात के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पैसे दिए जाएं और उन्हें पढ़ने के लिए आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में गुजारात के इन वर्गों के लोग देश की उन्नति में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। गुजरात के बहुत से छात्र विदेशों में पढ़ने जाते हैं। उनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाए। मैं मानता हूं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के लोग बुद्धिबल में कम नहीं हैं, लेकिन आर्थिक बल में वे कमजोर हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि सरकार उनकी आर्थिक रूप से सहायता करे। देश में रिजर्वेशन के कारण उनके रोजगार की सीमा बंधी है, लेकिन विदेशों में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इसलिए इन जातियों के लोगों को विदेशों में पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

डा० राजेश मिश्रा (वाराणसी) : सभापति जी, मैं इस स्थान से बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको वहां से बोलने की अनुमति है। यदि आप चाहें, तो और भी आगे आ सकते हैं।

डा० राजेश मिश्रा : महोदय, चूंकि मेरी सीट अन्त में है, इसलिए मैं आगे आकर बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अन्त में नहीं, सबसे आगे हैं।

डा० राजेश मिश्रा : धन्यवाद मान्यवर।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में वर्ष 2004-2005 के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) तथा वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है।

महोदय, मैं सप्लीमेंट्रीय बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब उन बेंचों से आवाज आती है, इस बजट के बारे में, हम उनकी बात को लगातार सुन रहे थे, पिछले ढाई साल में, जब से यह यूपीए सरकार सत्ता में आयी, उसके बाद से, हिंदुस्तान का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसे हम आम आदमी कहते हैं, उसके सुधार के लिए जितनी योंजनायें बनी, यदि हम उन पर चर्चा करें, तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हुआ है कि एक सामान्य गरीब किसान, जो बैंकों से ऋण लेने जाता था और जो चौदह या पंद्रह प्रतिशत पर ऋण पाता था, पहली बार इस सरकार ने किया कि सात प्रतिशत दर पर अब किसान बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है और अपने कार्य को चला सकता है। आज योजनाओं का सामान्य लाभ हिंदुस्तान के किसानों में दिखाई पड़ता है। जो किसान अपने काम के लिए पहले बैंकों से पैसा लेना चाहता है, उसे अब बैंकों को ऋण के रूप में उतनी रकम नहीं चुकानी पड़ती, जो इस सरकार के आने के पहले देनी पड़ती थी। इसी तरह और भी योजनाएं भारत सरकार ने लागू कीं।

जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, चाहे जूनियर हाई स्कूल के निर्माण की बात हो, प्राइमरी स्कूल के निर्माण की बात हो, अभी आज ही एक यूनिवर्सिटी की स्थापना का बिल इस सम्मानित सदन में पेश हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से इस सरकार ने ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधानों की उपलब्धता करायी है, उससे हमारी यूपीए की सरकार यह महसूस करती है कि यदि पूरे समाज का एक-एक बच्चा शिक्षित होगा, तो हमारा समाज और देश तरक्की कर पाएगा। इसलिए इस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद रोजगार के लिए तमाम सरकारें घोषणाएं तो करती थीं कि हम रोजागर प्रदान करेंगे, रोजगार दिलायेंगे, लेकिन एक कानूनी दर्जा रोजगार के लिए पहली बार यूपीए की सरकार ने ही दिया। आज जिस तरह दो सौ जनपदों में रोजगार गारंटी स्कीम लागू हुयी, हम इसके लिए बधाई देना चाहते हैं और इस तरह की स्कीम पर, चाहे जितना पैसा दिया जाए, हमें लगता है कि वह कम होगा। क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी की स्थिति है, पहली बार किसी सरकार ने चिंतित होकर, उसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की है कि हम अपने यहां गरीब लोगों को रोजगार किस तरह से प्रदान करें।

महोदय, एक स्कीम जो इस सरकार ने गांवों में लागू की, मैं उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। हम यहां चर्चा किया करते हैं कि गांव में जो झुग्गी-झोपड़ी में रहता है, उसके घर में किस तरह हम रोशनी पहुंचा दें, इसकी हर सरकार के समय चर्चा होती थी। इस सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत, जिस तरह पहले जो स्कीम लांच की, उसमें यह निर्णय हुआ कि हिंदुस्तान के हर गांव को बिजली से जोड़ा जाएगा। उसके बाद यह समस्या आयी कि तमाम ऐसे गांव थे, जो मुख्य हिस्सा गांव का होता था, वहां तो बिजली होती थी, लेकिन गांव के जो और तीन-चार पार्ट होते थे, जिन्हें देश के अन्य भागों में अलग-अजग नाम से जाना जाता है, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में उन्हें पूर्वे कहा जाता है, एक गांव में छः, सात या आठ पूर्वे होते हैं, यदि गांव के मेन पार्ट में बिजली होती थी, तो गांव के दूसरे भाग में बिजली नहीं हुआ करती थी। लेकिन यह सरकार राजाव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना स्कीम लायी और इस स्कीम के तहत हिंदुस्तान के हर गांव के हर घर को बिजली देने का संकल्प लिया। हम तारीफ करते हैं और यदि यह स्कीम पूरी

[डा० राजेश मिश्रा]

तरह से कार्यान्वित हो जाए, तो निश्चित रूप से इसका पूरा लाभ हिंदुस्तान के आम आदमी जो गांव में रहता है, उसे मिलेगा।

इसी तरह इंदिरा आवास योजना है, जिसका उद्देश्य है कि हर गांव के हर इंसान को आवास मिल जाए। इसी तरह सरकार ने स्वास्थ्य बीमा स्कीम लागू की। यूपीए सरकार का जो एक एजेंडा हेल्थ मिशन का था, उसमें इन्होंने हर गांव में न्याय पंचायत स्तर पर आशा नाम की एक महिला की नियुक्ति की और उसके द्वारा घर-घर जाकर लोगों को दवा उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य की जांच करने की व्यवस्था की गयी, जो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति और महिला, जो शहर में नहीं पहुंच सकती, उसे किस तरह स्वास्थ्य लाभ कराया जाए, इस बारे में विचार करके उसे भी सुविधा देने का काम सरकार ने किया है।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय : चूंकि छः बज रहे हैं और छः बजे सदन का निर्धारित समय पूरा हो जाता है, इसलिए मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि इन मांगों के पूरा होने तक चर्चा जारी रखी जाए।

मेरा सभी वक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी बात संक्षेप में कहें, सारगर्भित हो और अच्छा भाषण करने में ज्यादा देर न लगाएं।

राजेश जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा० राजेश मिश्रा : सभापति महोदय, मैंने अभी डेढ़, दो मिनट ही बोला है।

सभापति महोदय : आप अपना कनक्लूजन बोल दीजिए कि क्या चाहते हैं।

(व्यवधान)

डा० राजेश मिश्रा : डेढ़, दो मिनट में मैं कौन सी लाइन बोल सकता हूं जो कनक्लूजन में हो सकती है।...*(व्यवधान)* मैं जिक्र कर रहा था कि चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, किसान का क्षेत्र हो, गांव के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे पर बिजली पहुंचाने की बात हो या उसे स्वास्थ्य देने की बात हो, इस सरकार ने हर क्षेत्र में प्रयास किया। हम आपके माध्यम से सरकार और वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जहां सदन में चर्चा होती है कि हम गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बना रहें हैं, उनका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आपकी जो भी स्कीम बनती है, आप उसकी मौनीटरिंग करवाइए, चाहे वह ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम है, जवाहर लाल नेहरू अर्बन डैवलपमैंट मिशन स्कीम है, जो काफी बढ़िया स्कीम है। उत्तर प्रदेश के हालात यह हैं कि इस स्कीम को एक साल हो गया ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश सरकार सीडीपी और डी०पी०आर० आज तक दिल्ली को नहीं भेज पाई। हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप खुद मौनीटरिंग करवाइए, डी०पी०आर० और सी०डी०पी० केन्द्र सरकार बनवाए, पैसा हम देते हैं, हमारे पैसों का वहां उपयोग नहीं होता, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।...*(व्यवधान)* आप सी०डी०पी० और डी०पी०आर० बनवाकर उस स्कीम को लान्च करवाइए।

हम सच्चर कमेटी के बारे में कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पूरे हिन्दुस्तान के सामने आई है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधान मंत्री जी के बयान को तोड़-मरोड़कर उसका विरोध करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

यदि एक मां के दो बेटे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलिए।

डा० राजेश मिश्रा : एक बेटे को आजादी के साठ साल बाद लाभ मिला है और दूसरे को नहीं मिला। यदि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि दूसरे बेटे को भी लाभ मिलना चाहिए, तो इसमें क्या बुराई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मित्रसेन यादव, आप अपना भाषण शुरू कीजिए।

(व्यवधान)

डा० राजेश मिश्रा : राजनीतिक लाभ न लेते हुए भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स की केन्द्र सरकार मौनीटरिंग करवाए। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं। केन्द्र सरकार ने जो पैसा दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी उसे कन्या धन के नाम पर और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर दे रहे हैं। जब चुनाव सिर पर आ गया तो उन्हें ध्यान आ गया कि हमें बेरोजगारों को भत्ता देना है, कन्या धन देना है।...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए सारे पैसे को डायवर्ट करके चुनावी लाभ के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें बोलने की इजाजत दी। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध होगा कि आप पैसे की, योजनाओं की मौनीटरिंग के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई स्कीम अलग से लान्च करें।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : महोदय, क्या मैं अपना भाषण सभा पटल पर रख सकता हूं?

सभापति महोदय : जी हां।

[हिन्दी]

यदि और कोई माननीय सदस्य अपना भाषण ले करना चाहते हैं, तो कर दें।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ और वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक बजट के लिए जो मांग प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जितना गंभीर विषय है, मंत्री जी उसके बारे में हमें उतने गंभीर नहीं लगते। किसी देश की अर्थव्यवस्था के दो पहलू हैं — उद्योग और कृषि जैसे किसी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था के उद्योग और कृषि दो पहिए हैं। उद्योग और कृषि में जो अंतर रखा गया है, उसका कारण है कि कृषि में रहने वाले लोग गरीब होते जा रहे हैं और उद्योग के क्षेत्र में लोग सम्पन्न होते जा रहे हैं, क्योंकि उद्योगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उन्हें जो कर्ज दिया जाता है, उन पर जो ब्याज दिया जाता है, उनका नुकसान होने पर जो सबसिडी दी जाती है, वह किसी प्रकार के उद्योग हों, वह सहूलियत किसानों को नहीं दी जाती। न उसे सस्ती दर पर कर्जा दिया जाता है, न उनकी फसल का बीमा होता है, न देवी आपदाओं में किसी प्रकार की राहत दी जाती है और न ही उनके गांवों का सही मूल्यांकन होता है। यहां तक कि जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके यहां जो उत्पादन लागत आती है, उसको किसान की उत्पादन लागत के मुताबिक भी नहीं दिया जाता। सरकार अपने पैसे से, अपनी मशीनरी से, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गन्ने का उत्पादन करता है, उसमें जो उत्पादन लागत आती है और किसान के खेत में जो अनाज पैदा होता है, उस पर जो उत्पादन लागत आती है, असमें भी जमीन-आसमान का फर्क होता है। लेकिन सरकार कभी अपनी उत्पादन लागत के बराबर भी किसानों को उत्पादन लागत नहीं देती। यहां तक कि अभी तक गन्ने का दाम भी निश्चित नहीं हुआ है। जबकि गन्ना मिलों को जाने लगा है।

हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योगपतियों, कारोबारियों और किसानों के बीच उत्पादन और सहूलियतों का जो फर्क है, वह नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि कृषि को भी उद्योग के समान दर्जा दिया जाये। हमारी वित्त मंत्री जी से मांग है कि कृषि को भी उद्योग के समान दर्जा दिया जाये।

दूसरी बात यह है कि जो गरीबी बढ़ रही है, वह कोई देवी आपदा नहीं है। यह तो मनुष्य द्वारा बनायी गयी व्यवस्था का ढांचा है। इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। दुनिया में अर्थव्यवस्था की जिस प्रकार की गाड़ी चलायी गयी है, उसी तरीके से गरीबी-अमीरी की खाई बनी है।

सभापति महोदय, सरकार ने रोजगार गारंटी योजना लागू की है। चीन में गांव के लोगों के पास अगर खेत कम है, तो हर गांव में हर तरीके का ऑल्टरनेटिव तैयार किया हुआ है। वहां दूध का उत्पादन होता है। मछली पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन आदि होता है। चीन में हर गांव के अंदर खेती के बराबर ग्रामीण उद्योग चला दिये गये हैं जबकि हमारे यहां क्या किया गया है? रोजगार गारंटी योजना देश के दो हजार जिलों में लागू की गयी है, लेकिन सरकार पैसा खाई पाटने और खोदने के लिए दे रही है। उससे किसी प्रकार को प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पैदा करने की जरूरत है। यहां मीन्स ऑफ प्रोक्डशन निजी हाथों में जा रहा है। अगर निजी हाथों में किसी देश के उत्पादन का स्रोत जाता है, तो मुनाफा और पूंजी दोनों पूंजीपतियों के हाथ में जाता है। इससे आम समाज विकास की गति से अवरूद्ध हो जाता है।

इसलिए हमारा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि भारत में बढ़ती हुई गरीबी-अमीरी और सभी क्षेत्रों में जो अभाव हो रहा है, मंहगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, मिनिमम आवश्यकता की चीजें चाहे दवाइयां हों, सेवाएं हों या रोजमर्रा के खाद्यान्न की कीमतें हों, उन सबका बोझ गरीबों पर पड़ रहा है।

सायं 6.08 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

इसलिए हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे यह बोझ गरीबों पर न पड़े। सिंचाई के क्षेत्र में मैंने देखा कि देश के बड़े-बड़े प्रौजेक्ट्स कई सालों से लंबित पड़े हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के न मालूम कितने प्रौजैक्ट्स लंबित पड़े हुए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में बगैर बिजली के कोई काम नहीं हो सकता। ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जा रहा, जिससे हमारे देश की आर्थिक सम्पत्ति बढ़े। हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस तरीके का काम हमें वित्त मंत्री जी की किसी योजना में दिखाई नहीं पड़ता। उसी का कारण है कि गरीबी बढ़ती जा रही है और मीन्य ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हाथों में होने के कारण अमीरों का शोषण बढ़ता जा रहा है। हमारे सामने देश के बहुत से आर्थिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट पड़ी है। माननीय मंत्री जी, उस बारे में आकंड़ों सहित अपने तर्क पेश करेंगे। हम लोगों के पास इतने आंकड़े नहीं हैं कि हम आंकड़ों से यह सिद्ध करने की कोशिश करें कि देश में गरीबी, अमीरी और महंगाई कैसे बढ़ रही है। इसका सीधा-सीधा आंकड़ा आपके सामने है कि सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, कृषि उत्पादों की लागत नहीं मिल रही है, किसानों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिल रही है। हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी हैं, जिनकी ओर अगर हमारे वित्त मंत्री जी ध्यान दे दें तो एक अच्छा उद्योग चल सकता है। हमारे देश में भौतिक संपदा बहुत है और इसके जरिए बहुत सी मेडिसिन्स तैयार की जा सकती

[श्री मित्रसेन यादव]

हैं। इस देश में इतनी जड़ी-बूटियां हैं जिनसे आयुर्वेद का बहुत बड़ा कारोबार चल सकता है, जिसके लिए हमें पैसा लगाकर कुछ भी खरीद कर नहीं लाना है, जिसके लिए कोई खदान नहीं करना है, जिसमें कुछ असेंबल नहीं करना है। अगर इस देश के अन्दर वनस्पतियों के जरिए आयुर्वेदिक दवाईयों का ही उद्योग खोल दिया जाए तो हमारे देश में बेकारी को हल करने का एक बहुत बड़ा रास्ता निकल सकता है। इसलिए हमारे वित्त मंत्री जी को अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में जो असमानता है, उसे दूर करना पड़ेगा और जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, उनको भली प्रकार से नियोजित करके लोगों के काम करने का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा जिससे बेकारी और भुखमरी समाप्त हो। अगर ये चीजें नहीं की जाएंगी तो अर्थव्यवस्था के बारे में ये जो मांगे की जाती हैं, वे रस्म अदायगी मात्र रह जाएंगी। यहां पार्लियामेंट में इस तरह की रस्म अदायगी होती रहेगी, लेकिन देश के सामने जो समस्याएं हैं, जो लोगों के दुख और दर्द हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो सकेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरा सभी माननीय सदस्यगण से अनुरोध है। कृपया अपने भाषण को आवंटित समय के अंदर पूरा करें, क्योंकि अभी कई वक्ताओं को भाषण देना है। पहली घंटी बजने पर उन्हें अपना भाषण समाप्त करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

अब श्री रामदास बोलेंगे। मैं चाहता हूँ कि वे अन्य सदस्यों के लिए एक उदाहरण पेश करें।

***श्री प्रसन्न आचार्य** (सम्बलपुर) : महोदय, 21,283 करोड़ और 92 लाख रुपये की धनराशि की अनुपूरक अनुदानों की मांगों, जिनके लिए सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह चर्चा की जा रही हैं; में मुझे कुछ नया दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक घिसी पिटी बात है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभा इन्हें अपना अनुमोदन दे देगी। जहाँ तक अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रश्न है बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। चालू वर्ष के बजट को बहुत सी खामियां को उजागर किया गया है तथा कुछ उपलब्धियों को भी स्वीकार किया गया है। परन्तु मुझे ऐसी आशा नहीं है कि माननीय वित्त मंत्री अच्छे प्रस्तावों पर विचार करेंगे। वे केवल प्रशंसा को स्वीकार करेंगे और आलोचना की अनदेखी की जाएगी क्योंकि हमारी एक बुरी आदत यह होती है कि हम हमेशा किसी भी बात को पक्षपात पूर्ण रवैये से देखते हैं और यही कारण है कि इस देश में महत्वपूर्ण आर्थिक और अन्य मुद्दों पर भी हम सहमति बनाने में विफल रहते हैं।

दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद में अपने भाषण के दौरान स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया कि गत कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में हमारी उपलब्धियाँ निराशाजनक रहीं हैं तथा देश वास्तव में कृषि क्षेत्र में आए संकट से जूझ रहा है। हमारा कृषि उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत से भी कम है जो कि हमारे देश से क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के हिसाब से काफी छोटे किसी अन्य विकास शील देश से भी काफी कम है। हमें यह आत्मनिरिक्षण करना चाहिए कि एक सफल हरित क्रान्ति के हमारे सभी दावों के बावजूद ऐसा क्यों हुआ है। किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि करना निःसंदेह एक स्वागत योग्य कदम है परन्तु यह मान लेना कि इससे हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा, एक भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। ऋणों की मात्रा दो गुनी किए जाने के बावजूद देश में हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं जो कि इस देश के मस्तक पर एक कलंक है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सिर झुके हुए हैं। सरकार, इस समस्या का समाधान करने के लिए अब तक कोई विशेष योजना तैयार करने में विफल रही है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे किसानों का बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए उनकी भावी योजना क्या है। जिनके पास निजी साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अपमान तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के उत्पीड़न से बचने के लिए मृत्यु को गले लगाने के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं होता। देश में तुलनात्मक दृष्टि से कम मूल्य पर गेंहू उपलब्ध होने के बावजूद यदि उसका आयात किया जाए तो अधिक हास्यास्पद बात क्या होगी? क्या यही वह रास्ता है जिसके द्वारा सरकार इस स्थिति से निपटने का प्रयास कर रही है?

किसानों और समाज के अन्य पीड़ित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सहकारी संस्थाएं श्रेष्ठतम केन्द्र हैं। परन्तु माननीय वित्त मंत्री जी, आपने सहकारी बैंक जो अब तक आयकर के दायरे से बाहर थे, उन्हें आयकर के दायरे में ला दिया है। क्या यह इन सहकारी बैंकों को समाप्त करने का तरीका नहीं है जो कि अपने ग्रामीण नेटवर्क के जरिए किसानों को राहत प्रदान करने का प्रयास करते हैं? अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि यह एक निर्धन और किसान समर्थक सरकार है? सहकारी बैंकों के लाभ पर कर लगाने के इस प्रयास से सहकारी बैंकों के खजाने से कम से कम पाँच हजार करोड़ रुपये निकल जाएंगे जिनका उपयोग कृषि क्षेत्र का वित्त पोषण करने तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के लिए किया जाता है। यह एक अच्छी खबर है कि 11वीं पंच वर्षीय योजना प्रस्ताव में कृषि पर बल दिया गया है परन्तु, उसे कार्यान्वित करने के पश्चात् ही सरकार की मंशा का पता चलेगा।

सभी क्षेत्रों में देश का संतुलित विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को किस सीमा तक और कितनी जल्दी

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दूर करने में सफल होते हैं जो कि वर्तमान में एक दूर की बात प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक अल्प विकसित राज्यों को विधियाँ आवंटित करने और पैकेजों की घोषणा करने का संबंध है, सरकार का निर्णय राजनैतिक विवशता और संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्त नहीं है। मेरा राज्य उड़ीसा स्वयं इसका एक वास्तविक उदाहरण है। यह देश का निर्धनतम राज्य है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या सबसे अधिक है तथा कई अन्य क्षेत्रों में इसकी आय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। आप अन्य अल्प विकसित राज्यों को विशेष पैकेज प्रदान कर रहे हैं परन्तु बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इस संबंध में उड़ीसा की उपेक्ष की गई है। हमारे राज्य में खनिजों के पर्याप्त भंडार होने पर भी कोयला रॉयल्टी की दरों में संशोधन करने की हमारी मांग की भी उपेक्षा की गई है। 11वे वित्त आयोग और सरकारियां आयोग ने भी कम से कम 3 वर्षों के बाद खनिजों पर रॉयल्टी की दर को संशोधित करने अथवा समय पर दर में संशोधन न होने की स्थिति में संबंधित राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की सिफारिश की थी। आपने उड़ीसा में के बी के योजना हेतु आबंटन की धनराशि को भी कम कर दिया है जो कि बहुत निन्दनीय है। आपके द्वारा की गई क्षति की पूर्ति करने के लिए उड़ीसा सरकार ने अपनी वित्तीय बाध्यताओं के बावजूद योजना के लिए अतिरिक्त निधियाँ प्रदान की है।

कृषि के माध्यम से वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण तन्त्र की भी अब तक उपेक्षा की गई है। मैं वित्त मंत्री जी से इस क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन का प्रावधान करने तथा दशकों से लंबित पड़ी बड़ी और मध्यम दोनों प्रकार की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं। सरकार को राजग सरकार द्वारा नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए आरम्भ की गई योजना के मुद्दे पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

महोदय, यद्यपि मेरे पास चर्चा करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं तथापि मैं वित्त मंत्री और भारत सरकार से यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि जैसे अल्प विकसित राज्यों पर अधिक बल देते हुए देश के सभी भागों और राज्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए अन्यथा विकास का लाभ और भारी निवेश का परिणाम केवल कुछ ही राज्यों को प्राप्त होगा जिससे हमारे देश का समग्र और संतुलित विकास करने में सहायता नहीं मिलेगी।

***श्री एन०एस०वी० चित्तन (डिंडीगुल)** : महोदय, मैं, हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 से संबंधित अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा वर्ष 2006-2007 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

मुझे स्मरण है कि हमारी यू०पी०ए० सरकार ने 18 जून, 2004 को सत्ता में आते ही वर्ष 2003-04 के दौरान वितरित धनराशि से अधिक वर्ष 2004-05 से तीन वर्षों की अवधि में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह को दोगुना करने के एक पैकेज की घोषणा की थी।

वर्ष 2004-05 के लिए 1,05,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य था जबकि प्राप्ति 1,25,309 करोड़ रुपये की हुई तथा वर्ष 2005-06 के लिए लक्ष्य 1,41,000 करोड़ रुपये का था तथा 1,67,775 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई।

वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह का लक्ष्य 1,75,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में गत 3 वर्षों के दौरान 25% 44% और 34% की वृद्धि दर देखी गई है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में यूपीए सरकार की कितनी रूचि है। यह सरकार 'आम आदमी' को समर्थन देने के कार्यक्रमों के आधार पर सत्ता में आई। हम अपने उस वादे को पूरा कर रहे हैं। अनुपूरक मांगों के अनुसार ऋण ग्रस्त किसानों को ब्याज में राहत देने के लिए 2359 करोड़ रुपये की मांग की गई है। इसमें से 1359 करोड़ रुपये आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के किसानों के लिए हैं। शेष 1000 करोड़ रुपये की मांग हमारे देश के शेष ऋण ग्रस्त किसानों के लिए की गई है। हम, वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त किए गए ऋण पर किसानों को ब्याज में 2% की राहत प्रदान करने हेतु 1700 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री की सराहना करते हैं, और कुल आवश्यकता को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात वर्ष 2006-07 के लिए किए जाने वाले प्रावधान के बारे में निर्णय लिया जाएगा और इसके लिए कुल 1000 करोड़ रुपये के प्रावधान की मांग की जा रही है। यद्यपि, इसकी सराहना की जानी चाहिए परंतु यह धनराशि किसानों की ऋण समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह एक आम कहावत है कि भारतीय किसान ऋण ग्रस्तता में पैदा होता है, ऋण के भार तले जीता है और अपने उत्तराधिकारियों पर ऋण का भार छोड़ते हुए ऋण ग्रस्तता में ही मर जाता है इस समास्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु ने इस संबंध में पहल की है और हमारे मुख्य मंत्री डा० के० करूणानिधि ने 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान करके किसानों पर देय ब्याज की राशि को समाप्त कर दिया है। यह एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय है। मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी से किसानों के ऋण भार की और अधिक सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण अपनाने तथा पूरे राष्ट्र को भोजन प्रदान करने वाले किसानों को राहत देने के लिए अधिक राहत की घोषण करने का अनुरोध करता हूं। किसानों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एन०एस०वी० चित्तन]

हुए मैं वित्त मंत्री से छोटे किसानों को कम अवधि वाली फसलों पर 4% की दर पर ऋण प्रदान करने के प्रस्ताव पद ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मेरे विचार से वर्ष 2007-08 के बजट में कुल राजस्व लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होगा। अत: इस प्रकार के ऋण प्रदान करने से सरकार पर बिल्कुल भी भार नहीं पड़ेगा। यदि नई मोटर कार खरीदने के लिए 0% की ब्याज दर पर ऋण दिया जा सकता है तो ऐसा ऋण घोर परिश्रम करने वाले किसानों को क्यों नहीं दिया जा सकता?

तमिलनाडु में प्राथमिक सहकारी समितियों के सामने धनराशि का भारी संकट है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से रूचि लेने तथा 'नाबार्ड' को सहकारी बैंकों को तत्काल राहत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध करता हूं। मुझे ज्ञात है कि अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने हेतु 'नाबार्ड' द्वारा निहित की गई शर्तों के राज्य सरकार द्वारा एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है। तमिलनाडु में फसल का मौसम आरम्भ हो गया है तथा किसानों को अधिकतम ऋण की आवश्यकता है। मैं वित्त मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा तमिलनाडु के किसानों को अविलंब ऋण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में लोगों को जीवनयापन की परिस्थितियां बिहार से भी बदतर है। लगभग 80% क्षेत्र में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है तथा इस क्षेत्र में कोई बड़े उद्योग भी स्थापित नहीं हुए है। मैं वित्त मंत्री जी से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखनते हुए क्षेत्र के लिए एक विकास परिषद का गठन करने पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ। वित्त मंत्री जी स्वयं इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने में कोई बुराई नहीं होगी। वित्त मंत्री जी ने 2004 के आम चुनावों के दौरान कहा था कि वे भारत को सियारगंगा के माध्यम से देखेंगे।

मैं चाहता हूं कि वे भारत को तमिलनाडु के पिछड़े जिलों जैसे डिंडीगुल, मदुरै, पुडाकोट्टु, रामनाथपुरम, त्रिरूनेलवली और कन्याकुमारी के माध्यम से देखें।

इस क्षेत्र को अवसंरचना में विशेषकर परिवहन क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है क्योंकि यह घरेलू उपभोग बाजार के एक कोने में स्थित है। रेल मंत्रालय चेंगलपट और व्योटूकुडी के मध्य समांतर बी जी लाईन बिछाने और इसके साथ ही ट्रेक के विद्युतीकरण की प्रक्रिया में है, मेरा सविनय अनुरोध है कि वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि इस परियोजना को अगले रेलवे बजट में लिया जाए। मदुरै, कोयम्बटूर और त्रिची स्थित हवाई अड्डो का उन्नयन कर के इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो में बदलने की आवश्यकता है।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व, मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकारी प्रतिभूतियों में किए अंशदान पर भी सेवाकर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए डाक जीवन बीमा अंशदान, जोकि सरकारी कर्मचारियों के लिए बचत का एक साधन है पर भी सेवाकर लगाया जाता है। मैं वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि बचत योजना पर इस कर को समाप्त कर दें।

प्रो० एम रामदास (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर हो रही इस चर्चा में भाग लेकर प्रसन्न हूं। सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। बात यह है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से हम इस देश के समक्ष आ रही अनेक मूलभूत समस्याओं के लिए जादुई समाधान की आशा नहीं कर सकते। अनुपूरक बजट ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था के विभिन्न मापकों के संदर्भ में सरकार के रूख का केवल संकेत मात्र दे सकता है।

इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए मैं अपने विचारों को केवल अनुदानों की अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रखूंगा जिसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी इस सभा में आए हैं। वह 21,823.52 करोड़ रुपये के व्यय हेतु सभा की स्वीकृति चाह रहे हैं, जिसमें से 10,376 करोड़ रुपये का वहन मंत्रालयों की बचत में से किया जाएगा। वस्तुत:, इससे केवल 11,444.76 करोड़ रुपये की सकल राशि का व्यय किया जाएगा। इस राशि में से 36 प्रतिशत राज्यों और संघशासित प्रदेशों को अंतरित किया जाएगा। 32.30 प्रतिशत उर्वरक राजसहायता के रूप में दिया जाएगा, 26.60 प्रतिशत वित्त मंत्रालय के माध्यम से किसानों के लिए विभिन्न ब्याज राहत योजनाओं में जाएगा।

महोदय, जब हम वित्त मंत्री जिस राशि के लिये अनुमोदन चाहते हैं उसके व्यय के तरीके को देखें तो हम पायेंगे कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों को किए गए अंतरण पहले स्थान पर हैं, यह दर्शाता है कि यूपीए सरकार विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के विकास में इच्छुक है, जो अभी वित्तीय संकट या संसाधनों की कमी से ग्रस्त हुए हैं। इसलिए, यह दर्शाता है कि सरकार केन्द्र-राज्य के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध रखना चाहती है, जोकि इस अनुपूरक बजट से स्पष्ट है।

दूसरे, सरकार की दूसरी वरीयता उर्वरक राजसहायता है, जिसके लिये 3,700 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इसका अर्थ है किसानों की खेती करने की कीमत कम हो जाएगी।

तीसरे वित्त मंत्रालय किसानों को ब्याज में रियायत के रूप में 2359 करोड़ रुपये खर्च करेगा। मुझसे पहले बोलने वाले अनेक सदस्यों ने किसानों की दयनीय स्थिति और उनके ऋण भार के संबंध में बताया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह मंत्रालय 1350 करोड़ रुपये की ब्याज राहत और किसानों को अल्पावधि ऋण दर 1000 करोड़ रुपये की ब्याज राजसहायता उपलब्ध करवा कर उन किसानों को राहत देना

चाहता है, जिन्होंने आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में आत्महत्याएं की है। इसलिए राजसहायता प्रदान करने और राज्य सरकारों इत्यादि के माध्यम से ऋणों माफी के सरकार के ये सभी प्रयास किसानों के प्रति सरकार की चिंता को दर्शाते हैं, और केन्द्र-राज्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने में सरकार की रूचि को दर्शाते हैं जिसके माध्यम से यह सरकार सुधार लाना चाहती है।

एक मुख्य प्रश्न यह है कि क्या व्यय में यह वृद्धि राजकोषीय घाटे में वृद्धि करेगी। मेरे मत में 11,000 करोड़ रुपये की वृद्धि सरकार के राजकोषीय घाटे को नहीं बढ़ाएगी क्योंकि पिछले चार माह में, सरकार ने राजस्व पद्धति और व्यय को अत्यधिक दक्ष ढंग से नियंत्रित किया जिससे सितम्बर 2006 में हमारे पास 4217 करोड़ रुपये का अतिरेक था। इसलिए यह आशंका नहीं की जा सकती कि इससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी।

परन्तु, अनुपूरतक बजट में सबसे चिन्ता की बात यह है कि 21,823.92 करोड़ रुपये के कुल व्यय में से इसका 81.3 प्रतिशत गैर-योजना, गैर उत्पादन और गैर – विकास व्यय के लिये है यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यदि एक बार धन परिचालन में चला जाता है तो, उत्पादन उस स्तर तक नहीं होगा; रोजगार भी अपेक्षति स्तर तक निर्मित नहीं होंगे: अत्यधिक धन से बहुत कम माल प्राप्त होगा। इससे मुद्रास्फीती में वृद्धि होगी। पहले ही ऐसे संसूचक हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरी आशंका यही है कि क्या इस व्यय द्वारा धनापूर्ति में वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी।

दूसरी चिन्ता की बात यह है कि ग्रामीण विकास को अनुपूरक बजट में काफी कम राशि प्राप्त हुई है क्योंकि इसके लिये योजना परिव्यय के अंतर्गत केवल 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और कृषि के लिये केवल 125.16 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं जोकि कुल का मात्र 1.1 प्रतिशत है सबसे हैरानी की बात यह है कि आज समग्र प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के महत्व को देखते हुए भी मत्स्य पालन के लिय कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है। कृषि के बाद बल्कि आज कृषि के ही समतुल्य मात्स्यिकी का भी काफी योगदान है किन्तु इस क्षेत्र के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी का यह कहना सही है कि अर्थव्यवस्था 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। परन्तु हमारी चिन्ता यह है कि क्या यह वृद्धि और इस वृद्धि का लाभ साधारण जन को मिल पाएगा जैसा की अनेक लोगों द्वारा यह चिंता व्यक्त की गयी है। यहां तक कि आज ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना भी ऐसी वृद्धि की बात की जा रही है जिसके लाभ सभी तक पंहुचे मानो पिछली दस योजनाओं में इस तरह की बात न की गई हो। हर योजना में पिछड़े और कमजोर वर्गों, असंगठित क्षेत्रों इत्यादि को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है। इसलिए वृद्धि में सभी को शामिल करने की बात में कुछ भी नया नहीं है। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि वृद्धि आम आदमी तक पंहुचे। देश में हो रही वृद्धि गरीब आदमी की पहुंच में होनी चाहिए और उन्हें इससे लाभ मिलना चाहिये इसलिए कम से कम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार का नारा वृद्धि में सबको शामिल करना न होकर अधिगम वृद्धि को लोगों तक पहुंचा होना चाहिए और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए।

चिन्ता का अन्य क्षेत्र विद्युत ऊर्जा का उत्पादन है जिसमें हम योजनागत लक्ष्य से काफी पीछे हैं और हमें विद्युत ऊर्जा आपूर्ति में सुधार पर बल देना चाहिए। ऋण वृद्धि अत्यधिक तेज दर से बढ़ रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों से जमा वृद्धि क्या इसके समरूप हो रही है या नहीं। इसलिए हम केवल यही चाहते हैं कि जमा वृद्धि को ऋण वृद्धि के समान होनी चाहिये।

अंततः हमने आर्थिक क्षेत्र में इतने सुधार किये हैं परन्तु मुझे लगता है कि जिसे 'व्यय सुधार' कहा जाता है हम उसमें पिछड़ रहे हैं। हालांकि हम कठोर निर्णय ले रहे हैं, हम व्यय को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु अभी तक कुछ खास नहीं किया गया है। मैं केवल यही कामना करूंगा कि सरकार व्यय की प्रभाविकता और व्यय की गुणवत्ता पर बल दे। व्यय की गई प्रत्येक राशि से कुछ न कुछ प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि वित्त मंत्री हमें कहते हैं, परिणामी व्यय, परिणामी बजट परिव्यय व्यय से अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं आशा कर रहा था कि माननीय वित्त मंत्री अनुपूरक बजट के साथ-साथ परिणामी बजट भी पेश करेंगे। ऐसा नहीं किया गया। संभवतः वो अगली बार ऐसा करेंगे। महोदय, इसलिए हमारे सभी व्ययों से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, केवल इससे ही रोजगार सृजन के साथा-साथ वृद्धि होगी न कि रोजगार के अवसरों के बिना वृद्धि। हमें रोजगार के अवसर सृजित हों ऐसी वृद्धि का लक्ष्य रखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाई गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों और विनियोजन विधेयकों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं 2004-05 हेतु अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) और 2006-07 हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, पिछली चार तिमाहियों के दौरान हमने पाया है कि प्रत्येक तिमाही में सफल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि हो रही है। जहां तक वृद्धि का संबंध है, हम पाते हैं कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि काफी कम है। परन्तु वृद्धि चाहे जो भी हो कुल सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान

[श्री सुधांशु सील]

असंगठित क्षेत्र का होता है 50 प्रतिशत अंशदान असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है। लगभग 37 करोड़ लोग और कुल कार्यबल के 93 प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। हम यह देखकर काफी अचंभित हैं कि हमारी सरकार इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्हें किसी बीमा योजना, भविष्य निधि या उपदान के लाभ नहीं उपलब्ध करवाये गये है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि वे इस मामले पर ध्यान दें।

उदाहरण के लिए रत्न और आभूषण के क्षेत्र में हम विभिन्न देशों को 60,000 करोड रुपये मूल्य के जवाहरातों का निर्यात कर रहे हैं तथा हमारे घरेलू बाजार में हम लगभग 40,000 करोड़ रुपये के जवाहरात बेच रहे हैं। कई लाख कारीगर इस व्यापार में सम्मिलित हैं परन्तु उन्हें इस प्रकार के कोई लाभ उपलब्ध नहीं करवाये गये है। जब तक ये लोग कार्य कर रहे हैं इन्हें परिश्रमिक मिल रहा है और यह भी उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं है। जैसे ही उनकी कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, वे कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों के साथ भी यही स्थिति है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है और हमारे कृषि क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि आप कृषि या बागवानी या पुष्पकृषि को लें, तो पायेंगे कि हमारे पास पर्याप्त अवसंरचना अभी भी उपलब्ध नहीं है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो साल में एक बार ही बोई जाती हैं। हमें उचित परिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता है। हमारे पास शीत भण्डारण सुविधाएं होनी चाहिए। परन्तु स्वतंत्रता के साठ वर्ष बाद भी हमारे पास शीत भण्डारण सुविधाएं नही हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को वह सलाह देना चाहता हूं कि प्रत्येक खण्ड में शीत भण्डारण सुविधाओं के लिए हमारे पास उपयुक्त योजना होनी चाहिए और इस प्रकार से किसानों को सहायता मिलेगी।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम अधिक उत्पादन कर रहें हैं। उदाहरणार्थ, आप आलू को ही ले लीजिए। पश्चिम बंगाल में, ऐसा समय भी था जब हमें अन्य राज्य से आलू खरीदना पड़ता था। अब हम इसका इतना अधिक उत्पादन कर रहे हैं कि न केवल हमारी घरेलू आवश्यकता पूरी हो रही है बल्कि हम इसे अन्य देशों को भी निर्यात कर सकते हैं। हम अमरीका, आस्ट्रेलिया, हॉलैंड और चीन से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारे पास इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए आधारभूत सुविधाएं नहीं है। इन वस्तुओं का निर्यात करने के लिए हमें प्रशीतित-डिब्बों की आवश्यकता हैं। मैं इस सदन के माध्यम से विगत दो वर्षो से संबंधित प्राधिकारियों से प्रशीतित-डिब्बों की व्यवस्था करने के लिए कह रहा हूं। हम सिंगापूर, इंडोनेशिया, फिलीपीइन्स और मलेशिया को इन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं परन्तु हम जर्मनी से डिब्बों का आयात कर रहे हैं। यदि हमारे पास हमारे स्वयं के डिब्बे हो तो हम निश्चित तौर पर विश्वव्यापी खरीददारों से मुकाबला कर पाएंगे। महोदय अब हमें कृषि उत्पादों के लिए एक स्पष्ट विपणन प्रणाली की आवश्यकता है। यह अत्यन्त आवश्यक है। हमारे पास कोई विपणन व्यवस्था अथवा विपणन प्रणाली नहीं है तथा इसके कारण किसानों का नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए आप टमाटर को ही ले लीजिए। किसान खेतो में टमाटर उगा रहे हैं।

वह अपने टमाटरों को 50 पैसे प्रति किलोग्राम के मूल्य पर भी बेचने की स्थिति में नही है जबकि खुले बाजार में यह 15 रु प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचा जाता है। इस समय इसे बाजार में 20 रु प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचा जा रहा है।

अत: यदि हम वास्तव में किसानों को समर्थन मूल्य देना चाहते हैं तो हमें सुस्पष्ट विपणन नीति बनानी होगी। हमें किसानों से वस्तुएं खरीदनी चाहिए। हमें प्रभावी विपणन प्रणाली बनानी चाहिए तथा हमें घरेलू-बाजार और विश्वव्यापी बाजार की मांक के आधार पर वस्तुओं का निर्धारण करना चाहिए।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण बात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में है। वे सराहनीय कार्य कर रहे है। अग्रवाल समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें दे दी है। परन्तु मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अपने कार्यकलाप बढ़ाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उन्हें सीमित स्टाफ दिया गया हैं। चाहे कितना भी कार्य हो, कितने भी लाभार्थी हो, कुल कारोबार कितना भी हुआ हो, उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जबकि वे राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वे ऐसे दूरस्थ स्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी पहुंच नहीं है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाएं।

महोदय, अन्त में, मैं निश्चित तौर पर शिक्षा क्षेत्र के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। इस विश्व में हर किसी की पांच मूलभूत आवश्यकाएं हैं। ये है भोजन, आश्रय, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। परन्तु जहां तक शिक्षा का संबंध है, यह दुख की बात है कि स्वतंत्रता के 59 वर्षों के बाद भी हमारे देश की 35 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है। मैं सर्व शिक्षा अभियान और अन्य कार्यक्रम शुरू करने के लिए भारत सरकार की सराहना करता हूं। वित्त मंत्रालय को देखना चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों पर प्रभावी ढंग से कैसे ध्यान दिया जा सकता है। हम चाहते हैं कि निरक्षरता का स्तर 35 प्रतिशत से घटकर पूरी तरह समाप्त हो जाए तथा उसके लिए भारत सरकार और विशेषकर वित्त मंत्रालय को ईमानदारी से प्रयास करने होंगें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2004-05 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आज चर्चा चल रही हैं, मैं आपके माध्यम से आम आदमी की तरफ सरकार के खास आदमी माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी। सरकार की नीयत और नीति दोनों संदेह से घिरी हुई हैं। जो सरकारें धर्म और जाति के नाम पर अपना काम चलाना चाहेंगी, वे कभी भी अर्थव्यवस्था दुरूस्त नहीं कर सकती हैं। शैक्षणिक सैस्थानों में जाति के नाम पर आरक्षण की बात, सेना में जाति के नाम पर आरक्षण या काउंटिंग की बात या दूसरे संस्थानों में इस ढंग की बात हो, तो वह सरकार कैसे आम आदमी की सरकार बनने की बात कह सकती है? ऐसी सरकार कभी भी इस देश को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में सफल नहीं हो सकती है।

मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आती हूं। छत्तीसगढ़ नवोदय प्रदेश है, जिसकी आयु सिर्फ 6 वर्ष की है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस राज्य को जन्म दिया, यह जानते हुए भी कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या ज्यादा है और वहां कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। चूंकि नीयत और नीति दोनों अच्छी थीं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवम्बर, 2000 को किया। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। चाहे सर्व शिक्षा अभियान की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो या सैल्फ हैल्प ग्रुप के आबंटन की बात हो, कहीं किसी रूप में भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन ढाई साल पहले, जब से यूपीए सरकार आई और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई, इन्होंने भेदभाव करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, 16 में से 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं, हम छत्तीसगढ़ के लोग प्रारंभ से कह रहे हैं कि नक्सली समस्या को राष्ट्रीय समस्या मानिए और हमारी मदद कीजिए, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त आबंटन की दरकार सरकार ने आज तक नहीं की है। आज वही कहावत छत्तीसगढ़ के लिए चरितार्थ हो रही है "अंधा बांटे रेवड़ी, चींग-चींग के दे" जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस समर्थित सरकार है इसलिए वहां राजीव गांधी विद्युत परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए मांगे गए और उनके लिए 465 करोड़ की राशि आबंटित की गई। छत्तीसगढ़ में वही विद्युत योजना ठप्प पड़ी है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल में किसान आत्महत्या करते हैं, किसानों की बात करने वाली सरकार द्वारा वहां के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान, जो अपना खून पसीना एक करके, तपती दोपहर में धान की फसल पैदा करते हैं, अगर उनका धान सरकार खरीदती है तो वह अपने दम पर खरीदे? उनके परिवहन के लिए यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय कृषि मंत्री शरद पवार जी के पास बार-बार आते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमें अतिरिक्त पैसा दीजिए लेकिन निश्चित रूप से अतिरिक्त पैसा की बात वहां नहीं होती है।

गरीबी उन्मूलन योजना में क्या काम हो रहा है, सरकार को देखने की जरूरत नहीं है, सरकार सिर्फ इस बात की ओर लगी हुई है कि कागजों में आंकड़े बढ़ जाएं। मैं नही कहती कि आजादी के 60 साल बाद प्रगति नहीं हुई, प्रगति हुई है, शहरों में अट्टालिकाएं तन गई हैं, अमीर और अमीर हो गए हैं और गरीब और गरीब हो गए हैं। जब राम गोपाल जी बोल रहे थे तब मुझे लग रहा था कि वे भाजपा की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता अगर देश में किसी ने की है, तो वह पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए सरकार के समय की थी। उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी उन योजनाओं के लिए अगर आबंटन बंद नहीं किया जाता, अगर उन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जाता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आज देश की स्थिति दूसरी होती।

बहुत से माननीय सदस्य एम्स की बात कह रहे थे, छत्तीसगढ़ गरीब प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है, आवागमन ज्यादा अच्छा नहीं है, एम्स अस्पताल घोषित हुआ लेकिन पैसे देने में कोताही बरती जा रही है। आप देश का विकास कर लेंगे? भारत निर्माण को अंजाम दे देंगे? अगर छत्तीसगढ़ पिछड़ा रह गया तब आपकी भारत निर्माण की भावनाओं की कौन कद्र करेगा? माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपका तीन-चार बार से लगातार भाषण सुन रही हूं, आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हूं न, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, यदि आप ईमानदारी से भारत निर्माण करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ को ठीक कीजिए, नक्सली समस्या का अंत कीजिए। छत्तीसगढ़ की अमीर धरती है लेकिन वहां गरीब लोग रहते हैं क्योंकि यह सरकार आज तक कोयले की रॉयल्टी तय नहीं कर पाई है। हमें दो रूपए रॉयल्टी का मिलता है, हम कैसे छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे? कोयले की रॉयल्टी की नई दरें तय की जाएं। माइन्स और मिनरल्स छत्तीसगढ़ में है लेकिन दोहन नहीं कर पा रहे हैं, वन संपदा हमारे पास है लेकिन सरकार ने रोड़े लगा दिए हैं इसलिए हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर सारी समस्याओं का अंत माननीय वित्त मंत्री जी करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत निर्माण में छत्तीसगढ़ एक अहम कड़ी साबित होगा। यूपीए सरकार में आप खास आदमी हैं, आप वित्त मंत्री हैं, आप पर सारी सरकार का दारोमदार निर्भर है, आपने बातें तो बड़ी-बड़ी की, आंकड़े लंबे-चौड़े प्रस्तुत किए लेकिन भाजपा शासित छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ भेदभाव किया।

माननीय सभापति महोदय, मिट्टी के तेल का आबंटन कम कर दिया, शक्कर का कोटा कम कर दिया। आपने काम के बदले अनाज योजना के तहत घुन लगा हुआ गेहूं भेजा है।

[श्रीमती करूणा शुक्ला]

सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे क्षेत्र को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से नहीं जोड़ा गया है। मैंने डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री से निवेदन भी किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य की उपेक्षा नही होगी। मैं एक बार पुन: इस बात को दोहराना चाहूंगी कि माननीय वित्त मंत्री जी बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहे हैं लेकिन निश्चित रूप से उन बड़ी बातों को अंजाम देने के लिये, अगर वह काम करेंगे, तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं अपना भाषण एक कवि की दो पंक्तियों को उद्धृत करते हुये समाप्त करना चाहूंगी:

हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है,
मेरी कोशिश है कि यू.पी.ए. सरकार की
नीयत और नीति बदलनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा दूरदर्शी बजट प्रस्तुत किया जिसकी न केवल पूरे विश्व में सराहना की जा रही है बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि भारत अपनी आर्थिक नीतियों में शानदार कार्य कर रहा है।

यह केवल अनुपूरक अनुदानों की मांग के संबंध में है परन्तु कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनके लिए उन्हें चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। वह अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में इसका सामना करने की चिन्ता कर रहे है। जब सुनामी विपदा आई थी तब बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई थी और कई गांव समुद्र में विलीन हो गए। उस समय भी भारत सरकार और विशेषकर वित्त मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों की सहायता की थी तथा हम उनके द्वारा की गई सहायता की सराहना करते हैं।

महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि उस समय भी हमें अनेक समस्याओं विशेषकर लोगों को देने के लिए स्थायी आश्रय बनाने की समस्या का सामना करना पड़ा। इस उद्देश्य के लिए हमे वित्त मंत्री और भारत सरकार से मद्द लेनी होगी। मेरे विचार में माननीय वित्त मंत्री इस संबंध में कंजूसी नहीं करेंगे तथा वह अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

अब हम द्वीपसमूह में रह रहे हैं। हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है। हमारा अपना कोई प्रशासन नहीं है। वहां कोई विधानसभा नहीं है। वहां केवल एक उपराज्य पाल है जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रयास संबंधी कार्य देखता है। इस अवधि के दौरान, लगभग 35 प्रतिनिधि अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिल्ली आए। उनका कहना था कि हमें भी लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार केरल, राज्य से माननीय सभापति आए हैं, के लोग अपने राज्य का आनन्द लें रहे हैं हमें भी अपने स्वयं की विधानसभा का अधिकार दिया जाना चाहिए।

मैं यह बताना चाहूंगा कि गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से तथा सभी दलों ने एक साथ मिलकर यह सिफारिश की है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे छोटे क्षेत्र में भी एक विधानसभा होनी चाहिए। उनकी यह सिफारिश है। मेरे विचार में जब ऐसी सिफारिश की गई है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए क्योंकि सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं और सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस प्रयोजनार्थ आवश्यक निधियां प्रदान करेंगे।

देश के उस क्षेत्र में पेयजल, गेहूं, चावल और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति संबंधी मामले की उचित देख भाल करनी होगी और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में इनकी आपूर्ति करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने होंगें।

मैं पुन: यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस देश के लोग जानते हैं कि आज अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर सर्वोत्तम पर्यटक स्थल है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे है। यह हमारे देश के लिए आय अर्जन का सर्वोत्तम क्षेत्र हो सकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसी योजनाएं प्रारंभ करे जिसमें हमारा देश अधिक से अधिक संसाधन अर्जित कर सके। हम अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार अवसरों का सृजन भी कर सकते हैं।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे यहां बड़े उद्योगों जैसी अनेक सम्भावनाएं नहीं है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इलेक्ट्रॉनिक, वस्त्र निर्माण आदि उद्योगों को लगाने की सम्भावनाओं का पता लगाएं जिससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होगें।

महोदय, मैं जानता हूँ कि जब आप इस पद पर थे तब आप मुझसे बढ़ कर थे और आज जब आप वहां पर हैं तब आप केवल ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आप अध्यक्ष पीठ के खिलाफ कोई टिप्पणि नहीं कर सकते। ऐसा करना सही नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : नहीं, महोदय, यह एक आदरपूर्ण निवेदन था।

सभापति महोदय : अब मैं पीठासीन हूं। जब मैं वहां पर होऊंगा तब आप कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं परन्तु जब मैं पीठासीन हूं तब आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया था।

सभापति महोदय : मैं यहां पर चर्चा को नियंत्रित करने के लिए बैठा हूं। अत: आप को अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं आपके साथ सहयोग कर रहा हूं।

सभापति महोदय : इस कार्य को आज ही पूरा करना हैं और इस मुद्दे पर अभी कई वक्ताओं को बोलना है। अत: कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग कीजिए। आप इसका महत्व क्यों नहीं समझते? इसके अलावा, आप सदन में अनावश्यक टिप्पणिया भी कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, सहयोग करना मेरी आदत हैं। मैं कुछ ही मिनटों मे अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह संघराज्य क्षेत्रों की समस्या पर गंभीरता से विचार करे ताकि हम विकास जैसे क्षेत्रों में अन्य राज्यों के स्तर तक आ सकें। इससे हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ होगा।

मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का आवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए राज्य की और नई विधान सभा की श्री भक्त द्वारा की गई मांग का समर्थन करता हूँ।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई** (शिवकाशी) : माननीय सभापति, सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष पीठ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सामान्य बजट 2006-2007 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं मरूमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। हमारे वित्त मंत्री ने इस सभा के समक्ष 21,823.92 करोड़ रु० की अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत की हैं। गत तीन वर्षों में हमारे देश में निरन्तर 8 प्रतिशत विकास दर बनी हुई है। हमारे शेयर बाजारों में भी आशाप्रद विकास और फलता फूलता परिदृश्य देखने को मिला है। रेलवे, जो हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है उस में भी लगभग 20,000 करोड़ रु० के लाभ के साथ गतिशील वृद्धि हो रही है। कुछ क्षेत्रों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है और साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो वृद्धि हेतु सहायता और अवसरों की ओर देखते हैं। अभी हम लगभग 21,000 करोड़ रु० से कार्य करते हैं। यह कुछ राज्य सरकारों के कुल बजट के बराबर है। समाज के सभी वर्गों को इस अनुपूरक बजट का लाभ मिलना चाहिए। हमारे वित्त मंत्री ने सामान्य बजट हेतु अनुपूरक अनुदानों मांग में मद सं० 1 के रूप में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के लिए 9.35 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की हैं किसानों में वितरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। राज्यों के खेतों से उत्पन्न इन गुणवत्ता बीजों से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खेतों में स्वयं काम करने के कारण मैं वास्तविक्ता जानता हूं। किसान उचित तारीके से समय पर बीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बदले सरकार प्रौत्साहनों के विस्तार और बागबानी में साहसी और उत्साही स्नातकों को राजसहायता देकर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की खरीद कर सकती है।

अनुदानों की मांगों में यह संख्या 2 में 2.73 करोड़ रु० की लागत से 13 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना का उल्लेख किया गया हैं। वैज्ञानिक तरीकों का विकास करने के लिए ये कृषि केन्द्र कई स्थानों पर अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ स्थानों में वे भी बंद रहते है। उदाहरणार्थ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र विरुधु नगर में यह पिछले कई वर्षो से बंद है। केन्द्रीय कृषि क्षेत्रों ने बताया है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसा केन्द्र खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसे कार्यान्वित करने के लिए कम से कम 10 करोड़ रु० और आवंटित किए जाने चाहिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने किसानों के लाभ के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए 3,700 करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि आवंटित की है। पिछले वर्ष तमिलनाडु में किसानों के वितरण के लिए उर्वरकों की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उर्वरकों की कमी और अल्पता ऐसे समय में हुई जब उन्हें सर्वाधिक जरूरत की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि आगतों की किसानों को समय पर आपूर्ति की जाए, विनिर्माण एककों को अविलम्ब सब्सिडी दी जानी चाहिए।

हमारे देश में लघु उद्योगों का विकास रोजगार सृजन के लिए शुभ संकेत है। लगभग 10 वर्ष पहले तमिलनाडु में कुछ जाति समूहों के बीच हिंसक संघर्ष के बाद सांप्रदायिक दंगों के कारणों और प्रभावों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया कि उन जिलों में रोजगार के अवसरों की कमी और या नगण्य आर्थिक विकास द्वेष के कारण थे जिनसे सामाजिक सौहाई को ठेस पहुंची। उन्होंने सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा कि वहां रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु आवश्यक औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां समान रूप से औद्योगिक विकास हो। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में औद्योगिक विकास में आ रही बाधा को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अधिकाधिक औद्योगिक ईकाइयों शहरों और

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाइ]

कस्बों या उन स्थानों के निकट स्थापित हो रही हैं, जहां पहले से ही अन्य औद्योगिक इकाइयां पहले से ही विद्यमान है। बड़ी औद्योगिक इकाइयों की अनुपस्थिति में लघु उद्योगों और यहाँ तक कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लघु उद्योग विभाग के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण से संबंधित पूंजी सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिए। इसके लिए 18.5 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में माचिस उद्योग लगभग एक लाख मजदूरों को रोजगार प्रदान कर रहा है। इस हस्तनिर्मित माचिस उद्योग को लघु उद्योगों में शामिल किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में लगभग हर परिवार चिकनगुनिया जोकि महामारी का रूप लेता जा रहा है, से प्रभावित हुआ है। चिकनगुनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस महामारी को नियंत्रित करने हेतु आधारभूत ढांचा बनाने के लिए 14 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। यदि इसे नहीं रोका गया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। चूँकि यह बीमारी तमिलनाडु में अभी भी फैली हुई है, अत: केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस खतरे से निपटने के लिए तमिलनाडु को और अधिक धन आवंटित किया जाए। प्रभावित लोगों को इलाज और पुनर्वास दोनों के लिए उचित सहायता दी जानी चाहिए। जब तक वे अपनी आजीविका फिर से प्रारंभ करें, उन्हें वित्तीय मुआवजा दिया जाना चाहिए।

स्थानीय निकायों के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए पाँच करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, वहां स्थानीय निकायों के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए थे। उन्हें प्रशिक्षित कर सकने वाले प्रशिक्षण संस्थान केरल और कर्नाटक जैसे पड़ौसी राज्यों में हैं। यह बेहतर कदम होगा कि लोगों के प्रतिनिधि स्वयं पड़ौसी राज्यों में स्थानीय निकायों के कार्यकरण को देखें और प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें धन राशि प्रदान की जाए। लंबी यात्रा के माध्यम से इस तरह का प्रशिक्षण और अवसर और उन राज्यों का दौरा करना हमारे स्थानीय निकायों के बेहतर कार्यकरण में मदद करेंगे। मद सं० 81 समाज के कमजोर वर्गों के लिए उपचार सुनिश्चित करने के लिए चितिराय थिरूनाल संस्थान को लगभग 410 करोड़ रु० का अतिरिक्त अनुदान देने के बारे में है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले लोगों को उपचार सुविधाओं का लाभ मिला है। समाज के कमजोर वर्गों को उपचार के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता मिल रही है। हृदय शल्यचिकित्सा और कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारियों के लिए मौद्रिक सहायता दी जा रही है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है। तमिल समृद्ध और प्राचीन भाषा है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : महोदय, बस दो मिनट और। अब मैं आपके राज्य के बारे में बात कर रहा हूं। जरूरतमंद गरीब लोगों को इस प्रकार के बड़े अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। अनेक गरीब लोगों के लिए, जिन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और सर्जरी की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता एकमात्र सहारा है। ऐसे लाभभोगियों की संख्या घटा दी गई है। अत: स्वाभाविक रूप से गरीब रोगी चिधिराय दिखनाल जैसे संस्थानों में जाते हैं अत: सरकार को अधिक धन आवंटित करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। इससे जरूरत के समय दक्षिणी जिलों के लोगों को नि:शुल्क उपचार में बहुत सहायता मिलेगी।

शिवकाशी में टिन ईकाइयां हैं जिनमें मजदूर कार्यरत है। ऐसे उद्योगों में पूरी प्रक्रिया में कड़े श्रम की जरूरत होती है। कुछ समय पहले 300 ईकाइयाँ थी। लेकिन अब यह संख्या केवल 30 ईकाइयों तक आ गई है। विरूधनगर स्थित परंपरागत टिन उद्योग पर सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में कुछ ईकाइयों में बैंडेज हाथ से बनाए जाते हैं। चूँकि ये लघु उद्योग ईकाइयां और कुटीर-उद्योग ईकाइयां हैं, अत: सरकार इन ईकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है जिनमें श्रामिकों को काम पर लगाया जाता है। मरूमलर्ची द्रविड़ मुनेत्र कडगम की ओर से अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य बजट) का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री एम० शिवन्ना** (चामराजनगर) : सभापति महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य बजट 2005-06) का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें बजट पर चर्चा करते हुए देश में किसानों की स्थिति के बारे में विचार करना होगा। स्वतंत्रता के 59 वर्षों के बाद भी हमारे देश में किसानों के जीवन स्तर कोई सुधार नहीं हुआ है क्योंकि किसानों को उनके उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। अत: मैं अपना भाषण केवल कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता पर दूंगा।

कर्नाटक के अरसीकेर बाजार में 'बाल' किस्म की कीमत जनवरी 2006 में 7,210 रु० प्रति क्विंटल की तुलना में नवम्बर, 2006 में केवल 4000 रुपए प्रति क्विंटल थी। खोपरा की कीमत में अचानक गिरावट ने कर्नाटक में संकट पैदा कर दिया है। अरासिकर, चित्रदुर्ग, तिप्तूर और अन्य स्थानों पर खरीद मूल्य में कमी के विरोध के खोपरा सड़कों पर जलाया जा रहा है। केन्द्र को इस गंभीर पहलू पर विचार करना चाहिए। टमाटर और आलू सड़कों पर फैंके जा रहे है क्योंकि उनकी कीमत बहुत कम है।

गन्ने की कीमतों की भी यही दयनीय स्थिति है। अब कर्नाटक में किसानों को केवल 850 रु० प्रति टन मिल रहे हैं। कुछ किसानों

*मूलत: कन्नड़ के दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

ने तो अपनी गन्ने की फसल खेतों में ही जला दी है। गन्ना उत्पादक गन्ने के खरीद मूल्य से संतुष्ट नही है। कर्नाटक में मांड्या में प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी चीनी मिल सहित कुछ चीनी मिलें बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। यही उपयुक्त समय है जब केन्द्र को किसानों की इस गंभीर समास्या पर ध्यान देना चाहिए। चीनी का समर्थन मूल्य 1500 रु० प्रति टन निर्धारित किया जाना चाहिए। पूरे देश में किसान परेशान हैं और केन्द्र तथा राज्यों को इन गन्ना उत्पादकों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए।

हमारे देश में श्वेत क्रान्ति आई है और इसका पूरा श्रेय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात् किसानों को दिया जाना चाहिए। लेकिन उसे दूध का क्या मूल्य मिल रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में विशेषकर कर्नाटक में उन्हें केवल 9 रु० 25 पैसे प्रति लीटर मिल रहे हैं। उसी समय लोग बिसलेरी के पानी के लिए 18 रु० प्रति लीटर देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य से, किसानों को प्रति लीटर दूध के लिए 18 रुपए भी नहीं मिल सकते। दूध से केक, आईसक्रीम, चाकलेट और अन्य मिठाइयां बनायी जाती है। अतः मेरा सुझाव है, कि दूध का लाभकारी मूल्य 18 रु० प्रति लीटर निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है तो उसके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो सकता। कर्नाटक में हम सवर्ण कर्नाटक मना रहे हैं। यदि किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो यह अर्थहीन होगा।

कर्नाटक के कुछ भागों में भारी वर्षा के बावजूद राज्य के अनेक भाग भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। उत्तरी बैंगलोर, गुब्बी, टुमकुर, बिलगई, चित्रदुर्ग, रानीबेन्नुर, कनकपुरा, चामराजनगर सहित 160 तालुका सूखे से प्रभावित हैं। कर्नाटक सरकार पहले ही इन प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बता चुकी है। इसने पाँच लाख टन खाद्यान्न जारी करने का आग्रह करते हुए केन्द्र सरकार को ज्ञापन भी दिया हैं। एक केन्द्रीय दल ने कर्नाटक का दौरा किया था और मुख्यमंत्री श्री कुमारास्वामी से विचार-विमर्श किया था।

अफसोस की बात है कि बहुत कम राशि राज्य को भेजी गई है। केन्द्र द्वारा अभी तक दी गई 16,978 करोड़ रु० की राशि में से कर्नाटक को केवल 2,689 करोड़ रु० मिलेंगे। लोगों ने विशेषकर कृषि मजदूरों, और निर्माण कार्यों में काम करने वाले मजदूरों ने पहले ही रोजगार की तलाश में पड़ौसी राज्यों में जाना शुरू कर दिया है। टुमकुर, कोप्पल, बीजापुर, चित्रदुर्ग जिलों में स्थिति गंभीर है जहाँ पशुओं के लिए चारा-पानी उपलब्ध नहीं है।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री से आग्रह करता हूं कि आवश्यक 4,000 करोड़ रु० की राशि जारी की जाए और कर्नाटक को 5 लाख टन खाद्यान्न भेजा जाए ताकि राज्य भयंकर सूखे की स्थिति से निपट सके।

माननीय वित्तमंत्री जी सकल घरेलू उत्पाद में धीरे-धीरे वृद्धि के लिए कदम उठा रहे हैं। साथ ही वे बचत को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। इन उपायों के अतिरिक्त यह किसानों के लिए प्रोत्साहन है जो हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार में मदद कर सकता है।

रेशम-उत्पादन में लगे हुए लोग भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सिदलषट्ट्या (कोलार) राम नगर, चामराजनगर, चेत्रापटना, कनकपुरा और देश के दूसरे स्थानों पर प्यूपा मजदूरों की स्थिति दयनीय है। महिला मजदूरों को केवल 80 रु० प्रति दिन मजदूरी दी जाती है। इसे कम से कम 200 रु० प्रतिदिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को प्यूपा मजदूरों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सभी उपाय करने चाहिए। मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अगली वक्ता श्रीमती नीता पटैरिया है। चूँकि सभापति तालिका का कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं है, अतः मैं सभा से श्री पी०एस० गढ़वी को कुछ मिनटों के लिए पीठासीन होने की अनुमति देने का आग्रह करता हूं। मैं कुछ मिनटों के बाद वापस आऊंगा और इसके पश्चात कार्यवाही की अध्यक्षता करूँगा। क्या आप सहमत हैं?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

सायं 6.57 बजे

[श्री पी०एस० गढ़वी *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूं। हम इसका कोई विरोध नहीं करने जा रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके वित्त मंत्री बनने के बाद देश का पूरा अर्थशास्त्र चौपट हो गया। यूपीए सरकार हर मोर्चे पर फेल है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : क्या आप मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दे सकती हैं? मैंने पहली बार किसी को यह कहते हुए सुना है कि सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 से 8.4 तथा 9.1 की दर से हो रही वृद्धि खराब है। इसका यह अर्थ है कि भाजपा हर चीज को उल्टा देखती है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया : यह बात सिर्फ आंकड़ों में है। हम गलियों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां तक विकास

[श्रीमती नीता पटैरिया]

की किरण नहीं पहुंची है। यूपीए सरकार निश्चित रूप से फेल है। वह केवल नारे लगा रही है। गरीबी हटाओ का नारा लगा रही है, पर देश में स्थिति यह है कि लोगों के लिए दाल-रोटी नहीं है। जैसे कि हम लोग पहले भजन गाया करते थे, "दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ" और हम अब कहने लगे हैं कि "भूखे भजन न होए गोपाला," क्योंकि दाल और दूसरी चीजों के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने पूरे साल का अपना बजट बनाया था, लेकिन जब आज आपकी जो बजट में पूरक मांगे आयी हैं, वह अपने आप में यह प्रदर्शित करता है कि जब आपने बजट बनाया तो उस समय जो आपका अपना अनुमानित बजट था, उसमें आप गड़बड़ाए और इतनी आज इतनी अधिक राशि इसमें मांगी जा रही है। अनुमानित लागत से थोड़ा-बहुत अंतर तो चलता हैं, पर जो आज हमने पूरी लिस्ट पढ़ी, इतना अंतर नहीं चलता है। आपने जो अपना अनुमानित बजट देश के लिए बजट सत्र में बनाया, वह आपका गड़बड़ाया और दूसरी तरफ आपकी नीतियां सही नहीं हैं, जिसके कारण गृहणियों के घरों का जो बजट था, वह भी गड़बड़ा गया है। माननीय मंत्री जी जब से यूपीए की सरकार आयी है, कमरतोड़ महंगाई लायी है। प्याज के नाम पर आंसू बहाने वाली सरकार, कांग्रेस आज मौन है। महंगाई बढ़ रही है, न शक्कर है, न दाल है, न चावल है, न सब्जियां है और गृहणियों का बजट बिगड़ गया है। डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कुकिंग गैस की लाइनें बढ़ गयीं, कहीं न कहीं यह गड़बड़ाया हुआ बजट है, जो जनता के सामने है और जनता में हाहाकार मचा हुआ है, आप सब मौन बैठे हुए हैं।

सांय 7.00 बजे

जब एन०डी०ए० की सरकार थी, उस समय देश में अनाज के गोदाम भरे हुए थे, लेकिन आज खाली हैं। आज आस्ट्रेलिया से सड़ा हुआ गेहूं ज्यादा दाम देकर इस देश में लाया जा रहा है। वह गेहूं जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। उस समय देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ थी और विकास की दर 8 प्रतिशत पार कर चुकी थी: विदेशी मुद्रा का भंडार था। आज हमारे देश में किसानों की यह हालत है कि उनकी आत्महत्या करने की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों पर कर्ज का काफी बोझ है, खाद, बीज महंगे हैं और उनकी लागत बढ़ती जा रही है।

हमने देश में रोजगार गारंटी योजना शुरू कर दी, जो अच्छी बात है। इससे लोगों को काम मिल रहा है, लेकिन उससे हमारे देश का कोई विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा है, उसके बदले कोई इमारत खड़ी नहीं हुई, उद्योग धंधे खड़े नहीं हो रहे हैं। हमने बेरोजगार कह दिया, लेकिन उनमें पढ़े-लिखे भी शामिल हैं। आज अगर आप गांवों में जाएं तो उन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं जो एम०ए०, एम०एस०सी० पढ़े हुए हैं। उन्हें लगता था कि उन्होंने पढ़-लिख लिया है, वे देश में सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन आज हमने उनके हाथों में फावड़े और तसले पकड़ा दिए ताकि रोजगार गारंटी के माध्यम से जो कच्चे काम होते हैं, वह उन्हें करें। आपकी पढ़ाई-लिखाई सब बेकार, आपको देश के बारे में नहीं सोचना, आप अपने गांवों में रहें। आपने चाहे जितनी पढ़ाई की हो, हमने आप सबको मजदूर बना दिया — अब न कोई बड़ा रहा, न छोटा, न कोई अनपढ़, कोई अंतर नहीं रहा। हमने गांव-गांव में मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, मजदूरों में कोई भेदभाव नहीं हैं अगर रोटी चाहिए तो आइए, रोजगार गारंटी के नाम पर गड्ढे खोदिए और दो वक्त की रोटी कमाइए। यह हमारी रोजगार गारंटी का हाल है और हम कहते हैं कि हमने बेरोजगारी हटा दी। माननीय मंत्री जी, बेरोजगारी रोजगार गारंटी योजना से नहीं हटेगी। हमारे देश में जो लघु और कुटीर उद्योग थे, उनसे हमने अपना ध्यान हटा लिया। हमारे देश में जिस तरह से लघु और कुटीर उद्योग बंद हुए, उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी। आज वे बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके पास दो वक्त की रोटी नहीं है।

सायं 7.03 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

हमने अपना ध्यान पूरी तरह से कृषि से हटा लिया है। *(व्यवधान)* हमने कभी यह प्रयास नहीं किया कि किसानों की स्थिति सुधरे, हमने यह प्रयास किया कि उन्हें कर्ज आसानी से मिल जाए। *(व्यवधान)* हमने यह ध्यान नहीं दिया कि अगर वे कर्ज लेंगे, तो चुकाएंगे कहां से। हमारी इन्हीं गलत नीतियों के कारण आज उत्पाद की लागत बढ़ती जा रही है। देश के किसान परेशान हैं, फटेहाल हैं, बदहाल हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। *(व्यवधान)* यह इस देश और सरकार पर एक कलंक है। भारत कृषि प्रधान देश है। किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और हम उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर हे हैं। *(व्यवधान)* मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी।

हम विकास की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे देश में बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे वे फ्लोरेसी से ग्रसित हो रहे है, चाहे बच्चे हों या बड़े। हमारा ध्यान नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करें और शुद्ध पानी पीने को मिले। *(व्यवधान)*

मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश हर योजना में नम्बर एक पर है। आज रोजगार गारंटी का पूरे देश का 47 प्रतिशत केवल मध्य प्रदेश में खर्च हुआ है।

वहां हर योजना का अच्छी तरह क्रियान्वयन हो रहा है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में ओला पड़ा, सूखा पड़ा, बाढ़ आई और आपसे पैसा मांगा गया, तो मध्य प्रदेश का जितना हक था, आपने वह भी नहीं दिया। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए विकास के मामले में चाहे रेलवे का मामला हो या अन्य मामले हों, हर जगह उसकी उपेक्षा की जाती है आपसे निवेदन है कि मध्य प्रदेश हर योजना को सही विकास की ओर लेकर जा रहा है, उसे पूरा कर रहा है, आप उसके साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए और सहयोग कीजिए, जिससे उसका विकास हो। *(व्यवधान)*

माननीय मंत्री जी, आप पिछले तीन सालों से भारत निर्माण की बात कह रहे हैं, लेकिन इस समय भारत निर्माण की जो तस्वीर है, उसमें आतंकवादियों ने बिना अपराध के जिन लोगों को मारा, वे लहुलूहान दिखते हैं, आत्महत्या करते हुए किसान दिखते हैं, बेरोजगारों की लम्बी लाइन दिखती है। मरीज दम तोड़ रहे हैं क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयां महंगी हो गयी है। आज अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई दिखती है। कहीं भी भारत निर्माण की तस्वीर ऐसी नहीं दिख रही, जिसमें भारत की आम जनता खुशहाल दिखाई दे।

अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि सरकार किसान, गरीब, बेरोजगार, मजदूर आदि पर ध्यान दे जिससे भारत की जनता खुशहाल हो।

[अनुवाद]

डा० टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं वर्ष 2004-05 हेतु अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) तथा वर्ष 2006-07 हेतु अनुदानों की अनुपूरक (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री तथा उनकी टीम द्वारा वित्त मंत्रालय का अत्यधिक विद्वतापूर्ण तरीके से प्रबंधन करने हेतु उनकी प्रशंसा करते हुए मैं अपना विनम्र निवेदन तथा मत व्यक्त करना चाहता हूं। अभी हमने विपक्ष की एक माननीय सदस्य को वित्त मंत्रालय के क्रियाकलापों सहित हमारी सरकार के कार्यकरण के तरीके के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए सुना। मैं एक वाक्य में यह कहना चाहूंगा कि ये सब असत्य बातें जान बूझ कर कहीं गई हैं। मैं इस बात का बुरा नहीं मानता क्योंकि सत्ता पक्ष में बैठकर हम कुछ निश्चित बातें कहते हैं तथा विपक्ष में बैठकर कुछ अन्य बातें कहते हैं। यही लोकतंत्र की एक विशेषता है तथा हम विपक्षी सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हैं।

महोदय, मांगों का पहला भाग वह है जिसे हम व्यय कर चुके हैं तथा उस धनराशि के नियमित करने के लिए हम इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। हमें इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि इस सरकार ने पिछले ढ़ाई साल की अवधि के दौरान उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मानीय वित्त मंत्री जी हमेशा इस बात का दावा करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि के पथ पर अग्रसर है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है तथा इसका पूरा श्रेय माननीय वित्त मंत्री जी को दिया जाना चाहिए। ऐसा कहते समय मैं कुछ बातें का उल्लेख करना चाहता हूं।

हम मूल्यवृद्धि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में भी चिन्तित हैं। हम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा दूर-दराज के अन्य क्षेत्रों में पेयजल की समास्या के बारे में भी चिन्तित हैं। हमें इसके कारणों का विश्लेष्ण करना चाहिए। मूल्य वृद्धि के मामले को लीजिए। सरकार विभिन्न क्षेत्रों को राजसहायता दे रही है फिर भी मूल्यों में वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हमें देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसे नियंत्रित करने में हम असमर्थ है। समाज का केवल शिक्षित और संभ्रांत वर्ग ही जनसंख्या नियन्त्रण के महत्व के बारे में जागरूक है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यह चिन्ता का एक विषय है। अतः, इसके लिए कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों का भी सकल घरेलू उत्पाद में उच्च योगदान होना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। हम यह चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। हममें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है अतः पेयजल हेतु वहाँ नलों की सुविधाएं प्रयास की जानी चाहिए। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास उचित पेयजल सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इतने अनभिज्ञ है कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि वहाँ क्या हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। संप्रग सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है परन्तु ग्रामीण लोगों को व्यावहारिक रूप से उन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं है जो उनके लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। उनके लिए उचित निगरानी और दिशा निर्देशों की भी आवश्यकता है।

एक महत्वपूर्ण पहलू जो ऐसी अज्ञानता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है वह है शिक्षा अर्थात् मानव संसाधन का विकास। लोकतंत्र को सफल बनाने में मानव संसाधन विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हमें सभी भारतीय नागरिकों को उचित शिक्ष प्रदान करनी चाहिए। अब इस संबंध में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं। अतः, शिक्षा में सुधार करने तथा मानव संसाधन के विकास हेतु सरकार को और अधिक विधियाँ प्रदान करनी चाहिए। मानव संसाधन विकास क्षेत्र की ओर उचित ध्यान दिए जाने के पश्चात, संभवतः शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में सही दिशा में विकास होगा तथा इस देश में लोकतंत्र सदा कायम रहेगा।

[डा० टोकचोम मैन्या]

समृद्ध और निर्धन लोगों के बीच बहुत अंतर है। यह सब अज्ञानता तथा शिक्षा के अभाव के कारण है। इसीलिए हम सदा शिक्षा के अभाव की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

एक अन्य बात जिसका उल्लेख वित्त मंत्री जी कर रहे हैं वह यह है कि परिव्यय से परिणाम का अधिक महत्व होता है। धन की कोई समस्या नहीं है। परन्तु हमने जो परिव्यय प्रदान किया है। उससे जो भी परिणाम आए उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इस विषय की जाँच किए जाने की आवश्यकता है। इसी के परिणाम स्वरूप गत वर्ष हमने परिणामी बजट की नीति आरंभ की और मुझे आशा है कि इस वर्ष भी हम उसी नीति का अनुसरण करेंगे और हम इस बात की आशा कर रहे हैं कि हमारे वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में अग्रसर होगी।

श्री पी० करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं न केवल अनुदानों की मांगों के समर्थन में अपितु हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देने के लिए भी खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह अतिरिक्त धनराशि मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यय की जाती है। यह धनराशि किसानों तथा उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने तथा सामाजिक उपायों और रक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए भी है। केरल में तीन जिलों सहित राज्यों में ऐसे लगभग 31 जिले हैं जिनकी पहचान की गई है। मैं हमारे वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आरंभ में, जब सरकार ने यह निर्णय लिया था तब से केरल सरकार दो और जिलों अर्थात अलेपी और इडुक्की को भी शामिल करने का लगातार अनुरोध करती रही। मैं अलेप्पी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं। क्योंकि यह कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तथा इडुक्की के मामले में भी यह सत्य है क्योंकि नकदी फसलों के मूल्य में वहाँ बहुत कमी आई हैं। अत:, हमारी सरकार ने वित्त मंत्री, कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से भी निवेदन किया है। यद्यपि, ये जिले विशेष पैकेज योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं तथापि, मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि इन दो जिलों को भी ध्यान में रखा जाए क्योंकि अतिरिक्त अनुदानों की मांगें मुख्यत: किसानों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए हैं।

जहां तक केरल का संबंध हैं, हम जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं परन्तु प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में हमारा निष्पादन इतना अच्छा नहीं है। साथ ही, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, और आवास के क्षेत्र में हम अच्छी स्थिति में हैं इसलिए वित्त आयोग ने केरल को सहायता प्रदान करने से मना कर दिया है। यह सत्य है कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में हमने प्रगति की है तथापि, साथ ही जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, चिकनगुनिया, कैंसर तथा अन्य कुछ नई बीमारियां जन्म ले रही है। वस्तुत: स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें और अधिक सहायता की आवश्यकता है। केवल अलेप्पी में ही बीमारियों के कारण 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

जहां तक शिक्षा का संबंध है हम यह नहीं कह सकते कि उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी है। अत:, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केरल को वस्तुत: और सहायता की आवश्यकता है। इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मूल्य वृद्धि के संबंध में मैं वित्त मंत्री जी के सामने एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तब मुद्रास्फीति की दर चार प्रतिशत थी और अब यह पाँच प्रतिशत से अधिक है। नि:सन्देह, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल का मूल्य 71 डॉलर प्रति बैरल से कम होकर 51 डॉलर प्रति बैरल हो गया हैं सभा में भी इस बात पर चर्चा हुई थी तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का एकमत से यही विचार था कि केवल 2 अथवा 1 रुपये की कमी हो।

4 रुपये अथवा 2 रुपये तक राहत दी जा सकती है। यह देखा गया है कि मूल्यों में यह वृद्धि मुख्यत: परिवहन व्यय के कारण हुई है जो कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण बढ़ गया है। अत: इस मुद्दे पर भी चर्चा की जानी चाहिए। पेट्रोल, डीजल के मूल्य में कमी करना तर्कसंगत हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य में इसी सीमा तक कमी हुई हैं। अत: हमें किसानों तथा अन्य लोगों को उसी अनुपात में राहत देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश की गई अनुदानों की पूरक मांगों का मैं समर्थन करती हूं। साथ ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता हैं कि एक तरफ तो हम भारत निर्माण की बात करते हैं, दूसरी तरफ लगता है कि जब हम भारत निर्माण की बात करते हैं तो राजस्थान उसमें नहीं आता है। लगता है कि आप राजस्थान के साथ संवेदनहीन बने हुए हैं। वह संवेदनहीनता इस तरह से प्रकट होती है कि वहां बाढ़ग्रस्त जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिलों में जहां कई लोग इस भीषण बाढ़ से बेघर हो गए, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और शिवराज पाटील जी ने दौरा किया था। लेकिन वे केवल वहां घड़ियाली आंसू बहाकर ही वापस आ गए। उन्होंने वहां के लोगों से पुनर्वास करने की, मकान देने की और अन्य वादे किए थे। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि उनके दौरे के बाद वहां क्या काम हुआ है? राजस्थान की मुख्य मंत्री ने 3200 करोड़ रूपए का पैकेज देने की मांग केन्द्र सरकार

से की थी, जिसमें पूरा विवरण दिया गया था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ करना पड़ता है कि जब भी हम अनुपूरक मांगे सदन में रखते हैं, उनमें जिक्र नहीं होता कि राज्स्थान में बाढ़ से प्रभावित जिलों के लिए राहत देने के लिए इतनी राशि का प्रावधान किया गया है। इसलिए मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार ने 3200 करोड़ रूपए के पैकेज की जो मांग की है, जिसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विकास और पुनर्वास की बात शामिल है, उसके प्रति आप संदेदनहीनता दिखा रहे हैं और आपने यहां से एक भी पैसा स्वीकार नहीं किया है। मात्र 100 करोड़ रुपए आपने दिए हैं, वह भी पूर्व में स्वीकृत राशि है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठ) : 1500 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए गए हैं, वह तो पहले खर्च करो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती किरण माहेश्वरी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।,

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : आप सही बात नहीं कह रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आप मुझे डिस्टर्ब न करें। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह जवाब देंगे। उनके द्वारा दिए गए जवाब को ही हम मानेंगे कि कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं और कितने देने जा रहे हैं। वैसे तो आप आम आदमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी का गला दबा रहे हैं।

राजस्थान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए डाक्टर्स की टीम यहां से भेजी गई थी, जिसने वहां जाकर परीक्षण करना था। वह टीम भी वहां से बिना प्रशासन को नोटिस दिए अक्तूबर में चली गई। इस प्रकार से लगता है कि केन्द्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि एम तरफ तो हम भारत निर्माण की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार का भेदभाव करते हैं। राजस्थान में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है और इन अनुपूरक अनुदानों की मांगों में भी राजस्थान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि राजस्थान द्वारा जो 3200 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत देने के लिए केन्द्र सरकार से की गई है, उसे स्वीकृत किया जाए। इस तरह से

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप दरियादिली दिखाएं और बताएं कि हम इतने संवेदनशील हैं। वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बताएं कि राजस्थान के लिए कितने पैसे का प्रावधान करने जा रहे हैं?

गुजरात से सदस्य यहां बैठे हैं। वहां भी भयंकर बाढ़ आई थी। वहां की सरकार ने 2200 करोड़ रुपए की मांग बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत देने के लिए आपसे की थी, लेकिन मात्र 500 करोड़ रुपए यहां से रिलीज किए गए हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : 1100 करोड़ रुपए दिए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती किरण माहेश्वरी के भाषण के अतिरिक्त कार्य वाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्रीमती किरण माहेश्वरी आप आनी बात पूरी कीजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : महोदय मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ। मुझे केवल दो मिनट चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह काफी संवेदनशील इश्यू है इसमें इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहती हूं, क्योंकि हम जनता द्वारा चुनकर यहां आए है। उसके साथ इस प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे याद आता है जब एनडीए सरकार थी, उस समय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस वक्त राजस्थान में अकाल पड़ा था। तब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। करोड़ों रूपये का बजट वहां दिया और इतना अनाज वहां भेजा कि डेढ़-डेढ़ साल तक लोग उस अनाज को खाते रहे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए केन्द्र सरकार का ध्यान वहां नही जा रहा है। केवल भारत निर्माण कहने से भारत का निर्माण नहीं होगा। आप जो कहते हैं उसे अपने आचरण में भी उतारना होगा, तभी भारत निर्माण का लक्ष्य पूरा होगा।

दूसरी बात सर्व-शिक्षा-अभियान की है। सर्व-शिक्षा-अभियान के तहत वहां जो केवल प्राथमिक स्कूलों को लिया गया है, माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, वहां जो सर्व-शिक्षा-अभियान है उसमें आप उच्च्व-माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों को जोड़िये। वहां पर बच्चों का ड्रॉप-आऊट रेट बढ़ता जा रहा है। आपने मुझे समय दिया।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : जो कुछ किरण जी ने यहां कहा, मैं भी अपने को उसके साथ सम्बद्ध करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपके समर्थन की आवश्यकता नही है। वह बिल्कुल ठीक है तथा उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब, वित्त मंत्री आगे उत्तर देंगे। किसी और सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, जब श्री पी० चिदम्बरम को देश का वित्त मंत्री बनाया गया था तब पूरा देश खुश था कि इस देश के एक अच्छे अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाया गया हैं। परन्तु वित्त मंत्री बनने के बाद भी वे अर्थशास्त्री ही बने रहे और उत्पादकता के बारे में अधिक सोचने लगे। भारत जैसे देश में वास्तविकता यह है कि देश की अर्थव्यवस्था असंतुलित हैं *(व्यवधान)* मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं दूंगा।

महोदय, जब मैंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2006-07 को अनुपूरक अनुदानों की मांगों का अध्ययन किया तो मैंने यह पाया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को वास्तव में केवल 38.25 करोड़ रु० का ही लाभ होगा तथा हम जब हम इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों में विभाजित करेगें तो यह केवल 4.78 करोड़ रु० ही होगा। अत: इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र का आर्थिक विकास कैसे संभव है तथा वह देश की मुख्य-धारा में कैसे शामिल हो सकेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक चिंता का विषय है।

महोदय, मैंने पिछली बार भी यह अनुरोध किया था कि इस राज्य के विकास पर विचार करते समय भौगोलिक तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। परन्तु जब आप पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते है तो इस पर एक राज्य केरल में विचार किया जाता। परन्तु पूर्वोत्तर राज्यो के संबंध में ऐसा सोचना गलत है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आठ राज्य हैं।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्वोत्तर परिषद है। इसकी पंचवर्षीय योजना में 3,500 करोड़ रु० की निधियां निर्धारित की गई थीं परन्तु अब दसवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपने 2,511.50 करोड़ रु० आबंटित किए है: आवंटन के निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक आवंटन में 988.05 करोड़ रु० का अंतर हैं। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त मंत्री दसवीं पंचवर्षीय योजना को इस व्यवगत राशि को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ले जाएंगें। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह भारी चिंता का विषय है।

महोदय, मैं केवल एक मुद्दे पर बात करूंगा। अव्यवगत केन्द्रीय पूल में पूर्वोत्तर राज्यो के लिए 10 प्रतिशत अनुदान के बदले में पूर्वोत्तर राज्य के लिए एन एल सी पी आर से 92 करोड़ रु० की कटौती की जा रही है। मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगो को देख रहा था कि यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दी जाएंगी। परन्तु इसमें अब तक सुधार नहीं किया गया है।

हमें प्रसन्नता है कि भारत सरकार बोडोलैंड को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रु० दे रही हैं। परन्तु हमे लगा था कि एन०एल०सी०पी०आर० का सम्पूर्ण उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु किया जाएगा। परन्तु अब एन०एल०सी०पी०आर० से प्रतिवर्ष बोडोलैंड के लिए 100 करोड़ रु० की कटौती की रही है। यह गंभीर चिंता का विषय हैं। मैं वित्त मंत्री की अनुपूरक अनुदानों को देश रहा था कि बोडोलैंड के लिए गृह मंत्रालय से 100 करोड़ रु० आवंटित किए जाएंगे। अत: यह क्षेत्रीय असंतुलन है। इस देश के विकास के लिए हमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के भौगोलिक तत्व पर विचार करना होगा।

हमें पता चला कि बोजीबील पुल जिसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाना था पर वित्त मंत्री को कड़ी आपत्ति थी। यदि वित्त मंत्रालय को इस पर कोई आपत्ति नहीं है तो क्या वित्त मंत्री डिबरूगढ़ में बोजीबील पुल रेलवे-सह-सड़क पुल का राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के पक्ष में होंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग, विशेषकर ऊपरी असम और अरूणाचल प्रदेश के लोगों को इस बोजीबील पुल का लाभ मिलेगा *(व्यवधान)*

अब, मैं अंतिम वक्ता हूँ। अब मैं अंतिम मुद्दे पर आ रहा हूं। मंत्री महोदय, एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मुझे आशा है कि वह जवाब देही और निगरानी के मुद्दे को अपने उत्तर में शामिल करेंगे। वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विश्वास करेंगे। जब नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में यह बताया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्यकलापों हेतु निर्धारित धनराशि का दुरूपयोग हुआ है तो जबकि यह वहां वास्तव में कोई विकास नहीं हुआ है तब नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अंतर्गत कितने अधिकारियों अथवा राज्य सरकारों के खिलाफ कार्यवाही की गई? अत: पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करते समय जवाब देही और निगरानी भी आवश्यक है।

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री अपने उत्तर में इन दो-तीन प्रश्नों का भी जवाब दें। पहला पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के एन०ई०सी० में 988 करोड़ रु० की व्यवगत राशि के संबंध में है जिसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मे ले जाया जाएगा। मैं

यह जानना चाहूंगा कि क्या वह राष्ट्रीय परियोजना के तहत बोगीबिल पुल को शामिल करने का प्रयास करेंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या एन०एल०सी०पी०आर० से काटी गई 92 करोड़ रु० की एस०एस०ए० राशि तथा बोडोलैंड के लिए एल०एल०सी०पी०आर० से काटी गई 100 करोड़ रु० की राशि संबंधित मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री जो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इन कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री गणेश सिंह** (सतना) : महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-07 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों को मैं अनुपयुक्त तथा कई मामलों में फिजूलखर्ची मानता हूं। केंद्र की यू०पी०ए० सरकार ने जो योजनाएं देश में संचालित की हैं, उनको कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। भारत निर्माण योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। ग्रामीण विकास में अधिकांश योजनाएं नौ दिन चले अढ़ाई कोस की तरह हैं।

रोजगार गारंटी योजना में सभी योजनाएं समाहित कर दी गई हैं और इस योजना का लम्बा-चौड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। उक्त योजना को 200 जिलों में प्रारम्भ किया गया है और इसी सदन में कहा गया था कि इस योजना को देश के सभी जिलों में जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। दूसरे चरण की शुरूआत कब से होगी, इसका जबाव ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया था कि योजना आयोग के पास मामला विचाराधीन है। यह उसी तरह से कहावत सिद्ध होगी कि ''न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी''। उक्त योजना के अंदर व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, जिन्हें दूर नहीं किया गया। बजट के अभाव में एक-एक माह तक श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं दिया जाता है। दूसरी तरफ श्रमिकों को पूरी मजदूरी भी नहीं पड़ती है, इसलिए श्रमिकों में इस योजना के प्रति निराशा होती जा रही है। केन्द्र सरकार लगातार गैर कांग्रेस शासित राज्यों को सिवाय कोसने के अलावा कुछ नहीं कर रही है।

केंद्र सरकार की भारत निर्माण योजना, जिसका भयंकर प्रचार प्रसार किया था उसका कोई असर देश में किसी भी हिस्से में नहीं दिखाई दे रहा है। किसान आत्महत्या कर रहा है, प्रधानमंत्री जी के पैकेज देने के बाद भी आत्महत्याएं नही रूक पा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें कछुआ चाल से चल रही हैं, देश के अंदर भयंकर महंगाई बढ़ी है जिसे रोक पाने में सरकार पूरी तरह से असफल रही है। देश में कई राज्य भयंकर बिजली के संकट में है।, बिजली के उत्पादन के कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं लेकिन उनकी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। अकेले मध्य प्रदेश सरकार का 2000 हजार मेगावाट के परमाणु बिजली उत्पादन की स्वीकृति हेतु केंद्र के पास विचाराधीन है। लेकिन आज तक स्वीकृति नही दी गई है। इस तरह देश के हजारों गांवों में अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत पहुंचाने की योजना बजट के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही हैं।

देश के कई राज्य वर्तमान में सूखे की चपेट में हैं, पहले भीषण बारिश से तबाही हुई थी और अब सूखे की मार झेल रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश के 22 जिले सूखे हैं जहां कल तक अध्ययन दल नहीं गया जबकि मैंने सदन में कई बार इस संबंध में कहा है। नदियों को जोड़ने का मामला विचाराधीन है लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं दी गई है।

मेरे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 में मेहर के पास ओवरब्रिज बनाने एवं एनएच 75 में सतना शहर में बाईपास बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, स्वीकृति दिलाई जाए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। जो इस चर्चा में भाग लेने के लिए साढ़े सात बजे तक रुके हुए हैं।

यह अनुपूरक अनुदानों की मांगे हैं। मैंनें एक माननीय सदस्य को सुन कर लगा कि उनका करीब करीब यही आशय था कि मैं संसद का अपमान कर रहा हूं। यह पहली बार नहीं है जब अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक वर्ष अनुपूरक अनुदानों का पहला बैच, दूसरा बैच और तीसरा बैच प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों को प्रस्तुत करने के कारण ज्ञापन में स्पष्ट किए गए है।

मुझे एक उदाहरण प्रस्तुत करने दीजिए। हमने 31 जिलों की पहचान की जहां आत्महत्या के सर्वाधिक मामले हुए हैं। तथा माननीय प्रधानमंत्री के दौरे तथा पैकेज की घोषण के पश्चात इन राज्यों के लिए भारी मात्रा में धनराशि की आवंटित की गई है। निश्चित तौर पर 28 फरवरी 2006 को कोई यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि सितम्बर माह में प्रधान मंत्री उन जिलों के लिये हेड किसी पैकेज की घोषणा करेगें। जहां आत्महत्या के मामले हुए है। 28 फरवरी को आप यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि उर्वरक मूल्यों में वृद्धि होगी। 28 फरवरी को मैंनं कहा था कि "हम वाणिज्यिक बैंको और आर०आर०बी० द्वारा दिए गए कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत आर्थिक सहायता देंगे।" कई राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया और कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिल नाडु, पंजाब जैसे कई राज्य अपनी स्वयं की विधियों से सहकारी समितियों से लिए गए ऋण पर 2 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने के

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री पी० चिदम्बरम]

लिए सहमत हो गए। परन्तु कुछ अन्य राज्यों ने कहा ''नहीं केन्द्र में हमें यह राशि देनी होगी''। हमने इस पर चर्चा की। फिर हमने कहा: 'ठीक है।' यद्यपि कुछ राज्य अपनी स्वयं की निधियों से इसे देने के लिए सहमत हो गए हैं परन्तु कुछ राज्य चाहते हैं कि यह केन्द्रीय निधियों से दिया जाए। मैं 28 फरवरी में यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था कि राज्य के मुख्य मंत्रियों की मांगो पर इस प्रकार का निर्णय लिया जाएगा।

अत: समस्या यह है कि, हम जो बोलते हैं। उसका महत्व इस पर निर्भर करता है कि हम कहां से बोल रहे है।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं भी आपको यही याद दिला रहा हूँ।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं आपको यह स्मरण करा रहा हूँ। जब मैं वहां भर था, वैसे मैं वहां बहुत समय तक नही रहा अधिकतर समय मैं यहां पर रहा हूं प्रश्न यह है कि तैयार की हुई बातों को बोलने का कोई महत्व नहीं है। हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए जो हमारे समक्ष है।

महोदय, अर्थव्यवस्था तबाही की ओर बढ़ रही हैं, ऐसा केवल वही कह सकता है कि जो पूर्वत: पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं मे दूसरा स्थान है। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता क्योंकि तथ्य स्वयं ही वास्तविकता दर्शाते हैं। बी. जे. पी. के नेतृत्व वाली सरकार ने छ: वर्ष तक शासन किया। एक वर्ष वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी, एक वर्ष यह 4.4 प्रतिशत रही और एक वर्ष 5.1 प्रतिशत रही। 6 वर्षों में से तीन वर्ष में विकास दर 6 प्रतिशत से कम रही। दो वर्ष यह 6.1 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत थी और एक वर्ष 8.5 प्रतिशत थी तथा जैसाकि सभी ने बताया है कि यह केवल आंकड़ों से उत्पन्न भ्रम था क्योंकि यह 3.8 प्रतिशत वृद्धि दर के पहले था। इन वर्षों की औसतन वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में सं० प्र० ग० सरकार के 10 तिमाहियों में से 9 में हमारी वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक रही केवल एक तिमाही में यह 6.7 प्रतिशत थी जो उनकी औसत वृद्धि से अधिक थी और बाकी के वर्षों में यह 7.5 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत रही तथा अब आधे वर्ष में यह 9.1 प्रतिशत है। वे भले ही इस क्षण का आनन्द लेने तथा विकास का जश्न मनाने में हमारा साथ न दें परन्तु वे निश्चित तौर पर इन आंकड़ों को छुवा नहीं सकते तथा यह नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था तबाही की ओर जा रही हैं।

मुद्दा यह है भारत विकास की राह पर है परन्तु भारत के विकास में सभी शामिल होने चाहिए तथा यह व्यय संगत विकास होना चाहिए वित्त मंत्री का पद ग्रहण करने दो दिन बाद मैंने जो कहा था कि तभी प्रधानमंत्री ने जो कल कहा था वह यह था कि भारत को चमकना चाहिए परन्तु इसे सभी के लिए चमकना चाहिए। यह सब के लिए केवल तभी चमक सकता है जब यहां विकास हो और यह विकास जनता में समान और न्यायोचित ढंग से पहुंचे। संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी विकास हो वह सभी तक समान रूप से पहुंचे, उसमें सभी शामिल हों तथा इसका एक मानवीय पहलू हो और इससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो। जैसा कि मैं समझता हूं, मेरा कार्य वृद्धि को बढ़ावा देना है। हम सभी को एकजुट होकर यह सोचना है कि इस विकास में सभी शामिल हो और इसके लाभ समान रूप में सब तक पहुंचे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : राजस्थान के बारे में क्या विचार है?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय कृपया प्रतीक्षा करें। आपने 15 मिनट पहले जो पूछा उसका तत्काल उत्तर देना संभव नहीं है। यदि इसका जबावा आता है तो मैं आपको इसका जबाव दूंगा। अन्यथा मैं आपसे लिखित उत्तर दूंगा। जो भी उत्तर मुझे मिला है, मैं आपको दूंगा।

महोदय, हमने राज्यों को इतने संसाधन मुहैया कराए हैं जितने पहले कभी भी नहीं दिये गये। यदि आप 28 फरवरी को प्रस्तुत बजट को देखें तो पाएंगे कि 2005-06 में करों में राज्यों का हिस्सा 94,402 करोड़ रु० था। चालू वर्ष में यह 1,13,448 करोड़ रु० होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह ज्यादा होगा क्योंकि यदि हम अधिक राजस्व संग्रहित करेंगे तो अधिक संसाधन मुहैया कराएंगे। पिछले वर्ष गैर – योजना अनुदान और ऋण 30,489 करोड़ रु० थे। इस वर्ष यह राशि 35,461 करोड़ रु० होगी। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले वर्ष योजना के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता 33,891 करोड़ रु० थी। इस वर्ष यह राशि 37,971 करोड़ रु० होगी। राज्यों को निधियों से वंचित रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस वर्ष राज्यों को अक्टूबर 2006 तक हस्तांतरित कुल अनुदान, पिछले वर्ष इसी अवधि के 36,775 करोड़ रु० की तुलना में 44,537 करोड़ रु० था।

करों के मामले में, पिछले वर्ष के 47,645 करोड़ रु० की तुलना में हम अक्टूबर तक 57,003 करोड़ रु० हस्तांतरित कर चुके हैं। यह कहना कि राज्यों को निधियों से वंचित रखा जा रहा है पूरी तरह गलत है। वास्तव में 8 दिसम्बर को सभी राज्यों की कुल शेष नकद राशि 42,247 करोड़ रु० थी। केवल एक राज्य का 288 करोड़ रु० का ओवरड्राट हो गया था। अन्य सभी राज्यों के पास पर्याप्त नकद राशि है। 8 दिसम्बर, 2006 को नकद राशि 42,247 करोड़ रु० थी।

महोदय, लोग कहते हैं कि मैं केवल आंकड़ों को देख रहा हूं, मैं केवल वृद्धि और राजस्व पर ध्यान दे रहा हूँ। हम आम आदमी पर ध्यान नही देते। आम आदमी कौन है? वह क्या चाहता है? विद्यार्थी

आम आदमी है। इसे शैक्षिक ऋण चाहिए। उसके एक वर्ष पहले जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला 4,550 करोड़ रु० का कुल शैक्षिक ऋण और सितम्बर, 2006 में यह राशि 12,106 करोड़ रुपये है। शैक्षिक ऋण दिया गया था में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। ये शैक्षिक ऋण हमारे बच्चों, भतीजों, बहनों, भाइयों को मिलते है। जो लोग कभी भी कालेज नहीं जा पाते उन्हें शैक्षिक ऋण दिये गए हैं। इस सरकार के प्रथम वर्ष में कुल 2163 करोड़ रु० का शैक्षिक ऋण दिया गया था। दूसरे वर्ष में, यह 3,238 करोड़ रु० था और चालू वर्ष के पहले छः महीनों में, यह 2,155 करोड़ रु० है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष शैक्षिक ऋण 4000 करोड़ रु० को पार कर जाएंगें।

कृषि को लें तो, कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित कौन है? यह आम आदमी ही हैं, जो कृषि क्षेत्र से हैं यदि आम आदमी की सत्ता पक्ष में होने या न होने पर निर्भर करते हुए कोई दूसरी परिभाषा न हो। 2003-04 में जब भाजपा सरकार का शासन समाप्त हुआ तो कृषि ऋण की कुल राशि 86,981 करोड़ रु० थी। मैंने कहा था कि तीन वर्षो में हम इसे दुगना कर देंगे। अतः यदि मेरी गणित सही है तो 86,981 करोड़ रु० की राशि का दोगुना लगभग 1,73,000 करोड़ रु० है। मुझे यह तीन वर्षों में करना था। 1,73,000 करोड़ रु० के लक्ष्य के साथ दो वर्षों में ही हमने दुगना 1,67,000 करोड़ रु० कृषि ऋण दिया है, जो कि लगभग दोगुना है। इस वर्ष का कृषि ऋण के लिये लक्ष्य, 1,75,000 करोड़ रु० है। हम पहले ही 1,13,000 करोड़ रु० का ऋण प्रदान कर चुके हैं। जब रबी की फसल आएगी तो और अधिक ऋण दिए जाएंगे। कृपया विश्वास कीजिए इस वर्ष के अन्त तक, 1,75,000 करोड़ रु० का आंकड़ा पार कर जाएंगें।

एक प्रश्न पूछा गया था कि कुछ बैंक कृषि ऋण देने में 18 प्रतिशत पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। यह अच्छा प्रश्न था। लेकिन इसका जबाव है। कृषि ऋण भाज्य है और कुल ऋण भाजक है। कृषि ऋण तीव्र गति से बढ़ रहा है। दिये गये आंकड़े यह सिद्ध करते हैं किन्तु कुल ऋण और भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप, हम 60 से 70 लाख किसान संस्थागत ऋण में जोड़ रहे है, जबकि हमारा कृषि ऋण 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि संपूर्ण ऋण और भी तीव्र दर से बढ़ रहा है इसलिए बैंक 18 प्रतिशत कृषि ऋण नहीं दिखा सकते। यह विशुद्ध रूप से उत्पादित आंकड़ा है। इसमें यह देखा जाना चाहिए कि अब अधिक किसानों को कृषि ऋण दिया जा रहा है, कृषि वृद्धि दर अच्छी है, और क्या मैं तीन वर्षो में कृषि ऋण दोगुना कर पाऊंगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हां है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और बेहतर करेंगे।

महोदय, मुझे निराशा होगी यदि मेरे मित्र श्री स्वाई मुझसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में नहीं पूछेंगे और उन्हें निराशा होगी यदि मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में जबाव में नही दूं। तथ्य क्या है? मैं उन्हें आज हस्ताक्षरित दस्तावेज देने वाला हूं और मुझे आशा है। वे मेरे लिए उन्हें प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। स्वर्णिय चतुर्भुज की कुल लम्बाई 5,846 किलोमीटर हैं। मुझे आशा है कि श्री स्वाईं इन आंकड़ों को नोट करेंगे।

आज तक 5475 किलोमीटर की लम्बाई पूरी की गई है जो 93.65 प्रतिशत है। अभी 371 किलोमीटर का निर्माण किया जाना शेष है। उनमें से प्रत्येक के संबंध में कुछ विवाद है या थे जैसे कि या तो ठेकेदार छोड़ कर चले गये या भूमि अधिग्रहण जैसी अन्य समस्याएं हैं। महोदय, 371 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 35 कांट्रेक्ट क्रियान्वित किये जाने हैं। एक बार में 35 कांट्रेक्ट पूरे हो जाते हैं, 371 किलोमीटर का निर्माण हो जाता है तो स्वर्णिम चतुर्भुज भी पूरा हो जाएगा। सबसे पहले मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाऊंगा और उन्हें बताऊंगाः "महोदय, स्वर्णिम चतुर्भुज पूरा हो गया है।" कृपया कोई चिन्ता न करें। हम इसके प्रति उतने ही प्रतिबद्ध है जितनी की आपकी सरकार थी। वास्तव में जब आपका कार्यकाल समाप्त हुआ था आपने यह योजना आधी से कम पूरी की थी; हमने शेष पूरी की है। अतः आप और हम इसका श्रेय ले; साथ ही देश को भी स्वर्णिम चतुर्भुज पूरी होने का श्रेय मिलना चाहिए। इसमें पक्षपात कहाँ है, मैं नही समझ सकता। ··· *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : मैं पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं ··· *(व्यवधान)*

श्री पी० चिदम्बरत : मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं ··· *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : कृपया एक मिनट मेरी बात सुनिए।

सभापति महोदय : नहीं। मैं केवल तभी अनुमति दूंगा यदि वे तैयार हों। वे इसके लिये तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : स्वर्णिम चतुर्भुज के एक खंड के पूरा नहीं होने की वजह से यह कहना पूरी तरह गलत है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाया जा सकता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि चेन्नई से बंगलोर की यात्रा की जाती है तो पूनभल्ली श्री पेरूम्बुदुर और कांचीपुरम होते हुए जाना पड़ेगा। अब वहां एक पुल है जो पूरा नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस सड़क पर यात्रा की जा सकती। आपको लगभग आधा किलोमीटर या लगभग दो फलाँग के लिए उस सड़क से उतरना पड़ेगा। आप रास्ते से हटिए और अन्य स्थानों से हो कर जाइए, और आप अभी भी कांचीपुरम और श्री पेरूम्बुदुर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बंगलोर नहीं जा सकते; आप मेरे साथ आइए, मैं आपको ले जाऊंगा और दिखाऊंगा।

[श्री पी० चिदम्बरम]

वह पुल अधूरा है। लेकिन मुझे क्या करना है? उस पुल के संबंध में विवाद है। अब, विवाद हल हो गया है; 35 कांट्रेक्ट क्रियान्वित किए जाने हैं; 371 किलोमीटर का निर्माण कार्य शेष है। एक बार यह पूरा हो जाए, तो पूरे 5846 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।

किसानों के लिए लाभकारी मूल्य के बारे में कोई प्रश्न पूछा गया था। हमारे पास सी०ए०सी०पी० तंत्र है। यह सरकार – मेरा विश्वास है कि पिछली सरकार ने भी सी०ए०सी०पी० की सिफारिशों की अवहेलना नही की। सी०ए०सी०पी० ने जो कुछ भी कहा, हमने दे दिया है। हमने कुछ ज्यादा ही दिया है। मूल्यों पर निगाह डालें। धान के लिए – मैं केवल सामान्य किस्म ले रहा हूं – 2001-2002 में सरकार ने 530 रु० दिए; 2002-03 में भी सरकार ने 530 रु० दिए; और 2003-04 में सरकार ने 550 रु० अर्थात् 20 रु० ज्यादा दिए। हमने 2004-05 में पदभार संभाला, और 560 रु० दिए। अगे वर्ष हमने 570 रु० दिए; पिछले वर्ष – 2006-07 में हमने 620 रु० दिए। अत: हमने इसमें 50 रु० तक की वृद्धि की है। गेहूं के लिए, 2001-02 में हमने 610 रु० दिए; 2002-03 में 620 रु० दिए और 10 रु०. बढ़ाए; 2003-04 में 630 रु० दिए, फिर 10 रु० की वृद्धि हुई। 2004-05 में हम सत्ता में आए। 2005-06 में हमने 640 रु० दिए; 2006-07 में हमने 700 रु०. दिए ; 2007-08 में हमने रबी फसल के लिए 750 रू. दिए है। अत: हमने सी०ए०सी०पी० की सिफारिशें से भी ज्यादा लाभकारी मूल्य दिखाये हैं। ऐसा नहीं है कि यह सरकार लाभकारी मूल्य नहीं दे रही है।

एक प्रश्न इस बारे में था कि छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान को आपदा राहत कोष से क्या दिया गया। मेरे पास ये आंकड़े हैं; मैंने इनकी पुष्टि नहीं की है। मैं मान रहा हूं कि ये आंकड़े सही है। संशोधन के अध्यधीन आंकड़े यही है। आपदा राहत कोष के तहत हमने छत्तीसगढ़ को 150.32 करोड़ रु० दिए हैं। हमने मध्यप्रदेश को सी आर एफ के तहत 246.67 करोड़ और एन०सी०सी०एफ० के तहत 30.85 करोड़ दिए हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मैं एक समय में एक ही बात कह सकता हूं। जब मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूं तो अन्य के बारे में कैसे बता सकता हूं?

राजस्थान के लिए हमने सी०आर०एफ० के तहत 413.66 करोड़ रु० और एन०सी०सी०एफ० के तहत 100 करोड़ रु० दिए है। ये आंकड़े है। अत: जो आंकड़े उन्हें मिले हैं, हो सकता है सही न हो मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपने आंकड़ों की जांच कर लें। मेरे पास यही आंकड़े हैं। जैसे ही मुझे मिले, मैंने तुरन्त ही ये आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। मैंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनमें संशोधन हो सकते हैं लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपने आंकड़े जांच लें।

महोदय, कुछ प्रश्न ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दें।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, एक प्रश्न पूर्वोत्तर में 92 करोड़ रु० घटाए जाने के बारे में थे। मुझे जो उत्तर मिला है, इस प्रकार है। महोदय, 90 करोड़ रु० पूर्वोत्तर राज्यों को एन०एल०सी०सी०आर० से राज्य के हिस्से में 15 प्रतिशत के अंतराल को भरने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के लिए दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि 92 करोड़ रु० घटाए गए और वापस लिए गए। पूर्वोत्तर राज्यों में खर्च किए जाने के लिए अव्यपगतनीय कोष से 90 करोड़ रु० सर्वशिक्षा अभियान के लिए हस्तांतरित किए गए। अत: धन की कोई हानि नहीं थी। धन केवल एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान के लिए खर्च किया जा रहा है। ... *(व्यवधान)* महोदय, जब तक मैं यह हैडफोन नहीं लगाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा। ... *(व्यवधान)*

महोदय, यह विशेष पैकेज के बारे में बात करने का समय नहीं है। मैडम, आपको मंत्रालयों के लिए मांगो पर चर्चा के दौरान पूछना चाहिए और उस मंत्रालय से सम्बन्धित विशेष पैकेज के बारे में बात करनी चाहिए।

महोदय, मुझे पुन: बताने कल जरूरत नहीं है कि किन शीर्षों के तहत मैं मांगें रख रहा हूं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आपने अपना उत्तर समाप्त कर दिया है?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : विशेष पैकेजों के बारे में बात करने का न तो समय है और न ही स्थान है। अत:, मैं सादर कहता हूं कि विशेष पैकेजों के बारे में आपकी मांग का उत्तर देने में असमर्थ हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों के दूसरे बैच के बारे में बात कर रहे है (व्यवधान) महोदया, मैनें आपको संख्या (नम्बर) दे दी है। आप उसकी जांच कर लें।

मुझे केवल मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता है (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम : केवल एक चीज मुझे चिंतित कर रही है और वह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मोटे तौर पर एक मौद्रिक दशा है। जब अर्थव्यवस्था नौ प्रतिशत की दर से, ऋण की मांग 30 प्रतिशत की दर से, व्यावसायिक संपत्ति, आवास क्षेत्र छोटे ऋण, कृषि ऋण, शिक्षा ऋण और उद्योगों से मांग की दर तेजी से बढ़ रही है तो कुछ मौद्रिक प्रभाव लाजिमी हैं। वास्तव में, अब यह सर्वमान्य है कि मुद्रास्फीति मौद्रिक दशा है। हम मौद्रिक दिशा में कदम उठा रहे हैं; हम वित्तीय दिशा में कदम उठायेंगे। मैं इस मुद्रास्फीति से खुश नहीं हूँ। कोई भी इस मुद्रास्फीति से खुश नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं सभा को केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। वर्ष 1998-99 में, जुलाई में चार सप्ताह और अक्तूबर से दिसंबर में लगभग सात सप्ताह, मुद्रास्फीति दर सात प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2000-2001 में लगभग आठ सप्ताह छोड़कर, 44 सप्ताह मुद्रा स्फीति 6 प्रतिशत से ऊपर थी। और अधिकांश समय यह सात प्रतिशत से अधिक थी। 13 जनवरी, 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह में, मुद्रास्फीति 8.8 प्रतिशत तक पहुँच गई। वर्ष 2003-2004 में, चार सप्ताह में मुद्रास्फीति 6.2 प्रतिशत से काफी अधिक थी। जब भाजपा ने मई में हमें सत्ता सौंपी, उस समय मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

महोदय, वास्तव में 13 जनवरी, 2001 को समाप्त होने वाले सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर 8.8 प्रतिशत थी जो दस वर्षो में एक सप्ताह में सर्वोच्च थी। अतः मुद्रस्फीति वर्तमान में कोई असाधारण बात नहीं है।

महोदय, शायद स्मरणशक्ति कमजोर हो गई है; इसलिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने तब उन्हें इतना प्रभावित नहीं किया होगा क्योंकि तब वे मंत्री पीठ में थे। लेकिन मुद्दा यह है कि मुद्रास्फीति समय-समय पर होती रही है।

इस वर्ष के आरंभ में हम मुद्रास्फीति को 3.7 प्रतिशत तक नीचे ले आए। अब, मुद्रास्फीति थोड़ा बढ़ गई है। मोटे तौर पर यह मौद्रिक दशा है। इसीलिए रिजर्व बैंक ने बाजार से लिक्विडिटी समाप्त करने के लिए कुछ दिन पहले सी आर आर को बढ़ा दिया। आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने से बाजार में नई चीनी आने से मार्च में बाजार में नये गेहूं आने से और किये जा रहे मौद्रिक उपायों से मुद्रास्फीति संतुलित हो जाएगी। मैं मुद्रास्फीति से खुश नहीं हूं। हम मुद्रा स्फीति में संतुलन लाने के लिए और कदम उठायेंगे। इस एक तथ्य को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है; उद्योगों का विकास हो रहा है; और सेवा क्षेत्र प्रगति कर रहा है। जहां तक कृषि का संबंध है, दूसरी तिमाही पर न जाए क्योंकि दूसरी तिमाही हमेशा वृद्धि दर कम होती है। हमें तीसरी और चौथी तिमाही की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

जिस तरह का निवेश हम कृषि में कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। उर्वरक के लिए, राज्यों को और अर्द्ध-सैनिक बलों के लिये धन के अतरण की मांगें है। अतः मैंने इस सभा में और धन की मांगें प्रस्तुत की हैं।

यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस धनराशि को खर्च कर सकते हैं। हम राज्यों को यह धन अंतरित करने में समर्थ हैं। हम और अधिक उर्वरक खरीदने में समर्थ हैं। हम अपने अर्द्ध सैनिक बलों और अपनी दिल्ली पुलिस को अधिक देने में समर्थ हैं। हमारे पास पैसा है। हम पैसा दे सकते हैं। श्री खारबेल स्वाई ने की बरबादी की जो भविष्यवाणी की है उसके बावजूद मुझे भरोसा है कि जब मैं 28 फरवरी को बजट पेश करूंगा तो मैं यह कह सकूंगा कि हमने वित्तीय घाटे और राजस्व घाटे की पूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पारित करने का अनुरोध करता हूं (व्यवधान)

सभापति महोदय : और प्रश्न न करें।

श्री तापिर गाव (अरूणाचल पूर्व) : दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एन०ई०सी०के० 988.05 करोड़ रुपये व्यपगत होने का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं इसका उत्तर ढूंढूंगा, फिर आपको दूंगा। मैं तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता।

सभापति महोदय : अब मैं सभा के मत के लिए वर्ष 2004-2005 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) को रखूंगा।

प्रश्न यह हैः

"कि कार्य – सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 26 और 27 के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : वर्ष 2004-2005 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) पारित की जाती हैं।

सभापति महोदय : अब मैं सभा के मत के लिए वर्ष 2006-2007 की अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 3, 5, 6, 8, 10, से 12, 14, 19, 20, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 41, 46 से 48, 50, 52, 53, 55 से 58, 61, 63, 64, 67, 70, 72, 78, 81, 84 से 86, 89, 90, 93, 94, 99, 100, 103 और 104 के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखायी गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : वर्ष 2006-2007 की अनुपूरक अनुदानों की मांगे पारित की जाती हैं।

सांय 7.53 बजे

विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गई है, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान इन सेवाओं पर व्यय की गई हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने पर वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में दिनांक 12.12.2006 को प्रकाशित

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं

श्री पी० चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं;

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-बार विचार करेंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सांय 7.56 बजे

विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशि के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में दिनांक 12.12.2006 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश पुरः स्थापित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशि के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित* करता हूं।**

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशि के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं हेतु भारत की संचित निधि में से कुछ और धनराशि के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड बार विचार आरंभ करेंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

कि खंड 1, अधिनियमन सुत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधयेक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : महोदय, कृपया शून्य काल आरंभ करने की अनुमति दीजिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता।

(व्यवधान)

श्री पी०एस० गढ़वी : मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्षमा कीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यदि आप अनुमति दें तो वे उसे सभा पटल पर रख सकते हैं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कल पूर्वाहन 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

सायं 7.58 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार, 13 दिसम्बर, 2006/22 अग्रहायण, 1928 (शक), पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2 में दिनांक 12.12.2006 में प्रकाशित

**राष्ट्रपति की सिफारिश पुर: स्थापित।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री मो० ताहिर श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	282
2.	श्री हेमलाल मुर्मू प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	283
3.	डा० धीरेंद्र अग्रवाल श्री जीवाभाई ए० पटेल	284
4.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री ब्रजेश पाठक	285
5.	श्री संतोष गंगवार	286
6.	श्री काशीराम राणा श्री हरिसिंह चावड़ा	287
7.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी श्रीमती रूपाताई डी० पाटील	288
8.	श्री तरित बरण तोपदार	289
9.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	290
10.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	291
11.	श्री के० फ्रांसिस जार्ज	292
12.	श्री राजनरायन बुधैलिया श्री अजीत जोगी	293
13.	श्री कीर्ति वर्धन सिंह श्री बृज किशोर त्रिपाठी	294
14.	श्री किन्जरपु येरननायडु	295
15.	सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड श्री चेंगरा सुरेन्दन	296
16.	श्री रनेन बर्मन	297
17.	श्री कृष्णा मुरारी मोघे श्री अशोक अर्गल	298
18.	श्रीमती किरण माहेश्वरी	299
19.	डा० चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	300
20.	श्री हरिभाऊ राठौड़	301

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे०एम०	2777
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2781, 2795, 2830, 2883, 2905
3.	अग्रवाल, डा० धीरेंद्र	2851, 2893
4.	अहीर, श्री हंसराज जी०	2748, 2785, 2884
5.	आठवले, श्री रामदास	2764, 2847, 2892, 2910, 2915
6.	'बचदा' श्री बची सिंह रावत	2782, 2794
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2752, 2873, 2900
8.	बर्मन, श्री हितेन	2865
9.	बर्मन, श्री रनेन	2840, 2896
10.	बखला, श्री जोवाकिम	2747
11.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2777, 2817
12.	भक्त, श्री मनोरंजन	2814
13.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2832, 2863
14.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2765, 2781, 2785, 2845
15.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2812, 2868
16.	चालिहा, श्री किरिप	2789
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी०के०	2794
18.	चारेनामै, श्री मणि	2831
19.	चटर्जी, श्री सांताश्री	2815
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद	2892

1	2	3
21.	चावड़ा श्री हरिसिंह	2894
22.	चिन्ता मोहन, डा०	2861, 2895
23.	चौधरी, श्री पंकज	2859
24.	चौधरी, श्री अधीर	2797, 2819, 2870
25.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2794
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	2757, 2841, 2891, 2907, 2913
27.	धोत्रे, श्री संजय	2753
28.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2766
29.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2768, 2846, 2858
30.	गमांग, श्री गिरिधर	2767
31.	गंगवार, श्री संतोष	2852, 2924
32.	गहलोत, श्री थावरचन्द	2822
33.	हर्ष कुमार, श्री जी०वी०	2794
34.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2833, 2886
35.	जय प्रकाश, श्री	2763, 2859
36.	झा, श्री रघुनाथ	2776, 2785, 2880, 2923
37.	जिन्दल, श्री नवीन	2754, 2865
38.	जोशी, श्री प्रहलाद	2919
39.	कनोडीया, श्री महेश	2793
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2810
41.	खारवेनथन, श्री एस०के०	2761, 2792, 2844, 2847
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2780
43.	कृष्ण, श्री विजय	2835
44.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2856
45.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2778
46.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2854, 2895, 2908

2	3
47. माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2836, 2922
48. माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2806, 2866, 2899
49. महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2859
50. महतो, श्री सुनिल कुमार	2811
51. माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2860, 2863
52. महताब, श्री भर्तृहरि	2802, 2834, 2888
53. महतो, श्री टेक लाल	2790, 2869
54. माझी, श्री परसुराम	2769, 2887
55. मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार	2863
56. मंडल, श्री सनत कुमार	2881
57. माने, श्रीमती निवेदिता	2768, 2846, 2858
58. मनोज, डा० के०एस०	2798
59. मसूद, श्री रशीद	2746, 2878, 2902
60. मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2849
61. मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2803
62. मैन्या, डा० टोकचोम	2798
63. मिश्रा, डा० राजेश	2777, 2788, 2817, 2875
64. मोहले, श्री पुन्नूलाल	2751
65. मूर्ति, श्री ए०के०	2807
66. नन्दी, श्री अमिताभ	2823, 2863, 2876
67. निखिल कुमार, श्री	2797, 2819
68. नायक, श्री अनन्त	2800
69. नायक, श्रीमती अर्चना	2783
70. ओराम, श्री जुएल	2819
71. ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2818, 2892, 2920
72. पल्लानी शामी, श्री के०सी०	2750, 2837, 2889, 2906, 2912
73. पाण्डा, श्री प्रबोध	2924

1	2	3
74.	पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण	2806, 2822
75.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2829
76.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2749, 2872, 2904
77.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	2918
78.	पटेल, श्री किशनभाई वी०	2770, 2772, 2848, 2877, 2901
79.	पाठक, श्री ब्रजेश	2857
80.	पाठक, श्री हरिन	2824
81.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2800
82.	पटले, श्री शिशुपाल एन०	2826, 2911
83.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2804
84.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2811, 2851
85.	राजगोपाल, श्री एल०	2796, 2862
86.	राजेन्द्रन, श्री पी०	2844
87.	रामदास, प्रो० एम०	2775, 2924
88.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2760, 2843, 2898
89.	राणा, श्री काशीराम	2853
90.	राव, श्री के०एस०	2756, 2839
91.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2820
92.	राव, श्री डी० विट्टल	2799
93.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2755
94.	रावले, श्री मोहन	2794, 2828
95.	रावत, श्री कमला प्रसाद	2792
96.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	2771, 2914, 2924
97.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	2784, 2794
98.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2794, 2855
99.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2916
100.	साई प्रताप, श्री ए०	2829
101.	सज्जन कुमार, श्री	2777, 2788, 2817
102.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2786
103.	सतीदेवी, श्रीमती पी०	2805
104.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2791
105.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2781, 2871
106.	सेनियल, डा० आर०	2774
107.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2917
108.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2811
109.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2804
110.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2781, 2795, 2801, 2830, 2885
111.	शिवन्ना, श्री एम०	2771, 2813
112.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	2788, 2826, 2879, 2903, 2911
113.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2919
114.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	2758, 2842, 2890
115.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2838
116.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2838, 2894
117.	सिंह, चौधरी लाल	2785, 2874
118.	सिंह, श्री गणेश	2821, 2921
119.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2780
120.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2858
121.	सिंह, श्री मोहन	2773
122.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2776, 2779
123.	सिंह, श्री रेवती रमन	2802, 2919
124.	सिंह, श्री सुग्रीव	2770, 2772, 2848, 2877, 2901
125.	सिंह, श्री उदय	2816, 2870
126.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2793
127.	सुब्बा, श्री एम०के०	2759

1	2	3
128.	सुगावनम, श्री ई०जी०	2762, 2882
129.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2808
130.	सुमन, श्री रामजीलाल	2854, 2861, 2908
131.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी०	2781
132.	तोपदार, श्री तरित बरण	2850
133.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2863
134.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2864, 2897, 2909
135.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम०पी०	2787, 2804, 2867
136.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2746
137.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2781, 2795, 2801, 2885, 2905
138.	यादव, श्री एम० अंजनकुमार	2916
139.	यादव, श्री गिरिधारी	2893, 2917, 2918
140.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2788, 2879
141.	यादव, श्री मित्रसेन	2809
142.	यादव, श्री पारसनाथ	2825
143.	यादव, श्री राम कृपाल	2827
144.	येरननयडु, श्री किन्जरपु	2859

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	
वाणिज्य और उद्योग		284, 285, 287, 288, 289, 292, 293, 298, 299, 300
गृह	:	283, 286, 294
मानव संसाधन विकास	:	291, 296, 301
खान	:	
लघु उद्योग	:	
वस्त्र	:	282, 290
जनजातीय कार्य	:	295
महिला और बाल विकास	:	297

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि और ग्रामीण विकास	:	2792, 2812, 2837, 2886
वाणिज्य और उद्योग	:	2750, 2752, 2759, 2784, 2785, 2788, 2790, 2793, 2796, 2798, 2802, 2804, 2807, 2809, 2816, 2818, 2819, 2827, 2830, 2838, 2839, 2844, 2847, 2850, 2851, 2852, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2864, 2867, 2883, 2888, 2895, 2897, 2898, 2901, 2922
गृह	:	2746, 2749, 2754, 2756, 2762, 2765, 2770, 2772, 2776, 2786, 2789, 2797, 2803, 2806, 2808, 2817, 2821, 2822, 2823, 2825, 2832, 2834, 2846, 2853, 2859, 2863, 2866, 2870, 2871, 2872, 2874, 2878, 2884, 2889, 2893, 2902, 2904, 2907, 2908, 2909, 2911, 2912, 2913, 2915, 2917, 2923
मानव संसाधन विकास	:	2747, 2753, 2757, 2760, 2769, 2773, 2777, 2778, 2779, 2801, 2831, 2836, 2841, 2845, 2849, 2855, 2857, 2858, 2881, 2885, 2899, 2900, 2918, 2919, 2920, 2921
खान	:	2763, 2764, 2767, 2783, 2800, 2810, 2815, 2876, 2877, 2887
लघु उद्योग	:	2766, 2820, 2824, 2835, 2842, 2843, 2894
वस्त्र	:	2751, 2755, 2771, 2791, 2799, 2811, 2813, 2814, 2826, 2828, 2833, 2868, 2873, 2879, 2882, 2891, 2903, 2905, 2906, 2910, 2914, 2916, 2924
जनजातीय कार्य	:	2748, 2774, 2848, 2880, 2890, 2892
महिला और बाल विकास	:	2758, 2761, 2768, 2775, 2780, 2781, 2782, 2787, 2794, 2795, 2805, 2829, 2840, 2865, 2869, 2875, 2896

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/24/15/2006 (एन०)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और धनराज ऐसोसिएट प्रा.लि., नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।